ला माला, खंड 11, अंक 4

गुरुवार, 23 नवम्बर, 2000
2 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनु प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 23 नवम्बर, 2000/2 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 61, 63 और 66	3–42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 62, 64, 65 और 67 से 80	43–66
अतारांकित प्रश्न संख्या 685 से 914	67–404
सभा पटल पर रखे गये पत्र.....	405
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन.....	406
कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.....	407
नियम 377 के अधीन मामले.....	453–460
(एक) सूखे से प्रभावित विशेष रूप से चूरू जिले के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री राम सिंह कस्वां	453
(दो) सूर्य मन्दिरों के पुनरूद्धार के लिए बिहार सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	454
(तीन) बम्बई हाई में ओ.एन.जी.सी. और रिलायंस कंपनी के साथ तेल अन्वेषण कर रही एनरॉन कंपनी के कार्यकरण की जांच कराए जाने की आवश्यकता	
श्री बृजभूषण शरण सिंह	454
(चार) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों को एल.टी.सी. लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	455
(पांच) भारतीय इलाइची अनुसंधान संस्थान, डोनीगल, कर्नाटक का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	455

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(छः)	नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री टी. गोविन्दन	456
(सात)	बेहतर जल प्रबन्धन के लिए प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. वेणुगोपाल	457
(आठ)	मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ब्रह्मानन्द मंडल	458
(नौ)	तमिलनाडु के नमक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुर्गी पालकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	डा. वी. सरोजा	458
(दस)	धान के समर्थन मूल्य की घोषणा उचित समय पर किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भान सिंह भौरा	459
(ग्यारह)	मऊ जिले के देवरा में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	459
सरकारी विधेयक—*पारित*		
(एक)	**मानवा अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक**	460–485
विचार	करने के लिए प्रस्ताव	460
	श्री सीएच. विद्यासागर राव	460
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	461
	श्री चिन्मयानन्द स्वामी	467
	श्री जी. एम. बनातवाला	469
	श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी	472
	श्री पी.एच. पांडियन	473
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	475
	श्री मुलायम सिंह यादव	479
	खण्ड 2 और 1	484
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	485

विषय	कालम
(दो) पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक	485–498
विचार करने के लिए प्रस्ताव	485
श्री सीएच. विद्यासागर राव	485
श्री पवन कुमार बंसल	487
प्रो. रासा सिंह रावत	492
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	493
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	496
खण्ड 2 और 1	497
पारित करने के लिए प्रस्ताव	498
(तीन) वायुयान (संशोधन) विधेयक	498–546
विचार करने के लिए प्रस्ताव	498
प्रो. चमन लाल गुप्त	498
श्री राजो सिंह	499
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	503
श्री समीक लाहिड़ी	505
श्री रमेश चेन्नितला	507
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	512
श्री ई. अहमद	514
श्री राजीव प्रताव रूड़ी	517
शीर एम.वी.वी. एस मूर्ति	521
श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	523
श्री अरुण जेटली	530
खण्ड 2 और 1	544
पारित करने के लिए प्रस्ताव	544

लोक सभा

गुरुवार, 23 नवम्बर, 2000/2 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 61

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, कल भी कश्मीर में लोगों की हत्याएं हुई हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, आप जो भी बात उठाना चाहते हैं, आप प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): वहां बहुत से हिन्दू मारे जा रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह देश के लिए घातक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह प्रश्नकाल में नहीं अपितु शून्यकाल में कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते जी, आप प्रश्न काल में बाधा मत डालिए। यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वह शून्य कालमें उठाइये।

*...(व्यवधान)**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, यदि वे इस मामले पर काफी गंभीर हैं तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लें। यह एक राजनीतिक नाटक है।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: लाइव टेलीकास्ट बन्द करो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल में बाधा मत डालें। सभा में मामले उठाने का यह कोई तरीका नहीं है।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): जब निर्दोष हिन्दू और सिख मारे जा रहे हों, तो हम यह मुद्दा और कैसे उठाएं? यही एकमात्र ऐसा मंच है जहां हम सरकार को बता सकते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.07 बजे

(तत्पश्चात् श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, कश्मीर में पांच सिखों को गोली मार दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: मान जी, आपको सभा में इस तरह अध्यक्षपीठ को प्रपत्र नहीं दिखाने चाहिए। यह एक गंभीर बात है, कृपया बैठ जाइए।

श्री सिमरनजीत सिंह मान: कश्मीर में पांच सिखों की हत्या कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह मुद्दा प्रश्न काल में नहीं उठा सकते। यदि आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो उसे शून्य काल में उठाइये। यदि प्रत्येक सदस्य इसी तरह सभा में बाधा डालता रहेगा तो अध्यक्षपीठ के लिए सभा पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन हो जाएगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का संसद् और विधान सभा के लिए निर्वाचन

*61. **श्री रामदास आठवले:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के निर्वाचन को रोकने हेतु पर्याप्त प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए गठित डी.एन. वोहरा समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(च) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गयी है?

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) भ्रष्ट और आपराधिक तत्वों को निर्वाचन के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने और निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकने के लिए विधि में पहले से ही अनेक उपबंध विद्यमान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर किसी व्यक्ति को निरर्हित करने के लिए उपबंध है। भारत निर्वाचन आयोग ने, जिसे निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के कार्य के लिए न्यस्त किया गया है, यह दृष्टिकोण अपनाया है कि तथ्य का मर्म यह है कि विधिक दृष्टि से किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक वह दोषी साबित नहीं कर दिया जाता। किन्तु जनसाधारण की दृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, संसद और राज्य विधान-मंडल शीर्षस्थ विधि निर्माता निकाय हैं और ये ऐसे व्यक्तियों से गठित होने चाहिए जिन्हें जनसाधारण में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है और उनके द्वारा उन्हें निष्ठावान व्यक्ति समझा जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को, जो गंभीर अपराधों से आरोपित है और न्यायालय का प्रथमदृष्ट्या समाधान हो गया है और अपने समक्ष रखे गए साक्ष्य का आकलन करने के पश्चात्-उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए है, निर्वाचन लड़ने की अनुज्ञा प्राप्त करके महत्वपूर्ण विधि निर्माता नहीं बनना चाहिए। 29 अप्रैल, 2000 को भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी। उनकी कार्यसूची में "राजनीति का अपराधीकरण" का एक मुद्दा भी सम्मिलित था। निर्वाचन आयोग के इन प्रस्तावों पर मतैक्य नहीं था कि (क) किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए और छह मास या इससे अधिक के लिए दंडादिष्ट किसी व्यक्ति को उस उपर अधिरोपित दंड की कुल अवधि सहित अतिरिक्त छह वर्ष की कुल अवधि तक निर्वाचन लड़ने से निरुद्ध करने के लिए उपबंध करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 में संशोधन करके विधि को सरल बनाया जाए और (ख) ऐसे किसी व्यक्ति को जो पांच वर्ष या इससे अधिक के लिए दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, उसका विचारण लंबित होते हुए भी, निरर्हित किया जाना चाहिए, परंतु यह तब जबकि सक्षम न्यायालय ने उसके आरोपों का संज्ञान लिया हो और उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए हों।

हाल ही में दिल्ली में उच्च न्यायालय ने 1999 की सिविल रिट याचिका सं. 7257 (ऐसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बनाम भारत संघ और अन्य) में तारीख 2 नवम्बर, 2000 के अपने निर्णय द्वारा निर्वाचन आयोग को यह निदेश दिया है कि संसद् और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचन में खड़े होने वाले अभ्यार्थियों और उन दलों से, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रत्येक के संबंध में मतदाताओं को निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं:-

(1) क्या अभ्यर्थी कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, यदि हां? तो उसका ब्यौरा;

(2) किसी अभ्यर्थी, उसके पति या उसकी पत्नी और आश्रित नातेदारों के कब्जे में की आस्तियां;

(3) सांसद या विधायक के रूप में कार्य करने के लिए अभ्यर्थी की क्षमता, सामर्थ्य और उपयुक्तता के संबंध में आंतरिक तथ्य जिसमें उसकी शैक्षिक अर्हता भी सम्मिलित है;

(4) संसद् या राज्य विधान-मंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यार्थी खड़ा करने वाले राजनैतिक दल की क्षमता और सामर्थ्य का निर्णय करने के लिए ऐसी जानकारी जो निर्वाचन आयोग आवश्यक समझे।

निर्वाचन आयोग का माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों पर, उपयुक्त समय पर चर्चा और और विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है। इस विषय पर भारत सरकार भी ध्यान दे रही है।

माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि उपर्युक्त निदेशों को कार्यान्वित और प्रभावी करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चार मास के भीतर मानदंड और कार्यपद्धतियां तैयार की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि निर्वचन आयोग उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन की दृष्टि से ऐसी आवश्यक और सुसंगत सूचना एकत्रित करने में, जिसे निर्वाचन आयोग ठीक और उचित समझे सहायता देने के लिए संबद्ध सरकार (सरकारों), या विभाग (विभागों) जैसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार (सरकारों), आसूचना ब्यूरो आदि को निदेश जारी कर सकेगा और उक्त प्राधिकारी उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्यबद्ध होंगे।

निर्वाचन आयोग का माननीय न्यायालय के निर्देशों पर, समुचित समय पर चर्चा करने और विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है। सरकार इसके विधिक और व्यावहारिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिका फाइल करने पर विचार कर रही है।

(ङ) और (च) ऐसे क्राइम सिंडिकेटों/माफिया संगठनों के क्रियाकलापों की बाबत उपलब्ध जानकारी का आकलन करने के लिए, जिन्होंने सरकारी कृत्यकारियों और राजनैतिक व्यक्तियों के साथ संबंध बढ़ाये थे और जिन्हें उनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, वोहरा समिति गठित की गई थी। उक्त समिति की रिपोर्ट में विधान-मंडलों के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है सरकार ने एक नोडल ग्रुप का गठन किया है जो उसे वोहरा समिति रिपोर्ट में चर्चित विषय के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करने को सुकर बनाती है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे देश के प्रतिनिधि भी उसी तरह मजबूत होने चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने को उसी तरह मजबूत होना चाहिए। मगर लोक प्रतिनिधि के मजबूत होने का मतलब अपने देश का कोई प्रतिनिधि अपराधी नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो भी लोक प्रतिनिधि हैं, वे लोक प्रतिनिधि स्वच्छ कारोबार करने वाले, स्वच्छ राजनीति करने वाले होने चाहिए। हमारे देश में राजनीति का अपराधीकरण बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे कानून में, हमारे संविधान में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा आठ में अब संशोधन करने की अवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण दे रहे हैं या सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं। आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री रामदास आठवले: 29 अप्रैल को इलैक्शन कमीशन ने सभी राजनैतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें भी इस बारे में चर्चा हुई थी। वह चर्चा क्या हुई है, यह भी हमारा एक सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट दो नवम्बर, 2000 को आया है। हमार मिनिस्टर लॉ के अच्छी तरह से जानने वाले हैं। उनसे हमारा निवेदन है कि अपराधीकरण को रोकने के लिए इस सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो भी लोक प्रतिनिधि हैं, हमारे देश में लोक सभा और विधान सभा के प्रतिनिधि हैं, वे अपराधी नहीं होने चाहिए। सरकार के जो पास क्या कोई ऐसी रिपोर्ट है जिससे यह पता लग सके कि कितने अपराधी हैं, इसके बारे में भी मंत्री महोदय जानकारी दें?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा के तहत जिन लोगों को किसी कानून के तहत सजा होती है वे चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा प्रावधान है। इस सम्बन्ध में 29 अप्रैल, 2000 के चुनाव आयोग ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल थे। उस बैठक में यह प्रस्ताव था कि जिस किसी को छः महीने से अधिक की सजा हो, उसको चुनाव

लड़ने से वंचित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और अदालत काग्नीजेंस लेकर चार्ज फ्रेम करती है तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था। बाकी के क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का यह विचार था कि केवल मुकदमा चल रहा है, इसके बिना पर उसको चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए उस बैठक में इस संबंध में एक विचार नहीं हो पाया। इस विषय पर चुनाव आयोग में चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं हो पाई। 2 नवम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी डाली जाती है कि चार महीने के अंदर वह ऐसी योजना बनाए, जिससे चुनाव के पूर्व कोई व्यक्ति किस मुकदमे में अक्यूस्ड है और यह जानकारी चुनाव से पूर्व मतदाताओं को दी जाए। उस व्यक्ति की असेट्स कितनी हैं, इसकी भी जानकारी चुनाव से पूर्व मतदाताओं की दी जाए। उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, सूटेबिलिटी और एबिलिटी एज लेजिस्लेटर क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इस प्रकार की जानकारी भी दी जाए। चुनाव आयोग इस सम्बन्ध में राजनीतिक दलों से विचार करेगा कि आगे इसको चुनौती दी जाए। या इस पर अमल किया जाए। इस सम्बन्ध में वह अपना विचार बनाने में लगा हुआ है।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बताया वह ठीक है। हमारे देश में ऐसे क्रिमिनल लोग हैं, जैसे मुम्बई में गैंगवार चलती है, दाऊद भी है और छोटा राजन भी है। अगर वे भी चुनाव लड़ना चाहें तो क्या आप उनको अनुमति देंगे? इसलिए इस कानून में और सुधार करने की आवश्यकता है। 1951 के एक्ट की धारा आठ में संशोधन करने की आवश्यकता है। उसके बारे में सरकार कुछ विचार करने वाली है या नहीं?

श्री अरुण जेटली: जैसा मैंने बताया कि इस प्रकार का प्रतिबंध लग सकता है, यह स्थिति है। इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके लिए पहले राजनीतिक दलों में आम राय बनाना आवश्यक है, जो अभी नहीं बन पाई है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत लंबा उत्तर दिया है। वास्तव में, एक मुख्य मंत्री ने उस समय एक अपराध किया जब वे मुख्य मंत्री नहीं थे और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उन पर मुकदमा चलाना चाहता था लेकिन तब तक वह मुख्य मंत्री बन गये। अब राज्यपाल ने कुछ ऐसे कारणों, जो केवल वे ही जानते हैं, से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। ऐसे मामलों में कानून की क्या स्थिति है? हम कहते कुछ और हैं तथा करते कुछ और हैं? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को संरक्षण क्यों दिया जाये जिसने अपराध किया हो और प्रथम दृष्ट्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उस पर मुकदमा चलाना चाहता हो। उसे इस कारण से शरण क्यों दी जाये कि वह एक मुख्य मंत्री है?

क्या माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे।

श्री अरुण जेटली: महोदय, कतिपय श्रेणी के लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने से पहले मंजूरी आवश्यक होती है और इसलिए मंजूरी का प्रश्न भी कानून के उपयुक्त प्रावधानों के अंतर्गत आता है। क्या मंजूरी का दिया जाना उचित था अथवा इसे मना किया जाना उचित था, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न्यायिक पुनरीक्षा भी उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, वोहरा कमेटी ने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिज्ञों की, माफिया की और वहां के अधिकारियों की मिली-भगत से, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या इस सम्बन्ध में सरकार वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, वोहरा कमेटी की जो रिकमेंडशंस आई थीं, उसके बाद सरकार के अंदर एक नोडल ग्रुप कांस्टीट्यूट किया गया है जो समय-समय पर मिलता है और जिस प्रकार की सूचनाएं व्यक्तियों के संबंध में और गुटों के संबंध में आती हैं, उन सूचनाओं को विभिन्न एजेंसियों के साथ शेयर किया जाता है ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी उन कतिपय मंत्रियों को पदत्याग करने का निदेश देने के संबंध में एक नया और उत्कृष्ट उदाहरण पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं जो आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं और न्यायालय में आरोपी हैं। जैसाकि सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल में तीन ऐसे मंत्री हैं जो बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में आरोपी हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस उत्कृष्ट उदाहरण का इन तीन मंत्रियों के मामले में भी अनुसरण किया जाएगा। जैसाकि भाजपा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था।

श्री अरुण जेटली: महोदय, यद्यपि मुख्य प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये किसी भी प्रश्न से संबंधित नहीं है, तथापि जहां तक विद्यमान कानून का संबंध है, मैं स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं और यह पूर्णत: स्पष्ट है। धारा 8 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि दोषसिद्धि के बाद ही व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। जहां तक देश के कानून का संबंध हैं, स्थिति यह है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आपने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वह यह जानना चाहते थे कि क्या उन तीन आरोपी मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जायेगा अथवा नहीं...*(व्यवधान)* उन तीन मंत्रियों के बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि अनुपूरक प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, तथापि मंत्री जी ने उत्तर दिया है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया क्यों नहीं जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है आप प्रश्न पूछ रहे हैं और सभा की कार्यवाही में पुन: बाधा डाल रहे हैं क्या प्रश्नकाल में ऐसे किया जाता है? हालांकि अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी उन्होंने उसका उत्तर दिया है। आपने प्रश्न पूछा है और आप फिर सभा में विघ्न डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बुसदेव आचार्य, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया मेरी बात समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप प्रश्न काल में शोर-शराबा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

मुझे आपकी एडवाइज नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सोमैया जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी, आपको सभा में सलाह देनी चाहिए। न कि बाधा डालनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात को समझें। ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप प्रश्नकाल जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: जी हां, मैं प्रश्नकाल जारी रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: फिर, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के भाषण को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। आप हमेशा सभा में विघ्न डालते हैं। आठवले जी, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, आप हमेशा सभा में विघ्न डालते हैं। आप प्रक्रिया नहीं जानते और आप प्रक्रिया जाने बिना ऐसा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आठवले जी, सभा में आपका व्यवहार उचित नहीं है। कृपया इस बात को समझें। आप हमेशा सभा में विघ्न डालते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, वोहरा कमेटी ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिज्ञ, आफिसर और क्रिमिनल्स, तीनों की सांठगांठ है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। दूसरी बात, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में बातें आगे चलीं गई हैं। साक्षात घोषित क्रिमिनल्स, अपराधी लोग जीतकर एमएलए और एमपी हो जाते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि वोहरा कमेटी की रिपोर्ट और हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है, इन पर सरकार अगर चुप हो जाती है तो कोर्ट को कनेठी देनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण रुके और किसी भी हालत में अपराधी चुनाव में भाग लेकर जीत न सकें, इसके लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?*...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: ये तीन सवाल जरा लालू जी से भी पूछ लीजिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछा है, वह** को समझ नहीं आएगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, उनसे क्षमा मांगी जानी चाहिए। आपकी उपस्थिति में** शब्द का उपयोग कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: महोदय, ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है कृपया अब बैठ जाइये। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जा सकता है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं' मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट सन् 1993 में आई थी। उसके कुछ समय पश्चात् तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने एक नोडल ग्रुप गठित किया था। जब विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसका कम्पोजीशन कुछ बदल गया है। नोडल ग्रुप उस कमेटी की रिपोर्ट के तहत रैग्युलरली मिलता है और एजेंसीज को जो सूचनायें मिलती हैं, वह शेयर करता है तथा जो उचित कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही करता है। इसलिए यह कहना कि सरकार ने 1993 की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है, यह कहना ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर हो गया है। विधि मंत्री ने स्वयं तीन आरोपित केन्द्रीय मंत्रियों का सार्वजनिक रूप से बचाव किया है। वे कहते हैं कि उनके विरुद्ध बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले मनगढंत हैं।

इससे न्यायपालिका पर असर पड़ता है इससे ऐसी बातों को बढ़ावा मिलता है और गलत उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं। अत: मैं विधि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आरोपित मंत्रियों, जिनमें से एक गृह मंत्री हैं, का बचाव करती रहेगी। गृह मंत्री स्वयं मुकदमा लड़ रहे हैं, स्थिति ऐसी है। क्या विधि मंत्री न्यायपालिका पर दबाव डालकर उसमें दखल नहीं दे रहे हैं और क्या वे इस तरह के सार्वजनिक वक्तव्य देकर कि इन तीन मंत्रियों

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

के विरुद्ध दायर मामले मनगढ़ंत हैं। गलत मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* मैं, इस संबंध में सरकार की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न, प्रश्न कम और वक्तव्य अधिक है, मैं इसे स्पष्ट कर दूं। किसी भी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में मुकदमा न्यायालय में चलता है। जब कुछ सदस्यों द्वारा त्याग-पत्र की मांग की जाती है तो अन्य सदस्यों को इस पर प्रतिक्रिया करने का भी अधिकार है...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला: आप कहते हैं कि मामले मनगढ़ंत इससे न्यायपालिका पर प्रभाव पड़ रहा है...*(व्यवधान)* प्रेस में तथा टेलीविजन में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जी.एम. बनातवाला, मंत्री जी को उत्तर पूरा कर लेने दीजिए, यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदय, ये यह नहीं कह सकते हैं कि इन्हें त्यागपत्र की मांग करने का अधिकार है और हमें बचाव करने का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली: चूंकि उन्होंने कहा है कि दोहरे मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रश्न चुनाव आयोग के समक्ष अप्रैल की बैठक में उठाया गया था बैठक के कार्यवाही सारांश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाजपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल सेक्यूलर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के., तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस तथा अनेक अन्य पार्टियां आयोग के दूसरे प्रस्ताव से सहमत नहीं थी क्योंकि उनका विचार था कि कोई भी मामले में फंस सकता है और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया जा सकता है उनके विचार से किसी को भी अयोग्य ठहराए जाने से पूर्व उसको अपराधी सिद्ध किया जाना आवश्यक है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: तो दूसरे मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा गया?...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: चूंकि आपने यह प्रश्न पूछा है इसलिए हैं इसका उत्तर दूंगा । ऐसे मामले हैं जो विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत संभव हैं आपतकाल के दौरान आपकी पार्टी के सदस्यों सहित हममें से प्रत्येक पर मुकदमें दायर थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: आपके विरुद्ध आंदोलनकारी होने और मजदूर संघ में शामिल होने जैसे मामले दर्ज हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप तुलना कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न सं. 63 पर विचार करेंगे। यदि सदस्य सहमत हों तो हम प्रश्न सं. 63 और 66 को एक साथ जोड़ सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

कच्चे तेल का उत्पादन/आयात और इन पर मूल्य-वृद्धि का प्रभाव

***63. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000 में आज की तारीख तक देश में कच्चे तेल के उत्पादन और देश की मांग पूरी करने के लिए आयातित मात्रा का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) आयातित कच्चे तेल का मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) तेल की खोज के कार्य के लिए विभिन्न दौर की बोलियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है;

(च) चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि होने से हमारे आयात बिल पर क्या प्रभाव पड़ा है;

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(छ) चालू वर्ष के दौरान तेल पूल खाते के घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ज) तेल पूल खाते के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ज) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (सितम्बर तक) देश में कच्चे तेल का उत्पादन और आयातित मात्रा नीचे दी गई है:-

मात्रा: मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी)

अवधि	एम एम टी में स्वदेशी उत्पादन	कच्चे तेल के आयात (संयुक्त उद्यम और निजी रिफाइनरियों द्वारा आयात सहित)	
		मात्रा एम एम टी में	मूल्य करोड़ रुपये में
1997-98	33.85	34.49	15,872
1998-99	32.72	39.81	14,917
1999-2000	31.95	57.81	40,028
2000-2001 (अप्रैल से सितम्बर)	16.18	38.72	34,531

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले छह महीने के दौरान स्वदेशी कच्चे तेल का वास्तविक उत्पादन 16.08 एम एम टी के लक्ष्य के मुकाबले 16.18 एम एम टी रहा है।

(ङ) नियमित आधार पर निजी कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करता रहा है और अब तक बोली के सात दौर आयोजित किए जा चुके हैं। 1991 के बाद से विभिन्न बोली दौरों की स्थिति निम्नानुसार है:-

दौर	प्रस्तावित ब्लाक	निम्न ब्लाकों के लिए बोलियां प्राप्त हुई	प्रदान किए गए ब्लाक
1	2	3	4
सितम्बर, 1991	72	13	5
जनवरी, 1993	45	10	6
अगस्त, 1993	46	12	5
जनवरी, 1994	45	10	7
जुलाई, 1994	34	18	7
मार्च, 1995	28	7	5
जनवरी, 1999 (एन ई एल पी)	48	27	25

(च) फरवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 के बीच तीन से अधिक बार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयात बिल वर्ष 1999-2000 के दौरान 53,515 करोड़ रु. के आयात बिल के मुकाबले 80,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

(छ) और (ज) 31 मार्च, 2000 तक तेल पूल घाटा 6,300 करोड़ रुपए था। नियंत्रित उत्पादों के 30 सितम्बर, 2000 से पहले के मूल्यों पर 31 मार्च, 2001 तक इसके 23,600 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान है। सरकार ने तेल पूल घाटे को सीमित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन ईंधन, मिट्टी के तेल जैसे नियंत्रित उत्पादों और घरेलू एल.पी.जी. के उपभोक्ता मूल्यों में उर्ध्वमुखी संशोधन किया है और कच्चे तेल तथा कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में कमी की है।

पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि

*66. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्रीमती भावनाबेन चेतनभाई चीखलीया:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्यों में भारी वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) संशोधित मूल्यों को निर्धारित करने का औचित्य क्या है;

(घ) इस मूल्य वृद्धि का किसानों और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या सरकार ने मूल्यों में इस वृद्धि के बारे में निर्णय लेने से पूर्व उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आदि को कम करने अथवा वापस लेने जैसे अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार बढ़े हुए मूल्यों को वापस लेने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), (ख) और (छ) पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण से संबंधित मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी के मूल्य 30 सितम्बर, 2000 के ऊर्ध्वगामी संशोधन किए गए थे। तद्नुसार सार्वजनिक वितरण से संबंधित मिट्टी तेल तथा घरेलू एल पी जी के मूल्यों में 22 नवम्बर, 2000 को अधोगामी संशोधन किए गए थे। ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

उत्पाद का नाम	बिक्रय इकाई	30.9.2000 के पूर्व भंडार स्थलीय मूल्य (रुपये प्रति बिक्रय इकाई)	30.9.2000 के पश्चात भंडार स्थलीय (रुपये प्रति बिक्रय इकाई)	22.11.2000 को मूल्यों में संशोधन के पश्चात भण्डार स्थलीय मूल्य (रुपये प्रति बिक्रय इकाई)
मिट्टी तेल (सा.वि.प्रा.)	लीटर	4.50	7.00	6.11
एल पी जी (घरेलू)	सिलेन्डर	154.00	185.00	176.46
डीजल	लीटर	9.63	11.93	11.93
पेट्रोल	लीटर	15.40	19.00	19.00
ए टी एफ	लीटर	12.76	14.76	14.76

उपर्युक्त मूल्य संशोधनों के बाद खुदरा बिक्री मूल्यों के राज्यवार ब्यौरे अनुबंध I से V में दिए गए हैं।

उपभोक्ता मूल्यों में उपर्युक्त संशोधन के पश्चात सरकार को विभिन्न पक्षों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मिट्टी के तेल के भण्डार स्थलीय मूल्य में 0.89 रुपये प्रति लीटर तक तथा घरेलू एल पी जी के संबंध में 8.54 रुपये प्रति सिलेन्डर तक कटौती कर दी है जो 21/22 नवम्बर, 2000 से प्रभावी है। यह सार्वजनिक वितरण से संबंधित मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य में प्रति लीटर लगभग 1 रुपये तक तथा घरेलू एल पी जी के संबंध में प्रति सिलेन्डर लगभग 10 रुपये तक की कटौती में परिणामित हुई है।

(ग) और (घ) फरवरी, 1999 से सितम्बर, 2000 तक के बीच अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में तीन गुना से अधिक भारी वृद्धि के कारण तेल पूल घाटा, जो वर्ष 1998-99 के अंत तक घटकर 3,408 करोड़ रुपये हो गया था, वह 31 मार्च, 2000 को बढ़कर 6,300 करोड़ रुपये हो गया था तथा 30 सितम्बर, 2000 के पूर्व मूल्यों पर 31 मार्च, 2001 तक इसमें 23,600 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो जायेगी। तेल पूल खाते में ऐसा उच्च स्तरीय घाटा सहनीय नहीं था क्योंकि इससे तेल कंपनियों की प्रवाहता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई होती जिससे या तो कच्चा तेल आयात करना अथवा इसे संसाधित करना एवं इन उत्पादों का विपणन करना अत्यधिक कठिन हो जाता। इससे मूल्यों में संशोधन की आवश्यकता हुई।

(ङ) और (च) जी, हां। उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के विचार से सरकार ने कच्चा तेल पर देय सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक तथा कुछ एक पेट्रोलियम उत्पादों पर देय सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है। 30 सितम्बर, 2000 से डीजल पर देय उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक तथा पेट्रोलियम पर देय उत्पाद शुल्क 32 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक कम किए गए थे। सीमा शुल्क के अंतर्गत की गई रियायतों की धनराशि 2,400 करोड़ रुपये तथा उत्पाद शुल्क के अंतर्गत की गई रियायतों की धनराशि 1,600 करोड़ रुपये होती है, जो कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपये होती है।

अनुबंध-I

पेट्रोल के अनुमानित खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये प्रति लीटर)

राज्य	शहर	30 सितम्बर, 2000 को किया गया संशोधन		
		संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात	वृद्धि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	28.87	31.69	2.82
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	25.87	28.29	2.42
असम	गुवाहाटी	26.33	29.27	2.94
बिहार	पटना	26.97	29.67	2.70
छत्तीसगढ़	रायपुर	27.29	30.00	2.71
दिल्ली	दिल्ली	26.07	28.44	2.37
गोवा	पणजी	27.51	29.76	2.25
गुजरात	अहमदाबाद	27.54	31.01	3.47
हरियाणा	चंडीगढ़	27.60	30.25	2.65
हिमाचल प्रदेश	शिमला	26.11	28.93	2.82
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	26.82	29.92	3.10
झारखंड	रांची	27.17	29.89	2.72
कर्नाटक	बंगलौर	29.74	31.98	2.24
केरल	त्रिवेन्द्रम	28.63	31.14	2.51
मध्य प्रदेश	भोपाल	27.28	29.99	2.71
महाराष्ट्र	मुंबई	28.92	31.27	2.35
मणिपुर	इम्फाल	25.87	28.29	2.42
मेघालय	शिलांग	25.96	28.39	2.43
मिजोरम	आइजोल	23.29	25.50	2.21
नागालैंड	कोहिमा	25.87	28.29	2.42
उड़ीसा	भुवनेश्वर	26.83	29.66	2.83
पांडिचेरी	पांडिचेरी	25.11	27.66	2.55
पंजाब	जालंधर	27.01	29.55	2.54
राजस्थान	जयपुर	27.18	29.72	2.54

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	चेन्नई	27.99	30.38	2.39
त्रिपुरा	अगरतला	26.03	28.43	2.40
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	26.09	28.97	2.88
उत्तरांचल	देहरादून	26.05	29.02	2.97
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	26.33	29.03	2.70

अनुबंध-II

डीजल के अनुमानित खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये प्रति लीटर)

राज्य	शहर	30 सितम्बर, 2000 को किया गया संशोधन		
		संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात	वृद्धि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	15.60	18.40	2.80
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	13.92	16.48	2.56
असम	गुवाहाटी	14.05	16.94	2.89
बिहार	पटना	14.94	17.79	2.85
छत्तीसगढ़	रायपुर	16.01	18.93	2.92
दिल्ली	दिल्ली	14.04	16.55	2.51
गोवा	पणजी	15.55	18.27	2.72
गुजरात	अहमदाबाद	15.50	19.13	3.63
हरियाणा	चंडीगढ़	13.87	16.39	2.52
हिमाचल प्रदेश	शिमला	13.97	16.63	2.66
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	15.10	17.86	2.76
झारखंड	रांची	15.19	18.03	2.84
कर्नाटक	बंगलौर	16.19	19.33	3.14
केरल	त्रिवेन्द्रम	16.13	19.00	2.87
मध्य प्रदेश	भोपाल	16.00	18.93	2.93
महाराष्ट्र	मुंबई	17.04	20.07	3.03

1	2	3	4	5
मणिपुर	इम्फाल	13.92	16.48	2.56
मेघालय	शिलांग	13.45	15.93	2.48
मिजोरम	आइजोल	13.06	15.47	2.41
नागालैंड	कोहिमा	13.92	16.48	2.56
उड़ीसा	भुवनेश्वर	15.44	18.39	2.95
पांडिचेरी	पांडिचेरी	14.59	17.33	2.74
पंजाब	जालंधर	14.02	16.56	2.54
राजस्थान	जयपुर	14.97	17.66	2.69
तमिलनाडु	चेन्नई	15.24	18.01	2.77
त्रिपुरा	अगरतला	13.13	15.54	2.41
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	15.19	18.19	3.00
उत्तरांचल	देहरादून	15.14	18.19	3.05
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	14.00	16.82	2.72

अनुबंध-III

सार्वजनिक वितरण से संबंधित मिट्टी तेल के अनुमानित खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये प्रति लीटर)

राज्य	शहर	30.9.2000 को किया गया संशोधन		22.11.2000 को किया गया संशोधन अनुमानित	निवल वृद्धि
		संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	6.00	9.00	7.88	1.88
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	5.99	9.02	7.94	1.95
असम	गुवाहाटी	5.47	8.30	7.29	1.82
बिहार	पटना	5.85	8.69	7.65	1.80
छत्तीसगढ़	रायपुर	6.10	8.90	-	-
	रायपुर	-	8.90*	7.92	1.82
दिल्ली	दिल्ली	5.54	8.35	7.35	1.81

1	2	3	4	5	6
गोवा	पणजी	5.50	8.35	7.37	1.87
गुजरात	अहमदाबाद	5.50	8.20	7.24	1.74
हरियाणा	चंडीगढ़	5.97	9.02	7.93	1.96
हिमाचल प्रदेश	शिमला	5.93	8.85	7.81	1.88
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	6.18	9.05	8.05	1.87
झारखंड	रांची	5.76	8.62	-	-
	रांची	-	8.70*	7.68	1.92
कर्नाटक	बंगलौर	6.00	8.80	7.80	1.80
केरल	त्रिवेन्द्रम	5.90	8.80	7.78	1.88
मध्य प्रदेश	भोपाल	6.02	8.78	7.80	1.78
महाराष्ट्र	मुंबई	5.69	8.54	7.52	1.83
मणिपुर	इम्फाल	5.93	8.74	7.74	1.81
मेघालय	शिलांग	6.32	9.05	8.07	1.75
मिजोरम	आइजोल	6.10	8.84	7.84	1.74
नागालैंड	कोहिमा	5.60	8.43	7.42	1.82
उड़ीसा	भुवनेश्वर	5.74	8.50	7.52	1.78
पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.64	8.45	7.45	1.81
पंजाब	जालंधर	6.50	9.98	8.79	1.29
राजस्थान	जयपुर	5.88	8.83	7.78	1.90
तमिलनाडु	चेन्नई	5.70	8.60	7.60	1.90
त्रिपुरा	अगरतला	6.03	8.86	7.85	1.82
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	5.95	8.95	7.90	1.95
उत्तरांचल	देहरादून	5.95	8.95	-	-
	देहरादून	-	8.95*	7.87	1.92
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	5.84	8.76	7.75	1.91

नोट:

(1) मिट्टी तेल के खुदरा बिक्री मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जाते हैं। उपर्युक्त खुदरा बिक्री मूल्य संकेतक हैं तथा राज्य सरकारों के द्वारा अभिपुष्टि की शर्त पर हैं।

*(2) छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल राज्यों के संबंध में, राज्य के बनने पर यह मूल्य ''संशोधन पश्चात'' कालम में दर्शाए गए हैं।

अनुबंध-IV

घरेलू एल पी जी के अनुमानित खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये प्रति लीटर)

राज्य	शहर	30.9.2000 को किया गया संशोधन		22.11.2000 को किया गया संशोधन अनुमानित	निवल वृद्धि
		संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	218.35	257.25	246.55	28.20
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	187.90	222.70	213.10	25.20
असम	गुवाहाटी	206.55	244.45	234.00	27.45
बिहार	पटना	207.05	244.35	234.10	27.05
छत्तीसगढ़	रायपुर	213.40	251.95	-	-
	रायपुर	-	250.90*	240.30	26.90
दिल्ली	दिल्ली	196.05	232.25	222.25	26.20
गोवा	पणजी	198.85	232.90	223.50	24.65
गुजरात	अहमदाबाद	227.45	267.00	256.10	28.65
हरियाणा	चंडीगढ़	207.70	245.65	235.20	27.50
हिमाचल प्रदेश	शिमला	194.55	230.70	220.75	26.20
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	208.20	245.90	235.50	27.30
झारखंड	रांची	210.95	248.30	-	-
	रांची	-	247.65*	237.35	26.40
कर्नाटक	बंगलौर	216.85	253.90	243.70	26.85
केरल	त्रिवेन्द्रम	216.05	253.60	243.25	27.20
मध्य प्रदेश	भोपाल	213.75	252.30	241.65	27.90
महाराष्ट्र	मुंबई	199.00	235.20	225.20	26.20
मणिपुर	इम्फाल	204.05	241.65	231.30	27.25
मेघालय	शिलांग	203.05	240.70	230.30	27.25
मिजोरम	आइजोल	207.35	245.65	235.05	27.70
नागालैंड	कोहिमा	210.85	249.85	239.10	28.25

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	भुवनेश्वर	214.20	252.15	241.70	27.50
पांडिचेरी	पांडिचेरी	185.00	218.85	209.55	24.55
पंजाब	जालंधर	204.35	241.75	231.45	27.10
राजस्थान	जयपुर	207.10	245.20	234.70	27.60
तमिलनाडु	चेन्नई	202.40	238.60	228.65	26.25
त्रिपुरा	अगरतला	203.05	240.55	230.45	27.20
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	205.45	242.30	232.15	26.70
उत्तरांचल	देहरादून	201.00	237.85	-	-
	देहरादून	-	234.60*	227.45	26.45
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	217.20	256.45	245.65	28.45

*नोट:छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तरांचल के नये राज्यों के संबंध में, राज्य के बनने पर यह मूल्य "संशोधन पश्चात" कालम में दर्शाए गए हैं।

अनुबंध-V

एटीएफ के संबंध में अनुमानित खुदरा बिक्री मूल्य

(रुपये प्रति लीटर)

राज्य	शहर	30.09.2000 को किया गया संशोधन		
		संशोधन पूर्व	संशोधन पश्चात	वृद्धि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद	19.5	23.4	3.9
असम	गुवाहाटी	17.7	21.4	3.7
बिहार	पटना	18.4	22.2	3.8
दिल्ली	दिल्ली	17.2	20.7	3.5
गोवा	पणजी	17.7	21.3	3.6
गुजरात	अहमदाबाद	19.5	23.4	3.9
हरियाणा	अम्बाला	17.5	20.9	3.9
हिमाचल प्रदेश	शिमला	17.7	21.1	3.4
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	16.6	19.9	3.3
कर्नाटक	बंगलौर	19.2	22.9	3.7

1	2	3	4	5
केरल	त्रिवेन्द्रम	20.1	24.0	3.9
मध्य प्रदेश	भोपाल	18.0	21.7	3.7
महाराष्ट्र	मुंबई	18.2	22.0	3.8
उड़ीसा	भुवनेश्वर	18.1	22.4	4.3
पंजाब	अमृतसर	16.2	19.3	3.1
राजस्थान	जयपुर	17.8	21.5	3.7
तमिलनाडु	चेन्नई	18.4	22.1	3.7
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	17.7	21.3	3.6
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	19.0	22.9	3.9

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मान लिया है कि आयल में डैफिसिट है और हम 70 प्रतिशत आयल देश में इम्पोर्ट कर रहे हैं। 1999-2000 में करीब, 53,500 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए और करन्ट साल में 80,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, आयल के लिए कोई अन्य क्षेत्र फाइन्ड-आउट किए हैं, अगर फाइन्ड-आउट किए हैं, तो उनमें कितना आयल निकला है, कृपया मंत्री महोदय इस बारे में विवरण दें?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में ही 1991 से 1999 तक कितने एक्सप्लोरेशन ब्लॉक दिए गए, वह दिया है, क्योंकि उसके बाद ही तेल मिलता है या नहीं, इसकी जानकारी होती है और फिर उत्पादन का काम शुरू होता है। देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि 1991 से 1995 तक केवल 35 ब्लॉक एक्सप्लोरेशन के लिए अवार्ड किए गए। 1996-97 और 1998 में तो ऐसा लगता है कि सरकार थी ही नहीं, लेकिन हमने इस बात को गंभीरता से विचार करके एक नयी एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी बनाई है। उसके तहत हमने 25 ब्लॉक केवल सात महीने में एवार्ड किए हैं। अगर तुलना करनी है तो सात साल में 35 ब्लाक्स और सात महीने में 25 ब्लाक्स दिए गए हैं। केवल गत सप्ताह में ही केजी बेसिन में ओएनजीसी को काफी गैस मिली है। उसके तहत और भी अच्छे काम भविष्य में होंगे। अब दूसरे नये एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग आफ ब्लाक्स के ऊपर हम निकाल रहे हैं और वे दिसम्बर के पहले निकलेंगे। उसमें हम लगभग 25 नये ब्लाक्स और निकाल रहे हैं और गहरे समुद्र में, जहां सागर के पानी की गहराई 500 मीटर से अधिक होती है, ऐसे हम आठ नये ब्लाक्स निकालेंगे। आठ समुद्र के किनारे पर निकालेंगे और नौ जमीन पर निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब काम अब जिस प्रकार से शुरू हुआ है, इस प्रकार से जैसे-जैसे गैस मिलती जाएगी वैसे-वैसे देश की विदेश पर निर्भरता में कमी होगी। इस दिशा में हम सक्रियता से प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, आप भी उसी क्षेत्र कृष्णा गोदावरी बेसिन से आते हैं। अब वहां जो नयी गैस मिली है, वहां सागर के पानी की गहराई 854 मीटर है और उसके नीचे 2534 मीटर, मतलब ढाई किलोमीटर नीचे जाकर बहुत अच्छी गैस मिली है। मैं तो ओएनजीसी को बधाई देना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि अपने इंजीनियर्स के बारे में सदन को भी गौरव महसूस होगा। यह एक नया इतिहास बन रहा है। इस प्रकार से हम देश में जो कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री ए. नरेन्द्र: महोदय, अभी हमें ऑयल टैक्सेस के कारण बहुत महंगा मिल रहा है, इसे सभी जानते हैं। इस महंगाई को कम करने के लिए, सेल्स टैक्स कम करने के लिए क्या राज्य सरकारों से कुछ बातचीत हुई है। अगर हुई है तो वह कौन से राज्यों से हुई है और उन राज्यों का जवाब क्या था?

श्री राम नाईक: महोदय, हमने सितम्बर महीने में सारे पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तीन गुना से अधिक दाम बढ़े थे। हमने जब मजबूरी में यहां दाम बढ़ाने का निर्णय किया तो सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखे। जैसे हमने दाम बढ़ाए, दाम बढ़ाते समय हमने अपने यहां की इम्पोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत से दस प्रतिशत कम कर दी

और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की और पेट्रोल पर 32 से 16 की। उसका उद्देश्य यह था कि कम से कम हम ग्राहकों पर थोड़ा बोझ कम हो जाए। कंसेशन के तहत लगभग चार हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार को देने पड़ेंगे, इसका मतलब वित्त मंत्रालय को घाटा हो जाएगा। उन्होंने इन टक्सेस को कम करने के लिए मान लिया। मैंने खुद केन्द्र सरकार की ओर से सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे, कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें जो ज्यादा प्राप्ति हो रही है, इनक्रिमेंटल डिफरेंस है, उसे वह कम से कम ग्राहकों पर न ले जाएं, इस प्रकार के पत्र उन्हें लिखे हैं।

मुझे यह बताने में खुशी हो रही है कि गोवा सरकार ने अपना सेल्स-टैक्स 15 दिन पहले 3 प्रतिशत कम करने का निर्णय किया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों के मुख्य मंत्रियों ने पत्र लिखकर बताया है कि उनकी वित्तीय स्थिति कठिन है, इसलिए इस पर जो ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको छोड़ने के लिए वे तैयार नहीं हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पत्र हमें नहीं मिले हैं और मैंने उन्हें इस बारे में दुबारा रिमाइंड कराया है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति ने काफी विचार-विमर्श के पश्चात् वित्तीय घाटे को पूरा करने हेतु तेल उद्योग विकास निधि का उपयोग करने की बजाय तेल क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने हेतु तेल उद्योग विकास निधि (ओ.आई.डी.) में 36,000 करोड़ रुपये की भारी निधि का उपयोग करके तेल पूल खाते को नियंत्रित करने की सर्वसम्मति से विशेष सिफारिश की थी? यदि हां, तो सरकार देश में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए ओ.आई.डी. निधि कब उपलब्ध, कराएगी?

दूसरी बात, सरकार पर तेल पूल खाते के 4500 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार इस खाते की इस भारी राशि का भुगतान कब तक करेगी।

श्री राम नाईक: वर्ष 1990 में 4500 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

श्री रूपचन्द पाल: सरकार एक सतत निकाय है।

श्री राम नाईक: मैं केवल इस बात की पुष्टि करवाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पास रिपोर्ट है। इस प्रकार जब कुछ मूल्य बढ़ाए गए तो 1990 में 4500 करोड़ रुपये जमाराशि के रूप में प्राप्त हुए। वास्तव में उस समय वह राशि दे दी जानी चाहिए थी और उसका उपयोग कुछ विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए था। तदनन्तर, अनेक सरकारें सत्ता में आई तथा अनेक वित्त और पेट्रोलियम मंत्री भी रहे लेकिन कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले पर वित्त मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। जब हमने सितम्बर में मूल्य वृद्धि करने का निर्णय लिया तो यह निर्णय लिया गया कि जब कभी भी अतिरिक्त विकास के लिए आवश्यकता होगी यह राशि पेट्रोलियम मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री रूपचन्द पाल: ओ.आई.डी. निधि के 36,000 करोड़ रुपये का क्या हुआ?

श्री राम नाईक: स्थायी समिति ने जो भी सिफारिशें की, उनकी जांच की जा रही हैं और हम की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि एच.एस.डी. देश में पेट्रोलिय उत्पादों की 55 प्रतिशत से अधिक खपत करता है और इस तथ्य को भी देखते हुए कि सरकार यह मान चुकी है कि हाल ही में हुई तीन चौथाई मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के कारण ही है तो क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य वृद्धि को पूरी तरह वापस लेने पर विचार कर रही है? क्या सरकार डीजल, मिट्टी के तेल, रसोई गैस और पेट्रोल की कीमतों में हाल में हुई वृद्धि को पूर्णत: वापस लेने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो सरकार बढ़ी हुई कीमतों को कब तक कम कर देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री राम नाईक: महोदय, उस दिन मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी, जिस दिन मैं बढ़े हुए सभी मूल्यों को फिर से घटा दूंगा। लेकिन मैं यह तभी कर सकता हूं जब तेल पूल खाते का घाटा पूरा हो जाएगा और जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो जाएंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री राम नाईक: महोदय, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो पिछले 18 माह में तीन गुना से अधिक बढ़े हैं-घटकर पहले जितने हो जाएंगे और जैसे ही तेल पूल खाते का घाटा पूरा हो जाएगा मैं निश्चित रूप से मूल्य कम कर दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन क्योंकि विश्व जो कि एक तरह से निष्ठुर विश्व है में ऐसा हो रहा है इसलिए मूल्य कम करना कठिन है। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण मूल्य बढाए तो हमने प्रति बैरल 30 अमरीकी डॉलर के अनुपात तथा डॉलर-रुपये के अनुपात को ध्यान में रखा था। एक डॉलर 46 रुपये के बराबर है।

पिछले डेढ़ महीने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य और बढ़ गए हैं। कल का मूल्य लगभग 32.89 डालर था। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ रहे हैं तो हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल: जब मूल्य प्रति बैरल 11 डालर तक आ गए थे तब आपने देश में तेल की कीमतें कम क्यों नहीं की?

श्री राम नाईक: यह बात सही है। मैं पिछली सरकारों की ओर से क्षमा मांगता हूं कि उन्होंने मूल्य कम नहीं किए।

श्री रूपचन्द पाल: आपकी सरकार भी थी।

श्री बसुदेव आचार्य: जब आपकी सरकार थी तब आपने मूल्य कम नहीं किए।

श्री राम नाईक: मैं इस तरह की चालों में दिलचस्पी नहीं रखता हूं। मैं इस मामले पर बहुत गंभीर हूं। इसलिए हम स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश रहे हैं। जब भी तेल पूल घाटा पूरा हो जाएगा, हम निश्चित रूप से मूल्य कम कर देंगे।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हिन्दुस्तान की आजादी का 53वां वर्ष चल रहा है। यदि कहीं भी किसी चीज के मूल्य बढ़ते हैं तो सामान्य लोगों, बिलो पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों और मध्यम वर्ग को ज्यादा कठिनाई होती है। मैं पूरे देश की महिलाओं की ओर से भारत सरकार को अभिनन्दन देना चाहती हूं कि उसने एल.पी.जी. के दाम दस रुपये कम किए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उसके दाम 40 रुपये बढ़ा कर 10 रुपये घटाए।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: मैं इन लोगों से कहना चाहती हू कि यदि वर्ष 1953 में अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में इसकी मूल्य वृद्धि नहीं होती तो यह वृद्धि करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चाहती थी कि राम नाईक जी इन 53 साल में पहले पैट्रोलियम मिनिस्टर होते तो यह वृद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूर्व सरकारों ने अच्छी तरह नियम कानून नहीं बनाए, इसलिए हमें यह भुगतना और बोझ सहन करना पड़ रहा है। कल नीतिश कुमार जी से अपने प्रश्न के "घ" भाग में इस मूल्य वृद्धि के बारे में प्रश्न किया था कि इससे किसानों और आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा है? मुझे उसका कल जवाब मिल गया। मुझे जानकारी मिली है कि नेपाल में इसके मूल्यों में वृद्धि होने के बाद थोड़े भाव घटे हैं। क्या आने वाले समय में सरकार इसके दाम कम करने के बारे में विचार कर रही है?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमने अभी एल.पी.जी. के मूल्य बढ़ाए थे, अब उसके दाम 10 रुपये कम किए हैं। इस समय देश में एल.पी.जी. के जो ग्राहक हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों तो बीच में इस प्रकार टिप्पणी करना एकदम उचित नहीं है। कृपया समझें। आप प्रश्न पूछ रह हैं। मंत्री जी की कही बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: इस समय देश में घरेलू एल.पी.जी. के ग्राहक पांच करोड़ पचास लाख परिवार हैं। इसके दाम 10 रुपये कम करने से इन परिवारों को राहत मिली है। मैं इस बात को निश्चित तौर पर मानता हूं कि इसके दाम 40 रुपये मजबूरी में बढ़ाए गए और 30 रुपये भी मजबूरी में किए गये हैं। हमने एक और नई बात की है और वह यह कि इस साल हमने एक करोड़ 27 लाख नए कनैक्शन दिए हैं जिससे उन लोगों को इसका लाभ होगा। माननीय सदस्या ने दूसरा प्रश्न किया कि नेपाल ने अभी कुछ परिवर्तन किए हैं। मैं पड़ोसी देशों में एल.पी.जी. के मूल्य और अपने यहां के मूल्य के बारे में बताना चाहता हूं कि उनके मुकाबले हमारे कितने कम मूल्य हैं। हमारे यहां एल.पी.जी. सिलैंडर के मूल्य कम करने के बाद 222 रुपये और नेपाल में कम करने के बाद 344 रुपये हैं। मतलब हम से वे 122 रुपये अधिक हैं। श्रीलंका में 297 रुपये हैं, मतलब हम से 74 रुपये अधिक हैं और बंगलादेश में 245 रुपये हैं, मतलब हमसे 22 रुपये ज्यादा हैं।

पाकिस्तान में 253 रुपये है जो हमसे 31 रुपये अधिक हैं। ये चारों देश हमारे देश से गरीब हैं, हमारी तुलना में अधिक अविकसित हैं, फिर भी वहां के लोगों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। इसलिए इस मामले में हम सब को समझना चाहिए कि पड़ोसी देशों की तुलना में किरोसिन आयल के मामले में हमारी स्थिति कम तकलीफदेह है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, आपके माध्यम से मैं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर विचार न करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों तथा किरोसीन और एल.पी.जी. के मूल्यों को घटाने की मांग पर विचार करने के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कुमारी ममता बनर्जी के दबाव को स्वीकार किया और यदि वे इसी प्रकार दबावों में आते रहे मुझे कम से कम यह प्रसन्नता तो होगी कि इससे लोगों को राहत मिलेगी? उन्हें अपने

मंत्रिमंडल का ध्यान रखने दीजिए। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में आंकड़ों के मायाजाल से बड़ी अच्छी तरह अपने दल और सरकार का बचाव करने का प्रयास किया है जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खोज के लिए 25 ब्लाकों की मंजूरी दी है। यह एक बहुत बढ़िया कार्य है जो कि पिछले सात वर्षों से नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे ब्लाक किन पार्टियों को मिले हैं। मंत्री महोदय, उसी तत्परता के साथ देशी कच्चे तेल के उत्पादन में कमी जैसाकि उन्होंने स्वयं कहा है, के कारणों के संबंध में उत्तर देने से क्यों बच रहे हैं।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 में आयात के अचानक बढ़कर 57.81 मिलियन मीट्रिक टन हो जाने के क्या कारण हैं। यह वर्ष 1997-98 और 1998-99 के रिकार्ड से भी अधिक हो गया है। क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ईराक पर लगे प्रतिबंध से पूरा तेल बाजार प्रभावित हो रहा है। ईराक से आने वाले तेल की भरपाई अभी नहीं हो सकी है जिससे अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य से संबंधित कुछ समस्यायें पैदा हो रहीं हैं। क्या मंत्री जी अपनी सरकार को इस बात के लिए एक बार राजी करेंगे कि ईराक पर लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाने के लिए अन्तरर्राष्ट्रीय राय बनाने का कार्य किया जाए जिससे जहां तक तेल का संबंध हैं अपने देश के हितो को साधा जा सके।

श्री राम नाईक: महोदय, पहले मैं अन्तिम प्रश्न का अन्तर देना चाहूंगा। जहां तक ईराक का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के कारण इसमें कठिनाइयां हैं। फिर भी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों में यह प्रावधान है कि खाद्य पदार्थों के बदले में तेल लिया जा सकता है इस उद्देश्य से हमने संयुक्त राष्ट्र से सम्पर्क किया है और यह कहा है कि हम इसके लिए इच्छुक हैं। हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी आशा है कि संयुक्त राष्ट्र इसकी अनुमति देगा। यदि यह अनुमति मिल जाती है तो इससे हमारा और संयुक्त राष्ट्र दोनों का फायदा होगा। हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और यह आशा करते हैं कि अगले लगभग 30 दिनों में इसका परिणाम मिल जाएगा।

दूसरी बात यह कि मैंने आंकड़ों का कोई मायाजाल नहीं बनाया है। मैं उनकी बधाई स्वीकार करता हूं और मैं समझता हूं कि बधाई बिल्कुल ठीक है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं सभा के सामने वास्तविक तथ्य रख रहा हूं। पहले हम तेल शोधन में आत्मनिर्भर नहीं थे। अब, इस वर्ष, हम तेल शोधन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अत: पेट्रोल, डीजल और अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद के आयात के बजाय हम कच्चे तेल का अधिक आयात कर रहे हैं ताकि पेट्रोल और डीजल के आयात को घटाया जा सके। मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि तेलशोधन की हमारी जो क्षमता पिछले वर्ष की 79 मिलियन मीट्रिक टन थी, बढ़कर 112 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। ऐसा होने से हम तेलशोधन के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं और यह सुखद स्थिति है कि अब हम पेट्रोल और डीजल का आयात नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत हमारे पास जो कुछ भी आवश्यकता से अधिक होता है हम उसको निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे अधिक कच्चा तेल आयात किया जा सका। हमारे तेल के उपभोग की मात्रा भी प्रति वर्ष 6 से 7 प्रतिशत बढ़ रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लेकिन देशी तेल का उत्पादन घटा है। इसके घटने के क्या कारण हैं?

श्री राम नाईक: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मार्च 1995 से दिसम्बर, 1998 के बीच एक भी ब्लॉक खोज के लिए नहीं दिया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं खोज के लिए ब्लाक देने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैं देशी तेल के उत्पादन के बारे में पूछ रहा हूं। पुरानी व्यवस्था में देशी तेल का उत्पादन ज्यादा होता था। लेकिन अब, जैसाकि उन्होंने स्वयं आंकड़ा दिया है, यह घट गया है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके कारण स्पष्ट करें।

श्री ए. सी. जोस: यह पूर्ववर्ती सरकार के कारण हुआ है।

श्री राम नाईक: मैं यही बता रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकारों ने नए ब्लाकों में तेल की खोज नहीं की।...*(व्यवधान)* जब पहली सरकार थी तो मुम्बई हाई में 20 प्रतिशत गैस जल जाती थी। अब हमने इसे 4 प्रतिशत पर ला दिया है। हम उत्पादन को बढ़ाने तथा हानि को कम करने के लिए सभी विधियों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे आपसे संरक्षण की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मुम्बई हाई से 33 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जबकि इनकी सरकार के समय में मात्र 31.95 मिलियन मीट्रिक टन तथा अब यह घटकर 16.18 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। वे सदैव पूर्ववर्ती सरकार के नाम की दलील क्यों देते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के समय अधिक उत्पादन हुआ। इनके समय कम उत्पादन क्यों हो रहा है। वे इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं नहीं, वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री राम नाईक: मुम्बई हाई देश की सोने की खान रहा है। इससे हमें तेल और गैस मिलती रही है। प्रत्येक आयलफील्ड का एक जीवनकाल होता है। गत छह या सात वर्षों से यह रिक्त होना शुरू हो गया था। मुम्बई हाई का उत्पादन कम होता रहा है।

हमने इसकी जांच कर ली है। हमने सलाहकार नियुक्त किए हैं। हमने उनका प्रतिवेदन भी पढ़ा है। हम अनेक विधियों से मुम्बई हाई के पुनर्गठन और सुधार के लिए 7,500 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं जिससे हमें मुम्बई हाई से अधिक कच्चा तेल और गैस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यही वह कार्य है जो कि हम कर रहे हैं, जो पहले नहीं किया गया।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की बात का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देशी उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है। वर्ष 1997-98 में यह 34 मिलियन मीट्रिक टन था। वर्ष 1998-99 में यह 33 मिलियन मीट्रिक टन रहा। वर्ष 1999-2000 में यह 32 मिलियन मीट्रिक टन था। इस वर्ष भी, छमाही के उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार हम 32 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करेंगे।

मंत्री महोदय के कथनानुसार, नए ब्लाक में खोज कार्य 1998 से शुरू किया गया था 1998 से 2001 तक के इन तीन वर्षों तक कोई परिणाम नहीं मिला है। इसका अर्थ है कि हम सही नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी खोज वहीं करनी चाहिए, जहां भी तेल हैं, लेकिन जहां तेल नहीं हैं हम खोज वहां कर रहे हैं। कृष्णा-गोदावरी नदी-घाटी में बहुत अधिक तेल है। लेकिन खोज सही दिशा में नहीं हो रही है।

श्री राम नाईक: इसकी खोज की जा रही है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अत:, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृष्णा-गोदावरी नदी घाटी में कितने ब्लॉक दिए गये हैं तथा इस वर्ष कितने दिए जा रहे हैं ताकि हम 50 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। हमारे पास 112 मिलियन मीट्रिक टन के तेल शोधन की क्षमता है। आज से 6 वर्ष पहले हम 33 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गए थे। हम इसी आंकड़े पर रुके हुए हैं। हम केवल तेल पूल खाते से अपना धन बर्बाद कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने सीमा-शुल्क और उत्पादन-शुल्क घटा दिया है तथा राज्य सरकारों से बिक्री-कर घटाने के लिए कह रहे हैं। इन कदमों से राज्य सरकारों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उत्पाद शुल्क घटाने से उन्हें राजस्व का घाटा होगा। उत्पाद शुल्क घटाने के बजाए उन्हें मूल्य घटाना चाहिए था। अत: मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्पष्ट करें। क्या 50 पैसे या एक रुपये के बजाए मूल्य वृद्धि का 50 प्रतिशत घटाए जाने की बात है। मूल्य वृद्धि का 50 प्रतिशत या जितने पर भी वे सहमत हुए हैं, का कम किया जाना एक अच्छी बात है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री राम नाईक: महोदय, मैंने कहा कि अप्रैल 2000 में 23 ठेकों के कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप किसान हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूं। किसी आयलफील्ड की खोज और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कड़ी चट्टानों में कुआं बनाने में एक साल लगता है। इस कार्य के लिए हमें भूमि के अंदर दो या तीन किलोमीटर की दूरी तक जाना पड़ता है। किसी क्षेत्र से वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन या चार वर्ष लगते हैं। ठेके अप्रैल 2000 में दिए गए हैं। निश्चय ही इसमें कुछ समय लगेगा।

अब मैं उन नए ब्लाकों पर आता हूं जो कि कार्य के लिए दिए जा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: किसे दिए जा रहे हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: हमें इससे मतलब नहीं है कि वे किसे दिए जा रहे हैं। आप कितने ब्लाक दे रहे हैं।

श्री राम नाईक: ठीक है। लेकिन उन्हें इससे मतलब है। वह उस पार्टी से संपर्क करना चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सभा भी तो उन भाग्यशाली लोगों के नाम जानें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया रहने दें। अनेक सदस्य अनेकों प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री राम नाईक: महोदय, प्रयोग के तौर पर हमने एन.ई.एम. पी. के दूसरे चक्र में 25 ब्लाकों के बारे में निर्णय ले लिया है। इनमें से आठ ब्लाक गहरे समुद्र जल में हैं, आठ ब्लाक छिछले समुद्र जल में है और नौ ब्लाक भूमि पर हैं। भूमि के नौ ब्लाकों में पिछले अनेक वर्षों में जमीन की खोज और उत्पादन का कार्य नहीं किया गया है—भूमि वाले ब्लाकों का निर्णय हो गया है। तटवर्ती और अपतटीय ब्लाकों के बारे में कार्य किया जा रहा है। लेकिन मैं भूमि वाले ब्लाकों के बारे में अपनी बात कहूंगा—क्योंकि अनेक सदस्यों की इसमें रुचि है। पश्चिम बंगाल और बंगाल पूर्णिया, गंगा घाटी, विन्ध्याना, राजस्थान, कैम्बे, (दो ब्लाक), महानदी, असम और इसी तरह हमने भूमि पर के नौ ब्लाकों का निर्णय ले लिया है। हमने गहरे समुद्र के आठ ब्लाकों और छिछले समुद्र के आठ ब्लाकों के बारे में भी तय कर लिया है।

श्री किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदय,

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 और 1998-99 में इंटरनैशनल मार्केट में क्रूड आयल के क्या प्राइसेस थे और क्या उसके कारण, क्रूड आयल के प्राइसेस डबल

होने के कारण इम्पोर्ट बिल ज्यादा हुआ है। मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि इराक के साथ एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां से कम रेट पर ऑयल मिलने वाला है?

श्री राम नाईक: सर, यह स्वाभाविक ही है, जब इराक के साथ बात कर रहे हैं, तो कम दाम पर तेल पाने के लिए ही कोशिश करेंगे। अभी चर्चा जारी है, जब चर्चा समाप्त हो जाएगी तभी मालूम हो सकेगा कि कितना मिलेगा और किस दाम पर मिलेगा। इसलिए इस बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।

माननीय सदस्य ने जिस बात की चार्च यहां पर की है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं उन्हें पूरे तथ्य दे दूंगा। गत फरवरी में 10.39 डॉलर कीमत थी।

[अनुवाद]

गत डेढ़ वर्ष से जो दाम चल रहे हैं वह पिछले दस वर्षों की अवधि में सबसे अधिक है। सितम्बर, के महीने में यह 10.39 डालर था। वर्षों से प्रत्येक माह दाम में बढोत्तरी होती रही है, मैं सदस्य महोदय को हर माह का ब्यौरा बताऊंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले: अध्यक्ष महोदय, गैस आपूर्ति में कमी के कारण महाराष्ट्र में एनरान कंपनी जो बिजली पैदा करती है वह कुल बिजली का आधा भाग ही पैदा कर रही है। यदि गैस की आपूर्ति उस कंपनी को पूरी तरह से कर दी जाए, तो वह पूरी बिजली पैदा कर सकती है जिससे महाराष्ट्र में बिजली का संकट समाप्त हो जाएगा। इस बारे में मैंने इससे पहले भी दो बार सवाल किया, लेकिन अभी तक उस कंपनी को गैस की आपूर्ति पूरी नहीं हो सकी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बिजली के संगठन को समाप्त करने के लिए एनरान बिजली कंपनी को गैस की पूरी आपूर्ति कब करेंगे और कैसे करेंगे?

श्री राम नाईक: अध्यक्ष जी, दो दिन पहले महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और माननीय शरद जी, एनरान कंपनी के अधिकारियों के साथ मुझसे मिले थे। हमने चर्चा की और उनको यह भी बता दिया है कि जब गैस ही कम आ रही है, तो अधिक गैस कहां से दें, लेकिन मोटे तौर पर यदि कुछ सुविधा कर सकते हैं, तो वह हम देख रहे हैं। ऐनरान का जो गैस प्लांट है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है वह केवल गैस पर चलता है। ऐसे समय में जिस प्रकार से फरनैस पर चलने वाले प्लांट होते हैं, उसको फरनैस के आधार पर चलाने का प्रयास करने की सलाह हमने दी है। हमने यह भी कहा है कि फरनैस के लिए जिस प्रकार से डीजल की आवश्यकता है और डीजल बढ़ी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। यदि बढ़ी हुई कीमत वे देने को तैयार हैं, तो हम उन्हें गैस दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक अच्छी बात और यह है कि बिजली बनाने के लिए नाफ्था का भी उपयोग किया जा सकता है। लोग नाफ्था आयात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यों ने सेल्स टैक्स लगाया हुआ है जिससे उसकी कीमत ज्यादा है। अगर राज्य नाफ्था को सेल्स टैक्स की सूची से निकाल दें, तो नाफ्था अपने देश में ही सस्ता हो सकता है। उसकी भी चर्चा हमने की है और महाराष्ट्र की यह जो समस्या है उसको भी हम सुलझाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. सी. थामस, कृपया अत्यन्त सटीक पूरक प्रश्न पूछें।

श्री पी.सी. थामस: कुछ पत्र-पत्रिकाओं में यह छपा है कि नारियल से डीजल पैदा किया जा सकता है। मेरा अनुमान है कि यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में आ गई होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह नारियल के विषय में अधिक ध्यान दे रहे हैं।

श्री पी.पी. थामस: यदि ऐसा है तो नारियल की खेती करने वालों का भी अच्छा समय आयेगा और भारत भी बर्बाद होने से बच जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत अधिक नारियल की खेती होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस पर ध्यान देगी और मलेशिया की तकनीक को अपनाएगी तथा भारत में इसका प्रयोग करेगी।

श्री राम नाईक: महोदय, मैंने इसे समाचार-पत्रों में पढ़ा है। जिस दिन मैंने इसको पढ़ा उसी दिन मैंने पैट्रोलियम अनुसंधान संगठन से इस पर ध्यान देने को तथा इसका पूरा विवरण प्राप्त करने को कह दिया था। यदि आवश्यक होगा तो हम एक अलग टीम मलेशिया भी भेजेंगे। एक बार पूरी जानकारी मिल जाने पर हम निश्चय ही वैकल्पिक संसाधन जुटाने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार, नारियल की खेती करने वालों को अच्छा मूल्य मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

द्विपक्षीय समझौतों में विलम्ब

*62. **डा. अशोक पटेल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विमानन क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को कार्यरूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या द्विपक्षीय समझौतों में विलम्ब होने के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत के लिए उड़ान भरने वाले विमानों में सीटें उपलब्ध न होने के कारण दूसरे देशों में उतरते हैं;

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया द्वारा अर्जित लाभ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है,

(घ) क्या सरकार द्विपक्षीय समझौतों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) पर्याप्त विमान सीट क्षमता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय विमान सेवाएं वार्ताएं एक सतत प्रक्रिया है। मांग और पूर्ति तथा कई सैक्टरों में अधिक लोड फैक्टर के बीच बढ़ते हुए अन्तर को देखते हुए पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कई वार्ताएं की गई जिसके परिणामस्वरूप बढ़ते हुए यातायात की मांग के साथ अतिरिक्त हकदारी का अनुपात रखा गया। तथापि भीड़ वाले सीजन में उपलब्ध क्षमता से यातायात अधिक हो जाता है। अतिरिक्त उड़ानों के प्रचालन द्वारा इस अतिरिक्त मांग को सामान्यत: विभिन्न पहलुओं के अधीन पूरा किया जाता है।

रक्षा कर्मियों के लंबित पड़े मामले

*64. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रक्षाकर्मियों के सेवा संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने अब इन मामलों के त्वरित निपटान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए नई व्यवस्था के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) महोदय, उच्चतम न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों में रक्षा कार्मिकों के लंबित पड़े कुल मामलों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:

	उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय	कुल
सेना	85	5898	5983
नौसेना	16	166	182
वायुसेना	12	691	703

(ख) और (ग) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए कोर्ट मार्शल के मामलों में किए गए आर्डरों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने तथा सशस्त्र सेना कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों में न्याय निर्णयन हेतु एक सांविधिक अधिकरण गठित करने का सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया है। इस संबंध में विधायी प्रस्ताव पर संबंधित विभागों/मंत्रालयों से परामर्श किया गया है। इन विभागों/मंत्रालयों ने कुछ अभिमत व्यक्त किए हैं जिनकी रक्षा मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

नए तीर्थ स्थलों की घोषणा

*65. **श्री पी.सी. थॉमस;**
डा. वी. सरोजा:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पर्यटन विकास की दृष्टि से नए तीर्थ स्थलों की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके लिए विकास की क्या योजनाएं तैयार की जा रही है;

(ग) केरल में सबरीमाला, इरुमेली, गुरुवायूर, भरनआंगानम, वरकला, कांजीरामत्तम, परुमाला, मन्जानीक्करा और मलायात्तूर की तीर्थ स्थल के रूप में क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार ने इन तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक तीर्थ स्थल पर कुल कितने तीर्थ यात्री आए?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीर्थ केन्द्रों सहित पर्यटन अवसंरचना का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य सरकार/संघ राज्य (प्रशासन) के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक वर्ष, प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इनमें से कुछ तीर्थ केन्द्रों में स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
(1)	1988-89	वरकला में पर्यटक रिजार्ट	90.00 रु.
(2)	1992-93	गुरुवायुर में पर्यटक गृह	49.00 रु.
(3)	1994-95	मलयात्तूर में यात्री निवास	34.56 रु.
(4)	1998-99	सबरीमाला में तीर्थ सुविधा केन्द्र का निर्माण अर्थात् शयनागार कमरों, भोजन कक्ष आदि का निर्माण	104.89 रु.

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, केरल सरकार ने सूचित किया है कि कोझीकोड स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान, गुरुवायूर पर, अध्ययन कर रहा है।

(च) स्थान-वार पर्यटक आगमन के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में अनुमानित पर्यटक यातायात नीचे दिया गया है:—

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
1997	4953401	182427
1998	4481714	189941
1999	5063143	194175

कंपनी विधि बोर्ड

***67. श्री अनंत गंगाराम गीते:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं और उन पर विचार किया जाता है;

(ख) क्या कम्पनी विधि बोर्ड की सभी शाखाएं कम्प्यूटरीकृत हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी विधि बोर्ड की विभिन्न शाखाओं में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और कितनी शिकायतें लम्बित पड़ी हैं;

(घ) क्या कंपनी कार्य विभाग छोटे निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी विधि बोर्ड की वर्तमान क्षमता से संतुष्ट है;

(ङ) यदि हां, तो कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों को चूककर्ता कंपनियों द्वारा लागू न किए जाने के मामले में कंपनी विधि बोर्ड की अनुवर्ती कार्यवाही प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार छोटे शहरों अथवा गांवों के छोटे निवेशकों द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के पास पहुंचने में आने वाली कठिनाईयों से अवगत है; और

(छ) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) कंपनी विधि बोर्ड कंपनियों के जमाकर्ताओं से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क (9) तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क्यूए के अन्तर्गत उनकी जमाराशियों के गैर-भुगतान के लिए आवेदन/शिकायतें प्राप्त कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9) व भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा

45क्यूए के अन्तर्गत प्राप्त, निपटान किए गए तथा लम्बित शिकायतों/आवेदनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	प्रारंभ का शेष	आवतियां	कुल	निपटान किया	लम्बित
1997-98	1504	26718	28222	15437	12785
1998-99	12785	52368	65153	47319	17834
1999-2000	17834	58727	76561	63013	13548

(घ) से (छ) जमाकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जब कभी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 क्यू ए या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9) के अन्तर्गत कंपनी विधि बोर्ड द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं, आदेशों की प्रतियां क्रमश: भारतीय रिजर्व बैंक तथा कम्पनी रजिस्ट्रार को भेजी जाती हैं। कम्पनी के द्वारा आदेश की गैर-अनुपालना के मामले में क्रमश: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 58ई के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा अभियोजन दायर किया जाना होता है। लघु निवेशकर्ताओं की जमाराशियों से संबंधित मशीनरी को मजबूत बनाने के लिए कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक,1999 में विभिन्न कार्रवाईयों का प्रस्ताव है, जिनमें से कुछ कंपनी विधि बोर्ड को मजबूत बनाने से भी संबंधित है।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा "टूर पैकेज"

*68. **श्री रामपाल सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न तीर्थ स्थानों विशेषकर वैष्णों देवी के लिए "रेलवे पैकेज टूर" आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त "पैकेज टूरों" को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) जी हां। वैष्णों देवी पैकेज टूर 2 नवम्बर 2000 से शुरू किए जा चुके हैं, तीर्थ यात्री पर्यटकों को ऐसे व्यापक टूर पैकेज दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत यात्री नई दिल्ली से जम्मू तक और जम्मू से नई दिली तक ए सी 3-टियर में रेल यात्रा कर सकते हैं इस पैकेज में तीर्थ यात्रा के दौरान आवास और भोजन के साथ-साथ जम्मू और कटरा के बीच सड़क परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

रक्षा विमानों की दुर्घटनाएं

*69. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छ: माह के दौरान भारतीय वायुसेना के दुर्घटनाग्रस्त विमानों का तिथिवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है और दुर्घटनाओं के अलग-अलग क्या कारण थे और ये विमान किस प्रकार के थे;

(ख) मारे गए चालक दल के सदस्यों और नागरिकों का दुर्घटनावार ब्यौरा क्या है और उनके परिजनों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;

(ग) विमानों और अन्य सम्पत्तियों को हुए नुकसान के कारण दुर्घटना-वार कितनी क्षति हुई;

(घ) की गई प्रत्येक जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई;

(ङ) सितम्बर, 1997 में लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सिफारिश का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक सिफारिश पर अलग-अलग क्या कार्रवाई की गई; और

(च) भारतीय वायु सेना में उन्नत जेट ट्रेनर (ए जे टी) शामिल करने का मामला इस समय किस चरण में हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) विगत छह माह के दौरान मई से अतूबर, 2000 के बीच भारतीय वायु सेना के दुर्घटनाग्रस्त विमानों के तारीख-वार, स्थान-वार, कारण-वार वायुयान-वार और उनमें मारे गए कर्मी-दल के सदस्यों और सिविलियनों के ब्यौरे, उन्हें अदा की गई मुआवजे की राशि तथा सैन्य संपत्तियों और अन्य संपत्तियों के नुकसान की मात्रा के दुर्घटना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रत्येक दुर्घटना के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के वास्ते जांच अदालत बिठाई जाती है। दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। जोकि एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में लड़ाकू विमान दुर्घटनाओं

पर उच्चाधिकारी प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 1997 में प्रस्तुत की। दुर्घटना-दर को न्यूनतम करने के लिए इसने कुछ सिफारिशें की । इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में संगठनात्मक संरचना, कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी आदि में परिवर्तन करना शामिल है। अब तक 84 सिफारिशों में से 55 सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं। तथापि, प्रत्येक सिफारिश तथा उस पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं होगा।

(च) उन्नत जेट प्रशिक्षक (ए जे टी) को शामिल किए जाने के लिए विक्रेता के साथ वाणिज्यिक बातचीत की जा रही है।

विवरण

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	वायुयानों की किस्म	कारण	मारे गए पायलट	मारे गए नागरिक	नागरिकों की संपत्ति का दिया गया मुआवजा	सेना की संपत्ति का हुआ नुकसान (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	06 मई	अम्बाला वायुसेना	मिग-21	मानवीय चूक (वायुकर्मी)	-	-	शून्य	4.40 करोड़ रुपए
2.	10 मई	हलवाड़ा वायुसेना से 4 कि.मी.	मिग-23	-वही-	-	-	52,000/-रुपये	4.40 करोड़ रु.
3.	17 मई	बारा-ला-चाला दर्रा	चीता	-वही-	-	-	-	4.48 करोड़ रु.
4.	17 मई	बारा-ला-चाला दर्रा	चीता	-वही- विंग कमांडर चन्द्र सिंह	01	-	-	4.48 करोड़ रु.
5.	23 मई	उत्तरलाई वायुसेना से 20 किमी	मिग-21	-वही- (उड़ान अफसर ए. जेतली)	01	-	शून्य	1.70 करोड़ रु.
6.	23 मई	बिदर	किरण	तकनीकी खराबी	-	-	शून्य	1.12 करोड़ रु.
7.	12 जून	कलाइकुंडा वायुसेना के समीप दूधकुंडी रेंज	मिग-27	तकनीकी खराबी	-	-	शून्य	16.18 करोड़ रु.
8.	4 जुलाई	लेह	चीता	तकनीकी खराबी (फ्लाइंग लेफ्टि. कागरी और फ्लाइंग अफसर पुरणिक)	02	-	शून्य	4.70 करोड़ रु.
9.	13 जुलाई	कलाईकुंडा वायुसेना से 5 किमी.	मिग-21	-वही- (विंग कमांडर मुरगै और स्क्वा. लीडर श्रीवास्तव)	02	-	शून्य	1.43 करोड़ रु.
10.	05 अगस्त	पालम वायुसेना	मिग-21	पक्षी टकराना (फ्ला. लेफ्टि. शुक्ला)	01	-	शून्य	3.42 करोड़ रु.
11.	27 सितम्बर	मनाली	चीता	मानवीय चूक (वायुकर्मी)	-	-	जांच अदालत की कार्रवाई जारी है।	निर्धारित किया जाना है।
12.	3 अक्तूबर	बेस कैंप	चीता	तकनीकी खराबी (फ्लाइंग लेफ्टि. कृष्णमूर्ति)	01	-	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	13 अक्तूबर	वायुसेना स्टेशन एन ए एल से 54 कि.मी.	मिग-21	मानवीय चूक (वायुकर्मी)	01 (स्क्वा. लीडर एम. कुमार)	01	जांच अदालत की कारवाई जारी है	निर्धारित किया जाना है।
14.	16 अक्तूबर	तेजपुर स्थानीय उड़ान क्षेत्र	मिग-21	मानवीय चूक (वायुकर्मी)	01 फ्लाइंग अफसर, जे. सिंह)	-	-वही-	-वही-
15.	16 अक्तूबर	हेंकर	एम आई-17	मानवीय चूक (वायुकर्मी)	-	-	-वही-	-वही-
16.	6 नवंबर	पठान कोट ए एफ	मिग -21	जांच की जा रही है	-	-	-वही-	-वही-
17.	12 नवंबर	क्रीक नालिया का उत्तर	एम आई-8	जांच की जा रही हैं	01+01 फ्लाइट इंजीनियर (सी एल ए शर्मा एवं एस एल पठान)	-	-वही-	-वही-
18.	15 नवंबर	हासीमारा	मिग-27	तकनीकी दोष	-	-	-वही-	-वही-

विद्यमान सेवा नियमों के अनुसार कर्मीदल सदस्यों को हर्जाने की अदायगी की जाती है।
ऊपर दिए गए नुकसान की अनुमानित लागत "अनंतिम नुकसान विवरण" के अनुसार दी गई है। बाद में नुकसान की वास्तविक लागत का हिसाब अनुरक्षण निदेशालय द्वारा लगाया जाएगा। जिन दुर्घटनाओं की जांच अदालत का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है उनके नुकसान की अनंतिम लागत का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ढांचा और उसका कार्यकरण

***70. श्री साहिब सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ढांचा क्या है और उसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बढ़े हुए लाभ, विमान यातायात प्रणाली के आधुनिकीकरण, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता स्थिति हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन गुवाहाटी, इम्फाल, अगरतल्ला, जम्मू, गया, लखनऊ, जयपुर आदि सहित देश के पूर्वोत्तर भागों में स्थित हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने, उपग्रह आधारित संचार प्रणाली विमान संचालन निगरानी और आधुनिक विमान यातायात प्रणाली के संबंध में उनके कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, नागर विमानन महानिदेशक या न्यूनतम नागर विमानन उप महानिदेशक के रैंक के अधिकारी और कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 14 सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। भारतीय विमान प्राधिकरण का कार्य हवाई अड्डे, सिविल एनक्लेवों और वैमानिकी संचार स्टेशनों का कुशल प्रबन्धन करना है। इसके अतिरिक्त किसी भी हवाई अड्डे और सिविल एनक्लेव में विमान यातायात सेवा और विमान परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करना भी है।

(ख) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को वर्ष 1999-2000 के दौरान 211.38 करोड़ रुपये (अनंतिम) वर्ष 1998-99 के दौरान 208.41 करोड़ रुपये और वर्ष 1997-98 कै दौरान 196.14 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। दिल्ली और मुम्बई में 423.84 करोड़ रुपये की लागत से विमान यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया जा चुका है। पिछले तीन वर्षों में, विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे-टर्मिनलव भवन, हवाईपट्टी टैक्सी मार्ग, एप्रन कार-पर्किंग, कन्ट्रोल टावर सह-तकनीकी ब्लॉक इत्यादि के आधुनिकी करण का कार्य भी दिल्ली, मुम्बईस, चेन्नई और कलकत्ता हवाई अड्डे पर 266.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू किया गया।

पिछले तीन वर्षों में उत्तर पूर्व में 85.34 करोड़ रुपये की लागत से डिबरूगढ़, दीमापुर, गुवाहाटी, इम्फाल, सिल्चर, लीलाबाड़ी, जोड़हाट और तेजपुर हवाई अड्डे पर विमानपत्तन आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसी तरह, 15.23 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और जयपुर हवाई अड्डे पर 14.24 करोड़ रुपये की लागत से टर्मिनल भवन का विस्तार/संवर्धन तथा हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य भी पूरा हो चुका है। 18.51 करोड़ रुपये की लागत से गया हवाई अड्डे का और 22.00 करोड़ रुपये की लागत से जम्मू हवाई अड्डे का विकास किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पारंपरिक प्रणाली को उपग्रह पर आधारित सी.एन.एस. सिस्टम में बदलने की योजना को अंतिम

रूप दिया है। देश में विकसित की गई स्वचालित आश्रित निगरानी प्रणाली भी कलकत्ता और चेन्नई में संस्थापित को गई हैं और इनके दिसम्बर, 2000 में चालू किए जाने को संभावना है। वैश्विक दिक्चालन उपग्रह सेवा (जी.एन.एस.एम.) के लिए वृद्धि प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन प्रणाली के लिए परियोजना-रिपोर्ट (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) भी तैयार की गई है।

तकनीकी खराबी के कारण आपात स्थिति में विमान को उतारना

***71. श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा:**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर पिछले कुछ महीनों के दौरान विभिन्न तकनीकी खराबियों के कारण कितने अवसरों पर इंडियन एयरलाइन्स अथवा इसकी सहायक कंपनी एलायंस एयरलाइन्स के विमानों को उड़ान भरने से रोकना पड़ा अथवा आपात स्थिति में उतारना पड़ा;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमानों के रख-रखाव में नकली सामग्री के उपयोग संबंधी कोई मामले प्राधिकारियों के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या विमानों का आपात स्थिति में उतारने के कारणों के बारे में गहराई से कोई जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इंडियन एयरलाइन्स और इसकी सहायक कंपनी द्वारा अपनी उड़ानों को आपात स्थिति में उतारने के कारण कितना घाटा हुआ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स अथवा इसकी अनुषंगी एलायंस एयर के विमानों को आपात स्थिति में नहीं उतारा गया है।

तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान, विमान को भूमि पर ही खड़े रखने की दो बड़ी घटनाएं हुई जिसमें पहली घटना जहाजों के अधिक संख्या में उतरने के कारण जुलाई, 1998 में सिल्चर में एलायंस एयर-बी 737 विमान की और दूसरी घटना अक्टूबर, 1999 में यंगून में इंडियन एयरलाइन्स के ए-320 विमान की हुई। विमान भारी वर्षा के कारण उतरते समय हवाई पट्टी से आगे चला गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) चूंकि इंडियन एयरलाइन्स और एलायंस एयर के किसी भी विमान की आपात स्थिति में उतारने की कोई घटना नहीं हुई, इसलिए एस संबंध में कंपनी को हुई हानि काप्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्त बताए गए विमान के भूमि पर खड़े रहने की दो घटनाओं पर अनुमानित मरम्मत पर खर्च निम्न प्रकार है:-

विमान	जहां घटना घटी	अवधि	अनुमानित मरम्मत लागत (करोड़ो रुपयों में)
बी-737 (इजीएच)	सिलचर	29.7.1998 से 27.11.1998	1.55*
ए-320 (ईएसआई)	यंगून	26.10.1999 से 19.8.2000	140.00**

*घटाई जाने वाली सीमा से नीचे।

**घटाई जाने वाली 3.50 करोड़ रुपये की राशि (0.75 मिलियन अमरीकी डालर) के अलावा बीमा कंपनी से वसूली जानी है।

तेल शोधक कारखानों का पुनर्गठन

***72. श्री प्रभात सामन्त राय:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न तेल कंपनियों के स्वामित्व में कितने तेल शोधक कारखाने हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन तेलशोधक कारखानों के प्रबंधन का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो पुनर्गठन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) विभिन्न तेल कंपनियों के स्वामित्व वाली निम्नानुसार 17 रिफाइनरियां हैं:-

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां		
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	-	7
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	-	2
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	-	1
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	-	2
कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड	-	1
बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-	1
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	-	1
संयुक्त क्षेत्र/निजी तेल कंपनियां		
मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-	1
रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड	-	1
		17

(ख) किसी तेल रिफाइनरी की स्थिति का प्रतिनिधित्व इनकी संस्थापित क्षमता की तुलना में इनके क्षमता उपयोग द्वारा किया जाता है। 1999-2000 में रिफाइनरियों का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनीवार क्षमता उपयोग नीचे दिया गया है:-

	1.4.1999 को संस्थापित क्षमता (मिलियन मीट्रिक प्रतिवर्ष	1999-2000 में वास्तविक क्षमता उपयोग (मिलियन मीट्रिक टन में)	संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में क्षमता उपयोग
इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	31.70	32.42	102.3
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	10.56	105.6
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	6.90	8.90	129.0
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	7.00	7.01	100.2
कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड	7.50	7.83	104.4
बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2.35	1.91	81.1
योग	65.45	68.63	104.8

नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक नई रिफाइनरी है जिसकी संस्थापित क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। इस रिफाइनरी को चालू कि जाने का कार्य जून, 2000 में पूरा हो गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की अपने किस्म की अकेली रिफाइनरियों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) और बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.) को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ.सी.एल.) की सहायक कंपनियां और कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड (के आर एल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन आर एल) को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल) की सहायक कंपनियों बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया को 31 मार्च, 2001 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

विदेशी एयरलाइन्स द्वारा प्रचालन

***73. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश स्थित विभिन्न स्थानों से भारत और भारत के विमानपत्तनों से विदेशों को विमान सेवा प्रचालित कर रही विदेशी एयरलाइन्स विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विदेशी विमान कंपनियों में से कुछ विमान कंपनियों में से कुछ विमान कंपनियों को गत सितम्बर से देश के कुछ अतिरिक्त मगों पर प्रचालन की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) भारत से/को प्रचालन कर रहे विदेशी विमानकंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) गत एक वर्ष के दौरान कुछ विदेशी देशों की नामित विमानकंपनियों को कुछ अतिरिक्त अवतरण स्थलों की मंजूरी दी गई है जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। तथापि वास्तविक प्रचालन संबंधित विमानकंपनी के वाणिज्यिक विवेक पर है।

विवरण-I

भारत से/के लिए प्रचालित होने वाली विदेशी एयरलाइनों की सूची

क्र.सं.	विमानकंपनियों के नाम	भारत में स्थिति विमानपत्तन (नों) के नाम
1	2	3
1.	एरोफ्लोट	दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई
2.	एयर फ्रांस	दिल्ली, मुम्बई
3.	एयर कजाखस्तान	दिल्ली
4.	एयर मॉरीशस	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई
5.	अलीतैलिया	मुम्बई
6.	ऑल निप्पॉन एयरवेज	दिल्ली मुम्बई
7.	एशियाना एयरलाइन्स	दिल्ली
8.	आस्ट्रियन एयरलाइन्स	दिल्ली
9.	विमान बंगलादेश	दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता
10.	ब्रिटिश एयरवेज	दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई
11.	कैथे पैसिफिक एयरवेज	मुम्बई
12.	डेल्टा एयरलाइन्स	मुम्बई
13.	ड्च एयर	दिल्ली, कलकत्ता
14.	इजिप्ट एयर	मुम्बई
15.	इल-अल ईजरायल	मुम्बई
16.	इमीरात	मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई
17.	इथोपियन एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई
18.	गल्फ एयर	मुम्बई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई
19.	ईरान एयर	मुम्बई
20.	जापान एयरलाइन्स	दिल्ली
21.	केन्या एयरवेज	मुम्बई
22.	के एल एम रॉयल डच एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई
23.	कोरीयन एयर	मुम्बई
24.	कुवैत एयरवेज	मुम्बई, दिल्ली, त्रिवेन्द्रम
25.	किर्गिस्तान एयरलाइन्स	दिल्ली
26.	लुफ्थांसा	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई
27.	मलेशिया एयरलाइन्स	दिल्ली, चेन्नई
28.	निकॉन एयर	पटना, वाराणसी
29.	नार्थ वेस्ट एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई
30.	ओमान एयर	मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, चेन्नई
31.	पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्स	मुम्बई, दिल्ली
32.	कांतास एयरवेज	मुम्बई
33.	कातार एयवरेज	मुम्बई, त्रिवेन्द्रम
34.	रॉयल ब्रुनेई एयरलाइन्स	कलकत्ता
35.	रॉयल जोरडनियन	दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता
36.	रॉयल नेपाल एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई, बंगलोर
37.	सबीना	चेन्नई
38.	सउदी अरेबिया एयरलाइन्स	मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई
39.	स्कैन्डिनवैइयन एयरलाइन सिस्टम	दिल्ली
40.	सिंगापुर एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता
41.	सिल्क एयर	त्रिवेन्द्रम
42.	साउथ अफ्रिकन एयरवेज	मुम्बई
43.	श्रीलंकन एयरलाइन्स	चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, मुम्बई, दिल्ली
44.	स्विच एयर	दिल्ली, मुम्बई
45.	सिरयन अरब एयरलाइन्स	दिल्ली, मुम्बई
46.	थाई एयरवेज इन्टरनेशनल	दिल्ली, कलकत्ता
47.	तुर्केमिनिस्तान एयरलाइन्स	दिल्ली, अमृतसर
48.	उजबेकिस्तान एयरवेज	दिल्ली, अमृतसर
49.	विरजीन एटलांटिक	दिल्ली
50.	यमन एयरवेज	मुम्बई

विवरण-II

सितम्बर 1999 से विदेशी एयरलाइनों को प्रदान किए गए अतिरिक्त अवतरण स्थल

क्र.सं.	विमानकंपनियों के नाम	भारत में स्थित विमानपत्तन(नों) के नाम
1.	एयर मॉरीशस	चेन्नई
2.	इमीरेट्स	चेन्नई
3.	गल्फ एयर	बंगलौर
4.	कुवैत एयरवेज	चेन्नई
5.	मलेशिया एयरलाइन्स	मुम्बई, बंगलौर, हैदराबाद
6.	सबीना	चेन्नई
7.	श्रीलंकन एयरलाइन्स	कलकत्ता, वाराणसी
8.	थाई एयरवेज इण्टरनेशनल	मुम्बई
9.	तुर्केमिनिस्तान एयरलाइंस	अमृतसर, कोचीन, अहमदाबाद
10.	उजबेकिस्तान एयरवेज	अमृतसर, त्रिवेन्द्रम

रॉक फॉस्फेट के लिए उच्च वर्गीकरण का प्रावधान न होना

***74. श्री रामजी मांझी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य उपयोग के लिए रॉक फॉस्फेट लाने-ले जाने हेतु उच्च वर्गीकरण का प्रावधान न होने के कारण 65.82 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा रॉक फॉस्फेट के लिए उच्च वर्गीकरण का प्रावधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) रॉक फॉस्फेट का उपयोग या तो सीधे खाद के रूप में अथवा मिश्रित फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, रॉक फॉस्फेट एक कम कीमत वाला पण्य है और उर्वरक से इतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाए जाने पर रेल मंत्रालय इस पण्य का उच्च वर्गीकरण उचित नहीं समझता। पण्यों के दोहरे वर्गीकरण को इस कारण से सामान्यत: निरूत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे रेल उपयोगकर्ता निम्न वर्गीकरण का लाभ उठाते हुए पण्यों की गलत घोषणा करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, रेल द्वारा बुक किए गए रॉक फॉस्फेट का प्रभार केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित श्रेणी के आधार पर वसूला जाता है और इस प्रकार राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रॉक फॉस्फेट का वर्गीकरण 1.4.2000 से बढ़ा कर श्रेणी 85 बी से श्रेणी 85 में संशोधित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

वर्ष 2002 को अन्तर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय-पर्यटन वर्ष घोषित किया जाना

***75. डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को 'अन्तर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकीय-पर्यटन वर्ष' घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2002 के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार का पर्यटन विभाग राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों के साथ परामर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त पारिस्थितिकीय मैत्रेयी पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देते हुए देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से पारिस्थितिकीय-पर्यटन आकर्षणों का देश तथा विदेश में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने ''पारिस्थितिकीय-पर्यटन संबंधी नीति तथा दिशा-निर्देश'' तैयार किए हैं जिसे सभी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है। नीति विषयक दिशा-निर्देश में शामिल हैं:-

(1) पारिस्थितिकीय-पर्यटन की परिभाषा

(2) भारत के पारिस्थितिकीय-पर्यटन संसाधन

(3) नीति के उद्देश्य

(4) सरकार, विकासकर्ताओं, प्रचालकों/आपूर्तिकर्ताओं, आगन्तुकों, गंतव्य स्थल की आबादी/मेजबान समुदाय, गैर-सरकारी संगठन/वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के लिए प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश।

देश में पर्यटन के सतत् विकास संबंधी क्रियाकलापों में शामिल सभी स्टेकहोल्डरों (पणधारियों) में जागरूकता लाने के लिए नीति तथा दिशा-निर्देश तैयार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सेना के आयुध-विभाग में कपड़ों की खरीद में घोटाला

***76. श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सेना के आयुध-विभाग में कपड़ों तथा अन्य भण्डार की खरीद में एक बड़े घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस घोटाले में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा वस्त्रों तथा अन्य मदों की खरीददारी करने संबंधी किसी घोटाले का पता नहीं चला है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

एथनाल का परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग

***77. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवहन ईंधन के रूप में एथनाल के उपयोग के बारे में अध्यन करने के लिए प्रायोगिक परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रायोगिक परियोजनाओं में अब तक किए गए प्रायोगिक परीक्षणों/अनुसंधान और विकास अध्ययनों के अंतिम निष्कर्ष क्या निकले; और

(घ) इसकी व्यावसायिक संभावनाएं क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सरकार ने परिवहन ईंधन के रूप में इथानोल के उपयोग के पर्यावरणीय, प्रचालनीय एवं वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए तीन प्रायोगिक परियोजनाऐं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना को चालू करने के लिए तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत मीरज/हजारवाडी में तेल कंपनियों के डिपुओं पर गैसोलीन डोप किए हुए इथानोल की आपूर्ति आरम्भ करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को चालू करने के लिए दो और स्थलों, एक उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत बरेली के निकट तथा दूसरा पुन: महाराष्ट्र में मनमाड के निकट की पहचान की गई है। इस संबंध में क्षेत्रगत परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अध्ययन अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं तथा इस ईंधन के वाणिज्यीकरण से संबंधित संभावनायें उनके अध्ययनों के परिणाम पर निर्भर करेंगी।

सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी

***78. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बलों के तीनों अंगों के प्रत्येक अंग में अधिकारियों विशेष रूप से मध्य स्तर के अधिकारियों की आज की तारीख के अनुसार कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी पूरी करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रत्येक अंग के कितने अधिकारियों की भर्ती की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने अधिकारियों ने विंगवार समय-पूर्व सेवा-निवृत्ति ली;

(घ) तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में आज की तारीख को समय-पूर्व निवृत्ति के लिए विंग-वार कितने आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ङ) सशस्त्र सेनाओं से अधिकारियों के निर्गमन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज):

(क)	सेना	12,155
	नौसेना	1044
	वायुसेना	1800
(ख)	सेना	1712
	नौसेना	246
	वायुसेना	522

		1998	1999	2000
(ग)	सेना	596	496	445
	नौसेना	192	129	116
	वायुसेना	218	149	97
(घ)	सेना	154		
	नौसेना	35		
	वायुसेना	51		

(ङ) तीनों सेनाओं में से अधिकारियों का निर्गमन नहीं हो रहा है। यह निर्गमन चिंताजनक नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर घटाना

*79. **श्री राजैया मल्याला:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर घटाने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति उठाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने दिनांक 26 सितम्बर, 2000 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अपील की है कि उपभोक्ताओं के लिए स्फीतिकारी वृद्धि कम करने और मूल्य वृद्धि प्रभाव को समाप्त करने में सहायता देने के उद्देश्य से अपने-अपने राज्यों के अंदर अनुमत न्यूनतम दरों की शर्त पर पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर में यथानुपात कमी पर विचार करें। कुछ मुख्य मंत्रियों ने पत्र प्राप्ति की सूचना भेजी है। गोवा तथा कर्नाटक राज्यों ने अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है। गोवा सरकार ने 15 नवम्बर, 2000 से पेट्रोल और डीजल पर 3 प्रतिशत बिक्री कर कम कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि वह बिक्री कर कटौती के पक्ष में नहीं है। अभी तक अन्य राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार राज्यों के साथ मामले पर लगातार चर्चा जारी रखेगी।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की उपलब्धता

*80. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री जोरा सिंह मान:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आज की स्थिति के अनुसार देश में कच्चे तेल की उपलब्धता का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2000 के अंत तक देश में कच्चे तेल की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध थी;

(ग) कच्चे तेल की संभावना वाले कितने स्थानों की अब तक पहचान की गई है और इन स्थानों में से प्रत्येक स्थान में कच्चे तेल की कितनी मात्रा का आकलन किया गया है; और

(घ) देश में कच्चे तेल का वर्तमान औसत वार्षिक उत्पादन कितना है और आगामी वर्षों के दौरान इस औसत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत के पूर्वी तट, पश्चिम तट तथा दक्षिण दक्षिणी छोर में गहन जल के अलावा 26 तलछटी बेसिन हैं। इनमें से कई बेसिन हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषित किए गए हैं। विभिन्न बेसिनों में पूर्व सूचित हाइड्रोकार्बन संसाधन संलग्न विवरण में दिए

गए हैं। इनमें से जिन बेसिनों में रक्षित भण्डारण हैं, वहां 1.4.2000 को कच्चे तेल के शेष प्राप्य भण्डारों की मात्रा 937.72 मिलियन मीटरी टन (एम एम टी) है:-

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान स्वदेशी तेल उत्पादन करीब 32.30 मि.मी. टन अनुमानित है। आगमी 2-3 वर्षों के लिए उत्पादन का परिमाण समान रहेगा। तथापि, नीचे दिए गए उपायों से उत्पादन में वृद्धि संभावित है:-

(1) वृद्धित तेल निकासी (ई ओ आर)/उन्नत तेल निकासी (आई ओ आर) योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा मौजूदा बड़े तेल क्षेत्रों से प्रतिलाभ कारक में सुधार करना। इससे तेल क्षेत्रों में तेल उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

(2) उत्पादक क्षेत्रों में गहन स्तरों तक अन्वेषण द्वारा रक्षित भण्डारों में वृद्धि करना।

(3) नए क्षेत्रों में, विशेष रूप से गहन जल तथा दुष्कर सीमांत क्षेत्रों में अन्वेषण करना।

(4) खोजे गए नए तल क्षेत्रों का तेजी से विकास करना।

(5) वर्कओवर और उत्प्रेरण कार्यों में वृद्धि करना।

(6) न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी (एन ई एल पी) द्वारा अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना।

(7) नए तथा उत्पादक क्षेत्रों में त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षणों के प्रयोग में वृद्धि करना।

विवरण

1.4.1999 की स्थिति के अनुसार हाइड्रोकार्बन संसाधन

बेसिन	हाइड्रोकार्बन संसाधन (मिलियन मीटरी टन)		
	अपतट	तटीय	कुल
असम-अराकन फोल्ड बैल्ट	-	3,180	3,180
असम शेल्फ	-	1,860	1,860
खम्बात	-	2,050	2,050
काबेरी	270	430	700
कृष्णा-गोदावरी	555	555	1,110
मुंबई	9,190	-	9,190
केरल-कोंकण	660	-	660
राजस्थान	-	380	380
कच्छ-सौराष्ट्र	840	210	1,050
अंडमान-निकोबार	180	-	180
बंगाल	30	160	190
हिमाचल गिरि पीठ तथा गंगा घाटी	-	520	520
गहन जल*	7,000	-	7,000
समग्र योग	18,725	9,345	28,070

*हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामतः अर्थ के अनुसार पूर्वी तट के गहन जल में हाइड्रोकार्बन संसाधनों में करीब 4,000 मि.मी. टन तक और वृद्धि की संभावना है।

[हिन्दी]

बेतू रेलवे स्टेशन का निर्माण

685. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेतू (राजस्थान) रेलवे स्टेशन पर नया निर्माण और विस्तार कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन पर उपरि पुल के निर्माण कार्य को निरस्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) नया स्टेशन भवन, सिगनल एवं दूरसंचार कक्ष, 375 मी. लंबा बड़ी लाईन का ऊंची सतह का पैसेंजर प्लेटफार्म तथा प्लेटफार्म सायबान (3 बेय लंबा) का कार्य पूरा होने के चरण पर है, उपर्युक्त कार्य लूनी-बाड़मेर-मुनाबाव खंड के आमान परिवर्तन के कार्यों के संबंध में निष्पादित किए जा रहे हैं?

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) यात्रियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऊपरी पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा है।

गोंडिया-चंदाफोर्ट रेल लाईन का प्रयोग किया जाना

686. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोंडिया-चंदाफोर्ट बड़ी लाईन का तीन वर्ष पहले उद्घाटन किया गया परंतु अभी तक इस लाईन पर कोई भी मेल एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस लाईन का पूरा उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस लाइन का कब तक पूरा उपयोग किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) आमान परिवर्तन के कार्य के पूरा होने के बाद गोंडिया-नागभीर-चांदाफोर्ट खंड पर दो जोड़ी यात्री गाड़ियां शुरू की जा चुकी हैं।

(ख) इस खंड पर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना खंड की अपर्याप्त यातायात संभाव्यता के कारण आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) से (ङ) इस समय लाईन पर यातायात की संभाव्यता के अनुरूप उपयोग किया जा रहा है। जब कभी यातायात की आवश्यकता की मांग होगी तब इस लाईन पर निवेश करने पर विचार किया जाएगा।

रक्षा-सौदों पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अंतरिम-रिपोर्ट

687. श्री जय प्रकाश: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जो रक्षा संबंधी खरीद के सौदों की जांच कर रहा है, ने अपनी अंतरिम-रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक पेश किए जाने की संभावना है; और

(घ) भविष्य में होने वाले रक्षा-सौदों में पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने रक्षा सौदों के बारे में की गई जांच-पड़ताल से संबंधित अपनी अंतरिम रिपोर्ट 7 अगस्त, 2000 को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में आयोग की टिप्पणियां/निष्कर्ष अनंतिम हैं तथा अंतिम नहीं हैं।

रक्षा अधिप्राप्तियों/खरीदारियों में उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1989 के बाद रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई सभी अधिप्राप्तियों की केन्द्रीय सतर्कता

आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा छानबीन/समीक्षाविशेष लेखापरीक्षा किए जाने के आदेश दे दिए हैं। रक्षा अधिप्राप्तियों की छानबीन/समीक्षा इस समय जारी है। सरकार ने 75 करोड़ से अधिक लागत की सभी बड़ी अधिप्राप्तियों/खरीद से संबंधित निर्णयों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनिवार्य रूप से तथा समयबद्ध छानबीन किए जाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से आदेश जारी कर दिए हैं।

[अनुवाद]

छावनी अधिनियम में संशोधन

688. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छावनी अधिनियम में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम प्रारूप कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(ग) अधिनियम में संशोधन करने लिए विभिन्न स्तरों पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस विधेयक के संसद में कब तक लाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, हां। एक नया कानून बनाने के लिए एक विस्तृत विधेयक पेश किए जाने का प्रस्ताव है। चूंकि एक नया कानून अधिनियमित किया जाना है। अत: अभी तक कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

हैदराबाद में सेना की भूमि से हटाए गए किसानों को मुआवजा

689. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हैदराबाद में सेना की भूमि खाली करने वाले किसानों को नुकसान के रूप में बारह लाख रुपये देने के लिए रक्षा मंत्रालय से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तीन सौ सेना कार्मिक तोड़फोड पर उतर आए और रहथू बाजार में किसानों के शेड़ों को गिरा दिया;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सरकार ने मानव अधिकारों की रक्षा में संशोधन करने और सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) महोदय, यह सच है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की सम्पत्ति के नुकसान के रूप में 12 लाख रुपये की धनराशि अदा करने के लिए रक्षा मंत्रालय को निर्देश/सिफारिशें की हैं।

(ख) और (ग) इस घटना के बारे में सेना मुख्यालय के ब्यौरे, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निष्कर्षों से भिन्न है, के अनुसार प्रश्नगत रक्षा भूमि को उनके द्वारा अनधिकृत अधिभोगियों से शांतिपूर्ण तरीके से खाली करवाया गया था। अत: किसी के भी विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सशस्त्र सेनाओं द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने के लिए आयोग को अधिक शक्ति सम्पन्न बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार की कार्रवाई हाल ही में प्राप्त हुई है। इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करना अपेक्षित होगा।

इज्झीमाला नौसेना अकादमी का दर्जा

690. श्री टी. गोविन्दन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केरल में इज्झीमाला स्थित नौसेना अकादमी का निर्माण का कार्य इसके महत्व को देखते हुए इसकी निर्धारित अवधि के पहले पूरा करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कार्य की कितनी प्रगति हुई है और इसमें कितना खर्च हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। नौसेना अकादमी परियोजना आठ वर्ष की अवधि में निष्पादित

किए जाने की योजना बनाई गई है। 9 जनवरी, 1998 को आस्तुविद् के साथ परामर्शी करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ। अब इस परियोजना को त्वरित कार्य प्रक्रिया के तहत रखा गया है। ताकि इसे समापन की निर्धारित तारीख से काफी समय पहले ही पूरा किया जा सकें।

(ग) इस परियोजना पर कार्य सही समय पर प्रारंभ हो गया है और निर्माण से पूर्व के कार्यकलापों का 30% कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सेवाओं और सड़कों के वास्ते निविदा कार्रवाई की गई है और वर्ष 2001 के प्रारंभ में निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। इस पर अब तक हुआ व्यय नीचे दिए गए अनुसार है:-

(1)	परामर्शदाता को भुगतान	–	2.930 करोड़ रुपये
(2)	निर्माण-स्थल की सुरक्षा और अनुरक्षण पर हुआ व्यय	–	4.630 करोड़ रुपये
	कुल		7.566 करोड़ रुपये

सेना दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना

691. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद के निकट सेना दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह महाविद्यालय पूर्ण रूप से सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के बच्चों के लिए हैं;

(ग) दंत चिकित्सा विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को बाद में रक्षा बलों में सेवा करने के लिए बाध्य न करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस महाविद्यालय द्वारा कब तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) सेना कल्याण शिक्षा समित द्वारा सिकंदराबाद में एक सेना दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

(ख) इस महाविद्यालय में 34 स्थान पूरी तरह सेवारत तथा सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए तथा 06 स्थान आंध्र प्रदेश के छात्रों को आबंटित किए जाने के लिए आरक्षित हैं।

(ग) इस महाविद्याल के छात्र सशस्त्र सेनाओं में सेवा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

(घ) इस महाविद्यालय के जुलाई, 2001 से आरंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र से कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

[हिन्दी]

छोटे और मध्यम स्तर के तेल क्षेत्रों का पता लगाया जाना

692. श्री राजो सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक छोटे और मध्यम स्तर के कितने तेल क्षेत्रों का राज्य-वार पता चला है;

(ख) इनमें से कितने तेल क्षेत्रों को उनके विकास हेतु निजी कंपनियों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन तेल क्षेत्रों के विकास हेतु अब तक क्या प्रगति की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए छोटे और मध्यम आकार के बहुत सारे क्षेत्रों में से 43 छोटे और मध्यम आकार के तेल और गैस क्षेत्रों जिनमें अपतटीय क्षेत्र भी शामिल हैं, 1992 में क्षेत्रों के ऐसे प्रथम प्रस्ताव में संयुक्त उद्यम अथवा निजी भागीदार के लिए प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 14 तेल क्षेत्र निजी कंपनियों को अथवा भागीदारी के रूप में निजी कंपनियों वाले संयुक्त उद्यम परिसंघों को प्रदान किए गए हैं और उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इन क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। इन 14 तेल क्षेत्रों में से 11 क्षेत्र उत्पादन कर रहे हैं।

1993 में 41 मध्यम और छोटे आकार के तेल और गैस क्षेत्र द्वितीय प्रस्ताव के तहत प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 10 तेल क्षेत्र निजी कंपनियों अथवा उनके परिसंघों को प्रदान करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इन क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्र का नाम	राज्य	जिला
असज्जोल	गुजरात	मेहसाणा
भंदूत	गुजरात	सूरत
बकरोल	गुजरात	अहमदाबाद
कैम्बे	गुजरात	खेडा
ढोलका	गुजरात	अहमदाबाद और खेडा
इन्दौरा	गुजरात	अहमदाबाद
लोहार	गुजरात	मेहसाणा
मतार	गुजरात	भरूच और बड़ौदा
साबरमती	गुजरात	अहमदाबाद
वावेल	गुजरात	गांधीनगर
खरसांग	अरुणाचल प्रदेश	चंगलांग
राव्वा	पूर्वी तट अपतट	-
पन्ना और मुक्ता	पश्चिम तट अपतट	-

विवरण-II

क्रं.सं.	क्षेत्र	स्थान/राज्य
मध्यम आकार के क्षेत्र		
1.	रत्ना और आर-सीरीज	मुंबई अपतट
लघु आकार के क्षेत्र		
2.	उत्तरी कथाना	गुजरात
3.	अलौरा	गुजरात
4.	उनावा	गुजरात
5.	कनवारा	गुजरात
6.	ढोलासन	गुजरात
7.	मोढेरा	गुजरात
8.	ओगनज	गुजरात
9.	संगनपुर	गुजरात
10.	अमगुड़ी	असम

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों पर सुविधाएं

693. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बदरपुर बार्डर से मथुरा तक सड़क के दोनों ओर स्थिति पेट्रोल पम्प मोटर वाहनों को हवा, पानी और अन्य सुविधाएं नहीं प्रदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पेट्रोलियम पम्प मालिकों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि बदरपुर बार्डर से मथुरा तक एक पेट्रोल पम्प, जहां इमारत निर्माणाधीन है, को छोड़कर सड़क के दोनों तरफ अवस्थित पेट्रोल पंप हवा, पानी इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं।

पश्चिम बंगाल में उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र

694. श्री महबूब जाहेदी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1998 में गैर-सरकारी संगठन के साथ संयुक्त उद्यम से उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पानागढ़ में भूमि पट्टे पर दी थी;

(ख) क्या इसका शिलान्यास भी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार अब इस आधार पर कि यह संयुक्त उद्यम गैर-सरकारी संगठन के साथ किया गया है इस परियोजना को मंजूर करने के पीछे हट रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) संयुक्त क्षेत्र में एक विमानन संस्थान स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना के पानागढ़ एयर फील्ड में इमारतों सहित 60 एकड़ रक्षा भूमि का पट्टे के आधार पर अंतरण किए जाने के वास्ते पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रारंभ में, राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि रक्षा मंत्रालय को पानागढ़ से इस संस्थान को स्थापित करने में सैद्धान्तिक रूप से

कोई आपत्ति नहीं है और विस्तृत ब्यौरे तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था। इस मामले की विस्तृत जांच की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि यह भूमि वायुसेना द्वारा फालतू घोषित नहीं की गई थी अत: उक्त भूमि पश्चिम बंगाल सरकार को पट्टे पर अंतरित करना संभव नहीं है। यह भी देखा गया कि इस भूमि को पट्टे पर अंतरित करने में सुरक्षा संबंधी कठिनाइयां तथा अन्य कानूनी जटिलताएं हैं।

(ख) 22 नवंबर, 1998 को राज्य सरकार द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई और अधिक जानकारी के आधार पर इस मामले की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

रेलवे भूमि का दुरूपयोग

695. श्री सुरेश चंदेल: क्या रेल मंत्री भूमि का दुरूपयोग के बारे में 24 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अपेक्षित सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आश्वासन को पूरा करने के लिए और छ: महीनों की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा जारी मानार्थ टिकट

696. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में और विदेश यात्रा हेतु मानार्थ टिकट जारी करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया द्वारा भारत और विदेशों की यात्रा करने के लिए जारी किए गए मानार्थ/टिकटों का पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जारी किए गए ऐसे मानार्थ टिकटों/पास का लागत मूल्य कितना है और इस अवधि के दौरान इन एयरलाइनों द्वारा इनके कारण कितनी हानि उठाई गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एयरलाइनों द्वारा अपने वाणिज्यिक हित में टूर प्रोमोटर्स, ट्रेवल राइटर, मीडिया, पसेनल, महत्वपूर्ण व्यापारिक कन्ट्रक्टस और राष्ट्रीय वाहकों पर यात्रा की प्रगति और प्रोत्साहन के लिए प्रोमोशनल योजनाओं/विषयों आदि को सामान्यत: मानार्थ टिकट जारी किए जाते हैं।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1997-98	726	590
1998-99	1164	860
1999-2000	983	955

(ग) एयरलाइनें पूरे विश्व में मानार्थ टिकट जारी करती हैं। ये टिकटें एयलाइनों को महसूस की गई सुविधा/लाभ के आधार पर जारी किए जाते हैं। इस प्रकार के पासों से राजस्व अड़चनें नहीं होती और एयरलाइनों को कोई घाटा नहीं होता है। क्योंकि ऐसे टिकटधारकों को सामान्यत: टिकट खरीदने वाली यात्रियों को समायोजित करने के बाद ही समायोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन अवसंरचना का विकास

697. श्री समर चौधरी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्यों, विशेषकर पूर्वोत्तर और सिक्किम में विमान यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन अवसंरचना के विकास हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ख) क्या निजी कंपनियों को किसी व्यवस्था और नियंत्रण के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में विमान यात्रा के लिए वायु यातायात प्रबंधन हेतु आमंत्रित किया गया है और उनसे बातचीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छोटे हवाई अड्डों का मामला सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, वर्तमान कार्य योजना में शामिल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) सभी हवाई अड्डों पर हवाई जहाज यात्रियों की आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास और स्तरोन्नयन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो यातायात और आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। चालू वार्षिक योजना में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने देश में सभी राज्यों में हवाई अड्डों के आधार संरचनात्मक सुविधाओं के बड़े स्तरोन्नयन के लिए 432.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और पूर्वोत्तर में हवाई अड्डों के लिए 64.33 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सिक्किम में कोई हवाई अड्डा नहीं है। सिक्किम-बागडोगरा विमानपत्तन पर सिविल एन्क्लेव के माध्यम से विमान सेवा से जुड़ा हुआ है।

(ख) और (ग) मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर, जिसमें मार्गों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों पर न्यूनतम प्रचालनों की व्यवस्था की गई है। विमान सेवा ऑपरेटर अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर, किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने/किसी भी स्थान को विमान सेवा से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) 33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, जम्मू और कश्मीर में कारगिल में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण चल रहा है।

वकीलों के लिए आबंटित चेम्बर

698. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** वकीलों के लिए चेम्बरों का आबंटन के बारे में 20.12.1999 के अतारांकित संख्या 2944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि और निर्माण की अधिक लागत को देखते हुए वर्ष 1999 के दौरान भगवान दास रोड पर वकीलों को आवंटित 141 नए चेम्बरों के लिए सरकार द्वारा मानक लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक आवंटी-वार इस पर कितने राजस्व का नुकसान हुआ;

(घ) क्या निर्णय लेने में विलम्ब की जांच कराई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आवंटियों से शुल्क वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) और (ङ) तारीख 20.12.1999 के अतारांकित प्रश्न सं. 2944 के उत्तर में जैसा कि उल्लिखित है, उक्त चैम्बरों के लिए अनुज्ञप्ति फीस अनंतिम रूप से निम्नानुसार नियत की गई है:

चैम्बरों की संख्या	प्रति मास अनुज्ञप्ति फीस (अनंतिम रूप से)
132	2000 रुपये-प्रत्येक
5	1600 रुपये-प्रत्येक
4	3500 रुपये-प्रत्येक

भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए विद्यमान और साथ ही नए चैम्बरों के लिए अनुज्ञप्ति फीस नियत करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं। इसीलिए अभी तक चेम्बरों के लिए मानक अनुज्ञप्ति फीस नियत नहीं हुई है। उच्चतम न्यायालय, अभी भी आबंटितियों से अनंतिम अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित कर रही है, जो उपरोक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

चूंकि मानक अनुज्ञप्ति फीस को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अत: इस प्रक्रम पर इस कारण राजकोष को राजस्व की हानि का परिकलन करना संभव नहीं है।

(घ) चूंकि इस विषय में कार्यवाही की जा रही है। अत:, इस प्रक्रम पर विलंब के लिए कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

रसोई गैस भरने वाले संयंत्र

699. कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार देश में रसोई गैस भरने वाले कितने संयंत्र हैं और उनकी राज्यवार क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूर/अनुमोदित रसोई गैस भरने वाले उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां उनके निर्माण हेतु कार्य अभी भी विभिन्न चरणों में चल रहा है;

(ग) महाराष्ट्र में वर्तमान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में वर्ष 2000-2001 के दौरान स्थान-वार प्रस्तावित रसोई गैस भरने वाले नए संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.1.2000 की स्थिति के अनुसार देश में भरण संयंत्रों की संख्या 116 थी और उनकी क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) फिलहाल 58 एल पी जी भरण संयंत्रों का विभिन्न चरणों में निर्माण किया जा रहा है जिनका पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदन किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र में वर्तमान एल पी जी भरण संयंत्रों का उनकी स्थिति के साथ ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान महाराष्ट्र में 88 टी एम टी पी ए की कुल क्षमता के साथ तीन एल पी जी भरण संयंत्र (नासिक में 2 और नागपुर में 1) आरम्भ की संभावना है।

विवरण-I

1.1.2000 की स्थिति के अनुसार देश में एल पी जी भराई संयंत्रों की उनकी क्षमता के साथ संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भरण संयंत्रों की संख्या	कुल संख्या (टी एम टी पी ए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	9	396
2.	असम	4	79
3.	बिहार	3	113
4.	दिल्ली	2	220
5.	गोवा	1	22
6.	गुजरात	8	370
7.	हरियाणा	5	330
8.	हिमाचल प्रदेश	1	22
9.	जम्मू कश्मीर	2	36
10.	कर्नाटक	7	224
11.	केरल	5	158
12.	मध्य प्रदेश	5	232
13.	महाराष्ट्र	14	771
14.	उड़ीसा	3	96
15.	पंजाब	3	178
16.	राजस्थान	7	140
17.	सिक्किम	1	5
18.	तमिलनाडु	10	335
19.	त्रिपुरा	1	5
20.	उत्तर प्रदेश	17	504
21.	पश्चिम बंगाल	7	270
	योग	115	4506
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	1	10
	पूर्ण योग	116	4516

विवरण-II

महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए एल पी जी भरण संयंत्रों और प्रगति की समीक्षा का ब्यौरा

भरण संयंत्र	संयंत्रों की संख्या	तेल कंपनी	क्षमता (टी एम टी ए)	स्थिति/अनुमानित आरम्भ कार्यक्रम
1	2	3	4	5
नासिक		बी पी सी	22	संयंत्र निर्माणाधीन है। मार्च, 2001

1	2	3	4	5
नागपुर		बी पी सी	22	संयंत्र निर्माणाधीन है। मार्च, 2001
वसईविरार		बी पी सी	34	भूमि की अधिप्राप्ति की जा रही है। मार्च, 2002
पुणे		बी पी सी	44	भूमि की अधिप्राप्ति के लिए सार्वजनिक निविदा आमंत्रित की गई है। मार्च, 2003
नासिक		एच पी सी	44	मार्च, 2001 तक चालू
मुंबई		एच पी सी	22	भूमि निर्धारण प्रगति पर है
नानदेव		एच पी सी	10	भूमि निर्धारण प्रगति पर है
अकोला		एच पी सी	10	भूमि निर्धारण प्रगति पर है
वसई		आई ओ सी	10	भूमि का कब्जा लेना प्रगति पर है।
योग	9		218	

विश्व बैंक सहायता

700. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे नेटवर्क विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 में अब तक विश्व बैंक से कितनी सहायता मिल चुकी है;

(ग) उक्त सहायता राशि जिन कार्यों में प्रयुक्त होनी है, उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, रेल मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त रूप से मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) के रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक से सिफारिश की है, जो कि मुम्बई रेल विकास निगम (एम आर वी सी) द्वारा निष्पादित की जाएगी।

(ख) 1998-1999, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान एम यू टी पी के लिए विश्व बैंकों से कुछ भी राशि प्राप्त नहीं की गई है। विश्व बैंक से ऋण के संबंध में बातचीत की जा रही है तथा इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) एम यू टी पी रेल परियोजना में शामिल करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं इस प्रकार है:-

1. पश्चिम रेल पर सांताक्रुज तथा बोरीवली के बीच 5वीं लाईन का निर्माण।
2. कुर्ला और थाणे के बीच लाइनों की एक अतिरिक्त जोड़ी का निर्माण।
3. बोरीवली तथा भायंदर के बीच लाईनों की एक अतिरिक्त जोड़ी का निर्माण।
4. भायंदर तथा विरार के बीच लाईनों की अतिरिक्त जोड़ी का निर्माण।
5. धू लाईनों पर मौजूदा पश्चिम रेल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना।
6. धू लाइनों पर मौजूदा मध्य रेल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना।
7. हार्बर लाईन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना।
8. कर्षण पावर सप्लाई का डी सी से ए सी में बदलाव।
9. ई एम यू सवारी डिब्बों का पुनर्निर्माण।
10. कुर्ला-दादर-छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई (छ.शि.ट.मु.) खण्ड पर 5वीं लाईन का निर्माण।
11. बोरीवली तथा सांताक्रूज के बीच छठी लाईन का निर्माण।
12. पश्चिम रेल की स्थानीय लाईनों पर 12 यान वाले रेकों की शुरुआत।
13. मध्य रेल की स्थानीय लाईनों पर 12 यान वाले रेकों की शुरूआत।
14. न्यू ईस्ट-वेस्ट बांद्रा-कुर्ला रेल संपर्क का निर्माण

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

701. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बिजली की चोरी रोकने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिजली की ऐसी चोरी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैर-प्राधिकृत तरीके से बिजली की चोरी को रोकने के लिए समय-समय पर अभियान/छापे मारे जाते हैं।

[हिन्दी]

संघ सूची में पर्यटन उद्योग को शामिल करना

702. श्री तूफानी सरोज: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन उद्योग को संविधान की संघ सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्यां है;

(ग) क्या भारी कराधान और जटिल लाईसेंसिंग प्रक्रिया के कारण पर्यटन उद्योग के समक्ष अस्तित्व का संकट ही उपस्थित हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पर्यटन उद्योग को संविधान की संघ सूची में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यटन को समवर्ती सूची में लाने के मुद्दे पर राज्यों/संघ शासित राज्यों तथा केन्द्र सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों से विचार-विमर्श जारी है।

(ग) और (घ) कराधान और जटिल लाइसेंस प्रक्रिया के कारण पर्यटन उद्योग के समक्ष अस्तित्व सामाप्ति का कोई प्रश्न नहीं है। पर्यटन उद्योग को निर्यात गृह का दर्जा दिया गया है जो वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी हैंडबुक आफ प्रोसीजर (खण्ड-1) के अध्याय-12 में विनिर्दिष्ट लाभ का हकदार होगा। कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने के मामले को भी राज्य सरकारों/संघ शासित राज्य प्रशासनों के साथ विभिन्न मंचों यथा राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन, राज्य पर्यटन सचिवों के सम्मेलन तथा भूतल परिवहन मंत्रालय के परिवहन विकास परिषद की बैठकों में उठाया गया है।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. द्वारा पेट्रोल पम्पों हेतु भूमि की खरीद

703. श्री अशोक अर्गल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कंपनी ने मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान भूमि की खरीद की थी; और

(ख) यदि हां, तो खरीदी गई भूमि की लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में पेट्रोल पम्पों के विकास के लिए तीन वर्षों के दौरान भूमि खरीदी थी जिसमें नए बने छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले क्षेत्र शामिल है, इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	किस प्रयोजन से भूमि स्थल खरीदा गया या पट्टे पर लिया गया	राज्य	जिला	स्थान तहसील	स्थान	खरीद की विधि क्या सीधे तेल कं. द्वारा या सांविधिक एजेंसी द्वारा	स्थल का स्वामी	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दर प्रति वर्ग मी./ पट्टा किराया	कुल लागत (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	भिण्ड	मालनपुर	मालनपुर	सीधे आईओसी द्वारा	एमपीएकेवीएन सरकारी जमीन	2323.4	1250 प्र.म.*	पट्टे पर
2.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	गुना	चाचोरा	खटकिया	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती सुनीता मुंदरा	3066.9	5000 प्र.म.*	पट्टे पर
3.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	सेहोर	इच्छावर	आमलाह	सीधे आईओसी द्वारा	श्री यूसुफ अली	1091.1	4000 प्र.म*.	पट्टे पर
4.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	गुना	राघोगढ़	मकसूदनगढ़	सीधे आईओसी द्वारा	श्री हीरेन्द्र सिंह	1672.9	2200 प्र.म*.	पट्टे पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	राजगढ़	खजूरी	खजूरिया	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती उषा देवी व पुष्पा देवी पुंदीर	17003	78.06	1333742/-
6.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	उज्जैन	खाचरोद	खाचरोद	सीधे आईओसी द्वारा	श्री इरफान अहमद	1756.5	379.7	666225/-
7.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	रतलाम	रतलाम	धोबर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री सुभाष चन्द्र भोरर	3365.4	290.5	977724/-
8.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	रतलाम	रतलाम	डोंगरवास	सीधे आईओसी द्वारा	श्री नवीर मोहम्मद	1784.4	349.7	873600/-
9.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	गुना	मंगोली	मंगोली	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती सुनीता जैन	3485.1	161.4	262500/-
10.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	गुना	अशोक नगर	अशोक नगर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री अजीतसिंह रघुवंशी	3717.5	699.4	2600000/-
11.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	झाबुआ	अलीराजपुर	अलीराजपुर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री भोगीलाल राघवेड	2788.1	312.0	870000/-
12.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	झाबुआ	झाबुआ	इंदौर रोड झाबुआ	सीधे आईओसी द्वारा	श्री कमल के. अग्रवाल	4646.8	312.0	1450000/-
13.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	होशंगाबाद	पिपरिया	सीपिया	सीधे आईओसी द्वारा	श्री रसवीत सिंह भल्लोत्र	3796.5	301.3	1143000/-
14.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	होशंगाबाद	हीरापुर	टोलारिया	सीधे आईओसी द्वारा	श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी	2699.6	226.0	610000/-
15.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	राजगढ़	राजगढ़	तलेननगर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री घनश्याम धाकली	2091.1	430.4	900000/-
16.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	ग्वालियर	दोमरा	दमरा भितरवार	सीधे आईओसी द्वारा	श्री संजय गोयल व श्री प्रशांत	2091.1	387.4	810000/-
17.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	शिवपुरी	कोलारस	देहारदा क्रासिंग	सीधे आईओसी द्वारा	श्री मनमोहन सिंह	2091.1	182.9	382500/-
18.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी स्टेशन-3	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती रघुवीर चरनजीत सिंह	3717.5	118.4	440000/-
19.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	रतलाम	रतलाम	जोरा खाचरोद	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती सुनीता देवी भोरर	2091.1	344.3	720000/-
20.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	खांडवा	नर्मदा नगर	नर्मदा नगर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री रसवीत सिंह भल्लोत्र	2091.1	376.6	787500/-
21.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	खांडवा	बुरहानपुर	असीरगढ़	सीधे आईओसी द्वारा	श्री रन्धीर कौर	3717.5	398.1	1480000/-
22.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	शिवपुरी	करेरा	करेरा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री आनंद कुमार जैन	3717.5	161.4	600000/-
23.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	खरगौन	सतरावी	सतरावी	सीधे आईओसी द्वारा	श्री नीलेश द्वारकादास व अन्य	4182.2	484.2	2025000/-
24.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	नीमच	नीमच	हरनावदा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री इकबाल मोहम्मद	2091.1	333.6	697500/-
25.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	नीमच	मल्हारगढ़	मल्हारगढ़	सीधे आईओसी द्वारा	श्री सत्यनारायण/रतनलाल पुंदर	2788.1	269.0	750000/-
26.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	रायसेन	बेगमगंज	बेगमगंज	सीधे आईओसी द्वारा	श्री अमरचंद मुंदी	2091.1	215.2	450000/-
27.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	राजगढ़	खारंगपुर	पचोड़	सीधे आईओसी द्वारा	श्री कृष्ण गोपल	2509.3	699.4	1755000/-
28.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	भिंड	गैन	गैन	सीधे आईओसी द्वारा	श्री रामपाल सिंह कुशवा	2091.1	53.8	112500/-
29.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	शिवपुरी	पोहरी	पोहरी	सीधे आईओसी द्वारा	श्री कैलाश गौड़	2091.1	269.0	337500/-
30.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	खरगौन	बरवाह	बरवाह	सीधे आईओसी द्वारा	श्री ओमप्रकाश	2091.1	150.6	315000/-
31.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	धार	मानपुर	धमनोद	सीधे आईओसी द्वारा	श्री के जमनादास खारफ व के भाइयान	10120.7	172.9	3563000/-
32.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	देवास	देवास	देवास सोनपुर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री भी एवं सपूत	11740.0	301.3	3059580/-
33.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	रतलाम	रतलाम	रतलाम-सलकनपुर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री अरुण मेहता व अन्य	15140.6	148.2	2244000/-
34.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती संध्या किरण जैन व नरेश के जैन	20241.5	148.2	30,00,000/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	छतरपुर	राजनगर	बमीठा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री नीरज कुमार व पियुष अग्रवाल	3252.8	430.4	1400000/-
36.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	छतरपुर	बीजावर	बरमतहेरा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री राकेश असती	2788.1	269.0	750000/-
37.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	सागर	सागर	सिरोंजा सागर	सीधे आईओसी द्वारा	श्री महेन्द्र के. जैन	20363	101.27	2050000/
38.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	सतना	अमरपतन	अमरपतन	सीधे आईओसी द्वारा	श्री राम गोविंद सिंह	2091.08	161.4	337500/-
39.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	सतना	रघुराजनगर	सतना	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती स्वेता बंसल	2899.63	301.3	874000/-
40.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	पन्ना	पन्ना	पन्ना	सीधे आईओसी द्वारा	श्रीमती चन्द्रा के. रघुवंशी	1988.85	807.0	1605000/-
41.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	छतरपुर	खजराहो	खजराहो	सीधे आईओसी द्वारा	श्री मनोज कुमार पटेल	1974.91	1022.2	1911875/-
42.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	बिलासपुर	हिरी	सीधे आईओसी द्वारा	कलेक्टर बिलासपुर (राज्य सरकार को 238.60 रु. प्रति वर्ग मीटर प्रीमियम)	4182.2	6235 प्र.म.*	1072557/-
43.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	दुर्ग	दुर्ग	पटन	सीधे आईओसी द्वारा	श्री बसंत के मिश्रा, संतोष के मिश्रा, कैलाश के मिश्रा	2453.5	101.9	250000/-
44.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ	कोरबा	कोरबा	उरगा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री वे एस पॉल	3717.5	201.75	750000/-
45.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	उमरिया	बांधवगढ़	बांधवगढ़ टाउन	सीधे आईओसी द्वारा	श्री देवीदीन वैश्य	2091.07	215.2	450000/-
46.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	धमतरी	गंजनिया	गंजनिया	सीधे आईओसी द्वारा	श्री रंजन	4048.3	61.75	25000/-
47.	पेट्रोल पम्प	म.प्र.	शाहदोल	कोटमा	कोटमा	सीधे आईओसी द्वारा	श्री गोपीराम अग्रवाल, गंगानंद अग्रवाल, पवन के अग्रवाल	1510.2	5000 प्र.म.*	फ्रंट पर
48.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	जांजगीरचां	नवागढ़	सियेरीनारायण	सीधे आईओसी द्वारा	श्री पवन के सुलतानिया	1951.7	3800 प्र.म.*	फ्रंट पर
49.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर	सिलतरा	सीधे आईओसी द्वारा	एमपीएकेबीन-सरकारी जमीन	20241.5	74.1	13801.46/-
50.	पेट्रोल पम्प	छत्तीसगढ़	रायगढ़	कोड़ातराई	कोड़ातराई	सीधे आईओसी द्वारा	श्री नटवर लाल गुप्ता	17367.2	74.85	1300000/-

*टिप्पणी: प्र.म. से तात्पर्य प्रति माह।

[हिन्दी]

रक्षा विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को पहचान-पत्रों के जारी करने में विसंगति

704. श्री अनन्त नायक: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को जारी पहचान-पत्र उनके कार्यस्थलों के लिए वैध है जबकि अधिकारियों को खुले पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्रालय में कार्यरत गैर-राजपत्रित कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व की प्रकृति अलग-अलग है। गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को सौपा गया कार्य विभाग से सम्बद्ध होता है और उसमें अन्य विभागों से प्रत्यक्ष संपर्क करना आवश्यक नहीं होता है। दूसरी ओर, अधिकारियों को विभिन्न भवनों में स्थित रक्षा मंत्रालय की विविध शाखाओं में बैठक एवं चर्चाओं में भाग लेना अपेक्षित होता है। चूंकि यह प्रणाली कार्यात्मक एवं सुरक्षात्मक दृष्टि पर आधारित है, अत: मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

एन.सी.सी. का 'सी' प्रमाण-पत्र रखने वालों को आई.एम.ए. हेतु लिखित परीक्षा में बैठने से छूट

705. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सैनिक अकादमी हेतु एन.सी.सी. का 'सी' प्रमाण-पत्र रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को आई.एम.ए हेतु लिखित परीक्षा में बैठने से छूट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय के कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सैनिक संस्था की गुणवत्ता पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। इस तरह की कोई छूट नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीलरों के कमीशन की गणना

706. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीलरों के कमीशन और पेट्रोल पम्पों के विभिन्न लागत घटकों की गणना करने हेतु 50 के एल.एम.एस. और 150 के एल.एच.एस.डी. की औसत मासिक बिक्री को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुछ विशेष बाजारों में अतिरिक्त स्थानों को न्यायोचित ठहराने के लिए पुट-इन वाल्यूम/डिस्टेंस नियमों के माध्यम से संयुक्त 80 के एल पर विचार करने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या उच्च संयुक्त बिक्री किफायती है अथवा इससे व्यापार में कदाचार को बढ़ावा मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) एम एस/एच एस डी के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए अनुमोदित डीलरों का कमीशन देशव्यापी सर्वेक्षण के आधार पर 2424 कि.ली. प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र प्रतिवर्ष के औसत थ्रूपुट पर आधारित है।

(ख) डीलरों के कमीशन की गणना में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

नैप्था की कीमतें

707. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैप्था और विलायकों की कीमतों में तेजी से बढ़ोत्तरी होने की वजह से गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल कंपनियों और आयातकों को भारी मुनाफा नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नैप्था की लागत और बिक्री लागत को एक समान बनाने के लिए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आदि लगाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले 18 महीनों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और नाप्था दोनों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। चूंकि कच्चा तेल किसी रिफाइनरी में उत्पादन लागत का बड़ा भाग होता है और चूंकि कच्चे तेल के मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए आयात और घरेलू रिफाइनरियों दोनों माध्यमों से नाप्था की स्रोतीकरण लागत में भी तदनुसार वृद्धि हुई है। अत: निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों और नाप्था का विपणन करने वाले आयातकर्ताओं को भारी मुनाफा नहीं होता।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों हेतु नीति

708. डा. रमेश चंद तोमर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ऐसी नीति है कि सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम निजीकरण के बदलते परिदृश्य के दौरान उभरती प्रतियोगिता का सामना कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के खुदरा बिक्रय केन्द्रों के दोहरे कार्य से इसकी कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, एल पी जी (घरेलू), मिट्टी तेल (सा. वि. प्र.) एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो इस समय नियंत्रित उत्पाद हैं, के सिवाए सभी पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन नियंत्रणमुक्त कर दिया है। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के 31 मार्च, 2002 तक समाप्त होने का कार्यक्रम है।

(ग) और (घ) विद्यमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोहरे प्रचालन के लिए अनुमति नहीं है।

कार्गो और यात्री सेवा

709. **श्री मोइनुल हसन:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरक्का होकर कलकत्ता इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग को यात्रियों और माल ढोने के लिए कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ख) क्या फरक्का के साउथ लॉक चैनल में गाद समस्या संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और केन्द्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन निगम को अब भी जलमार्ग से गाद निकालने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) रा.ज.-1 का हल्दिया-कलकत्ता-पटना खंड 1.8 मी. तक के डुबाव वाले जलयानों द्वारा यात्री और माल यातायात के लिए वर्ष में लगभग 330 दिन के लिए खुला है। पटना- इलाहाबाद खंड में 1.8 मी. डुबाव के जलयानों के लिए वर्ष में 300-330 दिन प्रचालन के लिए नौचालन मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) से (घ) लॉक चैनल का निकर्षण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया था। चैनल का निकर्षण 2 मीटर की अपेक्षित गहराई तक पहले ही किया जा चुका है।

प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में मेथिलटचरी की मिलावट

710. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने की दृष्टि से पेट्रोल में मेथिलटचरी की मिलावट के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोल के लिए बी आई ऐस विनिर्देशों के अनुसार मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइलईथर (एम टी बी ई) जैसे आक्सीजेनेटस मिलाने की पहले से ही अनुमति है। एम टी बी ई जैसे ईथर श्रेणी से संबंधित आक्सीजेनेट्स पेट्रोल में अधिकतम 15 प्रतिशत की मात्रा तक मिलाए जा सकते हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनन कार्य

711. **मोहम्मद अनवारूल हक:**
श्री सुकदेव पासवान:
श्रीमती कांति सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विभिन्न स्थलों पर किए जा रहे उत्खनन कार्य में से किसी एक के भी पूरा करने की सूचना नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 22 चल रहे उत्खनन कार्य हैं। इन उत्खननों में से प्रत्येक की अनिवार्य रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ख) पूरे किए गए उत्खननों के संबंध में व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनित स्थलों का राज्यवार ब्यौरा

स्थल का नाम	स्थिति	किया गया व्यय		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
गोवा				
1. संत आगस्टाइन चर्च, गोवा	पूर्ण	332,969.00	199,998.00	—
हरियाणा				
1. राखीगढ़ी, जिला हिसार	पूर्ण	2300,000.00	2,895,000.00	2,950,000.00
जम्मू एवं कश्मीर				
1. कनिसपुर, जिला बारामूला	,,	—	—	495,000.00
2. जफर चाक, जिला जम्मू	,,	—	190,000.00	—
3. गुरु बाबा-का-टिब्बा जिला जम्मू	,,	75,000.00	—	—
मध्य प्रदेश				
1. चिचाली, जिला प. निमार	,,	—	1,325,072.00	1,824,826.00
2. उभारिया, जिला बेतूल	,,	—	200,000.00	—
3. सांची, जिला रायसेन	,,	100,000.00	45,544.00	163,899.00
4. कोटवाल (कुटवार) जिला मोरेना (म.प्र.)	,,	225,000.00	119,856.00	38,399.00
5. सतधारा, जिला रायसेन	,,	100,000.00	32,250.00	101,093.00
6. बीजामंडल, जिला खजुराहो जिला छतरपुर	,,	—	206,820.00	206,584.00
महाराष्ट्र				
1. पैठन, जिला औरंगाबाद	,,	195,512.00	224,981.00	—
तमिलनाडु	पूर्ण			
1. शोर मंदिर परिसर, जिला कांचीपुम-	,,	90,000.00	110,000.00	50,000.00
उत्तर प्रदेश				
1. बिसोकर, जिला गाजियाबाद	,,	—	600,000.00	—
2. श्रावस्ती (मतेह), जिला बहराइच	,,	825,000.00	525,000.00	—

1	2	3	4	5
3. भीटा, जिला इलाहाबाद	पूर्ण	113,060.00	—	—
4. संकिसा, जिला फर्रुखाबाद	"	250,000.00	—	—
5. फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा	"	—	—	467,295.00
6. सापुर, जिला गोंडा	"	—	149,986.00	—
पश्चिम बंगाल				
1. चंद्रकेतुगढ़, जिला उत्तर 24 परगना	"	—	—	282,835.00

[हिन्दी]

सांस्कृतिक योजनाओं में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी

712. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सांस्कृतिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें धर्मार्थ, स्वयंसेवी संगठन भाग ले रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर किस प्रकार निगरानी रखी जा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय त्योहार

713. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष "इंडिया फेस्टिवल्स" का आयोजन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उक्त "इंडिया फेस्टिवल्स" और "इंटरनेशनल कल्चरल मीट्स" में भाग लेने हेतु विदेशों में भेजे गए सांस्कृतिक ग्रुपों के कलाकारों/सदस्यों, आयोजकों और अधिकारियों की संख्या और इन पर खर्च की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) भारत महोत्सव दो देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय समझौते के आधार पर विदेशों में आयोजित किए जाते हैं। अब तक, निम्नलिखित भारत महोत्सवों का आयोजन किया गया:-

(1) यू.के.	1982
(2) फ्रांस	1985-86
(3) यू.एस.ए.	1985-86
(4) स्वीडन	1987
(5) यू एस एस आर	1987-88
(6) जापान	1988
(7) जर्मनी	1991
(8) चीन	1994
(9) थाईलैंड	1995-96

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी भारत महोत्सव आयोजित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्राचीन वस्तुओं की चोरी

714. श्री पी.एस. गड्डी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल प्राचीन वस्तुओं की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसी चोरी के राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) राज्य-वार कितनी प्राचीन वस्तुएं बरामद की गई हैं; और

(घ) इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) सरकार को पुरावशेषों की चोरी के कुछ मामलों की जानकारी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार सूचित किए गए चोरी के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

(1)	आंध्र प्रदेश	1
(2)	दिल्ली	1
(3)	गुजरात	1
(4)	कर्नाटक	1
(5)	मध्य प्रदेश	9
(6)	राजस्थान	1
(7)	तमिलनाडु	13
(8)	उत्तर प्रदेश	4

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार प्राप्त किए गए पुरावशेषों की संख्या इस प्रकार है:-

(1)	मध्य प्रदेश	40
(2)	राजस्थान	3
(3)	उत्तर प्रदेश	7

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय, सी.बी.आई., सीमा-शुल्क तथा राज्य सरकारों जैसे प्रवर्तन अधिकरणों के सामंजस्य से सीमा शुल्क निकासी द्वारों पर जांच को बढ़ा कर तथा साथ ही पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू करके पुरावशेषों की चोरी को रोकने के उपाय किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन चुने हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा संग्राहालयों पर सशस्त्र गार्डों को भी तैनात किया गया है।

ऐतिहासिक स्मारकों में अतिक्रमण और अवैध निर्माण

715. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री खारवेल स्वाईं:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक स्मारक और पूजास्थल अपने अन्दर अवैध अतिक्रमणों और अवैध निर्माण के कारण खतरे में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विभिन्न स्मारक/पूजास्थल अपने निकट ऊंची इमारतों का निर्माण होने से ढक रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्मारकों/पूजस्थलों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में एवं उनके आस-पास अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माणों के 184 मामलें हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

(ङ) यह देखने के बाद कि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के समीप ऊंची इमारतें बन रही हैं और उन्हें ढक रही हैं, केन्द्रीय सरकार ने प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम 1959 के तहत संशोधित नियम, 1992 जारी किया जिसमें संरक्षित सीमाओं से 100 मी. तक का क्षेत्र निर्माण तथा खनन कार्यों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है और उससे आगे 200 मी. तक का क्षेत्र नियमित घोषित किया गया है। जिसमें केवल महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण अथवा खनन कार्य अनुज्ञेय है।

विवरण-I

क्र.सं.	मंडल का नाम	अतिक्रमण किए गए स्मारकों की संख्या
1.	आगरा	16
2.	औरंगाबाद	28
3.	बंगलौर	5
4.	भोपाल	9
5.	भुवनेश्वर	8
6.	कलकत्ता	7
7.	चेन्नई	2
8.	चंडीगढ़	13
9.	दिल्ली	24
10.	धारवाड़	5
11.	गोवा	शून्य
12.	गुवाहाटी	3
13.	हैदराबाद	5
14.	जयपुर	11
15.	लखनऊ	16
16.	पटना	2
17.	त्रिसूर	शून्य
18.	बड़ोदरा	18
19.	श्रीनगर	12
	कुल	184

विवरण-II

ऊंची इमारतों द्वारा ढके गए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	मंडल का नाम	स्मारक/स्थल का नाम
1.	कलकत्ता	(1) बसौली का मंदिर, नानूर
		(2) दामोदर मंदिर, सूरी, बीरभूम
		(3) मंदिर समूह, कलना, बीरभूम
2.	दिल्ली	(1) जन्तर मन्तर, नई दिल्ली
		(2) हेली रोड स्थित उग्रसेन-की-बाओली
3.	बड़ोदरा	(1) शाह आलम मस्जिद, अहमदाबाद

धौलावीरा स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का संरक्षण

716. श्री जी.जे. जावीया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के धौलावीरा में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल के संरक्षण के लिए आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु कोई अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) धौलावीरा स्थित हड़प्पा कालीन स्थल के रख-रखाव के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) इसे कब तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) आपत्तियां आमंत्रित करने संबंधी एक प्रारंभिक अधिसूचना प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अधीन जारी कर दी गई है।

(ख) और (ग) जिला प्राधिकारियों के संकेत दिया है कि संरक्षण के लिए प्रस्तावित भूमि का हिस्सा अधिसूचित आरक्षित वन भूमि है। वन भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) मार्च, 2000 तक उत्खनित अवशेषों के संरक्षण पर 16.15 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है और वर्ष 2000-2001 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 5.07 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ङ) राज्य सरकार के साथ अधिसूचना प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में निहित विभिन्न स्तरों के परिप्रेक्ष्य में, इस संबंध में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं होगा।

[हिन्दी]

ई-मेल के माध्यम से मतदान

717. डा. संजय पासवान:
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी देशों की तरह लोक सभा, विधान सभा और अन्य निकायों के चुनावों के लिए ई-मेल के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया को अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों का आबंटन

718. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में फिलहाल जिला-वार कुल कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां काम कर रहीं हैं;

(ख) गत तीन-वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे से स्थान-वार कितने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के अंत तक महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के लिए और अधिक लाइसेंस प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में 1692 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 742 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थी।

(ख) विगत तीन वर्ष (1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000) के दौरान महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 7 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1996-98 से संबंधित विपणन योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए 84 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 124 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं। आर्थिक व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएंगी।

[हिन्दी]

विमानन योजना के तहत निर्माण कार्य

719. श्री मानसिंह पटेल: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान विमानन योजनाओं के अंतर्गत कितना कार्य पूरा किया गया;

(ख) इन योजनाओं में योजना-वार और वर्ष-वार कितनी राशि व्यय हुई है; और

(ग) इन धनराशि से चालू वर्ष के दौरान कौन से विकास कार्य किए गए?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) नौवीं योजना में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान, अन्य सहायक कार्यों के साथ-साथ डिजिटल विमानपत्तन टर्मिनल सूचना सेवा, डोप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (डीवीओआर), दूरी मापक उपस्कर (डीएमई), उपकरण अवतरण प्रणाली, कंप्यूटर, हवाई अड्डे पर निगरानी के लिए राडार (एएसआर), मोनोपल्स गौण निगरानी राडार (एमएसएसआर), अदिशिक बीकन (एनडीबी), डिजिटल वाइस टेप रिकार्डरों (डीवीटीआर) जैसे विभिन्न संचार दिक्चालन और निगरानी सुविधाएं जुटाने से संबंधित परियोजनाओं को पूरा किया गया था। उपरोक्त संचार दिक्चालन और निगरानी योजना के अधीन, 1997-98 में 19.75 करोड़ रुपये, 1998-99 में 88.25 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 में 35.28 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी थी। इन योजना में, चालू वर्ष 2000-2001 में अक्तूबर, 2000 तक 63.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। नये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के निर्माण, हवाई पट्टी के विस्तार, टर्मिनल भवन का परिवर्धन, हवाईपट्टी, टैक्सीपथ के पुन:

सतहलेपन, एप्रन के विस्तार, एयरोब्रिजों के संस्थापन, प्रशासनिक ब्लॉक और सहायक पेवमेंटों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य को अभी तक नौवीं योजना के दौरान किया गया था। अंतर्देशीय हवाई अड्डों पर इन परियोजनाओं पर कार्य को अभी तक नौवीं योजना के दौरान किया गया था। अंतर्देशी हवाई अड्डों पर इन परियोजनाओं के अधीन 1997-98 में 35.18 करोड़ रुपये, 1998-99 में 37.66 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 में 66.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे। चालू वित्त वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2000 तक अभी तक 16.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपरोक्त कार्यों पर 1997-98 में 118.05 करोड़ रुपये, 1998-99 में 109.50 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 में 151.11 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 69.44 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी थी। किए गए बड़े कार्यों में क्षत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई में नए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलकत्ता में टर्मिनल-2 का परिवर्धन, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, पर निर्यात काग्रों चरण-2 का परिवर्धन, इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल-2 प्रशासनिक ब्लॉक, चेन्नै में और त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल-2 का वातानुकूल किया जाना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

720. श्री सुनील खां: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर परियोजना-वार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में चल रहीं रेल परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति तथा प्रत्येक परियोजना पर मार्च, 2000 तक हुआ खर्च परिशिष्ट में दिया गया है।

जहां कहीं इन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है उसे परियोजना की स्थिति दर्शाने वाले संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में चल रही रेल परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2000 तक खर्च करोड़ रुपये में	बजट परिव्यय 2000-01	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	तारकेश्वर-विष्णुपुर	260.00	0.00	22.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	बोगांव-पेट्रापोल	6.70	3.70	1.00	कार्य पूरा हो गया है, प्रमुख कार्य में महत्वपूर्ण आशोधन के रूप में स्टेशन यार्ड तथा बोगांव और पेट्रापोल के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य स्वीकृत किया गया है।

1	2	3	4	5	6
3.	इकलाखी-बालूरघाट	128.00	46.90	50.00	इकलाखी से गजोल (14 कि.मी.) तक पहले ब्लाक खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पूरा हो गया है, गजोल से बुनियादपुर (14 से 28 कि.मी.) तक, जहां भूमि टुकड़ों में उपलब्ध थी, मिट्टी संबंधी 80% कार्य पूरा हो गया है, 72 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा हो गया है, शेष 14 कि.मी. के कार्य को भी जनवरी, 2001 तक पूरा करने की संभावना है, मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों की निविदाओं को अंतिम रुप दिया जा रहा है। इकलाखी-गजोल (11 कि.मी.) खंड को 31.3.2000 तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जाएगा।
4.	हावड़ा-आमटा	120.00	37.42	17.00	हावड़ा-बड़गछिया काफी पहले पूरा हो गया था, बड़गछिया से मुंसीरहाट (8 कि.मी.) पूरा हो गया है, मुंसीरहाट से आमटा (11 कि.मी.) के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य को शुरू किया जाएगा, बड़गछिया-चम्पाडांगा के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अगले वर्ष शुरू किया जाएगा।
5.	लक्ष्मीकांतपुर-नामखाना	105.92	56.21	15.00	यह कार्य चरणों में प्रगति पर है, पहला चरण लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप है, लक्ष्मीकांतपुर से काशीनगर (31 कि.मी.) खंड को पहले ही यातायात के लिए खोल दिया है। काशीनगर और काकद्वीप (3.5 कि.मी.) के बीच कार्य प्रगति पर है, समूची भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है, पहले चरण का कार्य 31.11.2000 तक पूरा हो जाएगा। काकद्वीप से नामखाना (13.5 कि.मी.) तक दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया है और इसे 28.2.2001 तक अधिग्रहीत कर लिए जाने की संभावना है।
6.	मंदारहिल-रामपुर हाट, बरास्ता दुमका	170.47	4.46	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है भूमि अधिग्रहण से संबंधित नक्शे और कागजात तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और दे बड़े पुलों के लिए ठेका दे दिया गया है, मंदारहिल छोर से 23 कि.मी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
7.	न्यू मायनागुड़ी-जोगीघोपा	737.00	0.00	6.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं।
8.	ताम्लुक-दीघा	225.00	50.79	100.00	मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य अच्छी प्रगति पर है, समूचे खंड के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है, गर्डर बनाने का कार्य प्रमति पर है, हल्दी पुल की उप संरचना पूरी कर ली गई है। अधिसंरचना संबंधी कार्य प्रगति पर है, इस कार्य को वित्त वर्ष 2000-01 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

1	2	3	4	5	6
आमान परिवर्तन					
1.	बांकुड़ा-दामोदर रिवर परियोजना	100.00	3.00	40.00	खंड 1 और 10 से 12 से संबंधित मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी कार्यों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेल मंत्री जी की वांछा है कि यह कार्य 2 वर्ष के समय में पूरा हो जाए और ऐसा करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, बशर्ते आगामी वर्षों में धनराशि उपलब्ध हो।
2.	न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी	535.88	48.00	80.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं, 230 कि.मी. खंड में मिट्टी और पुल संबंधी कार्यों के लिए ठेका दे दिया गया है और कार्य प्रगति पर है, 50 कि.मी. के अन्य खंड के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस्पात गर्डर बनाने के लिए मध्य, पश्चिम और पूर्व रेलों की इंजीनियरिंग वर्कशॉपों को आदेश दिए गए हैं।
दोहरीकरण					
1.	विद्युतीकरण सहित बारासात-हसनाबाद का दोहरीकरण चरण-1 (बारासात-सोंडिला)	27.00	0.00	5.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है, निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।
2.	कालीनारायणपुर-कृष्णानगर	40.00	0.00	5.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, मिट्टी और पुलों के लिए निविदा संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
3.	पांसकुरा-हल्दिया चरण-1 (पांसकुरा-राजगोदा)	48.00	0.00	2.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है, विस्तृत योजना बनाई जा रही है।
4.	सोनारपुर केनिंग चरण-1 (सोनारपुर-घुटियारी शरीफ)	36.00	0.00	6.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी और पुल संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया।
5.	अलुवाबारी रोड-कृष्णानगर	49.30	44.30	5.00	यह कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
6.	बरुईपुर-लक्ष्मी कांतपुर चरण-1 (बरुईपुर-दक्षिणी बारासात)	49.00	0.00	5.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, मिट्टी और पुल संबंधी निविधाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
7.	बोलपुर-अहमदपुर	49.00	0.00	1.80	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है, नक्शे और अनुमान बनाने का कार्य प्रगति पर है।
8.	बज बज-अकरा चरण-1	10.37	5.37	5.00	यह कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
9	चंदनपुर-गुरुप तीसरी लाइन	23.82	13.82	10.00	कार्य प्रगति पर है और चेराग्राम-गुरूप (5 कि.मी.) चालू कर दिया गया है, चंदनपुर-बेलमुड़ी खंड को दिसम्बर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्य को 28.2.2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
10.	गुरूप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	41.53	4.10	10.00	नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। निविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
11.	गुसकारा-बोलपुर चरण-3	28.02	20.25	7.00	कार्य प्रगति पर है, गुसकारा से पिचकुरीढाल (5.5 कि.मी.) खंड पर कार्य पूरा हो गया है और शेष खंड को 31.3.2001 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	झारपटेरडाल-गुसकारा चरण-2	11.46	10.46	0.33	कार्य पूरा हो गया है।
13.	खन्ना-सैंथिया चरण-1	12.07	11.07	1.00	यह कार्य पहले अदालती मामले और संविदागत समस्याओं के कारण तथा बाद में डीवीसी द्वारा अधिक पानी छोड़े जाने, जिसके कारण क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, के कारण रुक गया था, ऊपरी पुल की उपसंरचना पूरी हो गई है। अब इस कार्य के दिसंम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
14.	किशनगंज-दलखोला	43.73	28.73	15.00	किशनगंज-हटवार-कनकी (14 कि.मी.) के दो ब्लाक खंड चालू हो गए हैं और शेष दिसंबर, 2000 तक पूरे हो जाएंगे।
15.	न्यू अलीपुरद्वार-अकरा चरण-1	16.17	2.00	10.00	नक्शों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मिट्टी तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्यों के लिए निविदाएं दे दी गई हैं।
16.	साहिबगंज-न्यू फरक्का-मालदा	62.35	61.35	1.00	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
17.	तारकेश्वर-शेवड़ाफुल्ली चरण-1 (शेवड़ाफुल्ली-नालीकुल)	41.00	0.00	2.00	2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
महानगर परिवहन परियोजना					
1.	दमदम-तला विद्युतीकरण सहित सर्कुलर रेलवे	192.90	48.94	45.00	प्रिंसेपघाट-माजेरहाट खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है। दमदम से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डे तक संरेखण को अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु मैसर्स जेस्सप एंड कंपनी से बातचीत प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2004 है।

1	2	3	4	5	6
2.	दमदम-गरिया द्रुत पारगमन प्रणाली का डिजाइन और निर्माण	2401.69	1676.86	150.50	दमदम से टॉलीगंज तक मेट्रो रेलवे 27.9.1995 को चालू की गई थी, टॉजीगंज से गरिया तक परियोजना के विस्तार से संबंधित कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है, इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2005 है।
3.	विद्युतीकरण-हसनाबाद से बारासात	37.70	4.50	25.00	सभी कार्यों के लिए ठेके पहले ही दे दिये गए हैं, नींव की कास्टिंग और प्लेटफार्म का ऊंचा उठाने और इन्हे बढ़ाने से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं, इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च, 2002 है।
4.	राणाघाट-बोंगाव विद्युतीकरण	14.78	9.01	5.00	तार संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इस परियोजा को पूरा करने की लक्ष्य तिथि मार्च 2001 है।
रेलवे विद्युतीकरण					
1.	आद्रा-मिदनापुर	84.41	70.24	5.00	कार्य पूरा हो गया है और अवशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं।
2.	बंडेल-कटवा	49.26	44.43	2.54	कार्य पूरा हो गया है और अविशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं।
3.	खड़गपुर-भुवनेश्वर तालचेर-पारादीप सहित	303.48	115.45	40.05	इस कार्य को पहले बोल्ट योजना के अंतर्गत करने की योजना बनाई गई थी, बहरहाल, उच्च दरों और अस्वीकार्य शर्तों के कारण फरवरी, 1997 में इस कार्य को रेलवे निधि से शुरू करने का विनिश्चय किया गया। 31.3.2000 तक 56 मार्ग कि.मी. ऊर्जित किया गया है, अब इस कार्य को मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4.	कृष्णनगर-लालगोला	72.12	0.00	5.50	बजट में शामिल नया कार्य। रेलकर्मियों द्वारा विस्तृत अनुमान बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत किए जाने हैं।

तासी फील्ड्स से प्राकृतिक गैस का उत्पादन

721. **श्री दिलीप संघाणी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तासी फील्ड्स में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का कोई आंकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गैस को किन-किन परियोजनाओं हेतु आबंटित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 01.04.2000 को मध्य और दक्षिण तासी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली प्रारम्भिक गैस करीब 106.3 बिलियन घन मीटर होने का अनुमान है।

(ग) फिलहाल, तासी क्षेत्रों से 5.4 मिलयन घन मीटर प्रति दिन (एम एम सी एम डी) के संपूर्ण औसत दैनिक उत्पादन को ओ एन जी सी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली गैस के साथ सहमिश्रित किया जा रहा है तथा हजीरा और हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (एच बी जे) पाइपलाइन पद्धति द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को आपूर्ति किया जाता है।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

722. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रही/लंबित रेल परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इनके लिए परियोजना-वार अब तक कितनी धनराशि निर्धारित और व्यय की गई है; और

(ख) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) गुजरात में शुरू की गई परंतु लंबित विभिन्न रेल परियोजनाओं का नाम और उनकी मौजूदा स्थिति तथा इनके लिए निर्धारित धनराशि और मार्च, 2000 तक उन पर हुआ खर्च परिशिष्ट में दिया गया है।

जहां कहीं लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है, उसे परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाले संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2000 तक खर्च करोड़ रुपये में	बजट परिव्यय 2000-01	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
			गुजरात में चल रही रेल परियोजनाएं		
नई लाइनें					
1.	गांधीनगर-अजमेर मोती-कलोल	52.00	0.00	2.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
2.	गोधरा-इंदौर देवास-मक्सी	597.00	21.09	10.00	यह कार्य चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। दो बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर हैं, तथा शेष 6 बड़े पुल पूरे हो गए हैं। सभी 49 छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूरे हो गए है। मिट्टी तथा मिट्टी आपूर्ति संबंधी जैसी अन्य मदों के कार्य भी प्रगति पर हैं। इस खंड के नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों, इंदौर-दाहोदा-गोधरा के बीच कार्य, देवास और मक्सी के बीच के कार्य के पूरा हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।
3.	कपड़वंज-मोदासा	62.74	50.00	10.00	यद्यपि यह कार्य 1978-79 में स्वीकृत किया गया था, तथापि कुछ वर्षों तक यह रोके रखा गया था। नादियाड और कपड़वंज के बीच आमान परिवर्तन का कार्य, जो स्वीकृत परियोजना का एक भाग था, 1992-93 में पूरा कर लिया गया था। नई लाइन के भाग का कार्य 1994-95 में पुन: शुरू किया गया था। अब यह कार्य प्रगति पर है और इसके दिसंबर 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
दोहरीकरण					
1.	सूरत-कोसांबा बड़ोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन का चरण-1	49.00	0.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
रेल विद्युतीकरण					
1.	उधना-जलगांव	138.12	14.98	25.20	मार्च 2000 तक 11 कि.मी. मार्ग ऊर्जित किया गया है। यह कार्य निर्धारित समयानुसूची के अनुसार प्रगति पर है। लक्ष्य तिथि मार्च 2003 है।
आमान परिवर्तन					
1.	भिलड़ी-वीरमगाम	64.88	11.43	6.90	मिट्टी, छोटे और बड़े पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा हो जाएंगे, इस कार्य को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।
2.	धांगध्रा-कुडा साइडिंग	13.27	3.09	0.10	यह कार्य गुजरात सरकार और उद्योग मंत्रालय के साथ लागत में 1/3 की भागीदारी के आधार पर किया जा रहा है। मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और संपूर्ण मिट्टी सप्लाई पूरी हो गई है। यह कार्य प्रगति पर है और सहभागीदारों द्वारा अपने हिस्से की धनराशि जमा कराने के बाद यह कार्य पूरा हो जाएगा।
3.	गांधीधाम-पालनपुर	337.79	10.00	3.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। नक्शे और अनुमान तैयार करने संबंधित प्रारंभिक कार्य शूरू किए गए हैं।
4.	गांधीधाम-भुज	52.00	8.30	20.00	यह कार्य प्रगति पर है। इसे 2000-01 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
5.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद		0.00	15.00	यह कार्य पूरा हो गया है और इस लाइन को चालू कर दिया गया है, अवशिष्ट कार्य प्रगति पर है।
6.	राजकोट-वेरावल	153.36	18.19	10.00	मिट्टी, छोटे पुलों तथा बड़े पुलों को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्य शूरू किए गए हैं, ये प्रगति पर हैं, इस कार्य के आगामी वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
7.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर	536.11	15.01	53.00	संरचना तथा पुल संबंधी कार्य अच्छी प्रगति पर है। रेलपथ सिगनल आदि से संबंधित कार्य रेल मंत्रालय और जीपीपीएल के परामर्श से एसपीवी द्वारा किए जाने हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, अभी अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। पूरा होने की लक्ष्य तिथि 2002-03 है।
8.	वांकानेर-मलिया मियाना	82.48	19.42	30.00	यह कार्य अच्छी प्रगति पर है। मोरबी से मलिया मियाना और दहिंसरा-नवलाखी के बीच पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है, शेष खंड को 2000-01 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सिल्चर बाई-पास सड़क निर्माण की स्थिति

723. श्री संतोष मोहन देव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिल्चर बाई-पास सड़क का निर्माण कार्य योजना समय अवधि से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो देरी कितनी हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) भूतल परिवहन मंत्रालय ने सिल्चर बाई-पास का निर्माण कार्य बी ओ टी (बिल्ड ओपरेट ट्रांसफर) के आधार पर सीमा सड़क संगठन को सौंपा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सीमा सड़क संगठन विभागीय तौर पर कार्य करता है, यह बी.ओ.टी. के आधार पर कार्य करने की स्थिति में नहीं है। भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि इस कार्य को विभागीय तौर पर करने की छूट दी जाए तथा परियोजना के लिए समग्र रूप से धन मुहैया कराया जाए।

सांस्कृतिक संस्थानों का वित्त पोषण

724. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों और विभिन्न भारतीय तथा विदेशी सांस्कृतिक सोसायटियों को वित्त पोषित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत और विदेश दोनों में मनाए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों का ब्यौरा क्या है और उन पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया है;

(च) क्या सरकार को इन सांस्कृतिक समारोहों के आयोजन हेतु किसी तरह का कोई प्रयोजन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। विभाग की दस स्कीमों के अन्तर्गत देश के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। स्कीमों और प्रमुख संस्थाओं के लिए बजटीय आवंटन व अनुदान संबंधी ब्यौरे विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिए जाते हैं। वर्ष 1997-98 में 506 संस्थाओं, वर्ष 1998-99 में 342 संस्थाओं, वर्ष 1999-2000 में 774 संस्थाओं, तथा वर्तमान वर्ष में अभी तक 476 संस्थाओं को अनुदान निर्मुक्त किया गया। उन भारत-विदेशी सांस्कृतिक सोसायटियों की सूची, विवरण 1 में प्रस्तुत है, जिन्हें वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अनुदान निर्मुक्त किए गए थे। वर्तमान वर्ष के लिए अभी तक किसी भी भारत-विदेशी सांस्कृतिक सोसायटी को कोई भी अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत सरकार ने 109 देशों के साथ सांस्कृतिक करार और 75 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम संपन्न किए हैं।

(ङ) विदेशों में आयोजित भारत महोत्सवों और भारत में आयोजित पारम्परिक विदेशी महोत्सवों पर व्यय संबंधी ब्यौरा विवरण-2 में प्रस्तुत है।

(च) और (छ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मेसर्स कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड सिकंदराबाद ने वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका) में भारतीय मेला के लिए प्रायोजन-राशि के रूप में 7.02 लाख रु. का भुगतान किया, जोकि वर्ष 1985-86 में संयुक्त राज्य अमरीका में आयोजित भारत-महोत्सव का एक भाग था।

विवरण-1

क्र.सं.	देश	सोसायटी का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	भूटान	भूटान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसियेशन	15,000	15,000	15.000
2.	लिथुआनिया	दि लिथुआनियन इंडियन सोसायटी	20,000	-	-
3.	पेरू	इंडो-पेरुवियन फ्रेंडशिप सोसायटी	20,000	-	-

1	2	3	4	5	6
4.	बुल्गारिया	फ्रेंड्स ऑफ इंजिया क्लब	15,000	25,000	25,000
5.	लीबिया	इंडियन वूमेन्स एसोसिएशन	25,000	25,000	25,000
6.	बेलारूस	इंडो-बेलारसिक्न फ्रेंडशिप सोसायटी	15,000	–	15,000
		लिथुआनियन इंडिया सोसायटी	–	–	26,000
7.	लातविया	दि सेंटर ऑफ लातवियन इंडियन कल्चर	15,000	–	–
8.	दक्षिण कोरिया	टैगोर सोसायटी आफ कोरिया	15,000	15,000	15,000
		कोरिया इंडिया सोसायटी	15,000	15,000	15,000
		कोरिया-इंडिया क्लब	–	–	10,000
9.	नीदरलैंड	दि नीदरलैंड्स इंडियन एसोसियेशन	40,000	40,000	40,000
10.	बेल्जियम	भारतीय समाज	15,000	15,000	–
		इंडियन एसोसियेशन लक्जेमबर्ग	15,000	15,000	–
		शांति दर्शन ए एस बी एल	15,000	–	–
		भारत दर्शन	–	15,000	–
11.	कुवैत	इंडियन आर्ट्स सर्किल	10,000	15,000	15,000
12.	ब्राजील	इंडो-ब्राजीलियन एसोसियेशन	20,00	–	25,000
		इंडियन एसोशियेशन साओ पाऊलो	–	–	15,000
13.	सेशल्स	दि सेशल्स फ्रेंडशिप एसोसियेशन	15,000	–	–
14.	जापान	निप्पोन वेदान्त (क्योकाई)	40,000	40,000	50,000
15.	सूडान	सुडानिज फ्रेंडशिप एसोसियेशन	15,000	12,000	25,000
		इंडियन सूडान सोसायटी, खार्तूर्म	12,000	12,000	–
		इंडियन क्लब, ओमदूरमान	12,000	12,000	25,000
		इंडियन क्लब, पोर्ट सूडान	10,000	10,000	15,000
		इंडियन क्लब, कस्साला	8,000	8,000	–
16.	चीली	रिपब्लिक ऑफ इंडियन स्कूल, सैंटियागो	15,000	15,000	15,000
		गांधी कल्चरल एण्ड इकोलोजिकल ग्रुप, काहिरा	15,000	–	–
17.	केन्या	इंडियन फ्रेडशिप एसोसियेशन, नैरोबी	15,000	15,000	–
		केन्या इंडियन ग्रेडुएट एसोसियेशन, नैरोबी	15,000	–	–
		साऊथ इंडियन कल्चरल सोसायटी	15,000	15,000	–
		मा शारदा स्कूल ऑफ म्यूजिक	–	15,000	–

1	2	3	4	5	6
18.	युगांडा	इंडियन ऐसोसियेशन, कम्पाला	10,000	12,000	15,000
		इंडियन एसोसियेशन नार्थ इस्टर्न युगांडा जिंगा	10.000	11,000	12,000
		इंडो-युगांडा फ्रेंडशिप सोसायटी	10,000	5,500	-
		इंडियन एसोसियेशन ऑफ रवांडा	5,000	-	6,500
19.	श्रीलंका	श्रीलंका इंडिया सोसायटी	80,000	80,000	90,000
		टैगोर सोसायटी ऑफ श्रीलंका	15,000	15,000	15,000
		शारदा कला निकेतानया कलालतया	15,000	15,000	15,000
		स्कूल ऑफ डान्स एण्ड म्यूजिक	12,000	12,000	12,000
		कलायन्या स्लिका	12,000	12,000	12,000
20.	हंगरी	हंगेरियन इंडियन फ्रेंडशिप सोसायटी	15,000	15,000	25,000
21.	लेबनान	सर्किल ऑफ इंडियन स्टडीज	15,000	-	-
22.	अर्जेण्टीना	आनंद भवन सेंटर ऑफ स्टडीज आफ माडर्न इंडिया,	15,000	15,000	20,000
		महात्मा गांधी लाइब्रेरी एण्ड हॉकी स्कूल,	15,000	15,000	20,000
		हिन्दुस्तानी एसोसियेशन ऑफ अर्जेण्टीना	10,000	6,000	6,000
23.	यमन	इंडो-यमन फ्रेंडशिप एसोसियेशन	10,000	-	-
24.	क्रोएशिया	इंडो-क्रोएशियन फ्रेंडशिप सोसायटी	15,000	-	20,000
25.	नेपाल	नेपाल-भारत मैत्री संघ	75,000	1,25000	1,25000
26.	ब्रातिस्लावा	फ्रेंड्स ऑफ इंडिया क्लब, ब्रातिस्लावा	10,000	-	-
27.	आस्ट्रिया	आस्ट्रो इंडियन एसोसियेशन, वियना	30,000	30,000	30,000
28.	स्वीडन	स्वीडन इंडियन सौसायटी	15,000	-	-
29.	स्वीट्जरलैंड	इंडियन एसोसियेशन, बर्न	30,000	30,000	30,000
		इंडियन एसोशियेशन, जेनेवा	30,000	30,000	30,000
		इंडियन एसोशियेशन, बैदेन	30,000	30,000	30,000
		एसोसियेशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ इंडियन, बेसेल	15,000	15,000	30,000
		इंडियन एसोसियेशन, लाओसेन	15,000	15,000	30,000
		इंडियन एसोसियेशन, ज्यूरिख	15,000	15,000	20,000
30.	पनामा	रिपब्लिक बी ला इंडिया स्कूल	15,000	15,000	15,000
31.	बोत्सवाना	इंडियन एसोसियेशन ऑफ बोत्सवाना	15,000	15,000	-
		केरल समाजम, बोत्सवाना	10,000	-	-

1	2	3	4	5	6
32.	डेनमार्क	डेनिस इण्डियन सोसायटी, कोपेनहेगन	15,000	15,000	15,000
		डेनिश इण्डियन सोसायटी, फुनेन	15,000	-	15,000
		इंडियन म्यूजिक सोसायटी, कोपेनहेगन	15,000	15,000	15,000
33.	थाईलैण्ड	थाई भारत सांस्कृतिक लॉज	25,000	-	25,000
34.	मैडागास्कर	हिन्दू समाज एसोसिएशन	15,000	-	15,000
		ऐमीकेट डेस कोमेन्टर्स इंडियन डे मैडागास्कर	15,000	-	15,000
35.	बोन (जर्मनी)	ड्येत्से-इण्डिशे हेसेल्साफ्ट, स्टटगार्ट भारत वेरनेन ई.वी. फ्रैंकफुर्त	50,000	-	70,000
		टैगोर इन्स्टीट्यूट बोन	20,000	-	20,000
		इडिया यूनिटी सेन्टर, बर्लिन	20,000	-	-
		इण्डो जर्मन कल्चरल एसोसिएशन	20,000	-	-
		ड्यूत्से-इण्डिशे हेसेल्साफ्ट, कियल	20,000	-	20,000
		इंडिसेस कुटुर इन्स्टीट्यूट, फ्रैंकफुर्त	20,000	-	20,000
		भारत मजलिस ई.वी. बर्लिन	20,000	-	20,000
		भारतीय महोत्सव समिति	20,000	-	20,000
		नित्य सेवा	-	-	15,000
36.	वियतनाम	इण्डो-वियतनाम फ्रैंडशिप एसोसियएशन	10,000	-	12,500
37.	फिनलैण्ड	भारत क्लब	15,000	-	-
38.	किर्गीजस्तान	इण्डो किर्गीज फ्रैंडशिप सोसायटी	15,000	30,000	40,000
39.	फ्रांस	सेन्टर सोलिड ड' आर पेरिस	9036	10,000	-
		नादोपासना, इन्स्टीट्यूट आफ कार्नेटिक मूजिक पेरिस	9036	-	-
		नाट्यमित्रम (दि फ्रेंडशिप आफ थियेटर) पेरिस	9036	-	-
		एसोसियेशन ड' एमिटीज फ्रेंको इण्यिननेस डिस	9036	10,000	
		त्रिवेणी	-	10,000	12,000

1	2	3	4	5	6
		सेन्टर मण्डोप्टा		10,000	12,000
		कलाविस्तार		10,000	12,000
		थियेटर ऐन टेटे			7,500
		एसोसियेशन' लेस कम्पटोयरे डे इण्डे			7,500
40.	मारीशस	मारीशस इण्डिया फ्रैंडशिप सोसायटी			15,000
		भारतीय विश्वविद्यालय स्नातक संघ			15,000
		हिन्दी प्रचारिणी सभा			15,000
		आर्य सभा मारीशस			10,000
		सनातन धर्म मन्दिर परिसंघ			10,000
		सनातन धर्म मन्दिर परिषद			15,000
		मानव सेवा न्यास			15,000
		मारीशस तमिल मन्दिर परिसंघ			15,000
		मारीशस मराठी मंडली परिसंघ			15,000
		इण्डो मारीशस कैथोलिक एसोसियेशन			–
		राष्ट्रीय उर्दू संस्थान			15,000
		हिन्दी लेखक संघ			10,000
		मारीशस भोजपुरी संस्थान			10,000
		हिन्दू महा जन संगम			7,500
		हिन्दू काउन्सिल आफ मारिशस			7,500
41.	म्यांमार	आल म्यांमार हिन्दी सेंट्रल बोर्ड, यांगोन			17,000
		आल म्यांमार आंध्र हिन्दू धार्मिक सोसायटी			17,000
		आर्य प्रतिनिधि सभा			17,000
		श्री रामकृष्ण मन्दिर न्यास			11,000
		महात्मा गांधी प्रार्थना भवन,			10,000
		भारतीय कला केन्द्र जेयावाड़ी			6,000

1	2	3	4	5	6
		महात्मा गांधी प्रार्थना कक्ष			6,000
		भारतीय संगीत सम्मेलन			5,000
		आल म्यांमार गीता प्रचार समिति			5,000
		तिरूवल्लूर कोट्टम्, थाटन			17,000
		लतिया सेवा आश्रम			17,000
		श्री वेमना पुस्तकालय			17,000
42.	लाओस	लाओ-भारत मैत्री संघ		15,000	15,000
43.	सेनेगल	राजस्थान क्लब इन्टरनेशनल		15,000	15,000
44.	तुर्कमेनिस्तान	गंगा क्लब		15,000	15,000
45.	उत्तर कोरिया	कोरिया भारत मैत्री संघ		10,000	15,000
46.	तुर्की	भारतीय सांस्कृतिक एवं मैत्री संघ		10,000	15,000
47.	इण्डोनेशिया	इण्डोनेशिया भारत संघ		15,000	
48.	मैक्सिको	भारतीय विद्या भवन		3,00,000 (3 लाख)	
49.	आयरलैंड	आयरलैंड इंडिया क्लचरल एसोसियेसन,		15,000	20,000
		इंडिया क्लब		15,000	20,000
50.	गुयाना	वूमन्स क्लब ऑफ दि इंडिया		7,500	7,500
		क्लचर सैन्टर गुयाना इंडिया फाउंडेशन		10,000	10,000
51.	इथोपिया	इथोपियन एलूमिनी एसोशिएशन		15,000	15,000
52.	रूमानिया	इंडो-रूमानियन क्लचरल		15,000	15,000
		एसोशियशन आधार शिला		15,000	-
53.	चैक	फ्रैन्ड्स ऑफ इंडिया एसोशियेशन		15,000	20,000
54.	थाईलैंड	थाई भारत क्लचरल लॉज		25,000	20,000
55.	जिम्बाबवे	जिम्बाबवे इंडिया फ्रैंडशिप एसोशियशन		15,000	-
56.	संयुक्त राज्य	गदर मेमोरियल		15,000	-
	अमेरिका	दि अकादमी ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट		5,000	
		नन्द तरंगणी		5,000	5,000
		इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सोसायटी		-	5,000

1	2	3	4	5	6
57.	मंगोलिया	इंडो मंगोलियन फ्रेंडशिप सोसायटी		15,000	
58.	ईरान	इंडो इरानियन एसोशिएशन		15,000	
59.	मलेशिया	दि टैम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स			20,000
		दि शास्त्र डान्स थियेटर			20,000
60.	कम्बोडिया	इंडियन एसोशिएशन ऑफ कम्बोडिया			10,000
61.	यूक्रेन	शान्ति क्लब			25,000
		इंडो जार्जियन फ्रैंडशिप सोसायटी			25,000
		सरस्वती क्लब			25,000
		यूक्रेन इंडिया एसोसियेशन			20,000
62.	स्पेन	फ्रैन्डस ऑफ इंडिया एसोशियेशन			10,000
		इंडो स्पेनिश क्लचरल एसोसिएशन			10,000
63.	स्वीडन	लातवियन इंडियन क्लचरल एसोसियेशन			20,000
		स्वीडिश इंडियन सोसायटी			20,000
64.	बहरीन	इंडो बहरीन फ्रैंडशिप सोसायटी		10,000	12,000

विवरण-2

विदेशों में आयोजित उत्सव और उन पर किया गया व्यय

क्रम संख्या	देश का नाम	वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	यू.के.	1982	1.75
2.	फ्रांस	1985.86	3.90
3.	यू.एस.ए	1985-86	6.90
4.	स्वीडन	1987	0.70
5.	यू.एस.एस.आर.	1987-88	15.00
6.	जापान	1988	3.00
7.	जर्मनी	1991	4.78
8.	चीन	1994	2.14
9.	थाईलैंड में आयोजित भारत महोत्सव	1995-97	1.90

पारस्परिक उत्सव पर किया गया व्यय

क्र.सं.	देश का नाम	वर्ष	किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1.	भारत में रूस महोत्सव	1987-88	20.98
2.	भारत में जापान मास	1987	2.44
3.	भारत में फ्रांस महोत्सव	1989-90	3.18
4.	भारत में स्वीडन महोत्सव	1991-93	0.70
5.	भारत में चीन महोत्सव	1992-93	1.77
6.	भारत में थाईलैंड महोत्सव	1997	0.50

[हिन्दी]

महिला अदालतें

725. श्री पद्मसेन चौधरी: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों का निपटान करने के लिए देश में महिला अदालतें गठित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अदालतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अदालतों में भारी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

(ङ) इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(च) क्या सरकार का देश में कुछ और महिला अदालतें गठित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

रेल लाइन बिछाना

726. श्री जयभद्र सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास शाहगंज, सुल्तानपुर और कादीपुर के रास्ते अमेठी से नई दिल्ली तक रेललाइन बिछाने का प्रस्ताव काफी लंबे समय से लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं और इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) शाहगंज तथा अमेठी पहले से ही रेल द्वारा नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसके आगे, सुल्तानपुर तथा कादीपुर के रास्ते शाहगंज से अमेठी तक नई लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य वर्ष 1982-83 के दौरान शुरू किया गया है। वित्तीय रूप से व्यावहारिक न होने के कारण इस कार्य को मंजूरी नहीं दी गई। वर्ष 1982-83 के सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन करना पुन: शुरू किया गया है। रिपोर्ट अगले वित्तीय वर्ष में आने की उम्मीद है। अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर आगे विचार संभव हो पाएगा।

[हिन्दी]

गोंडा-गोरखपुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

727. श्री रिजवान जहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोंडा से बलरामपुर के रास्ते गोरखपुर तक मौजूदा रेल लाईन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने संबंधी आवश्यक मंजूरी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) आवश्यक मंजूरी कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। इस परियोजना के लिए योजना आयोग का मूल्यांकन, रेलवे के विस्तारित बोर्ड की संस्तुति और अंतत: सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। रेलवे के विस्तारित बोर्ड की बैठक के दौरान, योजना आयोग ने अतिरिक्त सूचना मांगी थी जो उन्हें भेज दी जाएगी। इसके बाद इस परियोजना का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा तथा रेलवे के विस्तारित बोर्ड द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक स्वीकृतियां कब तक प्राप्त कर लिए जाने का संबंध है वह उपर्युक्त प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करता है।

जलमार्ग से मालभाड़ा परिवहन

728. श्री नवल किशोर राय:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जलमार्ग से मालभाड़ा परिवहन की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो जलमार्ग से देश में कुल कितने प्रतिशत मालभाड़ा परिवहन किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने मालभाड़ा परिवहन हेतु जलमार्गों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो ये जलमार्ग कौन से हैं; और

(ङ) इन जलमार्गों के विकास हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द्रुवमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टी आई एफ ए सी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित "जलमार्ग: प्रौद्योगिकी परिदृश्य 2020" के अनुसार देश में कुल यातायात का अधिकतम 3.5% यातायात का संचालन जलमार्गों के जरिए किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने निम्नलिखित दस जलमार्ग अभिनिर्धारित किए हैं जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित और घोषित करने की संभावना है:-

1. गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली
2. ब्रह्मपुत्र
3. पश्चिम तटीय नहर
4. सुन्दरबन
5. गोदावरी
6. कृष्णा
7. महानदी
8. नर्मदा
9. गोवा और मंडोवी, जुआरी नदियां और कम्बरजुआ नहर
10. तापी

इसके अतिरिक्त बरक नदी, पूर्व तटीय नहर, डी वी सी नहर क्या काकीनाडा-मरकानम नहर पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन भी किये गए हैं जिनसे पता चला है कि इन जलमार्गों में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास की संभावनाएं मौजूदा हैं।

(ङ) राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास करने की प्रमुख जिम्मेदारी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की है। तीन जलमार्गों अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.), सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र (891 कि.मी.) और चम्पाकारा व उद्योगमंडल नहरों सहित पश्चिम तटीय नहर (205 कि.मी.) को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन नौचालनात्मक चैनल, टर्मिनल और नौचालानात्मक उपकरण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर इनका विकास किया जा रहा है।

अन्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित करना और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनका विकास करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता

729. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री जय प्रकाश:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्रत्येक आयुध निर्माणी का वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हथियार आपूर्ति के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बाजार में प्रवेश करने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से सहयोग लेने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के इस युग में गोपनीयता के स्थान पर नई आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता देकर रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा आयुध निर्माणियों का कारोबार 34.6% अधिक रहा है। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रत्येक आयुध निर्माणी के वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक इन आयुध निर्माणियों द्वारा भौतिक कार्य-निष्पादन का संबंध है इनमें विभिन्न प्रकार की बहुत सी मदों का उत्पादन किया जाता है जिनमें छोटे हथियार तथा इनके गोलाबारूद, यातायात वाहन, कवचित कार्मिक वाहन, टैंक, तोपखाना तथा टैंक आदि से संबंधित गोलाबारूद इत्यादि शामिल हैं।

आयुध निर्माणियां तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान पहले से ही रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के बाद सीमित संख्या में हथियारों और गोलाबारूद का निर्यात कर रहे हैं। देश में तथा अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विदेशी कंपनियों से मिलकर सह-उत्पादन करने तथा हिस्से-पुर्जों की आपूर्ति की संभावनाओं को तलाशना आदि हाल ही में शुरू किए गए कुछ प्रयास हैं।

सी आई आई तथा भारतीय उद्योग की अन्य एसोसिएशनों ने रक्षा उद्योग में सहभागिता के लिए गहरी रुचि जाहिर की है। हमारा लक्ष्य निजी क्षेत्र के योगदान के मौजूदा स्तर, जोकि कच्चा माल तथा अर्धनिर्मित उत्पादों तथा संघटक आदि की उपस्कर निर्माता को आपूर्ति किए जाने तक सीमित है, को बढ़ाना है। निजी क्षेत्र की क्षमताओं, विशेष करके सूचना प्रौद्योगिकी में, को देखते हुए तथा संपूर्ण राष्ट्रीय संसाधनों का रक्षा संबंधी कार्यों में सहयोग लेने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस उद्योग द्वारा किए गए प्रयासों तथा इसकी सिफारिशों का स्वागत किया है।

विवरण

प्राप्त वित्तीय निष्पादन-बिक्री/निर्गत मूल्य

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	निर्माणी	1997-98		1998-99		1999-2000	
		सेना	सभी मांगकर्त्ता आई एफ डी को छोड़कर	सेना	सभी मांगकर्त्ता आई एफ डी को छोड़कर	सेना	सभी मांगकर्त्ता आई एफ डी को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7	8
एम एवं सी							
1.	ओ एफ के ए टी	—	2.02	—	3.52	—	3.12
2.	ओ एफ ए	—	16.15	—	15.73	—	23.60
3.	एम एस एफ	0.04	3.49	0.05	2.93	0.39	4.66
4.	ओ एफ एम	—	0.08	—	0.02	—	0.05
5.	ओ एफ चांदा	15.86	23.55	16.13	21.24	35.11	39.37
6.	ओ एफ भुसावल	—	2.98	—	1.22	3.60	4.18
7.	ओ एफ अंबाझरी	4.53	9.12	6.58	10.95	3.18	7.43
8.	एम पी एफ	1.43	2.36	2.25	3.13	1.18	1.55
9.	एच ए पी पी	—	2.76	—	0.65	—	4.59
	योग	21.86	62.51	25.01	59.40	43.46	88.50
डब्ल्यू वी एवं ई							
1.	आर एफ आई	130.62	171.51	140.35	194.47	192.62	251.68

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	एस ए एफ	24.85	69.70	19.76	75.09	38.32	88.61
3.	ओ एफ टी	3.10	53.78	12.73	67.32	9.67	42.54
4.	जी एस एफ	11.02	13.39	5.56	12.05	11.13	19.90
5.	ओ एफ सी	1.67	8.28	1.01	5.67	2.72	5.85
6.	एफ जी के	1.39	8.50	0.71	10.87	2.73	15.61
7.	जी सी एफ	17.41	30.22	5.05	12.96	27.04	54.09
8.	ओ एफ डी सी	3.17	4.67	2.57	5.89	1.33	5.83
	योग	193.23	360.05	187.74	384.30	285.56	484.11
बी.	वाहन						
9.	वी एफ जे	322.85	324.00	545.13	546.11	572.86	574.62
10.	जी आई एफ	—	4.47	—	4.21	—	3.62
	योग	322.85	328.47	545.13	550.32	572.86	578.24
ए	एवं ई						
1.	सी एफ ए	19.53	27.57	30.22	38.29	30.48	36.30
2.	एच ई एफ	2.46	12.88	2.65	16.00	4.27	14.86
3.	ओ एफ आई	—	8.27	0.79	4.37	10.14	14.71
4.	ए एफ के	155.72	212.23	190.34	259.96	194.85	268.90
5.	ओ एफ वी	129.92	195.70	55.36	119.67	115.86	222.55
6.	ओ एफ के	311.80	424.16	390.32	483.48	702.85	855.34
7.	ओ एफ चांदा	416.18	459.50	460.36	518.97	812.75	895.19
8.	ओ एफ देहू रोड	34.70	48.48	31.41	50.18	78.57	102.07
9.	ओ एफ बी ए	0.07	8.33	—	10.74	39.82	52.05
10.	ओ एफ बोलनगीर	0.89	0.93	72.49	72.69	164.52	168.52
	योग	1071.27	1398.05	1233.94	1574.36	2154.11	2630.49
ह	वी						
1.	एच वी एफ	291.32	312.04	638.91	658.52	691.40	694.06
2.	ओ एफ पी एम	138.37	147.60	278.96	291.67	325.35	335.67

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ई एफ ए	24.04	24.04	11.47	12.09	8.37	8.67
4.	ओ एफ दून	10.83	16.25	11.73	17.97	14.02	29.12
5.	ओ एल एफ	1.36	1.63	1.51	1.85	7.00	7.35
	योग	465.92	501.56	942.59	982.10	1046.14	1074.87
ओ ई एफ							
1.	ओ ई एफ सी	120.26	133.59	132.67	146.21	166.82	179.19
2.	ओ सी एफ एस	107.42	128.25	124.54	139.44	167.63	182.04
3.	ओ सी एफ ए वी	36.84	62.39	53.45	74.84	64.40	82.33
4.	ओ पी एफ	64.34	70.52	70.63	74.61	68.52	73.29
5.	ओ ई एफ एच ज़ेड	22.95	25.29	23.76	26.49	22.21	27.55
	योग	351.81	420.04	405.05	461.59	489.58	544.40
	सकल योग	2426.94	3070.68	3339.46	4012.07	4591.71	5400.66

रेलवे को घाटा

730. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने, कोयला का भार न किए जाने और वस्तु क्षतिपूर्ति दावों आदि के कारण रेलवे राजस्व की एक बड़ी राशि का नुकसान हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन सभी कारणों से रेलवे को वर्षवार कितना घाटा हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा राजस्व घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) राजस्व की कुछ हानि हुई है। बहरहाल, बिना टिकट यात्रा करने तथा कोयला रेकों का भार-मापन न होने के कारण हुई हानि की मात्रा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। गत तीन वर्षों के दौरान हुई माल की हानि, चोरी, उठाईगिरी, टूट-फूट, खराब हो जाने, पारगमन में देरी आदि के कारण दिए गए मुआवजे की राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	भुगतान किया गया मुआवजा (राशि करोड़ रुपये में)
1997-98	20.77
1998-99	19.53
1999-2000	22.62

(ग) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए नियमित एवं अचनाक जांच का जाती है और रेलवे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की भी समय-समय पर सहायता ली जाती है। मालडिब्बों में अधिक लदान का पता लगाने के लिए मार्गवर्ती/गंतव्य वाले तोलसेतुओं पर बिना भार किए गए कोयले के रेकों की बेतरतीब जांच की जाती है और अधिक लदान वाले मालडिब्बों पर दंडात्मक मालभाड़ा प्रभारित किया जाता है। क्षतिपूर्ति माल दावों को कम करने के लिए उपयुक्त चिह्न लगाने तथा लेबल लगाने, विभिन्न प्वाइंटों पर माल की उचित सम्हलाई, कम लदान तथा अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता लगाने के लिए जांच, रक्षात्मक सामग्रियों की व्यवस्था करने, संवेदनशील खंडों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गाड़ियों

का मार्गरक्षण करने तथा उन परेषणों, जो गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, का पता लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है।

हवाई अड्डों पर मौसम विज्ञान संबंधी उपकरणों का न होना

731. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमृतसर हवाई अड्डे पर मौसम विज्ञान संबंधी उपकरण नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशालय को अमृतसर हवाई अड्डे की इस कमी की जानकारी है;

(ग) देश में ऐसे कितने हवाई अड्डे हैं जिनका वाणिज्यिक उड़ानों के लिए नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है और जिन पर मौसम, हवा के वेग, आदि की पूर्व जानकारी के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं;

(घ) क्या ऐसे मामलों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन महानिदेशालय ने कोई आवधिक सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए पिछले राष्ट्रीय सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(च) हवाई अड्डों पर इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। अमृतसर हवाई अड्डे को मौसम-विज्ञान की दृष्टि से, श्रेणी-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें इस प्रकार की श्रेणी के अपेक्षित सभी उपकरण मौजूद हैं। सामान्यता उपकरण अवतरण प्रणाली वाले और खराब दृश्यता वाले हवाई अड्डों पर हवाईपट्टी दाष्टिव सीमा मापक सुविधाएं होनी चाहिए परन्तु यह अनिवार्य नहीं है और जब दृश्यता कम होती है, तब विमान प्रचालनों के लिए परिवर्धित कार्यविधि का अनुपालन किया जाता है।

(ग) देश में वाणिज्यिक उड़ानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी सिविल हवाई अड्डों पर, शिमला और गग्गल विमानक्षेत्रों को छोड़कर जहां कोई मौसम-विज्ञान संबंधी स्टेशन नहीं है, और इसलिए विमान प्रचालनों के लिए दाष्टिक उड़ान नियमों को अपनाया जाता है, पर्याप्त मौसम संबंधी उपकरण हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। तथापि, विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय के अधीन भारत मौसम विज्ञान विभाग उपलब्ध सुविधाओं की नियमित रूप से संवीक्षा करता है और आवश्यकता और निधियों की उपलब्धता के अनुसार, इनका स्तरोन्नयन किया जाता है/प्रदान किया जाता है।

गोपालपुर पत्तन का उन्नयन/विस्तार

732. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोपालपुर पत्तन का कोटि-उन्नयन/विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पत्तन का किस वर्ष कोटि-उन्नयन किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) गोपलपुर पत्तन उड़ीसा में एक लघु पत्तन है और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार लघु पत्तनों के उन्नयन/विस्तार की जिम्मेदारी पूर्णरूपेण संबंधित राज्य सरकार की है जिनका ऐसे पत्तनों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। लघु पत्तनों के विकास के लिए निधियां योजना आयोग द्वारा संबंधित राज्य सरकार के बजट शीर्ष में आबंटित की जाती हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में वित्तीय संकट

733. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट से 2500 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त ऋण का किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) हाल ही के वर्षों में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् रेलवे के खर्च में आशातीत वृद्धि हुई है जबकि आमदनी में वृद्धि अपेक्षत: धीमी रही है। इसके अलावा चालू वर्ष के व्यय में एच एस डी तेल की कीमतों और विद्युत प्रभारों में वृद्धि कतिपय कर्मचारी भत्तों में वृद्धि, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण अतिरिक्त मरम्मत एवं अनुरक्षण इत्यादि जैसी बजटेत्तर वृद्धियां भी हुई हैं। यद्यपि यात्री और माल आमदनी की प्राप्ति संतोषजनक है तथापि गैर-पारंपरिक स्रोतों से राजस्व की प्राप्ति में अभी तेजी नहीं आई है। परिणामस्वरूप, कुल राजस्व समानुपातिक लक्ष्य से कम है और कुछ रेलवे उपयोगकर्त्ता, विशेष रूप से विद्युत गृहों से 31.8.2000 कि स्थिति के अनुसार 2757 करोड़ रुपये की सीमा तक संचय हो गए हैं।

(ग) कर्मचारी उत्पादकता में सुधार करके, परिसंपत्तियों का उपयोग, वस्तुसूची प्रबंधन, ईंधन में खपत और यात्रा, प्रचार-प्रसार, आतिथ्य सत्कार इत्यादि जैसे क्षेत्रों में मितव्ययिता सुनिश्चित करके खर्च को नियंत्रित करने के उपाय किए गए हैं। इसके साथ उचित विपणन तरीकों से राजस्व में सुधार करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी

734. श्री राजेश वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे मुख्यालयों हेतु सहायक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नौ पद स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। 6500-10,500 रुपये के समान संख्या में पदों के ग्रेडन्नयन द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे (नए जोनों को छोड़कर) के लिए एक पद सृजित किया जाना है।

(ख) दक्षिण रेलवे पर एक।

(ग) लिखित परीक्षा/मौखिक परीक्षा आयोजित करके ग्रेडोन्नयन पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के प्रवरण की प्रक्रिया पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आरंभ कर दी गई है। निम्नतर संवर्ग में निर्धारित पदों के ग्रेडोन्नयन द्वारा पदों के सृजन की प्रक्रिया मध्य, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण पूर्व द्वारा आरंभ कर दी गई है। दक्षिण मध्य और पश्चिम रेलवे ने प्रोन्नति के लिए पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार कोई भी पात्र नहीं है।

[अनुवाद]

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

735. श्री टी.वी.वी. दिनाकरन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में राज्यवार कुल कितने सड़क उपरि पुलों की आवश्यकता है;

(ख) क्या सड़क उपरि पुलों के निर्माण हेतु तमिलनाडु का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जब किसी समपार पर यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ी वाहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई: एक ईकाई जो 24 घंठों के दौरान किसी समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से गुणा करके प्राप्त होती है) पहुंच जाता है तो इस पर लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी/निचले सड़क पुल से बदलाव के लिए विचार किया जाता है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण रेलों का राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त उद्यम है जहां लागत दोनों द्वारा वहन की जाती है। सामान्यत: रेलपथों के आर-पार पुल का निर्माण रेलों द्वारा किया जाता है। और पहुंच मार्गों का निर्माण सामान्यत: राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन 1108 समपारों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-1 में संलग्न है।

(ख) से (घ) जी नहीं, बहरहाल, हाल ही में 16.11.2000 को तमिलनाडु राज्य सरकार ने 19 ऊपरी सड़क पुलों के लिए प्रस्ताव प्रायोजित किया है जिनका ब्यौरा विवरण-2 के रूप में

संलग्न विवरण में दिया गया है. औपचारिकताओं यथा राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से सामान्य व्यवस्था आरेख की तैयारी, राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण यदि कोई हो, के लिए अग्रिम कार्रवाई, लागत की भागीदारी की वचनबद्धता और समपार बंद करने के लिए वचन आदि पूरा हो जाने के पश्चात् लागत में भागीदारी आधार पर अर्हक कार्यों पर रेलों के भावी निर्माण कार्यक्रमों में शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा।

विवरण-1

क्र.सं.	राज्य	समपारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	093
2.	असम	018
3.	बिहार	040
4.	दिल्ली	032
5.	गुजरात	088
6.	हरियाणा	062
7.	कर्नाटक	042
8.	केरल	057
9.	महाराष्ट्र	113
10.	मध्य प्रदेश	069
11.	उड़ीसा	018
12.	पंजाब	062
13.	राजस्थान	025
14.	तमिलनाडु	109
15.	उत्तर प्रदेश	186
16.	प. बंगाल	093
17.	चंडीगढ़ (के.प्र.)	001
	कुल	1108

विवरण-2

क्र.सं.	एल.सी.सं.	कि.मी.	स्थान
1	2	3	4
1.	441	535/7-7ए	कराईकुडी-मानमदुरै खंड पर शिव गंगा स्टेशन के निकट मदुरै-ठोंडी रोड
2.	55	66/11-12	विषुपुरम-काठपाडि खंड पर तिरूवन्नामलाई स्टेशन के निकट पांडिचेरी-कृष्णागिरि रोड (एन एच)
3.	2	9/25-27	चेन्नै अरक्कोणम खंड पर विलीवक्कम स्टेशन के निकट रेड हिल रोड
4.	5	882/3-4	चेन्नै बीच-चेन्नै सेंट्रल खंड के वासरमैन पेट स्टेशन के निकट मनियागढ़ चोल्ट्री
5.	4	11/32-34	चेन्नै अरक्कोणम खंड पर कोरात्तूर स्टेशन के निकट
6.	33	32/12 ए	ताम्बरम-चेंगलपट्टू पर पेरूनगल्थूर के निकट ताम्बरम-वंदालूर स्टेशनों के बीच कामराजर स्ट्रीट
7.	502	660/8-9	विरुधनगर-सेनगुट्टै खंड पर तेनकाशी-सेनगुट्टै स्टेशनों के बीच
8.	16	24/16-18	चेन्नै गुडूर खंड पर मिंजूर स्टेशन के निकट पेट्रोकोम पार्क के समीप मिंजूर कट्टूर-तिरूपलवनम (क्यू डी आर) रोड
9.	2	2ए/40-42	चेन्नै-गुडूर खंड के बेसिन ब्रिज कोरूक्कूपेट के बीच तियागप्पा चेट्टी स्ट्रीट

1	2	3	4
10.	366	496/16-497/1	मदुरै-विरुधनगर खंड के मदुरै-तिरूपारणकुंदरम स्टेशन के बीच मदुरै-कन्याकुमारी रोड (एन एच-7)
11.	139	459/29-31	इरोड-पोदानूर खंड के सोमानूर स्टेशन के निकट कमानैखेनपालयम-अण्णूर रोड
12.	8	20/32-34	नेहुर बाजार स्ट्रीट (एम टी एच रोड) चेन्नै-अरक्कोणम खंड के अवाडि स्टेशन के निकट
13.	150	488/30-489/2	पोदानूर-पालघाट खंड के पोदानूर जंक्शन-मदुकरै के बीच डिंडीगुल-कोयंबतूर-सैंथी-मैसूर रोड (एन एच-209)
14.	2	10/34-35	चेन्नै-अरक्कोणम खंड के पट्टाभिराम मिलिट्री साइडिंग के बीच (एन एच-205) (एम टी एच रोड)
15.	168	216/14-15	वृद्धाचलम-विषुपुरम खंड के बी पुवानूर-वृद्धाचलम स्टेशनों के बीच उलुनदुरपेठ
16.	105	288/8-10	जोल्लारपेट्टै-इरोड खंड के बोमिडी-बुड्डी रेड्डीपट्टी स्टेशनों के बीच बोमिडी-कोलाथूर स्टेशनों के बीच
17.	8	8/15-17	इरोड-कोयंबतूर खंड के सिंगनालूर-पिल्लामेदू स्टेशनों के बीच थानीरपंडलम रोड
18.	18	27/8-9	विरुधनगर-तिरूनेलवेली खंड के तिरूनेलवेली-तलैयायूथू स्टेशनों के बीच मदुरै-कन्याकुमारी रोड (एन एच-7)
19.	93	226/1-3	जोलारपेट्टै-बेंगलूरू खंड के सोमनैयाकानपट्टी-पाठचुर स्टेशनों के बीच एन एच-7

रेलमार्ग के विस्तार हेतु सर्वेक्षण

736. श्री भीम दाहाल: क्या रेल मंत्री सिक्किम में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बारे में 2 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 728 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवोक से सिंगतम होते हुए गंगटोक तक रेलमार्ग का विस्तार संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) सिंगतुम के रास्ते सिवोक से गंगटोक तक रेलवे लाईन के विस्तार का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। यह सर्वेक्षण चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

मिसाइल कार्यक्रम

737. श्री थावर चन्द गेहलोत:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995 से एकीकृत निदेशित मिसान विकास कार्यक्रम (इंटीग्रेटिड गाइडिड मिसाइड डवलपमेन्ट प्रोग्राम) के अंतर्गत अब तक परीक्षण की जा चुकी मिसाइलों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक मिसाइल की क्या विशेषता थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम पर वर्ष-वार कितना खर्चा किया गया;

(ग) क्या सरकार मिसाइल प्रणाली के विकास के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डी.आर.डी.ओ. द्वारा 'सूर्य' और 'दुर्गा' मिसाइल विकास कार्यक्रम को कौन-सी पारिस्थितियों के कारण बीच में ही रोक देना पड़ा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) वर्ष 1995 से एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षित प्रक्षेपास्त्रों का विवरण इस प्रकार है:

(1) 250 किलोमीटर की दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी-2 के दो बार उड़ान परीक्षण किए गए हैं।

(2) 9 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली त्वरित समय प्रतिक्रिया युक्त कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल के 29 बार उड़ान परीक्षण किए गए हैं।

(3) 4 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाले 'टाप अटैक' तथा 'फायर एण्ड फारगेट' क्षमता युक्त तीसरी पीढ़ी के टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र 'नाग' के 20 बार उड़ान परीक्षण किए गए हैं।

(ख) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम पर वर्ष 1995 से किया गया वर्षवार व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2
1995-96	44.24
1996-97	74.93
1997-98	92.15
1998-99	129.70
1999-2000	90.68
2000 (अक्तूबर तक)	22.92

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकता के आधार पर जुलाई, 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है और संशोधित आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(ङ) एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है।

रेल गाड़ियों का ठहराव

738. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2987 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूरा करने की तारीख 31.10.2000

प्रश्न सं., तारीख और संसद सदस्यों के नाम	विषय रेलगाड़ियों के स्टाप	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
1	2	3	4	5
10.8.2000 को श्री तुफानी सरोज:	पूछा गया था कि: (क) क्या रेलवे ने विशेष	(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल	(ख) सूचना अनुलग्नक में दी गई है। (ग) जी नहीं।	

1	2	3	4	5
श्रीनिवास पाटील: श्रीमती जसकौर मीणा: श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलिया: श्री राधामोहन सिंह: श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: श्री चन्द्रकांत खैरे: डा. अशोक पटेल: श्री रतन लाल कटारिया : द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं. 2987	स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए हैं; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी रेलगाड़ियों के स्टेशन-वार रुकने के स्थानों की व्यवस्था की गई है; (ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों में ढील देने का है; और (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	पर रख दी जाएगी।	(घ) एक स्टेशन विशेष पर ठहराव देने की व्यवस्था, गाड़ी की किस्म और स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यातायात के स्वरूप तथा उसकी मात्रा, वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता, आदि को ध्यान में रख कर की जाती है।	

पिछले तीन वर्षों के दौरान ठहरावों की व्यवस्था

1997-1998

1.	आजमपुर	287/288 बैंगलूर-शिमोगा पैसेंजर
2.	आलमपुर	556 कूरनूल टाउन-मेहबूबनगर पैसेंजर
3.	अलवरतिरनगरी	731/714 तूतीकोरिन-तिरूनेलवेली पैसेंजर
4.	अमरोहा	4007/4008 सदभावना एक्सप्रेस
5.	आनन्द	2009/2010 मुंबई-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस
6.	आनन्द	9707/9708 बान्द्रा-जयपुर एक्सप्रेस
7.	अनन्तपुर	2429/2430 बैंगलौर राजधानी एक्सप्रेस
8.	अंजीशाहाबाद	4007/4008 सद्भावना एक्सप्रेस
9.	अनकोरा	3347/3348 पालामाऊ एक्सप्रेस
10.	अरालगुप्पा हाल्ट	287/288 बैंगलौर-सिमोगा पैसेंजर
11.	असलपुर जोबनेर	2413ए/2414ए अजमेर-जयपुर लिंक एक्सप्रेस
12.	बबिना	6031/6032 मद्रास-जम्मूतवी एक्सप्रेस
13.	बचरावन	4215/4216 गंगा गोमती एक्सप्रेस
14.	बचवारा	3019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस
15.	बचवारा	3419/3420 भागलपुर-मुज्जफरपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
16.	बाद	4003 आगरा-निजामुद्दीन एक्सप्रेस
17.	बैतालपुर	5103/5104 गोरखपुर-मंदोदी एक्सप्रेस
18.	बाकेगंज	5319/5320 तिकूनिया-लखनऊ एक्सप्रेस
19.	बापतला	2617/2618 मंगला एक्सप्रेस
20.	बरारपुर	3419/3420 जनसेवा एक्सप्रेस
21.	ब्यास	2013 अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
22.	बलखेड़ा	1271/1272 इटारसी-वीना विंध्याचल एक्सप्रेस
23.	बेलापल्ली	2617/2618 मंगला एक्सप्रेस
24.	बेल्लारी कैंट	303/304 हुबली गुतकल पैसेंजर
25.	बलथारा रोड	5103/5104 गोरखपुर-मंदोदी एक्सप्रेस
26.	बेतुल	5011/5012 कोचिन गोरखपुर एक्सप्रेस
27.	बेतुल	5089/5090 हैदराबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस
28.	बेतुल	5091/5092 बैंगलौर-गोरखपुर एक्सप्रेस
29.	बेतुल	5221/5222 कोचिन-बरौनी एक्सप्रेस

30.	भानवाद	9263/9264 पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
31.	भरूच	2471/2472 मुंबई-जम्मूतवी एक्सप्रेस
32.	भिकनूर	7591/7592 सिकंदराबाद-धर्माबाद एक्सप्रेस
33.	भूच्चु	4711ए/4712ए श्रीगंगानगर-हरिद्वार एक्सप्रेस
34.	विश्वेश्वरगंज	199/200 गोण्डा-मैलानी एक्सप्रेस
35.	चांदीसार	239/240 पालनपुर-समदड़ी पैसेंजर
36.	चिलबिला	4125/4126 इलाहाबाद-फैजाबाद सरयू एक्सप्रेस
37.	चितबंरगांव	5159/5160 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस
38.	कटक	8409/8410 हवाड़ा-पुरी श्रीजगन्नाथ एक्सप्रेस
39.	दाबिलपुर	593/594 सिकंदराबाद-निजामाबाद फास्ट पैसेंजर
40.	डाबरा	1159/1160 हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस
41.	डाबरा	1181/1182 हावड़ा-आगरा चंबल एक्सप्रेस
42.	दादर	2027/2028 मुंबई-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस
43.	दलखोला	5609/5610 अवध असम एक्सप्रेस
44.	दौसा	9367/9368 मालवा एक्सप्रेस
45.	धिन्डा	200 जयपुर-बिकानेर फास्ट पैसेंजर
46.	धिन्डा	201 अजमेर-जयपुर फास्ट पैसेंजर
47.	दिचीपल्ली	593/594 सिकंदराबाद-निजामाबाद फास्ट पैसेंजर
48.	दूधवा खरे	4791/4792 बिकानेर मेल
49.	दूमरी जौरा हाल्ट	521/522 मुजफ्फरपुर-सिवान पैसेंजर
50.	एलिमाला	525/526 कोयम्बतूर-मंगलोर पैसेंजर
51.	ऐलिमाला	6329/6330 त्रिवेन्द्रम-मंगलोर एक्सप्रेस
52.	इटावा	2303/2318 यू.पी. पूर्वा एक्सप्रेस
53.	इटावा	4683/4683 मरूधर एक्सप्रेस
54.	फतूहा	3467/3468 विक्रमशिला एक्सप्रेस
55.	गजराबहार	1515/1516 कटनी-चोपन पैसेंजर
56.	गलुदी	8029/8030 हावड़ा-कुर्ला एक्सप्रेस
57.	गन्नौर	4589 नई दिल्ली-भटिण्डा एक्सप्रेस
58.	गांधीस्मृति	99/100 विरार-भरुच शट्ल
59.	गाजियाबाद	2419/2420 लखनऊ-दिल्ली गोमती एक्सप्रेस
60.	गोमोह	2019/2020 हावड़ा-बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस
61.	गोतान	2465/2466 जोधपुर-जयपुर एक्सप्रेस
62.	गोडावली	7591/7592 सिकंदराबाद-धर्माबाद एक्सप्रेस
63.	हबीबगंज	1069/1070 कुर्ला-इलाहाबाद एक्सप्रेस
64.	हैदरगढ़	4227/4228 लखनऊ-वाराणसी एक्सप्रेस
65.	हरदा	1069/1070 कुर्ला-इलाहाबाद एक्सप्रेस
66.	कहलगांव	4055/4056 ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस
67.	कामसेत	1617 करजत-पुणे पैसेंजर
68.	कगिंनहाल	6591/6592 बैंगलूरु-हुबली एक्सप्रेस
69.	कजिंरामित्तम	ई के वाई 1 एर्णाकुलम-कयाकुलम एक्सप्रेस
70.	कजिंरामित्तम	ई के वाई 1 कोट्टायम-एर्णाकुलम पैसेंजर
71.	करूंगापल्ली	6341/6342 एर्णाकुलम त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस
72.	कसारा	1401/1402 पंचवटी एक्सप्रेस
73.	कसारा	1404 अप मनमाड-कुर्ला एक्सप्रेस
74.	काथजोरी पी.एच.	211/212 संबलपुर-पूरी पैसेंजर
75.	कथुआ	2471/2472 मुंबई-जम्मू स्वराज एक्सप्रेस
76.	केसाला	1657/1658 भोपाल-छिंदवाड़ा एक्सप्रेस
77.	खलिलाबाद	5207/5208 बरौनी-अमृतसर एक्सप्रेस
78.	खटकुरा पी.एच.	351/350 खड़गपुर-टाटानगर एक्सप्रेस
79.	खुशरोपुर	3007 उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस

80.	किरतगढ़	1657/1658 भोपाल-छिंदवाड़ा पैसेंजर
81.	कोडागानूर	287/288 बैंगलूरु-सिमोगा पैसेंजर
82.	कूदरा	3307/3308 गंगा-सतलुज एक्सप्रेस
83.	कुरेबहार	4125/4126 फैजाबाद-इलाहाबाद सरयू एक्सप्रेस
84.	कुरम्बूर	731/714 तूतिकोरिन-तिरूनलवैली पैसेंजर
85.	लक्सर	4231/4232 लखनऊ-सहारनपुर पैसेंजर
86.	लासलगांव	1003/1004 मुंबई-नान्देड देवगिरि एक्सप्रेस
87.	लासूर	7663/7664 काचेगुड़ा-मनमाड एक्सप्रेस
88.	लुक्कीसराय	3287 साउथ बिहार एक्सप्रेस
89.	माधोपुर पंजाब	4034 जम्मू मेल
90.	मेहसाणा	2915/2916 अहमदाबाद-दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस
91.	मलिया-हटिना	9945/9946 वैरावल-अहमदाबाद गिरनार एक्सप्रेस
92.	मलकागिरि	7591/7592 सिकंदराबाद-धर्माबाद एक्सप्रेस
93.	मलियन	622 त्रिची विल्लुपूरम पैसेंजर
94.	मानक नगर	2एल सी/3एल सी लखनऊ-कानपुर पैसेंजर
95.	मानक नगर	5 एल सी/3एल सी लखनऊ-कानपुर पैसेंजर
96.	मानक नगर	14 एल सी/15एल सी/16 एल सी लखनऊ-कानपुर पैसेंजर
97.	मनचिरियाल	2617/2618 मंगला एक्सप्रेस
98.	मंगनालूर	663 मैयालईदुरई-कैरक्कुडी पैसेंजर
99.	मानीनगर	1096 पुणे-अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस
100.	मानीनगर	2933 मुंबई-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस
101.	मानीनगर	5046 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस
102.	मानोपाड	556 करन्नूल टाउन-मेहबूबनगर पैसेंजर
103.	मरकोना	8045/8046 ईस्ट-कास्ट एक्सप्रेस
104.	मिरावान	135/136 वाराणसी-बरेली फास्ट एक्सप्रेस
105.	मिर्जापुर	2801/2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
106.	मनोराबाद	593/594 सिकंदराबाद-निजामाबाद पैसेंजर
107.	मुन्डका हाल्ट	3 डी आर दिल्ली-रोहतक पैसेंजर
108.	नागरसोल	7663/7664 काचेगुड़ा-मनमाड एक्सप्रेस
109.	निदी	1691/1692 दीवा-वीर पुश पुल डी एम यू
110.	निदी	1695/1696 दीवा-वीर पुश पुल डी एम यू
111.	निदी	के आर-3/के आर-4 दादर-पनसार पैसेंजर
112.	पालापुरम	511 कोयम्बतूर-कण्णानोर
113.	फिल्लौर	4535 कालका-अमृतसर एक्सप्रेस
114.	फूलपुर	5159/5160 सारनाथ एक्सप्रेस
115.	पिलिबंगन	4805/4806 जोधपुर-जम्मू एक्सप्रेस
116.	पिपरिया	3448 कुर्ला-भागलपुर एक्सप्रेस
117.	पिपरिया	5217 कुर्ला-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस
118.	पिपरिया	5219 कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस
119.	पिपरिया	9045 सूरत वाराणसी एक्सप्रेस
120.	पिपरिया	9047 सूरत पटना एक्सप्रेस
121.	पूटलाचेव्यू	481/482 नरसापुर-गुन्तूर पैसेंजर
122.	राजेन्द्रनगर	581/582 अजमेर-खण्डवा पैसेंजर
123.	रामगिरि	287/288 बैंगलूरु-हरिहर/सिमोगा पैसेंजर
124.	रतनगढ़ वेस्ट	2 बी सी बीकानेर-चूरू पैसेंजर
125.	रेबाड़ी	2461/2462 जोधपुर-दिल्ली मन्डौर एक्सप्रेस
126.	रिसिया	5315/5316 आगरा फोर्ट-गोण्डा गोकूल एक्सप्रेस
127.	रोतेगांव	7663/7664 काचेगुड़ा-मनमाड एक्सप्रेस
128.	रोवरिया	5605/5606 गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
129.	साबरमती	101/102 अहमदाबाद-अबूरोड एक्सप्रेस
130.	सचित	9021/9022 मुंबई-सूरत फ्लाइंग रानी

131. साफीनगर 89 अप चित्तोड़गढ़-मऊ पैसेंजर

132. सेहवार टाउन 5301/5302 कानपुर-कासगंज एक्सप्रेस

133. सहेली 1657/1658 भोपाल-छिंदवाड़ा पैसेंजर

134. सरदारगढ़ 4 एस एच एल सूरतगढ़-हनुमानगढ़ पैसेंजर

135. सरदारगढ़ 1 एस एच आर सूरतगढ़-रेवाड़ी पैसेंजर

136. सारनाथ 5001/5002 कृषक एक्सप्रेस

137. स्थान 9109/9110 वलसाद-अहमदाबाद गुजरात क्वीन्

138. सेवाग्राम 6043 डाउन मद्रास-पटना एक्सप्रेस

139. शहीद सूर्य नारायण सिंह हाल्ट 369/373 दरभंगा-निर्मली पैसेंजर

140. शहीद सूर्य नारायण सिंह हाल्ट 382/386 जयनगर दरभंगा पैसेंजर

141. श्यामगढ़ 2955/2956 मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस

142. सिरसा हाल्ट 2 एच सी चूरू-हिसार पैसेंजर

143. सोन नगर 3347/3348 पालाम एक्सप्रेस

144. ताडेपल्लीगुडेम 7003/7004 फलकनुमा एक्सप्रेस

145. टांगरा 330 डाउन अमृतसर-देहरादून पैसेंजर

146. थाणे 6635/6636 कुर्ला-एर्णाकुलम नेत्रावती एक्सप्रेस

147. थूरिया 9019/9020 मुंबई-देहरादून एक्सप्रेस

148. तिरूमंगलम 6721/6722 चैन्नई-कन्याकुमारी एक्सप्रेस

149. तिरूगेश्वरम 109 चैन्नई ऐषमबूर-तिरूच्चिरापल्ली पैसेंजर

150. तिरूगेश्वरम 635 मइलादूथूराय-तिरूच्चिरापल्ली पैसेंजर

151. उजैरपुर 539/540 दरभंगा-पटना कमला गंगा एक्सप्रेस

152. उमदानगर 7607/7608 सिकंदराबाद-महबूबनगर एक्सप्रेस

153. वाडीपट्टी 715 इरोड-मुदरै पैसेंजर

154. वाडीपट्टी 776 मदुरै-कोयम्बतुर पैसेंजर

155. वालावनूर हाल्ट 655/656 चैन्नई-एषम्बुर-पांडिचेरी पैसेंजर

156. वलसाद 5063/5064 बांद्रा गोरखपुर-अवध एक्सप्रेस

157. वापी 2933/2934 मुम्बई-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस

158. विवेक विहार 371 दिल्ली-ऋषिकेश पैसेंजर

1998-99

1. अभयपुर 3401/3402 भागलपुर-पटना-इंटरसिटी एक्सप्रेस

2. अकीवीडु 7615/7616 पलासा-काचीगुड़ा एक्सप्रेस

3. अम्बलीयासन 9911/9912 अहमदाबाद-मेहसाना एक्सप्रेस

4. अमगुरी 5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस

5. अमरोहा 4231/4232 सहारनपुर-लखनऊ एक्सप्रेस

6. आनंद 4707/4707 बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस

7. अंगुरुनारायण रोड 2801/2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस

8. आरा 2303/2304 मूर्वा एक्सप्रेस

9. एरियालुर 2605/2606 पल्लावान एक्सप्रेस

10. अथमालगोला 3039/3040 हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस

11. औंता हाल्ट 3039/3040 हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस

12. आजमनगर 3141/3142 टीसटा टोरशा एक्सप्रेस

13. बाबा भगवान राम हाल्ट 1 वी एम/2वी एम वाराणसी-मुगलसराय पैसेंजर

14. बाबा भगवान राम हाल्ट 3 वी एम/4वी एम वाराणसी-मुगलसराय पैसेंजर

15. बबीना 8237/8238 छतीसगढ़ एक्सप्रेस

16. बदामपुड़ी 162 राजमुंद्री-विजयवाड़ा पैसेंजर

17. मदमल 8447/8448 राउरकेला-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस

18. बादशाहपुर 4258 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस

19. बगराकोट 5741/5742 इंटरसिटी एक्सप्रेस

20. बहादुरगढ़ 6687/6688 नवयुग एक्सप्रेस

21. बक्तीयारपुर 8183/8184 टाटा-पटना एक्सप्रेस

22.	बालासोर	2421/2422	भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
23.	बपताला	7029/7030	हैदराबाद-कोचीन एक्सप्रेस
24.	बरेली	5209/5210	अमृतसर-बरौनी जनसेवा एक्सप्रेस
25.	बरह	8183/8184	टाटा-पटना एक्सप्रेस
26.	बरीया	3231/3232	हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस
27.	बरीयाल हिमाचल हाल्ट	3पी बी/6पी बी	पठानकोट बैजनाथ पापरोला पैसेंजर
28.	व्यास	2013	न्यू दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
29.	बेलापुर	1029/1030	पुणे-हावड़ा एक्सप्रेस
30.	बरछा	9303/9304	भोपाल-इंदौर एक्सप्रेस
31.	भदबाड़ा घाट	1251/1252	भोपाल-कोटा पैसेंजर
32.	भगवानपुर	5205/5206	लिच्छवी एक्सप्रेस
33.	भरवाई	3007/3008	उधान आभा एक्सप्रेस
34.	भोगांव	4023/4024	कालंदी एक्सप्रेस
35.	भोजो	4055/4056	ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस
36.	भोजो	5603/5604	इंटरसिटी एक्सप्रेस
37.	भुलनपुर	5217/5218	कुर्ला-मुज्जफरपुर एक्सप्रेस
38.	भुलनपुर	5219/5220	कुर्ला-दरभंगा एक्सप्रेस
39.	भुसावल	2617/2618	एर्णाकुलम-निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस
40.	बोईसार	5063/5064	अवध एक्सप्रेस
41.	बोकाज़ान	4055/4056	ब्रह्मपुत्र मेल
42.	बोकाजना	5605/5606	गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
43.	कालीकंट	2431/2432	त्रिवेन्द्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
44.	कण्णानौर	2431/2432	त्रिवेन्द्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
45.	चक्रधरपुर	2859/2860	हावड़ा-मुंबई गीतांजली एक्सप्रेस
46.	चन्द्राकोना रोड	8449/8450	पटना-पुरी एक्सप्रेस
47.	चापरमुख	5605/5606	गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
48.	चापरमुखड	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस
49.	चिकजाजूर	2725/2726	बेंगलूरु-हुबली एक्सप्रेस
50.	चितरंजन	8449/8450	पुरी-पटना साप्ताहिक एक्सप्रेस
51.	दानापुर	2401/2402	श्रमजीवी एक्सप्रेस
52.	दतिया	1159/1160	हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस
53.	दतिया	1181/1182	हावड़ा आगरा चंबल एक्सप्रेस
54.	दौंड	1019/1020	कोणार्क एक्सप्रेस
55.	डेहरी ऑन सोन	2801/2802	पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
56.	दीमापुर	5605/5606	गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
57.	डींग	4085/4086	हरियाणा एक्सप्रेस
58.	दिफु	2423ए/2424ए	डिबरूगढ़-गुवाहाटीलिंक राजधानी एक्सप्रेस
59.	दिवीनन्मर	6335/6336	नेत्रावती एक्सप्रेस
60.	दुलीयाजान	5959/5960	कामरूप एक्सप्रेस
61.	दुल्हापुर	5003/5004	गोरखपुर-कानपुर चौरी चोरा एक्सप्रेस
62.	डुमराव	3413/3414	मालदा टाउन-भवानी फरक्का एक्सप्रेस
63.	डुमराव	3483/3484	मालदा टाउन-भवानी फरक्का एक्सप्रेस
64.	डुमराव	3447/3448	भागलपुर-दादर एक्सप्रेस
65.	इलुरू	2703/2704	हावड़ा-सिकंदराबाद एक्सप्रेस
66.	फतेहाबाद चन्द्रावतीगंज	9769/9770	जयपुर-पूर्णा एक्सप्रेस
67.	फतुहा	3111/3112	लालकिला एक्सप्रेस
68.	फतुहा	3401/3402	इंटरसिटी एक्सप्रेस
69.	फरकटिंग	5603/5604	इंटरसिटी एक्सप्रेस

70.	फरकटिंग	5605/5606 गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
71.	गदवाल	7085/7086 सिकंदराबाद-बेंगलूरु एक्सप्रेस
72.	गहमेर	3413/3414 मालदा टाउन-भिवानी फरक्का एक्सप्रेस
73.	गहमेर	3483/3484 मालदा टाउन-भिवानी फरक्का एक्सप्रेस
74.	गंगाझारी	327/328 टाटानगर-नागपुर पैसेंजर
75.	गंदबसोदा	1077/1078 झेलम एक्सप्रेस
76.	गया	2421/2422 दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
77.	घाटप्रभा	2779/2780 निजामुद्दीन-लोंडा एक्सप्रेस
78.	घोराडोंगरी	1451/1452 नागपुर-गया एक्सप्रेस
79.	गोलघाट	5605/5606 गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
80.	गोमतीनगर हाल्ट	5063/5064 गोरखपुर-बांद्रा अवध एक्सप्रेस
81.	अमीरगढ़	9943/9944 दिल्ली-अहमदाबाद एक्सप्रेस
82.	हापुड़	4649/4650 सरयू-यमुना एक्सप्रेस
83.	हापड़	4673/4674 शहीद एक्सप्रेस
84.	हरिपुर	9105/9106 अहमदाबाद-दिल्ली मेल
85.	हथदह	3231/3232 हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस
86.	हावेरी	1017/1018 बंगलोर-मुम्बई एक्सप्रेस
87.	पुनावली रोड	287/288 बंगलोर-हरिहर/शिमोगा पैसेंजर
88.	होशंगाबाद	2407/2408 नागपुर-निजामुद्दीन गोदवाना एक्सप्रेस
89.	होशंगाबाद	2409/2410 बिलासुर-निजामुद्दीन गोदवाना एक्सप्रेस
90.	इदापल्ली	जी ई1/जी ई2 गुरूवायुर-एर्णाकुलम पुश पुल पैसेंजर
91.	इगतपुरी	2617/2618 एर्णाकुलम निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस
92.	जडचारला	7085/7086 सिकंदराबाद-बेंगलूरू एक्सप्रेस
93.	जागीरोड	5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस
94.	जाजपुर-क्योंझर रोड	6321/6322 बेंगलूरु त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस
95.	जाजपुर-क्योंझर रोड	5623/5624 कोचिन-गुवाहाटी एक्सप्रेस
96.	जाजपुर-क्योंझर रोड	5625/5626 बेंगलूरु गुवाहाटी एक्सप्रेस
97.	जाजपुर-क्योंझर रोड	5627/5628 कोचिन-गुवाहाटी एक्सप्रेस
98.	जाजपुर-क्योंझर रोड	6309/6310 कोचिंन-पटना एक्सप्रेस
99.	जाजपुर-क्योंझर रोड	6323/6264 त्रिवेन्द्रम-हावड़ा एक्सप्रेस
100.	जमुई	3231/3232 हावड़ा-दानापुर एक्सप्रेस
101.	जशपुर	214/215 पोरबंदर भांवाद पैसेंजर
102.	जेधीकारजोदा	9653/9654 अहमदाबाद-अजमेर पैसेंजर
103.	जोरहाट टाउन	5605/5606 गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस
104.	जुचन्द्रा	डी एम यू1/2 डोम्बीवली-वराई रोड-दीवा पैसेंजर
105.	जुचन्द्रा	डीएमयू 3/4 दीव-वसई रोड-दीवा पैसेंजर
106.	कजरा	3401/3402 भागलपुर-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस
107.	काचेवानी	327/328 टाटानगर-नागपुर पैसेंजर
108.	कल्याण	2617/2618 एर्णाकुलम-निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस
109.	कामासमुद्रम	213/214 मैसूर-तिरूपति पैसेंजर
110.	कामपुर	5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस
111.	करौता	3039/3040 हावड़ा दिल्ली जनता एक्सप्रेस
112.	कर्पुरीग्राम	3021/3022 हावडा रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस
113.	कर्पुरीग्राम	5027/5028 गोरखपुर-हटिया मौर्या एक्सप्रेस
114.	कावेली	2759/2760 चारमिनार एक्सप्रेस

115. कायनकुलम 2625/2626 केरल एक्सप्रेस

116. खैरतिया बांध 199/200 गोंडा-मैलानी एक्सप्रेस

117. खंडवा 2617/2618 एर्णाकुलम निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस

118. खुसरोपुर 3287/3288 साउथ बिहार एक्सप्रेस

119. किशनपुर 539/540 दरभंगा पटना कमला गंगा एक्सप्रेस

120. कोशा पांडितलापल्ली 478 चिराला विट्टागुंटा पैसेंजर

121. कृष्णाराजनगर 1035/1036 मैसूर-मुंबई एक्सप्रेस

122. कुप्पम 2607/2608 बंगलौर-मद्रास लालबाग एक्सप्रेस

123. लंका 5605/5606 गुवाहाटी-मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस

124. लेकोदा 98 डी एन माहो उज्जैन एक्सप्रेस

125. लक्कीसराय 3401/3402 भागलपुर पटना-इंटरसिटी एक्सप्रेस

126. लक्कीसराय 5027/5028 मौर्या एक्सप्रेस

127. लम्बडिंग 5605/5606 गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस

128. माधोसिंह 5205/5206 लिच्छवी एक्सप्रेस

129. माधोसिंह 5213/5214 दिल्ली-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

130. मैरवा 5205/5206 लिच्छवी एक्सप्रेस

131. मंडी गोविन्दगढ़ 4647/4648 दिल्ली-अमृतसर फ्लाइंग मेल

132. मनमाड 2165/2166 कुर्ला-वाराणसी एक्सप्रेस

133. मनमाड 2617/2618 एर्णाकुलम-निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस

134. मंजाटिदाल 634 त्रिची-चेंगलपट्टू पैसेंजर

135. मरियानी 5605/5606 गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस

136. मयाकोडा 287/288 बेंगलूरु-हरिहर/शिमौगा पैसेंजर

137. मेलमारुवत्तुर 109/110 चेन्नई एग्मौर तिरूचिरापल्ली पैसेंजर

138. मलमारुवत्तुर 627/628 चेन्नई एग्मौर-तांजावूर एक्सप्रेस

139. मलमारुवत्तुर 6703/6704 चेन्नई एग्मौर तूतीकोरिन एक्सप्रेस

140. मलमारुवत्तुर 6713/6714 चेन्नई एग्मौर रामेश्वरम सेतु एक्सप्रेस

141. मलमारुवत्तुर 6803/6804 हावड़ा तिरूचिरापल्ली एक्सप्रेस

142. मोकामा 3073/3074 हिमगिरी एक्सप्रेस

143. मोतीपुर 4015/4016 दिल्ली रक्सौल एक्सप्रेस

144. मुन्दीकोटा 327/328 टाटानगर-नागपुर पैसेंजर

145. मुरीबेरा 9707/9708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस

146. नदियाड 4707/4708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस

147. नदिमास 9707/9708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस

148. नाहरकटिया 5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस

149. नामरूप 5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस

150. नामरूप 5959/5960 कामरूप एक्सप्रेस

151. नाना 9707/9708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस

152. नरसिंहपुर 1031/1032 पुणे वाराणसी एक्सप्रेस

153. नासिक रोड 2165/2166 कुर्ला-वाराणसी एक्सप्रेस

154. नासिक रोड 2617/2618 एर्णाकुलम-निजामुद्दीन मंगला एक्सप्रेस

155. नवसारी 2961/2962 अवंतिका एक्सप्रेस

156. नवसारी 9707/9708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस

157. नल्लोर 2625/2626 केरल एक्सप्रेस

158. निम्बाहेड़ा 75/76 मऊ-चित्तौड़गढ़ पैसेंजर

159. निपानी वडगांव 1321 डाऊन पुणे-पुर्णा पैसेंजर

160. नुमलीगढ़ 5605/5606 गुवाहाटी मरियानी इंटरसिटी एक्सप्रेस

161. ओट्टापालायम 6317/6318 हिमसागर एक्सप्रेस

162. पालघर 9021/9022 फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस

163. पाल्लीपुरम 511 कण्णानौर कोयम्बटूर पैसेंजर

164. पनियाजोब 327/328 टाटानगर नागपुर पैसेंजर

165.	पनपाना पी.एच.	201/202 हावड़ा पुरी पैसेंजर
166.	पनवेल	6333/6334 राजकोट-त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस
167.	पनवेल	6335/6336 गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस
168.	पनवेल	6635/6636 कुर्ला-एर्णाकुलम नेत्रावती एक्सप्रेस
169.	पनवेल	6337/6338 राजकोट एर्णाकुलम एक्सप्रेस
170.	पारसनाथ	2801/2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस
171.	पटास	1625/1626 पुणे बाशमती पैसेंजर
172.	पटना साहिब	3467/3468 विक्रमशिला एक्सप्रेस
173.	पीपाड रोड	4805/4806 जोधपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस
174.	पीपारिया	1031/1032 पुणे वाराणसी एक्सप्रेस
175.	पौदानूर	6683/6684 मंगलौर त्रिची एक्सप्रेस
176.	पौदानूर	6708/6707 मदुरै कोयम्बतूर एक्सप्रेस
177.	पुनारख	8621/8622 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस
178.	पुंडी	7479/7480 हावड़ा तिरूपति एक्सप्रेस
179.	पुनपुन	3348 पालामऊ एक्सप्रेस
180.	कुतुबपुर हाल्ट	4 जे एन के जींद कुरुक्षेत्र पैसेंजर
181.	राई का बाग	2465/2466 जोधपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस
182.	राजोशी	9671 अजमेर-खंडवा फास्ट पैसेंजर
183.	राजपुरा	2497/2498 दिल्ली-अमृतसर शान ए पंजाब एक्सप्रेस
184.	रायबाग	7315/7316 कोल्हापुर तिरूपति एक्सप्रेस
185.	रिगाड़ीपल्ली	207/208 तंजावुर-तिरूपति पैसेंजर
186.	रोहा	6635/6636 नेत्रावती एक्सप्रेस
187.	रुड़की	2017/2018 दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस
188.	समाराला	536 सिकंदराबाद मुदखेल पैसेंजर
189.	सरुपथार	5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस
190.	सरुपथार	5959/5960 कामरूप एक्सप्रेस
191.	सत्तूर	6339/6340 बोम्बे-नागरकोइल एक्सप्रेस
192.	सिहोर	9303/9304 इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस
193.	शाहबाद मरकंडा	4517/4518 इलाहाबाद-अंबाला ऊंचाहार एक्सप्रेस
194.	शौलावंदन	383/384 नागरकोइल-कोयम्बतूर पैसेंजर
195.	सिहो	3021 हावडा-रक्सौल मीथिला एक्सप्रेस
196.	सोमेसर	4707/4708 बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस
197.	सुनेथी खरखान	351 अप लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर
198.	तंडामन पत्ती	634 त्रिची-चेंगलपट्टू पैसेंजर
199.	तानूर	6307/6308 एलेप्पी-कण्णानौर एक्सप्रेस
200.	तानूर	6627/6628 चेन्नई मैंगलौर एक्सप्रेस
201.	तारेगना	8625/8626 हटिया टाटा एक्सप्रेस
202.	तिलोनिया	9651/9652 अजमेर जयपुर एक्सप्रेस
203.	तिरूपारनकुंद्रम	727/728 मदुरै कोल्लम पैसेंजर
204.	तिरूमरनकुंद्रम	729/730 मदुरै तूतीकोरिन पैसेंजर
205.	तोरनिया	349/350 अजमेर विश्वधर एक्सप्रेस
206.	टुंडला	5206 डाउन दिल्ली मुजफ्फरपुर लिच्छवी एक्सप्रेस
207.	वेतापालेम	7405/7406 कृष्णा एक्सप्रेस
208.	विदिशा	2407/2408 नागपुर-निजामुद्दीन गौंडवाना एक्सप्रेस
209.	विदिशा	2409/2410 बिलासपुर-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
210.	विदिशा	2411/2412 जबलपुर-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस
211.	वंशजालिया	9263/9264 पोरबंदर दिल्ली स्वर्णजयंती एक्सप्रेस

1999-2000

1.	अकबरपुर	4853/4854 जोधपुर वाराणसी मरूधर एक्सप्रेस
2.	अंबलीयासन	101/102 अहमदाबाद आबूरोड पैसेंजर
3.	अमला	1451/1452 नागपुर गया एक्सप्रेस
4.	बैरेपुरा	319/320 सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर

5.	बैरंपुरा	321/324 सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर
6.	बल्लभगढ़	9368 जम्मू तवी-इंदौर मालवा एक्सप्रेस
7.	ब्यास	2032 नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
8.	ब्यास	2715/2716 सचखंड एक्सप्रेस
9.	भालुकमारा	5605/5606 इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया जोरहाट टाउन
10.	भाटापारा	2409/2410 बिलासपुर-निजामुद्दीन गौंडवाना एक्सप्रेस
11.	भवानीमंडी	2471/2472 मुंबई जम्मूतवी एक्सप्रेस
12.	भवानीमंडी	9767/9768 जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस
13.	बीना	2155/2156 हबीबगंज-निजामुद्दीन एक्सप्रेस
14.	ेदुलीपार	5605/5606 इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया जोरहाट टाउन
15.	बोइमार	6333/6334 राजकोट त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस
16.	बोरहाट	5603/5604 न्यू तिनसुकिया गुवाहाटी एक्सप्रेस
17.	बोरिवली	2471 मुंबई जम्मूतवी एक्सप्रेस
18.	ब्रहमनगुडेम	460 राजमुद्री नरसापुर पैसेंजर
19.	चन्दर नगर हाल्ट	जी एन एस 3 गाजियाबाद-शकूरबस्ती पैसेंजर
20.	चन्दर नगर हाल्ट	जी एन 1 गाजियाबाद-नई दिल्ली पैसेंजर
21.	चन्दर नगर हाल्ट	एस एन जी 2 शकूरबस्ती गाजियाबाद पैसेंजर
22.	चन्दर नगर हाल्ट	जी एन 6 नई दिल्ली गाजियाबाद पैसेंजर
23.	चन्दर नगर हाल्ट	जी एन डी 1 गाजियाबाद-दिल्ली पैसेंजर
24.	चन्दर नगर हाल्ट	जी एन डी 3 गाजियाबाद-दिल्ली पैसेंजर
25.	चोरवाड रोड	9945/9946 गिरनार एक्सप्रेस
26.	दादर	103/104 मुंबई-माओ एक्सप्रेस
27.	धाना लादनपुर	1 आर बी एन रेवाड़ी-भिवानी पैसेंजर
28.	धाना लादनपुर	4 आर बी रेवाड़ी भटिंडा पैसेंजर
29.	धाना लादनपुर	1 आर बी/2 आर बी रेवाड़ी भटिंडा पैसेंजर
30.	धरनगांव	8401/8402 ओखा-पुरी एक्सप्रेस
31.	धारूर	356 हैदराबाद तांदूर पैसेंजर
32.	एक्मा	5205/5206 मुजफ्फरपुर- दिल्ली लिच्छवी एक्सप्रेस
33.	फरकटिंग	4055/4056 ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस
34.	गाजियाबाद	2417 प्रयागराज एक्सप्रेस
35.	घोघा	3071/3072 हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस
36.	घोरा डोंगारी	7089/7090 कोचिन-वाराणसी एक्सप्रेस
37.	घोरा डोंगारी	7091/7092 सिकंदराबाद-वाराणसी एक्सप्रेस
38.	घोरा-सहान	5323/5324 जयनगर-नरकटियागंज गंडक एक्सप्रेस
39.	घुगली	63/64 गोरखपुर-नरकटियागंज-फास्ट पैसेंजर
40.	गिघोर	8181/8182 टाटानगर-छपरा एक्सप्रेस
41.	गोदामगुड़ा	356 हैदराबाद तांदुर पैसेंन्जर
42.	इयूरापालेम	442 विजयवाड़ा अंगोल पैसेंजर
43.	जेथीकारजोडा	103/104 महेसाना-अबु रोड पैसेंजर
44.	खैराबारी	5813/5814 अरूणाचल एक्सप्रेस
45.	खैराथाल	2413/2414 दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस
46.	खारखेली	7552 मुडखेड सिकंदराबाद एक्सप्रेस
47.	खतकुरा पीएच	345/352 खड़गपुर-टाटानगर पैसेंजर
48.	किशनगंज	3045/3046 हावड़ा-गुवाहाटी सरायघाट एक्सप्रेस
49.	कोकराझार	2423/2424 न्यू दिल्ली गुवाहाटी/डिबरूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
50.	कोकराझार	2435/2436 न्यू दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस
51.	कोटाबोमाली	7015/7016 पलासा-काचेगुडा विसाखा एक्सप्रेस
52.	कोटापंडिलापल्ली	157 अंगुल-तेनाली पैसेंजर
53.	कोटापंडिलापल्ली	442. विजयवाड़ा-अंगुल पैसेंजर
54.	कुलीकरई	678 तंजो-नागोर पैसेंजर
55.	कुनेरू	239/240 विशाखापत्तनम्-रायगढ़ पैसेंजर

56.	खुटवाय	1321 पुणे-पूर्णा पैसेंजर
57.	खुटबाव	1602 मानमाड़-पुणे पैसेंजर
58.	खुटबाव	328 ए सोलापुर पुणे पैसेंजर
59.	खुटबाव	329/330 पुणे-वाड़ी-हैदराबाद पैसेंजर
60.	ललितपुर	5011/5012 कोचीन गोरखपुर एक्सप्रेस
61.	ललितपुर	5089/5090 सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस
62.	महुरानी पुर	1069/1070 कुर्ला-इलाहाबाद एक्सप्रेस
63.	मनानपुर	3007/3008 उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस
64.	मानापराई	6717/6718 चैन्ने एराम्बूर-मदुरै पंडियान एक्सप्रेस
65.	मंडीबामोरा	1265/1266 रीवा-हबीबगंज एक्सप्रेस
66.	मारोली	9057/9058 बलसाड़ बडोदरा एक्सप्रेस
67.	मथुरा	8407/8408 भुवनेश्वर निजामुद्दीन हीराकुण्ड एक्सप्रेस
68.	मक्कलूकीगंज	3347/3348 पालामाऊ एक्सप्रेस
69.	मेरठ सिटी	2017/2018 देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस
70.	मलेकोनाकुलम	6635/6636 एर्णाकुलम-कुर्ला नेत्रावती एक्सप्रेस
71.	मेकागा	5049/5050 हावड़ा गोरखपुर एक्सप्रेस
72.	मौर्य	8621/8622 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस
73.	मुगालोल्ली	231/232 सोलापुर-बीजापुर पैसेंजर
74.	मुगालोल्ली	233/234 बीजापुर-सोलापुर पैसेंजर
75.	मुगालोल्ली	245/246 सोलापुर-बीजापुर पैसेंजर
76.	नाहरकटिया	5959/5960 कामरूप एक्सप्रेस
77.	नजीबाबाद	5209/5210 अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस
78.	नरसिंहपुर	5217/5218 कुर्ला मुजफ्फरपुर पवन एक्प्रेस
79.	नरसिंहपुर	5219/5220 कुर्ला दरभंगा पवन एक्सप्रेस
80.	नवसराय	6333/6334 राजकोट तिरूवनन्तपुरम एक्सप्रेस
81.	नवसराय	6337/6338 राजकोट-कोचीन एक्सप्रेस
82.	पालनपुर	9263/9264 पोरबंदर-दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस
83.	पनियावा	5323/5324 गंडक एक्सप्रेस
84.	पथेरिया	1071/1072 कुर्ला वाराणसी एक्सप्रेस
85.	पिरावन रोड	6303/6304 एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम वांचीनाड एक्सप्रेस
86.	पुलगांव	2405/2406 गोंदवाना एक्सप्रेस
87.	राजनंदगांव	1029/1030 पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस
88.	राजपुरा	2715/2716 रामखंड एक्सप्रेस
89.	रमना	3347ए/3348ए गढ़वा रोड-सिंगरौली लिंक एक्सप्रेस
90.	रामपुर डूमरा	8621/8622 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस
91.	रिथी	1271/1272 विध्यांचल एक्सप्रेस
92.	रुकमापुर	356 हैदराबाद तांदूर पैसेंजर
93.	रुनिया	75/76 महोव चितौड़गढ़ पैसेंजर
94.	रुनखेरा	9019/9020 बांद्रा देहरादोन एक्सप्रेस
95.	सब्जी मंडी	4095 हिमालयन क्वीन एक्सप्रेस
96.	सादत	5001/5002 कृषक एक्सप्रेस
97.	सकोती टांडा	1 एन डी एस/2 एन डी एस दिल्ली-सहारनपुर पैसेंजर
98.	सापेखटी	5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस
99.	सारसी	5541/5542 कटिहार-समस्तीपुर एक्सप्रेस
100.	सासालु	287/288 बेगलूरू शिमोगा पैसेंजर
101.	सासाराम	9305/9306 शिप्रा एक्सप्रेस
102.	शंकरपुर हाल्ट	8621/8622 पाटलीपुत्र एक्सप्रेस
103.	सेवड़ाफुली	3017/3018 गणदेवता एक्सप्रेस
104.	श्यामचक	468 भद्रक हावड़ा पैसेंजर
105.	सिरपुर कागजनगर	6045/6046 नवजीवन एक्सप्रेस
106.	सीवानगांव	563 सिकंदराबाद मुदखेड़ पैसेंजर
107.	स्वरुपगंज	9707/9708 बांद्रा-जयपुर एक्सप्रेस
108.	ताम्बरम	6121/6122 चैने एग्मौर-कन्याकुमारी एक्सप्रेस

109.	तेनकाल्लू	7597/7598 गुंतकल-तिरूपति एक्सप्रेस
110.	थाणे	1007 मुंबई-पुणे दक्कन एक्सप्रेस
111.	थाणे	1020 भुवनेश्वर-मुम्बई कोणार्क एक्सप्रेस
112.	थाथानकुलेम	731/734 तुतीकोरिन-तिरूनेलवेली पैसेंजर
113.	तीलडा	8225/8226 बिलासपुर-भोपाल महानदी एक्सप्रेस
114.	टीटावार	5603/5604 इंटरसिटी एक्सप्रेस
115.	उंचेरा	5159/5160 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस
116.	वाडलामननाडु	115/120 विजयवाड़ा-मछलीपटनम् पैसेंजर
117.	विक्रमगढ़ अलॉट	2955/2956 जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा रैकेट

739. श्री वसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अक्तूबर, 2000 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में एल.पी.जी. सिलिन्डरों की भराई संबंधी रैकेट का खुलासा किए जाने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों को दण्ड देने हेतु कठोर कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गुजरात सरकार के तेल और माप विभाग के अधिकारियों ने अगस्त/सितम्बर, 2000 के दौरान गुजरात में कुछ स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल.पी.जी. भरण संयंत्रों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का निरीक्षण किया और कुछ स्थानों पर कुछ कम वजन के सिलेन्डरों का पता चला। तेल कंपनियों ने उक्त अपराध के लिए आवश्यक जुर्माना राजकोष में जमा करवा दिया है।

तेल विपणन कंपनियां सिलेन्डर केराउजल पर भरने के बाद चैक स्केल पर वजन की 100 प्रतिशत पुनर्जांच करती हैं। सुपुर्दगी और ट्रक में लदान से पहले भरे हुए सिलेन्डरों की फिर सांख्यिकीय गुणवत्ता जांच की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही गुणवत्ता और मात्रा वाले सिलेन्डर डिस्ट्रीब्यूटरों तक पहुंचे। एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों को भी उपभोक्ताओं को सुपुर्दगी करने से पहले उत्तमता/सही वजन के लिए प्रत्येक सिलेन्डर की जांच करने के लिए निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार के डाल्टनगंज हवाई अड्डे को उपयोग में लाना

740. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज हवाई अड्डा गत तीस वर्षों से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को चालू करने के लिए कोई योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) डाल्टनगंज की हवाई पट्टी बिहार राज्य सरकार की है। इस समय इसकी सर्विस क्षमता के बारे में पता नहीं है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हवाई अड्डे के विकास करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि किसी भी एयरलाइन ने वहां से प्रचालन करने की अपनी आवश्यकता को प्रक्षिप्त नहीं किया है।

[अनुवाद]

वैगनों की आवश्यकता

741. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल की ढुलाई हेतु मंडल-वार कितने वैगन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या माल-ढुलाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक वैगनों की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा वैगनों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 31.3.1999 को भारतीय रेलों पर मालडिब्बों की कुल संख्या 253,186 थी, इन आंकड़ों को मंडलवार नहीं रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय की पीठ

742. श्रीमती कांति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने हेतु उच्चतम न्यायालय को सहमत करने के लिए उनसे सम्पर्क किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) देश के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वोत्तर भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए संबद्ध संसदीय स्थायी समिति की 61वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशें भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 के निबंधनों के अनुसार उनके विचार जानने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भेज दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया है कि उक्त मामला पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष विचारार्थ रखे जाने का निदेश दिया गया है।

एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एलायेन्स एयर द्वारा प्रयोग किए जा रहे पुराने विमान

743. श्री सुरेश कुरूप: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एलायेन्स एयर द्वारा 15 वर्ष से भी अधिक पुराने कितने विमानों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने एअर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एलायेन्स एयर के लिए नये विमान खरीदने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 15 वर्ष से अधिक पुराने हवाई जहाजों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

एअर इंडिया	8
इंडियन एयरलाइंस और एलायेन्स एयर	22

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर एल.पी.जी. पाइपलाइन का तिरूची तक विस्तार

744. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** तमिलनाडु में पाइनलाइन के माध्यम से एल.पी.जी. के बारे में 3 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य तटीय तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बंगलौर पाइपलाइन की शाखा का तिरूची/तंजावूर/कुंबकोनम तक विस्तार नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कम थ्रूपुट मांग के कारण तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) पाइपलाइन का बंगलौर से त्रिची/तंजावुर/कुम्बाकोनम तक विस्तार तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा।

शराब की चोरी

745. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 26 अगस्त, 2000 को एअर इंडिया के चालक दल के सात सदस्य हवाई जहाज से शराब की चोरी करते पकड़े

गए जैसा कि दिनांक 9 सितम्बर, 2000 के 'इकोनामिक टाइम्स' और दिनांक 3 सितम्बर, 2000 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया के प्रबंधन ने उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) टोक्यो-बैंकाक सैक्टर में 26 अगस्त, 2000 को एअर इंडिया-309 विमान प्रचालित करने के बाद एअर इंडिया सुरक्षा विभाग ने सात केबिन कर्मीदल सदस्यों की औचक (अचानक)सुरक्षा जांच की थी और विमान में ले जाने वाले अवांछित/प्रतिषिद्ध सामानों के बारे में चेतावनी दी। सात कर्मीदलों को निलंबित कर दिया गया और उन्हे आरोप-पत्र दिया गया। केबिन कर्मीदल के विरुद्ध लगाए गए आरोप की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई है, सिर्फ एक केबिन कर्मचारी जिसे 16 अक्टूबर, 2000 से कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था, इनमें शामिल नहीं है। इस कर्मचारी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को अभिस्वीकार कर लिया था। छः केबिन कर्मीदलों के बारे में विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है और विभागीय जांच की कार्यवाही पूरी होने के बाद उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रबंधन ने और अधिक सुरक्षा जांच करने का निर्णय किया है ताकि चोरी-छुपे कोई आपत्तिजनक सामान विमान में ले जाने की गतिविधि को पूरी तरह से रोका जा सके। प्रबंधन ने हाथ में ले जाया जाने वाला सामान और इसकी विमाओं के बारे में भी केबिन कर्मीदल को निदेश जारी किया है ताकि सामान को दूर नहीं ले जाया जा सके। निदेशक (मानव संसाधन विकास), निदेशक (भारतीय विदेश सेवा), निदेशक (प्रचालन) और निदेशक (सुरक्षा) को शामिल करते हुए इन समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् प्रबंधन को उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक कृतक बल भी बनाया गया है।

[हिन्दी]

चीन की सहायता से आतंकवादी गतिविधियां

746. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राप्त सूचनानुसार पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी इंटर सर्विस इंटेलीजेंस (आई.एस.आई.) भारत में आतंकवादी गतिविधियां तेज करने के लिए शस्त्र और विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए चीन की सहायता से पाक अधिकृत कश्मीर में कारखाना लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य एकत्र किए गए हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान ने लेह (लद्दाख) करगिल में घुसपैठ हेतु चीन की सहायता भी ली थी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में चीन के साथ कभी कोई बातचीत हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस पर चीन की सरकार की, क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे इस बात का आभास होता हो।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्जीरिया को रक्षा उपकरणों की बिक्री

747. श्री एन.आर. के. रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्जीरिया ने भारत से रक्षा उपकरण खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सौदे को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अल्जीरिया के रक्षा मंत्रालय ने गैर-घातक रक्षा उपस्करों के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड के साथ संविदा की है। अल्जीरिया की नौसेना ने माझगांव डॉक लिमिटेड के उत्पादों/सेवाओं में रुचि दिखाई है। ऐसे मामलों में संविदा को अंतिम रूप दिये जाने के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं का पूरा किया जाना

748. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जोनवार/राज्यवार निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है तथा इन पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन लंबित परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु पहचान की गई है;

(च) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं तथा इनको पूरा करने हेतु कितनी राशि की आवश्यकता है; और

(छ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) रेलें राज्य-वार सूचना नहीं रखती हैं। उन सभी परियोजनाओं की सूची जो निर्माणधीन हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि और अब तक व्यय की गई कुल राशि बजट प्रलेखों के साथ माननीय संसद सदस्य को दी गई पिंक बुक में अंतर्विष्ट है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नई लाइन और आमान परिवर्तन की परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण कर दिया गया है और प्राथमिकता सूची सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

(च) प्राथमिकता सूची की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है। उन्हें पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि बजट प्रलेखों में दर्शाई गई है।

(छ) उन्हें पूरा करने में लगने वाला समय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

चालू रेल परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची

क्र.सं.	परियोजना	प्राथमिकता
1	2	3
	आमान परिवर्तन	
1.	हाजीपुर-बछवाड़ा	ए 1
2.	लमडिंग-डिब्रूगढ, सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित	ए 1
3.	होजपेट-हुबली-गोवा	ए 1
4.	सिकंदराबाद-द्रोणाचेल्लम	ए 1
5.	गोंडिया-चांदाफोर्ट	ए 1
6.	बेंगलूरू-हुबली-बिरूर-शिमौगा	ए 1
7.	चेन्नई बीच-तिरूचिरापल्ली और अरकोणम-चेंगलपट्टू	ए 1
8.	दिंडीगुल-त्रिची	ए 1
9.	मैसूर-हसन	ए 1
10.	यशवंतपुर-सेलम	ए 1
11.	येलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट	ए 1
12.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद	ए 1
13.	गोंदिया-गोरखपुर लूप, आनंद नगर नौतनवा सहित	ए 2
14.	कानपुर-कासगंज-मथुरा	ए 2
15.	खड्डा-गोरखपुर	ए 2
16.	मथुरा-अचनेरा	ए 2
17.	नरकटियागंज-वालमीकिनगर	ए 2
18.	श्री गंगानगर-सरुपसर**	ए 2
19.	गुंतूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लरू	ए 2
20.	मुदखेड़-अदिलाबाद	ए 2
21.	सिकंदराबाद-मुदखेड़ एवं जनकमपेट-बोधान	ए 2

1	2	3
22.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर	ए 2
23.	तंजाऊर-विषुपुरम मुख्य लाइन	ए 2
24.	आगरा-बांदीकुई	ए 2
25.	अजमेर-उदयपुर-चितौड़गढ़	ए 2
26.	धांगध्रा-कुड़ा साइडिंग	ए 2
27.	गांधीधाम-पालनपुर	ए 2
28.	नीमच-रतलाम	ए 2
29.	राजकोट-वेरावेल	ए 2
30.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर	ए 2
31.	वांकानेर-मलिया मियाना	ए 2
32.	कुड्डालूर-सेलम बरास्ता विरधाचलम	ए 2
33.	इंदरा-फेफना	ए 3
34.	काशीपुर-लालकुंआ	ए 3
35.	रेवाड़ी-सादूलपुर	ए 3
36.	बीरमगाम-जोधपुर, भिलड़ी-समदरी	ए 3
37.	कटपाडि-पकाला-तिरुपति	ए 3
38.	सोलापुर-गदग	ए 3
39.	भिलड़ी-वीरमगाम	ए 3
40.	गांधीधाम-भुज	ए 3
41.	लूनी-बाड़मेड़-मुनाबाव	बी 1
42.	कटखल-बैराभी	बी 2
43.	लमडिंग-सिलचेर	बी 2
44.	न्यू जलपाईगुडी-सिलीगुडी-न्यू बोंगाईगांव	बी 2
45.	अकोला-पूर्णा	सी 1
46.	त्रिची-मनमदुरै	सी 1
47.	विषुपुरम-कटपाडि	सी 1
48.	जयनगर-दरभंगा-नरकटियांगज	सी 1ए
49.	मानसी-सहरसा-फोरबिसगंज चरण-1	सी 1ए
50.	समस्तीपुर-खगड़िया	सी 1ए
51.	जबलपुर-गोंदिया, बालाघाट-कटंगी सहित	सी 1 ए
52.	रांची-लोहारदगा, तोरी तक विस्तार सहित	सी1 ए
53.	मदुरै-रामेस्वर	सी 1 ए
54.	मिरज-लातूर	सी 1 बी
55.	फुलेरा-जोधपुर-पिपार रोड-बिलाड़ा	सी 1 बी
56.	बांकुरा-दामोदर नदी परियोजना	सी 1 बी
57.	रुपसा-बंगारीपोसी	सी 1 बी
58.	तिरूचिरापल्ली-नागौर-करैकल	सी 1 बी
59.	विषुपुरम-पांडिचेरी	सी 1 बी
60.	कप्तानगंज-थावे-सिवान-छपरा	सी 2
61.	गोंडा-बहराइच-सीतापुर-लखनऊ चरण 1	सी 2 बी
62.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-रधिकापुर सहित)	सी 2 बी
63.	धर्मावरम-पकाला	सी 2 बी
64.	नौपाड़ा-गुनूपुर	सी 2 बी
65.	मैसूर-चामराजनगर	सी 2 बी
66.	कोल्लम-तिरूनेलवेल्ली-त्रिचांदूर एवं तेनकासी-विरुदनगर	सी 2 बी
नई लाइन		
1.	तालचेर-सम्बलपुर	ए 1
2.	अमरावती नारखेड़	ए 2
3.	पणवेल-करजत	ए 2
4.	हुबली-अंकोला	ए 2
5.	काकिनाडा-कोटापल्ली	ए 2
6.	अंगुल-सुर्किदा रोड	ए 2
7.	दैतारी-बांसपानी	ए 2
8.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	ए 2
9.	हरीदासपुर-पारादीप	ए 2

1	2	3
10.	धर्मावरम-पेनूकोंडा बरास्ता पुट्टापार्थी	ए 2
11.	गुना-इटावा	ए 3
12.	बोगांव-पेट्रापोल	ए 3
13.	लक्ष्मीकांपुर-नामखाना	ए 3
14.	कटरा-फैजाबाद	ए 3
15.	कपड़वंज-मोडासा	ए 3
16.	जम्मू तवी-उधमपुर	बी 1
17.	उधमनगर-श्रीनगर-बारामूला	बी 1
18.	बोगीबील पुल	बी 2
19.	डिफू-करोंग चरण 1	बी 2
20.	दुधनोई-देपा	बी 2
21.	हरमूती-ईटानगर	बी 2
22.	जोगीधोपा-गुवाहाटी	बी 2
23.	कुमारघाट-अगरतला	बी 2
24.	मुंगेर-गंगा पर रेल पुल	बी 3
25.	पटना-गंगा पुल	बी 3
26.	आगरा-ईटावा बरास्ता फतेहाबाद और बाह	सी 1
27.	दियोगढ़-सुल्तानगंज	सी 1
28.	तारकेश्वर-बिशनुपुर	सी 1
29.	न्यू मैनागुडी-जोगीधोपा	सी 1
30.	कोटपल्ली-नरसापुर	सी 1
31.	अजमेर-पुष्कर	सी 1
32.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	सी 1
33.	रामगंजमंडी-भोपाल	सी 1
34.	ललितपुर-सतना एवं रीवा सिंगरौली	सी 1 ए
35.	अरा-सासाराम	सी 1 ए
36.	फतुआ-ईस्लापुर पुनर्स्थापन	सी 1 ए
37.	गिरीडीह-कोडरमा	सी 1 ए
38.	कोडरमा-रांची	सी 1 ए
39.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया	सी 1 ए
40.	दियोगढ़-दुमका	सी 1 ए
41.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	सी 1 ए
42.	सकरी-हसनपुर	सी 1 ए
43.	एकलाखी-बालूरघाटी	सी 1 ए
44.	व्यास से डेरा बाबा जयमल सिंह	सी 1 ए
45.	चंडीगढ़-लुधियाना	सी 1 ए
46.	कालका-परवानू	सी 1 ए
47.	नांगल डैम-तलवाड़ा एवं मुकेरिया तलवाड़ा की साइडिंग का अधिग्रहण	
48.	तरन तारन-गोइंदवाल	सी 1 ए
49.	मुनीराबाद-महबूबनगर	सी 1 ए
50.	बिश्रामपुर-अम्बिकापुर	सी 1 ए
51.	हवड़ा-आमटा	सी 1 ए
52.	तामलुक-दीघा	सी 1 ए
53.	अंगामाली-सबरीमाला	सी 1 ए
54.	हसन-बेंगलूरू	सी 1 ए
55.	कारूर-सेलम	सी 1 ए
56.	गोधरा-इंदौर देवास-मकसी	सी 1 ए
57.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	सी 1 बी
58.	बारामती-लोनंद	सी 1 बी
59.	मंदारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	सी 1 बी
60.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	सी 1 बी
61.	गड़वाल-रायचूर	सी 1 बी
62.	गुलबर्गा-बिदर	सी 1 बी
63.	मचरेला-नालगोंडा	सी 1 बी
64.	नांदियाल-येरागुंतला	सी 1 बी

1	2	3
65.	पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	सी 1 बी
66.	खुर्दा रोड-बोलनगीर	सी 1 बी
67.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	सी 1 बी
68.	बेंगलूरू-सत्यमंगलम	सी 1 बी
69.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	सी 1 बी
70.	कोट्टूर-हरीहर	सी 1 बी
71.	ढोसा-गंगापुर	सी 1 बी
72.	काडिनाडा-पीठापुर	सी 2
73.	पुनतांबा-शिरडी	सी 2 ए
74.	दुर्गौंधा-महाराजगंज	सी 2 ए
75.	अबोहर-फजिल्का	सी 2 ए
76.	इटावा-मैनपुरी	सी 2 बी
77.	कोट्टायम-ईरुमेली	सी 2 बी
78.	कुट्टीपुरम-गुरवायूर	सी 2 बी

संकेत

ए 1 वे पूरी हो गई परियोजनाएं जहां अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं
ए 2 अर्थक्षम परियोजानाएं/वे परियोजनाएं जो पारिचालनिक दृष्टि से अपेक्षित हैं
ए 3 वे परियोजनाएं जो पूरा होने के निकट हैं और जो पूरा हो जाएंगी
बी 1 जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं
बी 2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजनाएं
बी 3 वे परियोजनाएं जिनमें 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले पुल शामिल हैं।
सी 1 सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएं जहां स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं।
सी 1ए वे परियोजनाएं जिन्हें सी 1 कोटि के भीतर उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त है
सी 1बी अन्य परियोजनाएं जो सी 1 ए के अंतर्गत शामिल नहीं हैं
सी 2 सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परियोजनाएं जहां स्वीकृतियों की प्रतीक्षा है
सी 2ए पारिचालनिक प्राथमिकता वाली परियोजनाएं जो स्वीकृति के पश्चात सी 1 ए कोटि में शामिल होंगी
सी 2 बी सामाजिक दृष्टि से वांछनीय अन्य परियोजनाएं जो स्वीकृति के पश्चात् सी 1 बी कोटि में शामिल होंगी।

[अनुवाद]

शैक्षिक/अकादमी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दाखिला

749. श्री बनलाल जावमा: क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाली डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने सभी शैक्षिक/अकादमी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित सीटों के कोटे को पूर्णत: भरने हेतु उनका दाखिला सुनिश्चित करने की सिफारिश की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, नयी दिल्ली के विभिन्न संकायों/विषयों में डिप्लोमा, स्नातक पूर्व, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वर्षवार कितनी सीटें प्रदान की गयी; और

(ग) उक्त सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) मानदंडों के अनुसार, होटल प्रबंध संस्थानों और भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान द्वारा चलाए गए सभी पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए क्रमश: 15% और 7.5% सीटें आरक्षित होती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या नीचे दी गई है:-

1. होटल प्रबन्ध संस्थान

वर्ष	दाखिल छात्रों की संख्या	दाखिल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या
1	2	3
(1) तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम		
1997-98	2014	438
1998-99	2185	460
1999-2000	2245	424

1	2	3
(2) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला		
1997-98	250	28
1998-99	290	31
1999-2000	274	18
(3) शिल्पस्तर और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में दाखिला		
1997-98	539	89
1998-99	553	76
1999-2000	610	79
2. भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर और भुवनेश्वर		
पर्यटन प्रबन्ध में डिप्लोमा		
1997-98	116	05
1998-99	73	01
1999-2000	71	03

(ग) भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान, में लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए छात्रों के बारे में छानबीन करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक अंक दिए जाते हैं।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के वितरण और विपणन का प्रस्ताव

750. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का वितरण बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उचित वितरण और विपणन के लिए क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और एल.एन.जी. आयात टर्मिनलों की स्थापना करने, पुन: गैसीकृत एल.एन.जी. के वितरण, विपणन और परिवहन में 100 प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। देश में एल.एन.जी. का आयात करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित अनेक क्षेत्रों से पहल की गई हैं। एल.एन.जी. आयातकर्ताओं को बाजार मूल्यों पर पुन: गैसीकृत एल.एन.जी. का विपणन और वितरण करने का अधिकार है।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

751. श्री तिरूनावक्करसू: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इसमें संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कम्पनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम में सरकार एक संशोधन आगे ला रही है। सार निम्नानुसार है:-

(अ) कामकाज पूंजी संबंधी उद्देश्यों के लिए चूक (धारा 18क के अन्तर्गत) के बाद बैंकों से प्राप्त प्रत्येक निधि, निधियों को किसी अन्य प्रयोग में लाने से पहले छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों और ब्याज का पुनर्भुगतान करने के लिए पहले प्रयोग की जानी चाहिए;

(आ) धारा 58क चूककर्ता कम्पनियों उन जमाकर्ताओं के बारे में सी एल बी को सूचित करेंगी जिन्हें भुगतान नहीं किया गया है;

(इ) डाक मत पत्र के लिए प्रावधान करना;

(ई) धारा 58क चूककर्ता कंपनी के किसी भी निदेशक पर किसी अन्य कंपनी का निदेशक बनने पर प्रतिबन्ध होगा;

(उ) घोषित लाभांश का 42 दिनों की बजाय 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा;

(ऊ) चूक के मामले में जुर्माना 10 गुणा बढ़ा दिया गया है।

अभिलेखों का रख-रखाव

752. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रेलवे में साइडिंग आपरेशन्स की निगरानी के संबंध में विद्यमान अभिलेख रख-रखाव प्रणाली के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.ए.जी. के प्रतिवेदन में उठाई गई बातों की सरकार ने जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे साइडिंग आपरेशंस से संबंधित अभिलेख व्यवस्था के रख-रखाव को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रेल संबंधी रिपोर्ट सं. 9 में अभिलेखों के अनुरक्षण तथा साइडिंग परिचालनों की निगरानी के संबंध में कतिपय कमियां ध्यान में आई हैं।

(ग) और (घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए सुधारों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु नोट कर लिया गया है।

तेल पर आयात शुल्क/उत्पाद शुल्क

753. श्री के. येरननायडू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन-आपरेटर्स कच्चे तेल पर से आयात-शुल्क को और डीजल से उत्पाद शुल्क हटाने की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। डीजल पर देय उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को कम करने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 30 सितम्बर, 2000 से प्रभावी डीजल पर देय उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में बिक्री कर दरों में समायोजन करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है।

'गया' सैन्य हवाई अड्डे का नवीकरण

754. श्री अरुण कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय के उपयोग के लिए 'गया' सैन्य हवाई अड्डे को उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से इसका नवीकरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) 'गया' हवाई अड्डा, सेना के नियंत्रण में नहीं है बल्कि यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। यह विमानपत्तन साफ मौसम में 50 सीटों की श्रेणी वाले वायुयानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 'गया' विमानपत्तन को ए-320 प्रकार के वायुयान के संचालन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसका विस्तार कर रहा है। 15 करोड़ रुपये की लागत में रनवे आदि के निर्माण का कार्य तथा 3.51 करोड़ रुपये की लागत में चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और इसके पूरा करने की संभावित तारीख अक्तूबर, 2001 है।

गुजरात में तेल की खोज संबंधी गतिविधियां

755. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन कम्पनियों ने नौवीं योजना के दौरान गुजरात में तेल और गैस का वर्ष-वार उत्पादन बढ़ाने के मद्देनजर अपनी खोज संबंधी गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसके निमित्त आज तक कितना धन निर्धारित निर्गत और खर्च किया जा चुका है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस की अनुमानित मांग कितनी है और इनके उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना रखा गया है;

(घ) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं व लघु उद्योगों को प्राकृतिक गैस आबंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) गुजरात राज्य में तेल और गैस का अन्वेषण कार्य कर रही है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

ओ. एन. जी. सी. द्वारा नौवीं योजना के दौरान गुजरात में किए गए अन्वेषण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	द्विआयामी जी एल के	त्रिआयामी जी एल के	अन्वेषण कूप	निर्धारित राशि (सं.अ.)	जारी और व्यय की गई राशि
1997-98	1146	6638	43	148.12	137.53
1998-99	1133	8386	47	171.03	138.19
1999-2000	1062	5885	51	232.70	144.34

नोट: सर्वेक्षण व्यय राज्यवार नहीं रखा जाता है और उपर्युक्त में परियोजना का सर्वेक्षण व्यय सम्मिलित है। इसका आधार कार्यालय गुजरात में स्थित है।
नोट:
जी एल के : ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर
सं.अ. : संशोधित अनुमान।

[हिन्दी]

आजीवन कारावास की व्याख्या

756. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ ने आजीवन कारावास की नई व्याख्या की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने लक्ष्मण नस्कर इत्यादि बनाम भारत का संघ के मामले में जो जे टो 2000 (2) एस सी/48 में रिपोर्ट किया गया है यह अभिनिर्धारित किया है कि ''आजीवन कारावास, जीवन पर्यंत कारावास से किसी भी प्रकार कम नहीं है और किसी आजीवन सिद्धदोष को, परिहार प्राप्त कर लेने से समय से पहले जेल से छूटने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, किन्तु यदि सरकार ने ऐसे सिद्धदोषियों को समय-पूर्व छोड़े जाने के लिए कोई नियम का स्कीम बनाई है तो संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए उन नियमों या स्कीम को मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाएगा और यदि सुसंगत समय पर प्रवृत्त सरकारी नीति/अनुदेशों के अनुसार आजीवन सिद्धदोष ने ऐसी नीति/अनुदेशों में उल्लिखित अवधि का कारावास पूरा कर लिया है तो यह कहा जा सकता है कि सिद्धदोष के पास केवल यह अधिकार है कि उसका मामला, कारावास प्राधिकारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, समय पर, संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। जब किसी प्राधिकारी से संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन शक्तियां प्रयोग करने लिए कहा जाता है तो ऐसा विधिक स्थिति और तत्समय प्रवृत्त सरकारी नीति/अनुदेशों के समनुरूप करना होगा।''

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल का आंशिक निजीकरण

757. श्री कमलनाथ:
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 2000 को ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' नई दिल्ली, में 'ममता: रेलवेज टू गो फॉर पारशियल प्राइवेटाइजेशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की व्यापक रुपरेखा क्या है;

(ग) क्या निजीकरण हेतु भारतीय रेल के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने हेतु गठित कृतिक बल ने अब तक कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या संघ सरकार ने निधियों तथा कार्यों के 50% अंशदान हेतु राज्य सरकारों से संपर्क किया है;

(च) यदि हां, तो क्या रेल को देश के विभिन्न हिस्सों में प्रभावकारी ढंग से पहुंचने हेतु अब तक राज्य सरकारों ने 50% अंशदान देने पर सहमति दे दी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित के जरिए रेलों में निजी निवेश किया जाता है:

(1) परियोजनाओं के लिए निर्माण स्वामित्व, पट्टा और हस्तांतरण (बोल्ट) योजना

(2) मालडिब्बों की खरीद के लिए अपने मालडिब्बों के मालिक बने (ओ.आई.डब्ल्यू. एस.)

(3) रेल-पोत संपर्क परियोजना जैसे मामलों की तरह विशेष प्रयोजन योजना (एस.पी.बी.) के जरिए।

(4) भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम के जरिए सत्ते होटल और खान-पान।

(5) रेलटेल निगम द्वारा रेलवे के मार्गाधिकार को पट्टे पर देना।

(6) भूमि और नभक्षेत्र का वाणिज्यिक दोहन।

(ग) और (घ) राजस्व के परंपरागत श्रोतों से राजस्व का प्रवाह की योजना बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और फिक्की, सी.आई.आई. और एसोचेम के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक कार्यदल का गठन किया गया था ताकि विभिन्न मुद्दों का गहन अध्ययन किया जा सके, कार्यदल ने गैस-परंपरागत स्रोतों और नभक्षेत्र का वाणिज्यिक दोहन, अपने मालडिब्बों के स्वामी बने योजना, बोल्ट (निर्माण, स्वामित्व, पट्टा हस्तांतरण) योजना, वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार और निजी संगठनों के साथ मिलकर (विशेष प्रयोजन योजना) गठन और संयुक्त उद्यमों सहित अन्य नये वित्तीय पैकेज से राजस्व सृजित करने की सिफारिश की है।

विभिन्न सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पहले से ही शुरु की जा चुकी है।

(ङ) से (छ) तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारें कुछ निर्धारित परियोजनाओं की पूंजी लागत की भागीदारी को वहन करने के लिए राजी हो गई है। रेल परियोजनाओं के निष्पादन में भागीदारी के तौर-तरीकों को नियोजित किया जा रहा है।

नई रेल परियोजनाएं

758. श्री होलखोमांग हौकिप:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं की परियोजना-वार अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका काम शुरू हो चुका है;

(घ) शेष परियोजनाओं पर काम शुरू न होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) काम जल्दी शुरू करने के लिए सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गई नई रेल परियोजनाओं, इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत, इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति तथा जहां कहीं अपेक्षित है इन परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2000-01 के बजट में शामिल रेलवे परियोजनाएं

क्र. सं.	योजना शीर्ष	परियोजना	रेलवे	लागत	बजट परिव्यय 2000-01 करोड़ रुपयों में	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई लाइन	देवगढ़-सुल्तानगंज	पू.रे.	282.00	6.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
2.	नई लाइन	तारकेश्वर बिशनुपुर	पू.रे.	260.00	22.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
3.	नई लाइन	न्यू मायनागुड़ी-जोगीघोपा	पू.सी.रे.	730.00	6.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
4.	नई लाइन	कोटापल्ली- नरसापुर	द.म.रे.	330.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
5.	नई लाइन	अजमेर-पुष्कर	प.रे.	67.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
6.	नई लाईन	गांधीनगर-अदरजमोती-कलोल	प.रे.	52.00	2.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
7.	नई लाइन	रामगंजमंडी-भोपाल	प.रे.	425.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
8.	दोहरीकरण	मानिकपुर-छेंवकी चरण-1 मानिकपुर-कोट्याडांडी का दोहरीकरण	म.रे	48.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6	7
9.	दोहरीकरण	परवेल-जसई-जेएनपीटी	म.रे.	48.00	1.00	यह 2000-01 का नया कार्य है। विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।
10.	दोरहीकरण	बारासात-हसनाबाद चरण-1 का विद्युतीकरण सहित दोहरीकरण (बरासात-सोन्डालिया)	पू.रे.	27.00	5.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
11.	दोहरीकरण	बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर चरण-1 (बरुईपुर-दक्षिण बरासात)	पू.रे.	49.00	5.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्से और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
12.	दोहरीकरण	बोलपुर-अहमदपुर	पू.रे.	49.00	1.80	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
13.	दोहरीकरण	कालीनारायणपुर-कृष्णानगर	पू.रे.	40.00	5.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
14.	दोहरीकरण	सोनारपुर केनिंग चरण-1 (सोनारपुर-घुटियारी शरीफ)	पू.रे.	36.00	6.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
15.	दोहरीकरण	तारकेश्वर-शेवड़ाफुल्ली चरण-1 (शेवड़ाफुल्ली-नालीकुल)	पू.रे.	41.00	2.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
16.	दोहरीकरण	जरवल रोड़-बुढ़वल (कहीं-कहीं दोहरीकरण)	पूर्वो. रे.	23.80	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
17.	दोहरीकरण	अमरोहा-कानकथर	उ.रे.	48.00	1.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।
18.	दोहरीकरण	जाफराबाद-उतरेतिया चरण-2 (जाफराबाद-श्रीकृष्णानगर)	उ.रे.	48.00	1.00	बजट में शामिल किया गया नया कार्य अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
19.	दोहरीकरण	गूटी-रेणिगुंटा खंड बालापल्ले-पुल्लामपेट खंड का दोहरीकरण	उ.रे.	48.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है।
20.	दोहरीकरण	खोरधा रोड़-पुरी चरण-1 (खोरधा रोड-देलंग)	द.पू.रे.	48.00	5.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है।
21.	दोहरीकरण	पांसकुड़ा-हल्दिया चरण-1 (पांसकुड़ा-राजगोदा)	द.पू.रे.	48.00	2.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है।
22.	दोहरीकरण	बड़ोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन का सूरत-कोसांबा चरण-1	प.रे.	49.00	1.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। नक्शे और अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
23.	आमान परिवर्तन	अकोला-पूर्णा	द.म.रे.	228.00	10.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है। मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं।
24.	आमान परिवर्तन	त्रिची-मानमदुरै	द.रे.	175.00	7.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है।
25.	आमान परिवर्तन	विषुपुरम-काठपाडि	द.रे.	175.00	5.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल नया कार्य है।
26.	महानगर परिवहन परियोजना	ठाणे-मुम्ब्रा 5वीं और 6ठीं लाइन	म.रे.	49.34	00.01	यह 2000-01 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया नया कार्य है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
27.	महानगर परिवहन परियोजना	विरार दहानू-रोड ईएमयू गाड़ियां चलाने और टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए सुविधाओं का विकास	प.रे.	25.82	0.01	यह 2000-01 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया नया कार्य है। विस्तृत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
28.	रेल विद्युतीकरण	कृष्णानगर-लालगोला	पू.रे.	72.12	7.20	बजट में शामिल नया कार्य।

राजनीतिक दलों को सुविधाएं

759. श्री उत्तमराव ढिकले:
डा. वी. सरोजा:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत राष्ट्रीय/क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चुनाव लड़ने वाले पंजीकृत राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को और अधिक सुविधाएं देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

हस्तशिल्प के विकास हेतु योजनाएं

760. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प विकास के लिए चल रही योजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को योजनावार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई;

(ग) क्या हस्तशिल्प विकास के सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे कितने कारीगर/शिल्पी लाभान्वित हुए हैं; और

(च) ग्रामीण/जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में हस्तशिल्प एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) देश के जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों सहित हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में विद्यमान शिल्पियों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण एवं नये शिल्पियों को कौशल प्रदान करना, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास, विपणन एवं विपणन विकास सहायता, चुने हुए शिल्प पाकेटों में शिल्प विकास केन्द्रों एवं सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, प्रदर्शनी एवं प्रचार, सर्वेक्षण/अध्ययन एवं वर्कशेड, वर्कशेड-सह-आवास, समूह बीमा आदि जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमें शामिल हैं।

(ख) धनराशि राज्यवार आबंटित नहीं की जाती। तथापि, सरकार की स्कीमें हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य हस्तशिल्प निगमों/शीर्ष समितियों/गैर-सरकारी संगठनों आदि को सहायता प्रदान करती हैं। इन ऐजेंसियों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों और उनके पिछले निष्पादन के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष अक्टूबर-2000 तक के दौरान, स्कीमवार इन ऐजेंसियों को आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु सरकार की प्रचलित स्कीमों की विकास आयुक्त हस्तशिल्प और वस्त्र सचिव के स्तर पर समीक्षा की जाती है। वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की बैठकों में भी स्कीमों की ससमीक्षा की जाती हैं इसके परिणामस्वरूप कारीगरों को अधिक लाभ एवं स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वनय सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों को संशोधित किया गया है। प्रस्ताव है कि विभागीय प्रशिक्षण स्कीम फरूखाबाद और अहमदाबाद में विभागीय सामान्य सेवा सुविधा केन्द्र, जयपुर में राष्ट्रीय हाथ छपाई वस्त्र शिल्प संस्थान, शिल्पियों के लिए व्यवसाय उद्यम एवं निर्यात प्रबंधन में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम और उत्कृष्ट समितियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नामक पांच स्कीमों को चरणबद्ध रूप से बंद कर दिया जाए।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास की विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित कुल कारीगरों की अनुमानित संख्या 98000 है। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से आज तक) के दौरान कुल लाभान्वित कारीगरों के अनुमानित सं. 80970 है।

(च) ग्रामीण/जनजातीय/पिछड़े क्षेत्रों में हस्तशिल्प को बढ़ावा ते हुए स्वरोजगार प्रदान करने हेतु कार्यान्वित स्कीमों में निम्नलिखित ामिल है:

1. कार्यरत शिल्पियों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण और नये शिल्पियों को कौशल प्रदान करना
2. डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी विकास
3. विपणन एवं विपणन विकास सहायता
4. चुने हुए शिल्प पाकेटों में शिल्प विकास केन्द्र और सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र
5. प्रदर्शनी एवं प्रचार
6. लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरूत्थान और
7. हस्तशिल्प हेतु विशेष परियोजनाएं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-20001 अक्टूबर 2000 तक
1.	प्रदर्शनी	247.71	291.96	220.08	152.24
2.	प्रचार	51.36	94.25	64.43	26.38
3.	डिजाइन	61.13	162.29	201.12	5.50
4.	प्रशिक्षण	183.13	124.49	346.62	118.21
5.	विपणन	296.82	307.42	160.15	123.80
6.	विपणन विकास सहायता	372.75	283.23	138.93	95.38
7.	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	65.10	47.42	47.18	38.21
8.	कल्याण	133.51	98.50	103.46	118.46
9.	शिल्प विकास केन्द्र	127.25	59.01	30.41	—
10.	लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरुत्थान	5.12	6.23	—	—
11.	यूएनडीपी	61.47	66.81	215.03	239.46
	योग	1605.35	1541.61	1535.41	917.64

आई.ओ.सी. और एच.पी.सी.एल. के साथ संयुक्त उद्यम में कंपनियों की समीक्षा

761. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.ओ.सी. और एच. पी. सी. एल. के साथ संयुक्त उद्यम वाली तेल कंपनियों को ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कम्पनियों के कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आई. ओ. सी. और एच. पी. सी. एल. अपनी कम्पनियों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रही हैं; और

(छ) इनका प्रबंधन प्रभावकारी ढंग से करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन संयुक्त उद्यमों में से 4 संयुक्त उद्यम हानि उठा रहे हैं।

(घ) से (छ) संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच हस्ताक्षर किए गए संयुक्त उद्यम करारों/समझौता ज्ञापनों के अनुरूप संयुक्त उद्यम कम्पनियों का गठन किया गया है। सारे संयुक्त उद्यमों के कार्य निष्पादन की नवरत्न बोर्डों द्वारा निगरानी की जाती है और सारे संयुक्त उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के निमित्त प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
1.	इंडो मोबिल लिमिटेड
2.	एवी-आयल इंडिया लिमिटेड
3.	इंडियन आयल टैंकिंग लिमिटेड
4.	लुब्रिज़ाल इंडिया लिमिटेड
5.	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल)
6.	पेट्रोनेट वाडीनार कांडला लिमिटेड
7.	पेट्रोनेट चेन्नई-त्रिची मदुरै लिमिटेड
8.	पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड
9.	इंडियन आयल पेट्रोनास लिमिटेड (आई पी एल)
10.	इंडियन आयल पानीपत पावर कनर्सोटियम लिमिटेड (आई पी पी सी एल)
11.	इंडियन आयल टी सी जी पेट्रोकैम लिमिटेड

नोट: इनमें से क्रम संख्या 1 और 3 पर उल्लिखित संयुक्त उद्यम हानि उठा चुके बताए गए हैं।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों की सूची

क्र.स.	संयुक्त उद्यम का नाम
1	2
1.	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एम आर पी एल)
2.	हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड (हिनकोल)
3.	पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल)
4.	प्राइज पेट्रोलियम कं. लिमिटेड (पी पी एल)
5.	साउथ एशिया एल पी जी कं. लिमिटेड (एस ए एल पी सी)
6.	पेट्रोनेट मंगलौर हसन बंगलौर लि. (पी एम एच बी एल)
7.	हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कंपनी लि. (एच ओ पी सी एल)

नोट: इनमें क्रम संख्या 1 और 4 पर उल्लिखित संयुक्त उद्यम हानि उठा चुके बताए गए हैं।

[हिन्दी]

सी.एन.जी. स्टेशन

762. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने सी.एन.जी. स्टेशन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) अगले वर्ष स्थापित किए जाने वाले सम्भावित स्टेशनों की संख्या का स्थानवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में कार्यरत सी एन जी केन्द्रों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	सी एन जी केन्द्रों की संख्या
दिल्ली	51
महाराष्ट्र	21
गुजरात	7
कुल	79

(ख) अगले वर्ष खोले जाने की संभावना वाले केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

राज्य	सी एन जी केन्द्रों की संख्या
दिल्ली	29
महाराष्ट्र	14
कुल	43

[अनुवाद]

तेल समन्वय समिति का गठन

763. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल समन्वय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन, कार्यों और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 14 जुलाई, 1975 के संकल्प संख्या पी पी डी/ओ पी सी/आई आर/75 द्वारा तेल मूल्य समिति, 1976 की सिफारिशों की आधार पर सरकार द्वारा तेल समन्वय समिति की स्थापना की गई थी।

तेल समन्यव समिति का संरचना निम्नानुसार है:-

(1) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय -अध्यक्ष

(2) अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय -सदस्य

(3) संयुक्त सचिव (रिफाइनरियां) -सदस्य

(4) संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार -सदस्य

(5) तेल कंपनियों के मुख्य कार्यपालक -सदस्य

(6) कार्यकारी निदेशक, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय - सदस्य

(7) कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति -सदस्य सचिव

ओ सी सी की भूमिका व कार्य निम्नवत् हैं:-

(1) कच्चे तेल तथा मासिक उत्पाद पैटर्न का आबंटन।

(2) कच्चे तेल आयातों तथा तटीय संचलन के लिए परिवहन व्यवस्थाओं में समन्वय।

(3) तेल उद्योग पूल खाते की व्यवस्था।

(4) सरकार के वर्तमान निर्णयों और आदेशों के अनुसार रिफाइनरियों और उपभोक्ताओं के लिए नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की व्यवस्था करना।

(5) पेट्रोलियम उत्पादों तथा तेल पूल खाते के मांग-आपूर्ति शेष के अनुमान तैयार करना।

(6) सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार पेट्रोलियम क्षेत्र के कार्यों में समन्वय।

भटिन्डा में एक तेल शोधक परियोजना स्थापित करना

764. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. ने पंजाब के भटिन्डा में एक तेल शोधक परियोजना स्थापित करने हेतु विस्तृत संभाव्य रिपोर्ट 26 दिसम्बर, 1997 को प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसको पूर्ण करने की निर्धारित तिथि कौन सी है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) को एच पी सी एल की एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी के माध्यम से भटिंडा (पंजाब) में सम्बद्ध सुविधाओं वाली 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की ग्रासरुट रिफाइनरी परियोजना का क्रियान्वयन इस परियोजना के लिए वित्तपोषण व्यवस्था करने के बाद करने की अनुमति दे दी है। यदि आवश्यकता हुई तो एच पी सी एल बाद में एक संयुक्त उद्यम भागीदार को शामिल करेगी।

(ग) इस परियोजना के वर्ष 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना का क्रियान्वयन बिना किसी सरकारी बजटीय सहायता के किया जा रहा है।

[हिन्दी]

साड़ी बुनकरों की स्थिति

765. **डा. बलिराम:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे भागों में साड़ी बुनकरों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या साड़ी बुनकरों को न तो रियायती दरों पर कच्चा माल मिल रहा है और न ही बैंकिंग/वित्तीय संस्थानों से ऋण मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में, विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में बुनकरों को बढ़ावा देने और सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सरकार को हथकरघा बुनकरों की समस्याओं के बारे में जानकारी है तथा उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु वचनबद्ध है। सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश में बुनकरों के कल्याण तथा हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। स्कीम में कार्यशाला-सह-आवास, थ्रिफट फंड, समूह बीमा, स्वास्थ्य पैकेज, निर्यात विकास विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण, मिल गेट कीमत पर यार्न की आपूर्ति, हैंक यार्न बाध्यता आदेश तथा दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना शामिल है।

नाबार्ड द्वारा कम दर के ब्याज पर हथकरघा बुनकरों को ऋण सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों/ओबीसी अल्प संख्यकों हेतु वित्तीय सुविधाऐं प्रदान करने के लिए स्थापित वित्तीय संस्थान हथकरघा बुनकरों के लिए ऋण सुविधायें प्रदान करने हेतु भी सहमत हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने पर निधियां जारी की जाती हैं। 1999-2000 के दौरान विभिन्न हथकरघा विकास स्कीमों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 783.99 लाख रुपये सहित विभिन्न राज्य सरकारों को 8475.90 लाख रुपये के हिसाब से निधियां जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

आरक्षण कोटा

766. **श्री सुशील कुमार शिंदे:** क्या **रेल मंत्री** 11 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7104 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली और शोलापुर तथा गुलबर्ग और नई दिल्ली के बीच विभिन्न रेलगाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों में वर्तमान आरक्षण कोटा क्या है और दोनों ओर के लिए प्रतीक्षा सूची में यात्रियों का औसत प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या दिल्ली-गुलबर्ग और गुलबर्ग-दिल्ली के लिए विभिन्न रेलगाड़ियों में कोटा दिल्ली-शोलापुर और शोलापुर-दिल्ली सेक्शन से बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि शोलापुर दिल्ली या बीच के अन्य स्टेशनों से यात्रा करने वाले अधिकांश यात्रियों को गुलबर्ग से आरक्षण प्राप्त करना पड़ता है और शोलापुर जाने के इच्छुक यात्रियों को गुलबर्ग तक आरक्षण लेना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) दिल्ली आने के लिए 2627 कर्णाटक एक्सप्रेस में गुलबर्ग तथा सोलापुर में उपलब्ध आरक्षण कोटा तथा सोलापुर की बुकिंग के लिए 2628 कर्णाटक एक्सप्रेस में नई दिल्ली पर उपलब्ध आरक्षण कोटा निम्नानुसार है:-

	कोट	दैनिक औसत प्रतीक्षा सूची
सोलापुर स्टेशन पर:		
वातानुकूल 2-टियर	4	1
शयनयान	26	11
गुलबर्गा स्टेशन पर:		
वातानुकूल 2-टियर	2	0.3
शयनयान	22	5.0

2628 नई दिल्ली-बैंठालूरु कर्णाटक एक्सप्रेस

बैंगलूरू की ओर यात्रा की बुकिंग के लिए सोलापुर में 10 शयनयान श्रेणी की शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है, सोलापुर के लिए इन 10 शयनयान श्रेणी की शायिकाओं के लिए नई दिल्ली में यात्री बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा, जब सोलापुर कोटा पूरी तरह बुक हो जाता है तब सोलापुर के लिए यात्री रायचूर कोटे के वातानुकूल 2-टियर में 5 शायिकाओं तथा शयनयान श्रेणी में 64 शायिकाओं कोटे के अन्तर्गत बुकिंग करा सकते हैं। इसी प्रकार गुलबर्ग की ओर यात्रा करने के इच्छुक यात्री भी पहले आओ पहले पाओ आधार पर रायचूर कोटे के अंतर्गत बुकिंग करा सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू सिलिंडरों के प्रयोग का उल्लंघन

767. **श्री मंजय लाल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए घरेलू सिलिंडरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इस संबंध में प्रतिबंध का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस तरह के दुरुपयोग पर कहां तक रोक लगाई जा सकती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) औद्योगिक प्रयोजन के लिए घरेलू एल पी जी सिलेण्डर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी वितरकों द्वारा एल पी जी (घरेलू) के विपणन के संबंध में मिलने वाली शिकायतों की जांच की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा एल पी जी वितरकों की नियमित जांच की जाती है। यदि कोई वितरक किसी अनाचार/अनियमितता में लिप्त पाया जाता है तो एल पी जी (आपूर्ति और वितरण नियमन) आदेश, 2000/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार प्रमाणित अनाचार/अनियमितता के लिए उस वितरक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है।

उत्तरी बिहार में सैनिक स्कूल

768. **श्रीमती रेनु कुमारी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में तिलैया स्थित एकमात्र सैनिक स्कूल अब झारखण्ड में आ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उत्तरी बिहार में एक नया सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने बिहार में चार नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए बिहार राज्य सरकार से भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। नालंदा और गोपालगंज में दो सैनिक स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एम एस वी के प्रबंधन और परिचालन हेतु निविदाएं

769. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निगम एम एस वी समुद्र "सुरक्षा", "सेवक" और "प्रभा" के प्रबंधन और परिचालन हेतु समय पर निविदाएं आमंत्रित करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आमंत्रित की गई परिचालन एजेंसियों और कार्यकारी पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1999-2000 के लिए आमंत्रित की गई निविदा को दस महीनों के बाद निरस्त कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) निविदायें ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) के द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। नवम्बर, 1997-2000 की अवधि के दौरान मैसर्स शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मैसर्स हिमाचल अल्कालीज लिमिटेड, मैसर्स पीयरलेस शिपिंग ऑयल फील्ड सर्विसिस लिमिटेड तथा मैसर्स डोलफिन आफसोर इन्टरप्राइजिज लिमिटेड ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के एम एस वीज, समुद्र सुरक्षा, समुद्र सेवक तथा समुद्र प्रभा के प्रचालन रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए कार्य हेतु लगाई गई थीं।

इन पोतों का प्रचालन करने के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी प्रति पोत प्रति वर्ष लगभग 10 करोड़ रुपये आकलित हैं।

(ग) एक निविदा फरवरी, 2000 में आमंत्रित की गई है। इसे अंतिम रूप देना अभी तक शेष है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ द्वारा वस्त्र कोटा जारी किया जाना

770. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोपीय संघ द्वारा अनेक भारतीय वस्त्र उत्पादों का अद्‌भूत लचीलापन कोटा कब तक जारी किया जाएगा;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) यूरोपीय यूनियन ने पहले से ही 3500 टन के मूल्य की विशिष्ट रियायतें जारी कर दी हैं और साथ ही वर्ष 2000 के लिए 4500 टन की अधिशेष विशिष्ट रियायतें जारी करने पर भी सहमति दे दी है। निर्यात के लिए 8000 टन की अतिरिक्त मात्राएं पहले से ही वितरित कर दी गई हैं।

(ख) और (ग) इस संबंध में किसी भी पृथक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। तथापि, जुलाई, 2001 में भारत-यूरोपीय यूनियन के परामर्श के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के अनुसरण में परिचर्चाओं के रिकार्ड पर हस्ताक्षर किए गए। तदनुसार, सरकार ने डब्ल्यू.टी.ओ. को संशोधित शुल्क बाध्यताएं अधिसूचित की हैं। दूसरी ओर, यूरोपीय यूनियन ने 3500 टन की विशिष्ट रियायतें जारी की हैं और वर्ष 2000 के लिए अधिशेष 4500 टन की विशिष्ट रियायतें जारी की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 2004 तक के शेष वर्षों के दौरान अर्थात् वस्त्र कोटा नीति की समाप्ति तक प्रत्येक वर्ष के दौरान 8000 टन की विशिष्ट रियायतें जारी करने पर भी सहमति प्रकट की है।

कटक में टर्मिनल

771. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटक रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा टर्मिनल सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। कटक क्षेत्र में स्थित भुवनेश्वर, खुर्दा रोड तथा पुरी में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं। कटक में टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिचालनिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए कटक में टर्मिनल सुविधाओं के सृजन पर विचार नहीं किया गया है।

सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट की जांच

772. **श्री पवन कुमार बंसल:**
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. एस. बसवराज:
श्री अशोक रा. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करगिल संघर्ष पर गठित सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) राष्ट्रीय क्षा प्रणाली की समग्र रूप से पुनरीक्षा करने तथा विशेष रूप कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और ं कार्यान्वित करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए त मंत्रियों के समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की मंत्रियों के समूह को सौंपे गए विचारार्थ विषयों का क्षेत्र काफी पक है तथा मंत्रियों के समूह द्वारा गठित चार कार्य बलों ने नी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। मंत्रियों के समूह द्वारा सभी द्ध पहलुओं पर विचार करके शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर ् जाने की संभावना है।

न्दी]

'सी बर्ड नेवल परियोजना' के विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजा

773. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की ा करेंगे कि:

(क) क्या 'सी बर्ड नेवल परियोजना' के अंतर्गत कर्नाटक में स्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कर्नाटक सरकार ने और धिक धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हाँ।

(ख) 'सी बर्ड परियोजना' से प्रभावित परिवारों के लिए कुछ वेधाएँ बेहतर बनाने के वास्ते 46.59 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी किए जाने संबंधी कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की कार ने जाँच की थी तथा उसे मंजूरी दे दी थी। तदनुसार ांक 14 जून, 2000 को 126.96 करोड़ रुपये की संशोधित ीकृति जारी कर दी गई थी।

रक्षा बलों के लिए वेतन तथा भत्ते

774. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में वें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन से पन्न विसंगतियों को दूर कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सशस्त्र बल कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों सहित सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए विभिन्न सिफारिशें की थी। परंतु पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सशस्त्र बल कार्मिकों के वेतन तथा भत्तों में आई विसंगतियों पर विशिष्ट रूप से विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इसके बाद इस समिति की सिफारिशों का रक्षा सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल द्वारा अध्ययन किया गया। वेतन तथा भत्तों से संबंधित उनकी अधिकांश सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल दो प्रमुख मुद्दों अर्थात अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों तथा लेफ्टिनेंट जनरल/समकक्ष स्तर के अधिकारियों के वेतनमानों के संबंध में इसके व्यापक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में मंत्रियों के एक दल द्वारा विचार किया जा रहा है। मंत्रियों के दल द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 3 अक्तूबर, 2000 को सेना में ट्रेडों को युक्तिसंगत बनाएं जाने के कारण नौसेना तथा वायुसेना के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों के वेतनमानों में आई कतिपय विसंगतियों को दूर करते हुए 14 वेतनमानों को लागू कर दिया है। इसी प्रकार वायुसेना के 'एक्स' ग्रुप के उन सार्जेंटों के लिए, जिन्होंने वायु सेना मुख्यालय द्वारा डिजायन तथा संचालित किए जाने वाले इंजीनियरी डिप्लोमा के समतुल्य तकनीकी परीक्षा पास कर ली हो, 10 नवंबर, 2000 को एक अन्य वेतनमान को लागू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में आवंटित नई रसोई गैस एजेंसियां

775. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल कितने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को कितने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और मिट्टी के तेल के डिपुओं के आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाये

गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1.10.2000 की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश राज्य में 2,474 खुदरा बिक्री केन्द्र और 756 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत थीं। इनमें पिछले 3 वर्षों (1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान और आज तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को आवंटित 6 खुदरा बिक्री केन्द्र और 12 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित हैं।

वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

[हिन्दी]

भगवान महावीर की 2600वीं जयंती समारोह

776. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीर्थंकर भगवान महावीर की 2600वीं जयंती को मनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गठित की गई राष्ट्रीय/ कार्यान्वयन समिति में किन-किन लोगों को शामिल किया गया है;

(ग) समिति द्वारा उनकी जयंती मनाने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों/योजनाओं, उनके जन्म स्थान के विकास, मुक्ति-प्राप्ति के स्थान का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय समिति के वर्तमान स्वरूप के गठन से असहमत विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) से (ग) जी, हाँ। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। राष्ट्रीय समिति में राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, 9 राज्यों के मुख्य मंत्री, जैन समुदाय के प्रख्यात सदस्य और अन्य धर्मों के नेता शामिल हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एक कार्यान्वयन समिति भी गठित की गई है। ये समितियाँ समारोह से सम्बन्धित योजना तैयार करेंगी और कार्यकलापों का नियंत्रण करेंगी।

(घ) से (च) राष्ट्रीय समिति में कुछ और सदस्यों को नामित करने के सुझाव हैं। राष्ट्रीय समिति को सदस्य सहयोजित करने का अधिकार है।

[अनुवाद]

विदेशी एजेंसियों द्वारा हवाई अड्डों के प्रबंधन के मुद्दे पर खुली बहस

777. **श्री तरित बरण तोपदार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी निवेश और देश के विमानपत्तनों के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने से पूर्व आम लोगों के बीच बहस कराएगी क्योंकि अधिकांश विमानपत्तनों का उपयोग देश की वायुसेना द्वारा भी किया जा रहा है और ऐसा निर्णय देश की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आम बहस कराने के लिए तारीख और स्थान घोषित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो विमानपत्तनों का प्रबंधन विदेशी एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया जाता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने की योजना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) फिलहाल भारतीय विमानपत्तन के केवल चार हवाई अड्डों को जो दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कलकत्ता में हैं, दीर्घ-अवधि के पट्टे पर पुनर्संरचना के लिए हाथ में लिया जा रहा है और किसी भी रक्षा हवाई अड्डों के सिविल इन्कलेव को पट्टे पर लेने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ही रहेगी। दीर्घकालीन पट्टे पर लेते समय राष्ट्रीय विपदाओं के मामले में और रक्षा बलों द्वारा उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित किया जाएगा।

रानीगंज कोलफील्ड्स में गैस का पता लगाना

778. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रानीगंज कोलफील्ड्स में प्राकृतिक गैस की खोज को पुन: आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे क्षेत्र की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था का सुधार करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) को पश्चिम बंगाल में उत्तरी रानीगंज में कोल बेड मिथेन के अन्वेषण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) प्रदान किया गया है। ओएनजीसी ने आरम्भिक भूगर्भीय क्षेत्र अन्वेषण किया है और एक पतला छिद्र किया है।

इसके अलावा सरकार ने एफआईपीबी अनुमोदन के प्रति दक्षिणी रानीगंज में मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड (जीईईसीएल) द्वारा सीबीएम के अन्वेषण और दोहन का अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) सी बी एम अन्वेषण और दोहन क्षेत्र में सामान्य आर्थिक कार्य में योगदान करेगा।

तेल मूल्यों में कमी के कारण सृजित अतिरिक्त धन

779. **श्रीमती मिनाती सेन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करने के कारण 1999 के दौरान भारी मात्रा में अतिरिक्त धन सृजित किया;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धन को आगे देश में पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के दौरान राजसहायता में प्रयुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त धन को किस कार्य पर खर्च किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि की और अतिरिक्त धन को अन्य शीर्ष में डाल दिया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम थे। इस अवधि के दौरान पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की बिक्री से तेल पूल आय में वृद्धि हुई थी जिसका उपयोग जमा हुए तेल पूल घाटे को समाप्त करने के लिए किया गया। तथापि तेल पूल घाटे को पूरी तरह समाप्त करने से पहले ही तेल मूल्य फरवरी, 1999 के बाद बढ़ने आरम्भ हो गए। तेल पूल में कोई निवल अधिशेष नहीं हुआ और इसलिए अन्य शीर्ष में अधिशेष राशि के विपथन का प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से अमरीका को विमान सेवा

780. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में निवास कर रहे आंध्र प्रदेश के लोगों के अधिकाधिक लाभ और सुविधा के लिए सिंगापुर एयरलाइंस को हैदराबाद से अमरीका तक की विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दिए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जुलाई, 1999 में सरकारी स्तर की द्विपक्षीय वार्ताओं के अंतिम दौर के दौरान, सिंगापुर सरकार ने अपनी नामित विमान कंपनियों के लिए तिरूवनन्तपुरम्, बंगलौर और हैदराबाद में अतिरिक्त अवतरण स्थल के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। इन वार्ताओं में सहमत समग्र पैकेज के एक भाग के रूप में, सिंगापुर के नामित विमान कंपनी को तिरूवनन्तपुरम को एक अतिरिक्त अवतरण स्थान के रूप में स्वीकृत किया गया था। हैदराबाद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिए जाने के बाद, हैदराबाद के लिए/से सेवाओं के प्रचालन किए जाने के लिए सिंगापुर सरकार से कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल से प्राप्त परियोजनाएं

781. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अब तक पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसी कितनी परियोजनाओं की आधार-शिला रखी गई है; और

(घ) इन पर कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में ओ.एन.जी.सी. कुएं से तेल की चोरी

782. श्री हरिभाई चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में अंकलेश्वर और गंधार के ओ.एन.जी.सी. के कुओं से तेल की चोरी जारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए और अब तक कितने दोषियों को सजा दी गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कारण अनुमानत: कितनी हानि हुई; और

(घ) चोरी रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) विगत तीन वर्ष के दौरान तेल चोरी के 24 मामले हुए हैं, परन्तु अब इस बारे में कमी आयी है। इस संबंध में बताया गया कि 73 अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। उपर्युक्त मामलों के कारण आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन को लगभग 8 लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई है।

(घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ सहयोग से भविष्य में ऐसी चोरियों का निवारण करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण उपाय निम्नवत् हैं:-

(1) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के सुरक्षा एवं उत्पादन विभाग द्वारा तेल कूपों तथा प्रतिष्ठापनों के संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(2) कूपों के चारों ओर कंकरीट स्तंभों के साथ कांटेदार तार की बाढ़ लगाई गई है।

(3) चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में सशस्त्र सुरक्षा कर्मी कार्य पर लगाए गए हैं।

(4) परियोजनाओं के अंतर्गत सुरक्षा समन्वय समितियां तैयार की गई हैं जिनमें कर्मचारी संघों, अधिकारी संघ तथा विभिन्न विधाओं विशेष से प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

(5) अनावृत्त प्रवाह लाइनों के बजाय भूमिगत प्रवाह लाइनें बिछाई जाती हैं।

(6) विभिन्न परियोजनाओं में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कार्मिकों को तैनात किया गया हैं।

(7) हेलीकोप्टरों का उपयोग करते हुए तेल क्षेत्रों तथा पाइपलाइनों की अवसरिक हवाई निगरानी की जा रही है।

(8) चुनिंदा स्थानों पर लाइन पादचारी प्रणाली आरंभ की गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की वसूली

783. श्री डी.बी.जी. शंकर राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों पर रेलवे की बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्युत बोर्ड कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन बोर्डों से बकाया राशि की वसूली के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। सितम्बर, 2000 के अंत तक राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत घरों द्वारा रेलों को देय कुल धन राशि 1761.18 करोड़ रु. है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत घरों से धन की वसूली करने के लिए रेलों द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. 01.10.1996 से राज्य विद्युत बोर्डों/ विद्युत घरों के लिए बुक किए गए कोयले की ढुलाई के लिए ''मालभाड़े का पूर्व भुगतान'' की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन।

2. क्षेत्रीय रेलों द्वारा उन राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत घरों पर नजर रखी जा रही है जो ''मालभाड़े का पूर्व भुगतान'' की शर्तों और वर्तमान मालभाड़े का भुगतान करने में भी विफल रहते हैं तथा राज्य विद्युत बोर्डों एवं विद्युत घरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं।

3. 7.2.1997 को सरकार ने इस निर्णय कि 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत घरों से बकाया देयों को कतिपय सीमा के अध्यधीन केन्द्रीय योजना सहायता से समायोजित किया जाए, के अनुसरण में रेलों को 30.9.2000 तक 116.93 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड, आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के संबंध में कर्षण बिलों के अंतर्गत राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया का समायोजन।

5. रेल मंत्रालय में देयों के निपटान के लिए शीघ्र कार्रवाई पर जोर देते हुए रेल मंत्री सहित विभिन्न स्तरों पर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क किया है।

विवरण

उन राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत घरों के नाम जिनसे देयों की वसूली की जानी है:

(करोड़ रु. में)

राज्य	विद्युत बोर्ड/विद्युत घरों का नाम	31.9.2000 को बकाया देय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	85.93
2.	असम राज्य विद्युत बोर्ड	2.36
3.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	12.86
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	131.92
5.	गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	32.91
6.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	62.41
7.	कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड	1.95
8.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	31.38
9.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	5.24
10.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	249.04
11.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	44.19
12.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	21.89
13.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	13.84
14.	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	15.54
15.	बदरपुर ताप विद्युत घर	996.22
16.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	53.62
17.	दामोदर घाटी निगम	8.78
18.	निजी विद्युत घर-साबरमती	1.10
	कुल	1761.18

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा लाभार्जन

784. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने 1999-2000 में अच्छा लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो कितना लाभार्जन हुआ और अधिक लाभ कमाने के पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का इंडियन एयरलाइंस की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और भी विमानों को लेने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कितने विमानों को लिए जाने का प्रस्ताव है और इन पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 45.27 करोड़ रुपये (टैक्स के बाद) शुद्ध लाभ कमाया। इंडियन एयरलाइंस द्वारा यह लाभ बड़े मार्केटिंग प्रयासों और लागत कम करने वाले उपायों द्वारा कमाया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) अनुमान है कि अगले 5 सालों में 39 विमानों की जरूरत होगी, इन विमानों की प्राप्ति के लिए अनुमानित कुल लागत 9,000 करोड़ रुपये है। फिलहाल में इन नए विमानों को खरीदने के लिए एक तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन चल

रहा है। इसके अतिरिक्त एअर इंडिया द्वारा बेचने के लिए ऑफर किए गए, तीन ए-300 बी 4 विमानों को भी इंडियन एयरलाइंस लेने की सोच रहा है। फिलहाल विमानों की कमी को देखते हुए इंडियन एयरलाइंस ड्राईलीज के आधार पर 5 बी 737-200 और 2 ए -320 विमान लेने की भी कार्रवाई कर रहा है।

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

785. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की जोनवार और डिवीजनवार कितनी भूमि खाली पड़ी है;

(ख) अप्राधिकृत व्यक्तियों ने रेलवे की कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है और इसका जोनवार और डिवीजनवार मूल्य क्या है;

(ग) बड़े नगरों में नगरवार रेलवे की कितनी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है;

(घ) रेलवे द्वारा ऐसे अतिक्रमणकर्त्ताओं को अपनी भूमि से हटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ङ) क्या रेलवे ने अतिक्रमण के नये मामलों में डिवीजनल प्रबंधकों पर कोई उत्तरदायित्व तय किया है;

(च) यदि हां, तो अतिक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(छ) रेलवे द्वारा ऐसे अतिक्रमण में जिम्मेदार पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गये?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जेल में सुनवाई

786. **श्री तिरूनावक्करसू:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जेलों में कितने और किस प्रकार के मुकदमों की सुनवाई की गई है; और

(ख) राज्य-वार ऐसे कितने मामले निपटाए गए हैं।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एकीकृत कमान बल की स्थापना

787. **डा. वी. सरोजा:**
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय हेतु एक एकीकृत कमान बल की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सशस्त्र सेनाओं के तीनों स्कंधों के बीच उचित समन्वय लाने के लिए अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) यद्यपि सरकार के पास सेना, नौसेना और वायुसेना का समन्वय करने के लिए एकीकृत कमान बल गठित किए जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी तरह से समग्र समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते 17 अप्रैल 2000 को एक मंत्री-समूह गठित किया है। मंत्री-समूह के विचारार्थ विषयों के विस्तृत कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और इसके आदेश के अनुसार मंत्री समूह ने आसूचना तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में चार अलग-अलग कार्यदल नियुक्त किए हैं। इन कार्यदलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें मंत्री-समूह को प्रस्तुत कर दी हैं। मंत्री-समूह इन रिपोर्टें और सभी अन्य संगत पहलुओं पर विचार करने के बाद कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करेगा।

एअर इंडिया में भ्रष्टाचार

788. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्टूबर, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में 'एअर इंडिया बासेस काल इच अदर करप्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) एअर इंडिया को किसी निजी कंपनी की तरह चलाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। एक तथ्यपूर्ण रिपोर्ट संबंधित कागजात के साथ, मूल में, एअर इंडिया से मांगी गई है।

(ग) विनिवेश की प्रक्रिया से एअर इंडिया में भारत सरकार की इक्विटी कम करने को सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन कर दिया है।

मतदान को अनिवार्य बनाना

789. श्री शंकर सिंह वाघेला: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मतदान को अनिवार्य बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिरूअनन्तपुरम विमानपत्तन पर सुविधाएं

790. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.सी. 167 और आई.सी. 168 उड़ानों में हुई देरी की शिकायतों पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विमानों की समय पर उड़ान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) दिल्ली और तिरूअनन्तपुरम की बीच, अगस्त, 2000 से अक्तूबर, 2000 के दौरान (आई.सी.-167/168) 88.04 प्रतिशत उड़ानों ने समय पर उड़ान भरी। केवल 2.18 प्रतिशत उड़ानों में तकनीकी कारणों से देरी हुई थी जबकि शेष 9.78 प्रतिशत उड़ानों में अन्य परिणामी कारणों से विलम्ब हुआ था।

[हिन्दी]

नगर पालिका क्षेत्रों में एलपीजी एजेंसियां खोला जाना

791. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नगर पालिका या नगर पंचायत क्षेत्रों में एलपीजी एजेंसियां खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं:-

(1) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर पड़ने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता सहित 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर पड़ने वाले आसपास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुये 5,000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

(3) 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रिक गांवों के 15 कि.मी. के दायरे के भीतर गांवों का समूह।

(4) 1 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. के दायरे के भीतर के गांव।

विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों को तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित किया जाता है और वितरकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने के लिए सामान्यत: 6 से 12 महीने का समय लग जाता है।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ का रख-रखाव

792. श्री अनादि साहू: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में तबांग मठ को धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मठ के तथा इसमें रखी बहुमूल्य मूर्तियों के संग्रह के रख-रखाव हेतु तथा मठ में अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) जी, नहीं। अरुणाचल प्रदेश में तबांग मठ केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

संयुक्त राष्ट्र मिशन पर भेजे गए भारतीय शांति सैनिकों को भत्ता

793. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत भारतीय सैन्य कार्मिकों को अन्य देशों के सैन्य कार्मिकों की तुलना में कम वेतन एवं भत्ते दिए जा रहे हैं; और

(ख यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवारत सैन्य कार्मिकों को देय पूरा वेतन भत्ता दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवारत भारतीय रक्षा कार्मिकों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा उसी दर पर विदेश भत्ता दिया जा रहा है जिस दर पर ऐसे मिशनों में तैनात अन्य देशों के सैन्य कार्मिकों को दिया जाता है।

रसोई गैस के उत्पादन और वितरण का निजीकरण

794. **श्री बी.के. पार्थसारथी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस (घरेलू और वाणिज्य) दोनों के उत्पादन, आयात, भराई और वितरण के निजीकरण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए निजी क्षेत्र हेतु रसोई गैस की लागत और मूल्य निर्धारण ढांचे को किस प्रकार निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने 1993 में समानान्तर विपणन योजना (पीएमएस) आरम्भ की और इस प्रकार निजी पक्षकारों को एलपीजी का आयात, भरण और विपणन करने की अनुमति दी। 31 अक्तूबर, 2000 तक 24 पक्षकारों ने थोक में लगभग 874 टीएमटी का आयात किया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विपणन की जाने वाली घरेलू एलपीजी प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एलपीएम) के तहत है जबकि निजी पक्षकार समानान्तर विपणन योजना के तहत अपने द्वारा बेची गई एलपीजी का मूल्य नियत करने के लिए स्वतन्त्र है।

घरेलू विमान कंपनियों में विदेशी निवेश

795. **श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू विमान कंपनियों में भी विदेशी निवेश किए जाने की मंजूरी देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) अंतर्देशीय विमान परिवहन सेवा सैक्टर पर मौजूदा मार्गदर्शी-सिद्धांतों के अनुसार, 100 प्रतिशत अनिवासी भारतीय/ओवरसीज कारपोरेट बाडी इक्विटी और 40 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। तथापि, विदेशी विमान कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों में निष्पक्षता की भागीदारी वर्जित है।

[हिन्दी]

कपास खरीद केन्द्र का खोला जाना

796. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में वर्ष 2000-2001 के दौरान कपास खरीद केन्द्रों को खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार कपास अधिप्राप्ति केन्द्र नहीं खोलती है, तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम भारतीय कपास निगम, महाराष्ट्र को छोड़कर जहाँ कि राज्य सरकार की अपरिष्कृत कपास की एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना लागू है, कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में कपास की खरीदारी करता है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त रेल भूमि का व्यावसायिकरण

797. श्री विनय कुमार सोराके: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा ट्रेक और संस्थापन से सटी हुई अतिरिक्त भूमि के एक भाग को यात्रियों और साइडिंग ऑपरेशन संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के उपयोग में लाया जाएगा;

(ख) क्या रेलवे ने विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार के बदले में रेलवे परिसर के रख-रखाव के लिए नीलामी संविदा शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो इससे रेलवे को कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे उपर्युक्त अदालतों से प्राप्त उचित डिक्रियों के द्वारा रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, रेलवे की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां कहीं जरूरी होता है, यात्री और अन्य उपयोगकर्ताओं की सुख-सुविधाओं से संबंधित मदों सहित रेलवे सुविधाओं के सृजन के लिए उपलब्ध रेलवे भूमि का उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) रेलवे ने प्रदर्श-विज्ञापन के अधिकारों के प्रति रेलवे परिसरों में साफ-सफाई प्रायोजित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चूंकि विज्ञापन अधिकार संबंधित पार्टियों द्वारा साफ-सफाई को प्रायोजित करने के प्रति होंगे। अत: इस गतिविधि से कई राजस्व प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकेगा।

(घ) और (ङ) रेलवे भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहती है। जैसे ही नए अतिक्रमण का पता चलता है उन्हें हटा दिया जाता है। अन्य अतिक्रमणों के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के उपंबधों के तहत कार्रवाई की जाती है। जहां कहीं मुकदमें अदालत में दायर किए जाते हैं और उनके द्वारा उन पर फैसला सुनाया जाता है, तब रेलवे तद्नुसार अतिक्रमणकर्ताओं की बेदखली के लिए आगे की कार्रवाई करती है।

यात्रियों की सुरक्षा

798. श्री दिनशा पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चलती हुई रेलगाड़ियों में यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस प्रकार से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां। राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के पुलिस महानिदेशकों तथा प्रमुख सचिवों का सम्मेलन 15.1.2000 को हुआ था। गृह मंत्रालय में विशेष सचिव भी इस सम्मेलन में शामिल हुए।

(ख) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड (अ.रे.बो.) की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रतिनिधियों की रेल सुरक्षा संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो रेल यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों तथा उनके सुधारात्मक उपायों को सुझाएगी। समिति द्वारा जल्द ही अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रेल परियोजनाएं

799. श्री वी.एम. सुधीरन:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में रेल लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, नई रेल लाइनों के निर्माण और रेल मार्गों के विद्युतीकरण संबंधी कार्यों का परियोजनावार और सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है तथा उन पर अभी तक परियोजनावार कितना व्यय हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख)

केरल (करोड़ रुपये में)

योजना	परियोजना	अनुमोदन का वर्ष	कि.मी.	*लागत	*31.3.2000 तक व्यय	*बजट परिव्यय 2000-2001	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
ए नई लाइन	कुट्टीपुरम-गुरूवायूर	1994-95	36	90	0.45	0.10	यह कार्य दोहरीकरण योजना शीर्ष से नई लाइन योजना शीर्ष के अंतर्गत स्थानांतरित हुआ है। यह कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् आरम्भ किया जाएगा क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट की बोर्ड कार्यालय में संवीक्षा की जा रही है।
ए नई लाइन	कोट्टायम-ईरूमेली	1997-98	43	200	0.01	0.10	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा।
ए नई लाइन	अंगानालि-सबरीमाला	1997-98	116	550	5.00	1.00	स्वीकृतियां प्राप्त हो गई है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। इसके पूरा जाने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण आरंभ किया जाएगा।
बी आमान परिवर्तन	कोल्लम-तिरूनेलवेल्ली -त्रिचांदूर एवं तेनकासी-विरुदनगर	1997-98	357	280	10.00	15.00	विरुदनगर - तेनकासी और तिरूनेलवेल्ली-त्रिचांदूर में पुल संबंधी कार्य और मिट्टी संबंधी कार्य आरंभ किया गया है। बड़ी लाइन के अनुरूप ढाल और मोड़ो में कमी करने के लिए पुनालूर और तेनकासी के बीच घाट खंड में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आरंभ किया गया है।
सी दोहरीकरण	एर्णाकुलम-एर्णाकुल विन्यास यार्ड	1999-2000	3	3.16	0.50	2.66	यह कार्य 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया है। अनुमानों में और नक्शों की तैयारी आरंभ

1	2	3	4	5	6	7	8
							की गयी है। कार्य वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
सी दोहरीकरण	कोल्लम-तिरूवनंतपुरम	1990-91	65	145.2	119.08	12.00	यह कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
सी दोहरीकरण	कुट्टीपुरम-कालीकट	1994-95	56	63.28	33.26	25.00	टिप्पणी निम्नलिखत कालीकट-मंगलौर की मद के अंतर्गत उल्लिखित है।
सी दोहरीकरण	कालीकट-मंगलौर	1995-96	221	455	213.74	97.10	मंगलौर से कुट्टीपुरम तक खंड का दोहरीकरण एक स्वीकृत परियोजना है प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार कुट्टीपुरम से शोरण्णूर तक दोहरीकरण का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया है। कार्य अच्छी प्रगति पर है। 6 खंड पूरे हो गए हैं। 2000-2001 में 65 कि.मी. पूरा हो जाएगा। यह कार्य 3-4 वर्ष में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा हो जाने की संभावना है।
ई रेलवे विद्युतीकरण	एर्णाकुलम-तिरूवंनतपुरम	1999-2000	320	147.9	0	0.15	यह कार्य 1999-2000 के रेल बजट में शामिल किया गया है। बशर्ते अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है।
ई रेलवे विद्युतीकरण	ईरोड-पालघाट एर्णाकुलम	1992-93	324	222.2	199.64	18.00	यह कार्य पूरा हो गया है।

(ग) लक्ष्य के अनुरूप यथा अपेक्षित निधियां और सामग्री मुहैया कराई जा रही हैं।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वार्षिक आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

चापनेर-पानी रेलमार्ग का चालू किया जाना

800. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात में शिवराजपुर के निकट चापनेर-पानी खान संकरी रेल लाईन गत 10 वर्षों से बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो रेल मार्ग के बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त रेल लाइन को कब तक चालू करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) गुजरात में शिवराजपुर के पास चांपानेर-पानी माइन्स छोटी रेल लाइन पश्चिम रेलवे की एकमात्र अलाभप्रद शाखा लाइन है। रेलवे इस लाइन के परिचालन/अनुरक्षण पर भारी हानि उठा रही थी। इसके दृष्टिगत, अन्य बातों के साथ-साथ रेलवे सुधार समिति ने इस लाइन को बंद करने की सिफारिश की थी। पूर्वोलिखित तथा समानान्तर सड़क सेवाओं की उपलब्धता को देखते हुए रेलवे ने इस लाइन को स्थायी रूप से 26.09.97 को बंद कर दिया। पहले से ही बंद पड़ी इस लाइन की पुनर्बहाली का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दक्षिण मध्य रेलवे में आमान परिवर्तन

801. **डा. एन. वेंकटस्वामी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में आमान परिवर्तन के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक जो रेलवे लाईने बड़ी लाईन में बदली गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान आमान परिवर्तन हेतु कितना कोष आवंटित किया गया है; और

(घ) आमान परिवर्तन की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) दक्षिण मध्य रेलवे में आमान परिवर्तन परियोजना के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

परियोजना का नाम	परिव्यय (करोड़ रु. में)			स्थिति
	1998-99	1999-2000	2000-01	
1	2	3	4	5
1. गुंटूर-गुंतकल-कल्लुरू	30.00	10.00	10.50	गुंटूर-गुंतकल खंड का कार्य पूरा हो गया है। गुंतकल-कुल्लुरू में संरेखण और ढालों के लिए आशोधन का अनुमान लगाया जा रहा है। अब धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन की स्वीकृति के साथ जिसकी स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। गुंतकल-पकाला खंड का आमान परिवर्तन एक चरण में किया जाएगा। पेंटकाल्लु-गुती तक नई लाइन के भाग पर कार्य अच्छी प्रगति पर है जिसके पूरा करने का लक्ष्य 2001-2002 है।
2. मुदखेड-अदिलाबाद	1.00	1.00	2.00	बोल्ट के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है और इसके लगभग एक वर्ष में पूरा किए जाने की आशा है जो ठेकदार द्वारा निधियां जुटाए जाने पर निर्भर करता है।

1		2	3	4	5
3.	सिकंदराबाद-मुदखेड एवं जनकमपेट-बोधन	5.00	20.00	20.00	प्रथम चरण में मुदखेड-निजामाबाद तक कार्य अच्छी प्रगति पर है और 2001-2002 में पूरा करने का लक्ष्य है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
4.	काटपाडि-पकाला-तिरूपति	20.59	20.00	12.00	संपूर्ण खंड में मिट्टी एवं पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है। कार्य अच्छी प्रगति कर रहा है और आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
5.	सोलापुर (होटगी)-गदग	20.00	7.00	10.00	कार्य चरणों में शुरू किया गया है। सोलापुर-होटगी और होटगी-बीजापुर खंड पर कार्य पहले ही पूरा हो चुके हैं। शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है जिस आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। परियोजना के तीव्र निष्पादन के लिए संसाधन जुटाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
6.	सिकंदराबाद-द्रोणाचलम एवं सिकंदराबाद	30.00	5.00	5.00	कार्य पूरा हो गया है।
7.	हॉस्पेट-हुबली-गोआ	15.00	5.00	1.00	कार्य पूरा हो गया है।
8.	पूर्णा-अंकोला	-	-	10.00	बजट 2000-01 में शामिल नया कार्य है। विस्तृत योजना, ठेकों को अंतिम रूप देने आदि का कार्य शुरू करने के लिए हाथ में है।

उपरोक्त के अलावा मिरज-लोंडा, मनमाड-पूर्णा-मुदखेड और बेल्लारी-रायदुर्ग खंड का आमान परिवर्तन 1998-99 से पूर्व पूरा हो चुका है।

मोदी जेराक्स लिमिटेड का जेराक्स मोदी निगम लिमिटेड के साथ विलय

802. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोदी जेराक्स लिमिटेड नामक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जेराक्स मोदी निगम लिमिटेड नामक गैर-सूचीबद्ध कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया है/विलय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है और यह विलय किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है;

(ग) विलय के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं और शेयर-धारकों द्वारा उन्हें किस ढंग से अनुमोदित किया गया

(घ) किन विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है;

(ङ) मोदी जेराक्स के शेयरों के बदले में शेयरधारकों को जेराक्स मोदी निगम के शेयरों को किस तरह आवंटित किया जाएगा;

(च) क्या जेराक्स मोदी निगम अब अपने शेयरों को वापस ले लेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 में कम्पनियों के समामेलन तथा पुनर्संरचना का प्रावधान है। विलय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन से था।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय ने समामेलन के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। समामेलन योजना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 393 के तहत उनकी बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित है।

(घ) माननीय उच्च न्यायालय को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 तथा 394 के तहत कंपनी कोर्ट नियम, 1959 को आंकने, स्थानांतरण करने वाली तथा स्थानान्तरित, दोनों कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर समामेलन के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ङ) माननीय न्यायालय द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार, 10 रु. प्रत्येक के तीन इक्विटी शेयरों के बदले में अनुमोदित विनिमय अनुपात मोदी जेराक्स लिमिटेड के शेयरधारकों को 10 रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त दो इक्विटी शेयरों का आवंटन करेगा।

(च) और (छ) शेयरों की वापिस खरीद सम्बन्धी निर्णय धारा 77 के तहत पब्लिक/प्राइवेट और लिमिटेड कंपनियों द्वारा शेयरों की वापिस खरीद के लिए नियमों के सही अनुपालन के बाद कंपनी के निदेशकों द्वारा शेयरधारकों को दायरे में आता है।

ईरान के रास्ते भारत और मास्को के बीच नौभार परिवहन मार्ग

803. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान के रास्ते भारत और मास्को के बीच नए नौभार परिवहन मार्ग का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 सितम्बर, 2000 को भारत से ईरान, कैस्पियन सागर होते हुए मास्को तक के पविहन मार्ग के लिए रूस तथा ईरान के परिवहन मंत्रियों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस मार्ग के विकसित हो जाने पर भारत से मास्को तथा उससे आगे माल के परिवहन में लगने वाले समय तथा लागत में कमी आएगी। इस करार की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं तथा यह करार तीनों सरकारें द्वारा पुष्टि कर दिए जाने के बाद लागू हो सकेगा।

विवरण

प्रस्तावित करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

भारत से 'अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन महामार्ग' पर माल और यात्रियों के परिवहन के लिए परिवहन संबंधों को प्रभावी बनाना।

उत्तर-दक्षिण परिवहन महामार्ग के ढांचे के भीतर माल और यात्री परिवहन के लिए इस करार के सभी पक्षकारों की ओर से सभी प्रकार की परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए बराबर और गैर-पक्षपातपूर्ण शर्तें बनाना।

अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन तथा संबंधित पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए मार्गों पर परिवहन के सभी साधनों द्वारा अथवा सम्मिलित परिवहन के माध्यम से माल और यात्रियों के पारगमन का विनियमन।

उत्तर-दक्षिण परिवहन महामार्ग पर पारगमन समय कम करना और पारगमन परिवहन लागत न्यूनतम करना।

भारत के मामले में करार का कार्य क्षेत्र केवल समुद्र मार्ग से माल के परिवहन तक सीमित है। भारतीय राज्यक्षेत्र में से पारगमन के बारे में नहीं सोचा गया है।

आई ओ सी संरक्षण निधि के अंतर्गत कर्नाटक में पुरातत्व स्थल

804. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई ओ सी संरक्षण निधि के अंतर्गत कर्नाटक में पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों पर कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन स्थलों हेतु कितनी धनराशि जारी की गई है अथवा जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने ''द इंडियन आयल फाउन्डेशन'' के नाम और अभिनाम से एक अलाभकारी ट्रस्ट का गठन किया है। न्यासियों ने कर्नाटक में हम्पी की परिरक्षण और संरक्षण के लिए एक विरास्त स्थल के रूप में पहचान की है। किसी भी अलग स्मारक को अब तक कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। डिजाइन संकल्पनो के विकास और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने और न्यासियों द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आबंटन किया जाता है।

विमानपत्तन पर रख-रखाव खर्च

805. **श्री गुनीपाटी रामैया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर सरकारी एयरलाइंस आपरेटरों की देश में विमानपत्तनों के अनुरक्षण व्यय में भी हिस्सेदारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में चल रही गैर सरकारी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक एयरलाइंस से पिछले वर्ष ली गई धनराशियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) जबकि अनुरक्षण व्यय की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं है, सभी एयरलाइनों को हवाई अड्डे पर व्यवस्थित दिक्चालन सुविधाओं और धावनपथ पार्किंग बे जैसी सुविधाओं के उपयोग के लिए निर्धारित दरों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अवतरण, पार्किंग, हाउसिंग और विमान दिक्चालन प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है।

त्रिवेन्द्रम में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा

806. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिवेन्द्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से नई अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनुमति के लिए भारत सरकार से बात करने वाली एयरलाइन कम्पनी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात में उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जनवरी, 2000 में सरकारी स्तर की द्विपक्षीय वार्ताओं के अंतिम दौर में, उजबेकिस्तान की नामित विमान कंपनी को त्रिवेन्द्रम को एक अतिरिक्त स्थान के रूप में स्वीकृत किया गया है तथापि. वास्तविक प्रचालनों को उनके वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दिया गया है। विमान के एक बार ड्राई लीज के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद, एअर इंडिया त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से अतिरिक्त सेवाओं के प्रचालन की वाणिज्यिक साध्यता का मूल्यांकन कर रही है।

(ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर रात्रि में उतरने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

सोमवार	ओमन एयरवेज आगमन 0340/प्रस्थान 0500 सिल्क एयर (एमआई) आगमन 2200/प्रस्थान 2300
मंगलवार	ओमन एयवरेज आगमन 0340/प्रस्थान 0500 कुवैत एयरवेज (के.यू.) आगमन 0420/प्रस्थान 0540
बुधवार	सिल्क एयर (एमआई) आगमन 2200/प्रस्थान 2300
वीरवार	ओमन एयरवेज आगमन 0340/प्रस्थान 0500
शुक्रवार	ओमन एयरवेज आगमन 0340/प्रस्थान 0500
शनिवार	सिल्क एयर (एमआई) आगमन 2200/प्रस्थान 2300

रविवार	ओमन एयरवेज आगमन 0340/प्रस्थान 0500 कुवैत एयरवेज (के.यू.) आगमन 0420/प्रस्थान 0540

टैंकों की खरीद

807. **श्री सुरेश रामराव जाधव:**
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेना की बख्तरबंद टुकड़ी की 60 रेजिमेंटों को नये टैंकों की सख्त जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने टैंक खरीद जाने वाले हैं;

(ग) पुराने विजयंत टैंकों को कब तक टी-90 टैंकों से बदले जाने की संभावना है; और

(घ) टी-72 टैंकों को उन्नयन हेतु क्या समय-सारणी निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। सेना की कवचित कोर की सभी रेजिमेंटों को नए टैंकों की आवश्यकता नहीं है। केवल आठ रेजिमेंटों जिनके पास पुरानी पीढ़ी के विजयंत टैंक हैं और उनकी संक्रियात्मक प्रभावकारिता अपेक्षित स्तर की नहीं है, को नए टैंकों की आवश्यकता है।

(ख) मौजूदा वर्ष के दौरान 310 टी-90 टैंक खरीदे जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारी वाहन निर्माणी, मद्रास से टी-72 टैंक खरीदे जाएंगे।

(ग) रूस के साथ अंतिम रूप से संविदा करार हो जाने के बाद पुराने होते जा रहे विजयंत टैंक को 4 वर्षों के अंदर टी-90 टैंकों में प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है।

(घ) टी-72 टैंकों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया उपस्कर की उपयोगिता अवधि के दौरान निरंतर बनी रहेगी।

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण

808. **श्री जय प्रकाश:**
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2000-01 के दौरान क्षेत्र-वार कौन-कौन से रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का विचार है; और

(ख) इस पर होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) वित्त वर्ष 2000-01 के दौरान जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं के स्थानों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

इन सुविधाओं की कुल प्रत्याशित लागत लगभग 8.82 करोड़ रु. है।

विवरण

क्र.सं.	स्थान
1	2
मध्य रेलवे	
1.	नेवी नगर, कोलाबा
2.	बायकुला
3.	बेलापुर
4.	दौंड
5.	कोपरगांव
6.	गुना
7.	विदिशा
8.	ललितपुर
9.	पिपरिया
10.	महाराष्ट्र असेम्बली
11.	यवतमल में या.आ.प्र.
पूर्व रेलवे	
1.	बोंगांव
2.	दखिनेश्वर
3.	नबद्वीप धाम
4.	रूसा रोड सी बी ओ हजारिया

1	2
5.	एम जी रोड सी बी ओ
6.	डाल्टनगंज
7.	पश्चिम बंगाल असेंबली
8.	दमदम एयर पोर्ट
9.	सिंगरौली
10.	हजारी बाग
11.	चोपन
उत्तर रेलवे	
1.	हमीरपुर
2.	जोशीमठ
3.	शामली
4.	मोहाली
5.	हरदोई
6.	नजीबाबाद
7.	दसुइया
8.	करनाल
9.	कुरुक्षेत्र
10.	मेरठ छावनी
11.	यू.पी. विधान सभा
12.	फतेहपुर
13.	भदोही
14.	जलोरी
15.	राजपुरा
16.	गोपीनाथ बाजार
17.	सेनाभवन
पूर्वोत्तर रेलवे	
1.	गोमती नगर
2.	लखीमपुर

1	2
3.	खलीलाबाद
4.	सीतामढ़ी
5.	बेल्थरा रोड़
6.	बलरामपुर
7.	कासगंज
8.	बेटिया
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	
1.	रायगंज
2.	कूचबिहार
3.	न्यू अलीपुरद्वार
दक्षिण रेलवे	
1.	जायनगर (एस बी सी-सैट)
2.	तिरूनगर (एम डी सी-सैट)
3.	तिरूपनीथुरा (ई आर एस-सैट)
4.	कायनकुलम
5.	चंगुलपेट
6.	अंबूर
7.	कोविलपट्टी
8.	चलाकुडी
9.	कोन्नूर
10.	कुप्पम
11.	पलानी
दक्षिण मध्य रेलवे	
1.	पर्ली
2.	नंदियाल
3.	बीजापुर
4.	तदेपल्लीगुड्डम

1	2
5.	गोदावरी स्टेशन
6.	तांदूर
7.	सतारा
दक्षिण पूर्व रेलवे	
1.	राजनंद गांव
2.	चंज बोकारो
3.	तितलागढ़
4.	हीराकुंड
5.	श्रीकाकुलम
6.	रायगाडा
7.	पाराद्वीप
8.	भिलाई टाउन शिप
9.	उलूबेरिया
10.	कोंटई
11.	पलासा
पश्चिम रेलवे	
1.	सिरोही रोड
2.	रानी
3.	मंदसौर
4.	बैरागढ़

[अनुवाद]

नाफ्था का प्रयोग

809. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1995-96 में विद्युत उत्पादन के लिए शुरू की गई लिक्विड फ्यूल पॉलिसी के अनुसार नाफ्था को मुख्य बहिस्रावों में से एक चुना गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाफ्था की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया था कि नाफ्था के लिए वर्तमान तंत्र में सुधार किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय लागत जो नाफ्ता की लागत के 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक लदान पर आती है, को समाप्त कर दिया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नाफ्था के बढ़ते मूल्यों के संबंध में उपभोक्ताओं को अधिक राहत देने के लिए वर्तमान फार्मूले की समीक्षा करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार द्वारा नवम्बर 1995 में घोषित तरल ईंधन नीति के अनुसार विद्युत पैदावार के लिए प्राथमिक ईंधन के रूप में नाफ्था सहित कई तरल ईंधनों के प्रयोग की अनुमति दी गई है।

(ग) से (ङ) विद्युत पैदावार के लिए नाफ्था के प्रयोग हेतु मूल्य तंत्र की समीक्षा के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार सहित विभिन्न संगठनों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 01 अप्रैल, 1998 से नाफ्था नियंत्रणमुक्त उत्पाद है, इसलिए इसका मूल्य बाजार निर्धारित है। नाफ्था का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निवेश

810. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) ने अगले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोई ठोस कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार):

(क) से (घ) गैस अथारिटी आफ़ इंडिया लिमिटेड (गेल) का प्रस्ताव 563 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के रास्ते विशाखापटनम से सिकंदराबाद तक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) के परिवहन के लिए लगभग 1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.टी.पी.ए.) की क्षमता की एक पाइपलाइन पद्धति की स्थापना करने का है जिसे अनुमोदन की तारीख से तीन वर्षों में पूरा किया जाना है। गेल ने प्रस्तावित पाइपलाईन में एल.पी.जी. ले जाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गेल का प्रस्ताव कृष्णा-गोदावरी बेसिन में विभिन्न पाइपलाईन परियोजनाएं बिछाने के लिए लगभग 775 करोड़ रुपये का और निवेश करने का भी है जो चरणों में पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन हेतु मानदंड

811. श्री राजो सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एल पी जी वितरण अधिकार एजेंसी प्रदान करने संबंधी आवंटन के निर्धारित मानदंड क्या हैं तथा ये एजेंसियां किन-किन नियमों द्वारा संचालित होती हैं;

(ख) वर्तमान में कार्य कर रही एल पी जी एजेंसियों की संख्या राज्य-वार तथा कंपनी-वार क्या है;

(ग) ऐसी एजेंसियों की संख्या पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर शेखपुरा तथा रांची (बिहार) में क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य से एल पी जी एजेंसियों के आवंटन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) उनमें से कितने आवेदन अनुमोदित कर दिए गए हैं तथा कितने राज्य-वार लंबित हैं; और

(च) चालू वर्ष में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी नई एजेंसियां राज्य-वार, श्रेणी-वार तथा स्थान-वार आवंटित करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मौजूदा नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाते हैं:

(1) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर पड़ने वाले आसपास की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुये 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर पड़ने वाले आसपास के गांवों की संभाव्यता सहित 5,000 और अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरी स्थान।

(3) 10,000 और अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रिक गांवों के 15 कि.मी. के दायरे के भीतर गांवों का समूह।

(4) 1 लाख और अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. के दायरे के भीतर के गांव।

विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों को तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापित किया जाता है और वितरकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने के लिए सामान्यत: 6 से 12 महीने का समय लग जाता है।

(ख) और (ग) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों सहित देश में प्रचालनरत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्य-वार और कंपनीवार संख्या विवरण-1 में दी गई है। फिलहाल शेखपुरा जिले में 1 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रांची जिले में 24 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत हैं।

(घ) से (च) आबंटन के लिए लम्बित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्य-वार संख्या विवरण-2 में दी गई है और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर खोली जाएंगी।

विवरण-1

1.4.2000 की स्थिति के अनुसार राज्यवार कंपनीवार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर

राज्य	आईओसी (एमडी)	आईओसी (एओडी)	आईओसी योग	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	203	0	203	110	218	0	531

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	4	19	23	0	0	0	23
असम	61	94	155	1	0	0	156
बिहार	158	0	158	40	33	0	231
दिल्ली	190	0	190	69	46	0	305
गोवा	1	0	1	11	23	0	35
गुजरात	248	0	248	79	98	2	427
हरियाणा	101	0	101	51	31	0	183
हिमाचल प्रदेश	58	0	58	6	13	0	77
जम्मू और कश्मीर	46	0	46	11	47	0	104
कर्नाटक	165	0	165	75	130	0	370
केरल	136	0	136	61	40	0	237
मध्य प्रदेश	214	0	214	84	106	0	404
महाराष्ट्र	101	0	101	304	337	0	742
मणिपुर	4	18	22	0	0	0	22
मेघालय	9	13	22	0	0	0	22
मिजोरम	2	13	15	0	0	0	15
नागालैंड	6	14	20	0	0	0	20
उड़ीसा	44	0	44	13	54	0	111
पंजाब	173	0	173	66	47	2	288
राजस्थान	121	0	121	63	76	0	260
सिक्किम	3	0	3	0	0	0	3
तमिलनाडु	273	0	273	96	73	8	450
त्रिपुरा	6	13	19	0	0	0	19
उत्तर प्रदेश	491	0	491	159	86	2	738
पश्चिम बंगाल	219	1	220	41	77	3	341
अंडमान और निकोबार	1	0	1	0	0	0	1
चंडीगढ़	21	0	21	3	6	0	30

1	2	3	4	5	6	7	8
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	1	0	1
दमन और दीव	0	0	0	0	2	0	2
लक्षदीप	1	0	1	0	0	0	1
पांडिचेरी	6	0	6	2	4	0	12
अखिल भारत	3066	185	3251	1345	1548	17	6161

विवरण-2

आबंटन के लिए लंबित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	197
2.	अरुणाचल प्रदेश	7
3.	असम	59
4.	बिहार	190
5.	दिल्ली	15
6.	गोवा	28
7.	गुजरात	163
8.	हरियाणा	78
9.	हिमाचल प्रदेश	23
10.	जम्मू और कश्मीर	16
11.	कर्नाटक	106
12.	केरल	121
13.	मध्य प्रदेश	333
14.	महाराष्ट्र	305
15.	मणिपुर	11
16.	मेघालय	7
17.	मिजोरम	6
18.	नागालैंड	6
19.	उड़ीसा	53
20.	पंजाब	98
21.	राजस्थान	151
22.	सिक्किम	0
23.	तमिलनाडु	193
24.	त्रिपुरा	12
25.	उत्तर प्रदेश	568
26.	पश्चिम बंगाल	113
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6
28.	चंडीगढ़	5
29.	दादर और नगर हवेली	0
30.	दमन और दीव	0
31.	लक्षदीप	0
32.	पांडिचेरी	3
	कुल	2873

[अनुवाद]

न्यायाधिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण

812. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उनके मंत्रालय से सरकार द्वारा गठित सभी प्रकार के न्यायाधिकरणों के प्रशासनिक और बजटीय नियंत्रण को अपने अधिकार में लेने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने तारीख 18.3.1997 को एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ यह मत व्यक्त किया था कि जब तक सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए पूर्णत: स्वतंत्र अभिकरण की स्थापना नहीं हो जाती है तब तक यह वांछनीय है कि जहां तक संभव हो सके सभी ऐसे अधिकरणों को किसी एक नोडल मंत्रालय के अधीन होना चाहिए जो इन अधिकरणों के कार्यकरण की देख-रेख करने में सक्षम होगा। उसका मत था कि विधि मंत्रालय ही ऐसा उपयुक्त मंत्रालय होगा। वह मंत्रालय अधिकरणों के कार्यकरण की देख-रेख करने के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षीय निकाय की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होगा। माननीय न्यायालय ने आगे यह भी सिफारिश की है कि केंद्रीय सरकार सभी संबद्ध व्यक्तियों से परामर्श करने के पश्चात् कार्रवाई आरंभ करे और सभी अधिकरणों को किसी एक नोडल विभाग, अधिमानत: विधि कार्य विभाग, के अधीन रखे।

(ख) उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, विधि कार्य विभाग में "केंद्रीय अधिकरण प्रभाग" की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

एअर इंडिया का पर्यटन मानचित्र

813. **श्री महबूब जहेदी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के पर्यटन मानचित्र में पूर्वी भारत को शामिल नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे में गैर-सरकारी निवेश

814. **श्री मोहन रावले:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में निवेश हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित की गयी है।

1. परियोजनाओं के लिए निर्माण स्वामित्व पट्टा व हस्तांतरण (बोल्ट) योजना।
2. मालडिब्बों की खरीद के लिए अपने मालडिब्बे के मालिक योजना (ओ वाई डब्ल्यू एस)।
3. रेल पत्तन संपर्क परियोजनाओं जैसे मामलों में विशेष परियोजना योजना (एस पी वी) के जरिए।
4. आई आर सी टी सी के जरिए सस्ते होटल, पर्यटक गाड़ियां और खान-पान ।
5. रेलटेल निगम द्वारा रेलवे मार्गाधिकार को पट्टे पर देना।
6. भूमि और नभ क्षेत्र का वाणिज्यिक दोहन।

[अनुवाद]

दोषपूर्ण खान निकायों की जांच

815. **श्री रामजी मांझी:** क्या **रक्षा मंत्री** दोषपूर्ण खान निकायों के अधिग्रहण की जांच के बारे में 3 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तथ्य निरूपण जांच समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उनके द्वारा सैनिक एवं असैनिक कार्मिकों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) असैनिक कर्मचारी किस रैंक के थे और उन्हें क्या कार्य सौंपा गया था;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिकार्ड किए गए डी.जी.क्यू.ए. में अन्य मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें सैन्य अधिकारी और असैनिक कर्मचारी लिप्त पाए गए और प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) डी.जी.क्यू.ए. में पूरी प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) दोषपूर्ण खान निकायों के अधिग्रहण के तथ्यान्वेषण की जांच ब्रिगेडियर रैंक के एक अफसर द्वारा की गई थी। जांच अधिकारी ने संबंधित अफसरों/कर्मचारियों के खिलाफ निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं:-

(1) वरिष्ठ गुणता आश्वासन अफसर कर्नल: वह गुणता आश्वासन प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए बार-बार सामान स्वीकार करते रहने के लिए उत्तरदायी था। उल्लंघन का विशिष्ठ स्वरूप यह है कि परीक्षण परिणाम प्राप्त होने से पहले ही सामान स्वीकार होता रहा।

(2) गुणता आश्वासन अफसर/स्थानापन्न वरिष्ठ गुणता आश्वासन अफसर (लेफ्टिनेंट कर्नल): वह गुणता आश्वासन प्रक्रिया के उल्लंघन में सामान स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी था। वह गुणता आश्वासन प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए सामान को स्वीकार किए जाने की सिफारिश करने का भी उत्तरदायी था।

(3) वरिष्ठ वैज्ञानिक अफसर-1 (सिविलियन): वह गुणता आश्वासन प्रक्रिया के उल्लंघन में सामान स्वीकार किये जाने की सिफारिश करने का उत्तरदायी था और वह फर्म की ओर से की जा रही स्पष्ट अनियमितताओं की रिपोर्ट करने में विफल रहा।

(4) दो सहायक फोरमैन और एक चार्जमैन-2 (सिविलियन): फर्म में तैनात अथवा वहीं लगाए गए ये कार्मिक सामान अधिप्राप्ति की सभी अवस्थाओं में निष्प्रभावी सामग्री नियंत्रण और उत्पादन-क्षेत्र में उसके उपयोग के लिए उत्तरदायी थे।

विगत तीन वर्ष (1997-1999) में गुणता आश्वासन महानिदेशालय में 6 अन्य मुख्य मामले सामने आए जिनमें सैन्य अफसर और सिविलियन अधिकारी दोनों ही अनियमितताओं/संदिग्ध कार्यों में लिप्त पाये गये थे जिनका संज्ञान लिया गया था। इनके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:-

(1) पहले मामले में एक विशिष्ट सामान, जोकि अभीप्रेत निरीक्षण के बाद फर्म द्वारा वास्तव में भेजा ही नहीं गया था, से संबंधित जाली निरीक्षण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का एक मामला था जिसमें सैन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक सैन्य अफसर अब (सेवानिवृत्त) के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ किए जाने के आदेश दिए गए क्योंकि सेना अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करना कालबाधित हो चुका था। तीन सिविलियन अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत मुख्य शास्ति कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं।

(2) घटिया सामान को स्वीकार किए जाने से संबंधित दूसरे मामलें मे सैन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक सैन्य अफसर (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ कानूनी कार्रवाहियां शुरू किए जाने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि सेना अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कालबाधित हो चुकी थी और एक सैन्य अफसर के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 16 के तहत मुख्य शास्ति कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं और एक अन्य अफसर को चेतावनी दी गई थी। 2 सिविलयन अधिकारियों के खिलाफ भी मुख्य शास्ति कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं और एक अन्य सिविलियन अधिकारी को चेतावनी दी गई थी।

(3) भर्ती में अनियमितताओं से संबंधित तीसरे मामले में सैन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर एक सैन्य अफसर (अब सेवा निवृत्त) के खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां किए जाने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई करना कालबाधित हो चुका था। दो अन्य सैन्य अफसरों को भी परामर्शी नोट दिए गए हैं। एक सिविलियन अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत मुख्य शास्ति कार्यवाहियां शुरू की गई हैं और एक अन्य सिविलियन अधिकारी के खिलाफ परामर्शी नोट अभी जारी किया जाना है। अनियमितता करके बनाए गए भर्ती पैलन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(4) गुणात्मक अपेक्षाओं में छूट देकर एक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-2 की भर्ती से संबंधित चौथे मामले में सैन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक सैन्य अफसर (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ कानूनी कार्यवाहियां किए जाने के आदेश दिए गए हैं क्योंकि सेना अधिनियम के तहत कार्रवाई करना कालबाधित हो चुका था। दो सिविलियन प्राधिकारियों के खिलाफ मुख्य शास्ति लगाए जाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावाली, 1965 के नियम 14 के तहत कार्यवाहियां शुरू की गई हैं और हिताधिकारी सिविलियन अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

(5) दोष युक्त सामान स्वीकार किए जाने से संबंधित पांचवें मामले में तीन सैन्य अफसरों के खिलाफ सेना अधिनियम के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और 35 सिविलियन अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के तहत मुख्य शास्ति कार्रवाहियां की गई हैं।

(6) परेषिती की ओर से की जाने वाली जांच पर एच एस पी के अधिकारियों के संदिग्ध निर्णयों और संबंधित स्थापनाओं द्वारा भेजे गए मामलों से संबंधित छठे मामले में 3 सैन्य अफसरों के खिलाफ सेना अधिनियम, के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और 5 सिविलियन अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावाली, 1965 के नियम 14 के तहत मुख्य शास्ति लगाए जाने की कार्रवाई की गई है।

विद्यमान प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित उपाय लागू किए गए हैं:-

(1) समुचित स्तरों पर सेना और सिविलियन अधिकारियों के अन्तर-अनुशासनिक तबादले।

(2) स्थापनाओं की गुणता लेखा-परीक्षा।

(3) नियमित अंतराल पर सतर्कता/आकस्मिक जांच।

(4) ए एच एस पी द्वारा कड़े नियंत्रण नमूना निरीक्षण।

(5) विनिर्दिष्टयों/गुणता आश्वासन प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाना।

(6) नए नियुक्त किए गए अफसरों के लिए गहन पाठ्यक्रम तथा पुनश्चर्या/विशेषज्ञता पाठ्यक्रम।

भूमि गंवाने वालों को मुआवजा

816. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन लोगों जिनकी भूमि का अधिग्रहण जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के लिए किया गया है, को मुआवजे के रूप में उनकी कुल कृषि भूमि के 12.5 प्रतिशत भूमि बराबर विकसित भूमि देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या जेएनपीटी परियोजना से प्रभावित लोग ऐसी भूमि शीघ्र दिए जानें की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो भूमि गंवाने वालों को उक्त भूमि दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1984 में, जब जवाहर लाल नेहरू पत्तन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, इस पत्तन के लिए अधिगृहीत कुल कृषि भूमि के 12.5% भूमि का परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।

(ख) जी हां।

(ग) यह मामला महाराष्ट्र सरकार को सुलझाना ही होगा।

कंपनी ला बोर्ड के निर्णय का क्रियान्वयन

817. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** 29 नवम्बर, 1999 और 20 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 और 2998 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 के कंपनी ला बोर्ड के आदेशों के अनुसार मैसर्स हैलियस लिमिटेड, पटना ने 31 अगस्त, 2000 तक की देय किस्तों तथा जमाकर्ताओं को अद्यतन ब्याज सहित राशि का पुनर्भुगतान कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चूककर्ता कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकारी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मैसर्स हिलियोज कारपोरेशन लि. तथा हिलियोज फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट लि. जो कि हिलियोज ग्रुप की कंपनियां

हैं तथा सी एल बी के 7 अक्तूबर, 1999 के आदेश के तहत आती हैं, कंपनी विधि बोर्ड के दिनांक 07.10.1999 के आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में गई हैं। मैसर्स हिलियोज कारपोरेशन लि. के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी पटना उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर की है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मैसर्स हिलियोज कारपोरेशन लि. तथा मैसर्स हिलियोज फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के समापन को मंजूरी दे दी है तथा इसके लिए अनंतिम समापक भी नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में भर्ती

818. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1999 और 2000 के दौरान अब तक राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में प्रत्येक सशस्त्र बलों में कुल कितने कार्मिक भर्ती किए गए;

(ख) महाराष्ट्र में सशस्त्र बलों में और अधिक भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में अतिरिक्त भर्ती केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) महाराष्ट्र में नियमित भर्ती/भर्ती रेलियां की जाती हैं। इन भर्तियों/भर्ती रेलियों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सेना में भर्ती राज्य-वार कोटे के आधार पर की जाती है। 1998-99 और 1999-2000 के वर्षों के लिए सेना में की गई कुल भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

2. नौसेना और वायुसेना में भर्ती अखिल भारतीय योग्यता-क्रम के आधार पर की जाती है और किसी राज्य को कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं किया जाता है। तथापि, भर्ती वर्ष 1999 और 2000 के दौरान नौसेना में की गई कुल भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-2 में और भर्ती वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान वायुसेना में की गई कुल भर्ती का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है।

अनुबंध-1

सेना में की गई राज्यवार भर्ती

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल भर्ती	
	1998-99	1999-2000
1	2	3
असम	1128	695
आंध्र प्रदेश	1550	2141
अरुणाचल प्रदेश	172	52
बिहार	2288	2364
गोवा	20	36
गुजरात	399	787
हरियाणा	3467	2144
हिमाचल प्रदेश	2691	2232
जम्मू और कश्मीर	3251	2948
केरल	1325	1123
कर्नाटक	1589	1710
महाराष्ट्र	2626	3094
मध्य प्रदेश	1814	1844
मणिपुर	588	203
मेघालय	281	59
मिजोरम	297	112
नागालैंड	431	196
उड़ीसा	641	532
पंजाब	6071	5773

1	2	3
राजस्थान	4130	3740
सिक्किम	09	05
तमिलनाडु	2490	1984
त्रिपुरा	120	51
उत्तर प्रदेश	10720	8244
पश्चिम बंगाल	1676	1409
अंडमान निकोबार	96	25
चंडीगढ़	04	09
दिल्ली	200	299
दादर और नागर हवेली	—	—
दमन और दीव	—	—
लक्षद्वीप	21	04
पांडिचेरी	02	—
नेपाल	1855	1057
सकल योग	51952	44872

अनुबंध-2

नौसेना में की गई राज्यवार भर्ती

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल भर्ती	
	1999	20000
1	2	3
असम	36	80
आंध्र प्रदेश	346	330
अरुणाचल प्रदेश	—	03
बिहार	433	788
गोवा	13	10
गुजरात	10	09
हरियाणा	205	281
हिमाचल प्रदेश	47	54
जम्मू और कश्मीर	19	38
केरल	272	191
कर्नाटक	75	38
महाराष्ट्र	148	77
मध्य प्रदेश	81	87
मणिपुर	18	13
मेघालय	02	06
मिजोरम	11	01
नागालैंड	—	04
उड़ीसा	240	172
पंजाब	72	47
राजस्थान	160	95
तमिलनाडु	82	94
त्रिपुरा	02	01
उत्तर प्रदेश	647	909
पश्चिम बंगाल	200	297
अंडमान निकोबार	05	05
चंडीगढ़	07	07
दिल्ली	82	77
पांडिचेरी	—	04
सकल योग	3213	3718

अनुबंध-3

वायुसेना में की गई राज्यवार भर्ती

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल भर्ती	
	1999-2000	2000-2001
1	2	3
असम	12	02

1	2	3
आंध्र प्रदेश	68	44
अरुणाचल प्रदेश	—	—
बिहार	384	156
गोवा	02	—
गुजरात	04	—
हरियाणा	62	15
हिमाचल प्रदेश	45	13
जम्मू और कश्मीर	32	03
केरल	51	22
कर्नाटक	12	05
महाराष्ट्र	09	06
मध्य प्रदेश	13	36
मणिपुर	08	23
मेघालय	03	01
मिजोरम	04	01
नागालैंड	—	08
उड़ीसा	37	11
पंजाब	53	01
राजस्थान	55	14
सिक्किम	06	01
तमिलनाडु	41	16
त्रिपुरा	—	—
उत्तर प्रदेश	320	188
पश्चिम बंगाल	82	35
अंडमान निकोबार	02	02
चंडीगढ़	04	01
दिल्ली	12	07
लक्षद्वीप	02	—
पांडिचेरी	04	—
नेपाल	01	—
कुय योग	1328	611

आयुध कारखाना, महाराष्ट्र में अनुकंपा के आधार पर रोजगार

819. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध कारखाना, महाराष्ट्र में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों के निकट संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किए गए हैं, जिनकी मृत्यु सेवाकाल में ही हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक कितने परिवारों को रोजगार दिए गए हैं;

(ग) इनमें से कितने मामले अभी तक लंबित पड़े हुये हैं; और

(घ) इन सभी मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सीधी भर्ती कोटा में आने वाले किसी भी समूह 'ग' अथवा 'घ' के पदों पर केवल पात्र मामलों में रिक्तियों की अधिकतम 5% तक की जा सकती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक 585 परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर दी गई है।

(ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने के लिए 306 मामले रिक्तियाँ उपलब्ध न होने की शर्त के अधीन लंबित हैं।

(घ) सभी पात्र परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने के बारे में कोई निश्चित तारीख बता पाना संभव नहीं है। निर्धारित पांच प्रतिशत कोटे के तहत उपयुक्त रिक्तियाँ होने पर ऐसे मामलों में नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

अल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना

820. श्री तूफानी सरोज: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को बेचने के लिए नए पेट्रोल पंपों की स्थापना करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कितने पेट्रोल पंपों को स्थापित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार का महाराष्ट्र में दो स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर ईंधन के रूप में इथनौल-डोप्ड गैसोलीन के प्रयोग का अध्ययन करने के उद्देश्य से तीन प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रथम प्रायोगिक परियोजना महाराष्ट्र के सांगली जिले में मिराज/हजाखाड़ी स्थान पर लगाई जा रही है। अन्य दो प्रायोगिक परियोजनाएं महाराष्ट्र के नासिक जिले में मनमाड/ पानेवाड़ी में तथा उत्तर प्रदेश के बरेली/ओंवली में लगाई जाएंगी।

(ग) मौजूदा पेट्रोल पम्प नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्पाद की आपूर्ति करेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जुबली पंपों की स्थापना के उद्देश्य

821. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ नए बाजारों में जुबली पंपों की स्थापना किए जाने का उद्देश्य ईंधन भरने की सुविधाएं देने के साथ-साथ अतिरिक्त कई अन्य सुविधाएं प्रदान करने का था;

(ख) ऐसे कितने पंप नए बाजारों में खोले गए हैं;

(ग) इन पंपों की आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट क्या है;

(घ) क्या इस योजना के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मध्य प्रतिस्पर्द्धा हो गयी है जिससे धन का अपव्यय हुआ है;

(ङ) इन पंपों पर एम एस और एच डी की बिक्री की औसत लागत का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन जुबली पंपों की योजना पर पुन: गौर करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राजमार्गों पर जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने की धारणा बहुसम्बद्ध सुविधाओं सहित तेल ईंधनों के लिए पर्यटकों और ट्रक चालकों जैसे यात्रियों की मांग और आकांक्षा पूरी करने के लिए चलाई गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्र किसी अप्रयुक्त बाजार (वर्जिन मार्किट) में हों।

(ख) अप्रयुक्त बाजारों में 5 जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्र खोले गए हैं।

(ग) और (घ) जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए तेल कंपनियां यह आकलन करती हैं कि संबंधित क्षेत्र में मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों और विपणन योजना के अलावा अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त संभाव्यता मौजूदा है।

(ङ) औसत लागत स्थान दर स्थान भिन्न-भिन्न होती है क्योंकि इसका संबंध उक्त जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्र की बिक्रियों की मात्रा से होती है।

(च) और (छ) जुबीली खुदरा बिक्री केन्द्रों की योजना बन्द कर दी गई है।

तेल के मूल्यों में वृद्धि तथा डीलरों का कमीशन

822. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गत आठ वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न तिथियों को पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल निगम द्वारा अलग-अलग समयों पर की गई प्रत्येक मूल्य वृद्धि के साथ-साथ निर्धारित फार्मूले के आधार पर डीलरों के कमीशन में भी वृद्धि की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की मंजूरी के बगैर तेल निगम वृद्धि संबंधी इस फार्मूले में संशोधन करने में सक्षम है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त फार्मूले को सरकार द्वारा संशोधित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या तेल निगमों को निर्धारित फार्मूले के आधार पर कमीशन में वृद्धि करने हेतु सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी आवश्यक होती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले आठ वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल के भण्डार बिंदुगत मूल्यों में परिवर्तन विवरण 1 में दिए गए हैं।

(ख) पिछले आठ वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर डीलरों की कमीशन में परिवर्तन विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) तेल निगम सरकार के अनुमोदन के बिना वृद्धि फार्मूले में संशोधन करने के हकदार नहीं है।

(ङ) से (छ) चूंकि नियंत्रित उत्पादों का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक तेल समन्वय समिति/तेल कंपनियां इस संबंध में प्राधिकृत नहीं होती तब तक डीलरों को कमीशन में वृद्धि सरकार द्वारा अनुमोदित होगी।

विवरण-1

(रुपये प्रति के एल)

	एमएस-87/एमएस-एकेआई-84	एमएस-93	एचएसडी
16.09.92	14413.21	17413.21	5539.01
02.02.94	15413.21	18413.21	6289.01
01.03.94	12844.34	15344.34	5717.28
07.07.1996	16055.43	19180.43	7432.46
03.07.1996	—	—	6574.87
02.09.1997	17055.43	20180.43	8374.87
07.11.1997			7918.04
25.12.199			7996.84
01.03.1998			7839.24
04.04.1998			7645.47
20.05.1998			
03.06.1998	15495.43	18335.43	
09.01.1999			6722.37
28.02.1999	15399.01	18239.01	6621.76
20.04.1999			6882.15
06.10.1999			9634.60
30.09.1999	18999.01	21839.01	11934.60

नोट: 1 मार्च, 1994 से आगे भंडार बिंदुगत मूल्य शुल्क को छोड़कर हैं।

मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल ग्रेडों के लिए ऊपर दिए गए से भिन्न भंडार बिंदुगत मूल्यों वाले मोटर स्प्रिट-एकेआई (89 आर ओ एन 0.05 प्रतिशत गंधक), मोटर स्प्रीट-ए के आई (89 आर ओ एन 0.05 प्रतिशत गंधक तथा 1 प्रतिशत बेंजीन) तथा हाई स्पीड डीजल (0.05 प्रतिशत गंधक) की वर्ष 2000-01 के दौरान महानगरों में शुरूआत की गई थी।

विवरण-2

	16.9.92	1.4.93	1.9.93	2.2.94	1.4.94	1.4.95	1.4.96	3.7.96	7.7.96	1.4.97	2.8.97	6.11.97	1.4.98	1.4.99	06.10.99	5.1.2000	1.10.2000
मोटर स्प्रिट-87																	
स्लैब		स्लैब															
0.360	321	381	0.600	383	374	376	378	380	387	387	389	400	स्लैब प्रणाली 6.11..97 से समाप्त कर दी गई।				
361-600	240	277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
601-1080	214	248	600 से 224 अधिक	231	232	235	234	238	238	239	246	409	411	413	—	462	478
1080 से अधिक	180	217															
चैक सुविधा पर डीलरों से बैंक प्रभारों के बतौर वसूली	15	37 यदि डीलर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है तो अतिरिक्त भुगतान	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	40	40
मोटर स्प्रिट-93																	
स्लैब			स्लैब														
0-380	359	423	0-600	395	406	408	410	412	420	420	422	433	स्लैब प्रणाली 6.11.97 से समाप्त कर दी गई।				
361-600	275	308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—
601-1080	243	274	600 से अधिक	245	252	253	254	255	260	260	261	268	446	448	450	5.00	5.12
1080 से अधिक	203	240															
चैक सुविधा पर डीलरों से बैंक प्रभारों के बतौर वसूली	15	37 यदि डीलर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है तो अतिरिक्त भुगतान	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	40	40
हाई स्पीड डीजल																	
स्लैब	स्लैब																
0.360	155	186	0.600	190	195	196	197	198	206	200	201	213	222	223	224	238	स्लैब प्रणाली 5.1.2000 से समाप्त कर दी गई।
361-800	111	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
601-1080	83	101	600 से अधिक	90	93	93	93	93	97	94	94	100	168	169	170	271	277
1080 से अधिक	75	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
चैक सुविधा पर डीलरों से बैंक प्रभारों के बतौर वसूली	7	15 यदि डीलर बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता है तो अतिरिक्त भुगतान	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

[हिन्दी]

महाराष्ट्र विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण

823. श्री रामदास आठवले: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए 36 विधान सभा सीट और 6 लोक सभा सीट आरक्षित थीं जो बाद में घटाकर क्रमश: 18 और 3 कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए महाराष्ट्र विधान सभा में 36 सीट और लोक सभा में 6 सीट पुन: आरक्षित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां, महाराष्ट्र विधान सभा और लोक सभा में उस राज्य से अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए वर्तमान उपबंध, परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन और निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन किए गए राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के आधार पर है। विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अधीन जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा बाद में बनाए गए थे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या में तब तक कोई परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक वर्ष 2000 के पश्चात् की गई प्रथम जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं।

(ग) और (घ) विगत में, सरकार को संसद सदस्यों और अन्य लोगों से महाराष्ट्र राज्य की विधान सभा में और लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या में वृद्धि की मांग करने वाले अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) सरकार ने हाल में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी संवैधानिक रोक को, राज्यों की सीमाओं के अंतर्गत सीमित परिसीमन का अधिग्रहण करने और 1991 के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए वर्ष 2026 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है और तदनुसार इस संबंध में संविधान (इक्यानवें वां) संशोधन विधेयक, 2000 नामक एक विधेयक संसद के चालू सत्र में लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से इन अभ्यावेदनों में स्थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की बाबत की गई मांग की आंशिक रूप से पूर्ति होगी।

[अनुवाद]

लंबित मामले

824. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आज तक विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले वर्ष कितने मामले निपटाए गए; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई तथा राज्य-वार इनके द्वारा कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में तथा राज्य-वार अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और लंबित रहने की अवधि विवरण-1 में दी गई है। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए कारणों, में अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकों की ओर से अधिकारों के प्रति जागरूकता के कारण संस्थित किए गए मामलों में वृद्धि बड़ी संख्या में विधियों का अधिनियमन, न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, जनसंख्या की बढ़ोत्तरी, मुकदमेंबाजी के पैटर्न में आमूल परिवर्तन, मामलों का बार-बार स्थगन, वकीलों की हड़ताल आदि सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दांडिक प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम तथा सुलहकारी जैसी वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाया जाना सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों को एक अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

इस के अतिरिक्त, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, 502.90 करोड़ रुपये की रकम देश में 1,734 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन के लिए मंजूर की गई है जिससे अगले पांच वर्ष में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में सारवान रूप से कमी आएगी।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में गत वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या विवरण-2 में है।

(च) गत 3 वर्ष के दौरान, राज्य-वार आयोजित लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों की संख्या विवरण-3 में है।

विवरण-1

(क) तारीख 2-11-2000 तक उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

कुल	2 वर्ष से अधिक	10 वर्ष से अधिक
21657	8472	645

(ख) तारीख 31.12.99 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या	2 वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित मामले	10 वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित मामले
1.	इलाहाबाद	815026	602292	201460
2.	आंध्र प्रदेश	150222	7883	2823
3.	बम्बई	284203	155982	28404
4.	कलकत्ता	310914	259054	146476
5.	दिल्ली	178186	107427	33774
6.	गुवाहाटी	38702	19790	162 (3/99 को यथा विद्यमान)
7.	गुजरात	143274	87753	18592
8.	हिमाचल प्रदेश	11928	6367	37
9.	जम्मू-कश्मीर	70336	44207	2392
10.	कर्नाटक	84486	29214	1081
11.	केरल	308237	98512	533
12.	मध्य प्रदेश	106293	56176	5050
13.	मद्रास	355382	129267	9655
14.	उड़ीसा	117339	60994	3313
15.	पटना	82697	35880	6657
16.	पंजाब और हरियाणा	184970	122672	33791
17.	राजस्थान	122899	62453	6674
18.	सिक्किम	206	11	2
	कुल	3204083	1885934	500876

(ग) तारीख 31.12.98 जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कुल लंबित मामले	10 वर्ष से कम अवधि से लंबित मामले	10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1002172	992655	9517
2.	अरुणाचल प्रदेश	1849	1843	6
3.	असम	186799	184254	2545
4.	बिहार	1223190	1165808	57382
5.	गोवा	43163	39350	3813
6.	गुजरात	3000330	292837	71955
7.	हरियाणा	494801	492921	1880
8.	हिमाचल प्रदेश	136443	135226	1217
9.	जम्मू-कश्मीर	121915	118088	3827
10.	कर्नाटक	1254655	1231952	22703
11.	केरल	554566	551885	2681
12.	मध्य प्रदेश	1456853	1371454	85399
13.	महाराष्ट्र	2955103	2728383	226720
14.	मणिपुर	7970	7647	323
15.	मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	मिजोरम	3730	3730	0
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	637277	630198	7079
19.	पंजाब	375212	371070	4142
20.	राजस्थान	875065	821325	53740
21.	सिक्किम	1780	1771	9
22.	तमिलनाडु	828097	816808	11289
23.	त्रिपुरा	18853	18322	531
24.	उत्तर प्रदेश	3244351	3103745	140606
25.	पश्चिमी बंगाल	1305855	1210300	95555

1	2	3	4	5
26.	अंडमान और निकोबार	607	603	4र
27.	चंडीगढ़	50043	49964	79
28.	दादरा और नागर हवेली	894	885	9
29.	दमन और दीव	1156	1144	12
30.	दिल्ली	397814	381328	16486
31.	लक्षद्वीप	142	138	4
32.	पांडिचेरी	6228	6212	16
	कुल योग	20186913	19367384	819529

विवरण-2

वर्ष 1999 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या

क. उच्चतम न्यायालय 34836 (1-11-99 से 31-10-2000 तक)

ख. उच्च न्यायालय

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	73655+
2.	आंध्र प्रदेश	98123*
3.	बम्बई	59906*
4.	कलकत्ता	29182+
5.	दिल्ली	31453+
6.	गुवाहाटी	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	उपलब्ध नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	6447*
9.	जम्मू-कश्मीर	28993+
10.	कर्नाटक	71976*
11.	केरल	90897*
12.	मध्य प्रदेश	61813*
13.	मद्रास	94930*
14.	उड़ीसा	26888*
15.	पटना	77345*
16.	पंजाब और हरियाणा	60328+
17.	राजस्थान	36655*
18.	सिक्किम	660*

+ 6/99 तक के आंकड़े
* 9/99 तक के आंकड़े

(ग) जिला/अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वर्ष 1998 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निपटाये गये मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1066377
2.	अरुणाचल प्रदेश	831
3.	असम	96923
4.	बिहार	331785
5.	गोवा	24147

1	2	3
6.	गुजरात	1681231
7.	हरियाणा	261817
8.	हिमाचल प्रदेश	148150
9.	जम्मू-कश्मीर	133243
10.	कर्नाटक	795071
11.	केरल	799747
12.	मध्य प्रदेश	910950
13.	महाराष्ट्र	1839683
14.	मणिपुर	5438
15.	मेघालय	उपलब्ध नहीं
16.	मिजोरम	6747
17.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं
18.	उड़ीसा	184511
19.	पंजाब	308291
20.	राजस्थान	528308
21.	सिक्किम	4216
22.	तमिलनाडु	1393563
23.	त्रिपुरा	27538
24.	उत्तर प्रदेश	1998627
25.	पश्चिमी बंगाल	609294
26.	अंडमान और निकोबार	334
27.	चंडीगढ़	66813
28.	दादरा और नागर हवेली	466
29.	दमन और दीव	840
30.	दिल्ली	367022
31.	लक्षद्वीप	485
32.	पांडिचेरी	23335
	कुल योग	13615783

विवरण-3

वित्तीय वर्ष अर्थात् 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आयोजित की गई लोक आदालतों की संख्या और लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्रम सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	निम्नलिखित के दौरान आयोजित लोक अदालतों की संख्या			निम्नलिखित वर्ष के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	310	2594	3,561	18,050	38,743	33,906
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	2	-	-	23
3.	असम@	5	4	@36	751	516	@7,936
4.	बिहार	60	129	202	14,494	20,073	30,533

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	4	25	36	162	335	322
6.	गुजरात	206	4084	5,278	67,940	2,62,755	51,93.945
7.	हरियाणा	85	178	120	18,301	19,908	12,268
8.	हिमाचल प्रदेश	118	103	58	5,235	2,759	1,553
9.	जम्मू-कश्मीर	28	82	@50	704	3,562	@2,125
10.	कर्नाटक	170	511	559	14,197	45,680	43,004
11.	केरल	312	484	1,602	26,206	24,746	24,871
12.	मध्य प्रदेश	700	802	965	56,529	45,465	32,703
13.	महाराष्ट्र	886	880	688	23,678	22,908	22,131
14.	मणिपुर	—	1	5	—	190	175
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	6	शून्य	शून्य	680
16.	मिजोरम	46	1	@25	101	14	@16
17.	नागालैंड	8	10	2	28	31	10
18.	उड़ीसा	268	380	324	3,18,913	2,39,530	2,93,355
19.	पंजाब	205	357	219	7,704	6,674	7,031
20.	राजस्थान	5017	3,729	@2,197	68,366	81,703	@250372
21.	सिक्किम	शून्य	7	@58	—	25	@335
22.	तमिलनाडु	634	612	486	11,690	15,042	10,755
23.	त्रिपुरा	3	4	@2	243	251	@73
24.	उत्तर प्रदेश	362	399	611	2,78,656	2,65,020	3,19,018
25.	पश्चिम बंगाल	14	11	265	700	876	3,396
26.	अंडमान और निकोबार	1	6	2	16	49	16
27.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	*	162	258	-	10,285	13,543
28.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	2	1	—	76	43
29.	दमन और दीव	शून्य	3	1	शून्य	68	25
30.	दिल्ली	39	45	188	12,566	13,185	8,273
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	शून्य
32.	पांडिचेरी	127	119	10	382	281	260
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* प्राधिकरण ने मार्च 98 में कार्य करना आरंभ किया।

@ जानकारी तारीख 30.11.99 तक की अवधि के लिए है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास निधि की स्थापना

825. डा. अशोक पटेल: क्या **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए और पर्यटन विकास निधि की स्थापना के लिए धन उगाहने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हाँ।

(ख) पर्यटन विकास निधियों के उद्देश्य, पर्यटन विकास में विवेचनात्मक कमी को पूरा करने के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु तैयार किए गए हैं जिसके लिए सामान्य सरकारी बजटीय सहायता के माध्यम से धन नहीं दिया जा सकता। निधियां पर्यटन विभाग की ओर से प्रारंभिक संग्रह के रूप में योगदान स्वरूप शामिल होंगी। यह धन सांविधिक निकायों, संयुक्त राष्ट्र अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, गैर-सरकारी और सरकारी कारपोरेट सैक्टर, ट्रस्टों, सोसायटियों और व्यक्तियों से भी योगदान स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं।

(ग) इस स्तर पर, समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि अन्य मंत्रालयों के साथ भी परामर्श किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वस्त्र मिलों का बंद किया जाना

826. श्री ए. नरेन्द्र
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री राजो सिंह:
श्री अनन्त नायक:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एन.टी.सी. के अलावा किनती मिलें चालू हैं और इस समय उनमें मिल-वार और राज्य-वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक राज्य-वार कितनी वस्त्र मिलें रुग्ण/बंद पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मिलों के बंद किए जाने के कारण कितने कामगार प्रभावित हुए हैं और उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बंद पड़ी मिलों को पुन: चालू करने और रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस पर मिल-वार कितना खर्च आएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) 31.8.2000 तक की स्थिति के अनुसार एन.टी.सी. को छोड़कर देश में 1393 सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल (गैर-एस.एस.आई.) चल रही थीं और इनमें लगभग 6.07 लाख कामगार नियोजित थे, जिनके ब्यौर निम्नानुसार हैं:-

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या	नामावली में कामगार
1	2	3
आंध्र प्रदेश	64	27516
असम	3	2500
बिहार	4	2795
दिल्ली	0	0
गोवा	1	161
गुजरात	62	54602
हरियाणा	67	18180
हिमाचल प्रदेश	16	14855
जम्मू और कश्मीर	2	4279
कर्नाटक	38	20499
केरल	29	11798
मध्य प्रदेश	42	27249
महाराष्ट्र	138	114091
मणिपुर	1	350
उड़ीसा	10	9948

1	2	3
पंजाब	60	48835
राजस्थान	39	45810
तमिलनाडु	755	166000
उत्तर प्रदेश	33	18648
पश्चिम बंगाल	15	11575
दमन और दीव	3	371
दादर नगर हवेली	3	1318
पांडिचेरी	8	6104
कुल	1393	607484

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 175 सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एस.एस.आई.) बंद थी, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अवधि	बंद मिलें	नामावली में कामगार
1.10.1997 से 30.9.1998	41	22717
1.10.1998 से 30.9.1999	60	38493
1.10.1999 से 30.9.2000	74	42241
कुल	175	103451

वस्त्र मिलों के बंद होने के अनेक कारण माने जा सकते हैं, जिनमें अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अंतर्निविष्टियों की लागत में वृद्धि, समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, कुप्रबंध, मंदी की दशायें आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने देश में केवल निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के स्थायी रूप से अथवा आंशिक रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गये कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योनजा (टी.डब्ल्यू.आर.एफ.एस.) स्थापित की है। इस योजना के अनुसार 6.6.1985 को अथवा उसके बाद बंद पड़ी गैर-एस.एस.आई. वस्त्र मिलें पात्र हैं। टी.डब्ल्यू. आर.एफ.एस. का उद्देश्य योजना के मानदण्डों के अनुसार केवल पात्र कामगारों को तीन वर्ष की अवधि के लिए टैपरिंग आधार पर अर्थात् प्रथम वर्ष वेतन के 75% के बराबर, द्वितीय वर्ष में 50% के बराबर और तृतीय वर्ष में 25% के बराबर अंतरिम राहत प्रदान करना है। योजना के शुरू होने से अब तक इसके अंतर्गत 41 एककों को पात्र एकक के रूप में अभिज्ञात किया गया है और 31.10.2000 तक पात्र कामगारों को कुल 143.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाए जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपाचारात्मक उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस.आई.सी.ए., 1985 बनाया है और औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में पूंजी का पुनर्निर्माण प्रवृत्तकों द्वारा नई निधियां जुटाने, अन्य कंपनियों के साथ समामेलन, प्रबंधन में परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूँजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था करने जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में वायु सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु समिति

827. श्री शिवराजसिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में वायु सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैसल रेल दुर्घटना से संबंधित जांच रिपोर्ट

828. श्री रूपचन्द पाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैसल रेल दुर्घटना की जांच करने के लिए गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिलचर हवाई अड्डे का विस्तार

829. **श्री संतोष मोहन देव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयरबस के उतरने के लिए सिल्चर हवाई अड्डे के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) क्या विस्तार कार्य के साथ रात में उतरने की सुविधाओं का कार्य भी किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सिल्चर हवाई अड्डे पर ए.बी-320 श्रेणी के हवाई जहाजों को चलाने के लिए हवाई पट्टी को 6000 फुट से 7200 फुट तक और बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से 33 एकड़ भूमि ले ली है। विस्तृत अनुमानों को तैयार करने के बाद निर्माण-कार्य मार्च, 2001 तक दिए जाने की संभावना है। निर्माण कार्य के शुरू होने के बाद निष्पादन की अवधि 24 महीनों की है।

(ग) जी, हां।

भुगतान न किए गये/दावा न किए गये लाभांश

830. **श्री अनंत गंगाराम गीते:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कम्पनियों द्वारा सरकार को कितनी राशि के भुगतान न किए गए/दावा न किए गये लाभांश का हस्तांतरण किया गया;

(ख) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा गलत तरीके से लाभांश का भुगतान रोकने से निपटने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों के पास पड़े दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांशों की सरकार को अंतरिम प्रमात्रा वर्षवार निम्नलिखित है:

वर्ष	राशि
1997-98	35,89,59,885/-रु.
1998-99	38,20,66,019/-रु.
1999-2000	11,62,52,769/-रु.

(ख) और (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 क (1) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयरधारक को घोषित लाभांश का ऐसी घोषणा के 42 दिन के भीतर भुगतान किया जाना है। यदि इसका भुगतान नहीं होता है या 42 दिन के भीतर अदावाकृत रहता है तो कंपनी इसे इसके एक सप्ताह के भीतर ऐसे विशेषीकृत उद्देश्य हेतु खोले गए एक अनुसूचित बैंक में एक विशेष खाते में अन्तरित कर देगी। 31.10.98 से इस प्रकार अन्तरित राशि लेकिन जो अभी भी सात वर्ष की अवधि से अदावाकृत तथा अदत्त है, को कंपनी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित फंड में अन्तरित की जाती है तथा इसे ''निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड'' के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में गैर-अनुपालना, पांच सौ रुपये प्रतिदिन जितने दिन चूक जारी रहती है, के हिसाब से जुर्माने द्वारा दण्डनीय है।

रूस से रक्षा उपकरणों की प्राप्ति

831. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री राजैया मल्याला:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी:
श्री आर.एस. पाटील:
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के राष्ट्रपति के हाल के भारत के दौरे के दौरान रूस से भारत की रक्षा आवश्यकताओं के लिए नौसैनिक जहाज और अन्य वस्तुयें खरीदने के लिए भातर और रूस के बीच कोई विशेष समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) 2-5 अक्तूबर, 2000 तक राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान निम्नलिखित पर करार हुए:- (1) सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग की स्थापना (2) वायुयान वाहक एडमिरल गोर्शकोव की सप्लाई (3) भारत को प्रौद्योगिकी तथा एस यू-30 मार्क। वायुयान के लाइसेंसशुदा उत्पादन का अंतरण और (4) टी-90 टैंकों की खरीद और उनके स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण। इन करारों के ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ग) दोनों देशों के बीच वर्ष 2010 तक सैन्य तकनीकी सहयोग के दीर्घकालीन कार्यक्रम पर अन्तर-सरकारी करार विद्यमान है। इस करार के ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

दक्षिण अफ्रीका के साथ रक्षा सहयोग

832. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
श्री भीम दाहाल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के साथ सहयोग स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। सितंबर, 2000 में, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रक्षा सहयोग संबंधी एक करार पर 27.09.2000 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार में निम्नलिखित क्षेत्रों में और अधिक सहयोग करने की योजना बनाई गई है:

(1) सूचना, प्रशिक्षण, दौरे, कार्मिकों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

(2) प्रशिक्षण, दौरों और सूचना तथा कार्मिकों के आदान-प्रदान के माध्यम से एक सेना का दूसरी सेना से विचार विनिमय।

(3) सुरक्षा और रक्षा संबंधी मुद्दों पर नियमित रूप से वार्तालाप करना।

(4) पारंपरिक शस्त्र प्रणालियों के सह-विकास के कार्य में सहयोग, सामुद्रिक सहयोग, जिसमें पोतों के दौरे, हाइड्रोग्राफी सामुद्रिक सुरक्षा, मानवीय सहायता, खोज और बचाव शामिल हैं।

(5) रक्षा उद्योगों के क्षेत्र में सहयोग।

(6) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और सह-उत्पादन।

(घ) सरकार ने रक्षा सहयोग के क्षेत्र में अनेक मित्र देशों के साथ विभिन्न करार, प्रोटोकाल, समझौता ज्ञापन आदि किए हैं। इनके ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

जी.ए.आई.एल. द्वारा एल.एन.जी. पाइपलाइन की स्थापना

833. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जी.ए.आई.एल.) की कसरगौड़, मंगलौर और बंगलौर को जोड़ते हुए 500 किलोमीटर लंबी एक एल.एन.जी. पाइपलाइन की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार का इस एल.एन.जी. पाइपलाइन को हासन और मैसूर तक बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के पास पुन:गैसीयकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस को परिवहन करने के लिए कोच्चि से बंगलौर तक वाया कासरगोदे एवं मंगलौर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस पाइपलाइन का हसन तथा मैसूर तक भी विस्तार किया जा सकता है बशर्ते कि इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की जरूरत हो। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने गैस से संबंधित मांग का अनुमान करने तथा पाइपलाइन आधारभूत

सुविधाओं के विषय में योजना तैयार करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक गैस सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये हैं तथा इस विषय में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को दिया गया है। उक्त पाइपलाइन परियोजना से संबंधित लागत अनुमान इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरा किए जाने पर ज्ञात होंगे।

टुंडला में लोकोमोटिव शेड का ढहना

834. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 के प्रथम सप्ताह में टुंगला रेलवे स्टेशन के लोकोमोटिव शेड के ढह जाने से कई लोग मर गए एवं कई घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवाई गई;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला: और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। 2.9.2000 को टुंडला रेलवे स्टेशन में पुरानी लोकोशेड इमारत गिर गई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 25 व्यक्तियों की मौत हो गई थी तथा 9 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 338, 304-क तथा 101 रेलवे अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 4.9.2000 को रा.रे.पु./टुंडला में आपराधिक मामला सं. 409/200 को दर्ज किया गया था।

(ग) से (ङ) इस दुर्घटना की जांच की गई थी और प्रथम दृष्टया में पाए गए दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ आनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

अहमदाबाद विमानपत्तन के विकास हेतु निर्माण-कार्य

835. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक संयुक्त उद्यम परियोजना लगाकर अहमदाबाद विमानपत्तन के विकास का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए प्रविष्टियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अहमदाबाद विमानपत्तन के विकास के लिए निर्माण-कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बी-747 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है। चरण-1 में, सहायक पेवमेंट सहित मौजूदा धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और 11500 फुट तक विस्तार किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूरे हो जाएंगे।

एअर इंडिया की क्षमता

836. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'द ग्रेट एयर इंडिया सैल आउट बिफोर द सैल ऑफ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एअर इंडिया में 40 प्रतिशत विनिवेश के ठीक पहले नवम्बर, 1999 से अगस्त, 2000 के बीच 16 देशों को द्विपक्षीय हवाई यातायात के अधिकार दे दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त द्विपक्षीय समझौतों के फलस्वरूप एअर इंडिया सभी मार्गों पर उड़ानें भरने के लिए मात्र 23 विमान रहने के कारण क्षमता के अनुरूप अर्जन नहीं कर पाया; और

(घ) विदेशी एयरलाइनों को अधिकारों की बिक्री से पूर्व विमानों की संख्या न बढ़ पाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) विमान सेवा मामलों की समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1999 और अगस्त, 2000 के बीच सरकार की 16 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई।

(ग) क्षमता हकदारियों तथा यातायात अधिकारों का आदान-प्रदान परस्पर लाभ के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार विनियम से प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ दोनों देशों की एयरलाइनों की प्रचालनीय तथा इनके अधिकारों के प्रयोग की योग्यता पर निर्भर करता है और इसलिए यह मामला-दर-मामला आधार पर अलग-अलग होता है। जबकि एयर इंडिया के पास इस समय अपने अधिकांश मार्गों पर सेवाओं में लगाए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में विमान नहीं हैं, इसके हितों की निगरानी विभिन्न एयरलाइनों के साथ किए जाने वाले अपेक्षित वाणिज्यिक प्रबंधों के माध्यम से की जाती है।

(घ) अपने विमान बेड़े की संख्या बढ़ाने के लिए एअर इंडिया 4 या 5 विमानों को (ड्राइलीज) पट्टे पर ले रही है।

विदेशी सहायता से कपड़ा मिलों और विद्युतकरघा इकाइयों का पुनरुद्धार

837. **श्री पी.डी. एलानगोवन:**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अधिकांश विद्युत करघे और कपड़ा मिलें खस्ता हाल में हैं और अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कपड़ा मिलों और विद्युत करघों की स्थिति में सुधार हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विद्युत करघा और वस्त्र क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समाचार की देश में विभिन्न कपड़ा मिलों और विद्युत करघा इकाइयों का विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता से पुनरुद्धार करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो चालू परियोजनाओं की प्रगति और निकट भविष्य में आरम्भ की जाने वाली योजना और देश में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आबंटित कुल धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वर्ष 1998-99 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान वस्त्र मदों के उत्पादन व निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि दशाई है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजरों में मंदी का दौर होने का साथ-साथ विभिन्न कारणों से वर्ष 1998-99 के दौरान सूती यार्न तथा कपड़े (सूती तथा मिश्रित) के उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई। वस्त्र उद्योग के बहुत भिन्न जटिल और व्यापक रूप से फैले उद्योग होने के कारण प्राय: कुछ ऐसे एकक हो सकते हैं जो किसी दिए गए समय में संतोषप्रद ढंग से कार्य नहीं कर रहे हों।

(ख) से (च) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 31.8.2000 की स्थिति अनुसार देश में 1855 सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें (गैर-एस.एस.आई.) हैं तथा उनमें से 370 मिलें बंद थीं। विद्युत करघा क्षेत्र के मामले में देश में 366028 एकक थे, जिसमें 31903 एकक बंद थे। एककों द्वारा किये जा रहे उत्पादन की लागत सामान्यत: कच्चे माल की लागत तथा अन्य निवेशों, खर्चों आदि पर निर्भर करती है। एकक के प्रबंधन को उत्पादन की लागत को कम कर अपनी उत्पादकता में सुधार लाना होगा। तथापि, सरकार ने उद्योग की अर्थक्षमता तथा स्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, पुनर्वासन और पूंजी तक पहुंच सहित अनेक कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) सरकार द्वारा वस्त्र मिलों के उत्पादन, उत्पादकता तथा कपास की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च कोटि कपास की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) आरम्भ किया गया है।

(2) सूती वस्त्र उद्योग सहित वस्त्र और पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है।

(3) वस्त्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में उद्योग को सहायता देने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई है।

(4) पूंजीगत माल का आयात करने के लिए पूंजीगत माल के निर्यात संवर्द्धन (ई.पी.सी.जी.) की योजना को सरल बनाया गया है।

(5) अपेक्षित कोटि की अपरिष्कृत कपास का आयात करने में उद्योग को सहायता देने के लिए ओ.जी.एल. के अंतर्गत कपास के आयात की भी अनुमति दी गई है।

(6) उद्योग और अन्य संबंधित संगठनों के परामर्श से वित्तीय शुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) वस्त्र व्यापार और उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए उपाए शुरू किए गए हैं।

(8) विद्युत करघा विशिष्ट योजनाएं—विद्युत करघा सेवा केन्द्रों (पी.एस.सी.) का आधुनिकीकरण, पी.एस.सी. प्रयोगशालाओं का उन्नयन, विद्युत करघा कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना, कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना तथा विद्युत करघा निर्यातक हकदारी कोटे में 10% से 15% तक वृद्धि क्रियान्वयन के अधीन है।

(9) सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाए जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपारात्मक उपायों का तेजी से निर्धारण करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस.आई.सी.ए., 1985 बनाया है और औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वासन योजनाओं में पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रवृत्तकों द्वारा नई निधियां जुटाना, अन्य कंपनियों के साथ समामेलन, प्रबंधन में परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूँजी और आवधिक ऋणों की व्यवस्था करने जैसे विभिन्न उपाय शामिल हैं।

(10) सरकार ने नई राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 को घोषणा कर दी है। नई नीति के मुख्य उद्देश्य ये हैं-वस्त्र उद्योग को क्लोदिंग के विनिर्माण और निर्यात में महत्वपूर्ण विश्वव्यापी स्थान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए सुकर बनाना; उद्योग को आयात प्रतिघात के दबाव का सामना करने तथा घरेलू बाजार में अहम भूमिका बनाए रखने के लिए सुसज्जित करना; विनियंत्रणों को और उदार बनाना ताकि वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्र बड़े हुए प्रतिस्पर्धी परिवेश में निष्पादन करने में सक्षम हो सके।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटनाएं

838. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रामजी लाल सुमन:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती मिनाती सेन:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन माह के अन्तर्गत अब तक मालगाड़ियों सहित रेलगाड़ियों में हुई दुर्घटनाओं/पटरी से उतरने/आग लगने की रेलगाड़ी वार संख्या और उसके क्या कारण थे;

(ख) मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा नुकसान हुई सरकारी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह की दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिये कितनी समितियां गठित की गई हैं;

(घ) इस जांच समितियों की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को कितनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया;

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) क्या उच्चतम न्यायालय ने आपके मंत्रालय से बड़ी दुर्घटनाओं की जांच के लिए गठित समितियों की सिफारिशों के आधार पर उठाए गए कदमों की सूचना उपलब्ध कराने को कहा है; और

(ज) यदि हां, तो इस मामले में आपके मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) 1.8.2000 से 15.11.2000 की अवधि के दौरान कोई प्रमुख दुर्घटना नहीं हुई थी, इस अवधि के दौरान परिणामी दुर्घटनाओं का जोन-वार ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। इस अवधि के

दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 1999-2000 में 159 से कम होकर 2000-2001 में 154 हो गई है।

प्रत्येक दुर्घटना की जांच या तो रेल अधिकारियों की समिति अथवा गंभीर दुर्घटना के मामले में रेल संरक्षा आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती है। 154 मामलों में से 7 मामलों की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई थी। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार उपर्युक्त दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित हैं:-

1. रेलवे कर्मचारियों की विफलता	-	74
2. रेलवे कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की विफलता	-	27
3. सामग्री/उपकरणों की खराबी	-	6
4. तोड़-फोड़	-	2
5. मिश्रित कारकों से	-	-
6. आकस्मिक	-	7
7. जांचाधीन	-	38

इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	यात्री	अन्य	रेलकर्मी	स्टाफ
मारे गए	-	43**	1	44*
घायल	56	40	4	100*

* आंकड़े अनंतिम हैं।

** अधिकांश व्यक्ति बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण मारे गए हैं।

क्षतिग्रस्त सरकारी संपत्ति का मूल्य 12.33 करोड़ रुपये (अनंतिम)

जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार दोषी ठहराए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन व अपील नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(ङ) 1.8.2000 से 31.10.2000 के मध्य हुई रेल दुर्घटनाओं में शिकार हुए व्यक्तियों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों की डिक्री किए जाने के पश्चात् ही इन दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजा दिया जाएगा।

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों की सूची नीचे दी गई है:-

(1) "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी विशेष", जहां गति 75 कि.मी. प्र.घ. से अधिक है, समूचे मार्गों पर उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है, शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को खतरे के सिगनल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(4) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड पर परीक्षण के आधार पर सहायता चेतावनी प्रणाली की एक पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है। इस संबंध में ठेके आमंत्रित किए गए हैं।

(5) 150 ब्लाक खंडों में घुरा कांउटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(6) ड्राइवर/गार्ड तथा नियंत्रण कक्ष के मध्य डूप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो ट्रेन संचार को मंजूरी दी गई है।

(7) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को संचार के तीव्र व बेहतर संचार के लिए वॉकी-टॉकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं।

(8) ड्राइवर तथा गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रानिक्स फ्लेंश लैंप मुहैया कराए गए हैं, जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की तुलना में बेहतर है।

(9) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेपिंग और मिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(10) रेल पथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन

कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(11) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वचालित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(12) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(13) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम की जा सके।

(14) डीजल शेड्स से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधित कार्यों पर किया जाएगा।

(15) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिन्ह मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(16) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(17) भारी घनत्व यातायात वाले समपारों पर योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ इण्टरलॉकिंग की जा रही है।

(18) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(19) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंत: अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(20) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(21) गाडी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैस) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(22) कर्मचारियों एवं सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(23) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए टक्कररोधी उपकरण की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रोटोटाइप टक्कररोधी उपकरण की परीक्षण प्रारंभ हो चुकी है इस पायलट परियोजना के सफल होने पर भारतीय रेलवे के अन्य रुटों पर इसको लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

(24) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को उन्हें सेवाओं से हटाए जाने सहित भारी दण्ड दिया जा रहा है।

(छ) सर्वोच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय (प्रतिवादी) को रेल दुर्घटनाओं के संबंध में प्रस्तुत की गई विभिन्न रिपोर्टों, उन पर की गई सिफारिशों तथा की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए एक चार्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिए हैं यदि सुझावों को स्वीकार करने के अनुरक्षण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इस संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा।

(ज) विभिन्न समिति की रिपोर्टों की स्थिति के संबंध में पैरवी करने वाले सरकारी वकील को सर्वोच्चम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

विवरण

1/8/2000 और 15/11/2000 के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं

	रेलवे	मरे	पूरे	उरे	पूर्वो.रे	पूसीरे	दरे	दमरे	दपूरे	मरे	कोरनि	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. टक्कर	यात्री	1	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	3
	अन्य	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	3
	जोड़	2	–	1	–	–	1	–	2	–	–	–	6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	यात्री	6	4	4	7	16	7	4	7	3	-	2	60
2. गाड़ी का पटरी से उतरना	अन्य	6	3	6	-	22	6	6	7	1	-	2	59
	जोड़	12	7	10	7	38	13	10	14	4	-	4	119
3. समपार फाटक													
	यात्री	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
एक. चौकीदार वाले	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
	यात्री	-	-	5	5	3	2	2	2	-	-	-	19
दो. बिना चौकीदार वाले	अन्य	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	जोड़	1	-	5	5	3	2	3	2	-	-	-	21
	यात्री	1	-	6	6	3	2	2	2	-	-	-	22
तीन. जोड़	अन्य	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	जोड़	2	-	6	6	3	2	3	2	-	-	-	24
	यात्री	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4. गाड़ी में आग लगना	अन्य	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	जोड़	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
विविध	यात्री	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	यात्री	10	4	11	13	19	10	7	9	3	-	2	88
5. सकल जोड़	अन्य	9	3	6	-	22	6	7	9	1	-	3	66
	जोड़	19	7	17	13	41	16	14	18	4	-	5	154

[अनुवाद]

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

839. श्री जयभद्र सिंह:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री ब्रजलाल खाबरी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए हथकरघा उत्पादों की मात्रा और उनका मूल्य क्या था और उत्पादन-वार और देश-वार नाम क्या हैं जिनमें इनका निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित किए गए उत्पाद-वार लक्ष्य क्या थे;

(ग) निर्यात में कमी के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान कौन-कौन से हथकरघा उत्पादों ने निर्यात में सफलता का उच्च प्रतिशत प्राप्त किया; और

(ङ) सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) चालू वर्ष तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में तथा उत्पाद-वार निर्यात किए गए सूती हथकरघा फैब्रिक्स तथा तैयार कपड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पाद-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। चालू वर्ष तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान सूती हथकरघा उत्पादों के समग्र निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन यू.एस. डालर)
1997-98	520
1998-99	600
1999-2000	600
2000-01	650

(ग) निर्यात में कमी के मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कुछ विशिष्ट उत्पादों की मांग में कमी तथा कम इकाई मूल्य वसूली है।

(घ) कुछ तैयार कपड़ों के मामलों के अतिरिक्त पिछले वर्ष 1998-99 के मुकाबले 1999-2000 के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक्स/तैयार कपड़ों का निर्यात ह्रास प्रवाह दर्शाया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु उठाए गए कदम नीचे दर्शाये गए हैं:-

(क) डी ई पी बी/डी बी के. के अंतर्गत निर्यातकों को फिस्कल सब्सिडी के रूप में सहायता उपलब्ध की जाती है।

(ख) उन्नयन प्रौद्योगिकी हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि।

(ग) निर्यातकों को एन एच डी सी के माध्यम से मिल गेट कीमत पर हैंक यार्न की आपूर्ति की जाती है।

(घ) निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास तथा उनकी विपणन स्कीम के अंतर्गत उत्पादों की विविधता, डिजाइन विकास तथा प्रचार माध्यम से विदेशों में विपणन द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

(ङ) हथकरघा उत्पादों के संबंध में खरीदारों हेतु अद्यतन सूचना को निरंतर अंतराल पर बेवसाइट को अद्यतन किया जाता है।

(च) भारत में विभिन्न हथकरघा उत्पादन केन्द्रों के निरीक्षण हेतु विदेशों से खरीदारों को आमंत्रित करना।

विवरण

चालू वर्ष तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यात किए गए हथकरघा उत्पादों का मूल्य तथा मात्रा

(आंकड़े '000 में, मूल्य रुपयों में)

वर्ष	फैब्रिक्स		तैयार कपड़े		कुल
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मूल्य
1997-98	42903	2196835	88204	16348207	18545042
1998-99	39990	2234880	95865	17844200	20079080
1999-2000	40070	2067990	92691	16851130	18919120
2000-01 (अप्रैल-सितम्बर)	16603	968629	43117	8843532	9812161

1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान मुख्य देशों को सूती हथकरघा फैब्रिक्स/तैयार कपड़ों का निर्यात

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम.सं.	देश	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (अप्रैल - सितम्बर)
		की अवधि के दौरान निर्यात			
1.	यू.एस.ए.	519.40	617.77	581.60	332.86
2.	यू.के.	186.96	233.14	246.91	100.16
3.	जापान	184.79	164.99	147.40	61.86
4.	जर्मनी	118.11	160.35	160.22	67.72
5.	फ्रांस	74.63	105.50	105.97	45.86
6.	स्वीडन	65.58	103.26	91.73	36.99
7.	आस्ट्रेलिया	98.87	77.95	66.96	29.63
8.	इटली	57.39	61.35	50.25	87.70
9.	बेलजियम	41.48	68.28	48.82	23.71
10.	स्पेन	23.20	30.12	49.77	23.79

[हिन्दी]

अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा घुसपैठ

840. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी:
श्री अनादि साहू:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री रामदास आठवले:
श्री संतोष मोहन देव:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री तरूण गोगोई:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में प्यूपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा घुठपैठ की रिपोर्ट पर स्थिति का आकलन करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य किस हद तक सही पाया गया;

(ग) राज्य के मुख्य मंत्री के साथ परामर्श के पश्चात् उनके दौरे के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) भारत और चीन के बीच लंबित विवादों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'इन विवादों' को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) रक्षा पंत्री ने अक्तूबर, 2000 के अंतिम सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। इस दौरे का मुख्य प्रयोजन अरुणाचल प्रदेश में कुछ सड़कों के निर्माण की प्रगति की मानीटरी करना था।

भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद अभी निपटाया जाना शेष है। दोनों पक्षों के बीच अरुणाचल प्रदेश सहित सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा भी भिन्न है। दोनों

ही पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के सीमांकन के बारे में अपनी-अपनी अवधारणा के अनुसार चौकसी संबंधी कार्रवाई संचालित करते हैं। दोनों ही पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघनों के मामलों पर राजनयिक चैनलों और सीमा-कार्मिक बैठकों/ध्वज बैठकों के माध्यम से चर्चा करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधियों नेमी किस्म की रही हैं तथा सीमा पर स्थिति सामान्य है। भू-स्तर पर उपयुक्त तंत्र मौजूद है जहां दोनों पक्ष स्थानीय किस्म के मुद्दे उठा सकते हैं और इन्हें हल कर सकते हैं।

इस विषय पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाल की बयानबाजी को उपर्युक्त संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।

भारत और चीन सीमा संबंधी प्रश्न पर भारत-चीन संयुक्त कार्यकारी दल तथा भारत-चीन दल के राजनयिक तथा सैन्य अधिकारियों के दायरे में विचार करते रहे हैं। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद का हल बातचीत के जरिए निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य तरीके से निकालने के लक्ष्य को दोहराया है। इसके अतिरिक्त भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सैन्य क्षेत्र में विश्वास उत्पन्न करने के उपाय संबंधी करार (1996) भारत-चीन सीमा क्षेत्र अमन-चैन कायम करने के लिए एक संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

841. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय 31 जुलाई, 2000 तक देश में कितने पेट्रोलियम उत्पादों की मांग है और स्वदेशी उत्पादन से कितनी मांगें पूरी की जा रही हैं इस पर कुल कितना खर्च आया है;

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के द्वारा कहां तक इनकी मांग पूरी की जा रही है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है और इस मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और अगले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2000 से 31 जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की 31.37 मिलियन टन (अनंतिम) की कुल खपत में से लगभग 29.53 मिलियन टन मात्रा को घरेलू रिफाइनरियों से पूरा किया गया था। इन उत्पादों की शेष 1.84 मिलियन टन खपत 1812 करोड़ रुपये मूल्य (अनंतिम) के आयातों के माध्यम से पूरी की गई थी।

(ग) एक विवरण संलग्न है जो इन उत्पादों से संबंधित अक्तूबर, 1999 के औसत मूल्यों के ऊपर प्रतिशत वृद्धि की तुलना में नवम्बर, 1999 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के लिए मिट्टी तेल तथा हाई स्पीड डीजल के संबंध में "अरब गल्फ" मोटर स्प्रिट के संबंध में "सिंगापुर" तथा एलपीजी के संबंध में "ब्यूटेन का सऊदी सीपी" शीर्षक के तहत प्लैट्स द्वारा यथा प्रकाशित पेट्रोलियम उत्पादों के मासिक औसत पोतपर्यन्त नि:शुल्क मूल्य उपलब्ध कराता है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की सतत रूप से निगरानी करती है ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन किए जा सकें।

(घ) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की व्यर्थ खपत से बचने के लिए बहुत सी योजनाये क्रियान्वित की हैं। इनमें परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण/कार्यक्रम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्षम बायलरों, भट्टियों तथा अन्य तेल प्रचालित उपस्कर का कुशल उपस्कर के साथ प्रतिस्थापन, विद्यमान पंपों को कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए इनका सुधार, गृह क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत ईंधन कुशल उपस्कर तथा मिट्टी तेल एवं एलपीजी स्टोव उपकरणों का विकास एवं संबर्द्धन सम्मिलित है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों के प्रकाशित मासिक औसत (पोत पर्यन्त निःशुल्क) मूल्य

(अवधि: नवंबर, 1999 से अक्तूबर, 2000 तक)

(आंकड़े: अमरीकी डालर प्रति एम टी में)

माह	(आधार अरब गल्फ)			सिंगापुर			ब्यूटेन का सऊदी अरामको सी पी					
	मिट्टी तेल	अक्तूबर, 99 के ऊपर वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	एचएसडी	अक्तूबर, 99 के ऊपर वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	मोटर स्प्रिट	अक्तूबर, 99 के ऊपर वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	एलपीजी	अक्तूबर, 99 के ऊपर वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
अक्तूबर, 1999	195.00	—	—	166.55	—	—	202.98	—	—	260.00	—	—
नवंबर, 1999	208.46	13.46	7%	175.34	8.79	5%	212.94	9.96	5%	240.00	-20.00	-8%
दिसंबर, 1999	223.54	28.54	15%	181.54	14.99	9%	200.83	-2.15	-1%	230.00	-30.00	-12%
जनवरी, 2000	235.98	40.98	21%	198.67	32.12	19%	229.63	26.65	13%	251.00	-9.00	-3%
फरवरी, 2000	234.19	39.19	20%	211.26	44.71	27%	250.76	47.78	24%	270.00	10.00	4%
मार्च, 2000	243.27	48.27	25%	233.35	66.80	40%	266.83	63.85	31%	325.00	65.00	25%
अप्रैल, 2000	208.26	13.26	7%	186.57	20.02	12%	227.75	24.77	12%	305.00	45.00	17.%
मई, 2000	216.92	21.92	11%	196.87	30.32	18%	257.94	54.96	27%	255	-5.00	-2%
जून, 2000	232.30	37.30	19%	214.55	48.00	29%	270.85	67.87	33%	270.00	10.00	4%
जुलाई, 2000	246.82	51.82	27%	221.78	55.23	33%	291.70	88.72	44%	298.00	38.00	15%
अगस्त, 2000	283.46	88.46	45%	262.88	96.33	58%	308.74	105.76	52%	300.00	40.00	15%
सितंबर, 2000	316.08	121.08	62%	281.92	115.37	69%	285.16	82.18	40%	295.00	35.00	13%
अक्तूबर, 2000	323.62	128.62	66%	273.33	106.78	64%	261.41	58.43	29%	325.00	65.00	25%

स्रोत : प्लैट्स

ऐतिहासिक स्मारकों का पुनः निर्माण

842. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन्नयन/पुनः निर्माण हेतु पहचान किए गए केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर स्मारक-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी/विदेशी निवेश आमंत्रित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उन्नयन के लिए अभिनिर्धारित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्य-वार सूची विवरण-1 के रूप में दी गई है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चालू वर्ष में चौंतीस स्मारकों के संरक्षण, उनमें- पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने एवं उनके पर्यावरण के विकास के लिए योजना तैयार की है। सितंबर, 2000 तक इन स्मारकों पर किया गया व्यय विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं पर्यावरण तथा पर्यटन सुविधाओं के सुधार की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के अधीन राष्ट्रीय संस्कृति निधि स्मारक विशिष्ट अंशदान की अनुमति प्रदान करती है।

इस निधि के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं पर्यटन सुविधाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित अंशदान देने हेतु सहमत हुए हैं;

(1) आगा खां ट्रस्ट

(2) इंडियन आयल कारपोरेशन

(3) पुणे नगर निगम

(4) ओबेराय ग्रुप आफ होटल्स

विवरण-1

उन्नयन के लिए अभिनिर्धारित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	गोलकोंडा किला	आंध्र प्रदेश
2.	स्मारक समूह, शिव सागर	असम
3.	भीष्मक नगर के अवशेष	अरुणाचल प्रदेश
4.	नालन्दा	बिहार
5.	लाल किला	दिल्ली
6.	कुतुब मीनार	दिल्ली
7.	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली
8.	किला तथा चर्चें	दमन
9.	चर्चें तथा कान्वेंट	दमन
10.	रानी की बाव, पाटन	गुजरात
11.	शेप चिल्ली का मकबरा, जिला कुरुक्षेत्र	हरियाणा
12.	कांगड़ा किला, कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश
13.	हेमिस गोम्पा	जम्मू एवं कश्मीर
14.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक
15.	पट्टाडाकल स्मारक समूह	मध्य प्रदेश
16.	वेकल किला	केरल
17.	स्मारक समूह, सांची	मध्य प्रदेश
18.	स्मारक समूह, खजुराहो	मध्य प्रदेश
19.	अजन्ता गुफाएं	महाराष्ट्र
20.	एलोरा गुफाएं	महाराष्ट्र
21.	ऐलिफेंन्ट गुफाएं, घरपीडी	महाराष्ट्र
22.	विष्णु मंदिर, विष्णुपुरा	मणिपुर
23.	नरतंग का पत्थर स्मारक	मेघालय
24.	दीमापुर किला	नागालैंड
25.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा
26.	मुगल सराय दक्खनी, जिला जालन्धर	पंजाब
27.	चित्तौड गढ़ किला	राजस्थान
28.	स्मारक समूह, मामतलपुरम	तमिलनाडु
29.	श्री बृहदीश्वर मंदिर	तमिलनाडु
30.	ताज महल, आगरा	उत्तर प्रदेश
31.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश
32.	आगरा किला, आगरा	उत्तर प्रदेश
33.	अनाकोटी	त्रिपुरा
34.	हजार दवारी पैलेस, मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

विवरण-2

क्रम सं.	स्मारक/स्थल का नाम	राज्य	2000-2001 के दौरान संरचनागत मरम्मत पर किया गया व्यय
1	2	3	4
1.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	उड़ीसा	73,155/-
2.	लाल किला	दिल्ली	23,73,072/-
3.	ताजमहल, आगरा	उत्तर प्रदेश	6,34,914/-
4.	फतेहपुर सीकरी	उत्तर प्रदेश	9,54,886/-
5.	आगरा किला, आगरा	उत्तर प्रदेश	4,12,387/-
6.	स्मारक समूह, सांची	मध्य प्रदेश	9,52,448/-
7.	स्मारक समूह, खजुराहो	मध्य प्रदेश	5,34,681/-
8.	कुतुब मीनार	दिल्ली	52,004/-
9.	हुमायूं का मकबरा	दिल्ली	9,07,604/-
10.	हेमिस गोम्पा	जम्मू एवं कश्मीर	2,20,335/-
11.	चितौड़गढ़ किला	राजस्थान	1,00,000/-
12.	किला तथा चर्चें	दमन	2,17,395/-
13.	स्मारक समूह, हम्पी	कर्नाटक	4,63,500/-
14.	स्मारक समूह, पट्टडकल	कर्नाटक आर .सी.पी.	4 लाख रु. कोई व्यय नहीं
15.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम	तमिलनाडु	30,000/-
16.	वृहदेश्वर मंदिर	तमिलनाडु	30,000/-
17.	गोलकोंडा	आंध्र प्रदेश	5,90,393/-
18.	चर्चें तथा कान्वेंट	गोवा	3,31,697/-
19.	वेकल किला	केरल	1,50,579/-
20.	अजन्ता गुफाएं	महाराष्ट्र	24,465/-
21.	एलोरा गुफाएं	महाराष्ट्र	1,00,000/-
22.	ऐलिफेन्टा गुफाएं	महाराष्ट्र	1,93,096/-
23.	रानी की वाव, पाटन	गुजरात	

1	2	3	4
24.	मुगल सराय दक्खनी, जिला जालन्धर	पंजाब	3,00,000/-
25.	शेख चिल्ली का मकबरा, जिला कुरुक्षेत्र	हरियाणा	2,99,623/-
26.	कांगड़ा किला, जिला कांगडा	हिमाचल प्रदेश	40,000/-
27.	नालन्दा	बिहार	3,05,160/-
28.	हजार द्वारी पैलेस, मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल	3,54,823/-
29.	विष्णु मंदिर, विष्णुपुर	मणिपुर	शून्य
30.	अनाकोटी	त्रिपुरा	1,49,997/-
31.	दीमापुर किला	नागालैण्ड	6,545/-
32.	नरंतग का पत्थर स्मारक	मेघालय	शून्य
33.	भीष्यक नगर के अवशेष	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
34.	स्मारक समूह, शिवसागर	असम	शून्य

स्वयंसेवक टिकट चैकरों की नियुक्ति

843. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री रामानन्द सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **रेल मंत्री** टी.टी.ई. के नियमितीकरण के बारे में 3 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1758 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वयं सेवक टिकट चैकरों को समूह ''घ'' में गैंगमेन के रूप में नियमित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों की ओर से समूह ''ग'' में स्वयंसेवक टिकट चैकरों के रूप में नियुक्त करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त चैकरों को समूह ''ग'' में नियोजित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) स्वयंसेवी टिकट जांचकर्ताओं की सेवाओं का श्रेणी ''ग'' या श्रेणी ''घ'' में नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं था बहरहाल, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, मुख्य पीठ नई दिल्ली के ओ.ए. एवं 1859/91, 2180/91 और 2395/91 तथा वर्ष 1999 (ओ.ए. सं. 1859/91) का सी.पी.सं. 227 के कार्यान्वयन के अन्तर्गत उन याचिकादाताओं के मामलें मे जिन्होंने स्वयंसेवी टिकट जांचकर्ता के रूप में कार्य किया था उन्हें श्रेणी ''घ'' की रिक्तियों पर नियमित रूप से समाहन करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस संबंध में अनेक सांसदों द्वारा अभ्यावेदन अग्रेषित किए गए हैं। उपर्युक्त (क) में दर्शाए कारणों को देखते हुए स्वयंसेवी टिकट जांचकर्ताओं को श्रेणी ''ग'' में नियमित करना व्यावहारिक नहीं है।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियां आरंभ करना

844. **श्री टी. गोविन्दन:**
श्री के. मुरलीधरन:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री आर.एल. जालप्पा:
श्री कोलूर बसवनागौड़:
श्री अनन्त नायक:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान राजधानी एक्सप्रेस/एक्सप्रेस/मेल/यात्री गाड़ियों को आरंभ करने/उनका विस्तार और उनकी बारम्बारता में वृद्धि के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गाड़ी सेवा में वृद्धि करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों के व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाये जाने पर कार्रवाई की जाती है। चूंकि ये अभ्यावेदन विभिन्न स्तरों पर पाये जाते हैं जिसमें 6900 स्टेशन, उप मंडल, विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड शामिल हैं इसलिए इनके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और इनका अनुरक्षण नहीं किया जाता है। बहरहाल पिछले एक वर्ष अर्थात् 1999-2000 के दौरान गाड़ियों के चलाये जाने, इनकी बारम्बरता वृद्धि और विस्तार के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गये हैं।

विवरण

1999-2000 में चलाई गई गाड़ियां

क्र.सं.	गाड़ी नं.	गाड़ियों के नाम
1	2	3
1.	1 जी के पी/2जी के पी	पटना-गया पैसेंजर बरास्ता क्यूल
2.	के आर 5/के आर 7	सावंतवादी-दिवा पैसेंजर
3.	171/172	बरेली-मैलानी पैसेंजर
4.	6119/6120	चेन्नई इगमोर-कन्याकुमारी नीलैकुमारी एक्सप्रेस
5.	जी एन 1/जी एन 2	गोरखपुर-नरकटियागंज पैसेंजर
6.	1 पी जी एम/2पी जी एम	गया-देहरी-आन-सोन पैसेंजर को विस्तारित करके पटना-मुगलसराय पैसेंजर बरास्ता सासाराम
7.	8447ए/8448ए	भुवनेश्वर-कोरापुट लिंक एक्सप्रेस
8.	239/240	रायगाडा-विशाखापट्टनम पैसेंजर
9.	447/448	इंदारा-फेफना पैसेंजर
10.	449/450	इंदारा-फेफना पैसेंजर
11.	451/452	इंदारा-फेफना पैसेंजर
12.	2155/2156	हबीबगंज-निजामुद्दीन एक्सप्रेस
13.	0103/0104	सी एस टी एम-मडगांव इंटरसिटी एक्सप्रेस
14.	525/526	सिकंदराबाद-महबूबनगर पैसेंजर
15.	939/940	अहमदाबाद-पाटन पैसेंजर
16.	941/942	अहमदाबाद-मेहसाना पैसेंजर
17.	457/458	डभोई-मियागाम पैसेंजर

1	2	3
18.	589/590	त्रिची-करूर पैसेंजर
19.	690/693	त्रिची-थंजावूर पैसेंजर
20.	696/699	त्रिची-थंजावूर पैसेंजर
21.	आर बी 1/आर बी 2	नडियाड-कपड़वंज पैसेंजर (रेल बस)
22.	आर बी 3/आर बी 4	नडियाड-कपड़वंज पैसेंजर (रेल बस)
23.	1 पी पी/2पी पी	पठानकोट-पालम पर्यटन गाड़ी
24.	7049/7050	सिकंदराबाद-मछलीपटनम एक्सप्रेस
25.	9775/9776	सिकंदराबाद के रास्ते जयपुर--बैंगलूरू एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन
26.	2141/2142	पटना-कुर्ला एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
27.	9911/9912	मेहसाना-पाटन के बीच अहमदाबाद पाटन इंटरसिटी की बहाली
28.	7317/7318	वास्को-लोंडा एक्सप्रेस
29.	8019/8020	शालीमार-हल्दिया इंटरसिटी एक्सप्रेस
30.	4317/4318	देहरादून-उज्जैन एक्सप्रेस (इंदौर देहरादून)
31.	145/146	नागदा-रतलाम (एम ई एम यू)
32.	218	नागदा-उज्जैन (एम ई एम यू)
33.	241/242	बंगारपेट-कोलार (रेल बस)
34.	243/244	बंगारपेट-कोलार (रेल बस)
35.	245/246	बंगारपेट-कोलार (रेल बस)
36.	247/248	बंगारपेट-कोलार (रेल बस)
37.	5211/5212	अमृतसर-दरभगा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)
38.	2315/2316	सियालदाह-अजमेर अनन्य एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
39.	3013/3014	हवड़ा-हरिद्वार-देहरादून उपासना एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
40.	2805/2806	विशाखापट्टनम-विजयवाड़ा जन्म भूमि एक्सप्रेस (सप्ताह में 6 दिन)
41.	2645/2646 पूर्व में 6515/6516	निजामुद्दीन-एर्णाकुलम एक्सप्रेस (साप्ताहिक)
42.	219/220	गोरखपुर-नौतनवा पैसेंजर
43.	301/302	काजीपेट-हैदराबाद (एम ई एम यू)
44.	367/368	काजीपेट-हैदराबाद (एम ई एम यू)
45.	331/332	रायचूर-गुलबर्गा पैसेंजर
46.		तिरूतुरईपडी-अगस्थियामपल्ली रेल बस
47.	5629/5630	गुवाहाटी-चेन्नई एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन)

बढ़ाई गई गाड़ियां

क्र.सं.	गाड़ी सं.	गाड़ियों के नाम
1	2	3
1.	1691/1696	दिवा-वीर पैसेंजर, सावंत वाड़ी रोड तक
2.	के आर 5/के आर 6	वीर-चिपलून पैसेंजर मड़गांव तक
3.	1689 डाउन	दिवा-पनवेल पैसेंजर रोहा तक
4.	जी एन 1/जी एन 2	नरकटियागंज-पनियावा पैसेंजर अप टू गोरखपुर
5.	जी एन 3/जी एन 4	नरकटियागंज-पनियावा पैसेंजर अप टू गोरखपुर
6.	जी एन 5/जी एन 6	नरकटियागंज-पनियावा पैसेंजर अप टू गोरखपुर
7.	3 बी डी/4 बी डी	देहरी-आन-सोन गड़वा पैसेंजर अप टू बरवादी
8.	1 जी सी/2 जी सी	गोंदिया-चांदाफोर्ट पैसेंजर बल्लहारशाह तक (1 जी एन बी/2 जी एन बी के रूप में परिवर्ततन नं.)
9.	471/472	विजयवाड़ा-विजयनगरम पैसेंजर रायगड़ा तक
10.	203/204	वीरमगाम-द्वारका फास्ट पैसेंजर ओखा तक
11.	427/452	मियागाम-डबोई पैसेंजर चौरंदा तक
12.	4737/4738	बीकानेर-जयपुर पैसेंजर अजमेर तक
13.	126/129	अजमेर-विजयनगर फास्ट भीलवाड़ा तक
14.	4737/4738	जयपुर-बीकानेर पैसेंजर अजमेर तक (मी.ला.)
15.	2407/2408 (2405/2406)	निजामुद्दीन-नागपुर गोडवाना एक्सप्रेस, नागपुर से भुसावल तक सप्ताह में दो दिन
16.	4315/4316 अब 4311/4312	बरेली अजमेर एक्सप्रेस गांधी धाम तक
17.	429/430	गुंटूर-नंदयाल पैसेंजर द्रोणाचलम तक
18.	4047/4048	दिल्ली-गोरखपुर सत्याग्रह एक्सप्रेस नरकटियागंज के रास्ते रक्सोल तक
19.	1555/1556	गुना-खजूरी पैसेंजर ग्वालियर तक
20.	137/138	कासगंज-बरेली पैसेंजर पीलीभीत तक
21.	105/106	कासगंज-फतेहगढ़, कानपुर तक
22.	8451/8452	राठरकेला-भुवनेश्वर तपस्वनी एक्सप्रेस पुरी तक
23.	8301/4302/ अब 8407/8408	हीराकुंड एक्सप्रेस भुवनेश्वर तक (तालचेर रोड के रास्ते)
24.	545/546	शोराण्णूर-औगाडीपुरम पैसेंजर नीलांबुर रोड तक

1	2	3
25.	2643/2644	निजामुद्दीन-एर्णाकुलम एक्सप्रेस त्रिवेन्द्रम तक (अलेप्पी के रास्त)
26.	6305/6306 अब 6725/6726	गुरूवायूर-नागरकोइल एक्सप्रेस मदुरै के रास्ते
27.	5663/5664 अब 3163/3164	सियालदाह-कटिहार एक्सप्रेस बरौनी तक
28.	5207/5208 अब 5707/5708	अमृतसर-बरौनी एक्सप्रेस कटियार तक
29.	1143/1144	ग्वालियर-छपरा मेल बरौनी तक (अब 5223/5224)
30.	5741/5742	अलीपुरद्वार-सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस न्यू जलपाई गुड़ी तक
		फेरो में बढ़ोत्तरी
1.	8017/8018	हवड़ा-पुरुलिया, सप्ताह में 6 दिन से दैनिक
2.	2155/2156	निजामुद्दीन-हबीबगंज सप्ताह में 3 दिन से दैनिक
3.	2407/2408	निजामुद्दीन-नागपुर-भुसावल दो दिन से सप्ताह में 4 बार
4.	4311/4312	बरेली-गांधीधाम साप्ताहिक से सप्ताह में दो बार
5.	1095/1096	पुणे-अहमदाबाद एक्सप्रेस 3 दिन से सप्ताह में 4 दिन
6.	5209/5210	बरौनी-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस, 3 दिन से सप्ताह में 5 दिन
7.	4707/4708	बांद्रा-बीकानेर एक्सप्रेस, सप्ताह में 4 दिन से दैनिक
8.	2101/2102	कुर्ला-हवड़ा सुपर डीलक्स जनेश्वरी एक्सप्रेस सप्ताह में 1 दिन से सप्ताह में 3 दिन
9.	3147/3148	उत्तर बंगा एक्सप्रेस, 2 दिन से सप्ताह में 3 दिन
10.	8463/8464	बंगलौर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, सप्ताह में 2 दिन से 4 दिन

स्टैंड अलोन आयल रिफाइनरीज

845. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने हाल ही में स्टैंड अलोन आयल रिफाइनरीज का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार हेतु बाध्यताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिग्रहीत की गई स्टैंड अलोन आयल रिफाइनरीज का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस प्रकार के अधिग्रहण हेतु कोई आर्थिक तर्क दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने अपने किस्म की अकेली रिफाइनरियों के सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के साथ एकीकरण के संबंध में एक निर्णय लिया है। पूर्वोक्त व्यवस्था के तहत चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी पी सी एल) और बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की सहायक कंपनियां

और कोच्चि रिफाइनरीज लिमिटेड (केआरएल) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिडेट (बीपीसीएल) की सहायक कंपनियां बनाया जाएगा।

इस व्यवस्था से अपने किस्म की अकेली रिफाइनरियों को नियंत्रणमुक्ति की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने और आईओसीएल एवं बी पी सी एल के लिए विशेषकर दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने अब तक अपने किस्म की अकेली किसी भी रिफाइनरी का अधिग्रहण नहीं किया है।

इंडियन एक्स-सर्विसमेन लीग से ज्ञापन

846. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री माधराव सिंधिया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इंडियन एक्स-सर्विसमेन लीग से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 'एक रैंक एक पेंशन' नियम मानने के बावजूद सरकार भेदभावकारी पेंशन नीति को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा रखी गयी मुख्य मांग क्या है;

(ग) क्या कुछ समय पहले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद, कलकत्ता और इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग ने ऐसे ज्ञापन भेजे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी शिकायतों के निवारण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) इंडियन एक्ससर्विस लीग और भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न अन्य एसोसिएशनें पिछले कई सालों से 'एक रैंक एक पेशन' की मांग करती आ रही हैं। परंतु अखिल, भारतीय पूर्व सैनिक परिषद, कलकत्ता और इंडियन एक्ससर्विसमैन लीग, मेघालय की ओर से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। 'एक रैंक एक पेंशन' की संकल्पना का अर्थ यह है कि पिछले तथा भावी सेवानिवृत्त सैनिकों को समान सेवा समूह/अवधि के बराबर पेंशन दी जाए और भविष्य में पेंशन का संशोधन स्वत: हो जाएगा तथा पेंशन दरों में बाद में परिवर्तन भी साथ-साथ होते रहेंगे।

इस मांग पर चौथे और पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने जांच करके उस पर विचार किया था। दोनों आयोगों ने इस मांग को औचित्य-पूर्ण नहीं पाया। इस मांग को मान लेने से इसके गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय प्रभाव होंगे।

तथापि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने 33 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ पिछले सेवानिवृत्त सैनिकों को पेंशन के रूप में 1.1.1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम का 50% सुनिश्चित करके 1.1.1996 से पहले और बाद के पेंशनभोगियों की पेंशन के बीच प्रभावी संयोजन (लिंकेज) की सिफारिश की है। आयोग की यह सिफारिश मान ली गई है और आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

एम.आर.टी.एस. परियोजना, चेन्नई

847. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नई में एम.आर.टी.एस. परियोजनाओं के लिए अधिक धनराशि की मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम.आर.टी.एस. का विस्तार वेलाचेरी से महाबलिपुरम तक करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चेन्नई में एम.आर.टी.एस. परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। थिरूमलाई से वेल्लाचारी तक दु.पा.प्र. 2 परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान पर्याप्त धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) और (घ) वेल्लाचेरी से महाबलीपुरम तक दु.पा.प्र. के विस्तार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) दु.पा.प्र.-2 के मार्च 2002 तक पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि रेलवे तथा तमिलनाडु राज्य सरकार के पास निधियां उपलब्ध हों।

गुजरात में आमान परिवर्तन हेतु संयुक्त उद्यम

848. श्री भीम दाहाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात पिपावाव पोर्ट ट्रस्ट के साथ संयुक्त उद्यम को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो आरंभ की जाने वाली परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और दोनों साझेदारों के बीच हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रेलवे तथा गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (जी पी पी एल) द्वारा समान भागीदारी पर एक विशेष प्रयोजन परियोजना (एस.पी.वी.) बनायी जा रही है। इस विशेष प्रयोजन परियोजना से सुरेन्द्रनगर-रजूला सिटी मीटर लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य और रजूला सिटी तथा पीपावाव के बीच नई लाइन का निर्माण किया जाएगा।

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 294 करोड़ रु. है। इस परियोजना की 196 करोड़ रु. की 2/3 लागत 50:50 के अनुपात में भारतीय रेलवे तथा जी पी पी एल द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। शेष 98 करोड़ रुपये की 1/3 लागत जे वी कंपनी द्वारा ऋण के रूप में एकत्रित की जाएगी।

(घ) इन परियोजनाओं को दिसंबर, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

849. श्री थावरचन्द गेहलोत: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 2000 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के उच्च न्यायालयवार कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) उक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के अनुसार, मुख्य न्यायमूर्ति से, न्यायाधीश-मंडल से परामर्श करके, रिक्तियां भरे जाने के लिए सिफारिश भेजने की अपेक्षा की जाती है। भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से अपने-अपने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है। चूंकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में अनेक संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना अंतर्वलित है, अत: यह बताना संभव नहीं है कि विद्यमान रिक्तियां कब तक भर ली जाएंगी।

विवरण

(तारीख 01.11.2000 को यथा विद्यमान स्थिति)

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत सदस्य संख्या में रिक्तियां	नए पदों का सृजन जिनके लिए सहमति हुई	कुल
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	19	30	49
2.	आंध्र प्रदेश	13	-	13
3.	बम्बई	16	-	16

1	2	3	4	5
4.	कलकत्ता	10	2	12
5.	छत्तीसगढ़	5	–	5
6.	दिल्ली	5	2	7
7.	गुवाहाटी	8	1	9
8.	गुजरात	1	8	9
9.	हिमालय प्रदेश	2	–	2
10.	जम्मू-कश्मीर	5	–	5
11.	कर्नाटक	6	1	7
12.	केरल	8	1	9
13.	मध्य प्रदेश	3	1	4
14.	मद्रास	6	–	6
15.	उड़ीसा	2	1	3
16.	पटना	10	6	16
17.	पंजाब और हरियाणा	8	3	11
18.	राजस्थान	11	–	11
19.	सिक्किम	1	–	1
	कुल	139	56	195

रेल भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

850. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में खाली पड़ी रेल भूमि और परिसरों का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार किस-किस स्थान पर रेल भूमि और परिसरों का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक डिवीजन में कितने लाभार्थी हैं और उनसे कुल कितना राजस्व एकत्रित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) शुरुआत के तौर पर रेलों ने वाणिज्यिक विकास के लिए कतिपय स्थलों की पहचान की है। ऐसी साइटों की वाणिज्यिक संभाव्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में प्रत्येक साइट का व्यावाहारिक अध्ययन किया जा रहा है और खुली तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए उपयुक्त विकासकर्ता चुनने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। चालू प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ही राजस्व के संग्रहण और लाभार्थियों के ब्यौरों का पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

मॉडल रेलवे स्टेशनों का विकास

851. श्री अनंत नायक:
डा. एन. वेंकटस्वामी:
डा. (श्रीमती) सुधा यादव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए किन-किन रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है और इनके लिए राज्य/जोन-वार कितनी निधियां नियत/जारी की गई है और अब तक इन पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या मॉडल स्टेशन प्लान में रेलवे स्टेशनों पर पैदल पार-पाथ के प्रस्ताव भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधायें मुहैया कराने के संबंध में अब तक 209 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चुना गया है, जिनका राज्य-वार/रेलवे-वार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 एवं 2 में दिया गया है। जहां तक निधियां आबंटित/विनिर्मुक्त तथा किए गए खर्च का संबंध है, प्रत्येक आदर्श स्टेशन के लिए निधियों का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है क्योंकि ग्राहक उन्मुखी प्रणालियों में विनिर्दिष्ट सुविधाएं बेहतर है। रेलों को "यात्री तथा अन्य रेल उपयोगकर्ता सुविधाओं" एवं "कंप्यूटरीकरण" योजना शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के एक मुश्त आबंटन में से बेहतर यात्री सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य हेतु धनराशि खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) और (ग) आदर्श स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाओं के प्रावधान के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसे प्रत्येक चुनिंदा स्टेशन पर स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ऊपरी पैदल पुल को परिचलन क्षेत्र तक बढ़ाया जाना है ताकि अतिरिक्त प्लेटफार्म पर परिहार्य संचलन को कम किया जा सके।

विवरण-1

बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए "आदर्श स्टेशनों" के रूप में चुने गए 209 स्टेशनों की सूची "राज्य-वार"

राज्य	स्टेशनों के नाम
1	2
असम	गुवाहाटी (पू.सी.), सिलचर (पू.सी.), कोकराझार (पू.सी.), न्यू तिनसुकिया (पू.सी.), न्यू बोंगाई गांव (पू.सी.), डिब्रूगढ़ (पू.सी.), कामाख्या (पू.सी.), लमडिंग (पू.सी.), जोरहाट टाउन (पू.सी.) (9)
आंध्र प्रदेश	सिंकदराबाद (द.म.), विशाखापट्टनम (द.म.), तिरूपति (द.म.), हैदराबाद (द.म.), विजयवाड़ा (द.म.), वारंगल (द.म.), गुंतकल (द.म.), गुंटूर (द.म.), राजामुंदरी (द.म.), नैलोर (द.म.), काचेगुड़ा (द.म.), काकीनाड़ा (द.म.) (12)
बिहार	पटना जंक्शन (पूर्व), रांची (द.पू.), टाटानगर (द.पू.), गया (पूर्व), मौकाम (पूर्व), छपना (पूर्वो), धनबाद (पूर्व), नालंदा (पूर्व), कटिहार (पू.सी.), दरभंगा (पूर्वो.), मुजफफ्रपुर (पूर्वो.), बरौनी (पूर्वो.), सोनपुर (पूर्वो.), दानापुर (पूर्व), भागलुपर (पूर्व), हाजीपुर जंक्शन (पूर्वो.), समस्तीपुर (पूर्वो.), मोतिहारी (पूर्वो.), सिवान जंक्शन (पूर्वो.), चक्रधरपुर (द.पू.), मधुपुर (पूर्व), रानी गंज (पूर्व), जसीडीह (पूर्व) (23)
चंडीगढ़	चंडीगढ़ (उत्तर) (1)
दिल्ली	दिल्ली (उत्तर), हजरत निजामुद्दीन (उत्तर), नई दिल्ली (उत्तर) (3)
गुजरात	सूरत (पश्चिम), भावनगर (पश्चिम), राजकोट (पश्चिम), बड़ोदरा (पश्चिम), अहमदाबाद (पश्चिम), वापी (पश्चिम), भरूच (पश्चिम), वलसाड (पश्चिम), गांधी धाम (पश्चिम), द्वारका (पश्चिम) (10)
गोवा	मड़गांव (द.म.), वास्कोडिगामा (द.म.) (2)
हिमाचल प्रदेश	शिमला (उत्तर) (1)
हरियाणा	अम्बाला कैंट (उत्तर), कालका (उत्तर), फरीदाबाद (मध्य), हिसार (उत्तर), रेवाड़ी (उत्तर) (5)

1	2
जम्मू और कश्मीर	जम्मू तवी (उत्तर), कठुआ (उत्तर) (2)
कर्नाटक	बैंगलूरु कैंट (द.), मंगलोर (द.), मैसूर (द.), हुबली (द.म.), शिमोगा (द.), होसपेट (द.म.), गुलबर्गा (मध्य), रायचूर (द.म.) (8)
केरल	त्रिवेंद्रम (द.), एर्णाकुलम (द.), त्रिचूर (द.), पालघाट (द.), कोल्लम (द.), कोट्टायम (द.), चेंगानूर (द.), कण्णानूर (द.), कालीकट (द.), अलवाय (द.) (10)
मध्य प्रदेश	भोपाल (मध्य), जबलपुर (मध्य), इंदौर (पश्चिम), रायपुर (द.पू.), विलासपुर (द.पू.), दुर्ग (द.पू.), गोलंथरा (द.प.), सतना (मध्य), हबीबगंज (मध्य), ग्वालियर (मध्य), कटनी जंक्शन (मध्य), रतलाम (पश्चिम), उज्जैन (पश्चिम) (13)
नागालैंड	दीमापुर (पू.सी.) (1)
महाराष्ट्र	भुसावल (मध्य), मुंबई छ.शि.ट. (मध्य), नागपुर (मध्य), पुणे (मध्य), दादर (मध्य/पश्चिम), नांदेड़ (द.म.), सोलापुर (मध्य), थाणे (मध्य), कल्याण (मध्य), कुर्ला (मध्य), चंद्रपुर (मध्य), नासिक रोड (मध्य), अकोला जंक्शन (मध्य), बांद्रा टर्मिनस (पश्चिम), मुंबई सेंट्रल (पश्चिम), वर्धा (मध्य) (17)
उड़ीसा	भुवनेश्वर (द.पू.), पुरी (द.पू.), कटक (द.पू.), राउरकेला (द.पू.), खुर्दा रोड (द.पू.), कपिलस रोड (द.पू.), सरला रोड (द.पू.), बालासोर (द.पू.), बिरी (द.पू.), बडखण्डिता (द.पू.), ढेनकनाल (द.पू.), रहमा (द.पू.), संभलपुर (द.पू.), जाजपुर-क्योंझार रोड (द.पू.), बेरहमपुर (द.पू.) (15)
पांडिचेरी	पांडिचेरी (दक्षिण) (1)
पंजाब	लुधियाना (उत्तर), जालंधर सिटी (उत्तर), अमृतसर (उत्तर), फिरोजपुर (उत्तर), आनंदपुर साहिब (उत्तर), पठानकोट (उत्तर), भटिंडा (उत्तर), पटियाला (उत्तर) (8)
राजस्थान	जोधपुर (उत्तर), जयपुर (पश्चिम), उदयपुर (पश्चिम), बीकानेर (उत्तर), कोटा (पश्चिम), अजमेर (पश्चिम), आबूरोड (पश्चिम), चित्तौड़गढ़ (पश्चिम) (8)
तमिलनाडु	चेन्नई (दक्षिण), मदुरै (दक्षिण), तिरूच्चिरापल्ली (दक्षिण), चेन्नई एग्मूर (दक्षिण), कोयम्बटूर (दक्षिण), सेलम (दक्षिण), कन्याकुमारी (दक्षिण), तिरुत्तानी (दक्षिण), चेन्नई बीच (दक्षिण), माम्बलम (दक्षिण), काटपाडी (दक्षिण) (11)
त्रिपुरा	धर्मानगर (पू.सी.) (1)
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर (पूर्वो), लखनऊ (उत्तर), आगरा कैंट (मध्य), कानपुर सेंट्रल (उत्तर), देहरादून (उत्तर), इलाहाबाद (उत्तर), हरिद्वार (उत्तर), वाराणसी (उत्तर), मुरादाबाद (उत्तर), अलीगढ़ (उत्तर), काठगोदाम (पूर्वो), झांसी (मध्य), अयोध्या (उत्तर), मुगलसराय (पूर्व), सहारनपुर (उत्तर), फैजाबाद (उत्तर), मेरठ सिटी (उत्तर), इज्जतनगर जंक्शन (पूर्वो), मंडुआडीह (पूर्वो.). गोंडा जंक्शन (पूर्वो), देवरिया सदर (पूर्वो.), रावतपुर (पूर्वो.), मऊ जंक्शन (पूर्वो.), बादशाह नगर (पूर्वो), आगरा फोर्ट (पश्चिम), बस्ती (पूर्वो), मथुरा जंक्शन (मध्य), टुंडला (उत्तर), बलिया (पूर्वो), (30)
पश्चिम बंगाल	मालदा (पूर्व), न्यू जलपाईगुडी (पू.सी.), हवड़ा (पूर्व), आसनसोल (पूर्व), न्यू अलीपुरद्वार (पू.सी.) खडगपुर (द.पू.), सियालदह (पूर्व), सोनारपुर (पूर्व), मिदनापुर (द.पू.) बण्डेल (पूर्व), बर्धमान (पूर्व) दुर्गापुर (पूर्व) अलीपुरद्वार जंक्शन (पू.सी.) आंद्रा (द.पू.), बोलपुर (पूर्व), नवदीप धाम (पूर्व), कूच बिहार (पू.सी.), दमदम (पूर्व) (18)

विवरण-2

बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए "आदर्श स्टेशनों" के रूप में चुने गए 209 स्टेशनों की सूची "रेलवे-वार"

राज्य	स्टेशनों के नाम
मध्य रेलवे	आगरा कैंट, भोपाल, भुसावल, फरीदाबाद, जबलपुर, झांसी, मुंबई छ.शि. ट., नागपुर, पुणे, सोलापुर, थाणे, कल्याण, सतना, मथुरा जंक्शन, दादर, कुर्ला, चन्द्रपुर, हबीबगंज, ग्वालियर, नासिक रोड, अकोला जं., कटनी जं., गुलबर्गा, वर्धा (24)
पूर्व रेलवे	आसनसोल, बंडेल, बर्धमान, धनबाद, गया, हवड़ा, मालदा टाउन, मोकामा, नालंदा, पटना, सोनारपुर, सियालदह, दुर्गापुर, मुगलसराय, भागलसराय, दमदम, जसीडीह, बोलपुर, मधुपुर, रानीगंज, नवद्वीप धाम (22)
उत्तर रेलवे	इलाहाबाद, अम्बाला कैंट, अलीगढ़, अमृतसर, आनन्दपुर साहिब, अयोध्या, बीकानेर, चण्डीगढ़, दिल्ली, देहरादून, फिरोजपुर, हरिद्वार, हजरत निजामुद्दीन, जम्मू तवी, जालंधर सिटी, कालका, कानपुर सेंट्रल, लुधियाना, लखनऊ, मुरादाबाद, नई दिल्ली, शिमला, वाराणसी, सहारनपुर, पठानकोट, बरेली, फैजाबाद, मेरठ सिटी, भटिण्डा, पटियाला, हिसार, रेवाड़ी, कठुआ, टुण्डला (35)
पूर्वोत्तर रेलवे	बरौनी, छपरा, दरभंगा, गोरखपुर, काठगोदाम, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, मोतिहारी, बस्ती समस्तीपुर, इज्जतनगर जंक्शन, मंडवाडीह, गोण्डा जं., देवरिया सदर, सीवान जं., हाजीपुर, रावतपुर, मऊ जं., बादशाहनर, बलिया (20)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	न्यू अलीपुरद्वार, धर्मनगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कटिहार, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू तिनसुकिया, न्यूबोंगाई गांव, सिलचर, कामाख्या, लमडिंग, अलीपुरद्वार जं., दीमापुर, जोरहाट टाउन, कूच बिहार (16)
दक्षिण रेलवे	बैंगलूरु, चैन्नई, चैन्नई एग्मोर, कोयम्बरटूर, एर्णाकुलम, मंगलौर, मैसूर, मदुरै, पालघाट, शिमोगा, त्रिचूर, तिरूच्चिरापल्ली, तिरूवनंतपुरम्, सेलम, कोल्लम, कन्याकुमारी, कोट्टायम, चेंगानूर, तिरूट्टानी, कण्णानौर, पांडिचेरी, कालीकट, चैन्नई बीच, माम्बलम, अलवाय, कटपाड़ी (26)
दक्षिण मध्य रेलवे	गुण्टूर, गुन्तकल, हैदराबाद, हासपेट, हुबली, मडगांव, नान्देड, राजमुंद्री, सिकंदराबाद, तिरूपति, विजयवाड़ा, वारंगल, नेल्लौर, वास्को-डी-गामा, काचेगुडा, रायचूर, काकीनाडा (17)
दक्षिण पूर्व रेलवे	भुवनेश्वर, बालासोर, बेरहमपुर, बिलासपुर, ब्यारी, बडखंडिता, कटक, ढेनकनाल, दुर्ग, गोलन्थरा, कपिलस रोड, खड़गपुर, खुर्दा रोड, मिदनापुर, पुरी, रहमा, रांची, रायपुर, राउरकेला, सरला रोड, टाटानगर, विशाखापत्तनम्, चक्रधरपुर, सम्बलपुर, आद्रा, जाजपुर-क्योंझर रोड (26)
पश्चिम रेलवे	अजमेर, अहमदाबाद, भावनगर, चित्तौड़गढ़, दादर, इन्दौर, जयपुर, कोटा, राजकोट, सूरत, उदयपुर, वापी, बान्द्रा, भरूच, बलसाड, मुंबई सेंट्रल, रतलाम, आगरा फोर्ट, गांधीधाम, द्वारका, आबू रोड, उज्जैन (23)

सैन्य आसूचना हेतु धनराशि

852. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य आसूचना धनराशि और विशेषज्ञता की कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारणहैं;

(ग) क्या इस एकक का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे और अधिक चौकस बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सैन्य आसूचना के पास उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए निधि अथवा सुविज्ञता को कोई कमी नहीं है। उनका कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है।

[हिन्दी]

ए.जे.टी. की खरीद

853. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :
श्री गुनीपाटी रामैया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय वायु सेना के लिए एडवांस्ड जेट ट्रेनर खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन स्रोतों से अधिग्रहण किया और कितने ए.जे.टी. खरीदे जाने का विचार है तथा इसकी क्या विशेषता होगी और कितनी लागत होगी;

(ग) इस समय इसकी खरीद की प्रक्रिया किस चरण में है; और

(घ) इसके कब तक आ जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम्स से 66 उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयानों की खरीददारी का प्रस्ताव है जिसमें से 24 की प्रत्यक्ष आपूर्ति की जाएगी तथा शेष 42 का हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंसशुदा उत्पादन किया जाएगा। प्रस्तावित वायुयान हॉक 115-वाई है। मूल्य वार्ता अभी की जानी है।

(ग) खरीद प्रक्रिया मूल्य वार्ता के चरण में है।

(घ) पहली सुपुर्दगी संविदा पर हस्ताक्षर हो जाने की तारीख से 35 महीनों के बाद हो सकती है।

[अनुवाद]

लाभांश का भुगतान नहीं किया जाना

854. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने उन कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ''सेबी'' को अधिकार दिया है जो शेयर धारकों को शेयर नहीं भेज रही हैं तथा लाभांश आदि के भुगतान में चूक कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेयरधारकों के हितों की रक्षा हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत पहिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621 के अन्तर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अधिकारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत दण्डनीय कतिपय अपराधों के बारे में चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करती है। कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों को, अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में शामिल किया गया है: (1) धारा 113 की उपधारा (2) : (प्रमाण पत्रों के इशु के लिए समय की सीमा)

(2) धारा 207: (लाभांश को 42 दिनों के भीतर न बांटने पर दण्ड)

(ग) शेयरधारकों तथा अन्य निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए, सरकार ने ''निवेशक संरक्षण सैल'' स्थापित किया है जो आबंटन/अन्तरण के बाद मुख्य रूप से शेयरों/डिबेन्चरों सर्टीफिकेटों की गैर-प्राप्ति शेयर/डिबेन्चर आवेदन राशि की वापसी, लाभांश/ब्याज वारंट की गैर वापसी तथा गैर दावाकृत लाभांश आदि के गैर भुगतान से संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्रवाई करता है। ऐसी सभी शिकायतों की तत्परता से पावती भेजी जाती है और पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से इसके तत्पर निपटान के लिए संबंधित कंपनियों के साथ कार्रवाई की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग (4) के उपबन्धों के अनुसरण में एक निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि का भी गठन किया जा रहा है जिसे निवेशक की जानकारी में वृद्धि तथा निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा।

कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में इशू को और व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

कोचीन शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण

855. **श्री सुरेश कुरुप:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन शिपयार्ड में कितने जहाजों का निर्माण किया गया; और

(ख) कोचीन शिपयार्ड का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों में कोचीन शिपयार्ड लि. ने भारतीय नौवहन निगम को 93,400 डी डब्ल्यू टी का एक पोत,

पत्तन क्षेत्र को छः टग और भारतीय नौसेना को दी डॉकिंग पोन्टून निर्माण करके सुपुर्द कर दिए हैं।

(ख) सरकार कोचीन शिपयार्ड लि. को अपनी जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन करने के लिए योजनागत सहायता के जरिए मदद दे रही है। नौवीं योजनावधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि. के आधुनिकीकरण/विकास के लिए 95.00 करोड़ रु. का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। चालू वर्षिक योजना के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि. के लिए 10.00 करोड़ रु. की राशि नियत की गयी है।

'सी किंग' बेड़े हेतु संघटकों की कमी

856. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री के. येरननायडू:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण संघटकों की अत्यंत कमी ने भारतीय नौसेना के 'सी किंग' बेड़े के प्रचालनात्मक कुशलता को प्रभावित किया है तथा कल पुर्जों के अभाव में इसके 60 प्रतिशत वायुयान उड़ान के काबिल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या कारण जिम्मेदार हैं;

(ग) यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाने के प्रयासों के पश्चात् प्रतिबंधों को हटाने या उनमें ढील देने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 'सी किंग' बेड़े को प्रचालनात्मक बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स जी. के. एन. डब्ल्यू. एच.एल., यू.के. ने पोखरण-2 के पश्चात अमरीकी प्रतिबंध लगने के बाद अमरीकी फर्म द्वारा इसका लाइसेंस रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में सीकिंग हेलिकाप्टरों के लिए उत्पाद सहायता संबंधी सभी कार्यकलाप स्थगित कर दिए हैं। ऐसा होने के कारण, यू.के. की यह फर्म न तो अपेक्षित हिस्से पुर्जों की आपूर्ति कर रही है और न ही उन महत्वपूर्ण घटकों को लौटा रही है जो मरम्मत के लिए इसे भेजे गए थे।

(ग) और (घ) यह मामला यू.के. की सरकार के साथ उठाया गया था जिन्होंने यह सूचित किया था कि अमरीकी सरकार 'सीकिंग' हेलिकाप्टरों के वास्ते प्रतिबंधों में ढील देने हेतु सहमत नही हुई। यू.के. सरकार द्वारा यह मामला अमरीकी सरकार के साथ उठाए जाने के बावजूद स्थिति वैसी ही बनी हुई है।

(ङ) भारतीय नौसेना द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) अमरीकी प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित उपस्करों और हिस्सों-पुर्जों का स्वदेशीकरण शुरू करने के लिए एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना, हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, सी.ई. एम.आई, एल.ए. सी. और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(2) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना के एक संयुक्त दल ने प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित उपस्करों की संपूर्ण मरम्मत/मरम्मत के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

मिग लड़ाकू विमानों की हवा में टक्कर

857. श्री अधीर चौधरी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 16 अक्तूबर, 2000 को असम के सोनीतपुर जिले में सोलनबाड़ी वायुसेना बेस से उड़ान भरने के बाद दो मिग-21 लड़ाकू विमानों की आकाश में टक्कर हो गई;

(ख) यदि हां, तो इससे वित्तीय और वास्तविक रूप में कितनी अनुमानित हानि हुई;

(ग) क्या टक्कर के कारणों की कोई प्रारंभिक जांच कराई गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) जी, हां। दो मिग-21 लड़ाकू वायुयान दिनांक 16 अक्तूबर, 2000 को तेजपुर के स्थानीय उड़ान क्षेत्र में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान आकाश में टकरा गए थे। इस दुर्घटना में वायुयान के नष्ट होने के साथ-साथ एक उड़ान अधिकारी को घातक चोटें आयी थीं। इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए जांच अदालत बिठाने के आदेश कर दिए गये हैं तथा जांच अदालत का कार्य अभी जारी है।

परित्यक्त बोफोर्स गोले

858. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री कमलनाथ:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायपुर के धनैली में 155 मि.मि. के बोफोर्स गोले की एक खेप सड़क के किनारे एक ढाबे के पास पड़ी हुई पाई गई;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(घ) इस प्रकार की गंभीर त्रुटि के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) आयुध निर्माणियां परिवहन के लिए संविदाएं करके सड़क परिवहन के जरिए नियमित अंतरालों पर गोलों के खोलों को भरने के लिए भरण निर्माणियों को भेजती हैं। बिना किसी विस्फोटक और किसी प्रकार के खतरे से रहित गोलों के खाली खोलों का एक परेषण कानपुर से आवश्यक सुरक्षा डिपोजिट प्राप्त करने के पश्चात परिवहन ठेकेदार के माध्यम से भेजा गया था। चालक ने अपने साथ ट्रक पर चल रहे एक व्यक्ति की निगरानी में उस परेषण को छोड़ दिया और अनधिकृत रूप से चला गया।

परेषण को इस तरह छोड़ दिए जाने के बारे में सुनने पर परिवहन ठेकेदार सहित निर्माणी प्रतिनिधि उस स्थान पर पहुंचे और उस परेषण को अन्य ट्रक के माध्यम से भेज दिया। उस ठेकेदार को काली सूची में डालते हुए उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

सभी निर्माणियों को ये निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि परेषण के भेजे जाने पर तुरंत ही प्राप्तकर्ता निर्माणी को विवरणों के बारे में सूचित कर दिया जाए और उनसे परेषण की सुरक्षित प्राप्ति के बारे में यथासंभव शीघ्र पुष्टि करने को कहा जाए। इस तरीके से कम से कम विलंब के साथ प्रत्येक परेषण की प्राप्ति को क्रास-चैक करने तथा प्रत्येक परेषण पर नजर रखने के लिए एक कड़ी स्थापित की गई है।

नागर विमानन के कार्यकरण के संबंध में एन.सी.ए. ई. आर. के सुझाव

859. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नागर विमानन के भविष्यगामी कार्यकरण हेतु नेशनल काउसिंल फॉर एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने क्या सुझाव दिए हैं ; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क)नेशनल काउसिंल फॉर एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) द्वारा अपनी अध्ययन रिपोर्ट "दी फियूचर ऑफ सिविल एविशन इन इंण्या" में की गई सिफारिश के अनुसार प्रमुख नीतियां इस प्रकार हैं (1) टियर 1 और 2 सेवाओं अर्थात् प्रणुख निजी विमानन कंपनी प्रचालकों के लिए क्षेत्रीय केन्द्र में आसानी से प्रवेश, (2) टियर 3 सेवाओं में नि:शुल्क प्रवेश अर्थात छोटे विमानों/हेलीकाप्टर के लिए दूरस्थ केन्द्र (3) अन्तरदेशीय सेवाओं के प्रदाता में विदेशी विमानकंपनियों की सशर्त इक्विटी भागीदारी (4) सहायक सेवाओं में उदार निजी प्रवेश (5) प्रमुख हवाई अड्डों में निजी (विदेशी सहित) भागीदारी (6) एकाधिकार विनियम/हवाई अड्डों की लाइसेंसिंग (7) नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का युक्तिकरण/सूत्रीकरण और (8) विनियामक क्रियाविधि की पुनर्संरचना ।

(ख) सरकार एक व्यापक नागर विमानन नीति तैयार कर रही है जिसमें नागर विमानन क्षेत्र के सभी सैक्टरों को शामिल किया जा रहा है। प्रारूप नीति के निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि पर जोर दिया गया है। हवाई अड्डों और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के वित्तीय प्रक्रियाओं को देखने के लिए इकॉनामिक रेगुलेटरी अथोरिटी की स्थापना पर नीति में विचार किया गया है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के माध्यम द्वारा निजीकरण प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। दीर्घकालीन आधार पर निजी निवेशकों को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का अपेक्षाकृत अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक दूसरा कदम है।

कच्चे तेल का आयात

860. **श्री रामजीवन सिंह:**
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:
श्री मोहन रावले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार प्रतिवर्ष कच्चे तेल की कितनी मात्रा (लागत सहित) का आयात करती है और आयात से देश की कितनी प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति होती है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान रुपये के गिरते मूल्य के दृष्टिगत अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके फलस्वरूप तेल पूल उपकर का घाटा कितना बढ़ गया है; और

(घ) इससे देश में तेल के मूल्यों और देश के तेल क्षेत्र की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान 40,028 करोड़ रु. की लागत से 57.81 मिलियन मीटरीक टन कच्चा तेल आयात किया गया था, (संयुक्त उद्यम तथा निजी रिफाइनरियों द्वारा आयात सहित) जो घरेलू रिफाइनरियों की कुल आवश्यकता का 60% से अधिक है।

(ख) जैसा कि पलैट (पीएलएटीटी) द्वारा प्रकाशित किया गया है अक्तूबर 1999 से अक्तूबर, 2000 के दौरान दुबई तथा ब्रेंट (डीटीडी) के कच्चे तेल के एफओबी मूल्यों का मासिक औसत तथा अक्तूबर, 1999 में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण दी गई है। अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के गिरते हुए मूल्य ने आयातों की कीमत में वृद्धि की है।

(ग) और (घ) दिनांक 31 मार्च, 2000 को तेल पूल घाटा 6,300 करोड़ रु. था जो 31 मार्च, 2001 तक बढ़कर 23,600 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। तेल पूल घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कच्चे तेल तथा उत्पादों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में कमी के साथ-साथ नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों में ऊर्ध्वगामी संशोधन किये हैं।

विवरण

कच्चे तेल का मासिक औसत प्रकाशित (एफ ओ बी) (अवधि: अक्तूबर, 99 से अक्तूबर, 2000)

माह	कच्चा तेल (डालर/बिलियन बैरल)					
	दुबई	अक्तूबर, 99 वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	ब्रेंट (डीटीडी)	अक्तूबर, 99 में वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
अक्तूबर, 1999	21.47	—	—	22.01	—	—
नवम्बर, 1999	23.11	1.65	8 प्रतिशत	24.69	2.68	12 प्रतिशत
दिसम्बर, 1999	23.61	2.14	10 प्रतिशत	25.57	3.57	16 प्रतिशत
जनवरी, 2000	23.39	1.92	9 प्रतिशत	25.55	3.54	16 प्रतिशत
फरवरी, 2000	24.68	3.21	15 प्रतिशत	27.89	5.89	27 प्रतिशत
मार्च, 2000	25.06	3.59	17 प्रतिशत	27.26	5.26	24 प्रतिशत
अप्रैल, 2000	22.11	0.64	3 प्रतिशत	22.65	0.64	3 प्रतिशत
मई, 2000	25.75	4.28	20 प्रतिशत	27.63	5.63	26 प्रतिशत
जून, 2000	27.24	5.77	27 प्रतिशत	29.80	7.79	35 प्रतिशत
जुलाई, 2000	26.08	4.61	21 प्रतिशत	28.49	6.48	29 प्रतिशत
अगस्त, 2000	27.00	5.54	26 प्रतिशत	30.11	8.10	37 प्रतिशत
सितम्बर, 2000	29.97	8.50	40 प्रतिशत	32.73	10.72	49 प्रतिशत
अक्तूबर, 2000	30.52	9.05	42 प्रतिशत	30.91	8.90	40 प्रतिशत

स्रोत : पलैट

[हिन्दी]

दोषी अधिकारियों का स्थानांतरण

861. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या रेल मंत्री दिनांक, 24.8.2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 4711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दोषी अधिकारियों के नाम और पद क्या हैं जिनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक अधिकारी को क्या दंड दिया गया है;

(ख) क्या इन अधिकारियों का जिनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किए गए हैं, दिल्ली से हस्तांतरण कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई में पांच अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा उन पर लगाई गई शास्तियां इस प्रकार से हैं:-

1. श्री वहाजुद्दीन, प्रधान चल टिकट परीक्षक-सेवा से बर्खास्तगी
2. श्री एस. के. धर, प्रधान चल टिकट परीक्षक-संचयी प्रभाव सहित एक वर्ष के लिए एक ओहदा कम करना
3. श्री हरिसिंह, प्रधान चल टिकट परीक्षक- संचयी प्रभाव सहित एक वर्ष के लिए प्रारंभिक ग्रेड में पदावनति
4. श्री राजेश कुमार कुड, प्रधान चल टिकट परीक्षक- संचयी प्रभाव सहित पांच वर्षों के लिए दो ओहदों की कमी
5. श्री सत्यनारायण गुप्ता, प्रधान चल टिकट परीक्षक-छः माह तक वेतन वृद्धि रोकना।

(ख) जी नहीं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत केवल एक बड़ी शास्ति की सिफारिश की थी।

[अनुवाद]

हवाई जहाज के किराए में वृद्धि

862. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एयरलाइन्सों द्वारा हवाई जहाज किराए में कितनी बार वृद्धि की गई;

(ख) प्रत्येक बार हवाई जहाज किराए में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ग) किराए में बार-बार बढोत्तरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) घरेलू किराए सीमित नहीं हैं और एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक निर्णय और मार्किट के उतार-चढ़ाव के अनुरूप किराया तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा घरेलू किरायों में वृद्धि नीचे दी गई है:-

वर्ष 1997

पूर्वोत्तर क्षेत्र में- 105 प्रतिशत

भारत के शेष क्षेत्रों में - (1) 700 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में -14.0 प्रतिशत

(2) 700 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रों में -10.5 प्रतिशत

वर्ष 1998

कैटेगरी-2 मार्ग

(इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अण्डमान व निकोबार, लक्ष्यद्वीप समूह आदि राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग) - शून्य

भारत के शेष भाग-11.2 प्रतिशत

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय किरायों का संबंध है, विभिन्न एयरलाइनों द्वारा पिछले तीन सालों के दौरान बढ़ाए गए किराए का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया है।

(ख) ईंधन लागत सहित प्रचालनों की लागत में बढ़ाने से किरायों में वृद्धि हुई है।

(ग) चूंकि अन्तर्देशीय किरायों में वृद्धि को विनियमित नहीं किया गया है इसलिए इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय किरायों का संबंध है, भारत सरकार की नीति अन्तरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (आयमाटा) द्वारा किए गए किरायों के निर्णय के साथ है जहां सभी एयरलाइनें भाग लेती हैं और किरायों आदि में वृद्धि के लिए एक मत संकल्प पारित करते हैं। सभी देशों द्वारा इन आयटा संकल्पों को स्वीकार किया जाता है।

विवरण

देश	को किराया वृद्धि
1	2
जापान	1.4.97
टीसी 1	1.4.97, 16.9.99
कनाडा	12.4.97, 8.4.98, 1.11.98, 31.10.99, 1.5.2000
कनाडा से पैसिफिक को होते हुए	8.4.98, 1.11.98, 1.5.2000
यूएसए से पैसिफिक	1.6.97
कनाड़ा और यूएसए को छोड़कर सभी देश	1.4.2000
यू एस-2 और कनाडा को छोड़कर पैसिफिक से होते हुए सभी देशें को	1.4.2000
कनाडा को छोड़कर एरिया	1.10.2000
कनाडा को छोडकर पैसिफिक से होते हुए उत्तरी अमेरिका/कैरिबियन को	1.10.2000
पैसिफिक से होते हुए मध्य/उत्तरी अमेरिका को	1.10.2000
हांककांग/फिलिपाईन्स/वियतना को छोड़कर	15.4.97
टीसी-3	
फिलिपाईन्स, ताइवान और वियतनाम	16.9.99
ताइवान	20.10.99
फिलिपाईन्स	16.11.99, 1.8.2000
अफ्रीका	15.4.97, 7.5.98, 1.4.2000
मिडिल ईस्ट	1.6.99, 1.4.2000
यूरोप	16.6.99, 1.12.99, 1.4.2000
कोरिया	1.4.2000
दक्षिण पूर्वी एशिया, गुआम, हागंकांग, इडोनेशिया, फिलिपाइन को छोड़कर	1.4.2000
ताइनवान, थाईलैंड और वियतनाम	
बम्बई चैन्नै से बैंकाक छोड़कर थाईलैण्ड	1.4.2000
मुम्बई से बैंकाक के लिए	1.4.2000

1	2
चैन्नई से बैंकाक के लिए	1.4.2000
गुआम	1.4.2000
हांगकागं एस.ए.आर.	1.4.2000, 1.5.2000
इंडोनेशिया	1.5.2000
दक्षिण पश्चिम पैसिफिक	1.4.2000

टी.सी.1-टैरिफ कांफ्रेंस क्षेत्र 1
टी.सी. 3-टैरिफ कांफ्रेंस क्षेत्र 3
क्षेत्र 1-उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका
क्षेत्र 3-भारतीय उपमहाद्वीप से आस्ट्रेलिया।

फील्ड गन फैक्ट्री में निम्नस्तरीय गन बैरलों का निर्माण

863. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर मेन बैटल टैंक टी-72 हेतु 125 एम.एम. वाले निम्नस्तरीय गन बैरलों के निर्माण की दोषी पाई गई है और जिसके परिणामस्वरूप लगभग 52 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जैसी कि 16 सितंबर 2000 को 'हिंदुस्तान' में एक खबर छपी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी घटना फिर से न होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) आयुध निर्माणियों में 1980 के दशक के मध्य में सहयोगियों (पूर्व सोवियत संघ) की प्रौद्योगिकी पद्धति के अनुरूप तथा उनके विशेषज्ञों की देख-रेख में टी-72 टैंक की 125 मि.मी. गन बैरलों का देश ही में निर्माण शुरू कर दिया गया है। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में जो भी परिवर्तन किए गए थे वे सहयोगियों के परामर्श से किए गए थे।

अब तक बैरलों की विफलता के 45 मामले सामने आए हैं। इनमें 23 अदद आयातित मूल (1980 के दशक के आरंभ में आयातित) के तथा 22 अदद स्वदेशी निर्माण के शामिल हैं।

इस मामले के रूसी विशेषज्ञों के सहयोग से जांच पड़ताल की गई है। विफलता के संभावित कारणों की पहचान बैरलों के धातुकर्मीय संघटन में विरल तत्वों की मौजूदगी तथा ताप प्रदान करने के लिए तापमान में कमी के रूप में की गई है।

पर्याप्त सावधानी के रूप में, कम तापमान पर ताप प्रदान किए गए 559 बैरल पहले से ही फील्ड यूनिटों के पास 62 बैरलों सहित विस्तृत जांच पड़ताल के लिए अलग कर दिए गए हैं।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय, आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और मिश्र धातु निगम के विशेषज्ञों वाली एक समिति विफलता के कारणों की पहचान करने के लिए न केवल ताप प्रदान करने संबंधी तापमान की दृष्टि से बल्कि धातुकर्मीय पहलुओं का भी गहन अध्ययन कर रही है। अब तक एक विशिष्ट धातुकर्मीय संघटन तथा 500° डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ताप प्रदान किए गए, जुलाई और सितंबर, 2000 के बीच पूर्ण उपयोगिता अवधि के लिए फायर-परीक्षण किए गए 3 बैरल नमूना फायरिंग में सफल रहे ।

रसोई गैस कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची

864. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री मुद्रागाडा पद्मनाभम्:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1999 की तिथि के अनुसार देशभर में रसोई गैस कनेक्शन की समूची प्रतीक्षा सूची निपटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रसोई गैस कनेक्शन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मांग पर तुरन्त उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार कितने आवेदन निपटा दिए गए और कितने लंबित हैं;

(ङ) सभी लंबित आवेदनों के कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार रसोई गैस कनेक्शन ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराने का है; और

(छ) यदि हां, तो रसोई गैस कनेकशन हेतु अब तक कुल कितने गांवों को शामिल कर लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (छ) पूरे देश में एलपीजी कनेक्शनों के जारी किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी वितरकों के पास लंबित प्रतीक्षा सूची 1.10.2000 को निपटा दी गई थी। फिलहाल एलपीजी कनेक्शन देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वितरकों से मांग पर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने मैदानी क्षेत्रों में 30 कि.मी. की दूरी तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 कि.मी. की दूरी तक विस्तार पटल मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा खोले जाने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

865. श्री अरुण कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रेलवे में समूह क, ख, ग और घ के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनकी प्रतिनियुक्ति हेतु क्या मानदंड अपनाये गए हैं; और

(ग) ऐसे सभी कर्मचारी किन-किन रेलवे जोनों से हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) रेलों पर प्रतिनियुक्ति के मामलों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथा निर्धारित मानदण्डों का ही अनुसरण किया जाता है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में गैस आधारित उद्योग

866. श्री समर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र का गैस आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) त्रिपुरा राज्य में विद्यमान गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से अधिक त्रिपुरा राज्य विद्युत विभाग द्वारा रोखिया और बारामुरा में 21-21 मेगावाट क्षमता की दो और विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

867. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने की रीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (रा.न्या.वे.आ.) ने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 1999 में प्रस्तुत की थी। न्यायिक अधिकारियों से संबंधित विषय जिनमें उनकी सेवा की शर्तें भी सम्मिलित हैं, मूल रूप से राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों से संबंधित हैं। आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों

को भेजी हैं। सिफारिशों की जहां तक वे केंद्रीय सरकार से संबंधित हैं अर्थात् केवल संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है समीक्षा की जा रही है। सिफारिशें जो राज्य सरकारों से संबंधित हैं, उनकी राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा की जा रही है।

उच्चतम न्यायालय भी रिट याचिका सं. 1022/1989- अखिल भारतीय न्यायाधीश संगम बनाम भारत संघ के मामले में, रा.न्या.वे.आ. की रिपोर्ट के क्रियान्वयन को मानीटर कर रहा है। भारत के उच्चमत न्यायालय की रजिस्ट्री ने, तारीख 25.7.2000 के पत्र द्वारा, राज्य सरकारों को सहबद्ध करने के पश्चात् आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार से अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा था। तदनुसार अधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों के सार के साथ एक प्रति-शपथपत्र भारत के उच्चतम न्यायालय में फाइल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का बंद होना

868. डा. बलिराम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्थित बंद किए गए पेट्रोल, डीजल पंप स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से कितने पुन: शुरू किए गए हैं; और

(घ) सरकार ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल विक्रेताओं द्वारा मिलावट युक्त तेल बेचने पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा निम्नलिखित खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया:

क्रम सं.	डीलर का नाम	समाप्त करने की तारीख	कारण
1.	यूनाइटेड इंजीनियर्स, नेहरू प्लेस, दिल्ली	21.07.99	यू एल पी नमूने का फेल होना और वितरण यूनिट में अतिरिक्त फिटिंग कराना।
2.	प्रकाश मोटर्स, कन्नौज, उत्तर प्रदेश	11.06.99	स्नेहक तेल के बकायों का भुगतान न करना।
3.	हापुड़ फिलिंग स्टेशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	14.10.99	बेनामी प्रचालन।
4.	आगरा विकास मण्डल निगम, आगरा, उत्तर प्रदेश	15.10.99	1995 से शून्य बिक्री।
5.	बालाजी फिलिंग स्टेशन, जागनेर, उत्तर प्रदेश	3.12.99	बेनामी प्रचालन।
6.	प्राइम प्रोडक्टस, कानपुर, उत्तर प्रदेश	3.01.2000	डीलर ने त्याग पत्र दे दिया।
7.	किसान फिलिंग स्टेशन, रुद्रपुर, उत्तर प्रदेश	31.3.2000	एचएसडी नमूने का फेल होना।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन ने मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, दिल्ली के एक खुदरा बिक्री केन्द्र को कंपनी के स्वामित्व में कंपनी द्वारा प्रचालित (सीओसीओ) आधार पर पुन: चालू किया है।

(घ) स्वचालित वाहनों के ईंधनों अर्थात मोटर स्प्रिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल में नाफ्था, विलायक, राफिनेट और स्लाप जैसे अपमिश्रकों की मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अंतर्गत 5 जून, 2000 को विलायक, राफिनेट और स्लाप (अर्जन, बिक्री, भण्डारण और स्वचालित वाहनों में प्रयोग का निषेध) आदेश 2000 और नाफ्था (अर्जन बिक्री, भण्डारण और स्वचालित वाहनों में प्रयोग का निषेध) आदेश, 2000 का प्राख्यापन किया है।

इसके अलावा तेल कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों की रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करती हैं। इसके अलावा कदाचारों की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियां अपने आप और सरकार के निर्देश के तहत समय-समय पर विशेष अभियान चलाती हैं। इसके अलावा मिलावट की रोकथाम करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण पद्धति) को नीला रंगने, फर्फरल डोपिंग करने, फिल्टर पेपर परीक्षण, चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण आदि जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गैर-आईएसआई छोटे गैस सिलिंडरों का विनिर्माण

869. श्री मंजय लाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाना पकाने और रोशनी के लिए छोटे गैस सिलिंडरों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों में परीक्षण सुविधाओं का होना लाइसेंस देने की अनिवार्य शर्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे सिलिंडरों का विनिर्माण करने वाली कई गैर-लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्रियां विशषतया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान छोटे गैस सिलिंडरों के फटने से कई व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में जानकारी है; और

(घ) देश में गैर-आईएसआई छोटे गैस सिलिंडरों के विनिर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) लघु सिलेंडर विनिर्माताओं को सी सी ओ ई से अनापत्ति प्रमाणपत्र और बी आई एस से प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां सी सी ओ ई और बी आई एस से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त अनुमोदित सिलेंडर विनिर्माताओं से सिलेंडर प्राप्त कर रही है। तेल उद्योग लघु सिलेंडर प्राप्त नहीं करता। तथापि, इस मंत्रालय को मेरठ (उ.प्र.) में लघु सिलेंडरों के अवैध निर्माण के बारे में कुछ शिकायतें मिली और राज्य सरकार को अवैध विनिर्माताओं के परिसरों पर औचक छापा मारने और उपयुक्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था।

तालचेर-सुकिन्दा रोड-जयपुर रोड रेल लाइन का निर्माण

870. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे "बी ओ एल टी" योजना के अधीन तालचेर-सुकिन्दा रोड-जयपुर रोड रेल लाइन के निर्माण की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को अपनाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय जूट निगम में वित्तीय संकट

871. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.जे.एम.सी./सरकार द्वारा धन निर्गत न किए जाने के कारण भारतीय जूट निगम को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) चालू मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन प्रचालन शुरू करने के लिए इस समय भारतीय पटसन निगम किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है। निगम को उसके बैंकरों से ऋण प्राप्त करने के लिए मार्जिन धनराशि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 33 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान की गई है। यह बैंक गारंटी 31.3.2000 तक वैद्य है। मंत्रालय ने इस वर्ष पहले से ही 25 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। एन.जे.एम.सी. से भारतीय पटसन निगम को देय बकाया राशि के संबंध में एन.जे.एम.सी. ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 6 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।

इण्डियन एयरलाइन्स और एलाइन्स एयर से वायुयानों का हटाया जाना

872. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छ: महीनों के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स और एलाइन्स एयर से कितने वायुयान उड़ानों से हटा लिए गए हैं;

(ख) वर्तमान में इण्डियन एयरलाइन्स के पास कितने वायुयान बचे हैं;

(ग) क्या शेष बेड़ा यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) एक एयरबस ए-300 बी-2 विमान वी.टी-ई.डी डब्ल्यू. को सेवा से 9 अक्तूबर, 2000 से हटा लिया गया है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स के पास 55 हवाई जहाजों का एक बेड़ा है। भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए क्षमता पर्याप्त नहीं है।

(घ) तत्काल क्षमता की आवश्यकता के लिए इंडियन एयरलाइन्स पांच बी-737-200 और दो ए-320 विमानों को ड्राई लीज के आधार पर प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइन्स का एयर इंडिया से 3 ए- 300 बी 4 विमानों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

न्यायिक सुधार

873. **श्री सुरेश चंदेल:**
श्री रामशकल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की न्यायिक प्रणाली को सरल बनाने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) न्यायिक सुधार कार्यक्रमों को किस तरह से वित्त-पोषित और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) देश की न्यायिक प्रणाली को जो अनवरत और अविछिन्न प्रक्रिया है, सुव्यवस्थित करने का काम सरकार और न्यायपालिका, दोनों का है। विधि आयोग, मलिमथ समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर, सरकार, प्रक्रिया को सरल बनाने और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनेक कदम उठाती रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के विषय मे अनेक सिफारिशें की हैं। मलिमथ समिति की सिफारिश के अनुसरण में बकाया मामलों को कम करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कदम उठाए गए हैं। अन्य उपायों में न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना, विशेष न्यायालयों, अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति विवादों के समाधान की वैकिल्पक माध्यस्थम् और सुलहकारी जैसी पद्धतियों को अपनाया जाना भी सम्मिलित है। विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों को एक अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के माध्यम से जिला न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके अधीन जून, 2000 तक 372.66 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, विनिर्दिष्टत: जिला न्यायालयों तथा इसके अधीनस्थ न्यायालयों में काफी समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए, अगले पांच वर्षों में 1.734 अतिरिक्त न्यायालयों के सृजन के लिए सरकार द्वारा 502.90 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गई है। ये अतिरिक्त न्यायालय सेशन के और अन्य दांडिक मामलों के विचाराधीन कैदियों के मामलों का, प्राथमिकता देते हुए, निपटान करेंगे।

हथकरघा सहकारी सोसाइटियों द्वारा उत्पादन

874. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हथकरघा सहकारी सोसाइटियों तथा उनके औसतन उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) हथकरघा उद्योग क्षेत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई वस्त्र नीति के अंतर्गत क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) विभिन्न राज्य सरकारों में लगभग 23,115 प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं। भारत सरकार राज्य-वार सहकारी समितियों के औसत उत्पादन का हिसाब नहीं रखती है।

यद्यपि, नवीनतम हथकरघा जनगणना के अनुसार घरेलू हथकरघा का औसत उत्पादन प्रतिदिन प्रति बुनकर 3.66 मीटर है।

(ख) नई वस्त्र नीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवता चेतना का सर्जन, कच्ची सामग्री आधार को सुदृढ़ करना, उत्पाद विविधता को प्राप्त करना, नवीन विपणन कौशल को अपनाना, अधिकतम सीमा तक रोजगार के अवसरों को बढ़ाना तथा एकीकृत मानव संसाधनों का विकास है। भारत सरकार ने उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु एक नई स्कीम, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना आरंभ की है।

बिहार में सूर्य मन्दिर का विकास

875. **डा. संजय पासवान:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य बिहार में पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालंदा स्थित प्राचीन सूर्य मंदिरों का "बुद्ध सर्किट" की तर्ज पर "सन टेम्पल सर्किट" बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "छठपर्व" के रूप में सूर्यदेव की पूजा होती है जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग भाग लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से इन प्राचीन सूर्य मन्दिरों का कोणार्क मन्दिर की तर्ज पर विकास करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा और नालन्दा स्थित सूर्य मंदिरों को केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीजल घोटाला

876. **श्री आर.एस. पाटील:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** डीजल घोटाला के बारे में 27 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 856 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गांधीनगर, गुजरात में 23 मई, 2000 को एक मामला दर्ज किया है। जांच प्रगति पर है।

नागर विमानन अकादमी

877. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दूसरी नागर विमानन अकादमी को स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विमानन संबंधी किसी प्रवर समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या हैदराबाद स्थित अकादमी वर्ष में अधिकतर अप्रयुक्त रहती है;

(घ) क्या सरकार को नई अकादमी को स्थापित करने की बजाए मौजूदा अकादमी का उन्नयन करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे अभ्यावेदनों की अनदेखी की है और नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण

878. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना का काम कब तक शुरू होने की संभावना है और उसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) स्टेशन के पुनर्निर्माण से समायोजित हो सकने वाले यात्रियों की संभावित संख्या का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एक एकीकृत अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

सामान का वर्गीकरण न होने के कारण राजस्व हानि

879. श्री रघुनाथ झा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग को सामान का उचित वर्गीकरण न होने और निर्यात मदों, आदि पर अस्वीकार्य छूट देने के कारण राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इससे कुल कितने राजस्व की हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं, यहां राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि रेलवे निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मालभाड़े की वसूली करती है। किसी पण्य का वर्गीकरण सरकार द्वारा मालभाड़े का एक विशेष स्तर वहन करने की इस पण्य की क्षमता के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्रांस में पर्यटन मेला

880. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फ्रांस में आयोजित पर्यटन मेले में किन-किन 'टूर आपरेटरों' ने भाग लिया;

(ख) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को अपने मंडपों की स्थापना के लिए कितना स्थान आवंटित किया गया और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आवंटित स्थान कितना अधिक था;

(घ) इस मेले के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन का विकास करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जिन-जिन यात्रा प्रचालकों ने 'टाप रेसा' में भाग लिया था, उनके नाम पर प्रकार हैं:-

(1) सीता वर्ल्ड ट्रेवल

(2) ईस्ट विंड हॉलीडेज

(3) स्वागतम टूर्स

(4) मंगलम टूर्स

(5) इंडिया विजन टूर्स

(6) यू वी आई हॉलीडैज

(7) पैराडाइज हॉलीडैज

(8) आरिएन्ट एक्सप्रेस

(9) डिस्कवर इंडिया टूर्स

(10) ट्रैवलाइट इंडिया

(ख) और (ग) टाप रेसा 2000 आयोजन के दौरान इंडिया स्टैण्ड 36 वर्ग मीटर में बना था जब कि पिछले वर्ष यह 24 वर्ग मीटर में था। इस स्थान की बुकिंग तथा वहां पर स्टाल लगाने में 11 लाख रुपये व्यय हुए। इस आयोजन में शामिल होने वाले दस भारतीय यात्रा प्रचालकों ने 45,000 रु. प्रति भागीदारी के हिसाब से 4.5 लाख रुपयों का योगदान किया।

(घ) इस आयोजन के दौरान भारत को प्रमुखता देने के प्रति फ्रेंच ट्रेड की भूमिका काफी सकारात्मक रही । इस आयोजन में शामिल हुए भारतीय यात्रा प्रचालन भी अपने व्यावसायिक वार्तालाप से संतुष्ट हुए। किंतु निजी यात्रा प्रचालकों ने इस आयोजन में कोई व्यावसायिक कार्य नहीं किया।

(ङ) और (च) सरकार, इस तरह के मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेकर विपणन आवश्यकता अनुसार भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देती रहेगी।

[अनुवाद]

शोलापुर-पकनी रेल लाइन का दोहरीकरण

881. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या रेल मैंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शोलापुर-पकनी के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण के कार्य को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा लाइन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं, सोलापुर पकनी खण्ड पर यातायात अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है कि खण्ड का दोहरीकरण किया जाए। अत: इस समय सोलापुर तथा पकनी के बीच लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव पर रेलों द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा रावी के जल प्रवाह को भारत की ओर मोड़ना

882. श्री गुद्दा सुकेन्दर रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान ने रावी नदी पर एक तटबंध का निर्माण किया है जिससे कि नदी का बहाव भारत की ओर मुड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत-पाक सीमा पर तैनात भारतीय सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) पाकिस्तान द्वारा हमारे अमृतसर/गुरदासपुर जिलों से लगते अपनी ओर के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपायों के तौर पर रावी नदी पर कई तटबंधों का निर्माण किया गया है। यद्यपि इससे नदी के प्रवाह में कोई बड़ा मोड़ नहीं आया है तथापि इन तटबंधों के निर्माण से इस नदी का जल भारतीय क्षेत्र की ओर आ सकता है जिससे भारी बाढ़ आने पर हमारी सीमा चौकियों और सुरक्षा बंधों/तटबंधों को खतरा हो सकता है।

पाकिस्तान द्वारा निर्मित तटबंधों के असर से बचने के लिए सरकार ने भारत-पाक सीमा पर रावी और सतलुज नदियों पर बाढ़ बचाव तटबंधी संबंधी उपचारात्मक निर्माण कार्यों हेतु एक समिति गठित की है। पंजाब सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किए जा रहे बचाव निर्माण कार्यों के अतिरिक्त संघ सरकार द्वारा भी इस समिति की सिफरिशों के अनुरूप बचाव निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

काठमांडू से उड़ान भरने वाले विमानों की रक्षा

883. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काठमांडू के लिए अपनी आईसी 814 की उड़ान पुन: शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या काठमांडू से उड़ान भरने वाले विमानों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स ने नेपाल के नागर विमानन प्राधिकारियों के साथ काठमांडू से उड़ने वाली इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता किया है। समझौते में निम्नलिखित सम्मिलित है:-

1. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भूमि पर विमान पर आसान नियंत्रण।

2. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सभी विशेष प्लेटफार्मों पर यात्रियों तथा उनके (हैंड बैग) सामान की लेडर प्वाइंट जामातलाशी।

3. सामान मेक-अप क्षेत्र में जांच किए सामान की दुबारा एक्स-रे से छानबीन ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों का प्रस्ताव

884. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्ष 2002 से पहले पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रण मुक्त करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों ने अपने पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रत्यक्ष विपणन अधिकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के विषय में नवम्बर, 1997 में निर्णय लिया था। इसके अनुसार पेट्रोलियम क्षेत्र का अप्रैल, 2002 से आगे पूर्ण नियंत्रण मुक्ति का कार्यक्रम है। पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन की अनुमति हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

रेनिगुंटा में सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला का कार्यकरण

885. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूपति के समीप रेनिगुंटा से सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला अपनी पूर्ण स्वीकृत क्षमता के साथ काम कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कार्यशाला का पूरा उपयोग करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं, रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पद परिचालित किए जाते हैं।

(ग) इस समय रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार कारखाने की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा उत्पादकता में सुधार करने तथा अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने के लिए इस कारखाने में प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सबानायगम समिति की रिपोर्ट

886. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निधि कंपनियों के मामले में सबानायगम समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने सबानायगम समिति की उक्त रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) क्या सरकार को निधि कंपनियों के मामले में सबानायगम समिति की रिपोर्ट की समीक्षा किए जाने के लिए निधि कंपनियों के उच्चतम निकाय 'द चैम्बर आफ निधिज' की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सबानायगम समिति रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है:-

(1) निधि कंपनियों की परिभाषा;

(2) कम से कम 500 सदस्यों के साथ अन्तरिम न्यूनतम प्राधिकृत पूंजी 25 लाख रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 10 लाख रुपये की आवश्यकता;

(3) शुद्ध स्वामित्व वाले फंडों का निक्षेपों से स्थापना अनुपात 1:20;

(4) निधियों के फंडों के प्रविस्तार के लिए विवेकयुक्त मानक;

(5) अपराधी कंपनियों के संबंध में शास्तिक उपबंध;

(6) अधिनियम प्राधिकरण की बृहत पर्यवेक्षी भूमिका;

(7) ब्याज और लाभांश पर सीलिंग;

(8) अधिमानी शेयरों के निर्गम पर रोक;

(9) शाखाएं खोलने पर प्रतिबंध;

(10) किसान विकास पत्र और एन एस सी आदि फंडों के प्रविस्तार के लिए बढ़ते हुए अवसर।

(ख) से (ङ) निधियों के चैम्बर ने दिनांक 29.9.2000 को सरकार को प्रस्तुत की गई सबानायगम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर 15 नवम्बर, 2000 तक अपने सुझाव/विचार भेजने के लिए अनुरोध किया है। निधियों के चैम्बर और व्यावसायिक निकायों से सभी सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद सरकार के विचारों को अनंतिम रूप दिया जाएगा।

अंसल कंपनी द्वारा अग्रिम राशि का वापस न किया जाना

887. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में टाल्सटाय मार्ग स्थित अंसल कंपनी ने सरकार की नीति के अनुसार कमजोर तबके के लोगों को गुडगांव में प्लाटों के आवंटन हेतु मार्च, 1999 में आवेदन मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या प्लाटों के ड्रा के एक साल बाद मार्च, 2000 में किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कंपनी ने असफल आवेदकों की अग्रिम राशि अभी तक नहीं लौटाई है और इसे बिना ब्याज के अपने पास रखा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गरीब लोगों के धन की वापसी हेतु कंपनी पर दबाव डालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इस तरह की चूक के लिए कंपनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) इस विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अंसल टालस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली ने सरकार की नीति के अनुसार कमजोर वर्ग को गुड़गांव में प्लाटों के आबंटन के लिए मार्च, 1999 में आवेदन आमंत्रित किए थे और ड्रा एक वर्ष के बाद मार्च, 2000 में किया गया था।

(ग) और (घ) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कंपनी ने असफल प्रार्थियों की अग्रिम राशि अभी तक नहीं लौटायी है और बिना ब्याज के उस राशि को अपने पास रखा हुआ है। इस बारे में विभाग में ऐसी कोई शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई है। तथापि, महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) के कार्यालय में श्री अनिल कुमार से प्रधान मंत्री के कार्यालय के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अंसल बिल्ड वैल लिमिटेड के पास एक प्लाट के आबंटन के लिए 1200/ रुपये की राशि जमा करायी थी लेकिन कंपनी ने उसकी पावती नहीं भेजी थी और उनको अपने आवेदन की पंजीकरण संख्या पता नहीं थी। मामले को अंसल बिल्डबैल के साथ उठाया गया था जिन्होंने सूचित किया कि आवेदन हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुसार इ डब्ल्यू एस के अन्तर्गत आमंत्रित किए गये थे और प्लाट के आबंटन के लिए लॉट का ड्रा हुडा के निदेशक के द्वारा दी गई तारीख के अनुसार 28.4.2000 को किया गया था। योजना के नियम व शर्तों के अनुसार असफल प्रार्थियों को आवेदन राशि का भुगतान ड्रा की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित था। कम्पनी ने शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि का भुगतान चैक सं.- 5300084 दिनांक 26 जून, 2000 के द्वारा किया गया था। परिस्थितियों के अन्तर्गत शिकायत पर कोई आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ङ) और (च) चूंकि विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अन्त: कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा बजट की अप्रयुक्त राशि

888. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना के 1999-2000 के बजट में से 800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च ही नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रक्षा-नियोजन को सुसमायोजित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा रक्षा योजना को योजना अवधि के पहले वर्ष में अंतिम रूप दिया गया था।

हिन्दी में न्यायपालिका संबंधी पुस्तकें

889. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यायपालिका से संबंधित अंग्रेजी के समतुल्य शब्दों और वाक्यांशों के सही प्रयोग हेतु हिन्दी में मानक पुस्तकें प्रकाशित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तकें कब तक प्रकाशित कर दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जहां तक न्यायपालिका में विधि शब्दों और वाक्यांशों के सही उपयोग के लिए हिन्दी में एक मानक पुस्तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, सरकार वर्ष 1970 में "विधि शब्दावली" नामक एक मानक पुस्तक पहले ही प्रकाशित कर चुकी है। इसका नवीनतम संस्करण वर्ष 1992 में प्रकाशित किया गया है।

कर्नाटक द्वारा हम्पी के लिए पर्यटन विकास योजना

890. **श्री कोलूर बसवनागौड़:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने हम्पी में पर्यटन विकास हेतु केन्द्र सरकार को योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले हिस्से का अनुपात क्या है;

(घ) क्या हम्पी के विकास का दायित्व कुछ विदेशी एजेंसियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) पर्यटन अवसंरचनाओं का विकास मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ शसित राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, उनसे विचार-विमर्श के बाद, प्राथमिकता-प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद, हम्पी में 83.00 लाख रुपयों की केन्द्रीय सहायता से दो परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सीधी कार्गो उड़ानों के लिए प्रस्ताव

891. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास हैदराबाद हवाई अड्डे से सीधी कार्गो उड़ानों शीत भण्डार सुविधाओं तथा संगरोग सुविधाओं संबंधी प्रस्ताव लम्बे समय से मंजूरी के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारत से कार्गो उड़ानों के लिए मुक्त आकाश नीति के अनुसार कोई भी एयर लाइन उन हवाई अड्डों से कार्गो उड़ाने प्रचालित कर सकती है जहां सीमा शुल्क/आव्रजन सुविधाएं उपलब्ध हैं। शीत भण्डारण सुविधा के लिए, कच्चे माल के निर्यात के लिए 165 लाख रुपये (भूमि की कीमत को छोड़कर) की पूंजीगत लागत से हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक अत्याधुनिक केन्द्र पहले ही गठित किया जा चुका है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने इस सेन्टर को प्रचालन, प्रबंधन और रख-रखाव का कार्य सौंपने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्राप्त बोलियों की जांच पड़ताल कर रही है।

[हिन्दी]

इंटर लॉकिंग सिस्टम

892. **श्री राजो सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रेल पटरियों के लिए विभिन्न इंटरलॉकिंग सिस्टम अपनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुरानी और ग्रेड एक प्रणाली के स्थान पर उक्त प्रणाली अपनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोटा-बीना रेल लाइन को कब तक इस प्रणाली में शामिल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जोनवार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) धनराशि की उपलब्धता और यातायात आवश्यकताओं पर आधारित मानक-1 अंतर्पाशन प्रणाली का अपग्रेडेशन शुरू किया गया है।

(घ) मानक-1 अंतर्पाशन से अपग्रेडेशन के लिए यातायात सुविधा कार्य की प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण -2 में दिए गए हैं।

(ङ) यातायात के परिलक्षित और मौजूदा स्तर के लिए कोटा-बीना खंड (25 अंतर्पाशित स्टेशनों) पर अंतर्पाशन की प्रणाली पर्याप्त प्रतीत होती है, अत: इस समय बीना-कोटा खंड पर अंतर्पाशन की प्रणाली में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है।

विवरण-1

अंतर्पाशन का मानक

जोन-वार (स्टेशनों की संख्या)

क्र.सं.	विवरण	म.रे	पू.रे.	उ.रे.	पूर्वो.रे.	पू.सी.रे.	द.रे.	द.म.रे.	द.पू.रे.	प.रे.	भारतीय रेल
1.	मानक-3	557	484	680	254	232	433	488	589	532	4229
2.	मानक-2	-	-	23	-	1	16	-	6	35	81
3.	मानक-1	52	69	329	132	75	183	157	76	228	1301
4.	रुडिमेटरी	46	34	63	102	34	15	28	41	96	459
	जोड़	655	587	1095	488	342	647	673	712	891	6090

विवरण-2

यातायात सुविधा योजना शीर्ष के अंतर्गत रेलवे-वार कार्य प्रगति पर है

दक्षिण रेलवे

आमान परिवर्तन/दोहरीकरण कार्यों सहित 57 स्टेशनों पर सिगनलिंग प्रणाली के मानक-1 का मानक-3 में अपग्रेडेशन

दक्षिण मध्य रेलवे

आमान परिवर्तन कार्यों सहित 8 स्टेशनों पर सिगनलिंग के मानक-1 का मानक-3 में बदलाव

दक्षिण पूर्व रेल

एक स्टेशन पर सिगनलिंग के मानक-1 का मानक-3 में बदलाव।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान

893. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठा रही है ताकि सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान को दुगना किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू सकल उत्पाद में पर्यटन उद्योग के वर्तमान योगदान का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पर्यटन उद्योग का विकास करने और सकल घरेलू

उत्पाद में इसकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) होटलों को उन मदों को आयात करने की अनुमति है जो विदेशी मुद्रा आय के 25% तक नकारात्मक सूची के अंतर्गत नहीं हैं और यात्रा प्रचालक, यात्रा अभिकर्ताओं और रेस्तराओं को प्रोत्साहन कोटा के अंतर्गत 10% तक की अनुमति है।

(2) पर्यटन एककों जिन्हें निर्यात गृह का दर्जा दिया गया है, को बैंक गारंटी के स्थान पर कानूनी आश्वासन देने की अनुमति है।

(3) नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के लिए, 227.08 करोड़ रु. राशि की 1018 परियोजनाएं विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों में पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वीकृत की गई हैं।

(4) सरकार अपने विदेश स्थिति 18 कार्यालयों के माध्यम से प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार करके, यात्रा मेलों में भाग लेकर, मीडिया और यात्री अभिकर्ताओं को आमंत्रित करके, पर्यटन संवर्धन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा भारत का संवर्धन करने के लिए विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है।

(5) पर्यटक सेक्टर में निजी निवेशक को प्रोत्साहित करना।

(ग) सकल घरेलू उत्पाद के लिए पर्यटन उद्योग का मौजूदा योगदान 1% से कम है।

[हिन्दी]

कपास का खरीद मूल्य

894. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कपास उगाने वाले किसानों को उनकी फसलों को हुए नुकसान के कारण इस वर्ष बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में कुछ किसानों ने इसी कारण आत्महत्या कर ली;

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कपास एकाधिकार खरीद योजना के अंतर्गत घोषित खरीद मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का और खरीद मूल्य में संशोधन करने हेतु महाराष्ट्र सरकार को सलाह देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में इस प्रकार की किसी घटना के बारे में न ही महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है और न ही भारत सरकार को इसकी जानकारी है।

(ग) कपास मौसम 2000-2001 के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार की एकाधिकार अपरिष्कृत कपास अधिप्राप्ति योजना के अंतर्गत कपास की प्रस्तावित गार्ंटी शुदा कीमतें निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	किस्म	श्रेष्ठ	औसतन अच्छी	अच्छी क्वालिटी	कबाड़ी
1	2	3	4	5	6
लंबे रेशे वाली					
1.	डीसीएच-32/वरलक्ष्मी	1950	1900	1700	650
2.	लक्ष्मी ''ए'' आरएचएच 259/एमओएच 4/निमकार/निमकार-101/कंबोडिया/(व.लक्ष्मी)	1750	1700	1500	650
3.	एच4/एमसीएच-5/निमकार-391 क्रांति/एच 6/गोदावरी/एनडीएच-1/जी60 (एच. फाऊंडेशन सीड) एमईसीएच-1 व 4	1875	1825	1625	650

1	2	3	4	5	6
मध्यम रेशे वाली					
4.	एलआरए-5166/एनसीएमएचएच-302/अजीत	1740	1700	1500	650
5.	1007/डीएचवाई-468/राजहंस/सोमनाथ एमसीएच-2/शिवनाथ/जगन्नाथ/एच-8/अंकुर-55, शक्तिनाथ	1740	1700	1500	650
6.	एल-147/एएचएच-468/जेकेएचवाई-1/एलआरके-516/एकेएच-081/पीएच-93/अबादिता/सीएनएच-36	1690	1650	1450	650
7.	एनएचएच-44 (विदर्भ)	1615	1575	1375	650
8.	एनएचएच-44 (मराठवडे व खंदेश)	1590	1550	1350	650
छोटे रेशे वाली					
9.	एके-235 व 237/एकेएच-4/ज्योति/विरनार/वाई-1 एकनाथ/पीए 32/एच-2/081/रोहिणी/एसए-48 (पूर्णिमा/एएच-239/एकेए-8401/एकेएच-5/पीएच-141)	1575	1550	1350	650
10.	दिग्विजय/एसआरटी-1/जयधर/गौरानी-22/4616/197-30/सीजे-(संजय/जरिल्ला)	1540	1515	1315	650

(घ) से (च) महाराष्ट्र में राज्य सरकार की अपरिष्कृत कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना प्रचालन में है और भारत सरकार इस योजना के प्रचालन में हस्तक्षेप नहीं करती है।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी मछुआरों द्वारा घुसपैठ

895. डा. रमेश चन्द तोमर:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 अक्तूबर, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तान की नौसेना अपने मछुआरों को न केवल भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश के लिए उकसा रही है बल्कि गुजरात तट के कुछ भागों को पाकिस्तान का क्षेत्र होने का दावा भी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स में 'पाक नेवी इनसाइटिंग फिशरमेन टू सेल इन्टू इंडियन वाटर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है। एक तटरक्षक पोत ने 16 अक्तूबर, 2000 को 37 कर्मी सदस्यों सहित दो पाकिस्तानी मत्स्य जलयान जखाऊ लाइट से 15 समुद्री मील पर पकड़े जो भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने के लिए काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के भीतर 32 समुद्री मील पर है। इन नौकाओं को सुरक्षा के घेरे में ओखा लाया गया था और इन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया था।

विगत में पाकिस्तान मछुआरे भटककर भारतीय जलक्षेत्र में आते रहे हैं और अनाधिकृत रूप से मछलियां पतड़ते रहे हैं। इसमें पाकिस्तान नौसेना के उकसावे से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सौराष्ट्र के समुद्र के टक आसपास ऐसी मत्स्य नौकाएं पकड़े जाने की जानकारी नहीं है जिनमें शस्त्रास्त्र, गोला बारूद तथा नशीले पदार्थ पाए गए हैं।

पश्चिमी समुद्र तट पर संयुक्त तटीय गश्त लगाई जाती है। यह कार्य नौसेना, तटरक्षक, राज्य पुलिस और सीमा-शुल्क विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत तटरक्षक तथा नौसेना अनन्य आर्थिक क्षेत्र और मध्यवर्ती जल-क्षेत्र में गश्त लगाती है। समुद्र तट के समीपवर्ती जलक्षेत्र में नौसेना, तटरक्षक, राज्य पुलिस और सीमा शुल्क विभाग द्वारा गश्त लगाई जाती है। हमारे जल क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़कर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है।

[हिन्दी]

दो स्थानों पर एक ही नाम के पेट्रोल पम्पों का चलना

896. **श्री रामदास आठवले:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
डा. वी. सरोजा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, कंपनी-वार और स्थान-वार कितने पेट्रोल पम्प बंद कर दिए गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर कई मालिकों को एक नाम से दो पेट्रोल पम्प चलाते हुए पाया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्वचालित टिकट मशीन

897. **डा. अशोक पटेल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में जाली छपे कार्ड टिकटों के चलन को रोकने के लिए स्वचालित टिकट मशीनें लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इन मशीनों को किन-किन रेलवे स्टेशनों पर लगाया गया है;

(घ) अगले एक वर्ष के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों पर उक्त मशीनें लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विभिन्न उपलब्धियों यथा टिकटों की एक ही खिड़की पर सभी श्रेणी/दिशा/किस्मों की उपलब्धता, टिकटों को तेजी से जारी करने तथा जाली मुद्रित कार्ड टिकटों के परिचालन को रोकने को ध्यान में रखते हुए उत्तरोत्तर संस्थापित की जा रही है।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशन जहां स्वत: मुद्रण टिकट मशीनें संस्थापित की गई है और वे स्टेशन जहां इन मशीनों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है, का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण 1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) आज की तारीख में प्रति स्वत: मुद्रण टिकट मशीन की औसत लागत लगभग 1.05 लाख रु. है।

विवरण-1

उन स्टेशनों की सूची जिन पर स्व मुद्रण टिकट मशीन स्थापित की गई है

मध्य रेलवे

मुंबई छ.शि.ट.	हबीबगंज	बांदा
दादर	बीना	डाबरा
कुर्ला (टर्मि)	गंज बसोदा	ललितपुर
थाणे	विदिशा	मोरेना
कल्याण	होसंगाबाद	ग्वालियर (नया)
पुणे	झांसी	जबलपुर
लोनावाला	आगरा	कटनी
भोपाल	ग्वालियर (पुराना)	सतना
इटारसी	मथुरा	गदारवारा
पिपरिया	राजा-की-मंडी	जलगांव
मदन महल	नेहार	नासिक
नरसिंहपुर	पुलगांव	अमरावती
सागर	सोलापुर	बडनेरा जंक्शन
नागपुर	दौंड	बुरहानपुर जंक्शन
वर्धा	गुलबर्गा	पचोरा जंक्शन
बल्लारशाह	अहमदनगर	चालीसगांव

बेतुल	कुर्डुवादी	मनमाड
चंद्रपुर	शाहाबाद	भुसावल (उत्तर)
नागपुर (संतरा मार्केट)	वाडीशीगांव	शीगांव
निंगनघाट	भुसावल (दक्षिण)	
अमला	अकोला	

पूर्व रेलवे

हावड़ा	विधाननगर रोड	कटवा
सियालदह	बैरकपुर	नेहाटी
पटना जंक्शन	दुर्गापुर	डायमंड हार्बर
गया	लिलुआ	सोनारपुर
भागलपुर	रिश्रा	बरूईपुर
आसनसोल	श्रीरामपुर	केनिंग
धनबाद	सेवड़ाफुली	बज-बज
बर्धमान	चंदननगर	दम दम कैंट
मुगलसराय	उत्तर पारा	बारासात
दमदम जंक्शन	बैली	कल्याणी
बालीगंज जंक्शन	तारकेश्वर	रानाघाट
मचलंदापुर	बोंगाव	कृष्णानगर
मोदपुर		

उत्तर रेलवे

इलाहाबाद	मुरादाबाद	नई दिल्ली
कानपुर	बरेली	पानीपत जंक्शन
अलीगढ़ जंक्शन	देहरादून	सोनीपत
अम्बाला	हरिद्वार	मेरठ सिटी
सहारनपुर	चंदौसी/जड़ टी सी	गाजियाबाद
बीकानेर	लखनऊ	हजरत निजामुद्दीन
जालंधर सिटी	बनारस	पठानकोट
अमृतसर	जालंधर	दिल्ली

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ	छपरा	बरौनी
गोंडा	सिवान	दरभंगा
बस्ती	हाजीपुर	समस्तीपुर
गोरखपुर	मुजफ्फरपुर	

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

	गुवाहाटी	

दक्षिण रेलवे

मैसूर	कोल्लम जंक्शन	अरक्कोणम जंक्शन
देवनगरी	एर्णाकुलम उत्तर	काटपाड़ी जंक्शन
मंगलोर	अलेप्पी	मदुरै जंक्शन
बंगलोर कैंट	एर्णाकुलम जंक्शन	दिंडीगुल जंक्शन
बंगारपेट जंक्शन	तिरूचूर	तिरूनेलवेली जंक्शन
बैंगलोर सिटी	गुरवायूर	तूतीकोरिन
शोराण्णूर	चंगनूर	सेलम जंक्शन
कालीकट	कोट्टायम	इरोड जंक्शन
तेल्लीचेरी	अलवाया	कोयंबटूर जंक्शन
कैनन्नोर	त्रिवेंद्रम सेंट्रल	तिरूचिरापल्ली जंक्शन
पालघाट जंक्शन	मद्रास सेंट्रल	तंजावुर जंक्शन
तिरूर	मद्रास इगमोर	चंगलपुट जंक्शन

दक्षिण मध्य रेलवे

सिकंदराबाद	तेनाली	तिरूपति
हैदराबाद	तिराली	रायचूर
वारांगल	रिपल्ल	गुंतकल
खम्माल	समालकोट	हुबली
काजीपेट	गोदावरी	मिरज
महबूबाबाद	कच्चीगुड़ा	गदग
मंचेरियल	नांदेड	कोल्हापुर
जनगांव	औरंगाबाद	नेल्लोर

रामागुड्म	परभानी	तुनी
मधिरा	जालना	अनाका पल्ली
जमीकुंटा	महबूबनगर	निड़दवोल
विजयवाड़ा	निजामाबाद	दर्मावरम
गुंटूर	सेलू	

दक्षिण पूर्व रेलवे

खड़गपुर	बोकारो स्टील सिटी	विजयनगरम
हवड़ा	हटिया	झारसुगुड़ा
बालासोर	रांची	टाटा
गोंदिया	आंद्रा	राउरकेला
इतवारी	विशाखापट्टनम	चक्रधरपुर

पश्चिम रेलवे

मुंबई सेंट्रल	अजमेर	बोरीबली
सूरत	कोटा	बांद्रा टर्मिनल
बड़ौदा	राजकोट	रतलाम
अहमदाबाद	भावनगर	इंदौर
जयपुर	आनंद	
आगरा फोर्ट	उज्जैन	

विवरण-2

उन स्टेशनों की सूची जिन पर स्व मुद्रण टिकट मशीन स्थापित की जा रही है

मध्य रेलवे

दामोह	मुल्ताई	फरीदाबाद न्यू टाउन
पंदरपुर	दमनगांव	बल्लभगढ़
खंडवा	हरदा	पलवल
मल्कापुर	अशोक नगर	चित्रकूटधमकवीं
नंदूरा	गुना	महोबा
जोनल ट्रेनिंग स्कूल/भुसावल	फरीदाबाद	अटारा

हरपालपुर	केदगांव	करजत
मुरानीपुर	तेलगांव	दपोदी
कोसीकलां	अम्बरनाथ	कल्याण ईस्ट
शिर्डीधाम		

पूर्व रेलवे

बेल्लूर	सिंगूर	बालीगंज जंक्शन
कोननगर	मेमारी	विधान नगर रोड
दनकुनी	बोलपुर	राणा घाट
चुचुरा	नबद्वीपधाम	कृष्णा नगर
बैद्यवती	बंडेल	सोदीपुर
हिंद मोटर	दमदम जंक्शन	खरदा
रामपुर घाट	जदावपुर	बेलघरिया
भद्रेश्वर	बाधाजतिन	अगरपारा
फुलिया	गरिया	हलीसाहर
क्यूल	सुभाषग्राम	धाकुरिया
मोकामा	मजेरहाट	गोमोह
बख्तियारपुर	पार्क सर्कस	कोडरमा
पटना साहिब	चंपाहाटी	बरकाकाना
दानापुर	शांतिपुर	डाल्टनगंज
आरा	सुल्तानगंज	रेणुकुट
बक्सर	न्यू फरक्का	हजारीबाग रोड
पटना जंक्शन	जमालपुर	मालदा टाउन
धनबाद	साहिबगंज	भागलपुर
रानीगंज	दुर्गापुर	सासाराम
माधोपुर		
मुगलसराय	जसीडीह	देहरी-आन-सोन
अनुग्रहनारायण रोड	गया	झबुआ रोड

उत्तर रेलवे

रोहतक	टुंडला जंक्शन	चंदौसी जंक्शन
करनाल	भटिंडा	शाहजहांपुर

दिल्ली-शाहदरा	पटियाला	नजीबाबाद जंक्शन
मुजफ्फरनगर	हापुड़	हरदोई
रेवाड़ी	लुधियाना	दिल्ली कैंट
दिल्ली सराय रोहिल्ला	रायबरेली जंक्शन	बाराबंकी जंक्शन
जम्मू तवी	फैजाबाद	पालीमारवाड़
जालंधर कैंट	सुल्तानपुर	मेड़ता रोड जंक्शन
मकराना	प्रतापगढ़ जंक्शन	

इसके अतिरिक्त 80 स्व मुद्रण टिकट मशीनें कुंभ मेले में प्रयोग की जाएंगी

पूर्वोत्तर रेलवे

मऊ जंक्शन	सोनपुर	सीतापुर
बेल्थरा रोड	पीलीभीत	लखीमपुर
सलीमपुर	कासगंज	सहरसा
भटनी	बरहनी	खगरिया
बलिया	मनकापुर	

दक्षिण पूर्व रेलवे

बिलासपुर	श्रीकाकुलम रोड	रायपुर
दुर्ग	सीमाचलन	रायगढ़
चंपा	डोंगरगढ़	कटक
भुवनेश्वर	विशाखापट्टनम (गानापुरम)	पुरी
खुर्दारोड	सिनी	बेहरमपुर
रायगढ़	राजनंदगांव	भंडारा रोड
खड़गपुर		

पश्चिम रेलवे

अंकलेश्वर	नदियाड	उज्जैन (पूर्व)
बरूच	नागदा	सूरत (पूर्व)

[अनुवाद]

झारखंड में रेल परियोजनाएं

898. श्री ए. नरेन्द्र: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड राज्य में नेटवर्क के विस्तार हेतु परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर परियोजनावार कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रेल निवेशों की योजना, प्रणाली की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, रेलवे योजनाएं राज्य-वार या क्षेत्र-वार नहीं बनाई जाती हैं।

बहरहाल, रेलवे ने ऐसी कई परियोजनाएं शुरू की हैं जिनसे झारखंड में रेल अवसंरचना के विकास में योगदान मिलेगा। इन परियोजनाओं का ब्यौरा और इनकी संभावित लागत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

झारखंड में चल रही रेल परियोजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2000 तक खर्च	बजट परिव्यय 2000-01	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
नई लाइनें					
1.	देवगढ़-सुल्तानगंज	282	0.00	6.00	यह 2000-01 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य है। देवगढ़ से कटूरियां (30 कि.मी.) खंड के लिए अंतिम स्थान

1	2	3	4	5	6
					निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। इस खंड के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित आवेदन शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।
2.	देवगढ़-दुमका	180	2.00	1.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हो गया है। 11 कि.मी. भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
3.	गिरीडीह-कोडरमा	145	4.00	5.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पहले 20 कि.मी. भूमि अधिग्रहण के लिए कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
4.	कोडरमा-रांची	491	14.00	25.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। हजारीबाग तक (63.5 कि.मी.) भाग के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण और अंतिम स्थान निर्धारण प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
5.	मंदारिया-रामपुर हाट वाया दुमका	170	4.46	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित योजना और कागजात तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और दो बड़े पुलों के लिए ठेका दे दिया गया है। मंदारहिल छोर से 23 कि.मी. खंड के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
आमान परिवर्तन					
1.	टोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदगा	193	19.45	3.00	प्रथम चरण के रूप में रांची-लोहारदगा खंड पर मिट्टी और छोटे पुलों से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं। 14 मेहराव पुलों पर आर.सी.सी. बाक्स लगाने का कार्य प्रगति पर है। छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। टोरी और लोहारदगा के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
दोहरीकरण					
1.	गोलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खंड)	187	2.67	10.00	केवल सुरंग वाले भाग को कवर करने के लिए सीमित क्षेत्र के संबंध में नए सिरे से सर्वेक्षण किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
रेल विद्युतीकरण					
1.	बोकारो स्टील सिटी-मूरी-हटिया-बोंडामुंडा-बिमलगढ़ किरीबुरू/ बरसुआन पुरुलिया-कोटशिला सहित	269	202.59	20.00	मार्च, 2000 तक 221 मार्ग कि.मी. ऊर्जित किया गया है। संपूर्ण खंड को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति तथा शिरोपरि ठेकेदारों के विफल हो जाने और बिहार राज्य बिजली बोर्ड/डीवीसी द्वारा 132 किलोवाट की सप्लाई में बिलंब के कारण, विलंब हुआ है।
2.	चांडिल-मूरी-बरकाकाना	45	37.03	3.03	कार्य पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं।
3.	कुसुंडा-कतरसगढ़-जमुनियाटांडा	16	7.01	2.00	इस कार्य को मार्च, 2001 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
4.	सीतारामपुर-दानापुर-मुगलसराय	363	321.13	40.20	मार्च, 2000 तक 389 मार्ग कि.मी. ऊर्जित किया गया है। कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति और ठेकेदारों की विफलता के कारण इसकी प्रगति धीमी हुई है। अब इस कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सी.सी.आई. द्वारा कपास की खरीद

899. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कपास की खेती करने वालों से समर्थन मूल्य पर कपास खरीदने के लिए भारतीय कपास निगम को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार अब तक कितना कपास खरीदा गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जब कभी भी कपास (बिनौली सहित कपास) की बाजार कीमत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को छूने लगती है जो भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सी.सी.आई.) जो कि केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का उपक्रम है, महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां कि राज्य सरकार की कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना लागू है, कपास उपजाने वाले सभी राज्यों में समर्थन मूल्य प्रचालन शुरू करता है और बिना किसी मात्रात्मक सीमा के कपास की खरीदारी करता है।

(ग) विगत तीन कपास मौसम (अक्टूबर-सितम्बर) के प्रत्येक मौसम में और चालू वर्ष में अभी तक खरीदी गई कपास की राज्य-वार मात्रा निम्नानुसार है:-

(170 कि.ग्रा. प्रत्येक की लाख गांठ में मात्रा)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (10.11.2000 तक)
पंजाब	0.238	0.155	0.357	0.166
हरियाणा	0.335	0.050	0.185	0.141
राजस्थान	0.974	0.625	1.239	0.496
गुजरात	2.485	1.720	1.128	0.160
मध्य प्रदेश	1.891	0.348	0.442	0.211
आंध्र प्रदेश	1.935	1.185	1.228	0.375
कर्नाटक	0.236	0.175	0.166	0.011
तमिलनाडु	0.004	0.015	0.027	0.004
अन्य	0.020	0.020	0.306	0.000
कुल	8.118	4.293	5.078	1.564

(* छत्तीसगढ़ राज्य सहित)

पैकेजिंग में जूट बैग का अनिवार्य उपयोग

900. **श्री रूपचन्द पाल:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खाद्यान्नों, चीनी और उर्वरकों की पैकेजिंग में जूट बैग के अनिवार्य उपयोग के मामले में लिए गए अपने पहले के निर्णय की हाल ही में फिर से समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) पटसन पैकेजिंग के अनिवार्य प्रयोग के लिए दिनांक 3.6.2000 के आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया है और यह 31.10.2000 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक वैध था। पटसन की उपज के बढ़े आकार, खाद्यान्न और चीनी के उत्पादन की मात्रा, 50 कि.ग्रा. के बोरे में शुरू करने के प्रभाव आदि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पटसन वर्ष 2000-2001 की शेष अवधि के लिए पटसन पैकेजिंग अनिवार्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आरक्षण पर विचार किया और उसका निम्नानुसार अनुमोदन किया है:-

खाद्यान्न-100% चीनी-100% और यूरिया-20%

इसे 25.10.2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार, उपर्युक्त अनिवार्य उपबन्ध को 25.10.2000 से लागू दिया गया है और यह 30.6.2000 तक वैध है।

स्मारकों में प्रवेश शुल्क

901. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री के. येरननायडू:
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ स्मारकों में विशेषकर ताजमहल में, भारतीय और विदेशी दोनों ही पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क में हाल ही में बढोत्तरी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी स्मारकवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) स्मारकवार पहले कितना प्रवेश-शुल्क लिया जाता था;

(घ) किस नियम/नीति के अन्तर्गत इस शुल्क का निर्धारण किया गया है/इसे बढ़ाया गया है;

(ङ) क्या सरकार को इस पहल के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस पहल से देश में पर्यटकों के आगमन पर असर पड़ेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चौदह विश्वदाय स्मारकों, जिसमें ताजमहल शामिल है, का प्रवेश शुल्क भारतीय नागारिकों के लिए 5/- रुपये से बढ़ाकर 10/-रुपये व अन्य के लिये 10 अमरीकी डालर कर दिया गया है। अन्य स्मारकों में जो विश्व दाय स्मारक नहीं है, प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 2/- रुपये से बढ़ाकर 5/ -रुपये तथा अन्य के लिए 5 अमरीकी डालर कर दिया गया है।

(घ) प्रवेश शुल्क प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं एवं अवशेष अधिनियम, 1958 तथा प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार लगाया जाता है।

(ङ) सरकार को इस संबंध में, पर्यटन व्यापार वर्गों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) और (छ) चूंकि संशोधित प्रवेश-शुल्क अभी हाल ही में लगाया गया है, अत: इस संबंध में कोई अनुमान लगाना समयोचित नहीं होगा।

चुनाव संबंधी सुधार

902. श्री प्रभात सामंत राय: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में चुनाव सुधार कार्यों को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जी हां। सरकार निर्वाचन सुधार संबंधी एक नया बैच बनाने की कार्य पद्धति पर विचार कर रही है। सरकार संसद के चालू सत्र में एक विधेयक पुर:स्थापित करने का विचार रखती है जो वर्तमान संवैधानिक रोक का विस्तार करने के लिए और वर्ष 2026 तक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए है और साथ ही विधायी निकायों में राज्यों को आबंटित स्थानों की संख्या में फेरबदल किए बिना, वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन-क्षेत्र का, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, पुन: समायोजन और सुव्यवस्थीकरण आरंभ करने का आशय रखती है। सरकार को निर्वाचन सुधारों संबंधी विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशें और भारत निर्वाचन आयोग के सुझाव प्राप्त हुए हैं। निर्वाचन सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इन्हें राजनैतिक आमसहमति से ही लागू किया जा सकता है। सरकार निर्वाचन सुधारों संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रस्तावों पर विभिन्न राजनैतिक दलों से बातचीत जारी रखने का आशय रखती है।

विमान यातायात की वृद्धि-दर

903. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात की औसत वृद्धि-दर बनी रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान यातायात में अधिक वृद्धि लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) चालू वर्ष के पहले 8 महीने में, घरेलू यात्री यातायात में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। तथापि इसी अवधि के दौरान भारत से/तक अन्तर्राष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग पिछले साल की इसी अवधि में यात्री-यातायात की संख्या

के बराबर ही है। वर्ष 1999 और 2000 के प्रथम 8 महीने के दौरान यात्री यातायात की संख्या में हुई वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) सरकारी स्तर पर बहुत से विमान सेवा करारों पर हस्ताक्षर किया गया है जिससे भविष्य में यात्री यातायात वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त इंडियन एयरलाइन्स ने हाल ही में काठमांडू तक अपनी हवाई जहाज सेवा को फिर से शुरू कर दिया है।

विवरण

(वाहित यात्रियों की संख्या लाख में)

महीना	1999		2000	
	घरेलू	अन्तर्राष्ट्रीय	घरेलू	अन्तर्राष्ट्रीय
जनवरी	10.26	10.02	10.67	9.93
फरवरी	9.19	8.98	10.66	9.48
मार्च	8.88	9.61	10.37	10.12
अप्रैल	9.26	9.21	10.92	9.9
मई	10.12	9.39	11.41	9.73
जून	9.23	9.29	10.57	9.88
जुलाई	9.12	9.65	10.16	10.21
अगस्त	9.49	9.54	10.06	9.98
कुल	75.55	75.69	84.82	79.23
संवृद्धि दर	0.3	4.9	12.3	4.7

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा रिलायंस एनरान को ठेका

904. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायन्स एनरान संयुक्त उद्यम के साथ हुए महत्वपूर्ण सौदे संबंधी कोई फाइल लापता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र के एवार्ड में रिलायंस-इनरोन के परिसंघ के साथ किए गए पक्षपातपूर्ण आरोप के विषय में उनके द्वारा प्रारंभिक जांच की गई थी। इस प्रारंभिक जांच के पंजीकरण के पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो में इस शिकायत के संबंध में एक पार्ट-2 फाइल खोली गई थी और वह पार्ट-2 फाइल गुम बतायी गयी है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) जांच के दौरान यह पाया गया था कि वह पार्ट-2 फाइल, श्री वाई पी सिंह, जो तत्समय पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मुंबई थे, की प्रेरणा पर तत्समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मुंबई के शिकायत लिपिक श्री मुरली एस आयंगर के द्वारा नष्ट की गई थी। सर्वश्री मुरली एस आयंगर तथा वाई पी सिंह दोनों के विरुद्ध भारी दंड के लिए नियमित विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। विभागीय कार्यवाही पूरी होने के पश्चात श्री मुरली एस आयंगर पर दो चरणों में पांच वर्ष के लिए वेतन में कटौती का दंड अधिरोपित किया गया था। विभागीय कार्यवाही करने की दिशा में एक प्रथम कदम के रूप में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा श्री वाई पी सिंह के विरुद्ध एक आरोप पत्र जारी किया गया है।

रसोई गैस की आवश्यकता और खपत

905. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:**
श्री किरीट सोमैया:
श्री राजो सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की वार्षिक खपत क्या थी;

(ख) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों के लिए वर्षवार घरेलू और व्यावसायिक उपयोग हेतु रसोई गैस की अनुमानित अतिरिक्त आवश्यकता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का स्वदेशी उत्पादन देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान कच्चे तेल सहित उक्त की कितनी मात्रा का आयात किया गया और आगामी 2-3 वर्षों में कितनी मात्रा का आयात किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान निजी पक्षकारों द्वारा आयात/बिक्री सहित देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की वार्षिक खपत नीचे दी गई है:

(आकड़े टीएमटी में)

	1998-99	1999-20000
पेट्रोल	5507	5909
डीजल	37217	39295
एलपीजी	5352	6422

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों ने आटोमोटिव क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2000-01 से 2009-10 तक प्रत्येक वर्ष के लिए देश में एलपीजी की मांग का निर्धारण करने के विशेष विचारार्थ विषय से एक एजेन्सी को अखिल भारत आधार पर मांग अध्ययन/सर्वेक्षण का कार्य सौंपा है।

(घ) वर्तमान वर्ष (2000-01) के दौरान पेट्रोल और डीजल का स्वदेशी उत्पादन देश में मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है। एलपीजी का स्वदेशी उत्पादन देश में मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आपूर्ति मांग के बीच अंतराल आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(ङ) पिछले दो वर्षों 1998-99, 1999-2000 के लिए निजी क्षेत्र के आयात सहित कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का वास्तविक आयात निम्नानुसार है:

(आंकड़े टीएमटी में)

	1998-99	1999-2000
कच्चा तेल	39808	57805
पेट्रोल	252	-
डीजल	10231	5006
एलपीजी	1722	1587

अगले 2-3 वर्षों के दौरान आयात किए जाने के लिए प्रस्तावित मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक उपकरणों की तस्करी

906. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूरे विश्व के विभिन्न अजायबघरों से तस्करी किए गए और उनमें पाए गए भारतीय सांस्कृतिक उपकरणों, कलाकृतियों और गुमशुदा खजाने का पूर्ण ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो विश्व भर के विभिन्न अजायबघरों में जिसमें आभूषण, सिक्के, मूर्तियां तथा अन्य धातु की बनी प्राचीन वस्तुओं (सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, लोहा,) पत्थर, मिट्टी की मूर्तियों, हाथी दात, सींग, चंदन तथा अन्य काष्ठ इत्यादि शामिल हैं, के निपटान के तरीके का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अजायबघरों के निदेशकों तथा क्यूरेटरों से यह कहा है कि वे अपने-अपने अजायबघरों में जमा पड़े अथवा पाए जाने वाले भारतीय प्राचीन धातुओं का ब्यौरा प्रस्तुत करें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारत के पुरातत्ववेत्ताओं तथा प्राचीन धातु विशषज्ञों को विश्वभर के विभिन्न अजायबघरों में पाए जाने वाले भारतीय पुरातत्व लेखों और कला संबंधी वस्तुओं के संबंध में आंकडे एकत्रित करने के लिए भेजने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (च) स्वाधीनता प्राप्ति के पहले ही, बड़ी संख्या में सांस्कृतिक वस्तुयें भारतीय उप महाद्वीप से विश्व के विभिन्न भागों को स्थानान्तरित हो गयी थीं। ये वस्तुएं असंख्य संग्रहालयों एवं निजी संग्रहों में तितर-बितर हैं। ऐसी वस्तुओं के प्रत्यर्पण के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा नहीं है। इसके अलावा, भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के कारण, इन वस्तुओं के मूल-देश के बारे में प्रतिद्वन्द्वी दावे होंगे। इसके मद्देनजर, ऐसी वस्तुओं का पूर्ण रिकॉर्ड तैयार करना समय नष्टकारक एवं दुष्कर कार्य होगा और जहां तक प्रत्यर्पण का मामला है, इस संबंध में व्यावहारिक परिणाम प्राप्त होना असंभव है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी भी देश ने ऐसा रिकॉर्ड तैयार नहीं किया है।

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 वर्ष 1947 में प्रख्यापित किया गया और तत्पश्चात् पुरवशेष एवं कला कोष अधिनियम, 1972 का अधिनियमन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत, अवैध निर्यात एक अपराध है जिसके संबंध में इंटरपोल की सहायता ली जा सकती है। "अवैध आयात-निर्यात निषेधन व निवारण तथा सांस्कृतिक संपदा के स्वामित्व के स्थानांतरण के तौर-तरीके" नामक विषय पर यूनेस्को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के संबंध में, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। जब कभी गैरकानूनी रूप से वस्तुओं को देश से बाहर ले जाने के मामले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के ध्यान में आए हैं, उसने कार्रवाई की है। गत 15 वर्षों के दौरान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निम्नलिखित कलाकृतियां बरामद की हैं:-

1. स्टुको हेड्स, नालंदा (बिहार)
2. दूसरी शताब्दी ई.पू. के दो सुंग स्तंभ, सूरजकुंड, अमीन (हरियाणा)
3. टेराकोटा यवक्षी, तमलुक, जिला मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)
4. नटराज, तिरूविलाक्कुडी, जिला-तंजौर (तमिलनाडु)
5. नटराज, शिवपुरम, जिला-तंजौर (तमिलनाडु)
6. नटराज, पाटूर, जिला-तंजौर (तमिलनाडु)
7. बौद्ध प्रतिमा, बोध गया (बिहार)
8. कृष्ण जन्म प्रतिमा, धुबेला, जिला छतरपुर (मध्य प्रदेश)
9. चित्रकलाएं, चंडीगढ़ संग्रहालय (चंडीगढ़)
10. टेराकोटा-मूर्ति, भितरगांव (उत्तर प्रदेश)
11. लाकुलिसा-प्रतिमा, जागेश्वर, जिला-अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश)।

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम में भर्ती

907. श्री सुंदर लाल तिवारी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में "आर्थिक संकट के बावजूद आई.टी.डी.सी. में नई भर्ती जारी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जनवरी, 1999 से वरिष्ठ पदों की भर्ती पर रोक लगाने के लिए जारी किए गए विभिन्न आदेशों का तारीख-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने योजना और गैर-योजना पदों के सृजन पर रोक लगाने, पदों में 10% कटौती करने जैसे कड़े उपाय करने पर, समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में निर्धारित पद्धति आदि का अनुपालन किया जाता है।

[अनुवाद]

पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता

908. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशनभोगियों की कतिपय श्रेणियां 100 रुपये प्रति मास के चिकित्सा भत्ते की पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आल इंडिया रेलवे मेन्स एसोशिएशन की ओर से पेंशनभोगियों की श्रेणी में शामिल न की गयी श्रेणियों को भत्ता सुविधाएं प्रदान करने सें संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) नगर/शहर/नगरपालिका आदि जहां ताला बंध औषधालय से इतर रेलवे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, के अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले रेलवे पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी चिकित्सा भत्ते के अनुदान के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी हां। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ और भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ ने मांग की है कि चिकित्सा भत्ते का विकल्प उन रेलवे पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध कराए जाए जो नगरपालिका सीमा के भीतर लेकिन रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयों से डेढ़ किलोमीटर दूर निवास कर रहे हैं। के.स.से.यो. औषधालय के विपरीत रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य इकाइयां अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत नेटवर्क के साथ अधिक विशाल क्षेत्र को सेवित करती हैं। इसके अलावा, नगरपालिका सीमा के भीतर निवास करने वाले ऐसे पेंशनभोगी जहां रेलवे अस्पताल/स्वास्थ्य इकाइयां मौजूद हैं यदि वे चिकित्सा भत्ते का विकल्प देते हैं तो वे बाह्य रोगी विभाग चिकित्सा सुविधा पात्र नहीं रह जाएंगे। अत: सुविधा का विस्तार न तो व्यावहारिक और न ही पेंशनभोगियों के हित में है।

बंद पड़ी एन.टी.सी. मिलों की बिक्री

909. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी एन.टी.सी. कपड़ा मिलों को बेचने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सरकार ने एन.टी.सी. के आठ रुग्ण सहायक निगमों की सभी मिलों के लिए निम्नलिखित व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का अनुमोदन किया है:-

(1) यह निर्णय लेने के लिए कि क्या एकक पुनरुद्धार योग्य है या गैर-पुनरुद्धार योग्य है, अलग-अलग एककों का मूल्यांकन किया जाएगा;

(2) सभी पुनरुद्धार करने योग्य एककों का पुनरुद्धार किया जाएगा;

(3) सभी गैर-पुनरुद्धार योग्य एककों को बंद कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के विकल्प उपलब्ध कराए जायेंगे।

एन.टी.सी. ने उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर बी.आई.एफ.आर. के समक्ष आवश्यकत प्रस्ताव पेश कर दिया है।

स्टैंड अलोन रिफाइनरी

910. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त क्षेत्र की एम आर पी एल, मंगलौर रिफाइनरी की आर्थिक स्थिति क्या है;

(ख) क्या तेल क्षेत्र के क्रमिक उदारीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त क्षेत्र की 'स्टैंड अलोन रिफाइनरी' से कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं में छोटे शेयरधारकों के निवेश की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कंपनी को वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 (30.9.2000 तक) के दौरान अत्यधिक वित्तीय हानि हुई।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा तेल क्षेत्र में नियंत्रणमुक्ति के भाग के रूप में निम्न उपाय किए गए हैं:-

सभी रिफाइनरियों के लिए लागू:-

(1) 1.4.1998 से रिफाइनरियों के लिए प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति।

(2) मोटर स्प्रिट, हाई स्पीड डीजल, एवियशन टर्बाइन ईंधन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और मिट्टी तेल के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन की नियन्त्रणमुक्ति।

(3) क्रूड/पेट्रोलियम उत्पादों में अन्तर्निहित अनुभव रखने वाली तेल कंपनियों को वस्तु मूल्य जोखिम से बचाव करने की अनुमति दी गई है।

संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों के लिए लागू:-

उनके द्वारा स्वयं क्रूड आवश्यकता का खरीद करने की अनुमति दी गई है।

विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

911. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्रीमती हेमा गमांग:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की किसी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को समूह 'ग' और 'घ' के पदों पर नियुक्ति देने की कोई योजना या नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत सभी रेल परियोजनाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे द्वारा जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है, उनके परिवारों के एक सदस्य को अधिमानत: नौकरी देने के लिये मौजूदा अनुदेशों में व्यवस्था है बहरहाल ऐसे व्यवस्था भूमि अधिग्रहण किए जाने के पहले दो वर्षों के बाद की गई भर्तियों अथवा पहली भर्ती जो भी बाद में हो के लिए ही है।

(ग) जी हां।

(घ) इस समय दक्षिण पूर्व में तालचेर-सम्बलपुर नई लाइन के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। इस रेलवे पर शेष परियोजनाओं के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में विस्तृत सूचना इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन

912. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में रेल प्रणाली और इसी तरह की अन्य मांगों की अनदेखी किए जाने के विरोध में चलाये जा रहे रेल रोको आंदोलन की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उड़ीसा के लिए 2000-2001 के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 43 अवसरों पर उड़ीसा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों द्वारा पैसेन्जर हाल्ट, समपार फाटक, नयी गाड़ियां, मौजूदा गाड़ियों का ठहराव, यात्री सुखसुविधाएं, पूर्व तटीय रेलवे जोन का कार्य संचालन तथा रेलवे में रोजगार इत्यादि जैसी मांगों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए रेल रोको आन्दोलन चलाया गया था।

(ग) मांगों को गुण-दोष के आधार पर उनकी जांच की गई है और जहां कहीं न्यायोचित पाया गया है, आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है।

(घ) 2000-2001 के रेल बजट में खोरधा रोड पुरी चरण-1 के दोहरीकरण कार्य को शामिल किया गया है।

टी.टी.ई. द्वारा विलम्ब से आगमन

913. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलगाड़ी के अपने चलने के स्थान से कितने समय पहले टी.टी.ई. को तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों को रिपोर्ट करना होता है;

(ख) क्या सरकार को टी.टी.ई. तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों के विलम्ब से आने के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानियों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान तथा आज तक सरकार की जानकारी में इस प्रकार के कितने मामले आए; और

(घ) सरकार द्वारा विलम्ब से आने वाले टी.टी.ई. तथा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) चल टिकट परीक्षकों को गाड़ी के आरंभिक स्थान पर गाड़ी के प्रस्थान करने से कम से कम आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है।

(ख) से (घ) जी हां। चल टिकट परीक्षकों के विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहरहाल, कार्य प्रणाली के इस विशिष्ट पहलू के बारे में कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। ऐसे मामले नोटिस में लाए जाने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपर्युक्त विभागीय कार्रवाई की जाती है।

कोचीन हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त दुकान

914. श्री सुरेश कुरूप: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे पर शुल्क मुक्त दुकान शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (सी.आई.ए.एल.) जो केरल सरकार का उपक्रम है, का है। अत: ड्यूटी फ्री शाप सहित विभिन्न सुविधाएं सी.आई.ए.एल. द्वारा व्यवस्थित की जानी हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 की धारा 34 की उपधारा (4) के अंतर्गत रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम (संशोधन) नियम, 2000, जो 1 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 140 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2394/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2395/2000]

(ख) (एक) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2396/2000]

[हिन्दी]

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1990-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नाविक भविष्य निधि संगठन (नाविक भविष्य निधि), मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2397/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

छठा, सातवां और आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों और उनसे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पर्यटन विभाग - भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग डिवीजन)- केनरा बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रोजगार तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाओं संबंधी चौथे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

[श्री कड़िया मुंडा]

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय - मध्य प्रदेश में समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं का कार्यकरण संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 22 नवम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 22 नवम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब, यह सभा 'शून्य काल' की कार्यवाही आरंभ करेगी।

श्री शीश राम ओला।

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी। कृपया उनके बाद मुझे बोलने की अनुमति दें। मामला वही है *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमने पेट्रोलियम की मूल्य वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, हम इस मामले पर निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं लिया जा सकता *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह चर्चा करेंगे कि इस मामले पर किस नियम के अन्तर्गत चर्चा की जाए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसका निर्णय आपको अभी लेना होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैंने इसे नोट कर लिया है। हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मामले पर की जाने वाली चर्चा के प्रकार का निर्णय करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसका निर्णय सभा में ही किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय आप हमें इस मामले पर बोलने की अनुमति दीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय करेंगे कि इस मामले पर किस रूप में चर्चा की जा सकती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कल हमने एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की थी। दूसरे पर, हम यह निर्णय करेंगे कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर किस प्रकार चर्चा की जा सकती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान के अकाल के ऊपर कुछ कहने के लिए आदेश दिया है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, नियमों के अंतर्गत, स्वीकृति देने अथवा न देने का निर्णय आपको ही लेना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में विचार कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि आप यह कह दे कि इस मामले पर व्यापक चर्चा होगी, तो केवल तारीख तय करने का ही प्रश्न रह जाएगा क्योंकि हम इस मामले को छोड़ नहीं सकते। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के सहयोगी दलों ने इस पर समझौता कर लिया है। उन्होंने घुटने टेक दिए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): वे सब इस संबंध में एकमत नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इन महत्वपूर्ण मामलों पर विभाजित है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं महोदय, मैं श्री येरननायडू से पूछना चाहता हूं कि वे क्यों पीछे हट गये ...*(व्यवधान)* हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के सहयोगी दलों का रुख क्या है ...*(व्यवधान)* श्री राम नाईक, आप क्यों जा रहे हैं? कृपया एक मिनट रुक जाइए।

ये सब बेकार की बातें और ये सब युक्तियां देश और लोगों का हित नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हो। हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सामान्यत: इस पर चर्चा होनी चाहिये थी। महोदय, यदि आप हमें यह आश्वासन देंगे कि इस मामले पर संपूर्ण चर्चा शीघ्र होगी, तो निश्चित ही हम आपके निर्णय को मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम निर्णय करेंगे कि इस मामले पर चर्चा किस रूप में की जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): नरसंहार हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री शीश राम ओला : राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष भीषण अकाल पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे अनुमति दे, तो मैं सभी सूचनाओं के लिए समय दे सकता हूं। मेरे पास लगभग 47 सूचनाएं हैं। कृपया अध्यक्षपीठ के कार्य में व्यवधान मत उपस्थित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके संबंध में मैं आपकी अनुमति से चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में 41,500 गांव हैं। इस वर्ष 30,583 गांव अकाल की भयंकर चपेट में हैं। 32 जिले हैं जिनमें से 21 जिले भयंकर अकाल से ग्रस्त हैं। पीने के पानी की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। पशुओं के लिए चारे की गंभीर स्थिति है। पिछले वर्ष जुलाई, अगस्त और सितम्बर में पंजाब से गेहूं का तोड़ा आता रहा जिससे लोगों ने अपने मवेशियों को बचाया जबकि उस वक्त बहुत अच्छी घास होती है। किन्तु उन महीनों में बरसात न होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाई जाती है। वहां की सारी झीलें सूखी पड़ी हैं और तीन-तीन, चार-चार दिनों में पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे जिलों जैसे झुंझुनू, सीकर, चुरू, नागोर, बीकानेर आदि, जहां पहले से ही पानी की कमी थी, के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पानी काफी गहरा चला गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. गिरिजा व्यास, आपने भी इसी विषय पर सूचना दी है। आप इस विषय पर श्री शीश राम ओला के साथ साझेदारी कर सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि राहत कार्य शुरू करने के लिए राजस्थान के पास पैसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री शीश राम ओला : मैं अपनी बात कहूंगा। मैं कैसे बैठ जाऊं।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको समाप्त करना है।

श्री शीश राम ओला : मैं अपनी बात पूरी करके बैठूंगा। मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : और माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री शीश राम ओला : इसका क्या मतलब है। मैं अपनी बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर में आपको दो मिनट का समय मिलेगा।

डा. गिरिजा व्यास : महोदय, बहुत गहरी समस्या है, इनको बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में कितना टाइम लेंगे।

श्री शीश राम ओला: मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है और बैठ जाऊं। मैं निवेदन करूंगा कि पशुओं के लिए चारा नहीं है। खेतीहर मजदूरों के लिए रोजी नहीं है। किसान बर्बाद हो गया। राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसकी आर्थिक स्थिति पशुधन पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में सारा पशुधन बर्बाद हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि खाद्य के भंडार से एफ.सी.आई. के गोदाम भरे पड़े हैं। राजस्थान को खाद्य पदार्थ मुफ्त देना चाहिए ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले और राहत कार्य शुरू हो सके। राजस्थान सरकार के पास कैलेमिटी रिलीफ फंड नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए और लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री शीश राम ओला : यदि वक्त रहते भारत सरकार आर्थिक सहायता नहीं देगी तो यह स्थिति नहीं संभाली गई तो मुश्किल हो जाएगी। राजस्थान सरकार आर्थिक संकट से गुजर रही है और वहां के लोग मजदूरी के लिए दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। राजस्थान की गंभीर स्थिति को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए। तत्काल राहत कार्य शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, हम लोग राजस्थान से हैं, हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस दिया था?

प्रो. रासा सिंह रावत : नोटिस तो कल दिया था। राजस्थान में घोर अकाल की स्थिति बनी हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जीरो ऑवर का प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अनुसार आपको पहले नोटिस देना चाहिए था।

प्रो. रासा सिंह रावत : वहां कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। वहां निकम्मी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप बैठ जाइये। यह प्रोसीजर नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है तो आपको नोटिस देना चाहिए था।

डा. गिरिजा व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान केन्द्र सरकार की उदासीनता ही नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार की निर्ममता की तरफ भी दिलाना चाहती हूं। अभी जैसा ओला जी ने कहा कि सूखे का यह तीसरा वर्ष है, लेकिन राज्य के 18 जिलों में यह चौथा वर्ष है। अभी गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार 32 में से 31 जिले अभावग्रस्त घोषित हो चुके हैं और करीब चार करोड़ जनसंख्या और करीब उतने ही चार करोड़ पशु इससे प्रभावित हुए हैं। केन्द्र सरकार से अभी हमने 2367 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने पानी के परिवहन के लिए और टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो साधन उपलब्ध कराये थे, उसके लिए तो हम धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए इस वर्ष इंगित राशि 180 करोड़ रुपये अभी तक रिलीज नहीं हुई है, जिससे कि हमें थोड़ी राहत मिल सकती। दिसम्बर में तीन लाख लोगों को रोजगार दिये जाने की योजना राज्य सरकार की है और उसके लिए 1560 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगी कि वह पैसा जल्दी रिलीज करें। इसी तरह से 3620 करोड़ रुपये की आवश्यकता हमें पशु संरक्षण के लिए होगी। उसके लिए भी आपसे निवेदन करने की जरूरत महसूस हुई है। मैं सिर्फ एक बार और आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक टीम सांसदों की उन राज्यों में अवश्य भेजें, जिन राज्यों में इस प्रकार से सूखे की विषम स्थिति है और वे राज्य एन.डी.ए. सरकार से डायरैक्ट सम्बन्धित नहीं हैं। वहां पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जैसा कल सोमनाथ चटर्जी ने भी कहा था और जैसा दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। कृपया आप इस ओर तुरन्त प्रभाव से सरकार को निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने दो इश्यू दिये हैं, आप किसके बारे में इश्यू रेज कर रहे हैं?

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मैं एक ईश्यू के बारे में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का

ध्यान जम्मू-कश्मीर में कल हुई निर्दोष हिन्दू और सिख ट्रक चालकों की हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले एक दशक से लगातार जम्मू-कश्मीर घाटी में हिन्दुओं की जो नृशंस हत्याएं हुई हैं, निश्चित ही यह सम्पूर्ण देश के लिए एक चेतावनी है। जो निर्दोष हिन्दुओं और सिखों की हत्याएं कश्मीर में हो रही हैं, इस पर तुरन्त रोक लगाई जाये और घाटी में पाकिस्तानपरस्त उन उग्रवादी तत्वों से कड़ाई से निपटा जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): इस बारे में वक्तव्य आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कश्मीर में हुई सिखों की नृशंस हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि इस संदर्भ में माननीय गृह मंत्री वक्तव्य जारी करें।

मार्च में, छत्तीसिंहपुरा में 43 सिखों को गोलियों से भून डाला गया और हम चाहते हैं कि गृह मंत्री वक्तव्य दें कि वे जम्मू और कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों, जिसमें सिख और अन्य समुदाय आते है के हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : यह जो कांड हुआ है, इसके बारे में हम चाहते हैं कि वक्तव्य आना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर पिछले दो-तीन सालों से सूखा पड़ा हुआ है। अपेक्षित बरसात नहीं हुई है। परिणामस्वरूप सारे किसान परेशान हैं, उनकी सारी फसल नष्ट हो गई है और मवेशियों की क्षति हो रही है, क्योंकि उनको चारा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की भी असुविधा है। गुजरात में साल में 120 दिन कम से कम बारिश होती है, लेकिन पिछले साल केवल 26 दिन बारिश हुई। 1998 में 114 प्रतिशत बरसात हुई थी, लेकिन 1999 में केवल 73 प्रतिशत हुई। परिणामस्वरूप खरीफ की फसल को काफी क्षति पहुंची है। इसके साथ-साथ मूंगफली की फसल को भी हानि हुई है। बाजरा, ज्वार, चावल और कपास का जितना उत्पादन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। गुजरात में अनावृष्टि के कारण 21 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। कुल 175 तहसील, 5575 गांव अनावृष्टि की चपेट में हैं। 5463 गांवों में चार से छः आनावती से भी कम हैं। चारे की कमी है। कुल मिलाकर 11020 गांव सूखे की चपेट में हैं। गुजरात सरकार ने सूखे से निपटने के लिए अपना मास्टर प्लान बनाया है, जिससे पशुओं को चारा, लोगों को पानी और राहत कार्य चला कर लोगों को रोजगार दिया जा सके। जिस तरह केन्द्र सरकार ने पहले चारे और पानी के लिए वैगन उपलब्ध कराए थे, उसी तरह फिर से यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विशेष कोष से वहां के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा वहां सूखे से प्रभावित लोगों को 2 रु. किलो गेहूं और 3 रु. किलो चावल देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की हमारी राशि जो हमारे राज्य मध्य प्रदेश पर 786 करोड़ रुपए बकाया है, महाराष्ट्र पर 195 करोड़ रुपए तथा राजस्थान पर 290 करोड़ रुपए बकाया है, वह राशि भारत सरकार द्वारा इन राज्यों को आदेश देकर अविलम्ब गुजरात को दिलाई जाए, जिससे हम सूखे से राहत पा सकें।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बातें रतिलाल जी ने कही हैं, मैं उनको नहीं दोहराऊंगी। गुजरात में यह दूसरा साल है, जब वहां अकाल की परिस्थिति पैदा हुई है। 10431 गांव इससे प्रभावित हैं। मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करती हूं कि जो भी गुजरात सरकार की मांग है, वह पूरी की जाए। जैसे कृषि मंत्रालय ने पिछले साल व्यवस्था की थी इस साल भी करे। हमारी नर्मदा योजना के राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों पर जो बकाया है हमारा, वह हमें तत्काल दिलाया जाए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय पर आज नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, आगरा में पर्यटकों का आना निरंतर कम हो रहा है। वहां जो विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है, उसका टिकट विदेशी पर्यटकों के लिए 960 रुपए और देशी पर्यटकों के लिए 120 रुपए कर दिया गया है। दुनिया के किसी भी स्मारक पर टिकट के रेट में ऐसा भेदभाव नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जब पर्यटकों की संख्या गिरती जा रही है तो वहां के होटल व्यवसाय, हस्तकला में लगे लोग काफी परेशानी में आ गए हैं। 1960 से पहले ताजमहल में कोई टिकट नहीं था। दिलीप कुमार की फिल्म लीडर की शूटिंग वहां हुई थी, तब 25 पैसे टिकट लगा था। फिर उसको बढ़ाकर 50 पैसे कर दिया गया। अब 960 रुपए कर दिया गया है।

अपराह्न 12.19 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

जितनी मुगल कालीन इमारतें थीं, ताजमहल को छोड़ कर बाकी सबमें जो मस्जिदें थीं, उनमें नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। शुक्रवार के दिन ताजमहल में किसी प्रकार का टिकट नहीं लगता था, क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जाती थी। लेकिन विगत तीन शुक्रवारों से वहां तनाव बना हुआ है, क्योंकि उस दिन भी टिकट लगा दी गई, जिससे नमाज पढ़ने में एक तरह से पाबंदी सी लग गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के लोकल विकास प्राधिकरण जो हैं, उनकी काफी दखलअंदाजी हो गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शुक्रवार को जो टिकट लगाया गया है, वह न लगाया जाए, जिससे लोगों को नमाज पढ़ने में आसानी हो।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा। आप बैठ जाइए। एक साथ दो-तीन व्यक्ति बात नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे उठ खड़े हो जाएंगे तो मैं आखिरी नाम आपका बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, जवानों का अत्यधिक आदर करते हुए, मैं यह बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि रक्षा मंत्री, चूंकि वे रा.ज.द. के संयोजक है, अपने कर्त्तव्य उस प्रकार नहीं निभा रहे हैं जैसी उनसे अपेक्षा है। मैं इस सभा का ध्यान 12.11.2000 को हुई उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें एक हेलिकॉप्टर को भारत-पाक सीमा पर भुज के नजदीक मार गिराया गया जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बमुश्किल 15 कि.मी. है। वह भारतीय वायुसेना का हेलिकॉप्टर था। परंतु आज तक सरकार इस बात का स्पष्टीकरण नहीं कर पाई कि यह दुर्घटना थी या इस हेलिकॉप्टर को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया था। इस दुर्घटना के बाद भी, भारत सरकार या गुजरात सरकार भारतीय सुरक्षा बल के घायल अथवा मृत अधिकारियों को तत्काल मौके पर सहायता नहीं पहुंचा पाई। मेरी जानकारी के अनुसार, माननीय रक्षा मंत्री उस दिन अहमदाबाद में ही थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : गृह मंत्री जी ने उस स्थान का दौरा एक सप्ताह बाद किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि दुर्घटना का सही कारण क्या था, हेलिकॉप्टर में कौन लोग थे, क्या उसे पाकिस्तान सरकार ने मार गिराया या यह दुर्घटना थी। हमारे गुप्तचर नाकामयाब क्यों रहे, और दुर्घटना के 24 घंटे बाद भी कोई सहायता क्यों नहीं पहुंचाई गई। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को मौका मिलेगा। कृपया धीरज रखिए।

श्री वैको (शिवकाशी): माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले लगभग आठ लाख परिवारों को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माचिस उद्योग, विशेषकर कुटीर उद्योग और हाथ की भी माचिसों का उद्योग, दो कारणों से खतरे में है। एक खतरा विश्व व्यापार संघ के साथ हुए समझौते के अनुसार प्रस्तावित माचिसों के आयात से है। खतरा उसी दिन से शुरू हुआ जब कांग्रेस सरकार ने गेट (जीएटीटी) के अंतर्गत एक समझौता किया था। यदि माचिसों का आयात हुआ, तो संपूर्ण उद्योग, विशेषकर ये आठ लाख परिवार, संकट में फंस जाएंगे। यह वर्षा आधारित कृषि का क्षेत्र है और उनके लिए जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं है। इसीलिए, सभी राजनैतिक दल प्रस्तावित माचिसों के बाहर से आयात के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। मैंने माननीय प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री साथ ही वाणिज्य मंत्री को इन आठ लाख परिवारों की हितों की रक्षा के लिए और इन्हें संभावित खतरे से बचाने के लिए सभी उपाय करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था क्योंकि इनकी आजीविका विशेष रूप से इस कुटीर उद्योग और हाथ से किए जाने वाले माचिस उद्योग पर निर्भर है।

दूसरा खतरा माचिस उद्योग के मशीनीकरण के कारण है। यह मशीनीकरण वाजपेयी सरकार के सत्ता में आने से पहले किया गया था। कुछ बड़ी कंपनियां गुप्त रूप से, मशीनों को ला रही हैं जो माचिस उद्योग को पूर्ण नष्ट कर देगी। कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग को कानून स्पष्ट संरक्षण प्रदान करता है।

अब, इन उद्योगों को प्रदान किए जा रहे संरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैं माचिस उद्योग को बचाने के लिए किए जा रहे सभी राजनैतिक दलों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दक्षिणी जिलों में, के आंदोलन का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि मशीनों के आयात पर प्रतिबंध लगाए और उन कंपनियों को भी रोकें जो गुप्त रूप से इस देश में लाई गई मशीनों का प्रयोग कर रही हैं।

महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है। तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने भी पहले ही सिफारिश की है कि और अधिक यांत्रिकीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वैको यह 'शून्य काल' है। आपको भाषण नहीं देना है।

श्री वैको : महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों की ज्वलन्त समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री वैको : इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह माचिस उद्योग विशेष रूप से हस्तनिर्मित माचिस उद्योग के संरक्षण के लिए सभी संभव कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के नए विभाजित छत्तीसगढ़ राज्य में सूखे की स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नए छत्तीसगढ़ राज्य में 1598 गांवों में सूखा है, जिनको राहत देने के लिए 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 37 प्रतिशत से भी कम अनवारी है, जबकि दस प्रतिशत से भी ज्यादा फसल कहीं पर नहीं है। मेरी सरकार से मांग है कि इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। वहां की दयनीय स्थिति और भीषण अकाल की स्थिति की वजह से हजारों लोग रोज पलायन कर रहे हैं। वहां पीने के पानी की समस्या है, चारे की समस्या है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों के पलायन को रोकने के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य सरकार के लिए करे। फसल बीमा योजना की राशि की व्यवस्था की भी मैं मांग करता हूं।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, महाराष्ट्र में विशेषकर 15 तहसीलों में भयंकर अकाल की स्थिति है। इस दिशा में महाराष्ट्र की सरकार प्रयत्नशील है, लेकिन वहां पीने के पानी की समस्या है, चारे की समस्या है और काम का भी अभाव है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इन क्षेत्रों के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जाना चाहिए और आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए।

श्री सालखान मुर्मू (मयूरभंज): महोदय, मैं भारत के आदिवासियों से संबंधित एक गंभीर मामला सदन के समक्ष और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। संविधान की आठवीं अनुसूची में आज तक भी एक आदिवासी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। जबकि संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 29(1) में यह बात लिखी गई है कि जिन लोगों की अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको बचाने और बढ़ाने का अधिकार है। इस विषय को मैंने दो बार 12वीं लोक सभा में उठाया और इस बार भी उठाया है। इस विषय में माननीय गृहमंत्री जी ने लिखित रूप में कहा है कि हम एक हाई-पावर कमेटी बनाकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसके विरोध में बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और झारखण्ड राज्यों के लोग आल-इंडिया संथाली भाषा मोर्चा के नेतृत्व में आन्दोलन करने के लिए मजबूर हैं। 25 सितम्बर को हमने रेल-रोको अभियान किया और फिर 8 दिसम्बर को रेल-रोको अभियान करने के लिए मजबूर हैं। हम मांग करते हैं कि संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए और झारखण्ड प्रदेश की कम से कम एक आदिवासी भाषा, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की सुरक्षा के बारे में लोक महत्व के एक मुद्दे को उठाना चाहता हूं जो इंजन में बार-बार खराबी और विमानों को मजबूरन उतारने की समस्या का सामना कर रही है।

26 सितम्बर, 2000 को इंडियन एयरलाइन्स की चेन्नई-सिंगापुर उड़ान में उड़ान भरने के 30 मिनट बाद खराबी पैदा हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुसामी 'शून्य काल' के दौरान आपसे लिखित सामग्री पढ़ने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

श्री सी. कुप्पुसामी : महोदय, मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं तारीख का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आएं।

श्री सी. कुप्पुसामी : 26 सितम्बर, 2000 को चेन्नई-सिंगापुर उड़ान में उड़ान भरने के तीस मिनट बाद खराबी पैदा हो गई और

[श्री सी.कुप्पुसामी]

उक्त विमान को विवश होकर उतारना पड़ा। विमान को मजबूरन उतारने और झटके लगने से तीस यात्री घायल हुए। 1 अक्टूबर, 2000 को इंडियन एयरलाइन्स की चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर उड़ान में खराबी पैदा हुई। विमान का एक टायर फट गया था और विमान को विवश होकर उतारना पड़ा।

इसी तरह 3 अक्तूबर, 2000 को इंडियन एयरलाइंस की चेन्नई-दिल्ली सायंकालीन उड़ान के उड़ान भरने के बाद विमान के पहिए कार्य नहीं कर रहे थे और विमान को विवश होकर उतारना पड़ा और यात्री बाल-बाल बचे।

19.11.2000 की सुबह चेन्नई से नई दिल्ली की उड़ान में पैट्रोल टैंक में रिसाव की शिकायत मिलने पर विमान को मजबूरन उतारना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री लक्ष्मण सेठ को बोलने के लिए कहता हूं।

श्री सी. कुप्पुसामी : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। इंडियन एयरलाइंस की नई दिल्ली-चेन्नई सायंकालीन उड़ान कभी समय पर नहीं चलती है और इस उड़ान में हमेशा विलम्ब होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आखिरकार यह शून्य काल है, आप इस तरह व्यवधान न डालें।

श्री सी. कुप्पुसामी : यह गंभीर मामला है। जहां तक उड़ान के यात्रियों का संबंध है यह पूरे माहौल को खराब कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं।

श्री सी. कुप्पुसामी : मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करें और आवश्यक कार्यवाही करे। इस संबंध में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार को पत्र लिखा हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैं राष्ट्रीय बैंकों के निजीकरण के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह पता चला है कि सरकार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के लिए सभा की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने जा रही है।

महोदय, जैसा आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीयकृत बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बैंकों द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग पुन: कृषि, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। मेरा मानना है कि यदि इन बैंकों का निजीकरण किया गया तो कृषि, बुनियादी सुविधाओं आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश कम होगा, मैं नहीं जानता कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की दिशा में क्यों बढ़ रही हैं।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो यह बताते है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेठ, यह 'शून्य काल' है।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मैं केवल कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री लक्ष्मण सेठ: वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 8,262 शाखाएं थी अब उनकी 45,698 शाखाएं है। वर्ष 1969 में इन बैंकों के कर्मचारियों की संख्या 2,20,000 थी और अब उनकी संख्या 9,65,077 है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लक्ष्मण शेठ यह 'शून्य काल' है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप भाषण दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। महोदय 1969 में इन बैंकों में कुल जमाराशि 4665 करोड़ रुपए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? अब आप सारे आंकड़े पढ़ रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सेठ : अब इन बैंकों की कुल जमाराशि 7,31,000 करोड़ रुपए है। इसलिये यदि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करती है तो हमारी अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी। मैं इस कदम का पुरजोर विरोध करता हूं। हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): सरकार सभा के सभी सदस्यों और सभा के माध्यम से राष्ट्र को बताना चाहती है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की हमारी कोई योजना नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : फिर आपकी योजना क्या है? आपने सरकारी ईक्विटी कम कर 33 प्रतिशत क्यों की है? आपकी योजना क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : इस बारे में तब चर्चा की जाएगी जब सभा के समक्ष उक्त विधेयक आएगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य मैं समझता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण या निजीकरण एक इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके बारे में शून्य काल के दौरान चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। आप किसी अन्य प्ररुप में चर्चा के लिए सूचना दे सकते है। निश्चित तौर पर सभा इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने बैंकों में सरकारी ईक्विटी को कम कर 33 प्रतिशत क्यों कर दिया है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत मामला है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा को आश्वासन देंगे कि बैंकों में सरकारी ईक्विटी को कम कर 33 प्रतिशत नहीं किया जाएगा। मंत्री जी सभा में इसके बारे में बतायें।

श्री प्रमोद महाजन : बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं कृपया थोड़ी देर मेरी बात सुनिए। श्री बसुदेव आचार्य मैं बोल रहा हूं क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक गंभीर मामला है और शून्यकाल में इस पर चर्चा कर इसके साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। यदि आप मानते हैं कि माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे है तो आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, सभा के सदस्य के रूप में आप भी समझ सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

कल और परसों 'शून्य काल' के दौरान जिन सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिला वे आज अवसर की प्रतीक्षा में हैं। यदि आप इस तरह मुद्दे उठाएंगे तो हमें 'शून्य काल' बंद करना होगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे भी सभा में बोलने नहीं देंगे। यह क्या है?

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, हालांकि शून्य काल है फिर भी मंत्री महोदय को सभा को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मुद्दा उठाया गया और मंत्री जी जो कहना चाहते थे उन्होंने कह दिया। यदि आप समझते हैं कि उन्होंने सभा को गुमराह किया है तो आप उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दे दीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, आपको सभा को संरक्षण देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को संरक्षण दे रहा हूं।

श्री तरित बरण तोपदार : कृपया मंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को उनकी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आपको स्थिति समझनी चाहिए।

श्रीमती रेनु कुमारी अनुपस्थित हैं। अब मैं ई. अहमद को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के ध्यान में अन्य देशों, विशेषरूप से खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की गंभीर समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इन देशों में लगभग 40 लाख भारतीय रह रहे हैं। उनके द्वारा भेजे गए धन से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। 1989-92 में उन्होंने देश को वित्तीय संकट से उभारा था।

उन देशों में रह रहे भारतीय अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खेद है कि केन्द्र और राज्य सरकारें इन समस्याओं के प्रति संवेदनशून्य हैं। किसी भी सरकार ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। इसीलिए केरल स्टेट मुस्लिम यूथ लीग ने इस माह की 20 तारीख को संसद के समक्ष प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों से मिले और एक ज्ञापन दिया।

हालांकि खाड़ी देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अन्य देशों से भारत आने वाले यात्रियों की अपेक्षा कम दूरी तय करनी पड़ती है किंतु वे अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की तुलना में किराया अधिक देते हैं। प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स अपेक्षाकृत

[श्री ई.अहमद]

सस्ते टिकट दे रही है जबकि इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया अपने ही भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि 40 लाख लोगों में से अधिकांश नौकरी पेशा लोग हैं। वे अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए ही अपनी जीविका कमा रहे हैं। कालीकट जैसे विमानपत्तन पर, जहां से प्रत्येक दिन खाड़ी देशों के लिए 35 उड़ाने हैं, इन लोगों को संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) शुल्क के रूप में 500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। यह घोर अन्याय है। उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किए गए हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं चलाई गई है। क्या यह सरकार की ओर से अन्याय नहीं है? यह मामला इन चालीस लाख लोगों से ही नहीं अपितु भारत में रह रहे उनके परिवारों से भी संबंधित है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल स्टेट मुस्लिम यूथ लीग और अन्य संगठनों द्वारा इस संबंध में दिए गए अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, चूंकि आपकी सूचना उसी मुद्दे के बारे में है इसलिए आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय मैं उपरोक्त बातों का समर्थन करता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, क्या हम भी इस सम्बन्ध में समर्थन दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप भी इसका समर्थन कर सकते हैं।

श्री के. करूणाकरन (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं इस सूचना का समर्थन करता हूं।

श्री एन.एन. कृष्णदास : मैं भी निवेदन का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बोकारो के कर्मचारियों और मजदूरों की जर्जर स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यहां के लगभग चार हजार कर्मचारियों को 18 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। जिन कर्मचारियों ने वी.आर.एस. के तहत रिटायरमेंट लिया, उन्हें पेंशन का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्हें ग्रेच्युटी, पी.एफ. और अन्य पेंशन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि उनका अविलम्ब भुगतान करवाया जाए और एच.एस.सी.एल. को आर्थिक पैकेज दिया जाए। साथ ही साथ एच.एस.सी.एल. के कर्मचारियों को बोकारो इस्पात संयंत्र के अंतर्गत सम्पादित किए जा रहे कुछ कार्यों का बंटवारा एच.एस.सी.एल. के कर्मचारियों के बीच किया जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, रांची और संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में किसानों को मिट्टी का तेल अलग से देने की व्यवस्था थी। अभी वह व्यवस्था खत्म कर दी गई है जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बाजार में कैरोसिन 15-16 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि किसानों को सिंचाई के लिए अलग से तेल की व्यवस्था की जाए। उनको सरकार की तरफ से लोन पर डीजल पंप दिया गया लेकिन वह बेकार पड़ा है क्योंकि तेल नहीं मिल रहा है। मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार किसानों के लिए अलग से कैरोसिन तेल की व्यवस्था उचित दर पर करने का कष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पर्याप्त अनुसंधान के बाद सड़कों पर रबड़ की परत बिछाने की प्रौद्योगिकी को स्वीकार कर लिया है। इस प्रौद्योगिकी को कुछ अन्य देशों में विकसित किया गया था। फ्रांस में यह बहुतायत में देखा गया है कि प्राकृतिक रबड़ की क्षीर का उपयोग सड़कों पर रबड़ की परत बिछाने के लिए सर्वोत्तम है और इसे स्वीकार किया गया है।

महोदय, हाल ही में, मुझे पता चला है कि भारत सरकार ने 10 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों पर रबड़ की परत बिछाने का निर्णय लिया है। यह एक अच्छा निर्णय है। यद्यपि निर्णय ले लिया गया है तथा भारत सरकार और केरल सरकार ने निजी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कम्पनियों को आदेश दे दिए हैं लेकिन दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी प्राकृतिक रबड़ क्षीर का उपयोग नहीं कर रही है। जहां तक रबड़ उत्पादकों का संबंध है इससे उनके लिए गंभीर समस्या पैदा हो रही है क्योंकि यहां बाहर से रबड़ का आयात हो रहा है और यह कम्पनी बचे हुए रबड़ का उपयोग नहीं कर रही है। अनेक अधिकारी इसी कम्पनी को क्रयादेश देने में दिलचस्पी रखते हैं।

महोदय, यह एक गंभीर मामला है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और देश के रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, इन्होंने जो कुछ कहा है आप भी उसका समर्थन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, जैसाकि हम सब जानते हैं कि उड़ीसा के 30 जिलों में से 24 जिले विशेष रूप से राज्य के पश्चिमी भाग के आठ जिले भारी सूखे की चपेट में हैं। इस वर्ष लगभग 40 प्रतिशत वर्षा कम हुई है जिसके कारण 70 से 90 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो गयी है। राज्य में 750 करोड़ रुपये की धान की फसल भी नष्ट हुई है।

महोदय, अब गरीब किसानों, मध्यम किसानों और भूमिहीन श्रमिकों ने अन्य राज्यों को पलायन शुरू कर दिया है। तीतलगढ़ और कांताबांजी रेलवे स्टेशनों में रोज हजारों श्रमिक और किसान काम की खोज में राज्य छोड़ रहे हैं।

विडम्बना यह है कि कुछ सिंचित क्षेत्रों में जहां अच्छी फसल हुई है, अफरा तफरी में बिक्री की जा रही है।

महोदय, एक ओर खाने के अभाव में लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं तो दूसरी ओर जहां कहीं अच्छी पैदावार हुई है तो खरीदने वाला कोई नहीं है। भारतीय खाद्य निगम अपनी बात पर अड़ा है। वह हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सरकार स्थिति से निपटने हेतु कार्यवाही नहीं कर रही है।

महोदय, सबसे दु:खद बात यह है कि उड़ीसा सरकार द्वारा बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उड़ीसा सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने हमारे राज्य में स्थिति का जायजा लेने हेतु उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल अभी तक नहीं भेजा है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह उड़ीसा राज्य में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु तत्काल एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल भेजे। तीन दिन पहले ही एक गंभीर खबर मिली कि एक किसान ने वहां आत्महत्या कर ली है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदय, अब उड़ीसा में किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी है। अत:, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वे स्थिति से निपटने हेतु तत्काल कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, देश के मशहूर मारूति उद्योग के 4000 कर्मचारी अपने बाल-बच्चों के साथ जंतर-मंतर संसद मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मारूति उद्योग प्रबंधन ने पिछले डेढ़ महीने से दमनकारी नीति अख्तियार कर रखी है और मनचाहे तथा नाजायज ढंग से कागज पर दस्तखत कराने को बाध्य कर रहे हैं। इस कारण कर्मचारियों को फैक्ट्री के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया गया है। 83 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, दर्जनों कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है जबकि केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। एन.डी.ए. सरकार में आपस में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि मारूति उद्योग को सुजुकी के हाथ में बेच दिया जाये और कुछ मल्टी नेशनल कम्पनीज़ के हाथ में देने की बात कह रहे हैं। देश की यह एक ऐसी कम्पनी है जो आधा सरकारी और आधा गैर-सरकारी है, मुनाफा दे रही है। यह देश का प्रतिष्ठित उद्योग है जिसे बेचने की साजिश हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिस उद्योग के 4000 कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस उद्योग को तीन लाख करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है उसे और घाटा पहुंचाने की साजिश हो रही है, में अविलम्ब सरकार हस्तक्षेप करे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं लेकिन माननीय सांसद श्री जयपाल रेड्डी कुछ जानकारी देने के लिये खड़े हैं, उन्हें सुन लें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया हुआ है, हमारा नाम नहीं बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुलाऊंगा, आप बैठें।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): उपाध्यक्ष महोदय, हम रघुवंश बाबू के समर्थन में कहने के लिये खड़े हुये हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजो सिंह, आप इनके कथन का समर्थन कर सकते है। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ और भी कहना है। मारूति उद्योग लि. में स्थिति असाधारण है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम बोलें?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप नहीं बोलेंगे। आपका नाम यहां लिखा हुआ है, आपको बुलायेंगे। आप घड़ी-घड़ी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, एक जगह अपाइंटमेंट है, जाना है, इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि बुला लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बुलाऊंगा, अभी आप बैठें।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष जी, मैंने इस विषय पर बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां सब को बुलाने के लिये ही बैठा हूं, मेरा और क्या काम है?

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, हमने कई बार सूचना दी है, हम लोगों के साथ न्याय करिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. राय, यदि आप इस तरह से इनसिन्यूटेरी रिमार्क्स पास करेंगे कि हम कहीं किसी को ज्यादा कंसीडर करते हैं तो कैसे होगा?

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रतिदिन आपके कार्यालय में सूचना देते हैं लेकिन कभी मौका नहीं मिलता है, हम किससे कहें?

उपाध्यक्ष महोदय : मि. राय, सारी लिस्ट हमारे सामने रखी हुई है।

श्री नवल किशोर राय : हम आपके सिवा कहां जायें?

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये कहता हूं कि आप बैठे, आपको चांस मिलेगा और जब आपका नम्बर आयेगा तो आपको बुलाऊंगा। मैं सूची में दिए नामों के अनुसार बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मारूति उद्योग लि. एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है। यहां न तो हड़ताल चल रही है और न ही तालाबंदी। यह निजी कम्पनी नहीं है। यह अभी भी ऐसी कम्पनी है जिसमें सरकार की इक्विटी 50 प्रतिशत है। मारूति उद्योग लि. का प्रबंधन अत्यधिक श्रमिक विरोधी कार्य कर रहा है। वे प्रत्येक कामगार को सदाचरण वचनपत्र पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य कर रहे हैं जो देश के किसी भी कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है। कई लोगों को बिना किसी कारण के निलंबित या बरखास्त करके दण्डित किया गया है। 3000 से अधिक लोगों को बलपूर्वक गेट से बाहर रखा गया है।

यहां सरकार, कम्पनी में जिसकी 50 प्रतिशत इक्विटी है, इस स्थिति पर चुप्पी साधे हुए है। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री हस्तक्षेप करें और स्थिति को स्पष्ट करें। अथवा वे संबंधित मंत्री को सभा में प्रस्तुत होने तथा सभा के समक्ष वक्तव्य देने के लिए कहें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नवल किशोर राय, आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): महोदय, मैं दूसरे ढंग से इनका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : इसमें एक नयी बात मुझे कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको असोसियेट करने के लिए कह दिया है। आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

श्री नवल किशोर राय : रघुवंश बाबू ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके अलावा अर्ज करना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने जो विषय उठाया है, वही विषय आपका नहीं है?

श्री नवल किशोर राय : वही विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं। अभी मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। जब मैं आपका नाम बुलाऊंगा तब बोलिये।

श्री पी.आर. खूंटे।

श्री पी.आर. खूंटे (सारंगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नवगठित छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंतर्गत मेरा जो सारंगढ़ संसदीय क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र है, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे

संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र कशडोल में मलेरिया के प्रकोप से अभी तक सौ आदमी बेमौत मारे जा चुके हैं। सैकड़ों लोग मलेरिया के प्रकोप के शिकार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहां भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और पेयजल संकट भी है। वहां भुखमरी की स्थिति भी आ गई है। इस बीमारी को रोकने में नवगठित प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार असफल हो रही है। इसलिए मेरी भारत सरकार से मांग है कि वहां मलेरिया के प्रकोप से जो हरिजन, आदिवासी और गरीब तबके के लोग मारे जा रहे हैं, उनकी राहत के लिए वहां केन्द्र की ओर से विशेष स्वास्थ्य दल भेजा जाए और प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये राहत राशि दी जाए। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन है कि ये सब गरीब तबके के वनांचल में रहने वाले लोग हैं। उनके मुखिया लोगों की मृत्यु होने से उनके परिवार बिखर रहे हैं और छोटे-छोटे बाल-बच्चे पढ़ने लिखने में असमर्थ हो रहे हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि उनके पीड़ित परिवारों के जो बच्चे हैं, उनके लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी कराई जाए। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी का नोटिस 10 बजे के बाद मिला है। आपका जो मैटर है उस पर सबस्टैन्सिव मोशन में ही डिसकशन कर सकते हैं। अभी हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते, यह सेन्ट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या हम जीरो अवर में नहीं बोल सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : फिर हम इसी तरह से बोल देते हैं, आप सुन लीजिए। इतनी गंभीर बात चुनाव आयोग बोलेगा और किसी को गाली देगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसको सबस्टैन्सिव मोशन में लाकर दे सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह तो देंगे ही।

[अनुवाद]

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपको इस बात की जानकारी है कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम प्रख्यापित किए जाने के पश्चात् विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु वित्तपोषण के आधारभूत ढांचे और सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तथा बीमा क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। हम चाहते हैं कि प्रस्तावित बीमा विनियामक प्राधिकरण (आई.आर.ए.) हैदराबाद में बनाया जाए। हम हैदराबाद में वित्तीय और बीमा पार्क विकसित करने के लिए योजना बना चुके हैं। अनेक बीमा और वित्तीय कंपनियां हैदराबाद में अपने कार्यकलाप शुरू करने में बहुत दिलचस्पी दिखा रही हैं।

विगत में, मुख्य संस्थानों के मुख्यालय मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई जैसे स्थानों में बनाए जाए। इसलिए, यह उपयुक्त होगा कि आई.आर.ए. का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित हो। इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री ने भी सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने हैदराबाद में मुख्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि तथा अन्य आधारभूत ढांचा प्रदान करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है।

अत:, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अनुरोध को स्वीकार करे।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डा. रघुवश प्रसाद सिंह जी और माननीय श्री जयपाल रेड्डी जी ने जो मुद्दा उठाया है उसका समर्थन करते हुए आश्चर्य व्यक्त करना चाहता हूं कि मारूति उद्योग लिमिटेड के इम्प्लॉइज असोसियेशन का जो मामला है जिसकी चर्चा माननीय डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने की है, जब से मैं राजनीति में हूं, मैने आंदोलन को बहुत जगह देखे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा। वहां कोई आंदोलन नहीं है। 7 सितम्बर से कर्मचारियों को एक ऐग्रीमेन्ट पर साइन करने के लिए कहा जा रहा है। जो कर्मचारी 15-20 सालों से वहां काम कर रहे हैं उनको जबरन एक कागज पर दस्तखत करने के नाम पर पुलिस लगाकर अंदर नहीं घुसने दिया जाता है और उनसे काम नहीं कराया जाता है। यह मौलिक अधिकारों का हनन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि इतने दिन से चल रहे कर्मचारियों के आन्दोलन को दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों के साथ न्याय करने का निर्देश देने का कष्ट करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, उद्योग मंत्रालय के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा सदन में उठा रहे हैं, लेकिन न माननीय उद्योग मंत्री और न ही उद्योग मंत्रालय से संबंधित कोई दूसरे मंत्री उपस्थित हैं। यह चिन्ता का विषय है। ...*(व्यवधान)*

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग के कर्मचारियों के विषय में इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई चिन्ता से मैं अपने आपको जोड़ते हुए सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि जब यह आन्दोलन डेढ़ महीने से चल रहा है और स्ट्राइक हो रही है, तो क्यों नहीं आज तक भारी उद्योग मंत्री, जोशी जी ने कोई कार्रवाई की? मारुति उद्योग के प्रबन्ध निदेशक श्री जगदीश खट्टर की बातों से प्रभावित होकर मारुति उद्योग प्रबन्धक, कर्मचारियों को सड़कों पर बैठाने पर विवश कर रहे हैं। इसके बारे में सदन को अभी तक मंत्री महोदय द्वारा अधिकृत जानकारी क्यों नहीं दी गई?

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, सभी उद्योग रुग्ण हो चुके हैं और अगर यही प्रक्रिया जारी रही, तो हालत और खराब होगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राजीव प्रताप रूडी जी, इन लोगों का नाम लिस्ट में है। इन लोगों ने बोलने के लिए अपना नाम दिया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि समस्या का समाधान नहीं किया गया और यही प्रक्रिया चलती रही, तो देश के हालात खराब हो जाएंगे। उद्योग सभी जगह रुग्ण हो चुके हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है। इसलिए कृपया आप बैठ जाएं। आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसी प्रक्रिया यहां बिल्कुल नहीं चलने दूंगा।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय रघुवंश प्रसाद जी, जयपाल जी, नवल किशोर जी, बासुदेव आचार्य जी आदि सभी सदस्यों ने मारुति उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के आन्दोलन का विषय उठाया है। आप जानते हैं कि शून्य काल में मेरे लिए इसका उत्तर देना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह मेरा विभाग नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं और गंभीरता को मैं मंत्री महोदय तक स्वयं पहुंचाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी विषय माननीय सदस्यों ने उठाए हैं उनके संबंध में वे शीघ्र कार्रवाई करें और उन्हें सूचित करें।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान : उस मुद्दे का क्या हुआ जो मैंने उठाया है?

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपके द्वारा उठाए मुद्दे की बाबत गृह मंत्री जी को लिखूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हमने दो मांगे रखी थी। एक मांग विनिवेश के बारे में श्वेत पत्र से संबंधित है। दूसरी मांग नि:सन्देह विपक्ष के नेता ने माननीय अध्यक्ष को संबोधित की थी जो विनिवेश विभाग के लिए स्थायी समिति के गठन के बारे में थी। इसके बारे में सभा के किसी भी पक्ष में दो राय नहीं है। दुर्भाग्य से, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया और शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर, यह समाचार इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में और उसके बाहर भी प्रचारित किया जा रहा है कि एयर इंडिया की वर्तमान परिसम्पत्ति के मूल्य को जानबूझ कर कम आंकने और इसका इस प्रकार निपटान करने का प्रयास किया गया है कि सम्पूर्ण मूल्य कम हो जाए। इस देश की महत्वपूर्ण सम्पत्ति जिस पर इस देश का ध्वज लगा होता है यहां तक कि भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति भी इसके वाहन से देश से बाहर जाते हैं - को कम मूल्य में बेचा जा रहा है सभा को पूर्णत: अंधेरे में रखा गया है। श्री शरद यादव ने बिक्री को बढ़ाने के लिए निदेशक (वाणिज्य) से मांग की थी। इस तथ्य के बावजूद कि बिक्री 100 करोड़ से ज्यादा की हुई है, और इस तथ्य के भी बावजूद कि विमान चालकों ने यह मांग की है कि वे इस कम्पनी को अधिक राजस्व द्वारा और अच्छी तरह चला सकते हैं, सम्पूर्ण सभा को अंधेरे में रखा गया है। किसी को भी नहीं पता कि एयर-इंडिया का भविष्य क्या होगा। मैं मंत्री महोदय (क) विनिवेश के बारे में "श्वेत पत्र" और (ख) एयर इंडिया की स्थिति के बारे में सभा को स्पष्ट रूप से बताने की मांग करता हूं। दोनों सभाओं की सहमति के बिना देश की इस महत्वपूर्ण सम्पत्ति का मूल्य कम आंक कर अवमूल्यन करके निपटान हेतु कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने दो मुद्दे उठाये हैं। एक किसी संसदीय समिति के माध्यम से संसदीय जांच के अधीन आने वाले विनिवेश विभाग से संबंधित है।

आप जानते हैं कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार को संसदीय स्थायी समिति के अंतर्गत आने वाले किसी विभाग के मामले में आपत्ति करने का भी अधिकार नहीं है, इस पर कोई राय देने की बात तो छोड़ ही दीजिए।

इसके विपरीत, हम चाहते हैं कि सभी विभाग की किसी न किसी स्थायी समिति के द्वारा जांच की जानी चाहिए। इसलिए, विनिवेश विभाग की भी जांच होनी चाहिए। मेरे विचार से अध्यक्ष महोदय का यह विशेषाधिकार है कि वे यह निर्णय लें कि इसके

लिए अलग स्थायी समिति हो या इसे पहले से विद्यमान किसी स्थायी समिति से संबद्ध कर दिया जाए। इसका कारण है कि प्रत्येक विभाग की अलग स्थायी समिति नहीं है। कुछ मामलों में किसी विभाग के लिए आपने एक अलग स्थायी समिति बनाई है और कुछ दूसरे मामलों में आपने एक ही स्थायी समिति के अंतर्गत चार विभाग कर दिए हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अध्यक्ष महोदय का स्वविवेकाधिकार है परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे विपक्ष के नेता को बताये जाने से पूर्व, विनिवेश विभाग के मंत्री महोदय सार्वजनिक रूप से यह कैसे कह सकते हैं कि वे इसे अस्वीकार करते हैं? वे इस सभा के प्रवक्ता व संरक्षक नहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन : जैसा कि मैंने कहा है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप ''क'' या ''ख'' मंत्री को भूल जाइए, सम्पूर्ण सरकार को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि कोई भी विभाग संसदीय जांच के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा है, यदि किसी नए विभाग का सृजन किया गया है जो उस वक्त नहीं थे जब स्थायी समितियां बनाई गई थी। 17 संसदीय समितियां पहले से ही हैं - तो स्वाभाविक रूप से यह किसी न किसी स्थायी समिति के अंतर्गत आयेगा ही। इसे नामंजूर करने की बात तो भूल जाइए, सरकार की राय यह है कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। आखिरकार, यह संसदीय लोकतंत्र है। सभी विभागों की स्थायी संसदीय समिति के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इसके बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है परन्तु मेरे विचार से विनिवेश का मामला पहले ही किसी स्थायी समिति को सौंपा जा चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपके एक मंत्री ने सी.आई.आई. फोरम में कहा है कि इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री प्रमोद महाजन : किसी ने जो भी कहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सभा में आपको यह जवाब दे रहा हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे अधिकाधिक रूप से लिया जाना चाहिए। सी.आई.आई. एक संस्था है। हम संसद में है मैं इसे सभा में उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कह रहा हूं।

दूसरे, जहां तक एयर-इंडिया के विनिवेश का भी संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में, सरकार विनिवेश नीति पर चर्चा करने के लिए तैयार है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सरकार को इसी सत्र में चर्चा करनी थी न कि आने वाले सत्र में।

श्री प्रमोद महाजन : मुझे खेद है। मैं मराठी परिवार में पैदा हुआ, उसी में पालन पोषण हुआ और शिक्षा भी मराठी में प्राप्त की। इसलिए मेरी, अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मैं अपनी भूल सुधार करता हूं। इस सत्र में सरकार केवल सामान्य रूप से विनिवेश की नीति पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यदि सदस्य किसी एक विशेष उद्योग को ध्यान में रखते हुए विनिवेश नीति पर चर्चा करना चाहते हैं तो, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में, हम यह निर्णय करें कि कब और किस निर्णय के अंतर्गत इस पर चर्चा की जाए। हम संसद के बाहर कुछ भी नहीं करना चाहते। हम संसद को अंधकार में नहीं रखना चाहते। इसलिए, यह आरोप पूरी तरह गलत है। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत प्रतीक्षा के बाद वक्त मिला। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार के बंटवारे और नये झारखंड राज्य के निर्माण के बाद आज बिहार की लगभग एक तिहाई धरती और दो करोड़ की आबादी झारखंड क्षेत्र में चली गयी है। शेष बिहार में आज सात करोड़ की आबादी है। इस नये राज्य के निर्माण के पश्चात् बिहार के राजस्व का घाटा लगभग तीन हजार करोड़ रुपये है और झारखंड राज्य का राजस्व लगभग 1500 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार की वित्तीय बदहाली आज इस परिस्थिति में आ चुकी है। यदि केन्द्र सरकार जैसा कि बिल में प्रस्ताव दिया गया था कि एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा और योजना आयोग द्वारा इस विशेष प्रकोष्ठ के गठन के पश्चात् बिहार में आने वाले दिनों में जो वित्तीय अनुदान दिया जाना है, तो किस प्रकार से इस प्रक्रिया को पूरा किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय संबंधित मंत्री, गृह मंत्री और वित्त जी से कहना चाहूंगा कि शेष बिहार जिसकी बदहाली बहुत ज्यादा है, अगर उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति सोमालिया की तरह हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार की तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके जरिए इस सदन का और इस सरकार का जो बिल्कुल सोई हुई सरकार है और ना-अहल सरकार है, का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे कुलीग

[श्री जे.एस. बराड़]

मिस्टर मान सिंह एवं अन्य कुलीग्स ने इस मुद्दे के बारे में बात कही है। मंगलवार की रात को जम्मू-कश्मीर हाईवे के ऊपर पांच निहत्थे हिन्दुस्तानी सिखों का कत्ल किया गया है। उनको एक कतार में खड़े करके गोलियों से भून डाला गया। इससे पहले उनके पैसे निकाले गये और जो अन्य कम्युनिटीज के लोग थे, उनको भगा दिया गया। मैं इस सरकार को इसलिए ना-अहल मानता हूं क्योंकि छत्तीसिंह पुरा का काण्ड होने के बाद वहां की माइनोरिटीज कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन देने की बात कही गयी थी। जबकि क्लिंटन प्रैजीडेंट के होते हुए ये हत्यायें हुईं। इसके अलावा यह विश्वास दिलाया गया कि 136 गांवों में बसने वाले सिख माइनोरिटीज को और जम्मू-कश्मीर हाईवे के ऊपर हजारों की तादाद पर रोज जो सिख ड्राइवर वहां आते हैं, जो सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाये जायेंगे। लेकिन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। यह बहुत अफसोस की बात है और अगर माइक्रोस्कोपिक माईनौरिटी का मैसेकर इस तरह जम्मू कश्मीर हाईवे के ऊपर हो और सरकार इसके ऊपर कोई बयान न दे तो मैं यह महसूस करता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती देशभक्तों और माईनौरिटी कम्युनिटीज के साथ कोई और नहीं हो सकती। सरकार को इस मुद्दे के ऊपर जरूर बयान देना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसी विषय पर पहले ही श्री मान के विचारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, गृह मंत्री जी को इस पर वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : जी नहीं, महोदय, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मुझे जो प्रतिक्रिया करनी थी वह मैंने कर दी। यदि यही विषय पचासों बार उठाया जाएगा, तो प्रत्येक बार मैं प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं केरल के रबड़ उत्पादकों से संबंधित महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। अनेक प्रयत्नों के बावजूद केन्द्रीय सरकार ने रबड़ वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उटाया है। महोदय, रबड़ वस्तुओं का आयात बेरोकटोक के हो रहा है।

महोदय, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। हम कुल रबड़ उत्पादन के 90 प्रतिशत का उत्पादन करते है। इसलिए केरल भारत का सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। हम भारत की सम्पूर्ण रबड़ की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बार अनुरोध करने के बावजूद सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। रबड़ उत्पादकों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे भूखमरी के कगार पर है। केरल में लगभग 22 लाख रबड़ उत्पादक हैं। वे छोटे, बहुत छोटे और मध्यम श्रेणी के रबड़ उत्पादक हैं। वे भू-स्वामी नहीं हैं।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और भारत में रबड़-वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि केरल के छोटे रबड़ उत्पादकों जो अब तक हमारी रबड़ की 90 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रबड़ उगते हैं, को अवश्य बढ़ावा देना चाहिए। मैं पुन: केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि रबड़ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मैं तीन दिन से इस मुद्दे को उठाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको अनिच्छा से धन्यवाद देता हूं कि आपने अंतत: मुझे बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य लोग भी बोलना चाहते हैं। श्री बसुदेव आचार्य जैसे वरिष्ठ सदस्य भी बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं वह मुद्दा उठा रहा हूं जो अत्यंत गंभीर है और जिसका व्यापक प्रभाव है और जिससे हमारे देश की एकता, हित, अखंडता और यहां तक कि प्रभुसत्ता खतरे में पड़ सकती है। कन्नड़ फिल्म के प्रख्यात अभिनेता श्री राजकुमार का कुख्यात अपराधी और तस्कर, वीरप्पन द्वारा अपहरण तथा रिहाई के बाद अनेक लोग यह अनुभव करते हैं कि श्री राजकुमार की रिहाई के साथ ही यह मामला समाप्त हो गया है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, अभी कई बातों का पता लगना बाकी है। इसके पीछे लम्बा इतिहास है *...(व्यवधान)*। महोदय, उन्हें बात को बीच में काटना नहीं चाहिए। उन्हें ध्यानपूर्वक मेरी बात सुननी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं, इसमें केन्द्र सरकार क्या करें? कृपया मुसीबत को आमंत्रित मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, मैं उनसे कह रहा हूं कि वे विषय तक ही सीमित रहें।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, कृपया आप उसने कहिए कि वे शांति से सुनें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : परंतु आप विषय तक ही सीमित रहिए। आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं। आपने अभी केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही थी। कृपया आप भड़काने वाली स्थिति पैदा मत कीजिए और इस प्रकार सभा का समय बर्बाद मत कीजिए।

मैं पहले ही उनको बता चुका हूं। आप उनके भाषण में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य सरकार के बारे में बात न करें।

श्री के. मलयसामी : मैं राज्य सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने असली विषय की बात कीजिए। दो-तीन सदस्य अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : द्रविड़ मुनेत्र कषगम की कमजोर और अप्रभावी नीतियों का शुक्रिया अदा कीजिए कि वीरप्पन को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया है और इसी प्रक्रिया में उसके साथ टी.एन.एल.ए. और टी.एन.आर.टी. जैसे संगठन भी मिल गए हैं जो जाने-माने उग्रवादी और अतिवादी संगठन हैं और अपनी देशद्रोही और खतरनाक गतिविधियों जैसे पुलों, टी.वी. टावरों को नष्ट करने, पुलिस-स्टेशनों पर धावा बोलने और पुलिस वालों को मारने के लिए बदनाम हैं।

मैं किसी अधिकार या प्रमाण के बिना यह बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों में से हूं, जो तत्कालीन तमिलनाडु सरकार के पूर्व गृह सचिव के रूप में उक्त गतिविधियों के खिलाफ आपरेशन की बागडोर संभाले हुए थे। अत: मैं पूर्ण अधिकारिक रूप से यह बात कह सकता हूं। केवल इतना ही नहीं, मैं साक्ष्यों के साथ दो और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ पूर्ण आधिकारिक तौर यह बात कह रहा हूं। इनमें से एक है श्री अरकेश, जो कर्नाटक के विशेष कार्यबल के पुलिस अधीक्षक थे इन्होंने कुछ ही महीने पहले यह पद छोड़ दिया है। इन्होंने इस बारे में स्थिति वस्तु-रिपोर्ट दी है, जो मेरे पास है और दूसरे प्रो. कृष्णास्वामी है जिन्हें वीरप्पन ने अपहरण कर बंदी बना कर रखा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्वयं सभा को मत चलाइये। मैं सभा चला रहा हूं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे? अन्यथा मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। कृपया व्यवधान न डालें।

श्री तिरूनावक्करसू (पुड्डूकोट्टाई): डा. राजकुमार की रिहाई पहले ही हो चुकी है। अब वह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए कि आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं।

श्री के. मलयसामी : यदि मुझे तीन मिनट और दिए जाएं तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : और समय नहीं दिया जाएगा, आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): यह सभा केवल उनके लिए ही नहीं है। राज्य सरकार अथवा राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। वह जो कह रहे हैं, पूरे राज्य में आम राय वही है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, कृपया अपने सदस्य को नियंत्रित कीजिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। वह जो कुछ कहना चाहते थे, वह पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जा चुका है। अब वे मुख्य बात पर आएं। मैं यहां किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलने दूंगा, जो अपमानजनक हो। यदि कुछ आपत्तिजनक हुआ, तो मैं उसे सभा की कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): वह उस समय तमिलनाडु के गृह-सचिव थे वह तथ्यों से परिचित हैं। वे उनके भाषण में व्यवधान क्यों डालते हैं? उनका विशेषाधिकार है और सदस्य के रूप में सभा में बोलने का उनका अधिकार *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुख्य बात पर आइए और बताइए कि आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : जब ये लोग अपने स्थान पर खड़े हो रहे हैं, तो मुझे अपनी बात से आपको संतुष्ट करना ही होगा। यह मुद्दा दोनों राज्यों और सम्पूर्ण राष्ट्र से संबंधित है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूं? क्या मैं यह बात नहीं जानता हूं?

श्री पी.एच. पांडियन : वे अपनी बात कहने में हिचकिचा क्यों रहे है? उनका संबंध वीरप्पन और उनकी संदेहास्पद गतिविधियों से है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? श्री के. मलयसामी के अनुरोध के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बताइए कि केन्द्र सरकार को क्या करना है। ठीक-ठीक बात कहिए।

श्री के. मलयसामी : आतंकवादी और उग्रवादी की आपराधिक पृष्ठभूमि और लिट्टे, टी.एन.एल.एम. के साथ संपर्क और टी.एन.एल.आर.टी. के वीरप्पन के साथ संबंध के चलते वे आई.एस.आई. के साथ मिलीभगत करके दो राज्यों में अपनी गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं जब तक पृष्ठभूमि नहीं बता देता, तब तक वे कैसे समझेंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही संपूर्ण पृष्ठभूमि बता चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदिशंकर, आप अपने स्थान पर जाइये, श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, वे उनके बोलने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, मैं एक छोटी सी घटना के बारे में बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : 'शून्य-काल' में किसी घटना का उल्लेख नहीं किया जा सकता। आप पहले ही यह कह चुके हैं। आप केवल इतना बताइए कि आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, वे प्रतिदिन अपना झंडा फहरा रहे हैं और अपने गुप्त अड्डे पर ही उसे सलामी दे रहे हैं। वे तमिलनाडु से अलग होना चाहते हैं और एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। वे मुख्य राष्ट्र की धारा से भी अलग होना चाहते हैं। क्या ये पृथक्तावादी आंदोलन नहीं है? क्या यह आपत्तिजनक विचारधारा नहीं है? ऐसी स्थिति में वे अपनी कार्यवाही जारी रखना चाहते हैं। दूसरे, ऐसा कहा जा रहा है कि इस सौदे में डा. राजकुमार की रिहाई के बदले-भारी धनराशि का लेन-देन हुआ है। केवल इतना ही नहीं, बड़े राजनेताओं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ वीरप्पन गैंग के संबंधों ने उन्हें बेदाग निकल जाने में मदद की है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु विधान सभा में हर बात पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तृत उत्तर दिया था। इस पुस्तक में हर बात का उल्लेख है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं?

श्री के. मलयसामी : केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिए और इसे राज्य सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी ओर केन्द्रीय जांच-ब्यूरो, अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध (रॉ) और आसूचना ब्यूरो की सेवाएं भी ली जानी चाहिए कि संपूर्ण सौदे में क्या हुआ। मैं उनसे यही करवाना चाहता हूं। उन्हें इसकी पूर्ण जांच करनी चाहिए और जो गुप्त-सौदा हुआ है, उसकी सच्चाई सामने लानी चाहिए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध राय।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आदि शंकर जी, आप नये सदस्य हैं। मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध राय बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ 80 पर कहलगांव के पास पुल धंस जाने के कारण एक तेल टैंकर नदी में गिर गया। एक ठेले वाला और साइकल सवार भी दुर्घटना का शिकार हुआ। इसके चलते कहलगांव-आवागमन बुरी तरह बाधित है। प्रतिदिन लाखों लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसी मार्ग पर हाल ही में प्रलयंकारी बाढ़ के कारण मुंगेर कहलगांव के बीच दर्जनों जगह क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण और पुलों की स्थिति जर्जर होने के कारण भीषण दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। इसलिए भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से मांग है कि युद्ध स्तर पर क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण और सड़कों के निर्माण के लिए काम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री जे.एस. बराड़ : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं। हम गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही आपके प्रश्न पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुके हैं।

श्री जे.एस. बराड़ : जी नहीं महोदय। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी.एच. पांडियन : क्या हस्तक्षेप करने का यही तरीका है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पश्चात्, यदि द्रविड़-मुनेत्र कषगम और अखिल-भारतीय-अन्ना-द्रमु कषगम, दोनों को ही 'शून्य-काल' में बोलने की अनुमति न दी जाये, तो बेहतर होगा। मुसीबत से बचने का यही तरीका है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आपको बोलने का अवसर मिला था। इसी प्रकार, अन्य सभी सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। चेन्नितला जैसे सदस्य भी हैं, जो यह अवसर प्राप्त करना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : पार्टी नेता होने के नाते मुझे अपने उप-नेता के बचाव में बोलने का अधिकार है। वह कहना चाहते हैं कि डी.एम.के. सरकार को बर्खास्त किया जाये और वे उन्हें अपनी यह बात नहीं कहने दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, सभी सदस्यों का बचाव अध्यक्षपीठ द्वारा किया जाता है आपके द्वारा नहीं। श्री आदि शंकर, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : क्या उन्हें 'शून्य काल' में व्यवधान पैदा करने का अधिकार है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : उपाध्यक्ष जी, हम छोटी सी बात कहना चाहते हैं, कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात पर पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। उन्होंने श्री मान की बात का पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात का भी उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

...(व्यवधान)

श्री जे.एस. बराड़ : महोदय, मंत्री जी हमारी बात के उत्तर में जो कुछ कहना चाहते हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं; हम जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे इसका उत्तर दे रहे हैं तो कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, उन्होंने अपनी बात पहले ही समाप्त कर दी है। श्री सुबोध राय ने भी अपनी बात समाप्त कर दी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर मुझे आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। आप हर बार खड़े हो जाते हैं। कृपया, अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है? आप नए सदस्य हैं। आपकी पार्टी का नेता कौन है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं? यह क्या है?

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं उन्हें रोक रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं सभा को नियंत्रित कर रहा हूं। आप आग में घी डाल रहे हैं। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मलयसामी, मैंने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री के. मलयसामी : यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही अपनी बात कह दी है। अब मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : वीरप्पन का मुद्दा कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ है। तमिलनाडु में प्रत्येक पार्टी का शासन रहा है और वीरप्पन अभी भी है ...*(व्यवधान)* ऐसा रातों रात नहीं हुआ है। वह सुर्खियों में कल या आज नहीं आया है ...*(व्यवधान)* आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : आप मूकदर्शक हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : मंत्री जी, क्या आप तमिलनाडु सरकार का समर्थन कर रहे हैं?

श्री प्रमोद महाजन : जी हां, मैं तमिलनाडु सरकार का समर्थन कर रहा हूं। इसमें गलत क्या है? ...*(व्यवधान)* महोदय वे मेरी बात नहीं सुन रहे है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय करता हूं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप सभा में किसी को भी बोलने नहीं देते हैं। मैंने उन्हें अपनी बात पूरी करने की अनुमति दी है। उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली है। आप इस मामले को बार-बार उठा रहे हो। कृपया ऐसा न करें। यह ठीक नहीं है। आप सभापति तालिका के सदस्य भी हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही अपनी बात समाप्त कर दी है। आप उस मामले को फिर से उठा रहे हैं।

श्री जे.एस. बराड़ : श्री पांडियन, जनसंहार की घटना घटी है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने संसदीय कार्य मंत्री को बोलने की अनुमति दी है। वे इसका उत्तर दे रहे हैं। आप उनके बोलने में पुनः व्यवधान डाल रहे है।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जे.एस. बराड़ : श्री पांडियन, यह नरसंहार की घटना है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन : श्री बराड़, हम आपका समर्थन करेंगे, *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे चुका हूं, आप अपनी बात समाप्त कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. मलयसामी : महोदय, आपने मुझे अपनी बात पूरी करने ही नहीं दी है *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : यदि जोर-जोर से चिल्ला कर बोलना ही बड़ी बात है और जबरदस्ती किसी सदस्य को बोलने से रोका जायेगा तो फिर कोई भी सदस्य इस सभा में बोल नहीं पायेगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा इस सभा में नहीं होता। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। यदि आप कार्यवाही-वृत्तांत देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसे दिखा सकता हूं। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की *...(व्यवधान)* वे अपनी बात कह रहे हैं। कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कई बार पूछा कि वे इस मामले में केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं। वे पुनः उत्तर से दक्षिण तक की बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.24 बजे

(इस समय श्री वी. वेत्रिसेल्वन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा है। वे राज्य सरकार के मुद्दे को उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : क्या यह असंसदीय है? संसद के कार्यकरण में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्हें बोलने का अधिकार है। क्या कोई इस पर आपत्ति कर सकता है? जब वे कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त किया जाए तो क्या यह असंसदीय है? *...(व्यवधान)*

श्री तिरूनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई): जी हां, यह असंसदीय है। वे यह कैसे कह सकते हैं कि सरकार के साथ वीरप्पन की साठगांठ है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह संसदीय है कि जब आप खड़े हो तो पीठासीन अधिकारी को आपको बैठने का आदेश देना पड़े? क्या आपने नियम देखा है? यह नियम है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 1.25 बजे

(इस समय श्री वेत्रिसेल्वन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह नियम है? श्री मलयसामी, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, किसकी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करुं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : शून्यकाल में किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है *...(व्यवधान)* माननीय सदस्य के बोलने में कोई भी व्यवधान नहीं डाल सकता है *...(व्यवधान)* उन्हें बोलने नहीं दिया गया। यदि हम ऐसा तरीका अपनाते हैं तो कोई भी नहीं बोल सकता है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन आप मंत्री जी को उत्तर देने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को सभा में बोलने के लिए कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : यदि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम उन्हें भी नहीं बोलने देंगे। फिर सभा नहीं चलेगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्यथा, अभी आप क्या कर रहे हैं। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? पांडियन जी, मैंने उन्हें पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने यह बताया है। आप कार्यवाही-वृत्तांत देख सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : शून्य-काल में, जब किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है, तो क्या अन्य सभी माननीय सदस्यों को चुप रहना होता है।

श्री पी.एच. पांडियन : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, आप जवाब दें। मैं मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करना चाहता हूं।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय सदस्य, श्री सिमरनजीत सिंह मान और अन्य सदस्यों द्वारा आज उठाया गया मुद्दा अत्यंत गंभीर है। यह दलगत मुद्दा नहीं है। सरकार उसके बारे में चिंतित है। मैं व्यक्तिगत रूप से - मैंने सुबह यह कहा है - माननीय सदस्यों की भावनाओं को माननीय गृह मंत्री को संप्रेषित करूंगा और यह देखूंगा कि उस पर कुछ कार्यवाही हो। मैंने सुबह भी यह बात कही है और उसे दोहराना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : हमने जो निवेदन किया है, उस पर सरकार का क्या उत्तर है? वे उसका जवाब नहीं दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति : माननीय मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं तो मामला उठा दिया है लेकिन अन्य सदस्यों को ऐसा नहीं करने दे रहे।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय को स्मरण कराना चाहूंगा कि अध्यक्षों के सम्मेलन में हमने निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप तमिलनाडु विधान-सभा के अध्यक्ष थे और आप जानते हैं कि शून्य-काल में पीठासीन अधिकारी मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए निर्देशित या बाध्य नहीं कर सकता। आप यह जानते

*कार्यवाही *कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हैं। यह जानते हुए भी आप मंत्री जी से उत्तर के लिए कह रहे हैं। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : ऐसा पिछले महीने तक था। संयुक्त राष्ट्र महासभा सभी वक्ताओं ने जवाब देने के लिए मंत्री को बाध्य करने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय किया है *...(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : हम अध्यक्षपीठ को बाध्य नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्षपीठ इस संबंध में मंत्री महोदय को अपना विनिर्णय दे सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, मैंने श्री रमेश चेन्नितला का नाम बुलाया है, वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। वह एक ऐसा मामला उठा रहे हैं, जिसमें मैं भी रुचि रखता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : मैं उनकी बात सुनने का इच्छुक हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, मैं देश के सभी दक्षिणी राज्यों से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। सभा के गत-सत्र के दौरान, इस सभा में सभी संसद सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर नारियल उत्पादकों का मामला उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्वाचन क्षेत्र उन पर निर्भर करता है।

श्री रमेश चेन्नितला : दक्षिण के सभी राज्य प्रभावित हैं। नारियल के मूल्यों में अत्यधिक कमी ने लगभग सभी दक्षिणी राज्यों में गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी है। दुर्भाग्य से कल कृषि मंत्री के जवाब ने लोगों में काफी गलतफहमी उत्पन्न कर दी। महोदय, केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार की गई नारियल की गरी की खरीद समुचित ढंग से नहीं हुई।

अब, नारियल गरी की खरीद हमारे राज्य और अन्य दक्षिणी राज्यों में नहीं हो रही है। खाद्य तेल पर निम्न आयात-शुल्क के कारण, हमारे देश में अंधाधुंध आयात किया जा रहा है। उसके कारण नारियल का मूल्य कम हो गया है। श्रीलंका और अन्य स्थानों से नारियल-गरी के आयात से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब, बंगलौर और अन्य स्थानों पर, हमें एक नारियल-गरी एक रुपये के भाव मिल रही है। उसके कारण देश के दक्षिणी भागों में नारियल उत्पादक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अत:, मैं, आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि खाद्य तेल जैसे ताड़ के तेल पर कम से कम 300 प्रतिशत आयात-शुल्क लगाया जाना चाहिए। मलेशिया और अन्य देशों से पामोलीन का आयात किया गया है। समाचार पत्रों में यह छपा है कि जिस ताड़ के तेल का आयात किया गया है, वह निम्न-गुणवत्ता के कारण हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। नारियल गरियों के आयात पर प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि वह नारियल उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

गोला नारियल 'कॉपरा' और अन्य गरियों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए। जब पिछले वर्ष इसे निर्धारित किया गया तो, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने इस पर भी आपत्ति की। अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि गत वर्ष जो समर्थन मूल्य घोषित किए गए थे, उनकी समीक्षा की जाये।

सरकार को नारियल गरी की और अधिक मात्रा में खरीद के लिए नेफेड और अन्य एजेंसियों को निर्देश देने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : नेफेड को भी।

श्री रमेश चेन्नितला : केवल तभी स्थिति में सुधार होगा। अब केरल और विशेष रूप से केरल के उत्तरी भागों से कोका-कोला और अन्य मृदु पेय पदार्थों के लिए व्यापक अभियान चलाया गया है। वहां व्यापक अभियान चल रहा है और लोग भी दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर इसमें भाग ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी प्रभावित हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि यही स्थिति रहती है तो यह कानून और व्यवस्था की समस्या बन जायेगी और कोई इस पर रोक नहीं लगा पायेगा। अत. मैं संसदीय कार्य मंत्री से इसका जवाब देने का अनुरोध करता हूं और कृषि मंत्री जी से देश के दक्षिण भागों के नारियल उत्पादकों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने का भी अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी जीवन-रेखा उसी पर निर्भर है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नारियल उगाने वाले क्षेत्र अर्थात् कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप के भी सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपकी रुचि नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं विभिन्न नारियल उत्पादक राज्यों के सदस्यों और विशेष तौर पर आप, जिन्हें उपाध्यक्ष होने के कारण अपने निर्वाचन-क्षेत्र की समस्याओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मुश्किल से मिलता है द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं की सराहना करता हूं। अत: इसका केवल यही एक तरीका है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम वास्तव में उठाई गई समस्याओं की सराहना करते हैं। उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जिनका उत्तर में संबद्ध मंत्री न होने के कारण शून्य काल में नहीं दे सकता। परंतु ये मुद्दे तीन मंत्रालयों अर्थात् कृषि, वित्त और वाणिज्य से संबंधित हैं। मैं इन तीनों मंत्रियों को यहां सदस्यों ने जो कुछ बताया है, उसके बारे में लिखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नारियल-उत्पादक राज्यों के सांसदों को एक बैठक बुलाने के लिए क्यों नहीं कहते?

श्री प्रमोद महाजन : मैं कृषि मंत्री से बैठक बुलाने के लिए कहूंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री भी बैठक बुला सकते हैं। वह अन्य मंत्रियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं।

श्री प्रमोद महाजन : जी नहीं, जी नहीं, हम काम को दुगुना क्यों करे? मैं कृषि मंत्री से पूछूंगा *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, हम इस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कृषि मंत्री जी ने अध्यक्ष-कक्ष में बैठक बुलाई थी। हम सभी ने उसमें भाग लिया था।

श्री रमेश चेन्नितला : वाणिज्य मंत्री को भी आमंत्रित किया जा सकता था।

श्री प्रमोद महाजन : यह हमारे लिए आदेश ही है। अत:, मैं इस सत्र में अर्थात् जितना जल्दी हो सकेगा, कृषि मंत्री जी से नारियल-उत्पादक क्षेत्रों के सांसदों की एक बैठक बुलाने और उनकी शिकायतों को सुनने तथा समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने के लिए कहूंगा *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अंडमान नारियल उत्पादक क्षेत्र है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य संबद्ध मंत्री भी आ सकते है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय छ: लाख से ज्यादा कोयला श्रमिक तीन दिन से हड़ताल पर थे जो कि कल समाप्त हो गई। यह हड़ताल चार सहायक कंपनियों ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल., सी.सी.एल. और एस.ई.सी.एल. में पूर्वत: तथा अन्य सहायक कंपनियों में आंशिक रूप से सफल रही।

छ: लाख कोयला मजदूरों की यह मांग है कि तेल समझौता, जिस पर 13 सितम्बर को सी.आई.टी.यू. के अतिरिक्त अन्य सभी संघो ने हस्ताक्षर किए हैं, लागू नहीं किया जाए क्योंकि इससे अधिकांश श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा। इस समझौते के लागू किए जाने के बाद अधिकांश कोयला श्रमिक को वर्तमान वेतन से भी कम वेतन मिलेगा। जहां तक कोयला उद्योग के अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्हें 120 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिलेगा। जबकि श्रमिकों को केवल 12% ही लाभ मिलेगा इसलिए अधिकांश कोयला श्रमिकों ने इसे अस्वीकार कर दिया है और उन्होंने यह बात हड़ताल की सफलता से सिद्ध कर दी है। इस हड़ताल का आह्वान मात्र एक संघ सी.आई.टी.यू. ने किया था। अत: मेरी मांग है कि वेतन समझौते को, जिस पर 13 सितम्बर को हस्ताक्षर किए गए थे, रद्द कर दिया जाना चाहिए और कोल इंडिया को तुरन्त संघों के साथ एक नया वेतन समझौता करने की शुरूआत करनी चाहिए।

श्रमिकों की एक और मांग है। राज्य सभा के पिछले सत्र में कोयला उद्योग के निजीकरण हेतु एक विधेयक पुर:स्थापित किया गया था। सभी मजदूर और संघ कोयला उद्योग के निजीकरण के खिलाफ हैं।

महोदय, कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1972-73 में किया गया था। अब कोयला उद्योग के विराष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव है। अत: मेरी मांग है कि कोयला उद्योग के विराष्ट्रीयकरण संबंधी जो विधेयक राज्य सभा में पुरस्थापित किया गया है, उसे वापस लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.37 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.09 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.09 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुई*)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सूखे से प्रभावित विशेष रूप से चुरू जिले के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान राज्य में लगातार तीन वर्षों से अकाल की विभीषिका से जूझने के बाद इस वर्ष फिर प्रकृति के प्रकोप को सहन करने की लाचारी ने ग्रामीणों को हताश व निराश कर दिया है। किसान का अधिकांश पशुधन तो पिछले वर्ष ही खत्म हो गया था। इस वर्ष भी ग्रामीणों ने अपने बचे पशुधन को राम भरोसे छोड़ दिया है व खुद काम की तलाश में पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। किसान की क्रय शक्ति खत्म हो गई है। राज्य सरकार अकाल राहत कार्य कब प्रारम्भ करेगी कुछ तय नहीं है। किसान के पास खाने के लिये आज अनाज, पशुधन के लिये चारा व पीने के पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। बरसात न होने से तालाब नदियां सूख गई हैं। कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जिन गांवों में जलदाय विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाती है, वहां बिजली के अभाव में आपूर्ति ठप्प हो गई है। ऐसी स्थिति में आज किसान अन्न-पानी व चारे के लिये दर-दर भटक रहा है। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। राजस्थान सरकार इस विकट समस्या को हल कर पायेगी ऐसा लगता नहीं, न ही वह सक्षम है। पिछले वर्ष किये गये अकाल राहत कार्यों का भी भुगतान अभी तक शेष है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान विशेष रूप से चुरू जिले की गंभीर हालत को देखते हुये अविलम्ब सूखे की स्थिति का अवलोकन करते हुए एक अध्ययन दल भेजकर अधिकतम सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

(दो) सूर्य मन्दिरों के पुनरुद्धार के लिए बिहार सरकार को धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डा. संजय पासवान (नवादा): सभापति महोदय, बिहार राज्य उपासना हेतु विख्यात है जहां लाखों श्रद्धालू ''छठ पर्व'' के अवसर पर भगवान सूर्य को अर्ध्य देकर उनकी पूजा करते हैं। यहीं के मध्य बिहार के पटना के ''उलार'' औरंगाबाद जिला में ''देव'' नालंदा जिला में ''बरगांव'' औंगारी नवादा जिला के ''हड़िया'' एवं गया में ''सूर्यकुण्ड'' नामक स्थान पर प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित हैं जो काफी जीर्ण अवस्था में हैं। उक्त सूर्य मंदिरों में कुछ मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर से भी पुराने हैं। अत: इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि उक्त प्राचीन सूर्य मंदिरों का जीर्णोद्धार करके इस क्षेत्र को ''सन टैम्पल सर्किट'' के रूप में विकसित किया जाये जिससे देश विदेश के श्रद्धालू यहां आ सकें। साथ ही इटली सरकार द्वारा प्रस्तावित सन टैम्पल हेतु दिये जाने वाली आर्थिक सहायता को भी इन मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं प्रस्तावित ''सन टैम्पल सर्किट'' के विकास, प्रसार एवं प्रचार करने की आवश्यकता है। इस निमित्त राज्य सरकार को समुचित धन उपलब्ध कराया जाये।

(तीन) बम्बई हाई में ओ.एन.जी.सी. और रिलायंस कंपनी के साथ तेल अन्वेषण कर रही एनरॉन कम्पनी के कार्यकरण की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री बृज भूषण शरण सिंह (गोण्डा): सभापति महोदय, बाम्बे हाई में तेल निकालने के काम में लगी अमेरिकन एनरान कम्पनी, जिसका ओ.एन.जी.सी. व रिलायंस कम्पनी के साथ जाइंट वैंचर है, का लेखा जांच वर्ष 1998-99 में डायरेक्टर जनरल हाइड्रो कार्बन, आंतरिक लेखा विभाग पेट्रोलियम मंत्रालय आदि-आदि ने संयुक्त रूप से की थी। जांच का परिणाम प्रश्नवाचक रहा, तभी उक्त जांच कार्य का जिम्मा मैसर्स के.पी.एम.जी. को दे दिया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जब आंतरिक लेखा इस कार्य के लिये सक्षम था तो प्राइवेट ऑडिट कम्पनी मैसर्स के.पी.एम.जी. को किस आधार पर उक्त कार्य दिया गया और उक्त प्राइवेट ऑडिट कम्पनी ने अपने जांच में कौन-कौन सी आर्थिक अनियमितताओं को उजागर किया है।

(चार) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कर्मचारियों को एल.टी.सी. लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के श्रमिकों एवं कर्मचारियों को भारत भ्रमण के लिए एल.टी.सी. (अवकाश प्राप्त यात्रा प्रमाण पत्र) मिलता है, परंतु कई वर्षों से कंपनी के कर्मचारियों और मजदूरों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। एल.टी.सी. और एल.एल.टी.सी. के एवज में कर्मचारियों और मजदूरों को नकद राशि का भुगतान किया जाता है, परन्तु बी.सी.सी.एल. द्वारा इस राशि का भुगतान कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में मैंने मामला लोक सभा में भी उठाया, परन्तु भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक न कोई कार्रवाई की जा सकी है या जवाब मिला है।

अत: सरकार से आग्रह है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मजदूरों और कर्मचारियों को एल.टी.सी. एवं एल.एल.टी.सी. के बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने हेतु निर्देश जारी किया जाए और बकाया राशि के भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए।

(पांच) भारतीय इलाइची अनुसंधान संस्थान, डोनीगल, कर्नाटक का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, डोनीगल की स्थापना हासन और उसके पड़ोसी जिलों में इलायची के अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। यह संस्थान संतोषजनक कार्य कर रहा है। कर्नाटक, विशेष रूप से हासन निर्वाचन क्षेत्र के इलायची उत्पादकों ने 27.7.1998 को डोनीगल का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए तत्कालीन माननीय वाणिज्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया था।

दुर्भाग्यवश इस समय कुछ ऐसे व्यक्तियों, जिनके अपने स्वार्थ हैं, की इस संस्थान को बंद कराने का सोची समझी चाल है। वे चाहते हैं कि भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान का कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के बजाए कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया जाए। यह विचार कर्नाटक के इलायची उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है।

हासन डिस्ट्रिक्ट प्लांटर्स एसोसिएशन और हासन जिले के इलायची उत्पादकों ने इसका कड़ा विरोध किया है।

इसलिए, मैं वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस संस्थान को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन ही रखा जाये और इसमें वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ाकर, महत्वपूर्ण मसाला फसलों पर अनुसंधान और उनके विकास तथा उनके लिए विपणन सुविधाएं प्रदान कर तत्काल इसका दर्जा बढ़ाया जाए।

(छः) नारियल उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन (कासरगौड़): महोदय, आज नारियल की कीमतें गत वर्ष की तुलना में आधी कर दी गई हैं। केरल के लोगों के लिए नारियल आय का मुख्य स्रोत है। इसकी कीमतों में कमी खाद्य तेलों और पाम ऑयल जैसी वस्तुओं के आयात के कारण की गई है। केन्द्र सरकार ने इस पर आयात शुल्क में 16 प्रतिशत की कमी की है जिससे उद्योगपति बड़े पैमाने पर आयात करके लाभ कमा रहे हैं। उत्पादकों पर नारियल के बगानों के रोग, खाद की कीमतों में वृद्धि और उत्पादन लागत में वृद्धि का भी प्रभाव पड़ रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार कोई भी व्यक्ति आयात या निर्यात कर सकता है। इसलिए सरकार को कृषकों विशेष रूप से नारियल उत्पादकों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए ताकि उन्हें अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य मिल सकें। आयात में वृद्धि हुई है लेकिन निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। यह देश के हित में नहीं है। 41 लाख टन खाद्य तेल में पाम आयल का हिस्सा मात्र 24 लाख टन है और आने वाले वर्षों में निश्चय ही इसमें बढ़ोत्तरी होगी क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य बहुत कम हैं तथा आयात शुल्क में कमी कर दी गई है। साबुन उद्योग आदि में पाम आयल के उपयोग से भी नारियल उत्पादक प्रभावित हुए हैं। कोपरा का मूल्य दिन-प्रतिदिन गिर रहा है। अब सरकार द्वारा नारियल उत्पादकों के संरक्षण के लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। केन्द्र सरकार इस पर उसी प्रकार कार्रवाई कर सकती है जैसे उसने हाल ही में पंजाब में धान के उत्पादकों को हानि होने पर वित्तीय सहायता मुहैया कराकर कार्रवाई की थी।

दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से केरल की गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पाम आयल के आयात पर नियंत्रण लगाया जाए और नारियल उत्पादकों के लिए आर्थिक पैकेज अथवा प्रोत्साहनों घोषणा की जाए क्योंकि नारियल की कीमतों में कमी के कारण नारियल उत्पादकों को बहुत नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय : श्री डी. वेणुगोपाल।

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरुपत्तूर): महोदय ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वेणुगोपाल जी, एक मिनट रुकिए। यहां तमिल भाषा का कोई भाषान्तरकार नहीं है। क्या आपने इसकी पहले सूचना दे दी है?

श्री डी. वेणुगोपाल : हां।

सभापति महोदय : कृपया, एक मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम भाषान्तरकार की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद आपको अन्त में बोलने के लिए बुलाएंगे।

श्री प्रमोद महाजन : अथवा वह एक काम कर सकते हैं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। इसके बाद वह अपने भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं। हम इसका अनुवाद करवा लेंगे।

सभापति महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(सात) बेहतर जल प्रबन्धन के लिए प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर): जी नहीं, मैं पढ़ूंगा।

*सभापति महोदया, देश के नदी जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के लिए इससे संबंधित अनेक कार्य योजनाएं अनेक वर्षों से शुरू नहीं की गई हैं। एक तरफ नदियों का जल समुद्र में बेकार बह जाता है और दूसरी ओर राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे के संबंध में विवाद हैं। एक दूसरी ओर, हमारे सामने यह समस्या है कि अधिक से अधिक भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। समस्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी हरित क्रांति की शुरूआत करने की आवश्यकता है। हमारे देश में, जहां कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, जल प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। इसलिए हमें गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने संबंधी कार्य पूरा होने तक इस संबंध में कतिपय उपाय करने चाहिए। बहुत पहले 1977 में प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने संबंधी तकनीकी संभाव्यता का पता लगा लिया गया है। पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की नदियों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए। इससे सिंचाई सुविधा में सुधार होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इससे विन्ध्याचल क्षेत्र में एक उच्च क्षमता वाले पंपिंग स्टेशन की स्थापना हो जाने से गंगा को कावेरी से जोड़ने संबंधी कार्य को प्रोत्साहन मिल सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने हेतु इससे संबंधित परियोजना को शुरू करने के लिए दूरदर्शिता अपनानी चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(आठ) मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदया, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में तीन जिले पड़ते हैं, मुंगेर, लखीसराय और जुलाई। 21 सितम्बर को भीषण वर्षा, बाढ़ से उपरोक्त जिलों में तबाही, जन-धन की काफी क्षति पहुंची है। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड, वरियापुर प्रखंड, जमालपुर प्रखंड और तारापुर प्रखंड के सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए हैं। जिला अधिकारी मुंगेर के अनुसार 50 आदमियों की मृत्यु हो गई है। 900 जानवर मारे गए। लगभग 50 हजार मिट्टी के घरों का अस्तित्व मिट गया है। सड़कें, स्कूल, सामुदायिक भवन और अन्य ग्रामीण साधन तहस-नहस हो गए हैं। करीब 137 करोड़ रुपए मूल्य की फसल एवं जन-धन नष्ट हो गए हैं। जमुई जिला प्रखंड, खैरा प्रखंड और लइमीपुर के 50 गांव से अधिक बर्बाद हो गए। जिला अधिकारी जमुई के अनुसार 47 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। लखीसराय जिला के लखीसराय प्रखंड, सूर्यगढ़ प्रखंड एवं चानन इलाका के गोपालपुर, रेऊरा इत्यादि गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। 40 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। इस तरह से मुंगेर, लखीसराय एवं जमुई में 224 करोड़ रुपए की क्षति हुई है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र जल्द से जल्द गृह निर्माण, स्कूल, सामुदायिक भवन इत्यादि की सहायता राशि की स्वीकृति देकर भिजवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

(नौ) तमिलनाडु के नमक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुर्गी पालकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाला नामक्कल देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गीखाना है। हैदराबाद के बाद यह दूसरे स्थान पर आता है। यहां से देश के भिन्न-भिन्न भागों में अंडे भेजे जाते हैं। यहां लाखों परिवार इसी रोजगार से जुड़े हुए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि:

(1) इस कार्य से सम्बद्ध लोगों को लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करें;

(2) शीतागार सुविधाओं की व्यवस्था कराए;

[डा. वी. सरोजा]

(3) विभिन्न देशों को अंडों का निर्यात करने के लिए सुविधाओं का सृजन कराये; और

(4) मुर्गीपालन से जुड़े लोगों को उचित ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराये।

ये उपाय न केवल पिछड़े जिले के आर्थिक विकास में कारगार सिद्ध होंगें, बल्कि इससे मुर्गीपालन से जुड़े लाखों गरीब परिवारों की सहायता भी हो सकेगी।

(दस) धान के समर्थन मूल्य की घोषणा उचित समय पर किए जाने की आवश्यकता

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): महोदया, पंजाब में किसानों द्वारा हाल ही में धान को सस्ता बेचने के कारण न केवल वहां हजारों किसानों को कष्ट और गरीबी का ही सामना करना पड़ा बल्कि इस स्थिति से बचने के लिए उनमें से कइयों को आत्महत्या भी करनी पड़ी।

सरकार द्वारा समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा न करने के कारण ही यह सब हुआ। राज्य के लिए आर्थिक सहायता पैकेज और समर्थन मूल्य की घोषणा के बाद भी कई सरकारी एजेसियां धान की समुचित खरीद के लिए बाजार में नहीं आ पाई।

इसलिए, मैं सरकार से, ऐसे विलम्ब के कारणों का पता लगाने और त्रुटिहीन कार्यविधि अपनाने का अनुरोध करता हूं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो सकें।

(ग्यारह) मऊ जिले के देवरा में घाघरा नदी पर पुल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र घोसी जनपद मऊ उ.प्र. के अंतर्गत तहसील मधुबन के अति पिछड़े क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। तहसील मधुबन के अधिकांश क्षेत्र आवागमन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। देवारा नाम से कहा जाने वाला क्षेत्र मुख्य राजमार्ग से काफी दूर स्थित है। देवारा क्षेत्र से घाघरा नदी बहती है और नदी के उस पार देवरिया जनपद का बरहज बाजार स्थित है। देवारा क्षेत्र के सैंकड़ों गांवों के हजारों निवासी अपने प्रतिवेदन की घरेलू आवश्यकताओं के लिए तथा छात्र उच्च और उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए घाघरा नदी को नावों से पार कर के अपने निकटतम बाजार बरहज जाते हैं। लेकिन नावों द्वारा आवागमन काफी असुरक्षित और असुविधाजनक है। इस क्षेत्र के लोगों की घाघरा नदी पर पीपे के पुल की मांग काफी वर्षों से है तथा वहां तक पहुंचने के लिए सुग्गीचौरी से परसिया तक कच्चे मार्ग को पीच मार्ग में बदलने की मांग है।

प्रस्तावित पीपे के पुल के अभाव में जनपद मऊ के अन्य लोगों को देवरिया जाने के लिए लगभग 150 कि.मी. घूम कर जाना होता है जबकि पुल बन जाने से सीधे दूरी 25 कि.मी. हो जायेगी। इस पुल का बनना जनहित में नितांत आवश्यक है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मऊ जनपद को देवरिया जनपद से जोड़ने वाले सुग्गीचौरी-परसिया मार्ग को पीच कराने तथा घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनाने के लिए जनहित में उ.प्र. सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध करा कर देवारा क्षेत्र में मूलभूत ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करें।

सरकारी विधेयक – पारित

[अनुवाद]

अपराह्न 2.28 बजे

(एक) मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य – मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर चर्चा करेंगे। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए हमें एक घण्टे का समय दिया है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि:

> "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदया, यह संशोधन बहुत ही सीमित प्रयोजन के लिए है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 40 में संशोधन किया जाना है ताकि मानवाधिकार आयोग के कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के लाभ-भूतलक्षी प्रभाव से प्राप्त हो सकें क्योंकि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय : इसका मानव अधिकारों से कोई सरोकार नहीं है, यह केवल कर्मचारियों के वेतन से संबंधित है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदया, यह कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 इसलिए अधिनियमित किया गया था ताकि मानव अधिकारों के संरक्षण और उससे जुड़े मामले के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, राज्यों में, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों का गठन किया जा सके। इस अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधन वेतन) नियम, 1997 को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1.1.96 से लागू करना जरूरी हो गया है। चूंकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, अत: इसके लिए इस अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया तद्नुसार मानव अधिकार संरक्षण (संशोधित) विधेयक, 2000 लोक सभा में 7.8.2000 को प्रस्तुत किया गया था ताकि नियम बनाने का उपबंध भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सके।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000 इस सम्मानित सभा के समक्ष विचारार्थ और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, यह विधेयक बहुत सरल है और माननीय मंत्री एक बार फिर इसके उद्देश्यों के बारे में बता चुके हैं। हम इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं।

यह विधेयक इस सीमा में कांग्रेस सरकार द्वारा 1993 में उस समय जो संभवत: देश के लिए सर्वथा उपयुक्त था, प्रस्तुत किए गए विधेयक में संशोधन करने से संबंधित है, जब विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर विभिन्न राष्ट्रीय संसदों तक मानव अधिकारों के प्रति चिंता व्यक्त की जा रही थी। महोदया, श्री पी.वी. नरसिंहराव के नेतृत्व में तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न राजनैतिक दलों से परामर्श करते हुए यह उचित समझा कि भारतीय संसद को भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम नामक विधान का उपबंध करना चाहिए और इसे 1993 में पारित भी कर दिया गया। यह सच है कि मंत्री जी ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हितों की संरक्षा के संबंध में इसमें कुछ अनियमितताएं पाई हैं। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। माननीय मंत्री जी की इस चिंता में हम सभी शामिल हैं।

लेकिन जहां तक इस विधान के कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, मैं इस समचूी सभा और माननीय मंत्री जी के समक्ष आपके माध्यम से इस विधान के मुख्य पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और भिन्न-भिन्न राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग है। इसके अधिकतर उच्चाधिकारी उच्चतम न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। किन्तु मेरे ख्याल से अब समय आ गया है जब मंत्री महोदय उचित समय पर राज्य सरकारों को शामिल करते हुए इस विधेयक की प्रभाविकता बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श करेंगे ताकि राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए समुचित उपबंधों का प्रावधान किया जाए और यह देखें कि क्या मानव अधिकारों और उनकी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इतना पर्याप्त होगा।

महोदया, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा और जिन्हें माननीय मंत्री महोदय भी मानेंगे। आप किसी भी राज्य में जाइए तो आप पाएंगे कि आज महिलाओं के सम्मान को आहत करना पहली दुर्घटना है। समूचे देश में, महिलाओं के सम्मान और मानव अधिकारों, दोनों दृष्टियों से महिलाओं को उत्पीड़ित किया जा रहा है। बड़े ही खराब मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गांवों या शहरों में प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण महिला-उत्पीड़न और उनके अधिकारों से संबंधित मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं।

मैंने, अपने राज्य का एक मामला राज्य मानव अधिकार आयोग को भेजा था। यह मामला मालदा जिले के भूटानी नामक क्षेत्र से संबंधित था। वहां छार है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जो पानी से घिरा हैं क्या आप आज के सभ्य भारत में यह विश्वास कर पाएंगे कि आज भी ऐसे लुटेरे है जो हर साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मछुआरों की महिलाओं को डाकुओं द्वारा लूटा जाता हैं। पिछले सात सालों के दौरान नौ हादसे हो चुके हैं। हर चीज जला दी गई थी, वहां पास ही एक पुलिस स्टेशन भी था। पुलिस इन डाकूओं के इतने प्रभाव में है कि वह उन्हें पकड़ती ही नहीं है। इस सभा में मैंने कुछ मामलों के ब्यौरे दिए थे।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

एक महिला अपने क्षेत्र में विरोध का शिकार बन गई। प्रभावशाली लोगों ने पहले उसके साथ दुव्यर्वहार किया और फिर उसका बलात्कार किया। उसने मदद की गुहार करी मगर मदद के लिए कोई भी नहीं आया। एक सामाजिक संगठन के कुछ उत्साही युवक उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए किंतु पुलिस ने मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया। मामला मानव अधिकार आयोग के सुपुर्द कर दिया गया।

मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा - इससे एन.डी.ए. सरकार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मानव अधिकारों के मूलभावना का भी निर्वाह होगा अगर भारत के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला उपनिरीक्षक नियुक्त कर दी जाए। कम से कम एक महिला उप-निरीक्षक तो होनी ही चाहिए। थाने में पुलिस द्वारा महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। रात्रि 12 बजे के बाद की स्थिति तो मैं बयान ही नहीं कर सकता कि कांस्टेबल कैसा व्यवहार करते हैं और कैसी भाषा बोलते हैं क्योंकि मैं महिलाओं को माता और बहन के रूप में देखता हूं। ऐसे मामले में ये सभी की मां और बहनें हैं। स्वतंत्र भारत में जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक पर हमारे मतभेद हो सकते हैं। यह अलग बात है कि इसका विरोध श्री मुलायम सिंह जी की पार्टी कर रही है या कोई और पार्टी। महिलाओं के सम्मान मर्यादा और हिरासत में होने वाले व्यवहार पर विचार कीजिए। जब वे पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाने जाती हैं तो यह किसी महिला उप-निरीक्षक द्वारा क्यों नहीं देखा जाता? संपूर्ण देश के हर पुलिस स्टेशन में एक महिला उप-निरीक्षक होनी चाहिए। चाहे वह मुसलमान हो, अनुसूचित जाति की हो या फिर अनुसूचित जनजाति की, मैं उनकी जाति का प्रश्न नहीं उठा रहा।

महिलायें, विशेषरूप से गांव में रहने वाली महिलाएं, दो कारणों से पुलिस स्टेशन जाने से घबराती हैं। पहला यह है कि उन्हें उत्पीड़ित किया जा सकता है तथा दूसरा जब वे शिकायत दर्ज करने के बाद वापिस आयेंगी तो उन्हें गांववासियों की निंदा का कोपभाजन बनना पड़ेगा। महिलाओं की यही दुर्दशा है। विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं की यही दशा है। राज्य में भले ही कांग्रेस का मुख्य मंत्री हो या भाजपा का या किसी और दल का। इसलिए कृपया इस मुद्दे पर विचार कीजिए।

मेरा अगला मुद्दा 'मानव अधिकार' के बारे में है यह शब्द संसद, सम्मेलनों विचार गोष्ठियों या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा ही चर्चित शब्द है। मगर बंधुआ मजदूरों के मानव अधिकारों का क्या होगा? हम बंधुआ मजदूरी समाप्त करने की बात करते हैं। हम उस समूह की बात कर रहे हैं जिसके मानव अधिकार बंधुआ होने के कारण दबा दिए गए हैं। हम उनकी मुक्ति की बात करते हैं। इन लोगों के लिए हमने कौन से विधान, कार्य व्यवस्था या योजना विकसित की है? एन.डी.ए. सरकार इस सभा के समक्ष प्रस्ताव लाए और हम सभी राजनैतिक सीमाओं को तोड़कर यह घोषणा करेंगे कि नई सहस्राब्दि में बंधुआ मजदूर नहीं होंगे।

मैं स्वामी अग्निवेश का बहुत सम्मान करता हूं। वे कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं। वे शुरू से ही बंधुआ मजदूरों के हकों और उनकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।

अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं और वह है विचाराधीन कैदी। मंत्री महोदय कितने राज्यों के आंकड़े आपके पास हैं? यदि अभी उत्तर देने का समय नहीं है तो आप अपनी एजेंसियों से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण कई मामलों में अभियुक्तों को कानून के अनुसार 24 घण्टों के भीतर अदालत में लाया ही नहीं गया। हर राज्य में हजारों ऐसे मामले हैं जिनमें विचाराधीन अभियुक्तों को तयशुदा समय के भीतर अदालत में लाया नहीं जाता।

यदि मैं भारत का नागरिक हूं, यदि मैं अभियुक्त हूं तो मुझे अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए और समय पर सुनवाई होनी चाहिए। महोदया, एक मामले में तो एक अभियुक्त ने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। सुनवाई में विलम्ब तो इतना हो जाता है कि कैदी के बच्चे बड़े भी हो जाएं और उनकी शादी भी हो जाए मगर अभियुक्त की सुनवाई शुरू ही नहीं होती। सभी राजनैतिक सीमाओं को तोड़कर हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो उसका असल में अर्थ क्या होता है।

कोई व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल, भले ही वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और पार्टी, के विचारों का विरोध कर सकता है। मान लीजिए वह व्यक्ति जनहित में कोई मुद्दा उठाता है तो देश में कई लोग ऐसे हैं जो उसकी मृत्यु तक उसे तंग करते रहेंगे। यदि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है तो उसे इस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा जाएगा। रुचिका का मामला इसका एक उदाहरण है। ऐसे और भी मामले हैं। संसद उन मुद्दों को कैसे उठाएगी? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और अंत में उनका क्या हुआ? ऐसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक हैं - मुम्बई में खैरनार।

श्री खैरनार ने अपना कार्यभार पुन: संभाल लिया है, परंतु दाऊद के लोग उन्हें अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध सही कार्यवाही करने पर धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार, एक

ईमानदार अधिकारी के मानव अधिकारों पर प्रश्न लगाया जा रहा है। बंधुआ मजदूर का तो कोई मानव अधिकार है ही नहीं। एक बंधुआ मजदूर यह नहीं जानता कि भारत स्वतंत्र देश है या अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन है। वह केवल इतना जानता है कि उसके पूर्वज पीढ़ियों से क्या करते रहे हैं और इसलिए वह भी यही कर रहा है। आप कांग्रेस पार्टी की यह कहकर आलोचना कर सकते हैं कि कांग्रेस ने देश पर 40 साल से अधिक वर्षों तक शासन किया। मुझे इसका बुरा नहीं लगता। क्या आप इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं?

राजनीतिज्ञों का ही मामला लीजिए। मैं ऐसे राजनीतिज्ञों की बात नहीं कर रहा जो किसी घोटाले में शामिल हैं। आप 'क' या 'ख' दल के किसी भी राजनीतिज्ञ को लीजिए जो भ्रष्टाचार उजागर करने में शामिल हो। उनके कार्यालय के प्राधिकारी उनके बच्चों से ऐसा व्यवहार करेंगे मानों उनके मां या पिता जो भी जन सेवक हों उन्होंने जनसेवक होने का अपराध किया हो। मैं और उदाहरण नहीं देना चाहूंगा क्योंकि समय कम है और इस विधेयक पर एक घंटे की चर्चा के लिए सहमति भी दे चुके हैं। मेरा मुद्दा यह है कि भारत में मानव अधिकारों के सभी पहलूओं पर कई तरह से चर्चा करनी चाहिए।

महोदया, मैं कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं। अब कश्मीर में एकतरफा युद्ध-विराम है। हम सभी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए पहल का समर्थन करते हैं। जहां तक कश्मीर का संबंध है, इस मुद्दे पर हम सभी उनका समर्थन करते हैं। हम कश्मीर में आतंकवाद की समाप्ति और घाटी में शांति की बहाली चाहते हैं। इस मुद्दे का हम कोई राजनैतिक लाभ उठाना नहीं चाहते। मगर सच तो यही है कि घाटी के बाहर रह रहे कश्मीरी पंडित इधर-उधर भटक रहे हैं। उनके बच्चों और परिवारों का भविष्य, उनके घर-बार और खेती सब बर्बाद हो गए हैं।

महोदया, संविधान नागरिकों को कई चीजों की गारंटी देता है। अपने नागरिकों को देश का कानून संरक्षण प्रदान करता है। मगर हमारे ख्याल से वे आतंकवाद के शिकार हैं और हमें उनके साथ सहानुभूति है। मगर उनके मामलों में हम मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर विचार नहीं करते। उन्हें भी शांति और अधिकार से रहने का अधिकार है। मैं मानता हूं कि सरकार हर व्यक्ति को संरक्षण नहीं दे सकती। मैंने जानबूझकर कश्मीरी पंडितों का मामला उठाया है। मैं कश्मीरी युवाओं से मिला हूं। एक ने मुझे बताया कि वह इंजीनियर बनना चाहता था और उसकी बहन एक कम्प्यूटर इंजीनियर किंतु उन्हें तो बचने के लिए यहां वहां भागना पड़ा। वे यह भी नहीं जानते कि उनके जीवन की रक्षा होगी भी या नही। वे दिल्ली में कुछ समय तक अपने संबंधियों के पास रहे। अब वे 26 और 27 साल की आयु के हैं और उनके सभी सपने धूमिल हो चुके हैं। जनसेवक होने के नाते मैं उन्हें इसका जवाब भी नहीं दे सकता कि हमारी व्यवस्था में गड़बड़ कहां है और हम उनकी सहायता क्यों नहीं कर सके।

महोदया, समस्याएं तो आती ही हैं। भले ही वह उत्तर-पूर्व हो या कश्मीर। एक दिन एक नागा लड़की अपने पिता के साथ मुझसे मिली। उसने कहा कि नागालैण्ड के अतिवादियों और आतंकवादियों का विरोध करने के कारण और मुख्यधारा में बने रहने के कारण उन्हें धमकी दी गई कि अगर लड़की ने स्कूल या कॉलेज जाने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। उस क्षेत्र के किसी भी स्कूल या कालेज ने उसे दाखिला नहीं दिया क्योंकि उन्होंने भी इसे मान लिया। इस लड़की ने मुझसे सहायता मांगी ताकि मैं उसे कलकत्ता, सिलीगुड़ी या दिल्ली के किसी कॉलेज में दाखिला दिलाने में सहायता कर सकूं। वे भारत में रहना चाहते थे किंतु वे ऐसी स्थिति में थे कि उनके जीवन की कोई गारंटी दे ही नहीं सकता था। मैं श्री मुरली मनोहर जोशी जी से मिला और उनसे इस मामले पर चर्चा की। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जवाब दिया और लड़की की शिक्षा की व्यवस्था की।

महोदया, प्रश्न यह है कि कितने प्रियरंजन दासमुंशी, कितने सोमनाथ चटर्जी, कितने प्रमोद महाजन और कितने विद्यासागर राव ऐसे मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे? यह संभव नहीं है। हमारा सभी मानव अधिकारों के मामले में यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि हर पीड़ित को एक नागरिक के नाते, व्यवस्था में फलने-फूलने और विकसित होने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्था में सभी संरक्षित होने चाहिए ताकि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके अन्यथा यह केवल विधान का एक भाग बनकर रह जाएगा। स्पष्ट है कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है किंतु मैंने इस विधेयक के सहारे यह सब कहा क्यूंकि इससे जुड़े कर्मचारी ही मानव अधिकार आयोग के दस्तावेज संभालते हैं। वे इन मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को उठाएं। यह सब बातें मैं श्री आडवाणी जी से भी कह चुका हूं।

देश की महिलाओं को यह आपकी सरकार द्वारा दी गई महानतम भेंट होगी। आप इसका श्रेय लीजिए। चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारों से परामर्श कर यदि आप प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला उप-निरीक्षक की नियुक्ति कर सकें तो इस देश की महिलाओं का देश की व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। उनमें यह विश्वास आएगा कि यदि वे उत्पीड़ित होती है तो उनकी रक्षा के लिए कोई मौजूद है। कृपया इसे कीजिए। मैं आपसे एक अपील यह भी करता हूं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

इन विचारों और सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध भी करता हूं कि इसे मंत्रिमंडल में उठाएं और मानव अधिकारों के पूरे पहलुओं को विस्तृत दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर): यह संशोधन विधेयक इसलिए लाया गया है, क्योंकि 1993 में बने कानून में यह सुविधा नहीं दी गई थी कि मानवाधिकार आयोग के कर्मियों के वेतन भत्ते का क्या प्रावधान होना चाहिए, यह कमी रह गई थी। इस कमी के कारण ही इस संशोधन की आवश्यकता हुई। इस पर माननीय मुंशी जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे सदन और सदन के बाहर के लोग भी सहमत हो सकते हैं।

मानवाधिकार का प्रश्न थोड़ा व्यापक है और इसे इस सीमित विधेयक के अंतर्गत चर्चा का विषय तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह विधेयक कर्मियों के वेतन भत्ते को लेकर ही लाया गया है। आज जब हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तब जहां महिलाओं के, मजदूरों के बच्चों के हितों की बात मानवाधिकार के अंतर्गत आती है, वहीं लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के हितों की बात भी इसमें शामिल की जानी चाहिए। हम यह जानते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत कल दिन भर किसानों के बारे में चर्चा हुई है। मंत्री जी ने बंधुआ मजदूरों का उल्लेख किया, परन्तु उन खेतीहर मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो खेतों में काम करते हैं। उनके साथ बड़े-बड़े फार्मर न्याय नहीं करते हैं। जो कारखानों और दुकानों में काम करते हैं उन्हें हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, लेकिन लोगों के घरों में भी ये लोग काम करते हैं, ऐसे काम करने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। हम जब उनकी ओर दृष्टि डालते हैं तब यह देखने में आता है। ऐसे तमाम घरों में जो लोग काम करते हैं, वे अभी उम्र में व्यस्क नहीं हैं। वे छोटे-छोटे बच्चे हैं और शिक्षा से वंचित हैं। उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

पिछले दिनों अखबारों में कई घटनाएं आईं। बिहार में एक घटना घटी, घर में काम करने वाले एक मजदूर बालक को उठा कर फेंक दिया गया। उसके हाथ-पैर टूट गए। इस तरह की घटनाएं आए-दिन होती हैं। उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। आज तक किसी भी सरकार ने, मानवाधिकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया कि जो घरों में, दुकानों में, खेतों में काम करते हैं, जिनकी उम्र पढ़ने की, खेलने की है, अपने जीवन की आधारशिला को मजबूत करने की है, वे लोग रोजी-रोटी के लिए अपनी जिन्दगी के पहले चरण में ही अनेक विपदाओं और संकटों का सामना कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग प्रभावी ढंग से काम करे, इसके लिए इसे और भी सुदढ़ करने की आवश्यकता है। शायद सरकार की मंशा यही है, इसीलिए उन्हें कार्यसक्षम बनाने के लिए, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह अवश्य करूंगा कि जो क्षेत्र किसी संगठित मजदूर की सीमा में नहीं आता, किसी संगठन में नहीं आता, उनके लिए भी मानवाधिकार का रास्ता खोला जाए ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए गुहार लगा सकें, अपनी आवाज उठा सकें।

सभापति जी, इसके साथ-साथ कुछ बातें और भी हैं। आज चाहे नर्मदा बांध के विस्थापितों की बात हो या टिहरी पर बनने वाले बड़े बांध की बात हो। जो लोग डूब में आयेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? गांव डूबेंगे, खेत डूबेंगे, उनकी दुकानें और उद्योग डूबेंगे तथा उनकी आस्था के केन्द्र भी डूबेंगे। योजनाओं के प्रचालक कहते हैं कि उन लोगों को कहीं पर खेत, कहीं पर दुकानें और कहीं पर रहने की जगह दे दी गयी है। लेकिन मेरा कहना है कि गांव की अपनी संस्कृति और धरोहर होती है जिसको आज बांट दिया गया है और उनका जो मूल रोजगार था वह गांव से टूट गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को उन लोगों के अधिकारों की चिंता होनी चाहिए।

कश्मीरी पंडितों की बात माननीय दासमुंशी जी ने की है। अभी मैं चार राज्यों का दौरा करके आया हूं। आज स्थिति यह है कि वहां केवल मुख्य धारा में रहने वाले लोगों को ही मुख्यधारा में रहने की चिंता नहीं है, बल्कि जो दुकानकारी करते हैं, उद्योग धंधे में लगे हुए लोग हैं या जो मजदूरी करते हैं, जो इनसर्जेंसी में लगे हुए लोग वसूली करते हैं उनसे उनकी सुरक्षा नहीं है। वहां की पुलिस और प्रशासन भी उनकी रक्षा या मदद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उन राज्यों में कोई विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि उन राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वहां भी मानवाधिकार आयोग का गठन होना चाहिए और वहां काम करने वाले मजदूरों, दुकानदारों ने उस राज्य की उन्नति में जो ईमानदारी से योगदान दिया है, उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वहां लोग राष्ट्र की मुख्यधारा में आयेंगे और उनके अधिकारों का संरक्षण होगा।

महिलाओं के अधिकारों की चर्चा माननीय दासमुंशी जी ने की है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति यह है कि महिलाओं की विपदाओं को सुनने वाला कोई कोई नहीं है। अगर वे मुकदमा दर्ज कराना चाहती हैं तो मुकदमें दर्ज नहीं होते हैं। उसका एक कारण है। मैं सरकार से कहूंगा कि 1861-62 का पुलिस एक्ट 150 साल

पुराना है और उसमें समय के अनुकूल संशोधन नहीं हुआ है। वह पुलिस अंग्रेजों की मदद के लिए बनाया गयी थी न कि यहां के आदमियों की मदद के लिए बनाई गयी थी। वह भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाई गयी थी। उस एक्ट में संशोधन नहीं हुआ है। उसका सहारा लेने पर भी पुलिस की ज्यादतियों से बचना मुश्किल होगा। सुरक्षा की जगह हम आये दिन देखते हैं कि पुलिस की ज्यादतियों से न जाने कितने लोगों की मौत होती है और जो अपनी तकलीफ कहना चाहते हैं उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। अगर हम इस एक्ट पर विचार करने के लिए अपना मन बनाए तो मानवाधिकार का दायरा और मजबूत हो सकता है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि मानवाधिकार के दायरे को मजबूत बनाने के लिए और भी आगे कदम बढ़ाएं तो अच्छा है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदया, यह विधेयक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ प्रश्न और अपने विचार रखना चाहता हूं।

मैं सदन और सरकार का ध्यान संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह 1978 में पास किया गया था। संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम का प्रारम्भिक उद्देश्य आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग से होने वाली कठिनाईयों को रोकना था तथा जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक सुरक्षित बनाना था।

संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम में एक धारा 3 है जो कि मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित है। यह जीवन के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे प्रश्नों से संबंधित है। यह निवारक कानूनों के तहत बंद किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1978 के संविधान संशोधन अधिनियम की यह धारा अब तक लागू नहीं की गई है। मैं इस सभा का समय निवारक नजरबन्दी के विषय में महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय सुझाने के लिए नहीं लूंगा। इसका प्रावधान इस महत्वपूर्ण धारा में किया गया है। लेकिन इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस धारा को लागू नहीं किया गया है। 1980 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संविधान संशोधन अधिनियम की इस धारा को लागू करने में असफल रहने के कारण तत्कालीन सरकार की बहुत कड़ी आलोचना की थी।

1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत दिया था कि इस महत्वपूर्ण संशोधन को लागू करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई नहीं है। न्यायालय का मत था:

> "यह केन्द्र सरकार का अधिकार नहीं है कि वह अनुच्छेद 22 को संशोधित करने के विषय में संसद की राय के ऊपर अपना निर्णय दे।"

यह सभा विधेयक को पारित करती है और वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन सरकार द्वारा इतने महत्वपूर्ण मानव अधिकार को भी लागू किए जाने की अधिसूचना नहीं जारी की गयी है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि संशोधन बिना किसी विलम्ब के लागू किए जाते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी बनाया गया है। इस आयोग ने बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए हैं लेकिन सरकार की तरफ से अधिनियम में संशोधन करके इन सुझावों को मानने संबंधी कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। सरकार को भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सुझावों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए।

तीन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले संविधान में, राज्य स्तर के आयोगों सहित अन्य आयोगों के पास निहित मानव अधिकारों के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकारों में, सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के हनन को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.00 बजे

मानव अधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा है:

> "अर्द्धसैनिक बलों सहित सशस्त्र बलों द्वारा की गई हिंसा संबंधी शिकायतों में हो रही वृद्धि की जांच किए जाने की आवश्यकता है।"

लेकिन जैसाकि हमें ज्ञात है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 19 के अनुसार आयोग सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी आरोपों की सीधी जांच नहीं कर सकता है। यह केवल पोस्ट बाक्स की तरह कार्य करता है। यह अत्यंत असंतोषजनक स्थिति है। इस आयोग को इस स्थिति का भी सामना करना पड़ता है कि सैन्य अधिकारी उसकी सिफारिशों को नकार सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आयोग में मुकदमा चलाने

[श्री जी.एम. बनातवाला]

वाली ऐसी शाखा होनी चाहिए जो दोषी अधिकारियों को सजा दे सके। जो भी हो, प्रश्न सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के हनन के मुद्दे पर पूरा ध्यान देने के लिए आयोग की शक्तियां बढ़ाने का है।

तीसरी बात 1984 के संयुक्त राष्ट्र कन्वैंशन से संबंधित है। यह यंत्रणा और अन्य क्रूरताओं, अमानवीयता और नीचतापूर्ण व्यवहार या दण्ड के खिलाफ थी। अत: यह संयुक्त राष्ट्र कन्वैंशन यंत्रणा के विरुद्ध है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाकर सरकार ने अच्छा किया है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सरकार द्वारा सकारात्मक रुख दिखाए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थाई प्रतिनिधियों ने कन्वैंशन पर, जहां तक मुझे याद है, 14 अक्टूबर 1997 को हस्ताक्षर किए थे। मैं यह दिनांक 14 अक्टूबर 1997 बता रहा हूं लेकिन हो सकता है इसे शुद्ध करना पड़े। लेकिन इसी दिनांक के आस-पास उन्होंने हस्ताक्षर किए। लेकिन हस्ताक्षर के बाद इस कन्वैंशन की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकार और इस सभा से यंत्रणा के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कनवैंशन की पुष्टि करने को कह रहा है। मुझे आशा है कि इस पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे यह बात अवश्य कहनी चाहिए कि 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना विशेषकर तब की गई जबकि पुलिस अपने बर्बरता पूर्ण कार्यों की अधिकता के कारण बदनाम हो गई। उस समय यह अपने बर्बरतापूर्ण कार्यों की अधिकता के कारण बहुत अधिक बदनाम हो गयी थी। यह स्थिति आज भी बरकरार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कहना है पुलिस को समय-समय पर उसके कार्यों से संबंधित जो दिशानिर्देश और निर्देश दिए जाते हैं वह उनका पालन करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रहती है।

उच्चतम न्यायालय ने भी हाल ही में एक मामले में संदेहास्पद व्यक्तियों को हिरासत में रखने तथा उनसे पूछताछ करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन अतिसावधानी से किया जाना चाहिए। आयोग ने मानव अधिकारों, वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ, पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों के प्रति जवाबदेही, जेलों में तथा पुलिस थानों में बंद लोगों की स्थिति की न्यायिक निगरानी, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने, अत्यधिक हिंसा तथा न्यायिक हिरासत में बलात्कार और मृत्यु आदि की स्थिति में अनिवार्य, निष्पक्ष पूछताछ के संबंध में पुलिस को उचित प्रशिक्षण दिए जाने पर भी बल दिया है।

सभापति महोदया, यह बात मैं अन्त में कह रहा हूं लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। आयोग को स्वत: ही और अधिक सक्रिय होना होगा। इसे न्यायिक आयोगों के विभिन्न प्रतिवेदनों के निष्कर्षों पर ध्यान देना चाहिए। जब कभी भी किसी न्यायिक आयोग को रिपोर्ट आती है और उसमें यदि मानवाधिकार कानून और व्यवस्था लागू करने वाली एजेन्सी द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किये जाने की बात सामने आती हैं तो आयोग को स्वत: ही इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के प्रश्न और कानून को लागू करने वाली एजेन्सी पुलिस आदि की भूमिका पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरठ के हाशिमपुर और माल्लियाना में हुई हिंसा के संदर्भ में न्यायिक रिपोर्टों तथा इंटेलीजेंस ब्यूरो और सी.आई.डी. की रिपोर्टों का उल्लेख नहीं कर सकता हूं। मैं भागलपुर रिपोर्ट के प्रश्न और उस पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख नहीं कर सकता हूं। लेकिन इन सभी रिपोर्टों पर धूल जम रही है।

मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ उठायें। मानवाधिकार आयोग को स्वयं ही मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी सभी मामलों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त मामले में न्याय हो।

राज्य मानव अधिकार आयोग का भी प्रश्न है। आज की स्थिति यह है कि उनमें से कुछ के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं करते। इन मामलों पर विचार किए जाने भी आवश्यकता है। कुछ राज्य तो मानव अधिकार आयोग की स्थापना करने को भी तैयार नहीं हैं। सरकार को इन बातों पर ध्यान देकर इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए।

अपने इन्हीं दो शब्दों के साथ, मैं कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा संबंधी इस प्रयास का समर्थन करता हूं।

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): आदरणीय सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वर्तमान संशोधन केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए है। इसका उद्देश्य वेतन को पीछे की तारीख से लागू करना है। मैं इस कार्य का समर्थन करता हूं। इसी के साथ-साथ मेरा यह भी मानना है कि आयोग के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। ऐसा लगता है कि आयोग के आदेश सुझाव मात्र होते हैं। दलित और कमजोर वर्गों को अधिक कष्ट सहना पड़ता है। इस मामले पर मानव अधिकार आयोग को गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है इसलिए तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने में विलम्ब होता है। हाल ही में एक महिला के यौन उत्पीड़न के रूप में मानव अधिकार के हनन का मामला

आया है। इसका समाधान प्रभावशाली रूप से आयोग नहीं कर सका। आयोग की शक्तियों के बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अधिकार की कमी के कारण आयोग के अनेक निर्णय लागू नहीं किए जा सके। कमजोर वर्गों पर अत्याचार में भी वृद्धि हो रही है। आयोग को कारगर कदम उठाना चाहिए। आयोग की शक्तियां बढ़ाई जानी चाहिएं। राज्य सरकारों को आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करना चाहिएं। यह एक समय साध्य कार्य है।

महोदया, इसलिए वर्तमान स्थिति में आयोग की शक्तियों में परिवर्तन लाने की मैं पुरजोर वकालत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किंतु साथ ही मैं मानव अधिकारों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

मानव अधिकार अहरणीय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में स्पष्टत: कहा गया है कि किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या सरकार द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है? 1973 में राज्य सभा में भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक पारित हुआ था किंतु लोक सभा के भंग होने के कारण वह विधेयक व्यपगत हो गया था। उस समय से वह विधेयक इस सभा में पुर:स्थापित नहीं किया गया। वह विधेयक किस बारे में था? उस विधेयक का आशय दंडादेश अधिरोपित करने के न्यायिक अधिकारियों के विवेकाधिकार को युक्तिसंगत बनाना था। भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1973 में यह परिभाषित किया गया है कि वे इस विवेकाधिकार का प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? उस विधेयक को पुर:स्थापित कर भारत सरकार कतिपय वैयक्तिक न्यायिक अधिकारियों के न्यायिक विवेकाधिकार को कारगर और युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ सीमित करेगी।

मैं एक और बात पर बल देना चाहूंगा। मृत्युदंड अप्रतिसंहरणीय है। मंत्री जी यह जानते हैं। भारत मृत्यु दंड समाप्त करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र समझौता का पक्षकार है। सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किंतु अब तक इसे भारतीय दंड संहिता से हटाया नहीं गया है। 1982 में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती ने एक विमत निर्णय में धारा 302 को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि मृत्युदंड अधिरोपित करना गैरकानूनी, अधिकारातीत, अमानवीय, अतार्किक और अप्रतिसंहरणीय है। किंतु यह निर्णय देते हुए उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया था जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, न्यायाधीश ने 1982 के बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में निर्णय के पृष्ठ 357 में कहा था:

> "हरबंश सिंह, चीता सिंह और कश्मीरा सिंह पर हत्या का आरोप था और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया और मृत्यु दंडादेश दिया था। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। पहली तीन अपील खारिज कर दी गई। बाद में इन कैदियों में से एक कैदी द्वारा दायर अपील की एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई थी और इसे दंडादेश की सीमा तक स्वीकार किया गया था और फलस्वरूप मृत्यु दंड की सजा को कम कर आजीवन कारावास की सजा कर दिया गया।"

एक अन्य मामले में भी यही हुआ। एक अन्य अभियुक्त भी ऐसी ही राहत प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में गया और उसे भी वह राहत दी गई थी। किंतु अन्य अभियुक्तों के मामले में अभिलेख मांगे जाने पर पाया गया कि तीनों अभियुक्तों पर ही एक हत्या का आरोप था किंतु उसे मृत्यु दंड दिया गया था। न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था कि यह एक न्यायिक सनक है। अत: उस विधेयक को लोक सभा में पुर:स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता के कारण आज तक कई लोगों की जानें गई हैं। विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है। इसलिए अपने निर्णय में न्यायमूर्ति भगवती ने इस संसद द्वारा दिशा-निर्देश बनाए जाने के लिए कहा था। कम से कम इस वर्ष हमें वे दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

अब मैं एक अन्य उदाहरण देना चाहता हूं जिसमें निरपवाद रूप से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। माना कोई व्यक्ति आरोपित है और उसे उच्च न्यायालय दोषसिद्ध ठहराता है और उसकी पुष्टि करता है। उसके बाद वह उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्चतम न्यायालय जमानत के लिए अभ्यर्पण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहता है। मानों किसी व्यक्ति को 15 दिन के कारावास की सजा हुई है। यदि वह जमानत चाहता है तो उसे वह सजा भुगतनी होगी। उसे जेल जाना होगा और फिर जमानत के लिए आवेदन करना होगा। अत: अन्तिम सुनवाई से पूर्व उसे पूरी सजा भुगतनी होगी। अत: अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को एक विधान लाना चाहिए। मेरा कहना है कि सरकार को इन दो पहलुओं के बारे में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।

मेरा कहना है कि जीवन के अधिकार में जीने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रोटी का अधिकार और कपड़े का अधिकार भी शामिल है। ये मनुष्य के बुनियादी अधिकारी है। मैग्ना कार्टा

[श्री पी.एच. पांडियन]

ने हमें ये अधिकार दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र ने हमें ये अधिकार दिए हैं। ये अधिकार अनपहार्य है। अत: मैं इस अवसर पर सरकार को आगाह करता हूं कि वह संपूर्ण देश में सभी मनुष्यों के मूल अधिकारों की रक्षा करें। आप उन्हें भोजन उपलब्ध कराएं, उन्हें आश्रय दें और विधि की सम्यक् प्रक्रिया के सिवाय अन्यथा उन्हें बेदखल नहीं करें। सभी समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली सभी इकाइयों को बंद कर दिया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मृत्यु दंडादेश के मामले में उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई में 5-6 वर्ष लग जाते हैं। मानों किसी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाती है तो उसे वर्षों तक जेल में रहना पड़ेगा। यदि अन्तिम सुनवाई के बाद उसे दोषमुक्त किया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती है, उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है। उस दृष्टि से मानव अधिकारों का बहुविध उल्लंघन होता है, यही समय है जब हम इस मामले को उठा सकते हैं। आप उन्हें आश्रय, कपड़ा, व्यापार के लिए स्थान और आजीविका उपलब्ध करायें। सरकार को लाठी-चार्ज की इन घटनाओं आदि के बारे में जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठित करने के बजाय ये बुनियादी अधिकार उपलब्ध कराने चाहिएं।

मैं कहना चाहूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 'थर्ड डिग्री मेथड' पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है कि पुलिस द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग किया जा सकता है। न्यूनतम बल क्या है? यह दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। अत: मैं कहना चाहूंगा कि नए कानून में आप ये सभी दिशानिर्देश नियत करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर बहस चल रही है। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन को देखने से पता चलता है कि सन् 1993 में जो विधेयक बना था, उसके रूल इन्होंने सन् 2000 ई. में बनाये हैं। रूल बनाने में सात वर्ष की देरी की है जबकि इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी।

अपराह्न 3.19 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*)

उसके बाद पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट में जब अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 1996 से वेतन भत्ता लागू करने का विचार हुआ तब विभाग को महसूस हुआ कि इस तरह का कोई रूल नहीं है कि इसको भूतलक्षित प्रभाव से लागू किया जा सके। भूतलक्षित प्रभाव से लागू करने के लिए यह नियम बनाने की इजाजत चाहते हैं, तदनुसार यह अमैंडमैंट ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? 1993 के बाद सात वर्ष में रूल बना और वह भी ऐसा बना कि उसमें भूतलक्षित प्रभाव लिखने को छूट गया तब इसे लिखने के लिए यह एक संशोधन फिर से लाये हैं। इस देश में मानव अधिकार का क्या होगा जिसमें नियम बनाने में इस तरह से भूल, त्रुटि या गड़बड़ी होती है?

हमको शुबहा था कि पता नहीं कब ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कानून में संशोधन आएगा, अब आया है, लेकिन एक लाइन का आया है।

[अनुवाद]

"प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक कानून बनाएगी।"

[हिन्दी]

छ: महीने पहले का प्रधान मंत्री जी का बयान है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स के कानून को और मजबूत करेंगे। लेकिन एक लाइन का लाए हैं और इसकी कमी को, ढिलाई को छिपाने के लिए लाए हैं। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो बयान दिया, उसका क्या होगा? देश में मानवाधिकार की क्या स्थिति है। वैसे कहने को तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। किसी-किसी राज्य में बना ही नहीं है, कब बनेगा, पता नही। पिछले तीन वर्षों की रिपोर्ट है कि 1143 आदमी कस्टडी में मर गए। ऐसा हो रहा है। कहीं पुलिस के द्वारा जुल्म तो कहीं जुल्मियों के द्वारा जुल्म। मजदूरों पर तो जुल्म ही हो रहा है। बिहार से नार्थ-ईस्ट, सिक्किम वगैरह में लोग मजदूर ले जाते हैं। उनसे काम लेते हैं और जब वह अस्वस्थ हो जाए या काम के लायक नहीं रहे तो उसे छोड़ देते हैं। उनके ह्यूमन राइट का क्या होगा। मानवता का अधिकार जब देश में सभ्यता बढ़ी, तब से हुआ कि यह अधिकार मिलना चाहिए और मनुष्य को संरक्षण मिलना चाहिए। अनह्यूमन बिहेवियर किसी के साथ न हो, लेकिन हम देखते हैं, माइनोरटीज के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ यह हो रहा है।

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): आपकी सरकार डेढ़ साल रही, आपने क्या किया?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री थावरचन्द गेहलोत : वे सहमत हो गए हैं।

सभापति महोदय : वे सहमत नहीं हो सकते हैं। मुझे सहमत होना चाहिए। यह आप दोनों के बीच की बात नहीं है। आपको अध्यक्षपीठ को सलाह देनी होगी। आप तब बोले जब आपकी बारी आएगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैं आपसे निवेदन करता हूं ताकि उनकी गलती को याद दिला दूं। इसलिए कृपया एक मिनट दे दें। उन्होंने एक्ट में संशोधन क्यों नहीं किया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारे भाषण को जमाने के लिए ये टोकते हैं, जिससे हम इनकी असलियत बता सकें।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपको मौका मिला और आप सोते रहे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आप उस तरह नहीं बोल सकते कोई भी सदस्य सीधे दूसरे सदस्य को संबोधित नहीं कर सकता है। यह अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें इनकी सरकार ने लागू की थीं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने छः महीने पहले बयान दिया, उसका क्या हुआ, वह कब लागू होगा, क्या यह ढपोलशंखी बयान है? इसलिए जब हम हमला करते हैं तो ये चिल्लाते हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत : आपने कोई ध्यान नहीं दिया, सोते रहे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह संसदीय प्रक्रिया के अनुरुप नहीं है। आपको सदस्य की बात सुननी चाहिए। जब आपकी बारी आएगी तब आप या आपकी पार्टी का कोई अन्य सदस्य बोल सकता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति जी, हम देख रहे हैं कि इस राज में ह्यूमन राइट, फैंडामेंटल राइट सब को खतरा है। आज ही हजारों मारुति उद्योग के कर्मचारी अपने परिवार सहित जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं। पिछले डेढ़ महीने से वे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको कहा जाता है कि आप लिख कर दो कि आंदोलनन नहीं करेंगे, धरना नहीं देंगे। क्या यह ह्यूमन राइट और फैंडामेंटल राइट का हनन नहीं है? इस वजह से मारुति उद्योग को कई हजार करोड़ रुपए की हानि हुई है। कोई मंत्री बोलता है कि हम इसे बेचेंगे, तो दूसरा कहता है कि नहीं बेचेंगे। कोई कहता है कि समझौता करेंगे और दूसरा कहता है कि नहीं करेंगे। मजदूरों, कामगारों के अधिकारों को खतरा है। इन सभी पर हमला हो रहा है। इसलिए जो रूल वाला विधेयक लाए हैं, यह एक लाइन का है।

जो कानून आज बनाएंगे, उसे भूतलक्षी से लागू करेंगे। भूतलक्षी वाले में बराबर संदेह होता है। कानून आज बना रहे हैं और कहते हैं कि भूतलक्षी से इसे लागू करेंगे। कानून आज बने और भूतलक्षी से लागू हो तो यह बड़ी खतरनाक बात होती है। कानून आज बनाया जाये और लागू पहले से कर दिया जाये। ऐसा करना खतरनाक बात होती है।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बराबर रिपोर्ट आती रहती है और जहां तहां मामला धर-पकड़ होता रहता है। कहीं किसी मामले में सजा-जुर्माना भी होता है। मेरा एक सुझाव है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानकारी लोगों को होनी चाहिए और कमजोर वर्ग, दबे हुए और शोषित लोगों को ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रोटैक्शन मिलना चाहिए लेकिन कहीं-कहीं हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का दुरुपयोग भी होता है। कहीं-कहीं पर अपराधी, जुल्मी ह्यूमन राइट्स कमीशन में पैटीशन दे देते हैं कि हमारी हिफाजत करो और जिस निर्दोष का जो आतंकवादी कत्ल करता है तो वही आतंकवादी ह्यूमन राइट्स कमीशन का सहारा ले लेता है। इसीलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि निर्दोष, बेकसूर, कमजोर, शोषित वर्ग, मजदूर, महिला-बच्चे, बाल विधवा, बाल मजदूर आदि के ह्यूमन राइट्स को प्रोटैक्शन मिलना चाहिए तथा साथ ही सरकार को यह भी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का दुरुपयोग न हो। कहीं कोई अपराधी, जुल्मी ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत बचाव न पा जाये। इसीलिए मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि जो कानून बने तो वह सही ढंग से लागू भी हो। हजारों लोग जो धरना दे रहे हैं, उनके बच्चों के हितों का क्या होगा, उनके ह्यूमन राइट्स की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति जी, मैंने यह देखा कि जो बहस हो रही है, उस बहस में सभी नेता और साथी जो बातचीत रख रहे हैं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। सेवा-नियमावली के उद्देश्यों और कारणों पर बहस हो र ही है। इसमें राष्ट्रीय मानव आयोग की सेवा नियमावली पर केवल आया है। वह एम.डी. साहब की रिपोर्ट है। जो बहस हमारे साथी कर रहे हैं, यह बेमतलब की बहस होगी। अगर गृह मंत्री जी तक यह बात कोई पहुंचा दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि असली बहस यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लक्ष्य है कि मूल अधिकारों के हनन से कैसे बचा जाए या संसद नहीं बैठी है या संसद में जब अवसर नहीं आता है तो जो मानवाधिकार हमें संविधान में दिये गये हैं तो उनकी रक्षा कैसे हो सके। विशेषकर कमजोर लोगों के अधिकारों की, चाहे वह महिलाओं या माइनॉरिटीज या पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का प्रश्न हो और चाहे ऊंची जाति के भी कमजोर हों जिनकी पहुंच नहीं है, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो, मानवाधिकार आयोग का यह लक्ष्य है लेकिन सेवा-नियमावली को लाने की जरूरत ही क्या थी? अगर यह केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मजबूत बनाने के लिए है तो इसके लिए तो उसे अधिकार दे देना चाहिए था कि अपनी सेवा नियमावली बना लो। तब उस समय तो लगता है कि उसे अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए लोक सभा में इसकी बहस की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधे-सीधे प्रस्ताव पास करके उसको अधिकार दे दिया जाता लेकिन अब तो माइनॉरिटी आयोग, महिला आयोग, बैकवर्ड कमीशन और एससीएसटी कमीशन भी हैं। कितना बड़ा भ्रम है।

यह कितना बड़ा कन्फ्यूजन है। एक तरफ हम राष्ट्रीय मानव आयोग के पास शिकायतें लेकर जाते हैं और आयोग इस समस्या को भी देख रहा है। यह जो टकराव है, इसके बीच का कहीं कोई रास्ता नहीं है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी इसको शक्ति प्रदान करने के लिए अलग से संशोधन लाना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति और हैसीयत रहे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। चीफ जस्टिस आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। कम से कम एक दर्जन बार हम आयोग के पास गए हैं, लेकिन आज तक एक भी नतीजा कहीं कोई नजर नहीं आया है। हम सदन को यह जरूर विश्वास दिलाते हैं कि शत-प्रतिशत सच बात होती है, तब ही कोई वहां जा सकता है, वरना जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं, कोई दल की बात नहीं है, एक दर्जन मामलों में, मानवता की बात हो या मौलिक अधिकार की बात हो, सभी दलों की सहमति थी, इसलिए कई दलों के लोग हमारे साथ गए थे। वहां मानव अधिकार आयोग के सदस्य को भेजा गया, लेकिन रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। कलैक्टर और एसपी की बात छोड़िए, थानेदार ने भी उस पर अमल नहीं किया, तहसीलदार ने भी अमल नहीं किया और यहां तक कि लोकपाल ने भी अमल नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि इस बारे में अलग से संशोधन लाना चाहिए। ऐसा भी होता है, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के खिलाफ शत्रुता निभानी हो, एक झूठी दरख्वास्त देकर काम किया जाता है। आजकल महिलाओं पर अत्याचार रोज हो रहे हैं। अब ऐसा समय नहीं रहा है कि कमजोर वर्गों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, अब उच्च जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं।

महोदय, आपने तीन मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम आप इसमें यह संशोधन लायें। मैं इस परिस्थिति में इसको उचित नहीं समझता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं, 1998-99 में 22043 शिकायतें देश भर में हैं, जिन पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये गये। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं। बिहार में भी यही स्थिति है, हर प्रदेश में यही हालत है। लेकिन वास्तविकता है कि एक भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको शक्तिशाली बनाने के लिए एक अलग से संशोधन लायें। सेवा नियमावली में नेता उलझकर रह न जायें। हम चाहते हैं कि आयोग को प्रभावी ढंग से गठित किया जाए। चीफ जस्टिस उसके अध्यक्ष हैं, उन पर हमें विश्वास है, वे पानी का पानी और दूध का दूध करेंगे और ऐसा होना चाहिए कि सरकार उस पर कार्यवाही करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं भी इस विधेयक पर बोलना चाहता हूँ। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया था और वह समाप्त हो गया है।

मंत्री जी ने बोलना शुरू कर दिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय आवंटित किया गया है।

...(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, केवल एक या दो वक्ता बोलना चाहते हैं।

सभापति महोदय: एक घंटा समाप्त हो गया है।

श्री रमेश चेन्नितला: समय बढ़ाया जा सकता है।

सभापति महोदय: प्रक्रिया के नियमों के अध्यधीन आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों श्री प्रियरंजन दासमुंशी, श्री चिन्मयानन्द स्वामी, श्री जी.एम. बनातवाला, श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और आपका आभारी हूँ। माननीय सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। मैं उनका आभारी हूँ। मैं अन्य माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं। हालांकि उन्होंने वाद-विवाद में भाग नहीं लिया किंतु मुझे विश्वास है कि वे इस विधेयक को अपना समर्थन दे रहे हैं।

मैं श्री दासमुंशी और अन्य सभी माननीय सदस्यों से पूर्णत: सहमत हूं जिन्होंने अपने भाषण में मनुष्यों के अधिकारों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अधिकतर महिलाओं, बाल श्रम, कृषि श्रमिक और नर्मदा परियोजना के विस्थापितों के अधिकारों के बारे में बोला। कई सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने ऐसे मामलों पर प्रकाश डाला जिनमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

इसके अलावा आपने और श्री बनातवाला ने कुछ संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया। विभिन्न आयोगों के अनेक निर्णयों का हवाला भी दिया गया। सरकार ने इन सभी सुझावों पर ध्यान दिया है विभिन्न मुद्दों के बारे में निर्णय करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। यह क्या है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ।

सभापति महोदय: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: जब आप यहां बैठते थे आप भी प्रश्न पूछते थे। यह गलत है।

सभापति महोदय: इस तरह की बातें न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव : अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं करी है। जहाँ तक राज्यों में विभिन्न आयोगों और मानव अधिकार आयोग के गठन का संबंध है तो माननीय सदस्य जानते ही हैं यह राज्य सरकारों का विषय है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार हम राज्य सरकारों को कई स्तरों पर परामर्श देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति जी, अगर यह राज्य सरकार का बहाना लेकर लाए हैं तो यहां क्यों लाए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह तो सरकार के पास है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अगर आप कहते हैं कि यह सरकार के पास है तो यह क्या बात हुई? *...(व्यवधान)* हमेशा बहानेबाजी की। अगर सच बोलोगे तो सरकार की छवि अच्छी होगी और घुमा-फिरा कर बोलोगे तो छवि खराब होगी। हम भी सरकार में रह चुके हैं। इसलिए आप सच बोलो।

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जहाँ तक मानव अधिकारों के उल्लंघन का संबंध है, इसके कई मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। हालांकि शिकायतें तो की गई मगर पुलिस ने जानबूझकर कोई कार्यवाही नहीं करी। कुछ पुलिस स्टेशनों पर महिला पुलिस तैनात की जानी है। ये सुझाव है। निश्चय ही यह मामला राज्य सरकारों से संबंधित है। मैं केवल इसी सीमा तक अपनी बात कहना चाहता था।

जहां तक विधेयक का संबंध है, पांचवें वेतन आयोग के बाद सरकार अधिसूचना द्वारा मानव अधिकार आयोग के कर्मचारियों पर इसे लागू करना चाहती थी। मगर जब हमने इस समस्या का हल अधिसूचना के द्वारा करना चाहा तो विधि मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब तक धारा 40 में संशोधन नहीं हो जाता तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए यह संशोधन सभा के समक्ष लाया गया। जैसाकि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कहा है कि यह नहीं है कि अब तक वेतन का भुगातन किया

[श्री सीएच. विद्यासागर राव]

ही नहीं गया। ऐसा नहीं है। अब तक उन्हें पांचवें वित्त आयोग के लाभ ही प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

वह सिर्फ एक साल का है। 1996 से सब सैलेरी ले रहे हैं। सिर्फ एक साल का इश्यू है।

[अनुवाद]

सिर्फ एक साल के लिए, भूतलक्षी प्रभाव से दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विभाग इस विषय पर मौन है।

जहाँ तक राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का संबंध है, दस राज्य सरकारों ने राज्य मानव अधिकार आयोग गठित कर दिए हैं और बाकी के राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से इस विषय पर लगातार संपर्क में है।

जहां तक बिहार का प्रश्न है, हम बिहार सरकार को गठन आयोग के गठन के लिए लगातार लिखते रहे हैं किंतु वे आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं। यदि श्री रघुवंश प्रसाद सिंह पहल करते हैं तो इससे न केवल बिहार की जनता की सहायता होगी बल्कि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं होगा।

यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हमने भी हस्ताक्षर किए थे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): इस बारे में, भारत सरकार क्या कर रही है वह बताएं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, सरकार इस सम्मेलन की पुष्टि पर विचार कर रही है। जैसाकि श्री मुलायम सिंह जी ने इसे सही उठाया कि यह विधेयक कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने तक ही सीमित है। सभी सदस्य पहले ही इसका समर्थन कर चुके हैं। जहाँ तक सुझावों का संबंध है सरकार उचित स्तर पर इन पर विचार करेगी।

इसके साथ ही मैं, माननीय सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, इन्होंने कहा कि बिहार में मानवाधिकार आयोग नहीं बना हुआ है। प्रश्न संख्या 1919 देखें।

[अनुवाद]

"प्राप्त सूचना के अनुसार, असम, हिमालय प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर लिया है।"

[हिन्दी]

कैसे आपने कहा कि मानवाधिकार आयोग नहीं है। आपका कौन सा उत्तर सही है? यह सही है या आप सही हैं। आप बिहार के साथ इंसाफ तो करिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सही है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मुझे मिली सूचना के अनुसार, शुद्धि के अध्यधीन मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह शुद्धि के अध्यधीन है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.44 बजे

[अनुवाद]

(दो) पंजाब नगर-निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 8 पर विचार करेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक द्वारा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों का नगर-निगम, चण्डीगढ़ में प्रतिनिधित्व करने और मतदान करने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा।

यह एक साधारण संशोधन है। पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976, राज्य सरकार द्वारा मई 1994 में यथा संशोधित, को पंजाब नगर निगम (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 के द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ पर लागू किया गया।

पंजाब अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम में लोक सभा के सदस्य के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं है अत: तदनुसार ही 1994 के उक्त अधिनियम में केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ के लोक सभा सदस्य के चण्डीगढ़ नगर निगम में प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

संविधान का अनुच्छेद 243 (आर) अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान करता है कि राज्य विधान सभा, विधि द्वारा लोक सभा के सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को नगर निगम में उन निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें समग्रत: या अंशत: नगर निगम क्षेत्र शामिल है, का प्रतिनिधित्व कर सके।

महोदय, चण्डीगढ़ नगर निगम में स्थानीय संसद सदस्य के प्रतिनिधि संबंधी मामले को गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न बैठकों में मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार विमर्श के दौरान उठाया गया था। समिति ने अपने 37वें प्रतिवेदन में सिफारिश की कि:

> "यह आशा की जाती है कि स्थिति में सुधार किया जाएगा और संविधान के 73वें संशोधन के उपबंधों के अनुसार संसद के स्थानीय सदस्य को चण्डीगढ़ नगर निगम का सदस्य माना जाएगा।"

गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1999-2000) की जांच करते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च, 1999 को हुई बैठकों में समिति ने इस मामले पर पुन: विचार किया और यह सिफारिश की:

> "समिति ने मंत्रालय का जवाब देख लिया है और यह आशा करती है कि मंत्रालय के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाएगा जिससे कि चण्डीगढ़ और नगर निगम में स्थानीय संसद सदस्य का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समिति मंत्रालय से यह भी अनुरोध करती है कि मामले की प्रगति के बारे में उसे समय-समय पर अवगत कराया जाता रहे।"

समिति की उक्त सिफारिश के अनुसरण में ही, सरकार चण्डीगढ़ नगर निगम में चण्डीगढ़ के स्थानीय संसद सदस्य के मताधिकार के साथ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान का प्रस्ताव लाई है। तदनुसार ही, पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 का संशोधन किया जा रहा है।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही, मैं इस सम्मानीय सभा की स्वीकृति हेतु यह विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

यह बहुत ही सरल है। यह केवल स्थानीय संसद सदस्य को, मताधिकार सहित नगर निगम का सदस्य बनाने का अवसर प्रदान करता है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, स्थानीय स्वशासित संस्थाएं निचले स्तर पर लोकतंत्र के सफलतापूर्वक कार्य करने और सच्ची जनांकाक्षाओं, आशाओं और उम्मीदों को पूरा करने का सशक्त माध्यम हैं। जब वर्ष 1994 में संसदीय समिति के समक्ष चौहत्तरहवाँ संविधान संशोधन रखा गया था तो उस समय यह प्रयास किया गया था कि उसके उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू न किए जायें। सौभाग्यवश, सांसदों के दबाव के कारण उन प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू किया गया। उस समय हमने यह उम्मीद की थी कि संघ राज्य क्षेत्रों की देश में अच्छी या बुरी जो भी स्थिति हो उस विशिष्ट स्थिति के कारण वहां के निवासियों के हितार्थ संवैधानिक संशोधन की उस भावना को कार्यरूप देने के लिए नये विशिष्ट विधान लाये जायेंगे। संभवत:, जल्दबाजी में, पंजाब नगर निगम अधिनियम, में कुछेक ऐसे संशोधन, जिन्हें उस समय आवश्यक समझा गया, करके चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर गया।

महोदय, आज हमें जबकि चंडीगढ़ में उन प्रावधानों के कार्यान्वयन का चार वर्षों का अनुभव है, तो यह उम्मीद की जाती है कि सरकार इन वर्षों से उसमें देखी गई विभिन्न खामियों को देखते हुए, या तो उस अधिनियम को हटाने के लिए एक व्यापक विधान लायेगी या फिर मुख्य अधिनियम में उन अनिवार्य प्रावधानों को शामिल किया जाएगा जो उस नगर में नगर निगम की प्रभावी कार्यप्रणाली हेतु आवश्यक है। हमारे सामने आज जो कुछ है, वह यह विधेयक है और संभवत: इस प्रावधान से जिसे फायदा होने जा रहा है। वह व्यक्ति मैं हूं। परंतु मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये वास्तव में मैं इस संशोधन की प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी और यह निर्णय राज्य विधायिकाओं पर छोड़ दिया गया था कि क्या वे सांसदों को संबद्ध निगमों, पंचायतों इत्यादि के सदस्यों के रूप में देखना चाहते हैं अथवा नहीं।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सांसदों का काम करने का अलग मंच होता है, और पंचायतों, जिला परिषदों और नगर निगमों का सदस्य होना वास्तव में उनके लिये आवश्यक नहीं है। परंतु आज मैं इस संशोधन विशेष का विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। संभवत:, सरकार ने इस पर विचार किया है और कुछेक लोग इसे लाना चाहते हैं और जैसाकि मैंने कहा है, अनजाने में ही मुझे इसका फायदा हो जायेगा। संभवत: सरकार ने जब इसकी पहल की तो उसकी मंशा कुछ और रही हो। परंतु मैं इस अवसर का प्रयोग इसमें वर्षों से लोगों द्वारा देखी गई कुछेक खामिओं को माननीय मंत्री के नोटिस में लाने के लिए करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करेंगे और संबद्ध कानून में संशोधन करेंगे।

जैसाकि मैंने यह कहकर शुरुआत की थी, स्थानीय स्वशासी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से निचले स्तर पर लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का हमें अनुभव प्राप्त करना है और यदि वास्तव में हम अपने समाज में लोकतंत्र को सफल होते हुए देखना चाहते हैं, लोकतंत्र की भावना और लोकतांत्रिक प्रकृति उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इस संबंध में स्थानीय स्वशासी संस्थायें ही व्यापक भूमिका अदा कर सकती हैं। परंतु मैं यह पाता हूँ कि संविधान में व्यापक प्रभाव अथवा प्रकृति वाले कुछेक संशोधन लाने की हमारी जो भावना है, वास्तव में, उसे कार्यरूप नहीं दिया जा रहा है।

मैं कुछेक टिप्पणियों तक ही सीमित रहूँगा। मैं इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। परंतु मुझे इस बात पर निराशा हुई है कि नगर-निगम के जो अधिकार, कर्त्तव्य और कार्य निर्धारित किये जाने चाहिए थे, वे नहीं किये गये हैं। आप एक विधान पारित करते हैं, परंतु कार्यकारी निर्देशों और कार्यकारी ज्ञापनों के द्वारा आप नगर निगम से उन्हें वापिस ले लेते हैं। यदि हम चंडीगढ़ का उदाहरण लें, तो निगम की कार्यप्रणाली के बारे में पूर्ण रूप से अनिश्चितता कर माहौल है। सांविधानिक अनुसूची के तहत जो महत्वपूर्ण कार्य निगम को हस्तांतरित किये जाने थे, वे नहीं किए गए हैं। नगर निगम को जो अधिकार दिए जाने थे, वे नहीं दिये गये हैं और इसकी कार्य.प्रणाली में बिल्कुल असमंजस का माहौल है।

प्रमुख कार्य चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास हैं और कुछ गौण कार्य ही नगर निगम को हस्तांतरित किये गये हैं। और परिणाम यह है कि अधिकारियों से लोगों का मिलना मुसीबत से खाली नहीं है।

डा. नीतीश सेनगुप्ता (कोन्टाई): क्या मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या वह गृह कर दे रहे हैं?

सभापति महोदय: जी नहीं, आप सदस्य से प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं उस पर भी आऊंगा। एक अनजान व्यक्ति किसी कार्यालय में जाता है, हम 'सिंगल-विंडो' प्रणाली की ओर उसके माध्यम से सभी सुविधाओं की व्यवस्था की बात करते हैं उसे एक खिड़की से दूसरी खिड़की एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उसके कष्टों का कोई अंत नहीं होता।

फिर, संविधान और अधिनियम में भी वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था है। वित्त आयोग का गठन तो किया गया है, परंतु एक बार भी नहीं, सिर्फ एक बार भी चंडीगढ़ के लिए गठित वित्त आयोग ने केन्द्र शासित प्रदेश के लिए निर्धारित धन का प्रशासन और निगम के बीच बंटवारे के लिए बैठक नहीं बुलाई और परिणाम यह हुआ कि निगम के पास धनराशि का अभाव हो गया।

यहाँ मैं उस की बात करना चाहता हूँ। चालीस वर्षों से और सही कहें तो 34 वर्षों से चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। जहां तक चंडीगढ़ का प्रश्न है, उसके पास धन की कभी नहीं रही है। केन्द्र, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि देता रहा है और आज भी धनराशि की कमी वास्तव में कोई समस्या नहीं है। यह उन लोगों की मंशा है जो अधिकारियों और उनकी सोच पर नियंत्रण रखते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि लोग देने के इच्छुक है, बशर्ते कि सरकार, जो उनसे लिया है, उसके समतुल्य सेवा प्रदान करें। यह हमारा अनुभव है कि चण्डीगढ़ के लोगों के साथ वास्तव में, उस तरह का व्यवहार नहीं किया गया है, जैसा उनसे उस समय वायदा किया गया था जबकि उनसे तत्कालीन पंजाब के मुख्य मंत्री द्वारा यहाँ आकर चंडीगढ़ में रहने के लिए कहा गया था अथवा अपील की गई थी।

उन आश्वासनों को वर्षों से पूरा नहीं किया गया। प्रश्न यह नहीं है कि लोग गृह कर अदा नहीं करना चाहते। प्रश्न यह है कि लोगों की जरूरतों के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। यदि हम यह पाते हैं कि सेवाएं समतुल्य नहीं हैं, बेहतर नहीं है और यह कि सेवाएं केन्द्र द्वारा दिए गए अनुदानों के अनुरूप नहीं हैं तो हम निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के नये करों पर आपत्ति करेंगे। इससे लोगों को क्या मिला है?

आज हम पेट्रोलियम उत्पादों पर चर्चा कर रहे थे। चण्डीगढ़ के लोगों पर 20 प्रतिशत कर लगाया गया है जबकि उससे सटे हुए पंचकुला और मोहाली शहरों में चण्डीगढ़ के दो छोरों पर और दो अलग अलग राज्यों में लोग चण्डीगढ़ की तुलना में कम कर दे रहे हैं। चण्डीगढ़ के लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों के जो मूल्य देने पड़ते हैं, वे उन दोनों राज्यों से बहुत कम हैं।

फिर, इसके साथ वास्तव में हमें, उस समय जब छः वर्ष पहले यह विधान पारित हुआ था, यह उम्मीद थी कि आयोजना का कार्य लोगों के हाथ में आ जायेगा। यह हमारी भावना है, सभी लोगों की भावना है और मुझे विश्वास है कि वे सभी मुझसे सहमत हैं कि योजना भवन में वातानुकूलित कमरों में बैठे हुए सज्जनों को यह जानकारी नहीं हो सकती कि किसी राज्य विशेष का कोई छोटा सा गांव अथवा छोटी बस्ती कहां होगी और इसकी क्या विशेष समस्यायें होंगी। इसके लिए जिला आयोजना और महानगर आयोजना संबंधी समिति का एक अच्छा प्रावधान है। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इनका ध्यान रखें और यह देखें कि कुछ ठोस कार्यवाही की जाये ताकि हमारी बातचीत, उसकी भावना को कार्यरूप प्रदान किया जा सके।

अब, मैं स्टाफ पर आता हूँ। जब नगर-निगम का गठन दिया गया था, तब स्टाक का बड़ा हिस्सा, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को निगम में स्थानान्तरित कर दिया गया था। ये लोग उस दिन से ही आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका भविष्य संकट में है। उनके साथ औरों से अलग दूसरी श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया है। अतः यह आवश्यक है कि उन लोगों को उनका न्यायोचित हक दिया जाये। आज, उनकी मांग यह है कि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जाये। यह एक बहुत उचित मांग है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री मेरी बातें नोट कर रहे हैं।

यहाँ तक कि मुझे यह भी पता चला है कि कुछ समय पहले सरकार ने इस बारे में आश्वासन दिया था मैं यही चाहता था कि माननीय मंत्री हमें यहाँ आश्वासन दे कि इस विशेष बात पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिया जायेगा और सभी कर्मचारी, जो प्रशासन से नगर निगम में आये हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर माना जाये ताकि उनका भविष्य संकट में न पड़े। अधिनियम के अंतर्गत निगम को नया स्टाफ भर्ती करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए परंतु उनकी जरूरतों की तरफ निश्चित तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस अधिनियम के अंतर्गत वार्ड समितियों के गठन की व्यवस्था है। चार वर्षों से, ऐसी वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि एक अनिवार्य प्रावधान किया जाये कि ऐसा न करने के लिए निगम के विरुद्ध कार्यवाही हो। मैंने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि यदि आप सचमुच सफूर्त और गतिशील लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवासी कल्याण संगठन ऐसी वार्ड समितियों से संबद्ध हो। परंतु ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

जैसाकि आज स्थिति है, चंडीगढ़ के नगर निगम में 20 निर्वाचित सदस्य हैं और नौ नामनिर्दिष्ट सदस्य हैं। मुझे यह पूरी तरह स्पष्ट करना है कि मैं नामनिर्दिष्ट सदस्य रखने के पक्ष में हूँ। चंडीगढ़ में जो लोग नामनिर्देशित किए गए हैं,

[श्री पवन कुमार बंसल]

उन्होंने सराहनीय कार्य किया है परंतु मेरा अलग कथन है। यह अनुपात स्वस्थ परंपरा का अनुपालन नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग माननीय मंत्री पर यह दबाव डालने और अगले वर्ष होने वाले चुनावों से पहले सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 करने के लिए इस संशोधन को तत्काल लाने हेतु अनुरोध करने के लिए करूंगा। महोदय, कोई भी यह महसूस कर सकता है कि यदि शहर के नागरिक 30 लोगों का निर्वाचन करें और सांसद सहित नौ नामनिर्दिष्ट सदस्य हों अथवा 31 निर्वाचित सदस्य और नौ नामनिर्दिष्ट सदस्या या 31 निर्वाचित सदस्य हो, नौ नामनिर्दिष्ट सदस्य हो तथा एक संसद सदस्य तो कुल संख्या 40 हो जाती, जो मामलों की देख-रेख के लिए अच्छी सभा के गठन के लिए पर्याप्त है।

[अनुवाद]

अंत में, मैं निगम के कार्यकरण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब तक आप इन संस्थानों को शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तब तक वे केवल कागजों पर ही अच्छे लगेंगे। आज नगर निगम के पास कोई शक्ति और प्राधिकार नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप कम से कम महापौर परिषद् (मेयर-इन-काउंसिल) नामक प्रणाली शुरु करें।

अपराह्न 4.00 बजे

कृपया इस पर विचार करें। निगम को कुछ प्राधिकार दें ताकि वे वास्तव में लोगों के प्रति जवाबदेह बन सकें और लोगों से किए गए वायदों को पूरा कर सकें।

मैं जानता हूं कि मौजूदा निगम वास्तव में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। इसके अनेक कारण हैं और मैं इन सब बातों की चर्चा यहां नहीं करना चाहता। मैं महसूस करता हूं कि इनमें से एक कारण निश्चित रूप से कार्य करने की इच्छा का अभाव है। उन्होंने ऐसी इच्छा नहीं दिखाई है। जनता निगम के कार्यकरण से प्रसन्न नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरे द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का संबंध है अधिनियम में कतिपय खामियों, कमियों के कारण हैं मैंने ऐसी टिप्पणियां की हैं। दूसरी बात का निर्णय लोगों को करना है। इस सभा में मुझे केवल माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना है कि वे तत्काल विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय को नगर निगम तथा आम जनता से वर्षों से देखी जा रही कमियों के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए होंगे और मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इन मांगों को पूरा करने में तत्काल कार्यवाही करें और इस अधिनियम को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरुप बनाएं जिससे लोग कह सकें कि यह स्थानीय स्वशासी संस्थान के उत्कृष्ट कार्यकरण का एक प्रतीक उदाहरण है।

अपराह्न 4.02 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2000 का पुरजोर समर्थन करता हूं। आज चंडीगढ़ एक केन्द्र शासित प्रदेश है। लोक तंत्र के अंदर नगर पंचायत, नगर परिषद् या नगर निगम, ये सब आधारभूत स्तंभ हैं। प्रजातंत्र की प्रारंभिक इकाइयां हैं। प्रजातंत्र में मूलभूत आधार स्तम्भ जितना मजबूत होगा, उतना ही निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्रीय प्रक्रिया के अनुसार ही चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, जिस राज्य में जिस प्रकार की स्थिति हो और जो सांसद या विधायक जिस नगर का रहने वाला है, उस नगर की नगर निगम या नगर परिषद् का सदस्य अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार का अधिकार देने के लिए, लोकतंत्रीय अधिकार प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाया गया है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ।

मान्यवर सभापति महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, चंडीगढ़ इस समय तीन राज्यों की राजधानी है। एक तरफ वह पंजाब की राजधानी है, दूसरी तरफ वह हरियाणा की राजधानी है और तीसरे चूंकि वह केन्द्र शासित प्रदेश है इसलिए केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है। इस दृष्टि से वहां का जो नगर निगम है, उसका सांसदों एवं विधायकों को सदस्य बनाना इसलिए आवश्यक है कि वहां के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वहां केन्द्र शासित प्रदेश में नगर ब्लाक के सदस्य हैं, या विधायक हैं या वहां के चुने हुए सांसद हैं, वे निश्चित रूप से वहां की नगर निगम के सदस्य होने चाहिए ताकि वहां का सही प्रतिनिधित्व हो सके।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान राज्य के अजमेर शहर से सांसद हूं। अजमेर में नगर परिषद है। उसका सदस्य हमें भी बनाया गया है। जब परिषद की बैठक होती है, तो जहां पार्षदगण अपनी समस्याएं रखते हैं, वहां सांसद के रूप में हम भी शहर की समस्याएं समग्र रूप से नगर परिषद् के समक्ष रखते हैं और समस्याओं का निराकरण कराने का मौका मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन नितान्त आवश्यक था। पंजाब का जो म्युनिसिपल कार्पोरेशन था, पंजाब का जो पहले कानून था, जो उसके ऊपर 1994 में लागू हुआ, लेकिन मूलत: उस कानून में ऐसा प्रावधान नहीं था, जो चंडीगढ़ में लागू किया गया। इसलिए छ: वर्ष बाद यह कानून लाया गया है। वैसे इसे इससे पहले ही लाया जाना चाहिए था। उस समय की सरकारों को पहले ही लाना चाहिए था। उस समय की सरकारों ने इसको लाने में अनावश्यक विलम्ब किया और इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वहां के चुने

हुए प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने का अवसर प्रदान नहीं किया।

मान्यवर सभापति महोदय, बंसल साहब जैसे विचार प्रकट कर रहे थे, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंडीगढ़ के अंदर शायद अन्य दल का नगर निगम होगा। इसीलिए वे इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि को चंडीगढ़ नगर निगम का सदस्य बनाने, बैठकों में सम्मिलित होने, उसमें अपनी राय व्यक्त करने के बारे में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसका हमें तहेदिल से, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए।

लेकिन शायद राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकती है जिसके कारण से ज्यादातर लोग ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: आपको कुछ कहना है, इसलिए यह कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: कुछ कहना नहीं है। ...*(व्यवधान)* केवल इसलिए कि चंडीगढ़ की विशिष्ट स्थिति है। उस दृष्टि से मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। संविधान का 73वां, 74वां संशोधन तो हो गया लेकिन संशोधन होने के बाद कई दफा कई राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार लोक सभा के सांसदों या विधायकों को कभी वोट देने का अधिकार प्रदान कर देती है और कभी ऐन टाइम पर मना कर देती हैं कि हमारा बहुमत एक-दो के कारण गड़बड़ा जायेगा। ऐसी स्थिति में 73वें और 74वें संशोधन की जो मंशा थी और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए जब स्टेट्यूटरी बॉडी बन गई तो एक बार जो अधिकार उसे मिला है, वह अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए, यह भी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि नगर निगम सुदृढ़ बने, व्यवस्था अच्छी हो और वार्डों की संख्या में वृद्धि हो। चंडीगढ़ की आबादी भी अन्य नगरों की भांति बढ़ रही है लेकिन वहां का पर्यावरण, वहां का प्राकृतिक सौन्दर्य, वहां की विशिष्ट स्थिति सुरक्षित रहनी चाहिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2000 पर चर्चा चल रही है। 1994 से लेकर अब यानी छः सालों के बाद यह कानून आया है। प्रोफेसर रासा सिंह रावत जी पूर्व की सरकारों की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि छः वर्ष में तीन वर्ष तो इन्हीं की सरकार है। यह कानून पहले क्यों नहीं आया? सांसदों के साथ घोर उपेक्षा का बर्ताव किया जा रहा है। लोकल सांसदों को उसमें नहीं रखा गया। यह कौन सा कानून बना है और कैसे बना है? तीन साल बीत जाने के बाद यह सरकार कानून लाई है। मेरा कहना है कि हरेक चीज में सांसदों की उपेक्षा की गई है। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ। उस समय लागू करने के पीछे मंशा थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमैंट, पंचायती राज, नगर निगम, नगर इकाई आदि सबको मजबूत किया जाये, प्रतिनिधित्व दिया जाये तथा हर पांच वर्ष में इसका चुनाव हो। उसमें महिला, हरिजन, आदिवासी जाति, जनजाति आदि सबको प्रतिनिधित्व दिया जाये, आरक्षण दिया जाये, यह कानून बना। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): बिहार में तो 17 साल से इलैक्शन नहीं हुए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिहार में चुनाव नहीं हुए? लोग जानते ही नहीं, कैसे नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)* क्या बिहार में चुनाव नहीं हुए? आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान संविधान ने किया और कहा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को भी आरक्षण दे सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। वहां की सरकार ने पंचायत का जो कानून बनाया, उसमें पिछड़ी जाति को ही आरक्षण दिया। उसके बाद बिहार सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के विरुद्ध फैसला दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुखिया का पद सिंगल पोस्ट है। ब्लाक मुखिया, जिला मुखिया आदि का पद सिंगल पोस्ट है। उस पर किसी का आरक्षण नहीं होगा जबकि संविधान कहता है कि आदिवासी, अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला आदि सबको आरक्षण दिया जाये और यह आरक्षण सभी पदों पर होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि सिंगल पद, मुखिया के पद पर आरक्षण नहीं होगा। अब जो यह कहते हैं कि राज्य सरकार ने चुनाव नहीं कराये तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने दुश्मनी के चलते राज्य सरकार को दंड स्वरूप 500 करोड़ रुपये नहीं दिये।

अब हाई कोर्ट के मुताबिक तभी चुनाव हों, जब मुखिया पद पर आरक्षण न हो। लेकिन फिर हम संविधान विरोधी हो जाएंगे। देश के सभी राज्यों में मुखिया पद पर सभी को आरक्षण मिला है, बिहार में आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति किसी को भी नहीं मिला। एक तरफ हाई कोर्ट के अनुकूल चलने से संविधान विरोधी, तो दूसरी तरफ संविधान के अनुसार चलने से न्यायपालिका की अवमानना। फिर यह केस हम पर हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकार के सामने संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। इसीलिए चुनाव नहीं हुए। हमने अपील की, मामला सुप्रीम कोर्ट

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

में है। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा है कि हम हाई कोर्ट के मुताबिक चुनाव कराएं या संविधान के मुताबिक। अगर हाई कोर्ट के अनुसार नहीं चलते तो कंटेम्ट आफ कोर्ट का खतरा हो जाएगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): वहां राज्य सरकार का वकील नहीं होता।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये लोग बिना सोचे-समझे बोल देते हैं। बिहार की बात पर हल्ला कर रहे हैं। ये लोग बिहार की दस करोड़ की आबादी के दुश्मन हैं। उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। हमें वहां की जनता ने अपने सवाल उठाने के लिए यहां भेजा है। यहां आप गलत नीतियों का समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस सर्वोच्च संस्था में जनता के सवाल नहीं उठाते।

अब मैं चंडीगढ़ की बात कहना चाहता हूं। रासा सिंह जी ने ठीक कहा कि जब पंजाब का बंटवारा हुआ तो हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनी; इसके अलावा वह स्वयं केन्द्रशासित प्रदेश है, उसकी भी राजधानी है। उसका एक्ट बना। लोकल सांसद को इजाजत नहीं दी, उसके लिए कानून नहीं बनाया कि उसमें बैठ सके। अब काफी देर से यह संशोधन आया है। वहां के सांसद पी.के. बंसल जी काफी काबिल आदमी हैं, कानूनविद हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं और इस बिल का भी करते हैं। केन्द्र सरकार की ओर से जो सांसदों की उपेक्षा होती है, वह नहीं होनी चाहिए। पिछली बार सप्लीमेंटरी बजट का जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने आग्रह किया था अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था कि जो पैसा राज्यों को विभिन्न योजनाओं, जैसे इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना आदि के लिए दिया जाता है, उसमें सांसदों की उपेक्षा होती है, तब कहा गया था कि स्पीकर साहब बैठक बुलाएं और देखें कि सांसदों की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हमने इस बारे में पत्र भी लिखा है कि उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा जो सांसदों की उपेक्षा होती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस संशोधन का तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और जिन कानूनों में खामियां हैं, उनमें भी सुधार होना चाहिए। कानून में संशोधन करके सांसदों की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि हम जनता की आवाज को उठा सकें। वहां केवल विधायक ही होते हैं और वे एक तरफ हो जाते हैं, हम लोगों की उपेक्षा हो जाती है। इसलिए ऐसे कानूनों में भी सुधार का आग्रह मैं मंत्री जी से करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): माननीय सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मैं पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे विधायक और संसद सदस्य को स्वत: नगर निगम का सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसाकि अन्य राज्यों में हो रहा है कि उस क्षेत्र विशेष अथवा राज्य से राज्य सभा सदस्य उस निगम विशेष का सदस्य बनना चाहेंगे। मेरे विचार से ऐसे राज्य सभा सदस्यों, जो किसी निगम विशेष के सदस्य बनना चाहते हैं, के बारे में इस विधेयक में ही स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है।

श्री पवन कुमार बंसल: क्या मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूँ? चंडीगढ़ बहुत छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है। यहां निगम में कोई विधायक अथवा राज्य सभा का सदस्य नहीं है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: आज यह स्थिति हो सकती है लेकिन यह मेरा विचार है इसलिए इसे इस विधेयक में या तो सकारात्मक रूप से अथवा स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

दूसरे, यदि निगम में स्थानीय विधायक होगा तो विधान सभा में निगम के हितों की रक्षा की जा सकती है। यदि स्थानीय संसद सदस्य निगम का सदस्य है तो वह केन्द्रीय मुद्दों के साथ तालमेल स्थापित करने की बेहतर स्थिति में होगा। यह एक अच्छा संशोधन विधेयक है और हम भी इसका समर्थन करते हैं।

इस संबंध में, मैं मंत्रालय के विचारार्थ यह भी सुझाव देता हूं कि हम विभिन्न राज्यों के सभी निगमों के लिए समान संशोधन विधेयक क्यों न लाएं। जैसे हमने स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने हेतु तेहतरवां संशोधन विधेयक और चौहत्तरहवां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए हैं तो हम विभिन्न राज्यों के सभी निगमों के लिए एक समान संशोधन विधेयक क्यों नहीं ला सकते हैं ताकि हम समान प्रावधान कर सकें।

यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं। इस

विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। इस विधेयक का उद्देश्य केवल चंडीगढ़ के संसद सदस्य को मताधिकार सहित नगर निगम का सदस्य बनने का अधिकार देना है।

महोदय, माननीय सदस्य, ने नगरपालिका के कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा नामनिर्दिष्ट और निर्वाचित सदस्यों के बीच अनुपात के संबंध में सुझाव दिये हैं। इन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा और मैंने ये सभी मुद्दे नोट कर लिये हैं। इस संबंध में उचित स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री पवन कुमार बंसल: मंत्री स्तर से बेहतर स्तर क्या हो सकता है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह विषय एक दो वाक्यों तक सीमित है अर्थात् संसद सदस्य को अधिकार सहित नगर निगम का सदस्य बनने का अधिकार देना। जहां तक विधेयक का संबंध है। इसमें इस बात के अलावा और कुछ नहीं है।

इसके बारे में अनेक अच्छे सुझाव दिये गये हैं और इन पर विचार किया जायेगा। राज्य सभा सदस्यों के बारे में प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु जी द्वारा दिए गए सुझावों के संबंध में अनुच्छेद 243द के अंतर्गत केवल लोक सभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है राज्य सभा के सदस्यों का नहीं। इसलिए यह एक भिन्न विषय है। तथापि, मैंने यह बात नोट कर ली है और उपयुक्त समय पर इस पर विचार किया जा सकता है।

अब, मैं माननीय सदस्यों से विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या आप समान विधेयक का प्रस्ताव करते हैं?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं यह बात नोट कर चुका हूं लेकिन इस समय मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.20 बजे

(तीन) वायुयान (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए अभी तक समय नियत नहीं किया गया है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, इस विधेयक के लिए डेढ़ घंटे का समय नियत किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: सभा इस बात से सहमत है कि इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया जाए।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, एयरक्राफ्ट के अंदर पहले कार्गो मूवमेंट बहुत कम हुआ करता था, अब धीरे-धीरे यह मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। हालत यह है, सामान भेजने वालों की इच्छा है कि सामान सारी

[प्रो. चमन लाल गुप्त]

दुनिया के अन्दर एक ही दिन में पहुंचे। इस एक्ट के मुताबिक ब्युरो आफ सिविल एविएशन की डायरैक्शन्स के मुताबिक कार्गो एजेंट्स को चलना होता था। उसमें हम तीन तरह से अपने कार्गो को सेफ्टी की दृष्टि से देखते थे। इसमें यह था कि एक्स-रे के द्वारा या फिर सामान को 24 घन्टे एक ही स्थान पर रखकर फिर एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता था। स्वाभाविक है, 24 घंटे जिस कार्गो को हम रोककर रखेंगे, वह कार्गो आगे पहुंचने में निश्चित रूप से डीले हो जाता था। पहले इस एक्ट के मुताबिक ब्यूरो आफ सिविल एविएशन की डायरैक्शन्स के मुताबिक एक हजार रुपए का जुर्माना होता था और छः महीने की कैद होती थी। अब समय आ रहा है कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कार्गो के लिए इस्तेमाल हो रहा है और हरेक की इच्छा रहती है कि कार्गो दुनिया में तुरन्त पहुंचना चाहिए। इसलिए पुराने सिस्टम में थोड़ा चेंज लाया गया है और नोन-शीपर्स को काम देने की बात कही गई है तथा उनको भी ब्यूरो आफ सिविल एविएशन के मुताबिक चलना होगा और एक हजार रुपये के जुर्माने के स्थान पर दस लाख रुपए जुर्माने की बात कही गई है और सजा छः महीने की ही रखी गई है। केवल इतना ही अमेंडमेंट इस बिल के माध्यम से लाया गया है। इस बात को भी ध्यान में रख कर यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है कि वह पूरी जिम्मेदारी से कार्गो को ले जाएगा। अन्यथा डैटेरेंट पनिश्मेंट के साथ कोर्ट एक हजार रुपए जुर्माने के स्थान पर दस लाख रुपए जुर्माना कर सकेगा।

मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सदस्य व्यवस्था को देखते हुए कि देश में कार्गो मूवमेंट तेज हो रहा है, इस संशोधन के पास करने में सहयोग देंगे और इसको बिना बहस के पास करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): माननीय सभापति महोदय, जो यह वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है, "वह देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर।" अभी जो हमारे राज्य मंत्री हैं वह प्रोफेसर भी रह चुके हैं और संभवत: प्रोफेसर की घंटी 45 मिनट की होती है। जब वह क्लास में जाते हैं तो 45 मिनट तक भाषण देते हैं। यह जो 1934 का बिल है-इसमें इनका एक लाईन का संशोधन है। पता नहीं यह तीन वर्ष से कहां सोए हुए थे। इसमें संशोधन में जो शब्द दिया गया है-"भारत में किसी स्थोरा," आप यह बता दीजिए कि हिन्दुस्तान में स्थोरा शब्द कोई समझेगा या नहीं। अभी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे- "कारगो," हम इस शब्द को खोजते-खोजते थक गए, हमें कहीं कारगो शब्द मिला ही नहीं। इसमें स्थोरा शब्द दिया हुआ है। आप आफिसर के मातहत काम करते हैं या आफिसर आपके मातहत काम करता है, यह आप सदन को बताने की कृपा करें। अगर आप स्थोरा के बगल में ब्रेकेट में कारगो लगा देते तो लोगों को समझने में आसानी हो जाती, आपकी सार्थकता हो जाती। आप प्रोफेसर थे, अभी हैं या छुट्टी पर हैं, मैं नहीं जानता। हम लोग परेशान हो रहे थे कि यह स्थोरा शब्द क्या है। अगर आप इसका सदन में संशोधन कर देंगे तो हमारा जो सुरक्षा आयुक्त है वह नोटिफिकेशन निकाल देगा और पांच लाख तक जुर्माना करेगा।

आपने इसमें यह बताने का कष्ट नहीं किया कि जो कारगो में सामान भेजते हैं-चाहे वह कच्चा माल हो, केला हो या सेब हो, इसकी जवाबदेही किस पर होगी। आप सुरक्षा आयुक्त के हाथ में इतना बड़ा शस्त्र दे रहे हैं वह जिसे चाहेगा उसमें समेट लेगा। जिससे उसे अपने कारोबार में वैमनस्य होगा, उसकी जवाबदेही निश्चित कर देगा और उसे पांच लाख जुर्माना कर देगा। आप अगर उपभोक्ताओं के लिए सुविधा प्रदान करना चाहते हैं तो आपको इसमें व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम फलां आदमी, जो इसके जवाबदेह होंगे, एयरपोर्ट आथोरिटी पर कौन लोग रहेंगे, इसके जवाबदेह जो कार्गो के होंगे उन्हें आप सजा देंगे, पांच लाख जुर्माना करेंगे। यह आपने अपने संशोधन में दर्शाने का काम नहीं किया।

महोदय, आप और हम, सारे सदन के मैम्बर्स इस बात को जानते हैं कि आजकल हवाई जहाज बैलगाड़ी की तरह हो गया है। आपको भी जाने का अवसर मिलता होगा। हम जब पूछते हैं कि हवाई जहाज समय पर है तो बोलते हैं कि हां, टाइम पर है और जब हम हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं तो बताया नहीं जाता है कि कितना विलम्ब हवाई जहाज का हुआ। आप माल भेजने के लिए यह कानून बना रहे हैं। वहां जाकर लोग घंटों बैठे रहते हैं और उसके बाद उसे कहा जाता है कि आप चले जाइए, अपना नाश्ता उठा लीजिए। यह नहीं बताया जाता है कि तीन या चार घंटे में हवाई जहाज जाएगा। जब अनंत कुमार जी थे तो सुधार हुआ था, हम उन्हें धन्यवाद और बधाई देते हैं, लेकिन उनसे विभाग ले लिया गया। जो अच्छा काम करता है उसके पास विभाग नहीं रहता है। उसे मंत्रिमंडल में अच्छा काम नहीं करना चाहिए।

जो भी मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप कोई अच्छा काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पोर्ट-फोलियो को नजर लग जायेगी और आपका पोर्ट-फोलियो बदल जाएगा। हमारे

मंत्री मंडल के सदस्य श्री यादव जी हमारे साथ जहाज में आ रहे थे। उन्होंने प्रेस में बयान दे दिया कि यह सड़क हाईवे में बनायेंगे। मैंने उनसे कहा कि आपका तो पोर्ट-फोलियो बदल गया है, आप तो जहाजरानी के मिनिस्टर हो गये हैं। हमारे मित्र श्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के हर जिले में एक खेल स्टेडियम बनाएंगे। हवाई जहाज में हम आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि आप स्टेडियम क्या बनायेंगे, आप तो अब माननीय मुरली मनोहर जोशी के नीचे काम करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मंत्री यहां बैठे हैं वे अच्छा काम न करें, नहीं तो उनका पोर्ट-फोलियो बदल जाएगा।

मैं राज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं। कुछ हमारे ही बिहार के लोग अपने ही बेटे को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने पटना से सुबह सवेरे दिल्ली आने के लिए सीधा प्लेन नहीं दिया। वहां से हम सवेरे चलें और 11 बजे संसद में जो प्रश्न काल होता है उसे अटेंड करें। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार भी इस देश का कोई राज्य है और पटना उसकी राजधानी है। मैं कहना चाहता हूं कि पटना को जोड़ने का काम आपने नहीं किया है। हरेक आदमी ममता बनर्जी नहीं हो सकता है, चन्द्रबाबू नायडु नहीं हो सकता है। लेकिन क्या जो बच्चा रोता नहीं है उसकी मां उसे दूध नहीं पिलाती है। बच्चा अगर सोता रहे तो मां का फर्ज होता है कि उसको जगाकर दूध पिलाए और खाना खिलाए। बिहार के हमारे जो मंत्री हैं उनको हमने वोट दिया है, वे तो रिफ्यूजी थे। मध्य प्रदेश में उनको जगह नहीं मिली तो बिहार में हमने उनको स्थान दिया। उनको आज हवाई-जहाज का पोर्ट-फोलियो मिला है। शाम को जहाज देते हैं और कभी वह पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। हम दस बजे रात में पटना पहुंचते हैं और उस समय हमारे पटना का हवाई-अड्डा बंद हो जाता है और हम लौटकर फिर दिल्ली आ जाते हैं। जो सांसद शुक्रवार को अपने क्षेत्र में पहुंचना चाहेंगे तो शाम को उन्हें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पटना कब पहुंच सकेंगे या फिर वहां पहुंचने पर कहा जाएगा कि रोशनी की व्यवस्था नहीं है, हम आपको फिर दिल्ली पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारा सामान जो ठीक से नहीं पहुंचाएगा उस पर पांच लाख रुपया जुर्माना करेंगे। क्या आदमी की जान का कोई महत्व नहीं है। आप हमारे कर्तव्य में बाधा डालते हैं। संसद में अगर हम 11 बजे से पहले नहीं आयेंगे तो जो 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है उसमें हम शरीक नहीं हो सकेंगे। फिर हमारे प्रतिनिधि होने का क्या मतलब रह जाता है? ऐसी परिस्थिति में आपको इस बात पर विचार करना चाहिए और बिहार के माननीय मंत्री महोदय जो वहां बैठे हुए हैं मैं उनसे कहूंगा कि जब आप जनता के पास जायेंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि माननीय ममता बनर्जी भी तो एमपी थीं। वे हमारी रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थीं। वह बराबर इस बात के लिए लड़ती रहीं कि यह काम रेलवे को करना है और मौका आया तो माननीय नीतीश बाबू से पोर्ट-फोलियो लेकर मंत्री बन गयीं।

वह बंगाल के लिए पैकेज मांगती हैं। वह फ्लड के लिए रुपया मांगती हैं। क्या उसके लिए पैसा गया है या नहीं? शरद यादव जी भी बिहार से चुनकर आए हैं और मंत्री हैं। वह वहां से सांसद हैं। वह उनकी नकल करें। पटना बिहार की राजधानी है। वहां के लिए सीधा सम्पर्क होना चाहिए। आप दिल्ली दस बजे से पहले पहुंचने की व्यवस्था कराइए। गुप्ता जी, आप प्रोफेसर हैं। यह समझने वाली बात है। शरद यादव जी आपको बिल थमा कर चले गए। उन्हें मालूम था कि बिहार के लोग शिकायत करेंगे। उन्होंने हमारी बात सुनना पसन्द नहीं किया। मेरी ये बातें इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती। आप 1934 के बिल में संशोधन करने जा रहे हैं। 1934 में बिहार में भूकम्प आया था। राजेन्द्र बाबू और पंडित जवाहर लाल जी मुंगेर गए थे। राजेन्द्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे। आज बिहार को निगलैक्ट किया जा रहा है चाहे वह कोई मामला हो। अगर रघुवंश बाबू बोलते हैं तो उधर के साथी नाराज होकर बिगड़ जाते हैं। क्या केन्द्र सरकार ने आपके लिए अलग व्यवस्था की है? रूडी जी आप बताएं क्या हमें सीधा प्लेन नहीं मिलेगा? हम भी इसके हकदार हैं। हम भी यहां के मालिक हैं। हम भी इस सदन के सदस्य हैं। आप बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कराइए। आपने बिहार में कार्गो की व्यवस्था नहीं की है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मेरा एक अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम लिस्ट में हैं सब को आज बोलने दिया जाए जिससे सभी सदस्य आराम से अपनी बात कह सकें। कम्पनी विधेयक आज न लिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वे पहले ही 14 मिनट का समय ले चुके हैं। इसलिए मैंने उनसे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा था कि हम सभी को वाद-विवाद में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला: हमें मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कम से कम इस विषय पर तो हमें बोलने दिया जाये *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोला हूं। मैंने अपना समय लिया है। मैं अपनी कठिनाई को व्यक्त कर रहा हूं। आपने हवाई अड्डों में सुरक्षा का प्रबंध किया है। हवाई अड्डे जाने पर हमारा सामान चैक किया जाता है। हवाई जहाज में बैठ जाने के बाद फिर सारा बक्सा खोल कर देखा जाता है। क्या पार्लियामेंट का मैम्बर सबसे बड़ा क्रिमिनल हो गया है? शायद आपको अन्दाजा नहीं है कि किस तरह लोगों को बेइज्जत किया जाता है? हमारी माननीय सदस्या के साथ भी इस तरह की बात होती है। अगर आप सामान चैक करवाना चाहते हैं कि एक बार हवाई अड्डे पर सामान चैक करवा सकते हैं। बार-बार सामान चैक करना ठीक नहीं है। यह कौन सा तरीका है? हवाई जहाज पकड़ने के लिए गेट पर प्रवेश के समय भी चैकिंग होती है। आप किस पर विश्वास करते हैं? आप अपने लोगों को कहिए कि वे हमारा कार्ड देख लें। क्या आप बार-बार चैकिंग करके चोरों और डकैतों को पकड़ते हैं?

हवाई जहाजों के रोजाना एक्सीडैंट हो रहे हैं। आप नौसीखिए आदमियों और अपने आदमियों को बहाल करते जा रहे हैं। इस कारण एक्सीडैंट हो रहे हैं। आप पुराने हवाई जहाजों को चला रहे हैं। लोगों के जान-माल को लेते जा रहे हैं। कूपन कनसैशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा करके हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। आप हमारे ऊपर कम से कम रहम तो करिए। यदि आपको मैंडेट मिला है तो हमें भी मैंडेट मिला है आपकी आलोचना करने का, शिकायत करने का और आपकी कमजोरी को उजागर करने का। आपने औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना सारे हवाई अड्डों में की है लेकिन वे सभी लोगों को बेइज्जत करते हैं। वे सारे अटैची खुलवा लेते हैं। इससे संसद सदस्यों की दुर्गति होती है। यदि उस सिपाही को संसद सदस्य का रैफरेंस दिया जाता है तो भी वह सारा सामान देखता है। यदि बक्से में दाढ़ी का सामान है तो उसे भी दिखाना पड़ता है। इस तरह से हमारी बेइज्जती होती है। आप इस तरफ ध्यान दें और इसमें सुधार करें। जवाब देते समय मेरी बातों का उत्तर दें। आप चाहें तो दोषी लोगों से पांच लाख रुपए जुर्माना लें, हम उसका समर्थन करेंगे। हमारी पार्टी इसके लिए सहमति देती है लेकिन संसद सदस्य की इस तरह से इनसल्ट नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक की भूमिका और उद्देश्य बहुत ही सीमित है। विश्व में अधिकांश देश इस विधेयक का पहले ही समर्थन कर चुके हैं। इस विधेयक से कार्गो को लाने-ले जाने में तेजी आयेगी। जैसाकि मंत्री महोदय, जो इसे प्रस्तुत कर रहे हैं, का प्रस्ताव बहुत ही उचित था कि आज यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि जो कुछ भी भेजा जाये, वह समय पर पहुंच जाये। हर व्यक्ति जल्दी में है और वैश्वीकरण होने से सभी देश चाहते हैं कि उनका कार्गो समय पर पहुंचे और यह विधेयक मूलत: इसीलिए है।

मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं लेकिन इस बात की भी हमें चिंता है कि आतंकवाद के इस युग में क्या यह सही है कि आप ज्ञात शिपर्स को वह कार्य सौंप रहे हैं जो पहले हमारी सुरक्षा एजेन्सी कर रही थी? उस कार्य की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी जा रही है। हम जानते हैं कि कनिष्क विमान का क्या हुआ था। कार्गो के अन्दर बम रखा गया था। आजकल विमान में कार्गो और यात्री दोनों सवार होते हैं। आप आज 'काम्बी 747' विमान को देखते हैं। यात्री यातायात कार्गो की भांति लाभकारी और व्यवहार्य नहीं है और इसीलिए, विश्व में प्रत्येक विमान और सभी एयरलाईंस यात्री यातायात की तुलना में कार्गो से अधिक धन कमा रहे हैं।

अब आप यह जिम्मेदारी "ज्ञात शिपर्स" को सौंप रहे हैं। हमारे भारतीय व्यापारियों का क्या होगा? हमारे व्यवसायी या तो उन शिपर्स को जानते नहीं हैं अथवा ऐसी कंपनियों को जानते हैं जो यह काम कुछ समय के लिए करती हैं; वे उन ज्ञात शिपर्स के पास जायेंगी और कहेंगी कि यह कार्गो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे इन कुछेक शिपर्स का एकाधिपत्य हो जायेगा। जिन्हें आप भी मानेंगे। इसलिए मेरा आपसे बस यह अनुरोध है कि आप सुरक्षा की दृष्टि से उस स्थान का निरीक्षण करते रहें। इसके अलावा, छोटे मोटे शिपर्स बड़े शिपर्स के लिए काम करते हैं। हमें बड़े शिपर्स के उसी एकाधिपत्य को किसी न किसी तरह से समाप्त करना होगा। इसलिए आपको उस बारे में सतर्क रहना होगा।

अंतत:, मैं यह भी कहूंगा कि 10 लाख रुपये की जुर्माना राशि उचित है। लेकिन जब एक ही विमान में कार्गो के साथ-साथ यात्री भी यात्रा कर रहे हों तो क्या यह राशि पर्याप्त है? आपको उस पहलू पर भी विचार करना होगा। यदि विमान में केवल कार्गो ले जाया जा रहा है तब तो यह ठीक है। लेकिन जब दोनों ही एक विमान में सवार हो तो आपको विशेष रूप से आतंकवाद के इस युग में सुरक्षा पहलू पर विचार करना होगा।

हमारे कई शत्रु हैं, कई देश हमारे देश के दुश्मन हैं। इसलिए आपको और अधिक सावधान रहना पड़ेगा तथा इस पर कुछ रोक लगानी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री समीक लाहिड़ी (डायमंड हार्बर): सभापति महोदय, वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000 यहां पर लाया गया है जिसमें आब्जैक्टिव्स एंड एक्सप्लेनेशन मंत्री महोदय ने बताये हैं। यह एक अच्छा विधेयक है क्योंकि यदि हम लोग इसकी तरफ देखेंगे तो हम लोगों को मालूम होगा कि जो लोग कार्गो हैंडलिंग करते हैं, यदि उन लोगों से कोई गलती हो गई या उन लोगों ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया तो उन पर कुछ पैनल्टी लगाई जायेगी लेकिन अगर ऊपर से हम लोग इस बिल को देखें तो इसमें दिये हुये आब्जैक्टिव्स से लगता है कि इसके पीछे कुछ बात छिपी हुई है।

खासकर अभी जो बात दूसरे मेम्बर्स ने सदन के सामने रखी है कि आज से यह कार्गो हैण्डलिंग को और स्पीडी करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह बात खासकर कंपनियों द्वारा तय की जाएगी और कुछ दिन बाद इन कंपनियों को बनाने के लिए सरकार विधेयक लाने वाली है। जब डिसइनवेस्टमेंट चल रहा है तो ये सारी चीजें उनके हाथ में चली जाएंगी। यह मेरा एक प्रश्न है।

[अनुवाद]

इन ''ज्ञात शिपर्स'' का निर्णय कौन लेगा? कार्गो संचालकों को विश्वसनीयता का प्रमाणपत्र देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न यह है। यह इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते। यहां तक कि मंत्री महोदय भी इस बात से इंकार नहीं कर सकते। मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ। इन ''ज्ञात शिपर्स'' को उचित प्रमाणपत्र देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? कौन इनकी गारंटी दे सकता है? इसलिए आपका उन पर जुर्माना लगाना उचित है। एक अन्य माननीय सदस्य ने हमारे देश को आतंकवादियों के खतरे का काफी उचित और सही ढंग से उल्लेख किया है। बाहरी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। हमारे पास उचित निगरानी प्रणाली और सही जांच प्रणाली होनी चाहिए। हम किसी विशेष प्राधिकारी को कैसे सही ठहरा सकते हैं और विशेषत: उस स्थिति में जब हमें ही इस बात का पूरा विश्वास न हो कि वह संबंधित प्राधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उसे समस्त अधिकार कैसे दे सकते हैं?

यहां मैं आप सबका ध्यान ''इंडियन एक्सप्रैस'' में प्रकाशित एक मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक पूर्णत: गैर-कानूनी परिपत्र के माध्यम से इस प्रबंध निदेशक ने कमीशन भुगतान के फार्मूले में फेर-बदल कर एयर इंडिया को 3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। इस प्रकार के आरोप सामने आ रहे हैं। *...(व्यवधान)* वरिष्ठतम अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं। *...(व्यवधान)* यदि कुछ ही लोगों को कारगो संचालन का पात्र बनाया जायेगा, तो हम यह विश्वास कैसे कर सकते हैं कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे? यदि इस प्रकार के भ्रष्टाचार में वरिष्ठतम अधिकारी संलिप्त हैं तो हम इस प्रक्रिया को कैसे सही ठहरा सकते हैं, उन कुछेक विशेष व्यक्तियों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं जो पूरे कार्गो का संचालन करेंगे और जो ''ज्ञात शिपर्स'' को उपयुक्तता का प्रमाणपत्र देंगे? इसलिए यह सब सुनिश्चित करना होगा, विशेष रूप से तब जबकि सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विनिवेश करने का निर्णय ले लिया हो। वहां तत्पश्चात् नियंत्रण और निगरानी करने के लिए कोई प्राधिकारी नहीं होगा। इसलिए, विशेष रूप से विधेयक तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस प्रकार के सुरक्षोपाय किये गये हैं। क्योंकि आप जुर्माना लगाकर अपराधों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। आप जुर्माना राशि बढ़ाकर उन आतंकवादी ताकतों तथा अन्य ताकतों पर रोक नहीं लगा सकते जो हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से यह विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं: आपकी 'ज्ञात शिपर्स' नामक योजना क्या है? उसके बारे में इस सभा को बताना होगा। मेरा यह विचार था कि सभा के समक्ष यह विशेष कानून लाने से पहले मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 'ज्ञात शिपर्स' नामक यह विशेष योजना आखिर है क्या।

कौन सा प्राधिकारी संबंधित निर्णय लेगा? प्रमाणपत्र कौन जारी करेगा? इसके मानदंड क्या होंगे? ''ज्ञातं शिपर्स'' को प्रमाणपत्र देते समय किस पर विचार किया जायेगा? इसे भ्रष्चाचार मुक्त कैसे रखा जाये? यात्रियों और विमान की सलामती और सुरक्षा कैसे कायम रखी जाये? सरकार इन सभी पहलुओं का किस प्रकार ध्यान रख रही है? सरकार को पहले यह बताना होगा। उसके बाद ही मंत्री जी इस सभा में यह विधेयक ला पायेंगे। अन्यथा मैं जुर्माना बढ़ाने संबंधी इस विशेष विचार का विरोध नहीं कर रहा हूँ बल्कि सरकार को पहले ''ज्ञात शिपर्स'' योजना के बारे में बताना होगा। मेरे विचार से संसद में इसे बताये बिना सरकार के लिए विधेयक लाना उचित नहीं होगा। सरकार देश में पारदर्शी रूप से शासन करना चाहती है। यह स्पष्ट है कि लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस सरकार ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जिनमें पारदर्शिता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी विशेष रूप से इस मामले में ''ज्ञात शिपर्स''' योजना के बारे में अधिक पारदर्शी और स्पष्ट ढंग से बतायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको, यह अवसर देने के लिए, धन्यवाद देता हूँ।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। भारतीय वायुयान अधिनियम को इस संसद में वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया था। तब से आज तक इसमें नौ बार संशोधन किया गया है और यह दसवां संशोधन है जिस पर यहां चर्चा हो रही है। मेरे विचार से इस बदले हुये परिप्रेक्ष्य में इस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। अब एक ऐसे व्यापक अधिनियम की आवश्यकता है जो समूचे विश्व में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप होगा। इस विधेयक से हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। विश्व भर में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अत: एक व्यापक विधेयक की अत्यधिक आवश्यकता है।

नि:संदेह, हम 'ओपन स्काई'' नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है। हम अनेक निजी संस्थानों को आगे आने और संचालन करने की अनुमति दे रहे हैं। अत: इस परिवर्तित परिदृश्य में इस अधिनियम से, जिसे 1934 में पारित किया गया था, हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय वायुयान अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन करे। इस अधिनियम का उद्देश्य बहुत ही सीमित है। इसमें कार्गो के त्वरित संचालन की बात कही गई है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो बहुत तेजी से बदल रहा है। समूचे विश्व में हम यह देखते हैं कि एयरलाइंस यात्री संचलन की तुलना में कार्गो संचलन में ज्यादा इच्छुक हैं। यही स्थिति परिवहन के अन्य साधनों के साथ भी है। कार्गो संचलन से हर तरह के परिवहन को लाभ मिल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से यदि आप इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया द्वारा किए गए कार्गो संचलन पर नजर डालें तो यह बहुत ही कम है। इसलिए हमें कार्गो संचलन पर और अधिक ध्यान देना होगा। इंडियन एयरलाइंस अथवा एयर इंडिया को कार्गो संचलन से अधिक आय प्राप्त नहीं हो रही है।

महोदय, यह एक स्वागत योग्य कदम है। हमारे एक माननीय मित्र ने ''ज्ञात शिपर्स'' की बात की है। प्रश्न यह है कि प्रमाणपत्र कौन देगा। ''ज्ञात शिपर्स'' की पहचान कौन करेगा और इन्हें प्रमाणपत्र कौन देगा? ऐसी आशंका है कि अज्ञात शिपर्स ''ज्ञात शिपर्स'' के नाम का लाभ उठायेंगे। महोदय, आप जानते हैं कि हम बदली हुई स्थिति में रह रहे हैं। आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। नशीली दवाओं का माफिया अब भारतीय भूभाग पर अपनी नजरें गड़ाये हुए है। वे भारत का नशीली दवाओं की तस्करी व व्यापार के लिए उपयुक्त मार्ग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। महोदय, इन सभी पहलुओं को देखते हुए हमें 'ज्ञात शिपर्स' की पहचान करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ''ज्ञात शिपर्स'' की पहचान करने के लिए कोई तंत्र है। इस अधिनियम द्वारा दी जा रही सुविधा का ''अज्ञात शिपर्स'' द्वारा दुरुपयोग किये जाने की पूरी संभावना है। इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि वे इनकी पहचान किस तरह करेंगे और वे यह किस तरह सुनिश्चित करेंगे कि इस सुविधा का उपयोग केवल ''ज्ञात शिपर्स'' द्वारा ही किया जाए। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि आतंकवादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए और इस पहलू के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, कार्गो का त्वरित संचलन इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है। मैं इस बात से सहमत हूं। मैं एक या दो घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। माले से भारत के दोस्ताना संबंध है। सब्जियों सहित अधिकांश मदें त्रिवेन्द्रम से माले में जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इसके लिए पर्याप्त कार्गो स्थान नहीं है। उन्हें इसके लिए ''मुख्य भूमि'' अर्थात् केरल पर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर्याप्त कार्गो स्थान नहीं है। हमने यह मुद्दा केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया है। अब तक कार्गो के सुगम संचलन के लिए पर्याप्त स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। यह मुख्य मुद्दों में से, एक मुद्दा है। मैं नागर विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। मैंने यह मामला परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी उठाया है। यह वादा किया गया था कि इस मामले को उचित समय पर निपटा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश, अभी तक इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। हम, केरल के संसद सदस्यों को इस संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय हम इसका उत्तर देने की भी स्थिति में भी नहीं हैं। विभाग द्वारा कार्गो के लिए पर्याप्त स्थान आबंटित न करने के सख्त रवैये ने व्यावसायिक कार्यकलापों में भी बाधा पहुंचाई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।

महोदय, उन व्यक्तियों की ओर से बहुत सी शिकायतें मिली जिन्होंने कार्गो अधिकारियों के माध्यम से बुक करना चाहा और उन्हें परेशान किया गया। इससे संबंधित अनेक शिकायतें समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई हैं। इन शिकायतों के बावजूद मंत्रालय ने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

अपराह्न 5.00 बजे

नॉन शिपर्स की पहचान भी इसका एक भाग है। कार्गो के सुविधाजनक ढंग से आवागमन के लिए सरकार को और अनेक सुविधाएं करनी हैं। कार्गो के सुविधाजनक ढंग से आवागमन से सरकार को और अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय को इस पहलू पर अधिक से अधिक ध्यान देना है।

कुछ सदस्यों ने, जो मुझसे पहले बोले हैं, दुर्घटनाओं की संख्या में हो रही वृद्धि का भी उल्लेख किया। इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया हमारी राष्ट्रीय कंपनियां हैं। हमने एलायन्स एयर नाम की एक कम्पनी बनाई है। लेकिन लोग एलायन्स एयर के पुराने वायुयान से यात्रा करने में डरते हैं। मेरी समझ में एलायन्स एयर जैसी एक अलग कंपनी बनाने का तर्क नहीं आ रहा है। उसके पास कोई नया विमान नहीं है। सभी विमान पुराने हैं और कोई भी उनसे यात्रा करना नहीं चाहता है।

हाल ही में मैं पटना गया था। मैंने देखा कि विमान में केवल दो या तीन यात्री यात्रा कर रहे थे। हाल ही में पटना में घटित घटना के बाद कोई भी एलायन्स एयर में यात्रा नहीं कर रहा है। खर्च में कटौती करने के लिए सरकार को एलायन्स एयर कंपनी को बन्द करने पर गंभीरता से विचार करना होगा। किसी भी स्थिति में आप उसे कोई नया विमान नहीं दे रहे हैं सभी पुराने विमान एलायन्स एयर में भेजे जा रहे हैं। आपने केवल कुछ पायलटों के लिये, जो प्राइवेट एयरवेज में चले गए थे और वापस आना चाहते हैं, एलायंस एयर का गठन किया है। लेकिन इसके बनाने के चार-पांच वर्षों बाद अब सरकार को उस मामले पर अत्यंत गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। उसके पास यात्रियों के लिए समुचित सुविधाएं नहीं हैं। बिना किसी उपयुक्त कारण के एलायन्स एयर में नियमित भर्ती की जा रही है।

एलायन्स एयर में भ्रष्टाचार के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन आरोपों का उत्तर कौन देगा? इस प्रकार की कंपनी के चलाने का क्या उपयोग है? आपके पास पहले से ही दो कंपनियां—ईंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया हैं—जो कि आपके ऊपर भार है। "महाराजा" (एयर इंडिया) यात्रियों के सम्मुख नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने झुक रही है। वह यात्रियों को दरकिनार कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया, अपनी बात समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, मैंने अभी अपना भाषण शुरू किया है। यह एक अत्यन्त चिंताजनक विषय है। यह आपसे भी संबंधित है। मैं केवल उपयुक्त बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं।

बहुत बुरी स्थिति है। मेरे विचार से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया दोनों पहले से ही घाटे में हैं। यह घाटा बढ़ता ही जा रही है। लेकिन आपने एक दूसरी कंपनी एलायन्स एयर गठित कर दी है। मुझे बताया गया है कि यह कंपनी भी घाटे में है। अनेक वर्षों से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की कार्यप्रणाली से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन संबंधित मंत्री महोदय के कठोर दृष्टिकोण तथा सरकार के कारण यह समस्या और जटिल हो गई।

पटना दुर्घटना क्या मानवीय गलती से हुई है, इसकी जांच करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक समितियां गठित की गई हैं। हम यह देखते हैं कि प्रत्येक दुर्घटना के बाद एक समिति गठित कर दी जाती है और वह समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या किसी समिति के प्रतिवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाता है तथा समिति की सिफारिशों के आधार पर गलती को सुधारने के लिए प्रभावी उपाय किये जाते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): वह मुझे डरा रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में केवल एलायन्स के विमान से जा सकता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): वह सभा को एलायन्स एयर के विषय में सामान्य आशंका से अवगत करा रहे हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह लोगों को आश्वस्त करे कि वे सुरक्षित हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: अनेक समितियों के प्रतिवेदन उपलब्ध हैं लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने दुर्घटनाओं के प्रति कोई गंभीर दृष्टिकोण अपनाया है।

हवाई अड्डों पर सुविधाएं के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका अभाव भी दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आज अति आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। हम उनका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं। हम कम से कम भारत के राजधानी शहर में अपने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। हम भारत की वाणिज्यिक राजधानी, मुम्बई में तथा कम से कम अन्य बड़े महत्वपूर्ण शहरों में स्थित हवाई अड्डों का आधुनकीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इन प्रतिवेदनों को गंभीरता से लागू नहीं कर रहे हैं।

हाल ही में मैं श्री अनन्त कुमार के साथ यात्रा कर रहा था। वह बंगलौर हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण कर बहुत प्रसन्न थे।

[श्री रमेश चेन्नितला]

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र का विकास करने में रुचि ले रहा है। इसलिए मैं यह अनुभव करता हूं कि यह कार्य चक्रानुक्रम आधार पर होना चाहिए ताकि हवाई अड्डों को अधिक आधुनिक बनाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

उदाहरणार्थ, कोची एयरपोर्ट हमारे अपने प्रयत्नों से चल रहा है। केरल के अनिवासी भारतीयों ने इसके विकास में योगदान दिया है। राजकोष से एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने इसमें योगदान दिया है। अनिवासी भारतीयों का इसमें योगदान है। यह देश में अपनी तरह का पहला पत्तन है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* प्रश्न यह है कि परिस्थिति बदल गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): तिरुवंतपुरम एयरपोर्ट का विकास अनिवासी भारतीयों द्वारा किया गया था। बहुत पहले इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा इसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई। अनिवासी भारतीयों ने इसका विकास किया। जनता के सहयोग और सरकार के सहयोग में यही अन्तर है। संकट कुछ है लेकिन किया कुछ और जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: जब हम कार्गो सुविधा और कार्गो के सुचारू आवागमन की बात कर रहे हैं तो हमें हवाई अड्डों की दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के बारे में सोचना है। हमें अधिक दुर्घटनाओं को टालना है। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं प्रतिवेदनों के बारे में उल्लेख कर रहा था। हम प्रत्येक दुर्घटना के घटित होने के बाद ही आधुनिकीकरण तथा पुराने विमानों के स्थान पर नए विमान लाने के बारे में सोचते हैं। हम इसके बारे में कोई उचित योजना क्यों नहीं बनाते हैं? केवल कुछ माल लादने वालों का पता लगाकर कार्गो का आवागमन सुविधाजनक नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए एक व्यापक विधान बनाए जाने की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे एक बात कहनी है। इस विधेयक को एक घंटे का समय आबंटित किया गया है। अनेक माननीय सदस्यों ने इस विषय पर बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। अगला विषय कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक है। मेरे विचार में कम्पनी (दूसरा संशोधन) विधेयक इतना महत्वपूर्ण विधेयक है कि, इस पर हर प्रकार से, इस सभा का पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहस में इस विधेयक के साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए जो सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। हमें आज ही बहस पूरी करनी है। उन्हें इसमें भाग लेना है। आप भाषणों के पूरा होने तक सभा की बैठक का समय आबंटित किये गये समय से आधा या एक घंटा और बढ़ा सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न किया जाए बल्कि उसमें कुछ और जोड़ा जाए ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: श्री रमेश चेन्नितला के बाद मैं बोलना चाहता हूं। मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं अपने दल के मुख्य सचेतक से अपना नाम भेजने को कहूंगा। कृपया मुझे बोलने का एक अवसर दें। ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: अन्त में मैं हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों के बारे में कहना चाहता हूं। जब भी हम हवाई अड्डों पर जाते हैं तो वहां सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी अपने हाथों से हमारी तलाशी लेते हैं। हम उन्हें अत्याधुनिक उपकरण क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं। उन्हें अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं। ...*(व्यवधान)* इस परेशानी से सभी यात्रियों को गुजरना पड़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा के लिये तैनात पुलिसकर्मियों को उचित उपकरण दे। उन्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। आजकल अनेक यात्री इस प्रकार परेशान किये जाने के बारे में शिकायत कर रहे हैं।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए लेकिन एक आधुनिक और सभ्य समाज में सुरक्षा के नाम पर लोगों को परेशान किए जाने से बचना चाहिए। अत: अन्त में, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस सम्मानित सभा के सम्मुख एक व्यापक विधान लाया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात सदन के समक्ष रखूंगा।

पहली बात—मंत्री जी द्वारा कहा गया है, एक हजार रुपए जुर्माने के स्थान पर दस लाख रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने दिशा दे दी कि एक रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। मतलब यह कि जुर्माना एक रुपया, पचास रुपए या हजार या दस हजार रुपए तक किया जा सकता है। कानून में इतनी सुविधा कहीं नहीं होती है। इसमें होना यह चाहिए था कि कम से कम इतना और ज्यादा से ज्यादा जुर्माना होगा।

दूसरी बात—जहां तक सिक्योरिटी मेजर्स का सवाल है, कहा गया कि जुर्माना बढ़ा रहे हैं और कड़ाई कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि नोन-शिपर्स को ही करेंगे। मेरा प्रश्न है, नोन-शिपर्स की बहाली कैसे होगी। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें करप्शन है। इसमें करप्शन तो है, लेकिन सिक्योरिटी का खतरा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जुर्माना कितना होगा और नोन-शिपर्स कहां से लायेंगे।

तीसरी बात—सुरक्षा जांच से संबंधित सवाल किया गया था, तो बताया गया कि तीन तरह से जांच होती है। लेकिन मंत्री जाते हैं, उनके स्टाफ के लोग जाते हैं, तो उनकी जांच नहीं होती है। सब जगह मशीनों से जांच होती है। फिर ऊपर से नीचे तक, इधर से उधर से जांच होती है। लोग संकोच के कारण नहीं बताते हैं, बराबर ह्युमिलिएशन होता है। दूसरी तरफ आतंकवादियों के साथ मंत्री जाते हैं, तो अपराधियों के साथ सम्मान वाला व्यवहार और माननीय सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार। ह्युमिलिएशन रोज हो रहा है। मैं एक दिन एयरपोर्ट यह देख रहा था, एक तरफ अपमानजनक स्थिति और फिर दूसरी तरफ थैंकयू कहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इसमें सुधार कराइए। जब एक के साथ इस तरह की स्थिति है, तो दूसरे सदस्यों के साथ क्या होता होगा।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): अध्यक्ष महोदय, मैं एक आम यात्री की तरह यात्रा करती हूं। अत: वे मेरी भी तलाशी लेते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हवाई जहाज और रेल दोनों की सुविधा रहती है। हवाई जहाज से नहीं जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं।

अपराह्न 5.15 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए)**

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): हम लोग आपको इज्जत से ले जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्यों का हवाई जहाज पर चढ़ने में बड़ा अपमान हो रहा है। ...*(व्यवधान)* हवाई जहाज में बहुत जांच की जा रही है और हमारा बड़ा अपमान किया जा रहा है।

राजो बाबू बिहार का सवाल उठा रहे थे, बिहार में एयर कारगो का क्या हुआ। यह हुआ था कि देश में एयर कारगो खुलेगा। वहां दूसरे दर्जे में फल और सब्जी का उत्पादन होता है, वह एयर कारगो से विदेश जाता है। वहां क्यों नहीं बना रहे हैं। हवाई जहाज लोगों को आने-जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। एयर कारगो का क्या हुआ? पटना में एयर कारगो होता, उससे देश और विदेश में सामान जाता। डब्ल्यूटीओ से विदेश से आ रहा है, यहां से एयर कारगो से जाने का इंतजाम ही नहीं हुआ।

महोदय, अंत में मेरा यह कहना है कि मुजफ्फरपुर में एक मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा है। उस हवाई अड्डे के निकट वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। देश में उनकी 2600वीं जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए हमने मंत्री जी से लिखा-पढ़ी की है कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को भगवान महावीर के नाम पर रखा जाए और घोषणा की जाए। लिखा-पढ़ी में है कि कार्यवाही हो रही है–'looking into' यह जवाब आया है।

महोदय, यह जो एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को करोड़ों रुपए में बेचने की अफवाह है, यह जो गड़बड़ी हो रही है, लोग बेच रहे हैं और बेचने का हिसाब-किताब जोड़ रहे हैं। इसकी लोगों में बहुत अफवाह है, इसमें कितने करोड़ का कारोबार, लेन-देन का काम हो रहा है। हमारा तिरंगा झंडा पूरी दुनिया में घूमता था, उसे सरकार बेचने वाली है। इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूं कि एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और जो हिन्दुस्तान का किसान हैं, उसे बेचने का दु:साहस न करें अन्यथा इसके बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले ही एक घंटा समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विधेयक की विषय-वस्तु देखिए। यह एक छोटा विधेयक है।

श्री ई. अहमद: मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल दो मिनट ही बोल सकते हैं।

श्री ई. अहमद: महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहते हैं:

> "केन्द्रीय सरकार के परामर्श से वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 5क के अधीन सुरक्षा आयुक्त (सिविल विमानन) द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी।"

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्हें विधि मंत्रालय और अन्य लोगों द्वारा किस प्रकार गुमराह किया गया है क्योंकि धारा 5(क) स्पष्ट रूप से कहता है कि केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

[श्री ई. अहमद]

मैं यहां इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन से उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि यह विधायी मामला है। मूल अधिनियम की धारा 5(क) में कहा गया है कि नागर विमानन के महानिदेशक अथवा अन्य अधिकारी, विशेषकर केन्द्र सरकार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी, समय समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश जारी कर सकता है। ''परामर्श'' जैसा कोई शब्द नहीं है फिर, क्यों मंत्री महोदय आते हैं और उद्देश्यों और कारणों के कथन में ये केन्द्रीय सरकार के परामर्श की बात क्यों कहते है?

जो भी अधिसूचना हो, भारत सरकार के परामर्श से ही जारी की जानी चाहिए। इसलिए, जो भी निर्देश या अधिसूचना जारी की जाएगी, वह नि:संदेह, यहां पर इसका उल्लेख है, सुरक्षा आयुक्त (सिविल विमानन) द्वारा की जाएगी। वह उनकी ओर से इस प्रकार एक प्राधिकृत अधिकारी होगा। लेकिन उसे सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए, जो भी आदेश या निर्देश वह जारी करेगा, उससे केन्द्रीय सरकार अनभिज्ञ होगी। भारत सरकार की ओर से भी इस बारे में अंधकारमय स्थिति ही है। जो भी अधिकारी होगा, चाहे वह सिविल विमानन का महानिदेशक हो या उनकी ओर से प्राधिकृत कोई अधिकारी हो, सरकार को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यही यहां सबसे बड़ी समस्या है।

आपने इसका उल्लेख संशोधन करने वाले प्रावधान में किया है कि 1,000 रु. की राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है।

कैद की अवधि छ: महीने है यह कैसे हो सकता है अर्थात छ: महीने की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हो। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति मानदंडों का उल्लंघन करता है, और यदि वह पैसे दे देता है, तो यह उचित है। यह सुरक्षा से संबंधित है। वह उसका उल्लंघन कर रहा है। यदि वह सुरक्षा का उल्लंघन करता है तो, तो क्या आप उसे केवल 6 महीने की कैद अथवा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर संतुष्ट हो जायेंगे।

महोदय, यह अधिनियम जो 1934 को लागू हुआ था अब स्वयं ही अनावश्यक हो गया है। वस्तुओं से संबंधित कोई व्याख्या नहीं की गई है? माननीय मंत्री ने यहाँ कई बातों की व्याख्या नहीं की है। इसमें ''कन्साइनमेंट'' शब्द की व्याख्या नहीं की गई। क्या उन्होंने यहां ''गुड्स'' की व्याख्या की है? नहीं। यहाँ ऐसा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जिसमें प्राधिकारी संशोधन कर रहे हैं। वे केवल शास्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। परंतु कैद की अवधि को नहीं बढ़ाया गया है। इसका अर्थ है, केवल जुर्माने के रुपये को ही 10 लाख तक बढ़ाया गया है और मंत्री महोदय इसी के लिए विधान लाना चाहते हैं? कई ऐसे प्रावधान हैं, जिसे माननीय सदस्यों ने पहले ही इंगित किया है।

सुरक्षा का अर्थ क्या है? यहाँ ''ज्ञात शिपर्स'' का उल्लेख है। ये ''ज्ञात शिपर्स'' क्या है? ''ज्ञात शिपर्स'' के बारे में केवल विभाग को ही मालूम होता है। उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। ये ज्ञात शिपर्स कौन हैं? उनकी अर्हताएं क्या हैं और आप इसका चुनाव कैसे करते हैं? उनकी श्रेणी क्या है? उन्हें कहा रखा जाएगा? उनके बारे में यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह नियमों में हो सकता है। परंतु नियमों के अंतर्गत वे क्या कर रहे हैं। वे अपने अधिकारियों को व्यापक अधिकार दे रहे हैं। इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर सकता। इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं कर सकता और वे क्या मानदण्ड रख रहे हैं, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। क्या यही कानून है?

मैं जानता हूँ, यहां तक कि श्री जेटली सोचेंगे कि पूर्ण कानून आसानी से नहीं बनाया जा सकता परन्तु क्या यह कानून इतना त्रुटिपूर्ण होगा? आप छ: महीने की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना कैसे कर सकते है। आपको इसे भी बढ़ाना होगा। वायुयान में माल की जिम्मेदारी यदि ''ज्ञात शिपर्स'' की भी हो तो वे इस बारे में आगे क्या कर रहे हैं। क्या इससे विलम्ब नहीं हो रहा है? क्या विलम्ब का कारण केवल यही है कि वे ''ज्ञात शिपर्स'' की सुरक्षा के कारणों से ही अवसर दे रहे हैं और इस स्थिति पर विचार किया जाएगा। नहीं। इस प्रावधान में भी उनके पास कोई अन्य बात नहीं है।

मूल अधिनियम में वायुयान के संचालन से संबंधित अन्य कई प्रावधान हैं। मैं यह बात सभा की जानकारी में लाना चाहूंगा कि मूल अधिनियम में यात्री, मेल और माल के बारे में उल्लेख है। इसमें उन यात्रियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जो या तो सामान के साथ सफर कर रहे हैं या सामान कार्गो से भेजा जा रहा है। कार्गो की यहाँ व्याख्या नहीं की गई है। कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि यहाँ कार्गो का अर्थ क्या है। यदि विस्फोटक सामान भेजा जाता है, तो क्या इसे कार्गो के रूप में लिया जा सकेगा। यदि सामान में हथियार या गोला-बारूद होगा, तो इसे कार्गो के रूप में लिया जाएगा? उनके लिए कार्गो का अर्थ क्या है? क्या यह व्यावसायिक कार्गो है या इसका संबंध रक्षा सामग्री से है? इसका यहाँ उल्लेख होना चाहिए।

फिर वायुयान के संबंध में, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, वायुयान वैसा नहीं हो सकता। एयरबस 300 के संबंध में क्या है? क्या इससे उन सभी को खतरा नहीं होगा जो इसमें सफर करते हैं? क्या किसी एयरबस 300 ने बिना किसी अड़चन के उड़ान भरी है। इस बात को अब 22 साल हो गए

हैं। आप इसमें बदलाव क्यों नहीं लाते? कम से कम इसे कार्गो के उपयोग में तबदील कर दीजिए। तत्पश्चात् कार्गो और वायुयान में आप देश के प्रत्येक यात्री के लिए खतरे की अनुभूति क्यों पैदा कर रहे हैं?

मैं सभा का मूल्यवान समय और अधिक नहीं लेना चाहता क्यों माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही मुझे समाप्ति का संकेत दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने पहले ही सभा का काफी समय ले लिया है।

श्री ई. अहमद: इसी कारण मैं उन सभी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। परंतु माननीय मंत्री जी को हमें इसका उत्तर देना चाहिए।

यहाँ एयर-इंडिया के एक अधिकारी का उल्लेख है। यदि किसी ने नाम पूछा तो, कई अधिकारियों के नामों का यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा न कि केवल एक अधिकारी के नाम का। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एयर इंडिया के एक पूर्व प्रबंध निदेशक ने खाते का तुलन पत्र दिया है। यह स्पष्ट रूप से धोखा है। उस समय, कहा गया था कि एयर-इंडिया को मुनाफा हो रहा है, परंतु तुलनपत्र के अनुसार कोई मुनाफा नहीं था।

अन्य माननीय सदस्य ने एक अन्य अधिकारी वर्तमान प्रबंध-निदेशक का उल्लेख किया है। मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता परंतु यदि कोई अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

इसलिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महोदय कि माननीय मंत्री से इसमें पुन: संशोधन करने के लिए कहिए या उन्हें अपनी भूल सुधार करने दीजिए या वे जब सभा में आए तो इन सब बातों का खुलासा करके माननीय सदस्यों को बताएं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): अध्यक्ष महोदय, मैं एअरक्राफ्ट अमैंडमैंट एक्ट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जितना कार्गो बाहर भेजा जाता है। उसका पहले एक्सरे करके या फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसे पार कराया जाता था। अब प्रस्ताव है कि नोन शिपर्स को नियुक्त करके या जो एप्यांटिड हैं, उन्हें अनुमति दी जाए कि वह इसकी जांच-पड़ातल करके कार्गो को भेजे। नोन शिपर्स के सामान्य कार्गो के बड़े-बड़े जहाज हैं। हिन्दुस्तान में कोई बड़ी कार्गो कम्पनी नहीं है। वे सभी विदेशों की हैं। विदेश के बड़े-बड़े जहाज होते हैं और वे कार्गो लेकर जाते हैं। ऐसे समय जब डिसइनवैस्टमेंट की प्रक्रिया जारी है, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कार्गो को सहूलियत दी जाऐ। यदि किसी नोन शिपर्स को इंडियन एअरलाइन्स या एअर इंडिया के जहाज में सामान भेजने की अनुमति दी जाए और जो दस लाख के ऊपर फाइन इम्पोज करना चाहते हैं, जैसा रघुवंश बाबू ने कहा, यदि किसी परिस्थिति में उसकी जांच-पड़ताल करके सील लगा कर जहाज में भेजने का अधिकार है या कहीं आतंकवाद के खतरे को देखते हुए छोटे जहाजों में कार्गो भेजने की व्यवस्था की जाएगी तो मैं समझता हूं कि 10 लाख फाइन के तहत एक कम्पनी में किसी जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए यह कदम सराहनीय नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूं कि इस एक्ट को पास कराने के लिए टैरारिज्म और कस्टम को देखते हुए, आपने जरूर इसका अध्ययन किया होगा। इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई कमी होगी। लोग यहां से सामान भेज रहे होंगे और आपको लगता होगा कि इसमें कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हैं जिन को दूर करने की आवश्यकता है।

एक तरफ आप निजी संस्थाओं और नोन शिपर्स को कह रहे हैं कि वे सरकारी जांच-पड़ताल से हट कर उनका कोई पदाधिकारी यह तय करे कि ये नोन शिपर्स हैं, वे सामान जांच करके विमान में भेजना चाहे, भेज दे।

देश की सुरक्षा का सवाल आया और आपने पूरे देश में सी.आई.एस.एफ. लगा दी। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि देश को खतरा था और कंधार की घटना के बाद यह कदम उठाया गया। एक तरफ सी.आई.एस.एफ. के पास काम नहीं था क्योंकि कई पब्लिक अंडरटेकिंग्स बंद होती जा रही थी। आपने उन्हें एअरपोर्ट में लगा दिया। हम सब जिस जगह पर बैठते हैं वह देश का सबसे स्टेराइल एरिया है। इससे ज्यादा स्टेराइल एरिया दुनिया में कहीं नहीं है। आपके द्वारा लोक सभा में हमें एक पत्र दिया जाता है। इसकी पहचान आपके और हमारे पास है। हम लोगों को गलती से अपने राजनीतिक जीवन में किसी विशेष परिस्थिति में इस पहचान पत्र को दिखाना पड़ता है। इसमें अशोक स्तम्भ बना है। हम इसे दिखा कर अपनी पहचान देना चाहते हैं लेकिन देश भर के एअरपोर्टस में यह हास्य का विषय बना है। सांसदों को देश भर का दौरा करना पड़ता है। उन्हें हर दूसरे दिन दिल्ली आना पड़ता है। हम कई बार हवाई जहाज छूटते-छूटते पहुंचते हैं और कई बार चाहते हैं कि सरलता से निकल जाएं। वैसी परिस्थिति में हमें अपना पहचान पत्र निकाल कर दिखाना पड़ता है। हमें उस समय एक सूची दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इस-इस श्रेणी के लोग एग्जम्पटिड हैं। हमें कहा जाता है कि हम एग्जम्शन की श्रेणी में नहीं हैं। क्या स्पीकर साहब, ममता बनर्जी, दिग्विजय

[श्री राजीव प्रताप रुडी]

सिंह और सोनिया गांधी जी के पास अपना पहचान पत्र नहीं है? क्या गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के पास पहचान पत्र नहीं होते? उनको जाने की इजाजत दी जाती है। जिन के पास पहचान पत्र होता है उन्हें वहीं रोक कर कहा जाता है कि आपकी पहचान मान्य नहीं है। कमेटी ऑफ सैक्रेटीज ने तीन-तीन बार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं। एक समस्या है। हम हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ गये थे। वे जो कह रहे हैं पूर्णत: सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में, जब हम सब एक साथ वहीं थे, एक संसद सदस्य गंभीरता से हमसे पूछ रहे थे कि भारत के बाहर एक संसद सदस्य के रूप में आपकी क्या पहचान है। उन्होंने कहा, मेरे पास पहचान पत्र है। वह रेलवे का पास है। यह पहचान पत्र नहीं है। यह रेलवे का पास है और रेलवे का पास रेल यात्रा के लिए होता है। संसद सदस्य के लिए क्या पहचान है?

आपकी क्या पहचान पत्र है? एक सी.आर.पी.एफ. के जवान ने एक बार नार्थ-ब्लाक में यही बात कही थी। उसे उसका अर्थ पता नहीं था। उसने अपनी भाषा में सीधा यही कहा।

[हिन्दी]

यह तो रेलवे का पास है, यह रेल में घुसने के लिए है।

[अनुवाद]

इसलिए, संसद सदस्यों को उचित पहचान पत्र प्रदान करने के संबंध में भी कुछ पुनर्निरीक्षण की आवश्कता है ऐसा मेरा विचार है। यह रेलवे का पास है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): इसमें लिखा है "पहचान पत्र व रेलवे पास"।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: जब तक यह आपके सचिवालय से जारी किया जाता था, तब तक इस पर अशोक स्तंभ हुआ करता था। यह आज देश का शीर्षस्थ संवैधानक प्रतीक चिह्न है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

आपके पास प्रस्ताव भेजा गया है। आपने सरकार को सुझाव दिया है। परंतु सचिवीय समिति ने तीन बार इसे अस्वीकार कर दिया है कि संसद सदस्यों की तलाशी नहीं ली जायेगी। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार की स्थिति में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी वहाँ आ सकते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक वहाँ से गुजरेंगे, तो क्या उनकी तलाशी नहीं ली जायेगी? हम तलाशी के विरुद्ध नहीं हैं परंतु कम से कम उस समय कुछ सम्मान की आशा तो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यात्रियों का भी सम्मान किया जाए। हम गुप्त यात्रा करना चाहते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वे अभिवादन करने की जरूरत भी नहीं समझते।

मेरे विचार में, यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा तो मेरा जैसा व्यक्ति इसे लोक सभा सचिवालय को वापिस करना उचित समझेगा क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे हैं। वे हमें पहचानते हैं। यदि इस पहचान पत्र की आज देश में कोई कीमत नहीं है। तो यह संपूर्ण संस्था का पतन है। हम, संसद सदस्य, कुछेक स्थितियों के कारण इस विशेषाधिकार के हकदार हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह वर्तमान विधेयक से किस प्रकार संबद्ध है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं माननीय मंत्री जी से कुछेक बातें जानना चाहता हूं।

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): क्या आप बिल को सपोर्ट कर रहे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि इस एअरक्राफ्ट बिल में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, यदि इसमें कोई छोटी-मोटी चीज रह जाये तो उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। खासकर, कस्टम और सुरक्षा की दृष्टि से एवं नॉन शिपर्स के लिए निश्चित रूप से उसकी पहचान करके इसकी समीक्षा करेंगे। मैं इस अमेंडमेंट के लिए अपना समर्थन देता हूं और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि विशेष परिस्थिति में एम.पीज द्वारा अपनी आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत करने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसका निदान करने की दृष्टि से ध्यान रखेंगे।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): हालांकि मैंने अपना नाम दिया है लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप हमें अपने दल के विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल दो मिनट का समय लें। एक घंटे से अधिक का समय पहले ही लिया जा चुका है। यह एक छोटा सा विधेयक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अन्य महत्वपूर्ण विधेयक पर बोल सकते हैं। वह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): मैं केवल दो मिनट लूंगा।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, विधेयक पर चर्चा आरंभ होने से पहले, दोपहर के बाद से ही मैं इस पर बोलने का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। संबद्ध संशोधन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होंगे परन्तु वायुयान (संशोधन) विधेयक महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार वायुयान उड़ाए जा रहे हैं। उससे माननीय अध्यक्ष भी कई बार समय से गन्तव्य पर नहीं पहुंचते हैं।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : जी हां, महोदय।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : इस सभा में आपका समय बहुत कीमती है। आप कई बार इससे वंचित रह गए हैं। अनेक बार पायलटों के इंतजार में विमानों को खड़ा रखा जाता है। माननीय मंत्री इन तथ्यों को नकार नहीं सकते।

मैं मूल रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि विधेयक में इस विमान विशेष संशोधन से निर्यातकों के विभाग में कुछ भय उत्पन्न होगा कि यदि वे अपने माल की विनिर्दिष्टि के अनुसार सही घोषणा नहीं करेंगे तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। इससे केवल इतना ही उद्देश्य प्राप्त होगा। परंतु इससे सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त, जुर्माने की राशि 1000 से बढ़ाकर 10 लाख करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि संबद्ध अधिकारी उसमें रुचि न लें और यह सोचें कि भारी जुर्माना लगाकर हरेक प्रकार की सावधानी बरती गई है इसीलिए उन्हें पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। जुर्माने के बजाय पूरी सावधानी बरतना अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। हमारी चैकिंग व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

कार्गो के सुचारु संचालन के लिए हमारी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। भारत से हमारे अधिकांश विशेष रूप से पुष्प-उत्पादन कार्गो नहीं जा सकते। इनका समय से दूसरे देशों को निर्यात भी नहीं किया जा सकता है। अधिकांश माल खराब हो जाता हैं। यह चैकिंग या किसी अन्य कारणों से नहीं अपितु समय से न भेजे जाने के कारण गोदामों में पड़ा हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि उनको समय से भेजा जाए। माननीय मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्गो निर्धारित देशों को समय से भेजे जाएं। अन्यथा हमारे राष्ट्रीय विभाग अपनी महत्व खो देंगे और निजी विमान द्वारा इस व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया जायेगा। मैं इस कारण का भी उल्लेख करना चाहता था।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। वह यह है कि "ज्ञात शिपर्स" कहने के बजाय यह परिभाषित किया जाना चाहिए कि "ज्ञाप-शिपर्स" का तात्पर्य क्या है। कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। क्या ये वे लोग हैं, जिनके पास आधारभूत-ढांचा है, उन्हें "ज्ञात-शिपर्स" के नाम से जाना जाता है। इसे "रजीस्टर्ड शिपर्स" कहा जाना चाहिए। इससे यह और संगत हो जायेगा। उनके पास मौजूद आधारभूत-ढांचे, साख, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी सत्यनिष्ठा और उनके व्यवसाय की विश्वसनीयता की जांच करने के पश्चात् ही उनका रजिस्ट्रीकरण किया जाना चाहिए। यह "रजिस्टर्ड-शिपर" होना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करेंगे कि संबंधित व्यक्ति रजिस्टर्ड शिपर भी बने। अन्यथा इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति उनसे परिचित होगा, वह ज्ञात-शिपर होगा और बाजार में किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति से कह दिया जायेगा कि आप ज्ञात-शिपर नहीं हैं। उसे व्यवसाय से बाहर किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि मुझे दोबारा विमान-मुद्दे पर बोलने का अवसर न मिले। के.ओ.सु.ब. अत्यधिक प्रक्रिया कर रहे है। वास्तव में, वे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वे अधिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वे कार्य कम दिखावा अधिक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। यह जानकर कि वह गृह मंत्री हैं, हर चीज की जांच की गई।

श्री प्रियंरजन दासमुंशी : उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : उसमें कुछ भी गलत नहीं है। परंतु समय महत्वपूर्ण है। वे अपना समय क्यों बर्बाद करें? हमारा कार्यक्रम समयबद्ध होता है। हमारे विमान इंतजार क्यों करें?

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक यात्रियों के बारे में नहीं कार्गो के बारे में है। यह विधेयक कार्गो की जांच से संबंधित है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : सुरक्षोपायों के लिए जांच जरूरी है। यह विलंब के लिए नहीं है। ऐसे विलंब न हो इसका तरीका निकाला जा सकता है। अन्यथा राष्ट्रीय विमान, मालवाहक बने, अथवा प्रमुख विमान, चाहे उनका निजीकरण हुआ हो अथवा वे राष्ट्रीय क्षेत्र में हो या सरकार के अधीन हों जो भी हो उनका लंबा इतिहास है लेकिन एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स के पास इस व्यवसाय का प्रमुख भाग होना चाहिए। अत: मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : महोदय, मैं इस खण्ड पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं, जिसमें संशोधन किया जाना है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

खण्ड 5(क) में कुछेक खण्ड हैं। मैं सिर्फ खंड और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम पढ़ रहा हूं:

> "उप-धारा (5) की उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग), (ड), (च), (छ), (ज) और (ड) में विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के सम्बन्ध में।"

इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस विशेष दंड के लिए सभी उपखंडों को शामिल किया जायेगा। यह केवल जहाज पर लदे हुए माल के लिए ही नहीं होगा। यह विमान वाहक, निर्माण, विमान जांच, विमान के हालातों और हवाई मार्ग संचालन तथा विमान के निर्माण, उसकी मरम्मत और रखरखाव के लिए भी होगा। इसमें सब कुछ शामिल किया जाएगा।

अत:, यह विशेष संशोधन राष्ट्रीय "ज्ञात शिपर्स" योजना के प्रयोजनार्थ ही नहीं होगा, इसमें 5(क) के साथ पठित संपूर्ण खंड शामिल होगा। वह संशोधन अभी लाया गया है। इसलिए इसमें सारी बात, दंड और जुर्माना भी शामिल होगा। क्या सरकार की इस मंशा को उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट किया गया है। अन्यथा, उन्हें न्यायालय में इसके परिणाम भुगतने होंगे। मेरा यही अनुरोध है।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। उन्होंने इस चर्चा में भाग लेकर न सिर्फ इस विधेयक का समर्थन किया है, बल्कि सिविल एविएशन में जो कुछ त्रुटियां हैं उनकी भी जानकारी हमें दी है। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से सिविल एविएशन और हमारा बाकी जो भी अमला है, उन सबके सहयोग से इन त्रुटियों को दूर करने एवं व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा के समय विशेष रूप से दो-तीन मुद्दे उठाए गए हैं। उन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा नोन-शिपर्स के बारे में है कि ये कौन होंगे, इन्हें कौन डिसाइड करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हमने ओपन स्काई पालिसी शुरू की है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, नई-नई एयरलाइन्स को हम मैदान में ला रहे हैं, उसका तात्पर्य कदापि यह नहीं होना चाहिए कि हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा डी.जी.सी.ए. इन सबको कंट्रोल करता है। कोई भी एयर लाइन यहां आकर अपना जहाज चलाना शुरू कर देगी, ऐसा संभव नहीं है। उनको बकायदा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और परमीशन लेनी पड़ती है। डी.जी.सी.ए. इस बात को देखता है कि वह एयर लाइन इस योग्य है कि नहीं। जब संतुष्टि हो जाती है, तब उसे जहाज उड़ाने की परमीशन दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सिक्योरिटी के बारे में है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन इन सबको कंट्रोल करता है। इस बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि नोन-शिपर्स की बात कही गई है, उनको बकायदा हमारे सिविल एविएशन से परमीशन लेनी पड़ेगी। हम डिसाइड करेंगे कि वह व्यक्ति इस योग्य है कि नहीं। उसे हमारी बी.सी.ए. एप्रूव करती है।

[अनुवाद]

बी.सी.ए.एस. केवल उन्हीं "ज्ञात-शिपर्स की नियुक्ति का अनुमोदन करेगी, जो मूल अपेक्षाओं, जन-शक्ति प्रशिक्षण, समुचित-परिसर और उपकरण एवं सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे।"

[हिन्दी]

जब तक हमें इन सबके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को नोन-शिपर्स के रूप में रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं।

दूसरी बात कही गई है कि नोन-शिपर्स वर्ड ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रावधानों के अंतर्गत "ज्ञात-शिपर्स" शब्द को "रेग्यूलेटेड एजेंट" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हमने 'रेग्युलेटेड' एजेंट शब्द का प्रयोग अधिसूचना में किया है। सुरक्षा मानदण्डों की पुष्टि हेतु ये एजेंट्स बी.सी.ए.एस. द्वारा विनियमित किए जायेंगे।"

[हिन्दी]

जब तक सिक्योरिटी के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होगा, तब तक उनको एलाऊ नहीं करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : उद्देश्यों और कारणों के कथन में ''ज्ञात शिपर्स'' शब्द का उल्लेख किया गया है, यह ऐसा शब्द है जिसे नि:संदेह मुख्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब मंत्री महोदय हमें बता रहे हैं कि वे अधिसूचना में इस शब्द को ''रेग्युलेटेड एजेंट्स'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। यह शब्द किस तरह उस शब्द के अनुरूप हो सकता है।

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, नोटिफिकेशन में बकायदा नोन-शिपर्स के आगे ब्रैकिट में रैगुलेटरी एजेंट सब जगह लिखा हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कानून के अंदर भी तो होना चाहिए। कानून के अंदर नहीं लिखा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। यदि आप उद्देश्यों और कारणों के कथन का पैरा 3 देखें तो इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कीम का कार्यान्वयन ''ज्ञात शिपर्स'' द्वारा सुरक्षा के संतोषजनक अनुपालन के अध्यधीन होगा। स्कीम को प्रवृत्त करने के लिए इसका अर्थ है कि इसके लिए योजना बना ली गई है।

'ज्ञात शिपर्स' योजना बनाई गई है और अधिसूचना में इसका कुछ अलग ढंग से उल्लेख किया गया है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, भारत सरकार इस लापरवाहीपूर्ण तरीके से किस तरह कार्य कर सकती है?

श्री समीक लाहिड़ी : मंत्री जी ने अधिसूचना का उल्लेख किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी : नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. चमन लाल गुप्त : महोदय, ''ज्ञात शिपर्स'' शब्द आमतौर पर समझा जाने वाला शब्द है जबकि 'रेग्युलेटेड एजेंट्स' एक विधायी शब्द है *...(व्यवधान)*

श्री समीक लाहिड़ी : कथन में इसे किस तरह परिभाषित किया जा सकता है? यह क्या है? *...(व्यवधान)* नियमों के अनुसार विधेयक अपूर्ण है *...(व्यवधान)* महोदय, विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्हें इसके बारे में सभा को बताना चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : क्यों स्पष्ट करें? उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है; उन्हें यह लिखित में देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, विधि मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आप मंत्री जी से कहें कि वह सही वक्तव्य दें। अन्यथा इससे विसंगति पैदा हो जाएगी*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य एक साथ किस तरह बोल सकते हैं? विधि मंत्री इसकी जांच कर रहे हैं। कृपया समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, विधि मंत्री द्वारा इसकी जांच करना ही पर्याप्त नहीं होगा, यह लिखित में होना चाहिए।

श्री समीक लाहिड़ी : महोदय, यह उनके लिए बेहतर होगा कि वे इस विधेयक को अगली बार समुचित ढंग से प्रस्तुत करें। क्या सभा में विधेयक लाने का यही तरीका है? ये संसद को उचित महत्व नहीं दे रहे हैं। वे सभा में आधा अधूरे विधान ला रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्हें यह वापस लेना चाहिए, विधि मंत्रालय से परामर्श करके इसे ठीक करना चाहिए और उसके बाद सभा में लाना चाहिए। हम उनका समर्थन करेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी जी, मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, विधान के प्रति यह बहुत लापरवाहीपूर्ण रवैया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आप स्वयं विधायी पेशे में रह चुके हैं। इस सभा में तब तक कोई कानून पारित नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें यह सांविधिक प्रावधान न हों। इस विधान में यह प्रावधान नहीं है। आप कहते हैं

[हिन्दी]

'इसको माना जाता है। 'माना जाता'

[अनुवाद]

अलग बात है और सांविधि अलग बात है। अच्छा होगा कि वे इसकी जांच विधि मंत्रालय से करवाएं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, महोदय *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ यही कहना चाहता हूं कि आज इस बिल पर आगे बहस नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय कृपया आप सरकार को निदेश दें कि वह सभा में अगली बार सही विधेयक प्रस्तुत करे *...(व्यवधान)*

डा. विक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कुछ कमी है और इसे कुछ स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इसे अगली बार तैयारी के साथ सभा में प्रस्तुत करे। यह पहला सुझाव है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : यह क्या बात है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे हैं। सक्षम वरिष्ठ सिविल अधिकारी रहे हैं। उनकी सलाह का सम्मान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिये?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, श्री सरकार वरिष्ठ सिविल अधिकारियों में से एक हैं। वे इस मामले की बारीकी को जानते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। इसलिए मंत्री महोदय की बात कृपया अब सुनिए।

डा. विक्रम सरकार : दूसरी बात, महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? हर कोई मुद्दा उठाना चाहता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर कुछ गलती हो, तो कम से कम मिनिस्टर साहब जो कुछ कहना चाहते हैं, वह तो आप शांति से सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो हम इस बारे में विचार कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हम दोषपूर्ण विधान पारित नहीं करेंगे। लेकिन पहले उनकी बात सुनिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. चमन लाल गुप्त : जहां तक एक्ट का सवाल है, उसमें हम सिर्फ पैनल्टी ऐनहांस कर रहे हैं। नोन शिपर्स या रैगुलेटेड एजैंट को शब्द यूज़ हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम काम करने के लिए देंगे, ये उनके लिए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि रैगुलेटेड एजैंट एक विधायी शब्द है जबकि "ज्ञात शिपर्स" एक जाना-पहचाना शब्द है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप यह फैसला किस तरह कर सकते हैं? यह सच्चाई नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह सही नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, पहले वे इसकी जांच कर लें और उसके बाद इस सभा में प्रस्तुत करे *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, कृपया मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दें। हम जल्दबाजी में विधेयक पारित नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या संशोधन है? वे इस समय क्या देख रहे हैं? संशोधन में कहा गया है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : "ज्ञात शिपर्स" अलग है।

श्री राजीव प्रताप रुडी : 'ज्ञात शिपर्स' शब्द का संशोधन में उल्लेख नहीं है *...(व्यवधान)* संशोधन में केवल यह कहा गया है कि शब्द "जुर्माने सहित, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर 'जुर्माने सहित जो दस लाख रुपये तक हो सकता है।' को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। 'ज्ञात शिपर्स' शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, उन्हें सभा में बिल्कुल सही विधान प्रस्तुत करना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधि और न्याय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे विधि मंत्री हैं। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसमें नोन शिपर लिखा हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी : ये कानून पास करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में हमेशा यह समस्या रहती है। हम दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया विधि मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, यह विधेयक वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन सुनिश्चित करता है। वायुयान अधिनियम की योजना के अंतर्गत अनेक ऐसे विषय हैं जिन्हें धारा 5 में परिभाषित किया गया है और जिसके संबंध में सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। वस्तुत: लगभग 25-30 विषय ऐसे हैं जिनके अंतर्गत सरकार नियम बना सकती है। यह अधिनियम अधीनस्थ विधान द्वारा नियंत्रित होता है। नियम बनाने की यह शक्ति है। धारा 5क के अंतर्गत सरकार निदेश जारी करेगी और जिस व्यक्ति पर यह निदेश लागू होगा उसे इनका पालन करना होगा।

[अनुवाद]

मूल अधिनियम में, धारा 5(क) के अंतर्गत निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना क्या है? मूल शास्ति में यह प्रावधान है कि आपको छ: महीने की कैद अथवा 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अगर आपको कोई आदेश दिया जाता है, उस आदेश का आप उल्लंघन करते हैं तो छ: महीने तक सजा हो सकती है, एक हजार रुपये फाइन हो सकता है। अब क्योंकि विभाग ने अपनी पॉलिसी लिबरलाइज की है और जिनको जनरल भाषा में नोन शिपर जानते हैं, जो आइडैन्टीफाइड या लाइसैंस्ड लोग हैं, उनको आप अधिक अधिकार दे रहे हैं, उनमें से कोई अधिकार का दुरुपयोग करता है।

[अनुवाद]

यदि वह अपने अधिकार का इसलिए दुरुपयोग करता है क्योंकि, एयरपोर्ट पर कार्गो लम्बी अवधि तक न पड़ा रहे, इस स्थिति को सुनिश्चित रखने के लिए आप सुरक्षा से समझौता किए बिना उनके प्रति अधिक उदार है तो इसके लिए आप शास्ति से वृद्धि कर रहे हैं और इसी प्रावधान के लिए यहां एक मात्र संशोधन लाया जा रहा है वह है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया उद्देश्यों और कारणों का कथन पढ़िए।

श्री अरुण जेटली : मैं अभी उसी पर आ रहा हूं। इस अधिनियम में जो एक मात्र संशोधन प्रस्तावित है वह धारा 11-(क) में है। मूलधारा 11(क) में अधिकतम छ: महीने की कैद

[श्री अरुण जेटली]

तथा साथ में 1,000 रुपये जुर्माना था। आज केवल एक ही संशोधन किया जा रहा है वह है छः महीने की कैद और इसके साथ ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : हमारी आपत्ति भिन्न है।

श्री अरुण जेटली : श्री बसंल, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी आपत्तियों पर ही आ रहा हूं। आपकी आपत्ति का मूल विधान में संशोधन से कोई संबंध नहीं है। मूल विधान में निर्देशों के उल्लंघन पर छः महीने की कैद के साथ जुर्माना 1,000 रुपये की बजाय 10 लाख रुपये हो सकता है। यही एक संशोधन है। अब प्रश्न केवल शब्दों का है। आपत्ति ''ज्ञात शिपर्श'' शब्द के प्रयोग पर है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने विधेयक के साथ उद्देश्यों और कारणों के कथन नामक कुछ जोड़ा है। इसमें कुछ बातों का उल्लेख आया है। इनका उल्लेख विधेयक के पाठ में कहां है? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : यह संशोधन नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : क्यों नहीं?

श्री राजीव प्रताप रुडी : यह संशोधन नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आपने इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन में सम्मिलित क्यों किया?

श्री अरुण जेटली : महोदय, चूंकि एक शंका यहां उठाई गई है और इस शंका को माननीय सदस्य श्री पवन कुमार बंसल ने उचित रूप से उठाया है, कृपया उद्देश्यों और कारणों के कथन का पैरा 2 देखिये। इसमें लिखा है:

''कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है कि उपर्युक्त प्रक्रिया उबाऊ है और वायुयान स्थोरा के त्वरित संचलन में अड़चन पैदा करती रही है। स्थिति में सुधार लाने के विचार से भारत सरकार ने एक स्कीम आरंभ करने का विनिश्चय किया है जिसे ''ज्ञात शिपर्स'' कहा जाएगा, जिसके अधीन विहित सुरक्षा उपायों को पहचान किए गए ''ज्ञात शिपर्स'' द्वारा उनके अपने स्थल पर स्वीकार किया जा सकेगा''...*(व्यवधान)*

अब ''ज्ञात शिपर्स'' इस अधिनियम में प्रयुक्त वाक्यांश है। ये ज्ञात शिपर्स वे व्यक्ति होंगे जिसकी पहचान करके अनुमति दी जाएगी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अधिनियम में कहां पर है? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : कृपया देखिए। यहां इस बात का उल्लेख है कि भारत सरकार एक योजना लागू करने का विचार कर रही है। इसलिए, यह योजना अधिनियम में नहीं है। जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है, इस योजना का उल्लेख, अधिनियम में नहीं किया जाएगा। परंतु धारा 5(क) के अनुसरण में जब भारत सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी तो, यह स्कीम धारा 5(क) के अनुरूप ही होगी। यह योजना प्रमुख विधान के रूप में नहीं होगी, बल्कि अधीनस्थ विधान के रूप में होगी ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : जी नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, ये क्रम को उल्टा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अधीनस्थ विधान अधीनस्थ विधान ही होता है। यह उद्देश्यों और कारणों के कथन में नहीं आता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लेख केवल ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : इसलिए, उद्देश्यों और कारणों के कथन में ही इसका उल्लेख किया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : धारा 5 की शास्तियां कहां है?

श्री अरुण जेटली : धारा 5 की शास्तियां धारा 5 में ही हैं। इसे 11(क) में नहीं ढूंढ़ा जा सकता है ...*(व्यवधान)* इसलिए, कृपया अधिनियम की स्कीम को पढ़िए ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): महोदय, हम इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं। हम इसका समर्थन करना चाहते हैं। परंतु यदि ये ऐसा बोलेंगे तो हम अपना समर्थन नहीं देंगे। हम मत विभाजन की मांग करेंगे। संसद की महत्ता को कम मत कीजिए। वे अपनी व्याख्या दे रहे हैं। इस विधेयक को इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और वे अपनी व्याख्या लिखित में दें और इस प्रकार नहीं दे, सभा में ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : यदि वे योजना को समझने की इच्छा रखते हैं तो, उन्हें लगेगा कि यह बहुत आसान है ...*(व्यवधान)* यह स्कीम इस अधिनियम के अंतर्गत आती है। हम केवल निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माने को बढ़ा रहे हैं। निर्देशों में लिखा है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : दूसरा मुद्दा यह है कि यह उल्लिखित है.....'केन्द्रीय सरकार के परामर्श से' धारा 5(क) में केन्द्रीय सरकार के परामर्श का उल्लेख नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : धारा 11(क) का संशोधन धारा 5(क) के अंतर्गत निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माने को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। धारा 5 (क) के अंतर्गत जो निर्देश होंगे वही निर्देश स्कीम के लिए होंगे। ये सभी बातें चाहिये ''ज्ञात शिपर्स'', या ''रेगुलेटेड ऐजेन्ट्स'' हों चाहे इनका अर्थ एक ही हो या न हो या अन्य कोई नियम उन पर लागू हो - उन्हें धारा 5(क) के अंतर्गत उल्लिखित किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इसकी जांच विधि मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। मंत्री महोदय सभा में आएं और इससे संबंधित स्पष्टीकरण दें ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मंत्रीजी यह बात सभा में कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी जांच विधि मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसल, अगर आपको कोई संदेह है तो यह बात आप बाद में पूछ सकते हैं। मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मंत्री जी स्वयं यहां उपस्थित हैं। मंत्रालय क्या करेगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : कोई इसको न समझने का प्रयास भी करे, तब भी यह समझ में आने वाला है, बड़ा सरल है। सेक्शन 11(ए) में केवल पेनल्टी एनहान्स हो रही है कि कोई 5(ए) में डायरेक्शन का उल्लंघन करता है, 5 (ए) की जब स्कीम बनेगी तो ये सारी परिभाषाएं उस स्कीम के अंदर होंगी कि नोनशिपर क्या है और रेगुलेटेड एजेंट क्या है। यह परिभाषा न पहले एक्ट में थी और न अभी है।

[अनुवाद]

मूल अधिनियम के अंतर्गत ''ज्ञात शिपर्स'' या ''रेगूलेटेड एजेंट्स'' को परिभाषित नहीं किया गया है। इन्हें स्कीम के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा। यह स्कीम संशोधन का अनुसरण करेगी, जो इस विधेयक का उद्देश्य है, इसी स्कीम में इन सब शर्तों को परिभाषित किया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि संशोधन की आवश्यकता उदारीकरण के कारण पड़ी। उन्होंने आगे कहा है कि उदारीकरण की अवधि में, स्कीम के समायोजन के लिए जुर्माना बढ़ाया जाना चाहिए। जुर्माने का निशाना ''ज्ञात शिपर्स'' पर है। इसलिए, यदि ''ज्ञात शिपर्स'' की परिभाषा इस विधान के पाठ में नहीं है तो वे कैसे कह सकते हैं कि यह अधीनस्थ विधान का अंग है? वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह उचित नहीं है।

श्री अरुण जेटली : यदि श्री दासमुंशी अधिनियम की स्कीम को देखेंगे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले उनको जवाब देने दें, फिर बोलना।

श्री अरुण जेटली : इस एक्ट के तहत जो प्रावधान है, उसकी स्कीम है। स्कीम स्पष्ट है कि नियम बनेंगे, स्कीम बनेगी एक्ट के तहत।

सायं 6 बजे

[अनुवाद]

अधिनियम उस स्कीम द्वारा विनियमित होता है। धारा 5 में सरकार की नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है। यहां 25 खंड है; नियमों की 25 श्रेणियां है जिन्हें बनाया जा सकता है। ये नियम अधीनस्थ विधान होंगे। धारा 5(क) में धारा 5 के अनुसरण में निर्देश जारी करने के अधिकार का उल्लेख है। ये निर्देश ही अधीनस्थ विधान के रूप में हैं यही इस अधिनियम के अंतर्गत स्कीम है, और उस अधीनस्थ विधान में ये परिभाषाएं एकदम स्पष्ट होंगी। इसे अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह 1934 का अधिनियम है। इन्हें अधिनियम में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह स्कीम इस अधिनियम के अंतर्गत ही लाई जा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : हम यही कह रहे है। इसे अधिनियम में जोड़ा जाए।

श्री अरुण जेटली : इसकी आवश्यकता क्या है?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, कृपया देखिए वे यह सब किस प्रकार कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: सरकार को विश्वास हो गया कि हमने कोई गलती नहीं की है। विधि मंत्री ने अपनी राय व्यक्त कर दी है। इस पर मतदान कर लें*...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। हमें इस पर आपत्ति है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, हम यह आपके विवेक पर छोड़ते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय मुझे यह कहते हुए खेद है कि संसदीय कार्य मंत्री महोदय वाद-विवाद में व्यवधान डाल रहे हैं। बड़े अड़ियल तरीके से*...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं वाद-विवाद में कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा हूं*...(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: यह कोई तरीका नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल: अपनी बात कहने का यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय जब हम अपनी बात कह लें उस के बाद इस पर मतदान होना चाहिए।

मुख्य अधिनियम की धारा 5 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है इसमें ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं है जिसके बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं क्योंकि उद्देश्यों और कारणों के कथन में, वे विशिष्ट रूप से जिस शब्दावली का उल्लेख कर रहे हैं उसका आज तक अधिनियम में, विनियमों, नियमों में या किसी अन्य अनुदेशों में जिक्र ही नहीं है। इसलिए यदि उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस शब्दावली का प्रयोग हेतु चयन किया है तो उसके लिए यह जरूरी था कि वे पहले इस शब्दावली को परिभाषित करते और उसे अधिनियम से समाविष्ट करते। नि:सन्देह ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

महोदय, यदि हम धारा 5 क पर आए जिसके बारे में मंत्री महोदय कह रहे हैं तो उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह बताया गया है कि वायुयान अधिनियम (एयरक्राफ्ट एक्ट) की धारा 5क के अंतर्गत सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) भारत सरकार के परामर्श से एक अधिसूचना जारी करेगा। अब वे बिना किसी वजह के अधिकार का दावा कर रहे हैं। धारा 5क भारत सरकार से परामर्श की बात नहीं कहती लेकिन फिर भी वे स्वयं को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। हो सकता है कि वे विभिन्न संस्थाओं को सही तरीके से चलाने के लिए शक्ति प्रदान करने की बात करते हैं किन्तु उनकी कार्यविधि इसके बिलकुल उलटी है। यदि वे उद्देश्य और कारणों के कथन को वापिस ले लें तो हम विधेयक को जैसे का तैसा पारित कर देंगे*..(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: यह पूरी धारा 5 क को समाहित करता है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, देखिए, संसद से कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह विधेयक, जांच के लिए विधि और न्याय मंत्री के पास आना ही नहीं चाहिए था।

डॉ. रघुवंस प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स बिल का एक पार्ट होता है लेकिन इस बिल में ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में स्ट्रैन्ज वर्ड है। नोन-शिपर्स जो ओरिजिनल बिल में अथवा अभी अमेंडमेंट वाले बिल में कहीं भी मेंशन नहीं है, यह आश्चर्य है कि इस तरह का बिल कैसे पारित होगा जिसमें स्ट्रैन्ज वर्ड का इस्तेमाल किया गया और सारे सदस्यों ने उस पर संदेह व्यक्त किया कि नोन-शिपर्स क्या है। जो अननोन है, वही ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में नोन-शिपर्स उसको लिख दिया, जिसकी डैफिनिशन कहीं नहीं है। इस तरह के किसी भी शब्द की बिल में डैफिनिशन होनी चाहिए तब वह बिल कम्पलीट होता है इसलिए

कानून मंत्री जी बरगलाने की कोशिश नहीं करे। यह त्रुटि है। इसे संशोधित करके विधेयक लाया जाये और तब इसको पारित किया जाये। यह त्रुटिपूर्ण विधेयक पारित नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस विधेयक पर हमारा सरकार से कोई झगड़ा नहीं है हम आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि मंत्रालय विधेयक के पूरे मूल पाठ की दोबारा जांच करे, वे उचित स्पष्टीकरण के साथ आएं और सभा के समक्ष इसे प्रस्तुत करें।

श्री अरुण जेटली: इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह योजना धारा 5 क के अनुसार ही जारी की जाएगी। इसके ब्यौरे योजना में ही होंगे। दरअसल, योजना के प्रारूप की एक प्रति मेरे सामने भी रखी हुई है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: महोदय, इसी विधेयक संशोधन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यदि यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो क्या समूची धारा 5 को इसमें शामिल किया जाएगा।

श्री अरुण जेटली: जी हां, ऐसा होगा।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: इसका मतलब यह हुआ कि आपको उन लोगों को सजा देने का अधिकार मिल जाएगा जिन्होंने दूसरे आठ वर्गों जिसका जिक्र विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में नहीं किया गया है के अंतर्गत अपराध किए हैं।

यही मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसका कोई जिक्र है।...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपको एक व्यक्ति को सजा देने की शक्ति प्रदान की गई है...*(व्यवधान)* मगर इस विधेयक के पारित होने पर आपको छः से आठ दूसरे व्यक्तियों की सजा देने की भी शक्तियां मिल जाएगी...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: जी हां यह ठीक है...*(व्यवधान)*

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: हमें अपने उद्देश्यों के बारे में बताए बिना आप शक्तियां प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: क्योंकि आप एक विशेष बात की आशा करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: सभा को बताए बिना आप ऐसा कैसे कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप विधि मंत्री जी को भी इसके बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बताने दे रहे हैं? ये क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: महोदय, मुख्य कारण तो यह है कि हम 'ज्ञात शिपर' के लिए एक योजना ला रहे हैं क्योंकि इसमें उल्लंघनों की संभावना है। इसके निवारक के रूप में हम जुर्माना बढ़ा रहे हैं। और यह जुर्माना धारा 5 क के अंदर आने वाले सभी उल्लंघनों पर लागू होगा मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि इस सभा का कोई भी सदस्य उल्लंघन करने वालों के प्रति सहानुभूति क्यों नहीं दिखा रहा है और कह रहे हैं कि उन पर कम जुर्माना किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, वे ऐसी अनावश्यक टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* मंत्री जी को अपनी टिप्पणियां वापस लेनी चाहिए...*(व्यवधान)* वे ऐसे लांछन नहीं लगा सकते हैं ...*(व्यवधान)* महोदय, आप पीठासीन हैं और जो उन्होंने कहा है वह आपने भी सुना है...*(व्यवधान)* ये इस सभा के सदस्यों पर लांछन कैसे लगा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, इन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिएं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, क्या आप ऐसे शब्दों को सहन करेंगे?...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया ये शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, असफल होने पर अब वे हम पर लांछन लगा रहे हैं...*(व्यवधान)* यह इनकी अक्षमता है...*(व्यवधान)* सरकार असफल रही है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इससे माननीय मंत्री जी का मतलब क्या है?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने बिना किसी का नाम किए ही ऐसा कहा है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया रिकॉर्ड देख लीजिए कि इन्होंने कौन से शब्द कहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं रिकॉर्ड देख लूंगा।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, इस विधेयक पर हम लगभग दो घण्टे चर्चा कर चुके हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति भी की है। विधि मंत्री जी ने सरकार के विचार व्यक्त किये हैं विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल ने विधेयक को विधिवत् पारित किया है।

श्री पवन कुमार बंसल: हमेशा ऐसा ही होता है।

श्री प्रमोद महाजन: यदि ऐसा हमेशा होता है तो आप इसे वापस क्यों भेजना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आपको कुछ कहना है, तो कह लीजिए। मैं जरा जोर से कहूंगा तो ऐरागैन्ट कह कर नाराज हो जायेंगे।

[अनुवाद]

महोदय, विधिवत चरणों से गुजरने के बाद यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। बंसल जी, जैसा कि माननीय सदस्यों द्वारा कहा जा रहा है। अब हमने इस पर चर्चा की है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में विपक्ष के माननीय सदस्य सोचते हैं कि कुछ योजनाएं सही नहीं हैं। इसका तरीका कोई नहीं है।

महोदय, दरअसल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। विमानन मंत्रालय और विधि मंत्रालय सोचते हैं कि यह विधान सही है। लोक तांत्रिक व्यवस्था में हम एक मसले पर एक बार, दो बार और तीन बार चर्चा करते हैं और दूसरे से बहस करते हैं लेकिन इस विधेयक को विधि मंत्रालय को वापस भेजना मुझे अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि विधि मंत्री जी इस समय सभा में उपस्थित हैं और वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस विधेयक का प्रारूप उचित ढंग से तैयार किया गया है। और हमने इसमें कोई गलती नहीं की है।

महोदय, ऐसी परिस्थितियों में मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं।

कल या परसों बहस बदल नहीं जाएगी...*(व्यवधान)*यदि इससे कोई संतुष्ट नहीं है, यदि वे इससे सहमत नहीं हैं, भले ही वह सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के तो इसका रास्ता ही क्या है?

इस विधेयक के लिए को सामान्य तरीका निकालना होगा इस पर मतदान किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, हम सब इस माननीय सभा को यह बताना चाहते हैं कि विधि मंत्रालय और विभिन्न चरणों पर परामर्श के बाद सभा के समक्ष प्रस्तुत किसी विधान के उद्देश्यों और कारणों का कथन उस विधेयक के मुख्य भाग के अनुरूप होता है लेकिन इस मामले में हमें दोनों में फर्क नजर आ रहा है।

[अनुवाद]

विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के कथन के रूप में जो कुछ संलग्न है, वह विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। हमें बार-बार यही बताया जा रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। हम जानते हैं कि इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि एक बार इसे विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के साथ संलग्न कर दिया गया है। तो इसे शामिल ही रहने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बंसल जी, क्या ये उद्देश्य और कारण विधेयक के अंग हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह इस मायने में विधेयक का अंग नहीं है, कि जब यह पारित होकर अधिनियम बनता है तो वह उसका अंग नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पारित हो जाने के पश्चात् यह विधेयक का अंग नहीं होता है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि मुझे मालूम है कि ये उद्देश्य और कारण किस बारे में हैं।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो कुछ कहा गया है वह विधेयक के मुख्य भाग के अनुरूप नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि किसी विधान को संसद के समक्ष किस प्रकार रखा जाये। हम सरकार के इस प्रकार के परिवर्तन करने के अधिकार पर विवाद नहीं कर रहे हैं। 'ज्ञात शिपर्स' वाक्यांश की परिभाषा विधेयक में दी जा सकती थी। सही मायने में हम यही चाहते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उदार आर्थिक नीति को देखते हुए इस विधेयक में उन लोगों पर, जो इस विधेयक के निदेशों का उल्लंघन करते हैं जुर्माना लगाने और उन्हें दंड देने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई है दंड सीमा काफी अधिक है। हम सभी दंड सीमा का समर्थन करते हैं। लेकिन इस दंड सीमा का लक्ष्य 'ज्ञात शिपर्स' नामक योजना में निर्धारित किया गया है। सभा यह जानने को उत्सुक है, कि 'ज्ञात शिपस' की सही परिभाषा क्या है। यदि विधि मंत्री महोदय यह तर्क देने का प्रयास करते हैं कि इस योजना में यह सही समय पर बतायी जाएगी लेकिन शक्तियां अभी दी जानी चाहिए। मैं विधि मंत्री जी अथवा नागर विमानन मंत्री जी के खिलाफ नहीं हूं। तो मुझे इस अधिनियम पर विचार करना होगा जिसमें बहुत सी शक्तियां निहित हैं ताकि वे संसद को नजर अंदाज करते हुए अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें यह विधान पारदर्शी नहीं है। यही हमारा उद्देश्य है।

श्री अरुण जेटली: महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय के विचार व्यक्त करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा।

बंसल जी ने कहा है कि चूंकि 'ज्ञात शिपर्स' नामक प्रयुक्त शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे विधेयक में परिभाषित किया जाना चाहिए। बंसल जी काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। इस अधिनियम, जोकि पिछले 68 वर्षों से लागू है, में केवल चार परिभाषाएं दी गई हैं। धारा-2 में केवल चार परिभाषाएं दी गई हैं क्योंकि धारा-5 और धारा 5-क के अनुसरण में इन परिभाषाओं का उल्लेख नियमों अथवा इस विधान के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं में होगा। प्रत्येक नियम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। उन नियमों में परिभाषाएं दी गई हैं। इनमें से प्रत्येक परिभाषा मूल विधेयक के अंतर्गत नहीं आती है। इस विधेयक में, केवल चार परिभाषाएं हैं और इसलिए 'ज्ञात शिपर्स' को इस विधान में परिभाषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

दासमुंशी जी यह जानना चाहते हैं कि 'ज्ञात शिपर्स' का क्या अर्थ है और उद्देश्य का अर्थ क्या है जिसे हम इस अधिनियम द्वारा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि वह इस अधिनियम में 'ज्ञात शिपर्स' की परिभाषा जानना चाहते हैं। इसलिए इसमें एक वैकल्पिक वाक्यांश रेग्युलेटेड एजेंट का भी प्रयोग किया गया है। धारा 5 क के अंतर्गत जारी की जाने वाली अधिसूचना में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जायेगा। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा एजेंट, माल भेजने वाला अथवा कोई अन्य सत्ता जो विमान कंपनी के साथ कारोबार करती है और कार्ग्रो, कुरियर तथा एक्सप्रेस मेल से पार्सल भेजने के संबंध में सुरक्षा आयुक्त, नागर विमानन द्वारा प्रत्याशित अथवा अपेक्षित सुरक्षा नियंत्रण की व्यवस्था करती है। इन वाक्याशों की परिभाषाएं अधीनस्थ विधान अर्थात् धारा 5 क के अतंर्गत निदेशों में होंगी जैसाकि बंसल जी ने कहा है , कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में भी 'ज्ञात शिपर्स' का उल्लेख किया गया है ताकि जब धारा -5 क के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाए तो इस योजना को लागू किया जा सके उद्देश्यों में यह कहा गया है कि एक अधिसूचना जारी की जाएगी। जिसमें सभी बातों का ध्यान रखा जायेगा। इसलिए, इस विषय पर कोई दो राय होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: क्या आपने ऐसी कोई बात पहले कभी सुनी है?...*(व्यवधान)* आप जो इस वक्त यहां हाउस में इस तरह के आब्जैक्ट्स एंड रीजंस ला रहे हैं, क्या आपने कभी पहले ऐसा देखा है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, सभा का समय बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर चर्चा समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: महोदय, मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं, सारा सदन इस बात के लिए तैयार है, आप जो कानून पास करना चाहते हैं, उसके लिए सब तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन चाहता है कि आप नोन शिपर्स को डिफाइन कर दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी ला मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया है।

श्री राशिद अलवी: अगर आपका रवैया इस तरीके से डिक्टेटरशिप का होगा तो यह मुनासिब नहीं होगा, इसके अंदर कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यह कानून ऐसा नहीं है कि आज ही इसे पास करना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, कुछ न कुछ समझौता तो होना ही चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, मेरा केवल विधि से संबंधित प्रश्न है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 75 में अपराध व्यसन की बात कही गई है। भारतीय दंड संहिता में कहीं भी ''ज्ञात डकैत'' का उल्लेख नहीं है। इसलिए मूल विधान में भी कानूनी रूप से ''ज्ञात शिपर्स'' का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। मूल विधान में इसका उल्लेख नहीं होगा। केवल पुलिस अधिनियम अथवा पुलिस स्थायी आदेश में ही ''ज्ञात डकैत'' शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन भारतीय दंड संहिता में विशेष रूप से यह कहा गया है कि धारा 75 अपराध व्यसन से संबंधित है।

इस प्रकार, मूल विधेयक में ''ज्ञात शिपर्स'' शब्द का प्रयोग किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर दे चुके हैं?

प्रो. चमन लाल गुप्त: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जाएगा।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड, 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

प्रो. चमन लाल गुप्त: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''विधेयक पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.16 बजे

अध्यक्ष महोदय: क्या हम अब अगली मद—कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 पर सोमवार को विचार किया जाये। हम इस विधेयक पर सोमवार को चर्चा समाप्त कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप यह नहीं चाहते कि इस पर आज विचार किया जाए?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जी नहीं, महोदय।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मै इससे सहमत हूं कि यदि वे इस पर आज विचार नहीं करना चाहते तो ठीक है हम इस पर आज विचार नहीं करेंगे लेकिन साथ ही यह भी बता दूं कि कल अवकाश नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप यह निश्चित कर दें कि इस पर सोमवार को विचार किया जाएगा। चार घंटे तक हम इस विधेयक पर वाद-विवाद करेंगे और सोमवार को ही इसे पारित भी कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: दादा, कल क्या करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कल आपको चार घंटे का समय नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए।

महोदय, कल, जब हम मध्याह्न भोजनावकाश के बाद पुन: समवेत होंगे तो गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य जिस पर अपराह्न 3.30 बजे विचार किया जाएगा, आरंभ होने तक भी हमारे पास डेढ़ घंटे का समय रहेगा। तब हम क्या करेंगे? मैं दोपहर बाद तीन घंटे का अवकाश नहीं रख सकता। यदि मुझे कोई छोटे विधेयक दिखाई देंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा लेकिन यदि मुझे कोई ऐसा विधेयक नहीं मिला तो मुझे इस विधेयक को कल के लिए रखना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, आपने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्रमुख विधेयक पर चर्चा उसी दिन समाप्त की जानी चाहिए और यह एक प्रमुख विधेयक है। कल हमारे पास चार घण्टे नहीं हैं इसलिए हम इस पर कल चर्चा समाप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारा यह सुझाव है कि कल उस डेढ घंटे के समय में हम कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों अथवा कुछ छोटे विधेयक यथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2000 पर विचार कर सकते हैं।

महोदय, कृपया विपक्षी दल का अनुरोध स्वीकार कीजिए। कृपया इस कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 को सोमवार की कार्यसूची में सम्मिलित कर दीजिए। हम इस पर सोमवार को ही चर्चा समाप्त कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 नवम्बर, 2000/ 3 अग्रहायण 1922 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/11/4/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।